पंचदश माला, खंड 33, अंक 24

गुरुवार, 25 अप्रैल 2013
05 वैशाख, 1935 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 81
Dated 14 Aug 2017

(खंड 33 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : एक सौ पन्द्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

कीर्ति यादव
सम्पादक

अंजु मीणा
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 33, तेरहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 24, गुरुवार, 25 अप्रैल, 2013/05 वैशाख, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 440	2-97
अतारांकित प्रश्न संख्या 4826 से 5055	97-816
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	817-818
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	818-826
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	827-828
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	827-830

*निधन संबंधी उल्लेख के बाद सभा की बैठक स्थगित होने के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका, अत: इन्हें अतारांकित माना गया।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरुवार, 25 अप्रैल, 2013/05 वैशाख, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने सहयोगी, श्री अम्बिका बनर्जी और हमारे एक भूतपूर्व सहयोगी, श्री सी. कुप्पूसामी के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री अम्बिका बनर्जी सभा के वर्तमान सदस्य थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के हावड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री बनर्जी पांच बार पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने दो बार विधान सभा में विपक्ष के के उपनेता के रूप में कार्य किया।

एक सक्रिय संसदविद्, श्री बनर्जी ने शहरी विकास संबंधी समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री अम्बिका बनर्जी का निधन 84 वर्ष की आयु में आज सुबह कोलकाता में हुआ।

श्री कुप्पूसामी बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक योग्य संसदविद्, श्री सी. कुप्पूसामी ने प्राक्कलन समिति के सभापति और कई संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

एक सक्रिय मजदूर संघ मजदूर संघ नेता के रूप में उन्होंने देश में असंगठित श्रमिकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री सी. कुप्पसामी का निधन 86 वर्ष की आयु में 19 अप्रैल, 2013 को चेन्नई में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं इस सभा की ओर से तथा अपनी ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02$^1/_2$ बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02$^1/_4$ बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जल संबंधी राष्ट्रीय विधिक ढांचा

***421. श्री संजय निरूपम:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश राज्यों ने सरकार के जल संबंधी सामान्य सिद्धान्त विषयक एक शीर्ष सर्वसमावेशक राष्ट्रीय विधिक ढांचा तैयार करने के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्यों ने यह निवेदन किया है कि राष्ट्रीय विधिक ढांचा जल संसाधनों पर उनके सांविधानिक अधिकार का अतिक्रमण करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (एनडब्ल्यूआरसी) ने 28 दिसम्बर, 2012 को आयोजित इसकी छठी बैठक में राज्यों के बीच बनी आम सहमति के आधार पर राष्ट्रीय जल नीति (2012) को अंगीकार किया था जिसमें राष्ट्रीय जल ढांचा कानून (एनडब्ल्यूएफएल) बनाने का प्रस्ताव था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की उपर्युक्त बैठक में चर्चा के दौरान जहां कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय जल ढांचा कानून

बनाने का विरोध किया था, वहीं कुछ राज्यों ने यह आशंका जताई थी कि राष्ट्रीय जल ढांचा कानून राज्यों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगा। यह सुझाव दिया गया था कि ऐसा ढांचा कानून सामान्य मार्गनिर्देशी सिद्धांतों के एक समूह के रूप में हो सकता है। तथापि, चर्चा के बाद इस संबंध में प्रधानमंत्री की प्रारंभिक अभ्युक्ति और बाद में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के आधार पर राष्ट्रीय जल नीति (2012) पर आम सहमति बनी।

(ङ) सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय जल ढांचा कानून राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेगा, और यह इस प्रकार बनाया जायेगा कि राज्यों के अधिकार एवं शक्तियों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी और गहन विचार-विमर्श के बाद ही इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा।

जल संसाधन मंत्राल ने राष्ट्रीय जल ढांचा कानून का मसौदा तैयार करने के लिए डा. वार्ड. के अलग, पूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 3 जुलाई, 2012 को एक समिति गठित की है।

भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

***422. श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री प्रदीप माझी:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मंत्रालय के पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन द्वारा ब्रिटेन की नेचुरल एन्वायर्नमेंट रिसर्च काउंसिल के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समझौता ज्ञापन के निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) उक्त समझौता मौसम और जलवायु से जुड़ी विभिन्न घटनाओं और प्राकृतिक संकट की हमारी पूर्वानुमान क्षमता में सुधार लाने में किस प्रकार सहायक होगा; और

(घ) इन संगठनों की चल रही विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा क्या है और इनके परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ प्राप्त हुआ है अथवा प्राप्त होने की सम्भावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस.जयपाल रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) 1 मार्च 2013 को यू.के. तथा भारतीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान, जलवायु और पर्यावरणीय और अनुसंधान समुदायों के बीच एक समुचित अनुसंधान सहयोग संघ की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का प्रयास नेटवर्किंग, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षमताओं के विनिमय तथा संयुक्त आमंत्रण के जरिये अनुसंधान परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के माध्यम से सूचनाओं के विनिमय तथा सहयोग के नए अवसरों की पहचान को बढ़ावा देकर मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु परिवर्तनीयता तथा परिवर्तन, जलविज्ञान, हिमांकमण्डल, प्राकृतिक संकटों तथा जैव विविधता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना होगा।

(ग) यह अभिकल्पित है कि यह समझौता ज्ञापन एशियाई क्षेत्रीय पैमाने के मानसून की बेहतर समझ; उत्तरी यूरोप के मौसम तथा जलवायु परिसंचरण पैटर्नों के संभावित प्रभाव; तथा जलवायु, हिमनदों, भूजल तथा जल संसाधनों की समग्र निरन्तरता के बीच होने वाली महत्वपूर्ण (और बहुत कम समझी गई) अन्योन्य-क्रियाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक उपयुक्त संयुक्त अनुसंधान तथा विकास क्रियाविधि उपलब्ध कराता है।

(घ) बदलते जल चक्र विषयवस्तु के अन्तर्गत अब तक 5 संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों पर कार्य किया गया है। इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 7-8 फरवरी, 2013 को दिल्ली में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत के 15 वैज्ञानिको के साथ-साथ यू.के. के 10 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। दोनों पक्षों द्वारा किया जाने वाला व्यय सामान्यत: बराबरी के सिद्धान्त पर आधारित होता है। इन पाँच परियोजनाओं के लिए वर्तमान में प्रतिबद्धित वित्तोषण की राशि की हिस्सेदारी 20 करोड़ रुपए (2. 7 मिलियन पौंड) (एनईआरसी-यू.के. घटक) तथा 12.50 करोड़ रुपए (एमओईएस-भारतीय घटक) है। मानसून अनुसंधान विषयवस्तु के अन्तर्गत सहयोगात्मक अनुसंधान प्रस्तावों को आमन्त्रित करने के लिए नए संयुक्त आमंत्रण के निर्माण को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिसके लिए एनईआरसी ने पहचान किए गए यू.के. के अनुसंधान समूहों के साथ-साथ भारतीय समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए 3 मिलियन पौंड का निवेश प्राधिकृत किया है।

दुर्घटना राहत क्रेनें

***423. श्री नरहरि महतो:**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय रेल में आपदा प्रबंधन के आधुनिकीकरण संबंधी रणनीतियों की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय जोन-वार कितनी दुर्घटना राहत क्रेनें सेवा में और प्रचालन में हैं;

(घ) क्या ऐसी क्रेनें आयातित हैं अथवा स्वदेश में निर्मित हैं और क्या ऐसी क्रेनों की कोई कमी है और यदि हां, तो रेलवे का इस कमी को किस प्रकार से पूरा करने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रेलों पर विभिन्न आपदाओं का सामना करने के लिए बेहतर तैयारियां करने के लिए आपदा प्रबंधन के आधुनिकीकरण की योजनाओं की भारतीय रेलों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आपदा प्रबंधन उपकरणों का आधुनिकीकरण करना एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है, जिसे विभिन्न स्थानों से प्राप्त अनुभव और जानकारियों के आधार पर किया जाता है। भारतीय रेलों के लिए आपदा प्रबंधन योजना की हर वर्ष कारपोरेट, जोनल रेलवे और मंडल स्तर पर समीक्षा की जाती है जिसमें विभिन्न आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देश भी शामिल किए जाते हैं।

निगमित संरक्षा योजना (2003-13) और आपदा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय समिति (अप्रैल, 2003) रेल मंत्रालय की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रेलों पर आपदा प्रबंधन (डीएम) के सुविधाएं और उपकरण, बड़ी दुर्घटनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करना, बेहतर ग्राहक फोकस और प्रशिक्षण एवं तैयारियां आदि शामिल हैं।

(ग) दुर्घटना राहत क्रेनों की जोन-वार सूची नीचे दी गई है:

रेलवे	चालू क्रेनों की संख्या
1	2
मध्य रेलवे	6
पूर्व रेलवे	5
उत्तर रेलवे	9
पूर्वोत्तर रेलवे	5
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	8
दक्षिण रेलवे	7
दक्षिण पूर्व रेलवे	6
दक्षिण पूर्व रेलवे	5
पश्चिम रेलवे	7
पूर्व मध्य रेलवे	9
पूर्व तट रेलवे	7
उत्तर मध्य रेलवे	3
उत्तर पश्चिम रेलवे	8
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	3
दक्षिण पश्चिम रेलवे	3
पश्चिम मध्य रेलवे	5
कुल	96

(घ) इस समय जोनल रेलों में उपलब्ध 96 दुर्घटना राहत क्रेनों में से 41 आयात की हुई हैं और शेष 55 स्वदेश में निर्मित हैं। क्रेनों की कोई कमी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना

***424. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन किया है अथवा आकलन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं में पाई गई कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या कुछ कृषि और ग्रामीण उद्योग बंद होने के कगार पर हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सूक्ष्म, और ध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार कृषि और ग्रामीण उद्योग (एआरआई) क्षेत्र को बढ़ावा देने संबंधी स्कीमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन नहीं करती है। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कयर बोर्ड जो इन स्कीमों को कार्यान्वित करते हैं, इन स्कीमों को अगली पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों से इनका मूल्यांकन विधिवत् रूप से करवाते हैं और उनके निष्कर्ष, टिप्पणियों तथा सिफारिशों (पाई गई किसी भी कमी सहित) पर परवर्ती पंचवर्षीय योजना में उनके सतत कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेने के लिए विधिवत् रूप से विचार किया जाता है। मूल्यांकन के विचारार्थ विषयों (टेओआरएस) के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को छोड़कर कार्यान्वयनों के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़ों का अधिग्रहण करने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र की प्रमुख स्कीम पीएमईजीपी के निष्पादन संबंधी राज्यवार आंकड़े विवरण में संलग्न हैं।

(घ) बंद होने के कगार पर जा रहे किसी भी कृषि तथा ग्रामीण उद्योग की कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

11वीं योजना के दौरान पीएमईजीपी का राज्यवार निष्पादन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)	उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	8445.38	8626.65	6302	55340
2.	हिमाचल प्रदेश	3535.99	3499.61	2571	14157
3.	पंजाब	6619.02	6569.77	3107	26796
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	123.92	119.31	120	713
5.	उत्तराखंड	3739.11	3622.74	3012	26870
6.	हरियाणा	5781.45	5737.81	2738	25899
7.	दिल्ली	522.36	361.11	431	3266
8.	राजस्थान	12524.7	11797.39	6501	65261
9.	उत्तर प्रदेश	54208.24	53094.22	16925	173726
10.	बिहार	16973.8	14387.69	7330	49537
11.	सिक्कम	569.57	411.37	212	844
12.	अरुणाचल प्रदेश	1154.4	951.79	879	6556
13.	नागालैंड	1942.14	1853.29	863	8528

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	1118.67	1357.71	979	6020
15.	मिजोरम	1379.68	1526.19	954	8767
16.	त्रिपुरा	4501.43	4106.48	2909	20451
17.	मिजोरम	2438.39	2432.39	1416	7049
18.	असम	13258.68	13143.4	13694	105184
19.	पश्चिम बंगाल	26000.84	26000.73	22580	234628
20.	झारखंड	7849.84	7653.37	4930	29495
21.	ओडिशा	15538.94	15507.69	8472	81529
22.	छत्तीसगढ़	9855.87	9850.44	4134	42841
23.	मध्य प्रदेश	15018.43	14893.55	4610	49314
24.	गुजरात*	12853.33	12821.33	4818	50733
25.	महाराष्ट्र**	19316.27	18554.62	12524	96255
26.	आंध्र प्रदेश	24492.03	24328.62	8099	172389
27.	कर्नाटक	13110.56	13089.38	6506	58909
28.	गोवा	830.11	759.8	377	6331
29.	लक्षद्वीप	83.66	43.08	58	171
30.	केरल	9443.85	9418.7	5432	34245
31.	तमिलनाडु	19924.08	19693.81	9818	140681
32.	पुदुचेरी	316.47	230.46	409	1676
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	335.06	324.56	573	1704
	कुल	**314088.66**	**306769.06**	**164283**	**1605865**

*दमन और दीव सहित **दादरा और नगर हवेली सहित

रासायनिक उर्वरकों के मूल्य

***425. श्री अर्जुन रायः**

श्री राजीव रंजन सिंह *ऊर्फ* **ललन सिंहः**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में विशेषकर वर्ष 2012-13 के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में गिरावट आई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रत्येक रासायनिक उर्वरक का औसत मूल्य क्या था;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटे मूल्यों के लाभ देश के उर्वरक उपभोक्ताओं को मिलें; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उपभोक्ताओं को कितनी आर्थिक राहत मिलने की सम्भावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां।

(ख) सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फर्टिलाइजर मार्केट बुलेटिन (एफएमबी) के अनुसार वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुख आयातित रासायनिक उर्वरकों के मासिक औसत मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा नियत अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाता है जिसे नवम्बर, 2012 में 50 रुपये प्रति टन की मामूली वृद्धि को छोड़कर अप्रैल, 2010 से बढ़ाया नहीं गया है। पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति जिसे 1.4.2010 से कार्यान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के संबंध में उनमें निहित पोषक तत्वों के आधार पर राजसहायताप्राप्त पीएण्डके उर्वरक के प्रत्येक ग्रेड पर राजसहायता की नियत राशि वार्षिक आधार पर देने का निर्णय लिया जाता है। पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी नियंत्रणमुक्त है और इसे बाजार के उतार-चढ़ाव तथा सरकार द्वारा दी गई राजसहायता की राशि के आधार पर कंपनियों द्वारा नियत करने की अनुमति दी जाती है। सरकार एमआरपी की उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली पर विचार कर रही है ताकि उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के कारण कंपनियों द्वारा अनुचित मुनाफा लेने के मुद्दे का समाधान किया जा सके।

विवरण

एफएमबी के अनुसार प्रमुख उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का औसत मासिक मूल्य (मूल्य रुपए में)

माह	डीएपी (सीएण्डएफ)		एमओपी* (एफओबी)		यूरिया* (एफओबी)		विनियम दर	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
अक्तूबर	33614	31238	23214	24522	25098	21297	49.26	53.02
नवम्बर	34337	30848	24413	25062	26149	21775	50.86	54..78
दिसम्बर	33478	29466	25286	24274	22633	21723	52.68	54.65
जनवरी	30092	28681	24643	22950	20729	22048	51.34	54.32
फरवरी	28169	28183	23602	21560	19945	22638	49.17	53.90
मार्च	27968	29900	23852	21760	21160	22372	50.32	54.40
भारत सरकार द्वारा प्रति मी.टन. दी गई राजसहायता (रुपए)	19763	14350	16054	14400	*			

* राजसहायता दरें माह दर माह भिन्न-भिन्न होती हैं क्योंकि एमआरपी नियत है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनगणना

***426. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही की सामाजिक, आर्थिक और जाति संबंधी जनगणना/सर्वेक्षण, 2011 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के प्रतिशत में कमी/वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अंतर्गत पहचान किए गए सभी व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड जारी कर दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रें में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने हेतु प्रयुक्त मापदंडों में कोई अंतर था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए वृहत नमूना सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली (बीपीएल) की प्रतिशतता का आकलन करता है। इन आकलनों से बीपीएल आबादी की प्रतिशतता में कमी आने का पता चला है जो कि 2004-05 में 37.2% से घटकर 2009-10 में 29.8% रह गई है। देशभर में परिवार स्तर पर सामाजिक-आर्थिक एवं जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) शुरू की है।

(ग) बीपीएल परिवारों का निर्धारण और उन्हें जॉब कार्ड जारी करना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का कार्य है। बीपीएल जनगणना में एकत्र की गई सामाजिक-आर्थिक संकेतकों संबंधी जानकारियों के आधार पर बनाई गई परिवारों की रैंकिंग के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल कार्ड जारी किए जाते हैं।

(घ) बीपीएल आबादी के निर्धारण के लिए योजना आयोग द्वारा प्रयुक्त तौर-तरीके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर दवा का जेनेरिक रूप

***427. श्री नीरज शेखर:**
श्री यशवीर सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के निर्णय में विनिर्माताओं को 'ग्लिवेक' कैंसर दवा का जेनेरिक रूप बनाया जाना जारी रखने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से देश में बड़ी संख्या में कैंसर रोगियों और भारतीय भेषज कंपनियों को कितनी मदद मिलेगी; और

(ग) इस निर्णय का नए आविष्कारों और विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश तथा रोगियों को अच्छी क्वालिटी की दवाओं की उपलब्धाता पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

जल विद्युत उत्पादन क्षमता

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) मैसर्स नोवारटिस एजी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में मैसर्स नोवारटिस द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 1998 को पेटेंट कार्यालय चेन्नै में दिए गए अपने आवेदन में किए गए अविष्कार का पेटेंट दिए जाने पर निर्णय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उक्त अविष्कार पेटेंट अधिनियम 1970 की धाराएं 2(1)(छ), 2(1)(छक) और 3(घ) के अंतर्गत अविष्कार और पेटेंट प्रदान किए जाने संबंधी जांच पर विफल में कैंसर दवा ग्लिवेक के जेनरिक रूप के विनिर्माण के संबंध में कोई आदेश निहित नहीं है। उक्त निर्णय के आलोक में, एमिटिनिब मेसालाइट का बिटाक्रिस्टीलाइन अवस्था के रूप में कैंसर दवा ग्लिवेक एक पेटेंट प्राप्त उत्पाद नहीं है और इसलिए उक्त दवा के विनिर्माण के लिए जेनरिक विनिर्माण कंपनियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय आईपीआर व्यवस्था पूरी तरह टीआरआईपीएस समझौता के अनुरूप है। इसलिए किसी विदेशी कंपनी को आईपीआर के संरक्षण के संबंध में किसी प्रकार का संशय होने और विदेशी कंपनियों द्वारा नए अविष्कारों और निवेशों पर प्रभाव पड़ने के कोई कारण नहीं हैं।

जल विद्युत उत्पादन क्षमता

***428. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री रवनीत सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता की संभावना का पता लगाने और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितनी धनराशि आवंटित/जारी किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में नई जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु किन-किन स्थानों को चिह्नित किया गया है और देश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) 1978-1987 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा कराए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, संस्थापित क्षमता (आईसी) के संबंध में 148701 मेगावाट की जल विद्युत संभाव्यता अनुमानित है जिसमें से 145320 मेगावाट की संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत स्कीमें शामिल हैं।

विद्यमान नीति के अनुसार उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), जिसमें जल विद्युत उत्पादन भी शामिल है, के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में 100% तक विदेशी सीधे निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) 12वीं योजना के दौरान जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि के लिए 10897 मेगावाट (25 मेगावाट और उससे अधिक) की संस्थापित क्षमता वाली पैंतालिस (45) जल विद्युत परियोजनाएं लक्षित की गई हैं, जिसमें से आज तक 534 मेगावाट की परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इन योजनाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित निधि लगभग 87,176 करोड़ रुपये है जिसकी पूर्ति हाईड्रो विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं की जानी है। तथापि, केन्दीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को सरकार द्वारा आंशिक बजटीय सहायता प्रदान की गई है जिसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2979.29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये निधियां परियोजनाओं की प्रगति और आवश्यकता पर निर्भर करते हुए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के माध्यम से जारी की जाती हैं। 12वीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 2012-13 के दौरान 469.50 करोड़ रुपये का जीबीएस जारी किया गया है जबकि 2013-2014 के लिए 1576.55 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

देश में जल विद्युत के विकास सहित 12वीं योजना के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखत कदम उठाए हैं-

* केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा कार्यस्थल के लगातार दौरों, विकासकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श, मासिक प्रगति रिपोर्टों के गहन अध्ययन आदि के माध्यम से प्रत्येक परियोजना की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, सीईए जटिल मुद्दों/बाधाओं के समाधान के लिए विकासकर्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ समीक्षा बैठकें करते हैं।
* जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति के स्वतंत्र अनुवर्तन एवं निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) स्थापित किया गया है।
* विद्युत मंत्रालय द्वारा जटिल मुद्दों के समाधान के लिए सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं।
* उपलब्ध कार्यशील मौसम में क्रिटिकल मैनपावर तथा सामग्री के परिवहन सहित कठिन मौसमी एवं कार्य स्थितियों का ध्यान रखने के लिए उचित परियोजना सुनिश्चित की जाती है।
* जलविद्युत परियोजनाओं के विकास से संबंधित सभी मुद्दों की जांच और समाधान करने के लिए विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में 3.9.2007 को एक जल विद्युत विकास संबंधी कार्यबल गठित किया गया था। अब तक 5 बैठकें आयोजित की गई हैं। 5वीं बैठक 27.2.2013 को आयोजित की गई थी।
* विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर आवधिक रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श करने तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को सुझाने के लिए जनवरी, 2013 में विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार समूह की स्थापना की गई है।

विवरण

12वीं योजना के दौरान लाभ के लिए हाइड्रो परियोजनाएं (25 मेगावाट और इससे अधिक)

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	आई.सी (संख्याx मेगावाट)	वर्ष-वार क्षमता अभिवृद्धि 2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क	कमिशन्ड केन्द्रीय क्षेत्र									
1.	चमेरा-III	हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी	3×77	231					231
2.	चुटक	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	4×11	44					44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	तीस्ता लो डैम-III	पश्चिम बंगाल	एनएचपीसी	4x33	99	33				132
	उप-जोड़ः केन्द्रीय क्षेत्र				**374**	**33**				**407**
4.	मिंटडू-।, अतिरिक्त यूनिट	मेघालय	एमईएसईबी	1x42	42					42
5क.	भवानी बैराज-।।।	तमिलनाडु	टांगेडको	2x15	15					15
	उप-जोड़ः राज्य क्षेत्र				57					57
6.	बुधहिल	हिमाचल प्रदेश	लैंको	2x35	70					70
	उप-जोड़ः निजी क्षेत्र				70					70
	उप-जोड़ 'क' कमिशंड				501	33				534
ख.	निर्माणाधीन									
	केन्द्रीय क्षेत्र									
7.	पारे एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	2x55		110				110
8.	कमेंग एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	4x150				600		600
9.	सुबानसिरी लोअर एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	4x250*				100		100
10.	पारबती-।। एचईपी	हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी	4x200				800		800
11.	रामपुर एचईपी	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएनएल	412		206	206			412
12.	कोलडैम एचईपी	हिमाचल प्रदेश	एनटीपीसी	800			800			800
13.	पार्बती-III	हिमाचल प्रदेश	एनएचपीसी	4x130	390	130				520
14.	किशन गंगा	जम्मू और कश्मीर	एचएचपीसी	3x110				330		330
15.	उरी-III	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	4x60		240				240
16.	निम्मो बाजगो	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	3x15	45					45
17.	तुरियल	मिजोरम	नीपको	2x30				60		60
18.	तपोवन विष्णुगाड	उत्तराखंड	एनटीपीसी	4x130			520			520
19.	तीस्ता लो डैम IV	पश्चिम बंगाल	एनएचपीसी	4x40		160				160
	उप-जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र				881	1406	520	2790		5597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राज्य क्षेत्र									
20.	लोअर जुराला	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	6×40	40	160	40	60		240
21.	पुलीचिंताला	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	4×30			60	60		120
22.	नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	2×25		50				50
23.	कशंक-I	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	1×65		65				65
24.	उहल-III	हिमाचल प्रदेश	बीपीसीसी	3×33.33		100				100
25.	स्वारा कुड्डु	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	3×37		111				111
26.	कशंग-IIऔर III	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	2×65			130			130
27.	सैंज	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	2×50		100				100
28.	बगलीहार-II	जम्मू और कश्मीर	जेकेपीडीसी	3×150				450		450
29.	थोटियार	केरल	केएसईबी	1×30+			40			40
30.	पल्लीवसल	केरल	केएसईबी	2×30		60				60
31.	नई उमतरू	मेघालय	एमईईसीएल	2×20		40				40
32.	भवानी बैराज-II	तमिलनाडु	टांगेडको	2×15	30					30
5ख.	भवानी बैराज-III	तमिलनाडु	टांगेडको	2×15	15					30
	उप-जोड़ निजी क्षेत्र				85	686	270	510		1551
	निजी क्षेत्र									
33.	टीडोंग-I	हिमाचल प्रदेश	एनएसएल टिडोंग पावर जेनरेशन लि.	2×50			100			100
34.	सोंराग	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल सोरांग पावट प्रा.लि.	2×50		100				100
35.	टांगनु रोमइ-I	हिमाचल प्रदेश	टांगनु रोमई पावर जेनरेशन लि.	2×22			44			44
36.	महेश्वर	मध्य प्रदेश	एसएमएचपीसीएल	10×40		400				400
37.	भासमे	सिक्किम	जीएटीआई	2×25.5			51			51
38.	जोरेथांग लूप	सिक्किम	डैन्स प्रा. लि.	2×48		96				96
39.	रंगित-IV	सिक्किम	जल पावर	3×40		120				120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	तीस्ता-VI	सिक्किम	लैंको	4×125			500			500
41.	तीस्ता-III	सिक्किम	तीस्ता ऊर्जा	6×200		1200				1200
42.	चुजाचेन	सिक्किम	जीएटीआई	2×49.5	99					99
43.	सिंगोली भटवारी	उत्तराखंड	एलएण्डटी	3×33				99		99
44.	फाटा ब्यूंग	उत्तराखंड	लैंको	2×38			76			76
45.	श्रीनगर	उत्तराखंड	एचपीसीओ लि.	4×82.5		330				330
	उप-जोड़: निजी क्षेत्र				199	2222	794	0		3215
	उप-जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र			0	1165	4314	1584	3300		10363
	कुल-12वीं योजना			501	1198	4314	1584	3300		10897

वित्तीय धोखाधड़ी

***429. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
श्री एस. अलागिरी:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सांविधिक दर्जा/शक्तियां देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक कंपनी-वार कितने मामले गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सौंपे गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कंपनी-वार कितने मामलों की जांच की गई और उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय का धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी हां, सरकार का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को सांविधिक दर्जा देने का प्रस्ताव है और तदनुसार कंपनी विधेयक, 2012 के खंड 211 में समर्थकारी प्रावधान शामिल किए गए हैं।

सांविधिक दर्जा देने के अतिरिक्त गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के कार्यकरण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, जिन्हें कंपनी विधेयक, 2012 में प्रस्तावित किया गया है, इस प्रकार हैं:–

* "धोखाधड़ी" को परिभाषित करना और संज्ञेय बनाना;
* गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और सांविधिक मान्यता प्राप्त अन्य जांच एजेंसियों के मध्य समन्वय तंत्र;
* गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच रिपोर्ट को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय में दायर जांच रिपोर्ट के समकक्ष माना जाना;
* कुछ अपराधों के लिए गिरफ्तारी का अधिकार;

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों (2010-11, 2011-12 और 2012-13) के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को 64 मामले भेजे गए; कंपनी-वार ब्यौरे विवरण-I में संलग्न हैं। इस अवधि के दौरान 55 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है; कंपनी-वार ब्यौरे विवरण-II में संलग्न हैं।

55 मामलों, जिनमें मंत्रालय द्वारा जांच का आदेश दिया गया था, में से 25 मामलों में आदेश विभिन्न उच्च न्यायालयों के जांच के निदेशों के आधार पर दिया गया। उच्च न्यायालयों द्वारा भेजे

गए अधिकांश मामलों में जांच के लिए विशेष मुद्दे भेजे गए और की गई कार्रवाई न्यायालयों को जांच रिपोर्ट दायर करने तक सीमित थी। जांच रिपोर्टों पर कार्रवाई करना उच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है। तथापि, कानून का उल्लंघन होने पर इन रिपोर्टों के निष्कर्षों पर मंत्रालय भी निदेश जारी करता है।

मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 235 के अंतर्गत भेजे गए मामलों में अभियोजन की स्वीकृति, जहां कहीं आवश्यक हो, दी जाती है। 20 मामलों में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 79 शिकायतें और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 के अंतर्गत 6 शिकायते दर्ज की गई हैं।

(ङ) जी हां। कारपोरेट क्षेत्र में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का पहले से पता लगाने के लिए पूर्व चेतावनी संकेतों के लिए एक "धोखाधड़ी पूर्वानुमान मॉडल" तैयार करने पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय सक्रियता से विचार कर रहा है।

धोखाधड़ी पूर्वानुमान मॉडल के लिए व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ एक उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया है। विचारार्थ विषयों में प्रयोगिक परियोजना के परीक्षण हेतु समय-सीमा सहित कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करना शामिल है।

संचालन समिति ने अपनी प्रारूप रिपोर्ट गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि मॉडल का प्रायोगिक परीक्षण चालू वित्त वर्ष (2013-14) में कर लिया जाएगा। मॉडल का विकास करना एक अत्यधिक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया है, अतः प्रयोग "धोखाधड़ी प्रवणता मॉडल" के रूप में शुरू किया जाएगा जिसे समय के साथ भविष्यसूचक में विकसित किया जाएगा।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान एसएफआईओ को भेजे गए कंपनीवार मामले

वर्ष 2010-11

क्र.सं.	कंपनी का नाम	जांच के आदेश की तिथि	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	28/05/2010	09/03/2012
2.	सुभिक्षा ट्रेडिंग सर्विसेज लि.	23/07/2010	कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जांच वापस लिया गया तथा पुन: 18.10.2012 को जांच आदेश दिए गए। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2013 से आठ सप्ताह के लिए रोक लगाई गई। रोक विद्यमान है क्योंकि यह मामला अभी सुनवाई हेतु आना शेष है।
3.	गोल्डक्वेस्ट इंटरनेशनल प्रा.लि.	28/07/2010	05/03/2012
4.	क्वेस्टनेट एंटरप्राइसेज इंडिया प्रा.लि.	28/07/2010	05/03/2012
5.	जयंत विटामिंस लि.	11/08/2010	29/05/2012
6.	सिटी लिमोजिंस (इंडिया) लि.	07/10/2010	30/01/2012
	वर्ष 2011-12		
7.	अंबुजा सीमेंट्स लि.	02/06/2011	26/07/2011
8.	एसीसी लि.	02/06/2011	26/07/2011

1	2	3	4
9.	अल्ट्राटेक सीमेंट लि.	02/07/2011	21/02/2012
10.	मैसर्स एच.एम.डाइंग लि. (परिसमापधीन)	27/07/2011	21/02/2012
11.	मैसर्स डाइमेनशन्स इंवेस्टमेंट एंड सिक्युरिटीज लि. (परिसमापधीन)	09/08/2011	07/03/2012
12.	मैसर्स स्पीकएशियाऑनलाइन	10/08/2011 एवं 13/12/2012	प्रगति पर
13.	मैसर्स मैटलेक्स सिरेमिक लि. (परिसमापधीन)	05/09/2011	11/01/2012
14.	मैसर्स पालामूर एग्रो कॉम्पलेक्स लि. (परिसमापधीन)	18/10/2011	29/02/2012
15.	मैसर्स गंगा यमुना फिनवेस्ट प्रा.लि. (परिसमापधीन)	18/10/2011	30/08/2012
16.	मैसर्स लक्षीष हैबिटेट्स लि. (परिसमापधीन)	14/01/2012	14/08/2012
17.	मैसर्स सावित्री इंडिया लि. (परिसमापधीन)	04/01/2012	14/08/2012
18.	मैसर्स जेनसन्स एंड निकोल्सन फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (परिसमापधीन)	02/02/2012	17/08/2012
19.	पुष्कर ट्रेडिंग कंपनी लि. (परिसमापधीन)	13.03.2012	31/08/2012
20.	त्रिवेणी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लि. (परिसमापधीन)	02/04/2012	06/09/2012
21.	सिंह कॉन्ट्रक्टर्स (आई) प्रा.लि. (परिसमापधीन)	11.04.2012	26.092012
22.	टिम्बर वर्ल्ड रिसॉर्टस एंड प्लान्टेशन प्रा.लि. (परिसमापधीन)	23.04.2012	27.02.2013
23.	कुश प्रिंट (पी) लि. (परिसमापधीन)	23.04.2012	05.12.2012
24.	केज़न फाईनेंस एंड इनवेस्टमेंट (इंडिया) लि. (परिसमापधीन)	07.05.2012	23.11.2012
25.	डीएसएस मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि. (परिसमापधीन)	16.05.2012	18.03.2013
26.	विजय एसोसिएट्स (अप्रोप्राइटरी कन्सर्न)	17.05.2012	26.07.2012
27.	आयुषी बिल्डएस्टेट प्रा.लि.	17.05.2012	18.09.2012
28.	मॉव फार्म्स प्रा.लि.	17.05.2012	03.08.2012

1	2	3	4
29.	युसूफ प्रोपर्टीज प्रा.लि.	17.05.2012	30.08.2012
30.	साजाद प्रोपर्टीज प्रा.लि.	17.05.2012	31.12.2012
31.	रिबॉक इंडिया कंपनी (असीमित देयता कंपनी)	29.05.2012	प्रगति पर
32.	इंडिपेन्डेंट मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि. (परिसमापधीन)	08.06.2012	19.10.2012
33.	मैसर्स बेसिल इंअरनेशनल लि.	02.07.2012	प्रगति पर
34.	मैसर्स वाम्शी केमिकल्स लि.		
35.	मैसर्स निक्सील फार्मासुटिकल्स स्पेशिलिटीज लि.		
36.	एप्लाइन कास्मेटिक्स एंड टॉइलट्रीज़ लि.		
37.	मैसर्स बेसिल एक्सप्रेस लि.		
38.	मैसर्स वैष्णवी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रा.लि.	09.07.2012	प्रगति पर
39.	मैसर्स वेष्णवी एडवायजरी सर्विसेज़ प्रा.लि.		
40.	मैसर्स लीज़र क्लब्स इंडिया प्रा.लि.		
41.	मैसर्स क्लैरो कंसल्टेंसी प्रा.लि.		
42.	मैसर्स मैजिक एयरलाइन प्रा.लि.		
43.	मैसर्स मानसी एग्रो प्रा.लि.		
44.	मैसर्स क्राउनमार्ट इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि.		
45.	मैसर्स विटकॉम कंसल्टिंग प्राइवेट लि.		
46.	मैसर्स न्यूकॉम कंसल्टिंग प्रा.लि.		
47.	मैसर्स ऑमवे बिल्ड एस्टेट प्रा.लि.	12.07.2012	02.11.2012
48.	मैसर्स एबीसीइंडिया नेटवर्क्स प्रा.लि.	25.07.2012	12.12.2012
49.	मैसर्स यूनीगेटवे 2यू ट्रेडिंग प्रा.लि.	03.08.2012	प्रगति पर
50.	मैसर्स यूनीपे 2यू मार्वेटिंग प्रा.लि.		
51.	मैसर्स यूनीपे क्रिएटिव बिजनेस प्रा.लि.		
52.	मैसर्स यूनीपे 2यू प्रोडक्शन प्रा.लि.		
53.	मैसर्स बीपीटीपी पार्कलैण्ड्स, फरीदाबाद	03.08.2012	दिनांक 18.3.2013 तक रोक लगाई गई। दिनांक 11.04. 2013 को पुन: अधिसूचित किया गया। दिनांक 11.04.

1	2	3	4
			2013 के आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने दो एफआईआर तथा उससे उत्पन्न कार्यवाहियां रद्द कर दीं। अत:, दोनों मामले उच्च न्यायालय द्वारा वापस ले लिए गए हैं।
55.	मैसर्स काइनेमैटिक्स मार्केटिंग (पी)लि.	03.08.2012	01.04.2013
56.	मैसर्स लाइफ बिजनेस प्रोजेक्ट प्रा.लि. (श्री भुवनेश चतुर्वेदी तथा अन्य)	14.08.2012	01.03.2013
57.	मैसर्स जेनेक्स्ट प्रोमोटर्स प्रा.लि.	30.08.2012	13.12.2012
58.	मैसर्स महक व्यापार प्रा.लि.	26.09.2012	21.03.2013
59.	मैसर्स एबीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रकचर लि.	18.10.2012	प्रगति पर
60.	मैसर्स अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लि.	05.11.2012	7.03.2013 तक रोक लगाई गई। 6.08.2013 तक आगे रोक लगाई गई।
61.	मैसर्स डीआर गौर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	04.12.2012	प्रगति पर
62.	मैसर्स एलाइंस निर्माण प्रा.लि. एंड मैसर्स जी.एन. प्रोपर्टीज प्रा.लि.	04.12.2012	दिल्ली उच्च न्यायाल द्वारा दिनांक 21.12.2012 को जांच आदेश वापस लिया गया।
63.	मैसर्स तुलसियात टेक प्रा.लि.	06.03.2013	प्रगति पर
64.	मैसर्स सीमलेस आऊटसोर्सिंग एलएलपी		

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई जांच
(2010-11, 201-2 और 2012-13)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	भेजने वाला	जांच आदेश की तिथि	प्रतिवेदन प्रस्तुत	की गई कार्रवाई करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	निक्को यूको एलायंस क्रेडिट लि:	मंत्रालय	20.06.2008	03.06.2010	*कंपनी अधिनियम के तहत 4 शिकायतें दायर की गईं। *आईपीसी के तहत 2 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
2.	इंफोरमेशन टेक्नोलॉजिज इंडिया लि.	मंत्रालय	16.07.2010	03.009.2010	*कंपनी अधिनियम के तहत 7 शिकायतें दायर की गईं। *आईपीसी के तहत 6 शिकायतें

1	2	3	4	5	6
					दायर करने पर उच्च न्यचायालय द्वारा रोक लगाई गई।
3.	पीएसजी डवलपर्स एंड इंजिनियर्स लि.	मंत्रालय	16.05.2008	16.11.2010	*कंपनी अधिनियम के तहत 14 शिकायतें दायर की गईं। *आईपीसी के तहत 12 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
4.	जेनेट सॉफ्टवेयर लि.	मंत्रालय	15.5.2008	21.01.2011	*कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के 2 मामलों के संबंध में आरओसी को अपराध शमन के लिए याचिका भेजी गई है। *आईपीसी के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु सीबीआई को भेजे गए हैं।
5.	सुगंध एस्टेट एंड इंवेस्टमेंट प्रा.लि.	मंत्रालय	16.05.2008	21.01.2011	*कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के 2 मामलों के संबंध में आरओसी को अपराध शमन के लिए याचिका भेजी गई है। *आईपीसी के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में आवश्यक के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु सीबीआई को भेजे गए हैं।
6.	अमधी इंवेस्टमेंट्स लि.	मंत्रालय	16.05.2008	21.01.2011	*कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के 2 मामलों के संबंध में आरओसी को अपराध शमन के लिए याचिका भेजी गई है। *आईपीसी के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु सीबीआई को भेजे गए हैं।
7.	वेलवेट फाइनेंसियल एडवायजर्स प्रा.लि.	मंत्रालय	05.05.2008	31.01.2011	*कंपनी अधिनियम के तहत 4 शिकायतें दायर की गईं।
8.	एवीआई टेलेकम लि.	मंत्रालय	05.05.2008	31.01.2011	*कंपनी अधिनियम के तहत 1 शिकायत दायर की गई।
9.	एवीआई पेट्रोलियम लि.	मंत्रालय	05.05.2008	31.01.2011	*कंपनी अधिनियम के तहत 1 शिकायत दायर की गई।
10.	एवीआई पैकेजिंग (इंडिया) लि.	मंत्रालय	05.05.2008	31.01.2011	*कंपनी अधिनियम के तहत 1 शिकायत दायर की गई।

1	2	3	4	5	6
11.	एएंडआर आयल मिल्स प्रा.लि.	मंत्रालय	05.05.2008	31.01.2011	*कंपनी अधिनियम के तहत 1 शिकायत दायर की गई।
12.	ऋषी स्पीनर्स लि.	मंत्रालय	05.05.2008	31.01.2011	*कंपनी का नाम हटा दिया गया है।
13.	ऋषी फाइनेंसियल सर्विसेज लि.	मंत्रालय	05.05.2008	31.01.2011	*कंपनी अधिनियम के तहत 1 शिकायत की गई।
14.	सेसा गोवा लि.	मंत्रालय	23.10.2009	29.04.2011	*कंपनी अधिनियम के तहत 3 शिकायतें दायर की गई।
15.	सेसा इंडस्ट्रीज लि.	मंत्रालय	23.10.2009	29.04.2011	*कंपनी अधिनियम के तहत 3 शिकायतें दायर की गई।
16.	सिस्टम अमेरिका (इंडिया) लि.	मंत्रालय	17.01.2009	16.05.2011	एसएफआईओ का प्रतिवेदन आगे कार्यवाही हेतु प्रवर्तन निदेशालय को अग्रेषित किया गया।
17.	अंबुजा सीमेंट लि.	मंत्रालय	02.06.2011	26.07.2011	एसएफआईओ का प्रतिवेदन उपयुक्त कार्यवाही हेतु सीसीआई को संदर्भित किया गया।
18.	एसीसी	मंत्रालय	02.06.2011	26.07.2011	एसएफआईओ का प्रतिवेदन उपयुक्त कार्यवाही हेतु सीसीआई को संदर्भित किया गया।
19.	अल्ट्रोटेक सीमेंट	मंत्रालय	17.04.2009	02.08.2011	एसएफआईओ का प्रतिवेदन उपयुक्त कार्यवाही हेतु सीसीआई को संदर्भित किया गया।
20.	मेगासिटी (बंगलौर) डवलपर्स एंड बिल्डिंग्स लि.	मंत्रालय	17.04.2009	02.208.2011	*कंपनी अधिनियम के तहत 8 शिकायतें दायर की गईं। *आईपीसी के तहत 6 शिकायतें दायर की गईं।
21.	ऋषी आयल एंड फैट्स लि. (समापनाधीन)	मंत्रालय	05.05.2008	29.12.2011	अभियोजन संस्वीकृत, उच्च न्यायालय के अनुमति की प्रतीक्षा है।
22.	एवीआई शूज लि. (समापनाधीन)	मंत्रालय	05.05.2008	29.12.2011	अभियोजन संस्वीकृत, उच्च न्यायालय के अनुमति की प्रतीक्षा है।
23.	एवीआई इंडस्ट्रीज लि. (समापनाधीन)	मंत्रालय	13.05.2009	29.12.2011	संदर्भाधीन विषय एवीआई शूज के प्रतिवेदन में शामिल है।
24.	ऑस्टल कोक एंड प्रोजेक्ट लि. एंड बिल्डिंग्स लि.	मंत्रालय	20.01.2010	29.12.2011	*कंपनी अधिनियम के तहत 4 शिकायतें दायर की गईं।

1	2	3	4	5	6
					*आईपीसी के तहत 2 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
25.	मैसर्स मेटलेक्स सेरामिक लि. प्रोजेक्ट लि.	उच्च न्यायालय	05.09.2011	11.01.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत
26.	सिटी लिमोजिन्स (इंडिया) लि.	मंत्रालय	07.10.2010	30.01.2012	*कंपनी अधिनियम के तहत 12 शिकायतें दायर की गईं। *आईपीसी के तहत 5 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
27.	मैसर्स एचएम डाइंग लि.	उच्च न्यायालय	27.07.2011	21.02.2012	आईपीसी आरोपों को मजबूत करने के लिए अनुपूरक प्रतिवेदन का कार्य प्रगति पर है।
28.	मैसर्स पालामूर एग्रो कॉम्प्लेक्स लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	13.10.2011	29.02.2012	*आईपीसी के तहत 2 शिकायतें दायर की जा रही हैं। *आरओसी, हैदराबाद द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत अभियोजन दायर किए जा रहे हैं।
29.	गोल्डक्वेस्ट इंटरनेशनल प्रा.लि.	मंत्रालय	28.07.2010	05.03.2012	संदर्भ पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय से अनुदेश प्रतिशिक्ष है।
30.	क्वेस्टनेट इंटरप्राइजेज इंडिया प्रा.लि.	मंत्रालय	28.07.2010	05.03.2012	संदर्भ पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय से अनुदेश प्रतिशिक्ष है।
31.	डायमेन्सन्स इंवेस्अमेंट एंड सिक्युरीटिज लि. (परिसमापनाधीन)	मंत्रालय	09.08.2011	07.03.2012	*उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। *कंपनी अधिनियम के तहत 2 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
32.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	मंत्रालय	28.05.2010	09.03.2012	कंपनी अधिनियम के तहत 8 शिकायतें दायर की गईं।
33.	मैसर्स गंगा यमुना फिनवेस्ट प्रा.लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	18.10.2011	30.03.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
34.	जयंत विटामिंस लि.	मंत्रालय	11.08.2010	29.05.2012	कंपनी अधिनियम के तहत 9 शिकायतें दायर की गईं।
35.	मैसर्स विजय एसोसिएट्स	उच्च न्यायालय	17.05.2012	03.08.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

1	2	3	4	5	6
36.	मैसर्स-मौव फार्म्स प्रा.लि.	उच्च न्यायालय	17.05.2012	03.08.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
37.	मैसर्स-लक्षिश हैबिटेट् लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	14.12.2011	13.08.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
38.	मैसर्स सावित्री फिनलीज सिक्युरीटिज लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	04.01.2012	14.08.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
39.	मैसर्स जेन्सन एंड निकोल्सन फाइनेंसियल सर्विसेज लि.	उच्च न्यायालय	02.02.2012	17.08.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
40.	युसुफ प्रोपर्टीज प्रा.लि.	उच्च न्यायालय	17.05.2012	30.08.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
41.	पुष्कर ट्रेडिंग कं.लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	13.03.2012	31.08.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
42.	त्रिवेणी इंफ्रॉस्ट्रक्चर डवलपमेंट	उच्च न्यायालय	02.04.2012	06.09.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
43.	आयुषी बिल्डएस्टेट प्रा.लि.	उच्च न्यायालय	17.05.2012	18.09.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
44.	सिंह कंट्रक्टर्स (आई) प्रा.लि. (समापनाधीन)	उच्च न्यायालय	11.04.2012	26.09.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
45.	इंडेपेंडेंट मोबाईल इंफ्रास्टकचर्स (प्रा.) लि. (समापनाधीन)	उच्च न्यायालय	08.06.2012	19.10.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
46.	मैसर्स ओमवे बिल्ड एस्टेट प्रा.लि.	उच्च न्यायालय	12.07.2012	02.11.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
47.	कैजन फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट (इंडिया) लि. (परिसमापनाधीन)	उच्चम न्यायालय	07.05.2012	23.11.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
48.	कुश प्रींट (प्रा.) लि. (समापनाधीन)	उच्च न्यायालय	23.04.2012	05.12.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
49.	मैसर्स एबीसी इंडिया नेटवर्क प्रा.लि.	उच्च न्यायालय	25.07.2012	12.12.2012	*उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। *कंपनी अधिनियम के तहत 2 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
50.	मैसर्स जेनेक्स्ट प्रोमोटर्स प्रा. लि.	उच्च न्यायालय	30.08.2012	13.12.2012	*उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

1	2	3	4	5	6
					*कंपनी अधिनियम के तहत 17 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
51.	साजाद प्रोपट्रिज प्रा. लि.	उच्च न्यायालय	17.12.2012	31.12.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
52.	टिम्बर वर्ल्ड रीसॉर्ट्स एंड प्लांटेशन प्रा.लि. (समापनाधीन)	उच्च न्यायालय	23.04.2012	27.02.2013	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
53.	मैसर्स लइफ बिजनेस प्रोजेक्ट प्रा.लि. (श्री भुवनेश चतुर्वेदी एंड अन्य)	उच्च न्यायालय	14.08.2012	01.03.2013	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
54.	डीएसएस मोबाइल कम्युनिकेशन लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	16.05.2012	18.03.2013	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
55.	मैसर्स महक व्यायार प्रा.लि.	उच्च न्यायालय	26.09.2012	21.03.2013	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

[हिन्दी]

लौह अयस्क की ढुलाई

***430. श्री दिनेश कश्यप:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान रेलवे द्वारा देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित बैलेडिला लौह अयस्क खानों से वर्ष-वार कितनी मात्रा में लौह अयस्क की ढुलाई की गई;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे द्वारा वर्ष-वार माल-भाड़े की कितनी धानराशि अर्जित की गई; और

(ग) देश में लौह अयस्क ढुलाई प्रणाली में सुधार लाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12 तक) के दौरान रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित बैलेडिला खानों से लौह अयस्क की ढुलाई और अर्जित मालभाडें की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	लदान (मिलियन टन में)	आय (करोड़ रुपये मे)
2007-08	15.43	1050.33
2008-09	14.92	1261.53
2009-10	16.51	1221.85
2010-11	18.50	1676.28
2011-12	17.56	1521.18

(ग) रेलवे द्वारा लौह अयस्क की ढुलाई में सुधार लाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

1. भारतीय रेलों पर लौह अयस्क खानों के लिए रेल कनेक्टीविटी एक सतत प्रक्रिया है। रेलवे ने "रेल कनेक्टीविटी और क्षमता संवर्धन परियोजनाओं में सहभागी माडल्स हेतु नीति" नामक एक नीति तैयार की है जो 10.12.2012 से लागू हो गई है।

2. दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व तट रेलवे, जो लौह अयस्क लदान के प्रमुख दो जोन है, में निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं:

   (i) तैयार इस्पात का 10 मिलियन टन का उत्पादन करने के लिए टाटा स्टील के

विस्तार के संबंध में लौह अयस्क की संभलाई के विकास को सुगम बनाना, आदित्यपुर यार्ड के विस्तार के कार्य पूरे हो गए हैं।

(ii) टाटा गुड्स यार्ड के रिग्रेडिंग का कार्य पूरा हो गया है।

(iii) टाटा गुड्स यार्ड के वर्गीकरण में 8 लाइन की क्षमता को पूर्ण लंबाई की क्षमता में बदलने का कार्य प्रगति पर है।

(iv) टाटा स्टील की लौह अयस्क के लदान में सुधार के लिए रेकों के फेरों में लगने वाले समय में कमी लाने के लिए टाटा स्टील-जोदा सर्किट में पुश पुल सिस्टम शुरू किया गया है।

(v) पादापहाड़-बांसपानी खंड, बार्बिल-बराजमदा खंड, बांसपानी-जरौली खंड और दुमित्रा-चंपाझारन खड के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया है।

(vi) दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में रांग्रा में होंट एक्सल साइडिंग को पूर्ण लंबाई वाली लदान लाइन में विकसित करने का कार्य 01.02.2013 को पूरा हो गया है।

(vii) किरंदूल और बछेली क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की खानों से खनिज अयस्क की ढुलाई करने के लिए पूर्व तट रेलवे में 150 किमी लंबी किरंदूल-जगदलपुर दोहरीकरण परियोजना के लिए राष्ट्रीय खजिन विकास निगम (एनएमडीसी) और रेल मंत्रालय के बीच 21.12.2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(viii) पूर्व तट रेलवे में क्षमता बढ़ाने, भीड़-भाड़ वाले खंडों पर भीड़ कम करने और लांग होंल मालगाडियों को चलाने के लिए 2013-14 में अधिक लंबे लूप के 11 कार्यो को स्वीकृति दी गई है। इससे कोयले और लौह अयस्क की निकासी और ढुलाई सुगम होगी।

(ix) क्षमता उपयोग में सुधार लाने के लिए खाली दिशा में लांग होंल परिचालन और केके लाइन पर आंशिक हैवी होंल परिचालन शुरू किया गया है।

(x) भांसी में वजन करने और बछेली में अधिलदान और रूट रिले इंटरलॉकिंग शुरू करने के उद्देश्य के लिए मार्गवर्ती रूकौनी से बचने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की साइडिंग में इन मोशन तुलाचौकियां शुरू करना।

(xi) लौह अयस्क का लदान करने के लिए चल स्टॉक का संवर्धन करना और खान तथा स्टील संयंत्रों के बीच नजदीकी सर्किट परिचालन में लौह अयस्क की ढुलाई करने के लिए विशेष किस्म के मालडिब्बे बीओबीएसएन, बीओबीएसएनएम 1(25 टन धुरा भार) और बीओवाई चलना।

(xii) मांग के अनुसार रेकों के पारदर्शी आवंटन और अयस्क के लदान को अधिकतम करने के लिए चल स्टाक के अधिकतम उपयोग के लिए पूर्व तट रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे में रेक आवंटन प्रणाली (आरएएस) कार्यन्वित करना।

3. निम्नलिखित महत्वपूर्ण लौह अयस्क/स्टील कनेक्टीविटी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और ये चल रही हैं:

क्र.सं.	स्वीकृत लौह अयस्क/स्टील कनेक्टीविटी परियोजनाओं के नाम
1	2
1.	राजखर्शवान-सिनि-तीसरी लाइन
2.	बिमलगढ़-दुमित्रा दोहरीकरण
3.	सिनि-आदित्यपुर (22.5 किमी.) तीसरी लाइन
4.	तोरनगालु-रजिथापुरा (22.9 किमी) दोहरीकरण
5.	किरंदूल-जगदलपुर (150 किमी) दोहरीकरण
6.	गोलकेड़ा-मनोहरपुर तीसरी लाइन (40 किमी)
7.	कनकडाई-पानांबर कहीं-कहीं दोहरीकरण (19 किमी)
8.	बांसपानी-दैतारी-तोमका-जाखपुरा (180 किमी) दोहरीकरण
9.	डांगापोसी-राजखर्शवान तीसरी लाइन
10.	चंपाझारन-बिमलगढ़ (21 किमी) दोहरीकरण
11.	ओमालुर-मेटुरडम विद्युतीकरण के साथ कहीं-कहीं दोहरीकरण

1	2
12.	राजखर्शवान-चक्रधरपुर तीसरी लाइन (120 किमी)
13.	मनोहरपुर-बोंडामंडा तीसरी लाइन (30 किमी)
14.	अंगुल-सुकिंदा रोड (98.7 किमी) नई लाइन
15.	दैतारी-बांसपानी (155 किमी) दोहरीकरण
16.	दल्लीराजहरा-जगदलपुर (235 किमी) नई लाइन
17.	तलचर-बिमलगढ़ (154 किमी) नई लाइन
18.	हॉस्पेट-हुबली-लोंडा-तिनालीघाट-वास्को-डि-गामा (352.25 किमी) दोहरीकरण

चुनावों में धन और बाहुबल

***431. श्री विजय बहादुर सिंह:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसदीय और विधानसभा चुनावों में धन और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव सुस्पष्ट है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मुद्दे के समाधान हेतु निर्वाचन आयोग ने कोई उपाय सुझाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) यह अनुभव किया गया है कि संसदीय और विधान सभा के निर्वाचनों में धन और बाहुबल का प्रभाव बढ़ रहा है। सरकार और निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों में धन और बाहबल के प्रयोग के बारे में अत्याधिक चिंतित है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार को, निर्वाचन सुधारों पर, निर्वाचन आयोग, राजनैतिक दलों, विख्यात व्यक्तियों, राज्य विधान-मंडलों और लोक निकायों सहित विभिन्न निकायों से समय-समय पर सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हो रही हैं। निर्वाचनों में धन और बाहुबल के प्रभाव को नियंत्रित और समाप्त करने की दृष्टि से और निर्वाचनों के दौरान अभिप्राप्त अनुभव और समय-समय पर प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए उत्तरवर्ती सरकारों ने, निर्वाचन विधियों में संशोधन करके निर्वाचन सुधार करने के लिए उपाय किए हैं।

निर्वाचनों में अतिरिक्त सुधारों को कार्यान्वित करने और अन्य बातों के साथ, बिना लेखाकृत धन के उपयोग और धन तथा बाहुबल के प्रयोग को समाप्त करनेक की दृष्टि से, निर्वाचन सुधारों का मुद्दा, पूर्णतः, विधि आयोग को, विगत में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग और अन्य पणधारियों के मतों पर विचार करने के पश्चात् मुद्दे पर विचार करने और विधि में परिवर्तनों के लिए व्यापक उपायों का सुझाव देने के अनुरोध के साथ, निर्दिष्ट किया गया है। विधि आयोग से इस संबंध में 16 जनवरी, 2013 से तीन मास के भीतर ठोस सुझाव देने का अनुरोध किया गया था। तथापि, आयोग ने सूचित किया है कि निर्वाचन सुधारों पर सिफारिशों के लिए विधि आयोग, अन्य पणधारियों जिनके अंतर्गत निर्वाचन आयोग और राजनैतिक दल हैं, से गहन परामर्श अपेक्षित होंगे। अतः, विधि आयोग की सिफारिशें अभी प्राप्त होनी है। सिफारिशों की प्राप्ति पर इस विषय में शीघ्र समुचित विनिश्चय के संबंध में पणधारियों के परामर्श से इस विषय की और समीक्षा की जाएगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही किए गए उपायों में, निर्वाचन व्यय का निरीक्षण करने के लिए आयोग में पृथक् विभाग खोलना, निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों से संबंधित नकदी, निर्वाचनों में उत्प्रेरण के लिए अभिप्रेत रिश्वत की वस्तुएं, लिकर और अन्य अवैध वस्तुओं के संचलन पर नजर रखने के लिए व्यय संप्रेक्षकों ओर सहायक व्यय संप्रेक्षकों की नियुक्ति करना, उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी दलों की को अभिनियोजित करना, उनका अभिग्रहण करना, मीडिया प्रमाणन और मीडिया विज्ञापनों तथा संदत्त समाचारों के संदेहास्पद मामलों पर निगरानी रखने के लिए मानीटरी समिति, प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में प्रतिच्छाया संप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य के फोल्डर का रख-रखाव करना, व्यय की मुख्य मदों का निरीक्षण करने के लिए वीडियो निगरानी दल, निर्वाचन व्ययों के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी द्वारा पृथक् बैंक खाता खोलना और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में, विमानपत्तन, होटलों, वित्तीय दलालों आदि के माध्यम से नकदी के संचलन पर निगरानी रखने के लिए आयकर विभाग को अंतर्वलित करना, सम्मिलित थे। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकद संव्यवहारों से बचने के लिए सभी अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों को अनुदेश भी जारी किए हैं।

केन्द्रीय पूल से विद्युत का आवंटन

***432. श्री ए.टी. नाना पाटील:**
श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से विद्युत के आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को राज्य-वार विद्युत की कितनी मात्र प्रदान की गई;

(ख) क्या देश में विद्युत की मांग में वृद्धि के साथ-साथ नई विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी राज्यों में विद्युत की मांग, आपूर्ति और खपत में समानता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विद्युत का आवंटन विद्युत के आवंटन के फार्मूले के अनुरूप किया जाता है जिसे अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विद्युत का आवंटन दो भागों अर्थात् 85% का निश्चित आवंटन तथा तात्कालिक/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आवंटन किए जाने के लिए 15% अनावंटित विद्युत के रूप में किया जाता है। निश्चित आवंटन में, जल विद्युत स्टेशनों के मामले में, प्रभावित राज्यों को नि:शुल्क दी जाने वाली 12% विद्युत तथा स्थनीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में, गृह राज्य को 10% (नि:शुल्क नहीं) विद्युत का आवंटन शामिल है। शेष 72%/75% विद्युत केन्द्रीय योजना सहायता के पैटर्न के अनुरूप तथा विगत पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरित की जाती है। केन्द्रीय योजना सहायता गाडगिल सूत्र के अनुरूप निर्धारित की जाती है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान करने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुरूप निश्चित आवंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आवंटन के लिए उपर्युक्त वर्णित दिशा-निर्देश उन उत्पादन स्टेशनों पर लागू हैं जिनके पीपीए पर 5 जनवरी, 2011 तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 05 जनवरी, 2011 के पश्चात् वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों द्वारा विद्युत का प्रापण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किया जाना होता है। एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं के मामले में केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 2011 में "गृह" राज्य को 50% विद्युत आबंटन किए जाने, 15% अनावंटित विद्युत को भारत सरकार के निपटान पर रखे जाने तथा 35% विद्युत उस क्षेत्र के अन्य संघटकों (गृह राज्य को छोड़कर) को आबंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। अन्य संघटकों को आबंटन का आधार पिछले 5 वर्षों के दौरान क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा की गई विद्युत की खपत तथा केन्द्रीय योजना सहायता को समान महत्व देते हुए विद्युत आबंटन के लिए लागू दिशा-निर्देश हैं। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई परियोजनाओं के संबंध में भी सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार के वितरण की व्यवस्था की गई है।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को केंद्रीय उतपादन स्टेशनों से आवंटित विद्युत का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ख) और (ख) जी, हां। देश में विद्युत की मांग/आपुति की मांग में वृद्धि होने के साथ नई परियोजनाएं चालू की गई हैं। विगत तीन वर्षों में चालू नई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-II में संलगन है। विगत तीन वर्षों में मांग में हुई वृद्धि का ब्यौरा विवरण-III में संलगन में संलग्न हे। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन संबंधी ब्यौरा में संलग्न है।

(घ) और (ङ) सभी राज्यों में विद्युत की मांग/आपूर्ति और खपत में कोई एकरूपता नहीं है तथा ये राज्य-दर-राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं जैसा कि विवरण-V पर दिए गए देश में अप्रैल, 2012 में मार्च, 2013 की अवधि के लिए विद्युत की मांग और उपलब्धता के राज्य-वार विवरण से स्पष्ट है।

मांग-अपूर्ति खपत में असमानता तथा मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण निम्नानुसार हैं:

(i) विभिन्न राज्यों की जनसंख्या में भिन्नता।

(ii) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियां जैसे घरेलू, कृषीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक के विभिन्न प्रकार।

(iii) उत्पादन के प्रकार यथा थर्मल, हाइड्रो एवं नवीकरणीय का भिन्न मिश्रण।

(iv) राज्यों में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए गए बल में भिन्नता।

(v) राज्यों की भिन्न-भिन्न वित्तीय स्थितियां जिसके कारण राज्य से बाहर के स्रोतों से विद्युत की खरीद की मात्रा में भिन्नता।

विवरण I

व्यस्ततम घंटों के दौरान राज्यवार विद्युत आवंटन

(आंकड़े मेगावाट में)

राज्य	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार	31.03.2013* के अनुसार
1	2	3	4
चंडीगढ़	209	204	211
दिल्ली	4098	3897	4232
हरियाणा	1939	1945	2224
हिमाचल प्रदेश	1160	1156	1219
जम्मू और कश्मीर	1607	1603	1700
पंजाब	2027	2045	2113
राजस्थान	2257	2375	2831
उत्तर प्रदेश	5420	5520	5779
उत्तराखंड	750	796	844
रेलवे/पावरग्रिड	102	102	102
गुजरात	2588	2768	3368
मध्य प्रदेश	2444	2553	4527
छत्तीसगढ़	701	805	1127
महाराष्ट्र	3634	3853	6781
गोवा	437	444	491
दमन और दीव	155	165	319
डीएनएच	531	566	906
डीएई/पावरग्रिड	21	17	17
आंध्र प्रदेश	2768	3306	3675
कर्नाटक	1500	1672	1810
तमिलनाडु	3329	3282	3766
केरल	1296	1626	1633
पुदुचेरी	386	394	396

1	2	3	4
एनएलसी	100	100	100
पावरग्रिड	6	6	6
बिहार	1662	1742	1802
झारखंड	551	526	562
डीवीसी	168	168	5990
ओडिशा	1544	1544	1705
पश्चिम बंगाल	1225	1225	1403
सिक्किम	149	149	150
पावरग्रिड	1	1	1.26
अरुणाचल प्रदेश	139	134	134
असम	811	721	746
मणिपुर	123	123	123
मेघालय	212	212	212
मिजोरम	76	74	74
नागालैंड	88	80	80
त्रिपुरा	105	105	105

*टिप्पणी: दिनांक 31.03.2013 के आंवटन आंकड़ों में समर्पित सीएस स्टेशनों की क्षमता, मर्चेंट पावर एवं क्षेत्र के अंदर/बाहर स्थित अन्य स्टेशनों से आवंटित/अपवर्तित क्षमता शामिल है। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार डीवीसी के लिए आवंटन आंकड़ों में इसके अपने उत्पादन स्टेशनों से डीवीसी को आवंटन शामिल है जबकि अन्य वर्षों में डीवीसी स्टेशनों से आवंटन को शामिल नहीं किया गया है।

विवरण II

वर्ष 2012-2013 के दौरान चालू परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	ईंधन के प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
1.	सिहापुरी टीपीपी चरण-1 यू 2	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150
2.	थमिनापट्नम ओपीपी। यू1	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150
3.	कासाईपल्ली टीपीएस यूनिट-2	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	135
4.	कोरबा पश्चिम	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	500

1	2	3	4	5	6
5.	रातिजा टीपीपी यूनिट 1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	50
6.	सिपत चरण 1 एसटीपीपी यूनिट 3	छत्तीसगढ़	केन्द्रीय	कोयला	660
7.	प्रगति 3 जी टी 3	दिल्ली	राज्य	गैस	250
8.	पीपावा सीसीपीपी	गुजरात	राज्य	गैस	351
9.	साल्या टी पी एस यू 2	गुजरात	निजी	गैस	600
10.	यूकाई टी पी पी एक्स 0 यू-6	गुजरात	राज्य	कोयला	500
11.	यूएमपीपी मुन्द्रा यू 2,3,4,5	गुजरात	निजी	कोयला	3200
12.	यूनोसुगेन सी सी पी पी मोंड्यूल 1	गुजरात	निजी	गैस	382.5
13.	इन्दिरा गांधी (झजजर) एसओपीपीयू 3	हरियाणा	केन्द्रीय	कोयला	500
14.	महातमा गांधी ओपीपी यू 2	हरियाणा	निजी	कोयला	660
15.	बुधिल यूनिट 1,2	हिमाचल प्रदेश	निजी	हाइड्रो	70
16.	चमेर 3 यूनिट 1,2,3	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय	हाइड्रो	231
17.	चुटक एचईपी यूनिट 1,2,3,4	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय	हाइड्रो	231
18.	आधुनिक पावर ओपीपी यू 1,2	झारखण्ड	निजी	कोयला	540
19.	कोडरमा ओपीपी यूनिट 2	झारखण्ड	केन्द्रीय	कोयला	500
20.	अमरावती टी पी पी फेज 1 यू 1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	270
21.	बेला टी पी पी यू-1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	270
22.	बुटीबोरी टी पी पी यू-1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300
23.	एमको वरोड़ा ओ पी पी यू-1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300
24.	जीईपीएल ओपीपी चरण-1, यूनिट 1,2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	120
25.	मौदा टीपीपी यू 1,2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	1000
26.	तिरोरा ओपीपी चरण 1 यूनिट 1, 2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	1320
27.	मिंतदु यू 3	मेघालय	राजय	हाइड्रो	42
28.	बीना टीपीपी यू 1,2	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	500
29.	माहन टीपीपी यूनिट 1	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	600
30.	सतपुरा टी पी एसी एकस 0 यू-10	मध्य प्रदेश	राजय	कोयला	250

1	2	3	4	5	6
31.	विध्यांचल एसओपीएस-4 यू-11, 12	मध्य प्रदेश	केन्द्रीय	कोयला	1000
32.	स्टरलाइल (झरसुगुडा)टी पी पी यू-4	ओडिशा	निजी	कोयला	600
33.	कमलंगा ओ पी पी यू-1	ओडिशा	निजी	कोयला	350
34.	जालिपा कपूर्दी यू 5,6,7,8	राजस्थान	निजी	एलआईजी	540
35.	रामगढ़ जीटी	राजस्थान	निजी	गैस	110
36.	भवानी कटलाई बैराज-3, यू-1	तमिलनाडु	राज्य	हाइड्रो	15
37.	इण्ड बाराथ तुतीकोरीन यू-1	तमिलनाडु	निजी	कोयला	150
38.	मेटुर ओपीपी एक्स0 यू1	तमिलनाडु	राज्य	कोयला	600
39.	उत्तरी चेन्नई एक्स 0 यू 1	तमिलनाडु	केन्द्रीय	कोयला	500
40.	वेल्लुर टी पी पी चरण 1 यूनिट 2	तमिलनाडु	केन्द्रीय	कोयला	500
41.	त्रिपुरा सी सी जी टी	त्रिपुरा	केन्द्रीय	गैस	363.3
42.	हरदुगंज ओ पी पी एक्स 0 यू-9	उत्तर प्रदेश	राज्य	कोयला	250
43.	परीक्षा एक्स 0 यू 5,6	उत्तर प्रदेश	राज्य	कोयला	500
44.	रिहंद एस टी पी पी स्टेशन-3, यूनिट5	उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय	कोयला	500
45.	तिस्ता लोअर डैम-3 यूनिट-1,2,3	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	हाइड्रो	99
		कुल			20622.8

वर्ष 2011-2012 के दौरान चालू परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	ईंधन के प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
1.	सिमहादरी टीपीपी यू4	आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय	कोयला	500
2	सिम्हापुरी इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड य21	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150
3.	जुराला प्रिया यू 6	आंध्र प्रदेश	राज्य	हाइड्रो	39
4.	कोथागुडम स्टेशन-6	आंध्र प्रदेश	राज्य	कोयला	500
5.	लाकवा डब्लू एउच	असम	राज्य	गैस	37.2
6.	सिपत-I यू 1, 2	छत्तीसगढ़	केन्द्रीय	कोयला	1320
7.	कासाई पल्ली टीपीपी	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	135

1	2	3	4	5	6
8.	एस वी विद्युत टीपीपी	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	63
9.	काठघोडा टीपीपी यु1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	35
10.	रिठाला स्टेशन	दिल्ली	निजी	गैस	36.5
11.	प्रगति-III (बवाना) जीटी-3	दिल्ली	राज्य	गैस/एलएनजी	250
12.	मुन्द्रा टीपीपी चरण-II, यू2	गुजरात	निजी	कोयला	660
13.	अल्ट्रा मेगा मुन्द्रा यू1	गुजरात	निजी	कोयला	800
14.	साल्या ओपीपी यू1	गुजरात	निजी	कोयला	600
15.	जीएसईजी हाजिरा एक्स 0	गुजरात	राज्य	गैस/एलएनजी	351
16.	मुन्द्रा टीपीपी-III यू 1-3	गुजरात	निजी	कोयला	1980
17.	इन्दिरा गांधी टीपीपी (झज्जर) जेवीयू 2	हरियाणा	केन्द्रीय	कोयला	500
18.	महात्मा गांधी (झज्जर) टीपीपी यू1	हरियाणा	निजी	कोयला	660
19.	मालाना II यू 1,2	हिमाचल प्रदेश	निजी	हाइड्रो	100
20.	कारचम वांगटु यू1-4	हिमाचल प्रदेश	निजी	हाइड्रो	1000
21.	कोडरमा यू1	झारखण्ड	केन्द्रीय	कोयला	500
22.	मैथान आरबीसीजेवी यू 1,2	झारखण्ड	निजी	कोयला	1050
23.	उडुपी टीपीपी (लानको नागाअर्जुना) यू2	कर्नाटक	निजी	कोयला	600
24.	बेलारी टीपीपी यू2	कर्नाटक	राज्य	कोयला	500
25.	जेएसडब्ल्यू ऊर्जा, रत्नागिरी यू 3-4	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	600
26.	टीपीपीएटी वरोरा यू4	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	135
27.	मिहान टीपीपी	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	246
28.	खपर खेदा एक्स0	महाराष्ट्र	राज्य	कोयला	500
29.	भुसावल टीपीपी यू4,5	महाराष्ट्र	राज्य	कोयला	1000
30.	मितदु स्टेशन I यू 1,2	मेघालय	राज्य	हाइड्रो	84
31.	स्टेरलाइट टीपीपी यू3	ओडिशा	निजी	कोयला	600
32.	जालिपा लिगनाइट यू 3,4	राजस्थान	निजी	लिगनाइट	270
33.	वेल्लुर टीपीपी चरण-1 यू1	तमिलनाडु	केन्द्रीय	कोयला	500
34.	नेवेली-II एलआईजी यू1	तमिलनाडु	केन्द्रीय	कोयला	250

1	2	3	4	5	6
35.	कोटेश्वर यू 3,4	उत्तराखंड	केन्द्रीय	हाइड्रो	200
36.	खम्बरखेर यू 1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	90
37.	मकसूदपुर यू1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	90
38.	बारखेड़ा टीपीपी यू1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	90
39.	बुनद्रदरकी टीपीपी यू 1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	90
40.	अतराला टीपीपी यू1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	90
41.	अनपरा ग यू 1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	1200
42.	रोसा टीपीपी चरण-II यू 3,4	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	600
43.	हरदुआगंज एक्स 0 यू-8	उत्तर प्रदेश	राज्य	कोयला	250
44.	दुर्गापुर स्टील यू1,2	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	कोयला	1000
45.	संतालडीह एक्स 0 य6	पश्चिम बंगाल	राज्य	कोयला	250
				कुल	20501.7

वर्ष 2010-2011 के दौरान चालू परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	क्षेत्र	ईंधन के प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
1.	सिमहादरी एकस0 यू-3	आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय	कोयला	500
2.	कोना सीमा एसओ	आंध्र प्रदेश	निजी	गैस/एलएनजी	165
3.	कोंड आंध्र प्रदेश अल्ली सीसीपीपी चरण-II स्टेशन	आंध्र प्रदेश	निजी	गैस/एलएनजी	133
4.	जुराला प्रिया यू 4,5	आंध्र प्रदेश	राज्य	हाइड्रो	78
5.	काकातिया टीपीपी	आंध्र प्रदेश	राज्य	कोयला	500
6.	रॉयलसीमा स्टेशन-III यू5	आंध्र प्रदेश	राज्य	कोयला	210
7.	कोरबा III यू-7	छत्तीसगढ़	केन्द्रीय	कोयला	500
8.	रिठाला सीसीपीपी जी टी	दिल्ली	निजी	गैस/एलएनजी	71.5
9.	प्रगति III (बावाना) जीटी 1,2	दिल्ली	राज्य	गैस/एलएनजी	500
10.	मुन्द्रा टीपीपी चरण-I, यू 3,4	गुजरात	निजी	कोयला	660

1	2	3	4	5	6
11.	मुन्द्रा टीपीपी चरण-II, यू-1	गुजरात	निजी	कोयला	660
12.	सूरत लिग्नाइट एक्स 0 यू 3,4	गुजरात	राज्य	लिग्नाइट	250
13.	इन्दिरा गांधी टीपीपी (झज्जर) जेवी यू1	हरियाणा	केन्द्रीय	कोयला	500
14.	राजस्थान गांधी टीपीपी (हिसार) यू-2	हरियाणा	राज्य	कोयला	600
15.	अलैन दुहांगन	हिमाचल प्रदेश	निजी	हाइड्रो	192
16.	सेवा-II यू 1, 2, 3	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय	हाइड्रो	120
17.	केगा यू-4	कर्नाटक	केन्द्रीय	हाइड्रो	120
18.	यूडी उत्तर प्रदेश टीपीपी (लानको नागार्जुना) यू 1	कर्नाटक	निजी	कोयला	600
19.	रायचुर यू 8	कर्नाटक	राज्य	कोयला	250
20.	कुटियाडी एडीडीएल एक्स 0, यू1,2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	100
21.	जेएसडब्लू ऊर्जा, रत्नागिरी यू1,2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	600
22.	टीपीएसएटी वरोरा यू 1-3	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	405
23.	स्टरलाइट टीपीपी यू2,1	ओडिशा	निजी	कोयला	1200
24.	बरसिंगसर एलआईजी यू 1,2	राजस्थान	केन्द्रीय	लिग्नाइट	250
25.	जलिप्पा लिगनाइट यू2	राजस्थान	निजी	लिग्नाइट	135
26.	छाबरा टीपीएस यू-2	राजस्थान	राज्य	कोयला	250
27.	बरामुरा जीटी	त्रिपुरा	राज्य	गैस/एलएनजी	21
28.	कोटश्वर यू 1,2	उत्तराखंड	केन्द्रीय	हाइड्रो	200
29.	दादरी एक्स 0 यू 6	उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय	कोयला	490
30.	रोसा स्टेशन-I यू2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	300
31.	फरक्का चरण-III यू-6	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	कोयला	500
32.	मेजिया चरण चरण-II यू 7,8	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	कोयला	1000
			कुल		12160.5

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा आवश्यकताओं का राज्य-वार परिवर्तन

राज्य प्रणाली/क्षेत्र	2012-13* (मिलियन यूनिट)	2011-12 (मिलियन यूनिट)	% परिवर्तन	2011-12 (मिलियन यूनिट)	2010-11 (मिलियन यूनिट)	% परिवर्तन	2010-11 (मिलियन यूनिट)	2009-10 (मिलियन यूनिट)	% परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चंडीगढ़	1637	1568	4.4	1568	1519	3.2	1519	1576	.3.6
दिल्ली	26078	26751	-2.5	26751	25625	4.4	25625	24277	5.6
हरियाणा	41407	36874	12.3	36874	34552	6.7	34552	33441	3.3
हिमाचल प्रदेश	8982	8161	10.1	8161	7626	7	7626	7047	8.2
जम्मू और कश्मीर	15410	14250	8.1	14250	13571	5	13571	13200	2.8
पंजाब	48600	45191	7.5	45191	44484	1.6	44484	45731	.2.7
राजस्थान	55524	51474	7.9	51474	45261	13.7	45261	44109	2.6
उत्तर प्रदेश	91647	81339	12.7	81339	76292	6.6	76292	75930	0.5
उत्तराखंड	11331	10513	7.8	10513	9850	6.7	9850	8921	10.4
उत्तरी क्षेत्र	300616	276121	8.9	276121	258780	6.7	258780	254231	1.8
छत्तीसगढ़	17098	15013	13.9	15013	10340	45.2	10340	11009	.6.1
गुजरात	93209	74696	24.8	74696	71651	4.2	71651	70369	1.8
मध्य प्रदेश	51117	49785	2.7	49785	48437	2.8	48437	43179	12.2
महाराष्ट्र	122989	141382	-13	141382	128296	10.2	128296	124936	2.7
दमन और दीव	1940	2141	-9.4	2141	2181	-1.8	2181	1934	12.8
दादरा और नगर हवेली	4460	4380	1.8	4380	4429	-1.1	4429	4007	10.5
गोवा	3116	3024	3	3024	3154	-4.1	3154	3092	2
पश्मिी क्षेत्र	293929	290421	1.2	290421	268488	8.2	268488	258528	3.9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	99785	91730	8.8	91730	78970	16.2	78970	78996	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	66295	60830	9	60830	50474	20.5	50474	45550	10.8
केरल	21234	19890	6.8	19890	18023	10.4	18023	17619	2.3
तमिलनाडु	92150	85685	7.5	85685	80314	6.7	80314	76293	5.3
पुदुचेरी	2328	2167	7.4	2167	2123	2.1	2123	2119	0.2
लक्षद्वीप	36	37	.2.7	37	25	48	25	24	4.2
दक्षिणी क्षेत्र	281792	260302	8.3	260302	229904	13.2	229904	220576	4.2
बिहार	15410	14311	7.7	14311	12384	15.6	12384	11587	6.9
डीवीसी	17433	16648	4.7	16648	16590	0.3	16590	15199	9.2
झारखंड	7042	6280	12.1	6280	6195	1.4	6195	5867	5.6
ओडिशा	25152	23036	9.2	23036	22506	2.4	22506	21136	6.5
पश्चिम बंगाल	42123	38679	8.9	38679	36481	6	36481	33750	8.1
सिक्किम	413	390	5.9	390	402	-3	402	388	3.6
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	241	244	-1.2	244	240	1.7	240	240	0
पूर्वी क्षेत्र	107573	99344	8.3	99344	94558	5.1	94558	87927	7.5
अरुणाचल प्रदेश	585	600	.2.5	600	511	17.4	511	399	28.1
असम	6518	6034	8	6034	5403	11.7	5403	5122	5.5
मणिपुर	573	544	5.3	544	568	-4.2	568	524	8.4
मेघालय	1827	1927	-5.2	1927	1545	24.7	1545	1550	.0.3
मिजोरम	405	397	2	397	369	7.6	369	352	4.8
नागालैंड	567	560	1.3	560	583	-3.9	583	530	10
त्रिपुरा	1116	949	17.6	949	882	7.6	882	855	3.2
उत्तरपूर्वी क्षेत्र	11590	11011	5.3	11011	9861	11.7	9861	9332	5.7
अखिल भारत	995500	937199	6.2	937199	861591	8.8	861591	830594	3.7

*अनतिम

पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकतम मांग का राज्य-वार परिवर्तन

राज्य प्रणाली/क्षेत्र	2012-13* (मेगावॉट)	2011-12 (मेगावॉट)	% परिवर्तन	2011-12 (मेगावॉट)	2010-11 (मेगावॉट)	% परिवर्तन	2010-11 (मेगावॉट)	2009-10 (मेगावॉट)	% परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चंडीगढ़	340	263	29.3	263	301	-12.6	301	308	-2.3
दिल्ली	5942	5031	18.1	5031	4810	4.6	4810	4502	6.8
हरियाणा	7432	6533	13.8	6533	6142	6.4	6142	6133	0.1
हिमाचल प्रदेश	2116	1397	51.5	1397	1278	9.3	1278	1118	14.3
जम्मू और कश्मीर	2422	2385	1.6	2385	2369	0.7	2369	2247	5.4
पंजाब	11520	10471	10	10471	9399	11.4	9399	9786	-4
राजस्थान	8940	8188	9.2	8188	7729	5.9	7729	6859	12.7
उत्तर प्रदेश	13940	12038	15.8	12038	11082	8.6	11082	10856	2.1
उत्तराखंड	1759	1612	9.1	1612	1520	6.1	1520	1397	8.8
उत्तरी क्षेत्र	45860	40248	13.9	40248	37431	7.5	37431	37159	0.7
छत्तीसगढ़	3271	3239	1	3239	3148	2.9	3148	2819	11.7
गुजरात	11999	10951	9.6	10951	10786	1.5	10786	10406	3.7
मध्य प्रदेश	10077	9151	10.1	9151	8864	3.2	8864	7490	18.3
महाराष्ट्र	17934	21069	-14.9	21069	19766	6.6	19766	19388	1.9
दमन और दीव	311	301	3.3	301	353	-14.7	353	280	26.1
दादरा और नगर हवेली	629	615	2.3	615	594	3.5	594	529	12.3
गोवा	524	527	-0.6	527	544	-3.1	544	485	12.2
पश्चिमी क्षेत्र	40075	42352	-5.4	42352	40798	3.8	40798	39609	3
आंध्र प्रदेश	14031	14054	-0.2	14054	12630	11.3	12630	12168	3.8
कर्नाटक	10124	10545	-4	10545	8430	25.1	8430	7942	6.1
केरल	3578	3516	1.8	3516	3295	6.7	3295	3109	6
तमिलनाडु	12606	12813	-1.6	12813	11728	9.3	11728	11125	5.4
पुदुचेरी	348	335	3.9	335	319	5	319	327	-2.4
लक्षद्वीप	8	8	0	8	7	14.3	7	6	16.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दक्षिणी क्षेत्र	37638	37599	0.1	37599	33256	13.1	33256	32178	3.4
बिहार	2295	2031	13	2031	2140	-5.1	2140	2249	-4.8
डीवीसी	2606	2318	12.4	2318	2059	12.6	2059	1938	6.2
झारखंड	1189	1030	15.4	1030	1108	.7	1108	1088	1.8
ओडिशा	3968	3589	10.6	3589	3872	-7.3	3872	3188	21.5
पश्चिम बंगाल	7322	6592	11.1	6592	6162	7	6162	6094	1.1
सिक्किम	95	100	-5	100	106	-5.7	106	96	10.4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	48	48	0	48	40	20	40	40	0
पूर्वी क्षेत्र	16655	14707	13.2	14707	13767	6.8	13767	13220	4.1
अरुणाचल प्रदेश	116	121	-4.1	121	101	19.8	101	95	6.3
असम	1197	1112	7.6	1112	971	14.5	971	920	5.5
मणिपुर	122	116	5.2	116	118	-1.7	118	111	6.3
मेघालय	334	319	4.7	319	294	8.5	294	280	5
मिजोरम	75	82	-8.5	82	76	7.9	76	70	8.6
नागालैंड	110	111	.0.9	111	118	-5.9	118	100	18
त्रिपुरा	229	215	6.5	215	220	-2.3	220	176	25
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1998	1920	4.1	1920	1913	0.4	1913	1760	8.7
अखिल भारत	135453	130006	4.2	130006	122287	6.3	122287	119166	2.6

*अनन्तिम

विवरण IV

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में विद्युत का उत्पादन राज्य स्रोतवार, वर्षवार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	श्रेणी	मिलियन यूनिट में वास्तविक उत्पाद			
			2012-13	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
1	2	3	4	5	6	7
1	बीबीएमबी	हाइड्रो	10,941.96	12,459.50	11,273.40	9,371.30
2	दिल्ली	थर्मल	10,740.71	9,970.70	9,130.00	10,152.80

1	2	3	4	5	6	7
3	हरियाणा	हाइड्रो	-	-	-	235.4
		थर्मल	25,452.55	24,046.50	18,854.80	18,154.90
		कुल (हरियाणा)	**25,452.55**	**24,046.50**	**18,854.80**	**18,390.40**
4	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	20,330.53	19,160.60	15,388.60	14,452.30
5	जम्मू और कश्मीर	हाइड्रो	12,469.81	12,279.10	12,418.10	11,422.40
		थर्मल	0	5.4	14.1	12.5
		कुल (जम्मू और कश्मीर)	**12,469.81**	**12,284.50**	**12,432.20**	**11,434.90**
6	पंजाब	हाइड्रो	3,930.12	4,626.90	4,190.80	3,499.30
		थर्मल	18,004.78	19,068.40	18,324.80	20,295.70
		कुल (पंजाब)	**21,934.90**	**23,695.30**	**22,515.60**	**23,795.00**
7	राजस्थान	हाइड्रो	845.92	821.6	390.1	352.1
		थर्मल	32,680.07	31,531.50	27,156.20	25,553.70
		न्यचूक्लियर	8,847.86	8,974.10	7,704.50	3,488.30
		कुल (राजस्थान)	**42,373.85**	**41,327.10**	**35,250.90**	**29,394.00**
8	उत्तर प्रदेश	हाइड्रो	1,580.06	1,403.70	700	947.3
		थर्मल	1,00,256.04	93,620.00	91,645.80	86,513.60
		न्यूक्लियर	2,544.37	1,983.80	1,886.50	817.6
		कुल (उत्तर प्रदेश)	**1,04,380.47**	**97,007.50**	**94,232.20**	**88,278.40**
9	उत्तराखंड	हाइड्रो	12,452.65	13,542.50	11,488.70	9,779.60
	उत्तरी क्षेत्र		**261077.43**	**2,53,494.2**	**2,30,566.5**	**2,15,048.7**
10	छत्तीसगढ़	हाइड्रो	301.94	314.1	125.2	279.9
		थर्मल	67,826.91	59,061.20	56,030.50	51,518.00
		कुल (छत्तीसगढ़)	**68,128.85**	**59,375.40**	**56,155.70**	**51,797.90**
11	गोवा	थर्मल	249.08	277.1	292.3	320.9
12	गुजरात	हाइड्रो	4,560.46	4,959.00	4,164.30	2,956.80
		थर्मल	82,724.70	69,678.50	65,603.80	61,137.20

1	2	3	4	5	6	7
		न्यूक्लियर	3,470.47	3,787.40	1,446.10	1,068.10
		कुल (गुजरात)	**90,755.63**	**78,424.80**	**71,214.20**	**65,162.10**
13	मध्य प्रदेश	हाइड्रो	7,215.19	7,736.10	4,898.00	4,830.20
		थर्मल	43,480.92	41,696.30	42,708.90	43,596.50
		कुल (मध्य प्रदेश)	**50,696.11**	**49,432.40**	**47,606.90**	**48,426.70**
14	महाराष्ट्र	हाइड्रो	5,517.84	6,238.40	5,828.20	5,740.30
		थर्मल	76,804.41	77,338.90	71,839.20	69,767.20
		न्यूक्लियर	9,824.89	9,814.50	9,117.00	7,990.90
		कुल (मध्य प्रदेश)	**92,147.14**	**93,391.70**	**86,784.40**	**83,498.40**
	पश्चिमी क्षेत्र	**कुल**	**301976.81**	**2,80,901.4**	**2,62,053.4**	**2,49,206.0**
15	आंध्र प्रदेश	हाइड्रो	3,448.11	6,370.80	8,009.60	5,880.40
		थर्मल	83,648.00	85,697.90	77,122.70	73,400.70
		कुल (आंध्र प्रदेश)	**87,096.11**	**92,068.70**	**85,132.30**	**79,281.10**
16	कर्नाटक	हाइड्रो	10,160.75	14,259.90	10,746.90	12,651.40
		थर्मल	28,352.90	24,112.70	22,213.00	19,586.00
		न्यूक्लियर	5,441.75	5,210.70	3,873.10	3,225.60
		कुल (कर्नाटक)	**43,955.40**	**43,583.30**	**36,833.00**	**35,462.90**
17	केरल	हाइड्रो	4,647.22	7,808.00	6,801.60	6,710.40
		थर्मल	2,208.99	1,045.70	2,461.10	3,658.50
		कुल (केरल)	**6,856.21**	**8,853.70**	**9,262.70**	**10,368.80**
18	लक्षद्वीप	थर्मल			–	29.3
19	पुदुचेरी	थर्मल	220.43	251.5	195.5	227.3
20	तमिलनाडु	हाइड्रो	2,884.77	5,199.30	4,957.50	5,614.90
		थर्मल	47,999.67	46,697.80	45,222.30	47,024.80
		न्यूक्लियर	2,741.52	2,516.10	2,239.30	2,046.10
		कुल (तमिलनाडु)	**53,625.96**	**54,413.20**	**52,419.10**	**54,685.90**
	दक्षिणी क्षेत्र	**कुल**	**1,91,754.11**	**1,99,170.3**	**1,83,842.5**	**1,80,055.2**

1	2	3	4	5	6	7
21	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	हाइड्रो			.	11.1
		थर्मल	130.99	94.9	86.8	214
		कुल	**130.99**	**94.9**	**86.8**	**225**
22	बिहार	हाइड्रो			.	30.2
		थर्मल	14,706.46	13,812.30	14,568.70	12,036.30
		कुल (बिहार)	**14,706.46**	**13,812.30**	**14,568.70**	**12,066.50**
23	डीवीसी	हाइड्रो	199.36	296.1	115	198.1
		थर्मल	25,956.21	19,536.60	16,549.90	14,690.60
		कुल (डीवीसी)	**26,155.57**	**19,832.70**	**16,664.90**	**14,888.70**
24	झारखंड	हाइड्रो	142.29	270.1	3.5	115.7
		थर्मल	11,422.49	6,387.20	5,678.50	5,557.70
		कुल (झारखंड)	**11,564.78**	**6,657.30**	**5,681.90**	**5,673.40**
25	ओडिशा	हाइड्रो	4,351.33	4,987.30	4,754.30	3,920.00
		थर्मल	37,276.82	35,298.60	30,910.50	30,773.60
		कुल (ओडिशा)	**41,628.15**	**40,285.90**	**35,664.70**	**34,693.60**
26	सिक्किम	हाइड्रो	2,588.64	2,920.60	2,976.50	2,968.10
		थर्मल			.	0.1
		कुल (सिक्कम)	**2,588.64**	**2,920.60**	**2,976.50**	**2,968.20**
27	पश्चिम बंगाल	हाइड्रो	1,137.20	1,077.90	1,130.00	1,110.80
		थर्मल	45,698.91	45,030.70	43,955.60	42,238.90
		कुल (पश्चिम बंगाल)	**46,836.11**	**46,108.50**	**45,085.60**	**43,349.70**
	पूर्वी क्षेत्र		**143610.7**	**1,29,712.2**	**1,20,729.0**	**1,13,865.1**
28	अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	1239.66	978.4	1,399.60	1,053.00
29	असम	हाइड्रो	1,102.89	1,453.00	1,198.80	1,184.80
		थर्मल	3,097.56	3,102.90	3,129.90	3,133.20
		कुल (असम)	**4,200.45**	**4,555.90**	**4,328.70**	**4,318.00**

1	2	3	4	5	6	7
30	मणिपुर	हाइड्रो	581.75	523.5	603.9	381.4
		थर्मल			.	0.3
		कुल (मणिपुर)	**581.75**	**523.5**	**603.9**	**381.7**
31	मेघालय	हाइड्रो	782.42	594.5	438.8	675
32	मिजोरम	थर्मल			.	
33	नागालैंड	हाइड्रो	213.33	228.8	256	257.6
34	त्रिपुरा	हाइड्रो			.	49.8
		थर्मल	1,426.83	1,442.80	1,313.40	1,282.50
		कुल (त्रिपुरा)	**1,426.83**	**1,442.80**	**1,313.40**	**1,332.30**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	**कुल**	**8,444.44**	**8,324.00**	**8,340.40**	**8,017.50**
35	भूटान (आयात)	हाइड्रो	4,788.82	5,284.50	5,610.90	5,358.60
		योग कुल	**911652.31**	**8,76,886.5**	**8,11,142.8**	**7,71,551.1**

*अनंतिम

**हरियाणा, पंजाब, एच पी एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं

टिप्पणी 1.के.वि.प्रा. में दिनांक 1.04.2010 से 25 मेगावाट की क्षमता तक की परियोजनाओं की निगरानी नहीं की जा रही है।

2. राज्य उत्पादन में केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजना के आंकडे शामिल किए गए हैं।

विवरण V

वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अनन्तिम)

राज्य/ प्रणाली/ क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2012-मार्च, 2013				अधिकतम मांग अप्रैल, 2012-मार्च, 2013			
	आवश्यकता (मेगा यूनिट)	उपलब्धता (मेगा यूनिट)	अधिशेष/ कमी(-) (मेगा यूनिट)	%	अधिकतम मांग (मेगावाट)	मांग की पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/ कमी(-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,637	1,637	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	26,078	25,940	-138	-0.5	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	41,407	38,209	-3,198	-7.7	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	8,982	8,735	-247	-2.7	2,116	1,672	-444	-21.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जम्मू और कश्मीर	15,410	11,558	-3,852	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	48,600	45,995	-2,605	-5.4	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	55,524	53,853	-1,671	-3.0	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	91,647	76,446	-15,201	-16.6	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखंड	11,331	10,709	-622	-5.5	1,759	1,674	-85	-4.8
उत्तरी क्षेत्र	300,616	273,082	-27,534	-9.2	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	17,098	16,799	-299	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	93,209	93,061	-148	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	51,117	46,163	-4,954	-9.7	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	122,989	118,977	-4,012	-3.3	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन और द्वीव	1,940	1,809	-131	.6.8	311	286	.25	-8.0
दादरा और नगर हवेली	4,460	4,287	-173	-3.9	629	629	0	0.0
गोवा	3,116	3,042	-74	-2.4	524	475	-49	-9.4
पश्चिम क्षेत्र	293,929	284,138	-9,791	-3.3	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्र प्रदेश	99,785	82,254	-17,531	-17.6	14,031	11,630	-2,401	-17.1
कर्नाटक	66,295	57,065	-9,230	-13.9	10,124	8,761	-1,363	-13.5
केरल	21,234	20,382	-852	-4.0	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	92,150	76,009	-16,141	-17.5	12,606	11,053	-1,553	-12.3
पुदुचेरी	2,328	2,288	-40	-1.7	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	36	36	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	281,792	237,998	-43,794	-15.5	37,638	31,586	-6,052	-16.1
बिहार	15,410	12,835	-2,575	-16.7	2,295	1,784	-511	-22.3
डीवीसी	17,433	16,461	-972	-5.6	2,606	2,525	-81	-3.1
झारखंड	7,042	6,753	-289	-4.1	1,189	1,097	-92	-7.7
ओडिशा	25,152	24,318	-834	-3.3	3,968	3,694	-274	-6.9
पश्चिम बंगाल	42,123	41,834	-289	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिक्कम	413	413	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	241	186	-55	-23	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	107,573	102,614	-4,959	-4.6	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरुणाचल प्रदेश	585	550	-35	-6.0	116	114	-2	-1.7
असम	6,518	6,071	-447	-6.9	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	573	542	-31	-5.4	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,827	1,606	-221	-12.1	334	330	-4	-1.2
मिजोरम	405	377	-28	-6.9	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	567	536	-31	-5.5	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	1,116	1,061	-55	-4.9	229	228	-1	-0.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11,590	10,742	-848	-7.3	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारत	995,500	908,574	-86,926	-8.7	135,453	123,294	-12,159	-9.0

लक्षद्वीप व अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की अपनी पृथक प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता तथा उपलब्धता का हिस्सा नहीं बनती हैं।

टिप्पणी: अधिकतम मांग की पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों की वास्तविक खपत (पारेषण हानियों सहित) को प्रदर्शित करती हैं। आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए इसकी गणना वास्तविक निर्यात में की गई है।

रेल आरक्षण में दलाल

***433. श्री एस.आर. जेयदुरई:**
श्री डी.बी. चन्द्रेगौडा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा हाल ही में होली के त्यौहार के दौरान कुछ रेल अधिकारियों और दलालों को टिकटों की कालाबाजारी और अन्य कदाचारों में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न रेलवे जोनों में होली के दौरान गिरफ्तार किए गए दलालों, रेल अधिकारियों, हस्तांतरित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा अपने आप को दलालों और रेल अधिकारियों के साथ उनकी सांठ-गांठ से मुक्त रखने हेतु उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) उत्तर रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के दो रेलवे पदाधिकारियों को महिलाओं/विकलांग यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बे में फर्जी यात्रियों को अनुमति देने के लिए अवैध रूप से पैसे की मांग करने और स्वीकार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी और इन दोनों पदाधिकारियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मार्च, 2013 में उत्तर प्रदेश द्वारा रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत 12 दलालों पर अभियोग चलाया गया था।

(ग) गिरफ्तार किए गए/अभियोजित दलालों के मामलों की जोन-वार संख्या का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। होली

के दौरान हस्तांतरित टिकट पर यात्रा करते हुए कोई रेलकर्मी तथा यात्री नहीं पकड़ा गया था। बहरहाल, मार्च, 2013 में 2893 यात्रियों से 21.65 लाख रुपये किराये और जुर्माने के रूप में वसूले गए थे।

(घ) रेलवे के रेल सुरक्षा बल, वाणिज्य और सतर्कता प्रकोष्ठों द्वारा दलाली वाली गतिविधियों से निपटने के लिए नियमित जाचें की जाती हैं। अगर कोई रेलकर्मी किसी कदाचार में शामिल पाया जाता है तो अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। फोटो पहचान पत्र शुरू करना, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन द्वारा महत्वपूर्ण आरक्षण कार्यालयों की निगरानी और जांच करना, दलालों की गतिविधियों के खिलाफ यात्रियों में जागरूकता उत्पन्न करना आदि जैसे कदम भी उठाए गए हैं।

विवरण

(ग) जनवरी से मार्च, 2013 के दौरान रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत अभियोजित और दंडित किए गए दलालों की संख्या और उनसे वसूली गई जुर्माने की राशि निम्नानुसार है।

रेलवे	जनवरी 2013			फरवरी 2013			मार्च 2013		
	अभियोजित व्यक्ति	दंडित किए गए व्यक्ति	वसूली गई जुर्माने की राशि (रु. में)	अभियोजित व्यक्ति	दंडित किए गए व्यक्ति	वसूली गई जुर्माने की राशि (रु. में)	अभियोजित व्यक्ति	दंडित किए गए व्यक्ति	वसूली गई जुर्माने की राशि (रु. में)
मध्य	50	21	70500	35	14	64000	30	0	0
पूर्व	23	2	0	8	5	23000	6	1	0
पूर्व मध्य	7	7	18000	4	4	6000	6	6	6000
पूर्व तट	2	0	0	4	3	2000	1	0	0
उत्तर	3	0	0	8	2	8000	12	0	0
उत्तर मध्य	4	3	3500	0	0	0	4	0	0
पूर्वोत्तर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वोत्तर सीमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर पश्चिम	1	0	0	0	0	0	5	0	0
दक्षिण	3	0	0	2	0	0	7	4	26000
दक्षिण मध्य	24	1	5200	7	1	5000	9	0	0
दक्षिण पूर्व	3	0	0	3	0	0	17	0	0
दक्षिण पूर्व मध्य	2	0	0	1	0	0	1	0	0
दक्षिण पश्चिम	24	22	105500	37	32	161500	16	11	58000
पश्चिम	5	1	1000	3	2	10000	16	0	0
पश्चिम मध्य	0	0	0	3	1	2000	13	0	0
जोड़	151	57	203700	115	64	281500	143	22	90000

[हिन्दी]

जल संसाधनों का संवर्धन

***434. श्री पशुपति नाथ सिंह:**
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी सहायता से कतिपय जल संसाधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई ऐसी परियोजनाओं का झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विदेशी सहायता का पूर्णत: उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश में झारखंड सहित राज्य-वार जल संसाधनों में कितनी वृद्धि होगी; और

(ङ) देश में जल संसाधनों के संवर्धन हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। देश में बाह्य सहायता से 20 जल संसाधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाह्य सहायता से शुरू की गई जल संसाधन परियोजनाओं, बाह्य सहायता की राशि ओर उसके उपयोग का राज्यवार ब्यौरा विवरा में संलग्न है। झारखण्ड राज्य में बाह्य सहायता से कोई जल संसाधन परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाह्य सहायता से शुरू की गई छह जल संसाधन परियोजनाओं का लक्ष्य जल/सिंचाई सेवाओं के साथ-साथ इनके संस्थागत सुधार हेतु प्रयासों को सुदृढ़ बनाना; पश्चिम बंगाल के 18 जिलों में लगभग 4660 लघु सिंचाई स्कीमें विकसित करना जिससे लगभग 1.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी; 4 राज्यों नामत: मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु में लगभग 223 बड़े बाधों का पुनरुद्धार; कर्णाटक के उलाल और महाराष्ट्र में मिरया खाड़ी में तटसुरक्षा एवं प्रबंधन, और असम में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ तथा नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना हैं। छह परियोजनाओं में से राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीन परियोजनाएं जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगी। अन्य तीन परियोजनाएं बांध पुनरूद्धार, तटसुरक्षा एवं बाढ़ नियंत्रण में सहायक होंगी। चूंकि ये परियोजनाएं हाल ही में शुरू हुई हैं इसलिए इनके प्रभाव का आकलन करने में कुछ समय लगेगा।

(ङ) देश में XIIवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के संवर्धन हेतु उठाये जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	स्कीम का नाम	XIIवीं योजना में प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी	47050
2.	राष्ट्रीय परियोजनाएं	8150
3.	कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम)	15000
4.	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर)	6235

विवरण

बाह्य सहायता से जल संसाधन परियोजनाएं

विश्व बैंक

1.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	21.05.2010/ 31.03.2013	12.40 (आईडीए) एक्सडीआर	0.00	1.39	2.55
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना 7897-आईएन	14.08.2010/ 31.07.2016	450.60 (आईबीआरडी)	41.13	14.65	40.95

3.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना 8090-आईएन का त्वरित विकास	21.12.2011/ 31.12.2017	125.00 (आईबीआरडी)	0.00	0.31	0.91
		पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना 5014-आईएन का त्वरित विकास	21.12.2011/ 31.12.2017	78.20 (आईडीए) एक्सडीआर	0.36	0.01	3.39
4.	मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना 7943 आईएन	21.12.2011/ 30.06.2018	175.00 (आईबीआरडी)	0.00	0.00	0.44
		बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना 5898 आईएन	21.12.2011/ 30.06.2018	115.90 (आईडीए) एक्सडीआर	0.00	0.00	3.34
एशियाई विकास बैंक							
5.	महाराष्ट्र और कर्णाटक	स्थायी तटसुरक्षा एवं प्रबंधन निवशे कार्यक्रम पयिोजना-I 2679-आईएनडी	17.08.2011/	51.56	0.00	0.56	1.32
6.	असम	असम एकीकृत बाढ़ एवं नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन निवेश कार्यक्रम 2684-आईएनडी	10.05.2011/ 30.09.2014	56.90	0.00.0.29	4.01	

[अनुवाद]

जनजातीय उप-योजना हेतु आवंटन

***435. श्री लक्ष्मण टुडु:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय उप-योजना हेतु वार्षिक बजट आवंटन का 10 प्रतिशत नियत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जनजातीय उप-योजना हेतु नियत धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नियत धनराशि की सहायता से अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2011-12 से, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के बजट का 10 प्रतिशत जनजाति उप योजना (टीएसपी) के लिए निर्धारित है। राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे, राज्य की कुल ग्रामीण आबादी में से राज्य में विद्यमान ग्रामीण अनुसूचित जनजाति वाली आबादी के प्रतिशत के अनुपात में टीएसपी के लिए एक हिस्से का उपयोग, जो कुल जोड़ करने पर राष्ट्रीय स्तर पर एनआरडीडब्ल्यूपी के बजट का 10% है, राज्य के एनआरडीडब्ल्यूपी के कुल आबंटन में से करें।

(ग) 2011-12 एवं 2012-13 के वर्षों में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत टीएसपी के लिए निर्धारित राशियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
2011-12	850.00
2012-13	1050.00

वर्ष 2010-11 में टीएसपी के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई थी।

(घ) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति वाले अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामीण बसावटों की कवरेज में प्राप्ति, वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में इस प्रकार है:

वर्ष	अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों की कवरेज में प्राप्ति
2011-12	28009
2012-13	29060*

*28.02.2013 के अनुसार

[हिन्दी]

कौशल विकास योजना

***436. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यकों के रोजगार और जीविकोपार्जन कौशल में वृद्धि करने हेतु कौशल विकास पहल संबंधी योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के शिल्पकारों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है अथवा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (ग) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने "अल्पसंख्यकों के कौशल विकास" हेतु एक योजना बनाई है। इस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यकों के परम्परागत कौशलों को बढ़ाना और संरक्षित रखना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना और मौजूदा कामगारों की रोजगारपरकता, स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने आदि में सुधार लाना है। इस योजना के अंतर्गत, अल्पसंख्यक समुदायों में प्रचलित कलाओं और शिल्पों सहित परम्परागत कौशलों को बढ़ाने और राष्ट्रीय तथा वैश्विक बाजार के साथ उन्हें जोड़ने को प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, क्षेत्र में रोजगार संभाव्यता वाले विभिन्न आधुनिक ट्रेडों के प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, योजना के अनुमोदन हेतु कार्रवाई की गई है।

साथ ही, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम के माध्यम से यह मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विपणन सहायता योजना की संवर्धनात्मक योजनाएं कार्यान्वित करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का लक्ष्य अल्पसंख्यक लाभार्थियों को कौशल प्रदान कर उन्हें स्व/मजदूरी रोजगार अर्जित करने में समर्थ बनाना है। विपणन सहायता योजना में शिल्पकारों को उनके विपणन को प्रोत्साहित करने तथा उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। दोनों योजनाएं लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सेवाओं की बेहतर प्रदानगी हेतु हाल में ही संशोधित की गई हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विद्युत निधि

***437. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में किए जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु राष्ट्रीय विद्युत निधि के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर ब्याज राजसहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अब तक प्रदत्त कुल राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजसहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों के पात्रता मानदंडों में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राजसहायता को राज्यों द्वारा की गई प्रगति से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 20143-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए जुलाई, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) शुरू की है। योजना का ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी लाभ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न यूटिलिटियों/राज्यों के लिए संघ सरकार द्वारा लगभग 10953.80 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ब्यौरे विवरण-II में संलग्न है।

(घ) और (ङ) लागू नहीं।

विवरण I

1. भारत सरकार ने वितरण क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार लाने के लिए, निजी तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए, सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों (डिस्काम्स) को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि की (ब्याज सब्सिडी स्कीम) स्थापना किए जाने का अनुमोदन किया है।

2. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) स्कीम को प्रचालित करने की नोडल एजेंसी होगी।

3. एनईएफ स्कीम के अंतर्गत, गैर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) तथा गैर पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) परियोजनाओं के लिए वितरण क्षेत्र की निजी तथा सार्वजनिक विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

4. पात्रता की पूर्व-शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार संबंधी उपायों से जुड़ी होती हैं तथा ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों में की गई प्रगति से जुड़ी होती है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) का प्रचालनीकरण, यूटिलिटियों के टर्न-अराउंड के लिए व्यवसाय योजना का प्रतिपादन, राज्य विद्युत मंडलों (एसईबी) का पुनर्गठन, राज्य सरकार द्वारा डिस्काम्स को सब्सिडी जारी करना, लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करना तथा प्रशुल्क याचिका को समय पर फाइल करना पात्रता की पूर्व शर्तें हैं।

5. ब्याज सब्सिडी के आकलन के लिए राज्यों की दो श्रेणियां होंगी। विशेष श्रेणी तथा संकेन्द्रित राज्य, तथा विशेष श्रेणी और संकेन्द्रित राज्यों से इतर राज्य। ब्याज पर सब्सिडी के लिए पात्र प्रत्येक विद्युत यूटिलिटी को सुधार संबंधी उपायों अर्थात एटी एण्ड सी हानियों में कमी, राजस्व अंतर में कमी (आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) सब्सिडी प्राप्त आधार पर वसूला गया औसत राजस्व); इक्विटी पर आय तथा बहु-वर्षीय प्रशुल्क (एमवाईटी) पर आधारित अंक प्रदान किए जाएंगे। इन पैरामीटरों पर प्राप्त किए गए समेकित अंक के आधार पर यूटिलिटियों का श्रेणीकरण किया जाएगा तथा वे विशेष श्रेणी तथा संकेन्द्रित राज्यों से इतर राज्यों में ब्याज दरों में 3% से 5% तक तथा विशेष श्रेणी और संकेन्द्रित राज्यों में 5% से 7% तक सब्सिडी की पात्र होंगी।

6. राष्ट्रीय विद्युत निधि 2 वर्षों अर्थात वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान संस्वीकृत वितरण स्कीमों के लिए 25000 करोड़ रुपये तक के ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों में कुल 8466 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।

विवरण II

एनईएल के अंतर्गत ब्याज राजसहायता लाभ के लिए स्वीकृत राशि

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	राज्य का नाम	कुल परियोजना लागत	एनईएफ के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी लाभ के लिए संस्वीकृत ऋण राशि
1	2	3	4	5
1.	एमएसईडीसीएल	महाराष्ट्र	7042.61	5657.13
2.	एपीएनपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश	1829.56	1646.60
3.	एपीएसपवीडीसीएल	आंध्र प्रदेश	1291.43	1151.46

1	2	3	4	5
4.	एपीईपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश	157.25	143.57
5.	एचपीएसईबीएल	हिमाचल प्रदेश	388.53	330.79
6.	एमपीएमकेवीवीसीएल	मध्य प्रदेश	488.03	203.56
7.	एमपीपीओकेवीवीसीएल	मध्य प्रदेश	866.64	196.53
8.	यूपीसीएल	उत्तराखंड	179.99	125.99
9.	यूएचबीवीएनएल	हरियाणा	68.94	62.05
10.	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	पश्चिम बंगाल	1249.37	1124.43
11.	सीएसपीडीसीएल	छत्तीसगढ़	379.55	311.70
	कुल		13941.89	10953.80

[हिन्दी]

रेलपथ प्रबंधन प्रणाली

***438. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**
श्रीमती अश्वमेध देवी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में रेलपथ प्रबंधन प्रणाली के शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप रेलपथ के रखरखाव के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा रेलपथों के रखरखाव और रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं/दुर्घटनाओं को रोकने हेतु खराबी का पता लगाने के लिए किए जा रहे अन्य उपायों और प्रयुक्त की जा रही प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रेल-गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं/दुर्घटनाओं के कितने मामले हुए तथा रेलपथों में खराबी के कारण कितना परिणामी घाटा हुआ; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) रेलवे ने रेलपथ प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) शुरू की है जो विभिन्न रेलपथ संरचना डेटा, निरीक्षण डेटा और कार्य निष्पादन डाटा के एकीकरण के लिए वेब-इनेबल्ड सेंट्रल सर्वर पर आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। नियमित निरीक्षणों के दौरान और रेलपथ रिकार्डिंग कारों द्वारा रेलपथों की स्थिति नोट की जाती है और फील्ड इंजीनियरों द्वारा इंटरनेट से जुडे एक छोटे लैपटॉप से इन सभी डेटा की रेलपथ प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि की जाती है। ऐसे सभी इनपुटों का विश्लेषण करने के बाद रेलपथ प्रबंधन प्रणाली विभिन्न रिपोर्ट देती है जो अनुरक्षण इनपुट और मरम्मत के बेहतर नियोजन में सहायता करते हैं, जो विभिन्न स्थानों पर दी जानी अपेक्षित होती है।

अब तक, यह प्रणाली भारतीय रेलवे के 28 मंडलों पर कार्यान्वित कर दी गई है और भारतीय रेलवे के सभी 68 मंडलों में इस प्रणाली को कार्यान्वित करने के बाद टीएमएस एप्लीकेशन के व्यापक लाभ प्राप्त होने शुरू होंगे।

(ख) रेलवे ने कंक्रीट स्लीपर, 60 किलोग्राम की पटरियां, उचित ब्लास्ट कुशन सहित इलास्टिक फास्टनिंग और लंबी वेल्डिड पटरियों वाली आधुनिक और मजबूत रेलपथ संरचना शुरू की है। मशीनीकृत उपकरणों द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है। पटरी दोष और रेलपथ ज्यामिति के लिए क्रमशः अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन मशीनों और रेलपथ रिकार्डिंग कारों द्वारा आवधिक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे के पास 708 रेलपथ मशीनें हैं, जिन्हें वर्ष 2020 तक बढ़ाकर 2305 करने की आवश्यकता है ताकि विजन 2020 में यथा परिकल्पित रेलपथ नवीनीकरण और अनुरक्षण के पूर्ण मशीनीकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकें। इन उपायों से डिरेलमेंट/दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिली है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, पेरलपथ में त्रुटि के कारण डिरेलमेंट और परिणामी दुर्घटनाओं से हुई हानि सहित रेल दुर्घटनाओं की संख्या नीचे सारणी में दी गई है:

वर्ष	रेलपथ में त्रुटि के कारण डिरेलमेंट/ दुर्घटनाओं की संख्या	इन डिरेलमेंट/दुर्घटनाओं के कारण रेलवे परिसंपत्ति को हुई परिणामी हानि (करोड़ रुपये में)
2010-11	30	5.14
2011-12	24	6.88
2012-13	19	17.15

(घ) चिह्नित मार्गों पर मोटे वेब स्विच, वेल्ड करने योग्य कॉस्ट मैगनीज स्टील क्रासिंग्स बिछाने का विनिश्चय किया गया है। फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया के इस्तेमाल में उत्तरोत्तर वृद्धि करके एल्युमिनो थर्मिट (एटी) वेल्ड की संख्या में भी कमी लाई जा रही है। एल्युमिनो थर्मिट वेल्ड टेक्नालॉजी में भी सुधार किया जा रहा है। पहले की 13 मीटर लंबी पटरियों के स्थान पर 65 मीटर लंबी पटरियां बिछाकर पटरियों के जोड़ों की कुल संख्या में भी कमी लाई जा रही है।

समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित करना

***439. श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के संबंध में कोई सफलता प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी परियोजना कहां-कहां स्थित हैं; और

(ङ) इस संबंध में जल के शुद्धिकरण की लागत का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ)-राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) ने समुद्री जी को पेयजल में बदलने के लिए निम्न तापमान वाली तापीय विलवणीकरण (एलटीटीडी) प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित तथा उसका प्रदर्शन किया है। एलटीटीडी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सतह के गर्म समुद्री जल को निम्न दाव पर तेजी से वाष्पित किया जाता है तथा वाष्प को ठण्डे गहरे समुद्री जल के साथ संघनित किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी भारत की द्वीपीय क्षेत्रों विशेषकर लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिए सफल और उपयुक्त पाई गई है। तापीय विद्युत संयंत्रों से निकले हुए तापीय अपशिष्ट जल (जिसका तापमान कमरे के तापमान से अपेक्षाकृत ज्यादा होता है) का उपयोग करते हुए स्वच्छ पेयजल के उत्पादन के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब तक, देश में 4 एलटीटीडी संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किए जा चुके हैं, जिनमें कावराती (2005), मिनिकॉय (2011), अगाती (2011), लक्षद्वीप में एक-एक और उत्तरी चेन्नै के तापीय विद्युत स्टेशन (एनसीटीपीएस) चेन्नै (2008) में लगाया गया एक संयंत्र शामिल है। इनमें से प्रत्येक एलटीटीडी संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन एक लाख लीटर स्वच्छ जल तैयार करने की है।

(ग) जी हां।

(घ) ईएसएसओ ने तूतीकोरिन तापीय बिजली स्टेशन, तमिलनाडु में प्रतिदिन 2 मिलीयन लीटर स्वच्छ जल (2 एमएलडी) के उत्पादन की क्षमता वाले एक एलटीटीडी संयंत्र स्थापित करने और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के प्रत्येक द्वीपों अर्थात् अमिनी, चेंत्लेट, कडमठ, काल्पेनी, किल्टन और एंड्रोथ में प्रतिदिन एक लाख लीटर स्वच्छ जल के उत्पादन की क्षमता वाले छह एलटीटीडी संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है जिनके लिए लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) प्रति लीटर विलवणीकरण लागत उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी और विद्युत लागत पर निर्भर करेगी और यह लागत हर स्थान पर अलग-अलग होती है। हाल ही में एलटीटीडी प्रौद्योगिकी के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए लागत आंकलन के अनुसार, द्वीपीय आधारित संयंत्रों के लिए प्रति लीटर विलवणीकृत पेयजल की प्रचालनात्मक लागत 19 पैसे है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन उपस्कर का कार्य-निष्पादन

***440. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री एन. एस. वी. चित्तन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत उत्पादन उपस्करों की आपूर्ति करने वाली चीन की कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उन कुछ विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं, जिन्होंने चीन के उपस्कर का प्रयोग किया है, के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने चीनी कंपनियों द्वारा देश में आपूर्ति किए गए विद्युत उत्पादन उपस्कर के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) चीन के विद्युत उपस्कर पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) थर्मल उत्पादक इकाइयों के लिए चीन से आयात किए जा रहे उत्पादन उपस्कर (बॉयलर्स और टर्बाइन जेनरेटर्स) की आपूर्ति अधिकाशत: तीन प्रमुख चीनी विनिर्माताओं मैसर्स डोंगफैंग इलैक्ट्रिक, शंघाई इलेक्ट्रिक और हार्बिन पावर एवं उनकी समूह कंपनियों द्वारा की जा रही है।

(ख) से (घ) जैसाकि सीईए द्वारा सूचित किया गया है, विकासकर्ताओं को कुल मिलाकर चीनी उपस्कर के साथ कोई समस्या नहीं आई है। तथापि, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) द्वारा एचआईपी टर्बाइन रोटर में क्षति ओर एलपी टर्बाइन ब्लेडों की विफलता के कारण यमुनानगर ताप विद्युत केन्द्र (2×300 मेगावाट) में और अधिक कम्पन और ब्लेड की क्षति के कारण 600 मेगावाट के हिसार ताप विद्युत केन्द्र इकाई I में चीनी इकाइयों की जबरन बंदी की घटनाओं की सूचना दी गई थी। एचपीजीसीएल/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मरम्मत कार्य किया गया और इकाइयों ने पुन: कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ङ) चीनी विद्युत उपस्करों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:+–

1. मुख्यत: सुपर क्रिटिकल यूनिटों के माध्यम से परिकल्पित बड़ी ताप क्षमता अभिवृद्धि के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अति सुपर क्रिटिकल उपस्कर के लिए स्वदेशी विनिर्माण क्षमता का सृजन करने के प्रयास किए गए हैं। बीएचईएल ने क्रमश: सुपर क्रिटिकल बॉयलर और टर्बाइन जेनरेटर्स के विनिर्माण के लिए मैसर्स अल्स्टाम (फ्रांस) और सीमेंस (जर्मनी) के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करा किए हैं बीएचईएल ने अपनी विनिर्माण क्षमता का संवर्धन भी शुरू किया है और 20000 मेगावाट प्रतिवर्ष की क्षमता उपलब्धि की सूचना है बीएचईएल के अलावा, देश में सुपर क्रिटिकल बॉयलरों और टर्बाइन जेनरेटर्स के विनिर्माण के लिए अनेक संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं और इन संयुक्त उद्यमों द्वारा परिकल्पित विनिर्माण क्षमता बॉयलरों के लिए *लगभग 16,000* मेगावाट प्रतिवर्ष और टर्बाइन जेनरेटर्स के लिए *लगभग 15000 मेगावाट* प्रतिवर्ष है।

2. स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्डर प्रदान करने की दृष्टि से, सरकार द्वारा एनटीपीसी और डीवीसी के लिए 660 मेगावाट की 11 सुपर क्रिटिकल यूनिटों के लिए और एनटीपीसी के लिए 800 मेगावाट की 9 सुपर क्रिटिकल यूनिटों के लिए बल्क आर्डर का अनुमोदन किया गया था और एनटीपीसी द्वारा शुरू किए गए हैं। इन बल्क आर्डरों में पूर्व-सहमत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अनुसर सफल बोलीकर्ताओं द्वारा सुपर क्रिटिकल यूनिटों के विनिर्माण का स्वदेशीकरण अनिवार्यत: अपेक्षित है। बॉयलर्स और टर्बाइन जेनरेटरों के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए लक्ष्य दशाते हुए, पीएमपी का रोडमैप भी निर्धारित किया गया है।

3. ऊँची ब्याज दरों, स्थानीय टैक्स तथा अपर्याप्त अवसंरचना के कारण स्वदेशी विद्युत उपस्कर विनिर्माण उद्योग द्वारा सामना की गई हानियों की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से स्वदेशी विद्युत उपस्कर विनिर्माण उद्योग के साथ-साथ विदेशी विक्रेताओं के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विद्युत उत्पादन परियोजनाओं अर्थात मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी सहित) तथा गैर-मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की सभी

श्रेणियों के आयातित उपस्करों पर 5% की दर से सीमा शुल्क, 12% की दर से काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) (यथा अनुमेय और समय-समय पर घरेलू उद्योग पर उत्पाद शुल्क के बराबर) और 4% की दर से विशेष अतिरिक्त ड्यूटी (एसएडी) लगाई है।

[हिन्दी]

विद्युत प्रशुल्क में बढ़ोतरी

4826. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री हर्ष वर्धन:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने उनके मंत्रालय से अन्य बातों के अलावा दिल्ली में विद्युत वितरण कार्य करने वाली निजी कंपनियों के घाटे का हवाला देते हुए विद्युत प्रशुल्क बढ़ाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से निजी कंपनियों द्वारा बताए गए घाटे का लेखापरीक्षण करवा कर सच्चाई का पता लगाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विद्युत प्रशुल्क का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा किया जाता है। केन्द्र अथवा राज्य सरकार की इस कार्य में कोई भूमिका नहीं होती है।

आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(2) में समाविष्ट प्रावधानों के अंतर्गत, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के समूह सहित, राजस्व अंतर की परिसमाप्ति, अधिशेष विद्युत की बिक्री के कारण हानि, एनटीपीसी के पिट हैड विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के आबंटन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता के लाभ के लिए केन्द्र सरकार की विभिन्न प्रायोजित स्कीमों को विस्तारित करने की आवश्यकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सांविधिक सूचना भेजी है।

(ग) और (घ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने सूचित किया है कि प्रशुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में, डीईआरसी वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रशुल्क याचिकाओं पर विचार करते समय विभिन्न प्रकार की विवेकपूर्ण जांच करता है। तथापि, डीईआरसी ने तीन निजी वितरण यूटिलिटियों के न्यूनतम विगत तीन वित्तीय वर्षों के लेखाओं की सी एण्ड ए जी (भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) द्वारा लेखा परीक्षा करवाए जाने की भी सिफारिश की है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के विद्युत विभाग ने 2011 की डब्ल्यूपीसी संख्या 895 में माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत शपथ-पत्र के द्वारा बताया है कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने बीएसईएस वितरण कंपनी समूह के लेखाओं की, इसके प्रारंभ से सी एंड ए जी से लखा परीक्षा करवाने का अनुमोदन कर दिया है। यह निर्णय सरकार के दिनांक 09.11.2011 के लघु शपथ-पत्र मे यथा वर्णित पूर्व निर्णय के समर्थन में है कि "......डिस्कॉम के दावों की अधिप्रमाणिकता के बारे में जन सामान्य/उपभोक्ताओं को दोष-सिद्ध करने की आवश्यकता पर ध्यान देने के संबंध में, यदा-कदा सी एण्डएजी लेखा परीक्षा करवाया जाना पूरी तरह से वांछनीय होगा।" यह मामला इस समय न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

उर्वरक कंपनियों को बन्द करना

4827. श्री संजय दिना पाटील: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न उर्वरक निर्माण कंपनियां अपने संयंत्रों को बन्द करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कंपनियों को सहायता अथवा राजसहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डी.वी.एम.सी. के जांचाधीन आर.जी.जी.वी.वाई.

4828. श्री मानिक टैगोर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के कार्यान्वयन को जिला स्तरीय सतर्कता निगरानी समितियों (डी.वी.एम.सी.) को जांच के दायरे में लाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके मंत्रालय की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति में "आरजीजीवीवाई की समीक्षा" को नियमित कार्यसूची मद के रूप में शमिल करते हुए, क्षेत्र में विस्तार किया है।

(ग) विद्युत मंत्रालय ने आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेश्यान कारपोरेशन को समीक्षा को सुगम बनाने के लिए देश में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति से सम्बद्ध करने के लिए आरजीजीवीवाई कार्यान्वियन की सभी एजेंसियों को सलाह देने को कहा है।

विद्युत का कम-ज्यादा होना

4829. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इन रिपोर्टों से अवगत है कि विद्युत के कम ज्यादा होने से घरों और प्रतिष्ठानों में लगे विद्युत उपकरणों को क्षति पहुंच रही है और बहुत से मामलों में इससे देश में घातक दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार को बिजली के उतार-चढ़ाव के कारण देश में घरों और प्रतिष्ठानों में विद्युत उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप जानलेवा दुर्घटनाओं की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार ने उपयुक्त विनियम अर्थात "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा संबंधी उपाय और विद्युत आपूर्ति) विनियम, 2010" अधिसूचित किए हैं, जो सम्पूर्ण भारत में लागू हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, समन्वित एवं किफायती वितरण प्रणाली विकसित करे और इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति करे।" राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले लाइसेंसियों के निष्पादन का निरीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है। लाइसेंसियों को उपयुक्त आयोगों द्वारा निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुपालन करना होता है।

इफ्को द्वारा यूरिया संयंत्र की स्थापना

4830. श्री जयराम पांगी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफ्को) द्वारा कनाडा में एक यूरिया संयंत्र की स्थापना करने के लिए लगभग 500 मिलियन अमेरीकी डॉलर का वित्तपोषण किए जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव से भारत में कम मूल्य का किफायती यूरिया आ पाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो किस तरह से यह निवेश देश के लिए सहायक सिद्ध होगा?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां। प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल साम्या अंशदान लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। लेकिन कुल साम्या अंशदान में इफ्को के शेयर को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) भारत के लिए प्रस्तावित परियोजना से उत्पादित यूरिया की लागत कनाडा से भारत तक परिवहन लागत की मात्रा पर निर्भर करेगी। प्रस्तावित परियोजना द्वारा यूरिया का उत्पादन बढ़ने से उत्तर अमेरिका से मध्य पूर्व तक यूरिया के आयात में कमी आएगी, जिससे यूरिया के सीएफआर भारतीय मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के कम होने की संभावना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई ताप बिजली परियोजनाएं

4831. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ओडिशा सहित देश में नई ताप बिजली परियोजनाओं की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं की परियोजना-वार अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओडिशा में 3960 मेगावाट सहित देश में 72339.6 मेगावाट की क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन ताप विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा चालू होने की संभावित तिथि सहित इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

12वीं योजना के दौरान चालू होने के लिए लक्षित ताप विद्युत परियोजनाएं

22 अप्रैल 2013 के अनुसार

क्षेत्र राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना की अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	इकाई सं.	क्षमता मेगावाट	क्षमता (मेगावाट) उपलब्धि	वास्तविक (ए/अनुमानित चालू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
असम	बोगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	437535	यू-1	250	-	06.2014
				यू-2	250	-	05.2015
				यू-3	250	-	10.201
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-।	एनटीपीसी	869297	यू-1	660	-	06.2015
				यू-2	660	-	04.2016
				यू-3	660	-	02.2017
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-।।	एनटीपीसी	734104	यू-4	660	-	10.2013
				यू-5	660	-	09.2014
बिहार	नबि नगर टीपीपी	एनटीपीसी	535200	यू-1	250	-	07.2014
				यू-2	250	-	01.2015
				यू-3	250	-	07.2015
				यू-4	250	-	01.2016
छत्तीसगढ़	सिपत-।	एनटीपीसी	832339	यू-3	660	660	02.06.12(ए)
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीसी	एपीसीपीएल	829300	यू-3	500	500	17.11.212(ए)
झारखंड	बोकारो टीपीएस कएक्सपैं	डीवीसी	231300	यू-1	500	-	08.2014

1	2	3	4	5	6	7	8
झारखंड	कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	431300	यू-2	500	500	15.02.13(ए)
महाराष्ट्र	मौदा टीपीपी	एनटीपीसी	545928	यू-1	500	500	1904.12(ए)
				यू-2	500	500	29.03.13(ए)
मध्य प्रदेश	विध्याचल टीपीपी-4	एनटीपीसी	545357	यू-11	250	500	03.2014
				यू-12	500	500	22.03.13(ए)
तमिलनाडु	नेवेली टीपीएस-।। एक्सपैं.	एनएलसी	245357	यू-2	250	-	03.2014
तमिलनाडु	तूतीकोरी-जेवी	एनएलसी	490954	यू-1	500	-	12/2013
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी फेज-।	एनटीईसीएल	555278	यू-2	500	500	28.02.13(ए)
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी फेज-।।	एनटीईसीएल	308678	यू-3	500	-	02.2014
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	नीपको	62344	जीटी+एसटी	101	-	05.2014
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	ओटीपीसी	342900	मॉडयूल-1	363.3	363.3	03.01.13(ए)
				मॉडयूल-2	363.3	-	08.2013
उ.प्र.	रिहंद टीपीपी-।।।	एनटीपीसी	623081	यू-5	500	500	25/05/12(ए)
				यू-6	500	-	11.2013
पश्चिम ब.	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-।	डीवीसी	412200	यू-1	600	-	07.2013
				यू-2	600	-	03.2014
			उपजोड़:		**14877.6**	**5023.3**	
राज्य क्षेत्र							
आंध प्रदेश	दामोदरम संजीवैया टीपीएस	एपीपीडीएल	843214	यू-1	800	-	11.2013
				यू-2	800	-	11.2014
आंध्र प्रदेश	यू-6	भेल	302886	यू-6	600	-	12.2015
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	69400	जीटी	70	-	12.2013
				एसटी	30	-	03.2014
छत्तीसगढ़	कोरबा वेस्ट स्टे-।।।	सीएसपीजीसीएल	315600	यू-5	500	500	22.03.13(ए)
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसपीजीसीएल	631800	यू-1	500	-	08.2013
				यू-2	500	-	12.2013

1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसलएल	519581	जीटी-3	250	250	27.06.12(ए)
				जीटी-4	250	-	05.2013
				एसटी-2	250	-	08.2013
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	जीएसइसीएल	254558	ब्लॉक-1	351	-	07.2013
				ब्लॉक-2	351	351	27.03.13(ए)
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटें...	जीएसईसीएल	235600	यू-3	250	-	12.2013
गुजरात	उकाई टीपीपी एक्सटें.	जीएसईसीएल	221800	यू-6	500	500	05.03.13(ए)
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	550000	यू-8	500	-	12.2013
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें	एमएसपीजीसीएल	1188000	यू-8	660	-	06.2014
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी एक्सपें,	एमएसपीजीसीएल	137500	यू-8	250	-	12.2013
म.प्र.	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी टीपीपी)	एमपीजेनको	675000	यू-1	600	-	7.2013
				यू-2	600	-	12.2013
म.प्र.	सतपुरा टीपीपी एक्सटें	एमपीपीजीसीएल	303234	यू-10	250	250	22.03.13(ए)
				यू-11	250	-	09.2013
राजस्थान	छाबरा टीपीपी एक्सटें,	आरआरवीयूएनएल	220000	यू-3	250	-	06.2013
				यू-4	250	-	09.2013
राजस्थान	कालीसिंध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	220000	यू-3	250	-	06.2013
				यू-	250	-	09.2013
राजस्थान	कालीसिंध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	550000	यू-1	600	-	08.2013
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें-III	आरआरवीय	64000	जीटी एसटी	110 50	110 -	20.03.13(ए) 08.2013
तमिलनाडु	मेट्टूर टीपीाि एकसटें	टीएनईबी	3550004	यू-1	600	600	11.10.12(ए)
मिलनाडु	नार्थ चेन्नई एक्सटें, यू-1	टीएनईबी	355200	यू-1	600	-	07.2013
तमिलनाडु	नार्थ चेन्नई एक्सटें, यू-2	टीएनईबी	271875	यू-2	600	600	09.03.13(ए)

1	2	3	4	5	6	7	8
उ.प्र.	अनपारा-डी	यूपीआरवीयूएनएल	535879	यू-6	500	-	02.2014
				यू-7	500	-	06.2014
उ.प्र.	हरदुआगंज एक्सटें	यूपीआरवीयूएनएल	260500	यू-9	250	250	25.05.12(ए)
उ.प्र.	परीक्षा एक्सटें	यूपीआरवीयूएनएल	235600	यू-5	250	250	24.05.12(ए)
				यू-6	250	250	11.03.13(ए)
	उपजोड़:				13922	3911	
निजी क्षेत्र							
आंध्र प्र.	भावपाडु टीपीपी	मेसर्स ईस्ट कोस्ट एनजी लि.	657294	यू-1	660	-	10.2015
				यू-2	660	-	03.2016
आंध्र प्र.	एनसीसी ओपीपी	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि.	704600	यू-1	660	-	04.2016
				यू-2	660	-	8.2016
आंध्र प्र.	पानीपुरम टीपीपी	थर्मल पावर टेक कार्पोरेशन लि.	686900	यू-1	660	-	9.2014
				यू-2	660	-	12.2014
आंध्र प्र.	सिमहापुर एनर्जी प्रा.लि. फेज-1	मधुकोन प्रोजेक्ट लि.	148500	यू-2	150	150	02.07.12(ए)
आंध्र प्र.	थमीनापटनम टीपीपी-।	मिनाक्षी इनर्जी प्रा.लि.	142800	यू-1	150	150	09.09.12(ए)
				यू-2	150	150	17.04.13(ए)
आंध्र प्र.	थमीनापटनम	हिंदुजा नेशनल	312000				
	टीपीपी-।।	पावर कार्पो.लि.	554500	यू-3	525	-	10.2014
				यू-4	350	-	04.2015
आंध्र प्र.	विजाग टीपीपी	हिंदुजा नेशनल पावर कार्पो लि.	554500	यू-1	525	-	02.2014
				यू-2	525	-	06.2014
छत्तीसगढ़	अकालतारा(नैयारा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	1619000	यू-1	600	-	07.2013

1	2	3	4	5	6	7	8
				यू-2	600	-	10.2013
				यू-3	600	-	06.2014
छत्तीसगढ़	अवंतारा भंडार टीपीएस, यू-1	कोरबा वेस्ट पावर कं.लि.	385000	यू-1	600	-	10.2013
छत्तीसगढ़	बालको टीपीपी	भारत एल्युमिनियम कं.लि.	465000	यू-1	300	-	03.2014
				यू-2	300	-	01.2014
छत्तीसगढ़	बदखार टीपीपी	मेसर्स मारूती क्लीन कोल एंड पावर लि.	145600	यू-1	300	-	08.2014
छत्तीसगढ़	बरदरहा टीपीपी	डीबी पावर लि.	664000	यू-1	600	-	09.2013
				यू-2	600	-	03.2014
छत्तीसगढ़	बिजकोंटे टीपीपी	मेसर्स एसकेएस पावर जेनेरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	689000	यू-1	300	-	09..2014
				यू-2	300	-	12.2014
				यू-3	300	-	09.2015
छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली टीपीपी	एसीबी इंडिया लि.	126700	यू-2	135	135	21.06.12(ए)
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस-II	लेप प्रा.लि.	694050	यू-3	660	-	10.2015
				यू-4	660	-	03.2015
छत्तीसगढ़	रतीजा टीपीपी	स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि.	22000	यू-1	50	50	04.02.13(ए)
छत्तीसगढ़	सिंधीतराई पीपीपी	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	620000	यू-1	600	-	03.2015
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	मेसर्स एसीबी	0	यू-1	25	-	09.2013
छत्तीसगढ़	तमनार टीपीपी (रायगढ़)	ओपी जिंदल	1280000	यू-1	600	-	02.2014
				यू-2	600	-	06.2014

1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ़	टीआरएन इनर्जी टीपीपी	मेसर्स टीआरएन इनर्जी प्रा.लि.	284400	यू-1	300	-	08.2014
				यू-2	300	-	12.2014
छत्तीसगढ़	उचपिंड टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा.लि.	665361	यू-1	360	-	10.2013
				यू-2	360	-	01.2014
				यू-3	360	-	04.2014
छत्तीसगढ़	वदना विद्युत टीपीपी छत्तीसगढ़	मेसम्र अंदाना विद्युत	145844	यू-1	135	-	06.2013
				यू-2	135	-	10.2013
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर कं.	640000	यू-2	800	800	25.07.12(ए)
गुजरात	सलाया टीपीपी	एस्सार पावर गुजरात लि.	482000	यू-2	600	600	13.06.12(ए)
हरियाणा	झज्झर टीपीपी गांधी टीपीपी	महात्मा सीएलपी पावर इंडिया प्रा.लि.	600000	यू-2	660	660	11.04.12(ए)
झारखंड	महादेव प्रसास एसटीपीपी फेज-।	आधुनिक पावर	265000	यू-1	270	270	19.11.12(ए)
				यू-2	270	270	29.03.13(ए)
झारखंड	माता श्री उषा टीपीपी फेज-।	मेसर्स कॉर्पोरेट पावर लि.	290000	यू-1	270	-	09.2014
				यू-2	270	-	12.2014
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी	इंडिया बुल्स	688900	यू-1	270	270	25.03.13(ए)
	फेज-।			यू-2	270	-	06.2013
				यू-3	270	-	09.2013
				यू-4	270	-	12.2013
				यू-5	270	-	05.2014
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-।	आईईपीएल	147700	यू-1	270	270	20.03.13(ए)
महाराष्ट्र	बुटीबोरी टीपीपी फेज-।।	विदर्भ इंडस्ट्रिज पावर	160000	यू-1	300	300	17.08.12(ए)
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर	289800	यू-1	300	-	05.2013
	टीपीपी	(प्रा.लि.)		यू-2	300	-	10.2013

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	एमको वरोरा टीपीपी	एमको इनर्जी लि.	348000	यू-1	300	300	7.02.2013(ए)
		(जीएमआर)		यू-2	300	-	06.2013
महाराष्ट्र	जीईपीएल टीपीपी	जीईपीएल	65649	यू-1	60	60	08.09.12(ए)
				यू-2	60	60	28.04.12(ए)
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	693600	यू-1	660	-	03.2015
				यू-2	660	-	08.2015
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी	इंडिया बुल्स	678900	यू-1	270	-	05.2013
				यू-2	270	-	08.2013
				यू-3	270	-	11.2014
				यू-4	270	-	01.2015
				यू-5	270	-	03.2015
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी	अदानी पावर लि.	926300	यू-1	660	660	11.09.12(ए)
				यू-2	660	660	25.03.13(ए)
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.		यू-1	660	-	05.2013
म.प्र.	अनुपुर टीपीपी	एबी पावर एमपी	624000	यू-1	600	-	07.2014
	फेज-1			यू-2	600	-	02.2015
म.प्र.	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाई	275000	यू-1	250	250	12.08.12(ए)
				यू-2	250	250	31.03.12(ए)
म.प्र.	गोर्गी टीपीपी	डीबी पावर (म.प्र.)लि.	664000	यू-1	660	-	06.2016
म.प्र.	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	1584000	यू-2	660	-	09.2013
				यू-3	660	-	05.2013
म.प्र.	सिओनी ओपीपी फेज-I	झबुआ पावर लि.	292400	यू-1	600	-	01.2014
ओडिशा	देरांग टीपीपी	जेआईटीपीएल	596100	यू-1	600	-	11.2013

1	2	3	4	5	6	7	8
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत	318500	यू-1	350	-	11.2013
				यू-2	350	-	02.2014
ओडिशा	कमलंगा टीपीपी	जीएमआर	454000	यू-1	350	350	28.03.13(ए)
				यू-2	350	-	09.2013
				यू-3	350	-	12.2013
ओडिशा	केवीके निलांचल टीपीपी	केवीके निलांचल	135000	यू-1	350	-	01.2014
ओडिशा	लैंको बाबंध टीपीपी	लैंको बाबंध पावर लि.	693000	यू-1	350	-	01.2014
ओडिशा	स्टर्लाइट टीपीपी	स्टर्लाइट इनर्जीलि.	766900	यू-4	600	600	25.04.12(ए)
पंजाब	गोइंडवाल साहिब	जीवीके पावर	298786	यू-1	270	-	06.2013
				यू-2	270	-	10.2013
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नव)	नभ पावर लि.	960000	यू-1	700	-	01.2014
				यू-2	700	-	03.2014
पंजाब	तलवंडी सैबो टीपीपी	मेसर्स स्टलाईट	1025000	यू-1	660	-	12.2013
				यू-2	660	-	04.2014
				यू-3	660	-	07.2014
राजस्थान	जलीपा-कपूर्डी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडब्ल्यू)	608500	यू-5	135	135	05.02.2013(ए)
				यू-6	135	135	03.2016
तमिलनाडु	तूतीकोरीन टीपीपी (इंड भारत टीपीपी)	आईबीपीआईएल	359500	यू-1	660	-	03.2016
उ.प्र.	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	जे.पी. पावर	1162227	यू-1	660	-	07.2014
				यू-2	660	-	11.2014
				यू-3	660	-	03.2015
प.ब.	हल्दिया टीपीपी-। एनर्जी लि.	मेसर्स हल्दीया	302600	यू-1	300	-	08.2014
				यू-2	3600	-	11.2014
		उपजोड़		43540	7535		
		कुल (12वी योजना):		72339.6	16469.3		

उर्वरक मूल्यों का आंशिक विनियंत्रण

4832. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक मूल्यों को आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त कर दिए जाने से यूरिया की अधिकता हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) यूरिया की एमआरपी सरकार द्वारा सांविधिक रूप से नियंत्रित की जाती है जबकि पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी नियंत्रणमुक्त है तथा इसका निर्णय पोशक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जा रही राजसहायता और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों/आयातकों द्वारा युक्तिसंगत स्तर पर किया जाता है। यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी में अंतर के कारण यूरिया का प्रयोग अधिक हो सकता है।

(ख) राज्य सरकारें पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग हेतु किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं। उर्वरक विभाग इस बात पर जोर दे रहा है कि राज्य कृषि विभाग वार्षिक आंचलिक सम्मेलन और साप्ताहिक विडियो कांफ्रेंसों के दौरान मृदा के संतुलित उर्वरण को अपनाने के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करें।

[हिन्दी]

प्राणहित चेवेल्ला सिंचाई परियोजना

4833. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर स्थित प्राणहित नदी पर प्रस्तावित प्राणहित चेवेल्ला सिंचाई परियोजना के निर्माण को अनुमोदन प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अन्तर्राज्य सिंचाई परियोजना से राज्य के हितों की अनदेखी होने के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई विरोधा दर्ज करवाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार जल विवाद को देखते हुए अपनी मध्यस्थता के द्वारा इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) प्राणहिता चेवेल्ला सिंचाई परियोजना का केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन चल रहा है।

(ग) से (ङ) आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री और महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री के बीच दिनांक 05.05.2012 को एक समझौता हुआ है जिसमें दोनों राज्य एक अन्तर्राज्यीय बोर्ड (आईएसबी) का गठन करने के लिए सहमत हुए हैं। समझौते के अनुसार आईएसबी दोनों राज्यों की एक संयुक्त समिति है और सर्वेक्षण, अन्वेक्षण, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, निष्पादन और प्राणहिता नदी के विषय में दोनों राज्यों की सहमति से अन्य मुद्दों के लिए सर्वोच्च प्रभारी है। दोनों राज्यों के संबंधित मुख्य मंत्री बारी-बारी से एक वर्ष के लिए आईएसबी के अध्यक्ष और संयुक्त अध्यक्ष हैं।

नदियों को पुनर्जीवित करना

4834. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नदियों के पुनरुद्धार और विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई नदी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विभिन्न नदियों हेतु इन योजनाओं से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

4835. श्री रतन सिंह:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। विद्युत वितरण कंपनियों के विरूद्ध जनप्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2010 से 2012 तक जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण का उत्तरदायित्व राज्यों का होता है। भारत सरकार उपभोक्ताओं को उन्नत तरीके से विद्युत प्रदान करने हेतु राज्यों के प्रयासों को अनुपूरण करने में सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करती है। तथापि, जब भी विद्युत वितरण कंपनियों के विरूद्ध जनप्रतिनिधियों से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे उच्च प्राथमिकता पर निपटाया जाता है और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधितों को भेजा जाता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों (2010 से 2012) के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों के विरूद्ध जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे

क्र. सं.	वर्ष	जनप्रतिनिधियों का नाम	विषय
1.	2010	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल, संसद सदस्य (लोक सभा)	ग्राम-बड़का गांव, ब्लॉक-भाटपाररानी, जनपद-देवरिया (उत्तर प्रदेश) में कम-वोल्टेज की समस्या के संबंध में।
2.	2010	श्री ओमेन चांडी, विपक्ष नेता, केरल विधानसभा	केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आर-एपीडीआरपी परियोजना की बोली प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार आरोप के संबंध में।
3.	2011	श्रीमती बिमला कश्यप सूद, संसद सदस्य (राज्य सभा)	मुख्य प्रदेश द्वार, बीसी-632, पश्चिम शालीमार बाग, दिल्ली में लगाए गए विद्युत मीटरों की शिफ्टिंग के संबंध में।
4.	2012	श्री सारदा मोहंती, संसद सदस्य (राज्य सभा) और श्री जीआर कोली, संसद सदस्य (लोक सभा)	श्री सुशील सिन्हा के पीसीओ बूथ स्टॉल सं. 341, चन्दु लाल वाल्मीकी मार्ग, मॉडल मार्केट, आईएनए, नई दिल्ली में विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में।

आईएमडी की अवसंरचना का उन्नयन

4836. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौसम विज्ञान अनुसंधान और पूर्वानुमान के क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों के कामकाज में सुधार लाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ हेतु मौजूदा अवसंरचना अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की अवसंरचना के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) कोई अनन्य योजना प्रारंभ नहीं की गई है। हालांकि, कैरियर उन्नयन की सुनम्य पूरक योजना (एफसीएस) को वैज्ञानिक सेवओं के लिए कार्यान्वित कर दिया गया है जिसमें मौसम अनुसंधान तथा पूर्वानुमान के क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्मिक भी शामिल हैं।

सुनम्य पूरक योजना (एफसीएस) का कार्यान्वयन 1973 के तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग को सिफारिशों पर आधारित है जो कि रिक्ति की उपलब्धता का विचार किए बिना साबित योग्यता तथा क्षमता वाले वैज्ञानिकों को एक निर्धारित अवधि की सेवा के उपरान्त एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। सरकार द्वारा सुनम्य पूरक योजना (एफसीएस) के प्रावधानों को अनुवर्ती वेतन आयोगों की सिफारिशों का अनुगमन करते हुए समय-समय पर संशोधित किया गया है। हाल ही में,

सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सितम्बर, 2010 में वैज्ञानिकों के लिए सुनम्य पूरक योजना (एफसीएस) को संशोधित किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। हालांकि, सरकार यह महसूस करती है कि प्रेक्षण प्रणाली, उच्च कार्य-निष्पादन कम्प्यूटिंग, संचार, पूर्वानुमान/चेतावनी प्रणालियों, उत्पाद प्रसारण प्रणालियों इत्यादि का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे मौसम अनुसंधान तथा पूर्वानुमान के क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों की अत्याधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय उपकरणों तक पहुंच हो सकें ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकें।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ)-आईएमडी के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के प्रथम चरण को सरकार द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है जिसके लिए 920 करोड़ रुपये का अनुदान आबंटित किया गया था।

बांधों का निर्माण

4837. श्री गणेश सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में केन्द्रीय सहायता से निर्माण किए जा रहे बांधों के नाम और उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे बांधों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आवंटित और खर्च की गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक बांध के निर्माण कार्य किस तिथि को शुरू हुआ था तथा प्रत्येक बांध के निर्माण कार्य की चरण-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता से निर्मित किए जा रहे बांधों के नाम और अवस्थिति, वह तारीख जिससे ये परियोजनाएं एआईबीपी के अंतर्गत शामिल की गई थीं, समझौता ज्ञापन के अनुसार इनको पूरा करने की संभावित तारीख, इन परियोजनाओं के लिए मार्च, 2013 तक जारी कुल केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों द्वारा मार्च, 2011 तक किया गया व्यय और मार्च, 2011 तक क्षमता सृजन को दर्शाते हुए परियोजनाओं की प्रगति विवरण में संलग्न है।

विवरण

देश में एआईबीपी के अंतर्गत निर्माणाधीन बांध परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	बांध का नाम	लाभान्वित जिले	शामिल किए जाने का वर्ष	पूर्ण होने का अनुमानित वर्ष (समझौता ज्ञापन के अनुसार)	सृजित क्षमता (हजार हेक्टेयर) एआईबीपी के अंतर्गत लक्ष्य	3/2011 तक सृजित	एआईबीपी घटकों का नवीनतम अनुमानित लागत	03.2011 तक कुल व्यय	03.2013 तक संचयी सीएलए/जारी अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश									
1	निलवाई	अदिलाबाद	2006.07	2013.14	5.26	0.00	77.77	66.55	18.40
2	निलवाई	अदिलाबाद	2005.06	2013.14	4.10	0.00	63.57	69.04	9.54
3	मूसरूमिल्ली	पूर्वी गोदावरी	2007.08	2012.13	9.16	6.54	153.52	127.08	85.74
4	इंदिरा सागर (पोलावरम)	पश्चिमी गोदावरी कृष्णा पूर्वी गोदावरी कृष्णा	2008.09	2014.15	436.00	0.00	5974.72	1987.78	562.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार									
1	बताने	औरंगाबाद, पलामू (झारखंड)	2000.01	2013.14	4.81	0.00	60.72	40.66	3.34
2	दुर्गावती	रोहताम, भबुआ	1996.97	2013.14	20.30	3.30	896.65	399.51	84.05
छत्तीसगढ़									
1.	कोसारटेडा	बस्तर	2002.03	2010.11*	11.12	6.50	138.28	130.18	54.77
2.	केलो परियोजना	रायगढ़, जंगीर, चंपा	2008.09	2011.12*	22.81	0.00	571.91	243.49	27.02
कर्नाटक									
1	ऊपरी कृष्णा चरण-1	गुलबर्गा/ बीजापुर फेज-3	1996.97	2017.18	243.90	148.80	2135.40	2120.68	1380.68
मध्य प्रदेश									
1.	सिंध फेज-3	शिवपुरी ग्वालियर, दतिया, झबुआ	1998.99	2014.15	159.05	77.25	1862.42	1157.23	513.64
2.	माही	धार, एबुआ	2001.02	2012.13	26.43	24.43	490.28	347.62	340.62
3.	बावनाथाडी भंडारा*	बालाघाट	2003.04	2013.14	29.41	27.02	587.16	221.98	94.93
4.	ऊपरी वेदा	खरगोन	2008.09	2011.12*	9.92	7.39	208.60	103.22	88.35
5.	निचली गोई	बरवानी	2008.09	2013.14	15.69	0.00	332.71	130.72	215.11
6.	सागर (सागड)	विदिशा	2011.12	2013.14	17.06	0.00	129.06	0.00	23.75
7.	सिंहपुर	चत्रपुर	2011.12	2014.15	10.20	0.00	128.80	0.00	15.75
8.	संजय (बह)	विदिशा	2011.12	2013.14	17.81	0.00	129.02	0.00	23.42
9.	बाणसागर (यूनिट)-2	रीवा, सतना, सिधि, शाहडोल	2003.04	2013.14	154.54	98.08	1379.07	980.82	450.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड									
1.	सोनुआ	पश्चिमी सिंहभूम	1997.98	2012.13	8.01	0.00	61.14	54.21	19.25
2.	सुरंगी	सिंहभूम, रांची	1997.98	2012.13	2.60	0.00	34.71	31.01	13.28
3.	ऊपरी शंख	गुमला	2004.05	2012.13	7.07	0.40	89.06	80.96	26.35
4.	पंचखेरो	कोडरमा, गिरिडीह	2004.05	2012.13	3.09	0.00	54.65	47.23	8.24
5.	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय	सरायेकेला, खरस्वान, पश्चिमी सिंहभूम	2011.12	2014.15	234.65	0.00	4398.86	0.00	851.26
महाराष्ट्र									
1.	गोसीखुर्द	नागपुर, भंडारा, चन्द्रपुर	1996.97	2013.14	231.08	25.185 3/2009 तक	7111.52	3349.43	2961.12
2.	ऊपरी मन्नार	नांदेड़	2002.03	2012.13	8.28	10.84	338.24	209.01	96.39
3.	ऊपरी पेनगंगा	यवतमाल परभनी, नांदेड	2004.05	2014.15	44.47	25.11	1511.82	397.56	272.06
	बावनथीठी (आईएस)	भंडारा	2004-05	2013-14	27.71	24.70	678.81	464.48	14950
4.	निचली दुधना	परभनी, जलना	2005.06	2014.15	44.48	10.82	811.84	580.68	199.75
5.	निचली वर्धा	वर्धा	2006.07	2014.15	63.33	15.38	1742.85	519.63	154.69
6.	उततरमांड	सतारा	2007.08	2013.14	4.73	3.145 3/2010	32.97	22.89	7.97
7.	तराली	सतारा	2007.08	2012.13	14.28	2.50	481.66	217.55	223.63
8.	धोम बालकवाडी	पुणे/ सतारा	2007.08	2012.13	18.10	47.77	451.93	160.13	117.82
9.	अर्जुन	रत्नागिरी	2007.08	2013.14	9.41	0.87	259.77	216.69	79.50
10.	निचली पेधी	अमरवती, अकोला	2008.09	2012.13	17.02	0.00	255.97	154.68	219.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	निचली पंजारा	धूले	2009.10	2013.14	6.79	1.30	132.44	61.90	114.87
12.	अरूणा	सिंधदूर्ग	2009.10	2013.14	9.03	0.39	210.45	90.00	48.04
13.	नरदवे (महाम्माडवाडी)	सिंधुदर्ग	2009.10	2013.14	7.92	0.46	211.46	76.50	37.68
14.	गडनदी	रत्नागिरी	2009.10	2014.15	3.47	0.50	395.17	106.21	37.80
15.	कूदाली	रत्नागिरी	2009.10	2012.13	5.33	0.00	77.00	36.00	12.22
16.	नंदुर मधमेश्वर फेज-II	औरंगाबाद	2009.10	2012.13	20.50	0.00	195.41	38.46	175.28
मणिपुर									
1	खुगा	चुराचांदपुर	1996.97	2012.13	15.00	10.00	353.83	313.96	193.98
2	थोबल	इंफाल, सेनापति, थोबल, उकरूल	1997.98	2014.15	29.45	10.86	1260.22	691.91	732.84
ओडिशा									
1	सुबर्णरेखा	मयूरभंज	1997.98	2016.17	183.14		2862.89	1456.81	1310.05
2	निचली इंदिरा (केबीके)	नोआपाडा	1999.00	2013.14	38.87	17.16	1192.46	909.59	948.34
3	निचली सुकतेल (केबीके)	बोलंगीर, सोनपुर	1999.00	2016.17	40.42	0.00	901.24	303.03	232.39
4	तेलगिरी (केबीके)	कोरापुट	2003.04	2014.15	13.83	0.00	471.39	119.33	145.32
5	रेत सिंचाई (केबीके)	कालाहांडी	2003.04	2014.15	8.50	0.00	273.81	108.55	94.32
6	कानुपुर	क्योंझर	2003.04	2014.15	29.58	0.00	981.53	605.74	612.75
7	छेल्लीगाडा	गंज़ोन	2003.04	2016.17	3.00	0.00	194.10	78.82	13.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश									
1	कचनोदा बांध	ललितपुर	2009.10	2012.13	10.85	3.26	362.40	164.20	64.68
2	अर्जुन सहायक	महोबा हमीरपुर, बांदा	2009.10	2013.14	44.38	0.00	741.38	204.93	307.90
पश्चिम बंगाल									
1	तटको	पुरूलिया	2000.01	2012.13	1.20	0.67	11.53	3.55	5.98
2	पतलोई	पुरूलिया	2000.01	2012.13	2.16	0.27	11.32	5.38	5.12

*राज्य सरकार से नवीनतम सूचना प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

4838. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:**
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित किए जाने की बहुत लम्बे समय से लंबित मांग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त आयोग कब तक स्थापित होने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के निर्णय तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के साथ पठित उसकी सलाहकारी राय तारीख 28 अक्तूबर, 1998 के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नियुक्ति की प्रक्रिया ज्ञापन पर आधारित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया का पुनर्विलोकन/परिवर्तन करने के लिए विभिन्न अभिकरणों और विशेषज्ञ निकायों द्वारा अभ्यावेदन किए गए हैं। प्राप्त सुझावों पर आधारित व्यापक आधार वाले न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव है। तथापि, अब तक, सरकार द्वारा ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बिस्तरों की आपूर्ति

4839. **श्री गोरखनाथ पाण्डेय:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाड़ियों में यात्रियों को दिए जाने वाले बिस्तरों की गुणवत्ता ठीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या रेल के सवारी डिब्बों विशेषकर इलाहाबाद-दुरन्तों में स्वच्छता के स्तर में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) भारतीय रेल गाड़ियों में यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाली लिनन उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रयत्न करती है। चादरों, तकियों के कवर और तौलियों को प्रत्येक उपयोग के बाद धोया जाता है। बिस्तरबंद की सभी मदों (कंबल सहित), जिनकी निर्धारित अवधि पूरी हो जाती है या उनकी स्थिति के आधार पर, नए मदों से बदल दिया जाता है।

इलाहाबाद दूरंतो एक्सप्रेस सहित सभी सवारी डिब्बों में स्वच्छता और स्वास्थ्यपरक के उच्च मानक को बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। इस गाड़ी के सभी सवारी डिब्बों को इलाहाबाद के बेस डिपो में प्राथमिक अनुरक्षण के दौरान पूरी तरह से साफ किया जाता है।

[अनुवाद]

उर्वरक उद्योग के लिए निधियों की अनुपलब्धता

4840. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनन्दराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निधियों की अनुपलब्धता से देश के उर्वरक उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयंत्र पुराने पड़ चुके हैं और उनमें भारी निवेश किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) *क्या भारतीय उर्वरक उद्योग आवश्यक निधियां न जुटा* पाने के कारण देश में पोटाश परियोजनाओं की स्थापना नहीं कर पा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पोटाश सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या समाधान खोजा गया है; और

(छ) भारतीय उर्वरक उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, पिछले वित्तीय वर्ष (2012-13) में बजट प्रावधान की उपलब्धता में कमी के कारण उर्वरक राजसहायता के भुगतान में अस्थायी रूप से विलंब हुआ था। वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 70629.72 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है, जबकि कंपनियों के लंबित दावों का निष्पादन करने के लिए लेखानुदान 2013-14 के अंतर्गत 22000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रौद्योगिकी के पुरानेपन के कारण एफसीआईएल की पांच इकाइयों और एचएफसीएल की तीन इकाइयों को बंद कर दिया गया था। मंत्रिमंडल ने अक्तूबर, 2008 में एफसीआईएल और एचएफसीएल की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार को अनुमोदित किया था बशर्ते कि इसके लिए सरकार से वित्त-पोषण न लिया जाए। एफसीआईएल ओर एचएफसीएल की पुनरुद्धार इकाइयों के प्रस्ताव की विभाग में जांच की जा रही है।

बीवीएफसीएल की दो प्रचालन इकाइयां हैं। इसके नामरूप-II संयंत्र की स्थापना 1976 में तथा नामरूप-III संयंत्र की स्थापना 1987 में की गई थी। नामरूप संयंत्र पुरानी प्रौद्योगिकियों पर आधारित है तथा यह अत्यधिक ऊर्जा दक्ष बड़े आकार के आधुनिक संयंत्रों की तुलना में पुराना हो गया है। दीर्घावधि व्यवहार्यता को देखते हुए नामरूप में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

फैक्ट और एमएफएल संयंत्र भी काफी पुराने हैं और इनकी समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त योजना निधि से प्राप्त ऋण की मदद से व्यापक मरम्मत, नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है ताकि क्षमता उपयोग सुनिश्चित हो सके।

(ङ) जी नहीं। भारत पोटाश के मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है क्योंकि देश में वाणिज्यिक दृष्टि से कोई व्यवहार्य स्रोत तथा ज्ञात पोटाश स्रोत उपलब्ध नहीं है।

(च) और (छ) पोटाश सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारतीय उर्वरक उद्योग को व्यावहारिक बनाने के लिए उर्वरक विभाग विदेश मंत्रालय, आर्थिक कार्य मंत्रालय, खान मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के परामर्श से द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) के जरिए विभिन्न देशों में उर्वरकों की खानों में स्टेक को नियंत्रित करने के लिए दीर्घावधिक व्यवस्था कर रहा है तथा संयुक्त उद्यम लगा रहा है। सरकार ने इन विभागों/मंत्रालयों को शामिल करते हुए एक अंतर मंत्रालयीन समिति का भी गठन किया है ताकि संसाधन संपन्न देशों में संयुक्त उद्यम लगाने या मंत्रालयीन समिति का भी गठन किया है ताकि संसाधन संपन्न देशों में संयुक्त उद्यम लगाने या परिसंपत्तियों के अर्जन के जरिए उर्वरक सुरक्षा हेतु अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया जा सके।

[हिन्दी]

नर्मदा नहर परियोजना

4841. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) *क्या पर्याप्त वित्तीय सहायता के अभाव के कारण नर्मदा* नहर परियोजना को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विलंब से लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई है;

(ग) परियोजना कार्य में तेजी लाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) पर्याप्त वित्तीय सहायता के अभाव के कारण सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना को पूरा करने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त भाग 'क' के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार परियोजना का शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत निधि प्रदान कर रही है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग, भारत सरकार ने परियोजना के संशोधित निवेश क्लियरेंस के दौरान दिनांक 20 मई, 2010 के पत्र के तहत सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 को निश्चित किया है।

[अनुवाद]

खादी उद्योग का विकास

4842. श्री नारनभाई काछड़िया: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी उद्योग को और अधिक लाभप्रद और बाजारोन्मुखी बनाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु प्रदत्त निधियों और उनके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सरकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के माध्यम से कई योजनाएं कार्यान्वित कर खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन एवं समग्र विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है ताकि ऐसे कार्यकलापों को जारी रखा जा सके और उनके उत्पादों की विपणनशीलता बेहतर हो सके। सरकार द्वारा खादी उद्योग के अधिक लाभकारी तथा बाजार चालित बनाने हेतु कोई विशेश लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) 11वीं योजना के दौरान प्रमुख स्कीमों इनके तहत प्रदान की गई तथा उपयोग की गई निधियां और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

11वीं योजना के दौरान खादी की प्रमुख स्कीमों के तहत प्रदान की गई एवं उपयोग की गई निधि तथा उपलब्धियां

क्र.स.	प्रमुख स्कीम का नाम	प्रदत्त निधि (करोड़ रुपये में)	प्रयुक्त निधि (करोड़ रूपये में)	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	खादी अनुदान (बाजार विकास सहायता, (एमडीए) एवं ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन, (आईएसईसी) स्कीम सहित)	1022.38	894.87	वार्षिक खादी उत्पादन 723.48 करोड़ रुपये वार्षिक खादी बिक्री: 995.23 करोड> रुपये संचयी रोजगार: 10.45 लाख व्यक्ति

1	2	3	4	5
2.	खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम	71.56	70.04	26947 कारीगर कवर किए गए
3.	खादी उद्योग एवं कारीगरों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धातमकता बढ़ाने के लिए स्कीम	2.19	17.04	54 खादी संस्थाओं को सहायता दी गई
4.	मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं बाजार अवसंरचना के लिए सहायता स्कीम	5.24	4.59	58 कमजोर खादी संस्थाओं की सहायता की गई 30 आउटलेट का नवीनीकरण
5.	पारंपरिक उद्योगों के पुनरूज्जीवन के लिए निधि योजना	28.77	26.41	29 खादी क्लस्टर विकसित किए गए

जेनेरिक औषध उत्पादकों का संरक्षण

4843. श्री हेमानन्द बिसवाल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के जेनेरिक औषध उत्पादकों के हितों का संरक्षण करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत के दवा उत्पादों के मूल्य बहुत अधिक महंगे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के औषध निर्माण उद्योग का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सरकार, भारतीय औषधीय क्षेत्र विशेषकर जेनरिक दवा विनिर्माताओं को उत्पाद शुल्क मुक्त जोन, अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर कर लाभ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम त्यादि जैसे राजकोषीय और गैर-राजकोषीय लाभ प्रदान करती रही है।

(ग) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपनीसीओ, 1995) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राहक को कीमत नियंत्रित वर्ग का कोई फार्मूलेशन (दवाइयां) एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है। औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 में कवर नहीं की गई औषधियों अर्थात गैर-अनुसूचित औषधियों के मामले में विनिर्माता स्वयं ही बिना सरकार/एनपीपीए का अनुमोदन प्राप्त किए मूल्य निर्धारित करता है। ऐसे मूल्य समान्यत: विभिन्न कारकों यथा फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क औषधि की लागत, एक्सिपिएंटस की लागत, आरएंडडी की लागत, यूटिलिटी/पैक सामग्री की लागत, विक्रय संवर्धन लागत, व्यापार मार्जिन, गुणता आवासनप लागत, आयातित माल की लागत इत्यादि पर निर्भर करते हैं।

मूल्य निगरानी गतिविधि के एक भाग के रूप में, एनपीपीए गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित रूप से जांच करता है। जहां कहीं भी मूल्य वृद्धि 10 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक पाई जाती है, विहित शर्तों के अध्यधीन, विनिर्माता को स्वेच्छा से मूल्य कम करने के लिए कहा जाता है, ऐसा नहीं करने पर जनहित में, फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए डीपीसीओ, 1995 के अनुच्छेद 10(ख) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) औषध विभाग ने औषधियों के मूल्य निर्धारण हेतु एक विनियामक संरचना स्थापित करने के उद्देश्य से ताकि उद्योग की

प्रगति की सहायता हेतु नवाचार ओर प्रतिस्पर्द्धा के लिए पर्याप्त अवसर देते हुए उचित मूल्यों पर अपेक्षित दवाइयों-"आवश्यक दवाइयों"- की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके जिसके परिणामस्वरूप सभी के लिए नियोजन और साझे आर्थिक कल्याण के लक्ष्य पूरे हो सकें, दिनांक 07.12.2012 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2012 (एनपीपीपी-2012) को अधिसूचित कर दिया है।

परियोजनाओं को पूरा करना

4844. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की क ृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन स्वीकृत अनेक परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हुईं और आवंटित की गई निधियों का भी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निधियों के ईष्टतम उपयोग से परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई कारगर निगरानी तंत्र विकसित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) मंत्रालय के अंतर्गत स्वीकृत अधिकांश अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और इन परियोजनाओं के लिए आबंटित निधियों का उपयोग संबधित कार्यान्वयन संस्थाओं/विश्वविद्यालयां द्वारा कर लिया गया है। परियोजनाओं का कुछ प्रतिशत हिस्सा प्रक्रियात्मक विलंब और भौगोलिक स्थितियों के कारण समय पर पूरा नहीं किया गया। प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी परियोजनाओं में विशेषकर कृषि आधारित परियोजनाओं, मौसम संबंधी आवश्यकताएं प्रौद्योगिकी क वैधीकरण एवं जांच के लिए पूरी करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) सरकार ने इसके कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में आरएण्डडी परियोजनाओं की उपलब्धियों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए अनेक निगरानी तंत्र बनाए हैं ताकि निधियों के इष्टतम उपयोग के साथ परियोजनाओं का समय पर समापन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें यदि अपेक्षित हो, आवश्यक परिवर्तन करके क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा मध्यवर्ती समीक्षा और आर एण्ड डी परियोजनाओं में सफलता की मात्रा परिकलित परियोजनाओं के तत्काल कार्यान्वयन के लिए सुव्यवस्थित निगरानी तंत्र यथा (i) प्रयोगशाला सतर पर संबंधित अनुसंधान परिषद द्वारा (ii) परियोजना स्तर पर कार्यबल द्वारा; और (iii) कलस्टर स्तर पर कलस्टर निदेशक द्वारा है। इन उपायों से नियोजित समय-सीमा में उद्देश्य पूरा होता है।

टिकट रद्द करना

4845. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ई-टिकटों को रद्द करने से और अधिक राजस्व अर्जित कर सका है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों से रेलवे ने इस लेखे में कितनी धनराशि अर्जित की है;

(ग) क्या रेलवे तत्काल टिकटों के रद्द होने से भी भारी राजस्व अर्जित कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे ने तत्काल टिकटों के रद्द होने से कितनी धनराशि अर्जित की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) गत तीन वर्ष के दौरान ई-टिकटों (तत्काल टिकटों सहित) के रद्दकरण के कारण वसूल किए गए रद्दकरण प्रभार (लिपिकीय प्रभारों सहित) लगभग 1101.98 करोड़ रुपये थे।

(ग) और (घ) गत तीन वर्ष के दौरान तत्काल टिकटों के रद्दकरण के कारण वसूल किए गए रद्दकरण प्रभार (लिपिकीय प्रभारों सहित) लगभग 165.76 करोड़ रुपये थे।

पश्चिम बंगाल में जल प्रयोक्ता संघ

4846. श्रीमती मौसम नूर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पंजीकृत जल प्रयोक्ता संघ अभी बनाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में इन संघों के गठन की गति तीव्र करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी आंकड़ों में यथा प्रलेखित उपयोग की गई सिंचाई क्षमता एवं किसानों द्वारा उपयोग की गयी सिंचाई क्षमता में भारी अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मुद्दे के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) पश्चिम बंगाल में जल प्रयोक्ता संघ बनाए गए हैं और पंजीकृत किए गए हैं।

(ख) जल प्रयोक्ता संघों का गठन, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत खेत जलमार्गों का निर्माण करते समय किया जाता है। पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को जल प्रयोक्ता संघों का गठन करने हेतु केन्द्रीय सहायता दी जाती है। प्रत्येक पंजीकृत जल प्रयोक्ता संघ के लिए कार्यात्मक अनुदान के रूप में प्रति है। 1000 रुपये की राशि दी जाती है जो केन्द्र, राज्य और किसानों के बीच 450:450:100 के अनुपात में वहन की जानी होती है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित क्षमता में से रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान लगभग 42% क्षमता का उपयोग किया गया है।

(घ) जल राज्य का विषय होने के नाते सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वियन, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से किया जाता हैं तथापि, सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के अंतर्गत संसाधनों को पूरित करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। सृजित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता में पाए जाने वाले अंतर को कम करने के लिए XIIवीं योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ-साथ क्रियान्वित किया जाना है।

जल संसाधनों का डाटाबेस

4847. श्री रामसिंह राठवा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुराने/प्राकृतिक जल संसाधनों के डाटाबेस सृजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारंपरिक जल स्रोतों का उन्नयन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त जल संसाधनों के पुनर्स्थापन के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध करायी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) वर्तमान में देश में पुराने/प्राकृतिक जल संसाधन का डाटाबेस तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि जल से संबंधित सभी आंकड़ों (वर्गीकृत आंकड़ों को छोड़कर) को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने के लिए एक वैब आधारित जल संसाधन सूचना प्रणाली (www.india-wris.nrsc.gov.in) विकसित की गई है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारें जल के परंपरागत स्रोतों के संरक्षण एवं उन्नयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करती हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए केन्द्र सरकार जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) संबंधी स्कीम कार्यान्वित कर रही है। 12वीं योजना के दौरान लगभग 6. 235 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए) में लगभग 10000 जल निकायों पर विचार किये जाने का प्रस्ताव है। योजना आयोग ने 12वीं योजना के लिए जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबधी स्कीम के अंतर्गत 6235 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है।

बढ़े हुए बिजली बिल

4848. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) राज्यों द्वारा विद्युत शुल्क में बार-बार वृद्धि करने में कोई भूमिका निभाता है/विनियामक कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को देश, विशेषकर दिल्ली में निजी विद्युत कंपनियों द्वारा तेज चलने वाले विद्युत मीटर लगाने तथा बढ़े हुए बिजली बिल भेजने की कोई शिकायतें मिली हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार निजी विद्युत कंपनियों द्वारा तेज चलने वाले बिजली मीटर लगाने के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 में कठोर शास्ति खंड शामिल करने का है जिनके परिणामस्वरूप घरेलू उपभोग के लिए उक्त बढ़े हुए बिजली बिल आते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) राज्यों में विद्युत प्रशुल्क का निर्धारण

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा किया जाता है तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) उस प्रशुल्क के निर्धारण में कोई भूमिका अदा नहीं करता/विनियामक कार्य नहीं करता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, निजी डिस्कॉम्स द्वारा तेज चलने वाले विद्युत मीटर लगाने और बिजली के बढ़े हुए बिल भेजने से संबंधित कोई शिकायत इस मंत्रालय को अब तक नही मिली है। तथापि, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने सूचित किया है कि विगत समय में, कई तरफ से तेज चलने वाले विद्युत मीटर तथा बढ़े हुए बिलों से संबंधित शिकायतें मिली हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने 17.9.2005 से अगले चार शनिवारों को उप-मंडल दण्डाधिकारियों के पर्यवेक्षण में मीटर जांच अभियान चलाया था। यह कार्य आरडब्ल्यूए उपभोक्ता समन्वयन परिषद के प्रतिनिधियों, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जीएनसीटीडी एवं डिस्कॉम के सदस्यों के साथ करवाया गया था। 17.09.2005, 24.09.2005, 01.10.2005 तथा 08.10.2005 को चलाए गए जांच अभियान का विवरण नीचे तालिका में दिया है:–

दिनांक	जांचे गए मीटरों की संख्या	निर्धारित सीमाओं में पाए गए मीटर	तेज पाए गए मीटर	धीमे पाए गए मीटर	खराब/दोषपूर्ण पाए गए/ छेड़छाड़ किए गए मीटर
19.09.05	508	501	1	4	2
24.09.05	471	461	2	4	4
01.10.05	512	507	0	4	1
08.10.05	486	483	1	2	-
कुल	1977	1952	4	14	7

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने आयोग में प्राप्त हो रही, खराब मीटरों से संबंधित विभिन्न शिकायतों पर ध्यान देने के लिए अगस्त, 2003 में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी तथा यह पाया गया था कि 91% से अधिक मीटरों ने भारतीय विद्युत नियमावली में दी गई निर्धारित सीमाओं के अंदर खपत स्तर रिकार्ड किया है। लगभग 2% मीटर धीमें पाए गए और 0.5% मीटर निर्धारित सीमा से तेज पाए गए।

लोक शिकायत कक्ष, विद्युत विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने दिल्ली में मई, 2007 से स्वतंत्र तृतीय पक्ष केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), बैंगलोर के माध्यम से विद्युत मीटरों की जांच का अभियान प्रारंभ किया। उपभोक्ताओं द्वारा खराब मीटर की आशंका करने पर उनके परिसर में विद्युत मीटरों की जांच की गई। 1652 विद्युत मीटरों में से 81 मीटर ± 2.5% की स्वीकार्य सीमा से तेज मिले।

वितरण कंपनियां इस संबंध में अतिरिक्त भुगतान/कम भुगतान को डीईआरसी आपूर्ति संहिता एवं निष्पादन मानक विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं के अनुवर्ती बिलों में समायोजित करती है।

(घ) औरा (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 में प्राधिकरण द्वारा इसके लिए बनाए जाने वाले विनियमों के अनुरूप सही मीटरों की संस्थापना की पहले ही व्यवस्था की गई है। उपर्युक्त के समर्थन में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की संस्थापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 तथा 2010 में संशोधन अधिसूचित किया है।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

4849. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की क्या स्थिति है एवं वर्तमान में लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 3499.58 लाख रुपये की परियोजना लागत से केवल एक अनुपूरक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन निगरानी समिति द्वारा किया गया था और इसे दिनांक 06.07.2012 को अवार्ड किया गया है। महाराष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

जैव प्रौद्योगिकी में कृतक बल

4850. श्री राजू शेट्टी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत कृतक बलों का ब्यौरा क्या है और इनकी उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) वर्ष 2010-2013 के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों में कितनी अनुसंधान परियोजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(ग) ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं एवं उनके लिए अलग-अलग कितनी राशि आबंटित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम

4851. श्री हरीश चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ग) वर्ष 2012-13 में राजस्थान राज्य सरकार ने हरियाली दिशा-निर्देशों के तहत मंजूर हरियाली-III एवं हरियाली- हरियाली-IV तथा हरियाली-V की डीडीपी विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः जालौर, जोधपुर तथा झुनझुनू को केन्द्रीय निधियां जारी करने का अनुरोध किया था। रोधपुर तथा झुनझुनू जिलों के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

आयोगों का गठन

4852. श्री जफर अली नकवी: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) की तर्ज पर राज्यों में भी आयोग गठित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसे आयोग गठित किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे आयोग के गठन हेतु राज्यों को किसी प्रकार के दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) की तर्ज पर राज्यों में कोई आयोग गठित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल का अधिकार

4853. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रारूप राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में स्वच्छ जल को मूल मानवाधिकार के रूप में लोगों की पहुंच को मान्यता देने तथा कुछ खंडों को हटाने की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्रत्येक राज्य की क्या राय है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं हेतु स्वच्छ जल की उपलब्धता की समस्या होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों से

स्वच्छ जल तक जनता की पहुंच को एक मूलभूत मानवाधिकार माने जाने की मांग उठती रही है।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 28.12.2012 को आयोजित की गई छठी बैठक के दौरान राष्ट्रीय जल नीति (2012) के मसौदे पर व्यक्त किये गये राज्यों के कुछ प्रमुख विचार विवरण में संलग्न हैं। बैठक में हुई चर्चा के अनुसार राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) को अंगीकार कर लिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 28 दिसम्बर, 2012 को आयोजित की गई छठी बैठक के दौरान व्यक्त किये गये राज्य सरकारों के विचार

क्र.सं.	राज्य सरकारों की मुख्य चिंताएं
1	2
1	**असम**
(i)	एक अल्पकालिक उपाय के रूप में हम यह सिफारिश करते हैं कि कटाव को एक राष्ट्रीय आपदा माना जाये जोकि राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हो।
(ii)	हमारी नदियों के जलन का उपयोग क्षेत्रीय एकता की संकल्पना पर आधारित होना चाहिए, जिसके तहत उद्देश्य की समानता पर जोर दिया जाता है तथा यह उल्लेख किया जाता है कि निचले तटवर्ती राज्यों को भी नदी के प्राकृतिक प्रवाह का अधिकार है और ऊपरी तटवर्ती राज्य इसका उपयोग कर सकते हैं परन्तु जल की मात्रा एवं गुणवत्ता में कोई परिवर्तन किये बिना प्रवाहित होने देना चाहिए।
(iii)	लोगों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण बाढ़ प्रबंधन मुद्दे को सभी जलविद्युत तथा अन्य जल आधारित परियोजनाओं एवं स्कीमों में अनिवार्य रूप से चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए और इसे महत्व दिया जाना चाहिए।
2.	**पंजाब**
(i)	राष्ट्रीय जल नीति में किसी भी प्रकार का संशोधन, विद्यमान संवैधानिक प्रावधानों और मान्यता प्राप्त/वैश्विक रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर कि जाना चाहिए।
(ii)	जल शुल्क पद्धति स्थापित करना, जल प्रभार के लिए मानदंड तय करना, जल प्रयोक्ता संघों को सांविधिक शक्तियां देना, विद्युत का मूल्य तय करना, एक जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना ऐसे मामले हैं जिन्हें राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
(iii)	जल संसाधन का वितरण अनिवार्यत: वैश्विक रूप से स्वीकृत तटवर्ती सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए।
(iv)	समानता एवं सामाजिक न्याय के आधार पर जल का अन्तरबेसिन अंतरण बेसिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विशेष अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा।
(v)	पूरे बेसिन उपबेसिन के लिए एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, राज्यों की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, स्कीमें तैयार करने और इनके निष्पादन की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष रूप से हनन होगा।
3.	**महाराष्ट्र**
(i)	हम भारत सरकार से आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित पैकेज देने पर विचार करने का अनुरोध करते हैं।
4.	**मिजोरम**
(i)	यह अत्यंत प्रशंसनीय होगा यदि इस दस्तावेज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथ समाज के अन्य कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की ओर ध्यान देते हुए यह विशिष्ट अनुच्छेद शामिल किया जा सके।
(ii)	पहाड़ी क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं जैसे अचानक अपवाह, मृदा में जल को बनाये रखने की क्षमता में कमी, कटाव एवं गाद को ले जाना, पहाड़ी के ढलान पर जलभृतों के पुनर्भरण का समाधान करने हेतु नीतियां बनाने से पहाड़ी क्षेत्रों में आ रही समस्याओं का सामना करने में अत्यधिक सहायता मिलती।
5.	**गोवा**
(i)	गोवा को जल के अन्तरबेसिन अंतरण की नीति पर गंभीर आपत्ति है जिसमें राज्य की बेसिन आवश्यकताओं में

1	2
	दर्घावधि पर ध्यान नहीं दिया जाता जिसमें से बेसिन के बाहर डायवर्जन का प्रस्ताव किया गया है।
(iii)	गोवा का यह मानना है कि बेसिन राज्यों के बीच विवादों को निपटाने में नदी बेसिन संगठन (आरबीओ) प्रभावी तन्त्र नहीं हो सकते। यह गोवा का दृढ़ मत है कि राज्य की विधायिकाओं के पास अनियंत्रित शक्तियां होने और कोई जिम्मेदारी न होने के कारण बेसिन राज्यों के बीच विवादों के निपटान के लिए रास्ता बनाने के जाए आरबीओ विवादों को और बढ़ायेंगे।
6.	**कर्नाटक**
(i)	प्रस्तावित जल ढांचागत कानून विशिष्ट निर्देशों के बजाय विस्तृत दिशा-निर्देश देने पर आधारित होना चाहिए।
(ii)	इसलिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना होगा जिससे बेसिन राज्यों के लिए अधिकाधिक प्राधिकरण बनाने की बजाय जमीनी तथ्यों के आधार पर समान एवं न्यायोचित हिस्से का निर्धारण करने में आसानी हो।
(iii)	भारत सरकार को ऐसी नीतियां, कार्यनीतियां एवं कार्यक्रम विकसित करने के लिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन देकर उनका सहयोग करना चाहिए।
7.	**हरियाणा**
(i)	नीति के मसौदे में प्रस्तावित राष्ट्रीय ढांचागत कानून को राज्यों के संवैधानिक क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण मानते हुए गलत समझा जा सकता है....ऐसा ढांचागत कानून सर्वश्रेष्ठ रूप में सामान्य दिशा-निर्देशी सिद्धांतों के एक समूह के रूप में हो सकता है।
(ii)	उसके बाद जल का प्रबंधन साझा सामुदायिक संसाधन के रूप में किए जाने का सुझाव है। इस संकल्पना पर कार्यवाही किए जाने से पहले सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है।
(iii)	"जल प्रभावी भवनों" और "जल प्रभावी उद्योगों" के बारे में भी सोचने का समय आ गया है। इसके लिए पूर्णतया समर्पित एक कोष से भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को आगे ले जाने में सहायता मिलेगी।

1	2
8.	**झारखंड**
(i)	संविधान के प्रावधानों के अनुसार जल के विषय में कोई केन्द्रीय कानून अधिनियमित करने का न तो कोई विशेष कारण है और न ही कोई आवश्यकता है।
(ii)	जल संरक्षण के लिए वन भूमि का उपयोग जैसे बांध का निर्माण और उद्योग के लिए अथवा खनन हेतु अलग-अलग होता है परन्तु उन्हें वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समान माना जाता है जिसके परिणामस्वरूप वन स्वीकृति मिलने में दो से तीन वर्ष का समय लग जाता है, जिसके कारण जल संरक्षण एवं जल भंडारण में वृद्धि कने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता
(iii)	राज्यों को उनके अंशदान के अनुपात में जल का आवंटन किया जा सकता है और अंतर्राज्यीय जल विवादों का शीघ्र समाधान किए जाने की आवश्यकता है।
9.	**अरुणाचल प्रदेश**
(i)	राष्ट्रीय जल नीति के लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब केन्द्र सरकार इसके कार्यान्वयन एवं स्थायित्व के लिए उदारतापूर्वक पर्याप्त संसाधन देने का आश्वासन देगी।
(ii)	मैं केन्द्र सरकार से अरुणाचल प्रदेश को हरित बोनस के रूप में वन क्षेत्र को बनाये रखने हेतु लाभांश देने में उदारता दिखाने का अनुरोध करता हूं।
10.	**उत्तर प्रदेश**
(i)	केन्द्र सरकार के लिए राष्ट्रीय जल ढांचागत कानून बनाने के बजाय सामान्य दिशानिर्देशों सिद्धांत निर्धारित करना अधिक उपयुक्त होगा।
(ii)	भारतीय ईजमेंट अधिनियम, 1882 में संशोधनों पर निर्णय लेने से पहले विस्तृत परामर्श किए जाने की आवश्यकता है।
11.	**आंध्र प्रदेश**
(i)	नई नीति में विभिन्न क्षेत्रों के बीच जल संसाधन का "प्राथमिकता से आवंटन" करने संबंधी बिंदु को शामिल नहीं किया गया है और इन्हें "पूर्वक्रयी आवश्यकताओं" के अंतर्गत मिला दिया गया है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि 2002 की नीति में दर्शाए गए अनुसार "अन्तरक्षेत्रीय प्राथमिकताओं" को बनाए रखा जाना चाहिए।

1	2
(ii)	हम पर्यावरणीय प्रवाह पर कार्य करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, परन्तु हम यह महसूस करते हैं कि इसकी व्यवहार्यता के लिए वैज्ञानिक परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।
(iii)	तंत्र का निर्धारण करके जन परियोजनाओं के लिए समयबद्ध तरीके से सभी स्वीकृतियां और स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है जिसके तहत लगभग आधा दर्जन मंत्रालय और प्रक्रिया में शामिल अन्य संस्थाएं एक साथ कार्य करेंगी।
12.	**पश्चिम बंगाल**
(i)	एक विचारधारा यह है कि वास्तव में पारिस्थितिकी की दृष्टि से जल के आधिक्य वाला कोई बेसिन नहीं है। ऐसे अंतरण के प्रभाव का उचित आकलन करने के लिए नीति में राज्यों के साथ पर्याप्त परामर्श की आवश्यकता को शामिल किया जा सकता है।
(ii)	नदी एवं समुद्र कटाव को एक राष्ट्रीय समस्या घोषित किया जाना चाहिए जोकि यह अधिकतर अन्तर्राज्यीय और प्राय: अन्तरराष्ट्रीय नदियों जैसे गंगा, तीस्ता आदि के निचले हिस्सों में पाया जाता है जिसके कारण लाखों लोग बेघर हो जाते हैं।
(iii)	जांच एवं मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय निधि की स्वीकृति एवं इसे जारी करने हेतु अपनाये जाने वाली वर्तमान लम्बी प्रक्रिया प्राय: कार्य की प्रगति को प्रभावित करती है और कई बार परियोजनाओं के निष्पादन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अंतिम उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
(iv)	निचले तटवर्ती राज्यों में बाढ़ के कारण होन वाले नुकसान को कम रने के लिए ऐस जलाशयों में बाढ़ सुरक्षा बढ़ा कर/पुन: स्थापित करके ऊपरी तटवर्ती राज्यों द्वारा एक कार्य योजना बनाया जाना अनिवार्य किया जाये और केन्द्र सरकार द्वारा कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।
13.	**केरल**
(i)	जल के प्रबंधन हेतु विधान के लिए एक विस्तृत समग्र राष्ट्रीय विधायी ढांचे से जल के महत्वपूर्ण विषय पर विधान बनाने के राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण होने की संभावना है।
(ii)	जल एक मूलभूत अधिकार है जो आर्थिक स्थिति को ध्यान में न रखते हुए सभी लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
(iii)	नदियों की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नदी प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु एक पूर्व निर्धारित पद्धति के बजाय यह संबंधित राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि नदियों की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या होगी।
(iv)	यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जल की उपलब्धता से वंचित न रह जायें, जल प्रयोक्ता संघों को दर निर्धारित करने की शक्ति नहीं दी जा सकती।
(v)	जल निकायों को प्रदूषण मुक्त रखना समय की मांग है, तीसरे पक्ष द्वारा जल प्रदूषण के आवधिक निरीक्षण की पद्धति से तीसरे पक्ष की स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण शक्तियों का दुरूपयोग हो सकता है।
(vi)	सभी तटवर्ती राज्यों को राष्ट्रीय एकता की भावना में उनके बीच के विवादों का समाधान निकालने में सक्षम होना चाहिए।
14.	मध्य प्रदेश
(i)	एक नीति किसी क्षेत्र के लिए एक विजन दस्तावेज होती है और राज्यों के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करने का माध्यम नहीं होती।
(ii)	जल एक सार्वजनिक संसाधन है और दक्ष उपयोग के नाम पर से एक आर्थिक वस्तु मानना खतरनाक हो सकता है।
(iii)	एक नदी क्षेत्र की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूर्वक्रयी आवश्यकता मानने से क्षेत्र, विशेषकर वर्षापोषित क्षेत्रों के विकास में बाधा पहुंचेगी।
(iv)	राष्ट्रीय जल नीति (2012) में केन्द्रीयकृत निगरानी, विनियमन एवं नियंत्रण पर जोर दिया गया है। इसके बजाय इसमें अनुपूरक प्रयासों, क्षमता निर्माण आदि से

1	2
	राज्य जल संसाधन विभागों को सुदृढ़ बनाने क तरीकों का संस्थानीकरण किया जाना चाहिए जिससे ये विभाग स्वयं ये क्रियाकलाप कर सकें।
15.	**राजस्थान**
(i)	केन्द्र सरकार को राजस्थान की भूभौतिकीय स्थिति एवं जल की कमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को विशेष दर्जा देने के विषय में विचार करना चाहिए।
(ii)	अन्तरराज्यीय जल विवादों के संबंध में राज्यों के हितों की रक्षा के लिए सभी अन्तरराज्यीय नदियों ओर नहरों को राष्ट्रीय नदियां एवं नहरें घोषित यि जाना चाहिए।
(iii)	नीति में जल के आवंटन में अन्तरक्षेत्रीय प्राथमिकताएं दी जानी चाहिएं।
16.	**बिहार**
(i)	जल के संबंध में सामान्य नीतियों का केवल एक राष्ट्रीय ढांचा हो सकता है परन्तु यह विनियामक प्रकृति का नहीं होना चाहिए।
(ii)	राष्ट्रीय जल नीति में राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं पर जोर देते हुए विशेष तौर पर संस्थागत पद्धतियों एवं उपकरण निर्धारित किये जाने चाहिए।
(iii)	नीति के प्रस्तावित मसौदे में उचित रूप से उल्लेख किया गया है कि जल का मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आर्थिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए। तथापि केवल आर्थिक सिद्धांतों से विभिन्न क्षेत्रों को जल के आवंटन के मुद्दे का समाधान नहीं किया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय, गरीबी एवं पर्यावरण के उद्देश्यों को भी घटक बनाया जाना चाहिए।
(iv)	किसी राज्य द्वारा एक विशेष नदी बेसिन से जल की मांग का निर्धारण नदी में इसके आवाह क्षेत्र के हिस्से के अनुपात में किया जाना चाहिए।
17.	**तमिलनाडु**
(i)	जल के संबंध में विधान के लिए प्राधिकरण के विघटन हेतु शक्ति राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय कानूनी ढांचा विकसित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

1	2
(ii)	इसलिए नीति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऊपरी तटवर्ती राज्य विशेष तौर पर सूखा प्रवण एवं जल की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में निचले तटवर्ती राज्यों द्वारा जल के उपयोग पर आपत्ति न जतायें और निचले तटवर्ती राज्यों को शुरू की गई परियोजनाओं के लिए अन्य उप बेसिन राज्यों की सहमति लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
(iii)	अन्तरराज्यीय नदी परियोजनाओं में वर्तमान समझौतों, अधिकरण के निर्णयों, पारस्परिक संविदाओं आदि को संरक्षित किया जाना चाहिए।
(iv)	नीति में जहां भी जल प्रयोग अवसंरचना कमजोर है वहां इसे सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।
(v)	राज्य, बांध स्वामी जिसके नियंत्रणाधीन बांध का परिचालन एवं अनुरक्षण किया जाता है, को बांध के निरीक्षण, बांध सुरक्षा की स्थिति के विनियमन के संबंध में सूचना रिपोर्टों अथवा सिफारिशों के विशलेषण और अन्य राज्यों में स्थित बांधों के संबंध में बांध सुरक्षा में सुधार लाने के लिए किए जाने वाले उपायों से संबंधित मामलों में अधिकार होना चाहिए।
(vi)	जल विद्युत परियोजनाओं सहित अन्तरराज्यीय प्रकृति की जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना केन्द्र सरकार की संस्थाओं द्वारा की जानी चाहिए।
(vii)	एक स्थायी जल विवाद अधिकरण की स्थापना अव्यवहारिक और प्रभावी होगी। इसके अतिरिक्त इन विवादों के मुद्दे एवं विषयवस्तु भिन्न-भिन्न होने के कारण विभिन्न नदी बेसिनों में उठने वाले विवादों को समझने की क्षमता में कमी सामने आयेगी।
18.	**उत्तराखंड**
(i)	उत्तराखंड के पास विकास स्कीमों के कार्यान्वयन पर इसके सीमित प्रीााव के बावजूद वनों की सुरक्षा कर रहा है और इसलिए उत्तराखंड जैसे राज्यों को हरित बोनस दिया जाना चाहिए।
(ii)	शहरी क्षेत्रों की 50% जल आवश्यकता वर्षा जल संचयन के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए।

1	2

(iii) राष्ट्रीय जल नीति में हिमालयी क्षेत्र में जी के संवर्द्धन एवं संरक्षण को उच्चतम प्राथमिकता दिया जाना राष्ट्र हित में होगा।

19. **ओडिशा**

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राज्यों को पर्याप्त शक्ति देकर वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे परियोजनाओं के निष्पादन में शीघ्रता लाई जा सके।

(ii) परियोजना शुरू करने से पहले भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन जैसे परियोजना पूर्व क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा वित्तपोषण किया जा सकता है।

20. **मेघालय**

(i) ब्रह्मपुत्र बोर्ड को एक क्षेत्रीय जल प्रबंधन प्राधिकरण से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसकी पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य की राजधानी में विकेन्द्रित प्रभावी उपस्थिति हो।

(ii) सतही जल को बनाये रखने की क्षमता में वृद्धि, गाद के प्रबंधन तथा भूजल पुनर्भरण के लक्ष्य के साथ आवाह क्षेत्र उपचार पर जोर देते हुए एकीकृत बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए और अधिक ध्यान दिए जाने की भी आवश्यकता है।

21. **गुजरात**

(i) राष्ट्रीय जल नीति में जल क्षेत्र में ऐसे नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिसमें जीवन की गुणवत्ता अथवा आर्थिक परिणाम से कोई समझौता न किए बिना लोगों की आवश्यकताओं के लिए कम खर्चीले समाधान खोजने पर जोर दिया जाता है।

(ii) एक अन्य मुद्दा जिस पर मैं इस निकाय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अलवणता को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

(iii) राष्ट्रीय जल नीति-2012 में जल के आवंटन हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जोकि राष्ट्रीय जल नीति-2002 में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी।

1	2

(iv) राष्ट्रीय जल नीति में जल ढांचा कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार आवश्यकता महसूस होने पर उचित दिशा-निर्देश दे सकती है।

(v) नीति में राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे (नदियों को आपस में जोड़ना) को लटकाने की बजाय किए जाने वाले वास्तविक उपयों को उल्लेख करना चाहिए और एक समयबद्ध कार्य योजना बनाई जानी चाहिए।

22. **हिमाचल प्रदेश**

(i) इस वक्त हमारे सामने गरीब लोगों को खाद्य एवं जल उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि नदियों एवं वनों को बड़े सीवर एवं कचरा फेंकने वाले स्थानों में परिवर्तित न कर दिया जाये। हमें शून्य अपव्यय स्तर को प्राप्त करने की आदत विकसित करने की आवश्यकता है जिससे हमारे बहुमूल्य जल भंडारण का संरक्षण किया जा सके, जिसके लिए व्यापक आयोजना की आवश्यकता है।

(ii) तदनुसार अधिकतम संभव जनसंख्या को शामिल करने के लिए छोटे स्रोतों के बजाय बड़े जल स्रोतों के आधार पर नई जल आपूर्ति स्कीमों का अभिकल्प तैयार करने/निष्पादन करने के लिए नई पद्धति अपनायी जा रही है।

23. **मणिपुर**

कोई टिप्पणी नहीं।

24. **छत्तीसगढ़**

(i) जल संबंधी कानून राज्य स्तर पर तैयार किए जाने चाहिए। राज्य विधायिका के तहत जल विनियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए।

(ii) किसी भी अन्तरराज्यीय परियोजना को पक्षकार राज्यों की सहमति के बिना अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाएं केवल राज्य के क्षेत्राधिकार में होनी चाहिए।

25. त्रिपुरा

(i) मसौदे के दस्तावेज में उल्लिखित कोई जल ढांचा कानून बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस संबंध

1	2
	में राज्यों के अधिकार कम न किये जायें। कोई अन्य अन्तरराज्यीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मुद्दे केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ परामर्श से समन्वित किए जा सकते हैं।
(ii)	मसौदे में जल अवसंरचना के निर्माण में सहयोग हेतु राष्ट्रीय निवेश करने के लिए प्राथमिकता का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिए प्रावधान बनाया जाये।
(iii)	एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों से सिंचाई हेतु जल का मूल्य नहीं लिया जाना चाहिए और ग्रामीण लोगों से भी पेयजल हेतु शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।
(iv)	गाद जमा होने से नदियां एवं जल निकाय सूख जाते हैं। नीति बनाने में उनके संरक्षण के लिए अवसादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

स्वच्छता के अंतर्गत एम.डी.जी.

4854. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश में स्वच्छता क्षेत्र में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एम.डी.जी.) के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने एम.डी.जी. हासिल नहीं किया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) 7, के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 7 सी के अनुसार, वर्ष 2015 तक स्वच्छ पेयजल एवं बुनियादी स्वच्छता की निरंतर सुविधा न प्राप्त करने वाले लोगो का अनुपात आधा हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2015 तक कम से कम 54.7% ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए।

'स्वच्छता एवं पेयजल 2012 अपडेट पर प्रगति' पर विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या 33% थी। जनगणना 2011 के अनुसार भी, 32.67% ग्रामीण परिवारों द्वारा शौचालयों के उपयोग किए जाने की सूचना मिली है।

राज्यों के द्वारा कोई एमडीजी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, किन्तु उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में प्रयास किए गए हैं तथा जनगणना 2011 के अनुसार उपलब्धि की स्थिति के साथ ही इन्हें विवरण में दर्शाया गया है। ऐसे राज्य जिनमें कि जनगणना 2011 द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों तथा स्वच्छता कवरेज के बीच अधिक संख्या में उत्तरोतर इकाइयों का अन्तर है, वे राज्य पीछे छूट रहे हैं।

(ग) भारत सरकार ने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) में आमूल-मूल परिवर्तन किया है जिसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में अब निर्मल भारत अभियान (एनबीए) कहा जाता हैं। एनबीए का उद्देश्य सम्पूर्ण समुदायों में एक चरणबद्ध स्वच्छता मोड में स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान के साथ सतत् व्यवहारगत परिवर्तन लाकर इन्हें "निर्मल ग्रामों" के रूप में बदलना है। एनबीए के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

सम्पूर्ण स्वच्छता परिणामों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण को प्रोत्साहन देने के बजाए एक ग्राम पंचायत में सम्पूर्ण समुदायों को शामिल करना।

सभी बीपीएल परिवारों सहित उन सभी एपीएल परिवारों को जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सुविधाहीन किसान हैं, अधिवासों वाले भूमिहीन मजदूर है, विक्लांग तथा महिला आश्रित परिवार हैं, उन सभी को कवर करने हेतु व्यैक्तिक एनबीए के अंतर्गत शैचालयों के निर्माण के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन को 3200/- रुपये की पूर्व राशि से बढ़ाकर 4600/- रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत 4500/- रुपये तक खर्च किया जा सकता है। 900/- रुपये के लाभार्थी अंशदान सहित शौचालय की कुल एकक लागत अब 10,000/- रुपये है।

आईईसी गतिविधियों के लिए जिला परियोजनाओं के लिए कुल परिव्यय में से निर्धारित किए गए 15 प्रतिशत से सूचना शिक्षण सम्प्रेषण (आईईसी) पर अधिक बल दिया जाना। आईईसी के लिए नया दृष्टिकोण अपनाने पर बल देने के उद्देश्य से मंत्रालय ने सम्प्रेषण एवं समर्थन कार्यनीति (2012-17) की शुरूआत की है।

ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के उद्देश्य से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

(एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना। स्वास्थ्य, विद्यालय शिक्षण, महिला एवं बाल विकास सहित संबंधित मंत्रालयों में ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित कर एनबीए के साथ तालमेल बैठाना।

इंदिरा आवास योजना

4855. श्री इज्यराज सिंह:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन लोगों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास सुविधा प्रदान की है या प्रदान करने का विचार है जिनके घर आग, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस तरह की दुर्घटनाओं के बाद कितने लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध करायी गयी है एवं इसके लिए कितनी राशि आवंटित तथा खर्च की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 5% आईएवाई निधियां राज्य-वार वार्षिक आबंटन (राज्य अंश सहित) के 10% की सीमा के अधीन प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए हैं। किसी भी राज्य के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की स्थिति में, आईएवाई के इस घटक के तहत प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त प्रत्येक जिलों को राज्य के वार्षिक आबंटन के 10% अंश की सीमा के अधीन सामान्य वार्षिक आबंटन के 50% सीमा के अनुसार निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आईएवाई के 5% सीमा के तहत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण स्वच्छता कवरेज (प्रतिशत परिवारों में) के संबंध में राज्य/संघ राज्य-वार एमडीजी लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2015 तक ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हेतु प्राप्त एमडीजी लक्ष्य	जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता कवरेज	जनगणना 2011 तक प्राप्त सूचना के अनुसार एमडीजी लक्ष्य तथा स्वच्छता कवरेज के मध्य अंतर ङ-(ग-च)
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	63.16	61.08	2.08
2.	आंध्र प्रदेश	53.31	34.88	18.43
3.	अरूणाचल प्रदेश	71.31	55.75	15.56
4.	असम	65.27	61.54	3.73
5.	बिहार	52.48	18.61	33.87
6.	चण्डीगढ़	51.53	94.31	.42.78
7.	छत्तीसगढ़**	51.82	14.85	36.97

1	2	3	4	5
8.	दादरा और नगर हवेली	55.30	29.28	26.01
9.	दमन और दीव	54.19	65.80	.11.61
10.	गोवा	64.99	72.60	.7.61
11.	गुजरात	55.58	34.24	21.34
12.	हरियाणा	53.27	57.71	.4.45
13.	हिमाचल प्रदेश	53.21	67.45	.14.24
14.	जम्मू और कश्मीर*	लागू नहीं	41.71	लागू नहीं
15.	झारखंड**	52.48	8.33	44.15
16.	कर्नाटक	53.42	31.89	21.54
17.	केरल	72.04	94.41	.22.37
18.	लक्षद्वीप	89.44	98.34	.8.90
19.	मध्य प्रदेश	51.82	13.58	38.24
20.	महाराष्ट्र	53.32	44.20	9.12
21.	मणिपुर	66.51	87.73	.21.22
22.	मेघालय	59.07	56.94	2.12
23.	मिजोरम	79.19	87.10	.7.91
24.	नागालैंड	63.43	77.69	.14.26
25.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली	64.80	86.50	.21.69
26.	ओडिशा	51.79	15.32	36.47
27.	पुदुचेरी	55.92	40.41	15.51
28.	पंजाब	57.90	71.89	.14.00
29.	राजस्थान	53.32	20.13	33.19
30.	सिक्कम	65.10	85.14	.20.04
31.	तमिलनाडु	53.59	26.73	26.86
32.	त्रिपुरा	81.21	84.59	.3.38
33.	उत्तर प्रदेश	53.22	22.87	30.35
34.	उत्तराखंड**	53.22	54.96	.1.74
35.	पश्चिम बंगाल	56.15	48.70	7.45
	भारत	**54.74**	**32.67**	**22.07**

*जम्मू और कश्मीर में सन् 1991 में कोई जनगणना नहीं हुई अत: कोई एमडीजी लक्ष्य उपलब्ध नहीं है

**तीन राज्यों यथा छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड को म.प्र., बिहार, तथा उत्तर प्रदेश से विभाजित किया गया अत: उनके लक्ष्य वहीं हैं जो कि वास्तविक राज्यों के एमडीजी के लक्ष्य हैं।

इंदिरा आवास योजना

4855. श्री इज्यराज सिंह:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन लोगों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास सुविधा प्रदान की है या प्रदान करने का विचार है जिनके घर आग, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस तरह की दुर्घटनाओं के बाद कितने लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध करायी गयी है एवं इसके लिए कितनी राशि आवंटित तथा खर्च की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) इंदिरा आवास यचोजना (आईएवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 5% आईएवाई निधियां राज्य-वार वार्षिक आबंटन (राज्य अंश सहित) के 10% की सीमा के अधीन प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए हैं। किसी भी राज्य के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की स्थिति में, आईएवाई के इस घटक के तहत प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त प्रत्येक जिलों को राज्य के वार्षिक आबंटन के 10% अंश की सीमा के अधीन सामान्य वार्षिक आबंटन के 50% सीमा के अनुसार निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आईएवाई के 5% सीमा के तहत जारी की गई निधियों का राज्य वार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1.	आंध्र प्रदेश		719.940		
2.	अरूणाचल प्रदेश		23.100		
3.	असम			1655.645	
4.	बिहार	3290.044			
5.	छत्तीसगढ़		685.379	195.964	
6.	हिमाचल प्रदेश	18.769			
7.	कर्नाटक		26.250		
8.	मध्य प्रदेश	45.113			
9.	मणिपुर		20.790		
10.	सिक्किम		126.000		
11.	तमिलनाडु	59.437			
	कुल	3413.363	1601.459	1851.609	0.00

*वर्तमान वर्ष में कोई भी निधियां जारी नहीं की गई हैं।

[अनुवाद]

रेणुका बांध परियोजना

4856. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी की सहायक नदियों पर रेणुका बांध परियोजना को मंजूरी दी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भी मंजूरी दी गयी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इससे दिल्ली को कितने मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति किए जाने का अनुमान है;

(घ) इस परियोजना से कितनी मेगावाट बिजली पैदा होने की संभावना है तथा हिमाचल प्रदेश को कितनी मेगावाट बिजली उपलब्ध करायी जाएगी; और

(ङ) भूमि अधिग्रहण के लिए कुल कितना मुआवजा दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) प्रदान की गई पर्यावरण अनापत्ति को "नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल" में चुनौती दी गई है तथा कार्यवाही चल रही है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन अनापत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

(ग) निर्माण के दौरान ब्याज, वृद्धि तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) को छोड़कर परियोजना की लागत सीडब्ल्यूसी/सीईए में 3498.86 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर मार्च, 2009) आंकी गई है। परियोजना की भंडारण क्षमता 0.498 बिलियन क्यूबिक मीटर है जिससे दिल्ली सहित ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों को लाभ होगा।

(घ) *परियोजना में 40 मेगावाट बिजली उत्पादन की परिकल्पना* की गई है।

(ङ) जैसाकि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीडीसीएल) द्वारा सूचित किया गया है, इस समय एचपीपीसीएल द्वारा अधिकांश मामलों में अवसंरचनाओं और पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति को छोड़कर 291.23 करोड़ रुपये की धनराशि के 57 पंचाट (अवार्ड) दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि लगभग 450 से 500 करोड़ रुपये होगी।

[हिन्दी]

निजी वितरण कंपनियों द्वारा प्रचालन पर एकाधिकार

4857. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में उपबंध होने के बावजूद किसी भी राज्य में विद्युत वितरण कंपनियों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है तथा इस संबंध में सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत वितरण कंपनियां केन्द्रीय/राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता से अपने लिए चयनित क्षेत्रों में प्रचालन का एकाधिकार रखती है जबकि विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार किसी क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए कम से कम तीन कंपनियां होनी चाहिएं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन विद्युत अधिनियम, 2003 के मूल नियमों में से एक है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के छठे परंतुक के अंतर्गत, उपयुक्त आयोग कुछ शर्तों के अधीन एक ही क्षेत्र में दो या अधिक व्यक्तियों को उनके अपने वितरण तंत्र के माध्यम से विद्युत के वितरण का लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

उपलब्ध सूचना के आधार पर, मुंबई, महाराष्ट्र में निम्नलिखित बहु-लाइसेंसी कार्य कर रहे हैं-

बृहन् मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (बेस्ट),

रिलायन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वितरण) (आर-इन्फ्रा-डी),

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (वितरण) (टीपीसी-डी) और

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. लि. (एमएसईडीसीएल)

(ग) वितरण एक लाइसेंसीकृत गतिविधि है और लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया का संचालन अधिनियम और उसके अंतर्गत

उपयुक्त आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। इस संबंध में अधिनियम के संबंधित प्रावधान विवरण में संलग्न है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विद्युत अधिनियम, 2003 के संगत उपबंध

भाग IV
अनुज्ञापन

12. कोई भी व्यक्ति-

(क) विद्युत का पारेषण; या

(ख) विद्युत का वितरण; या

(ग) विद्युत में व्यापार,

तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे धारा 14 अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाता है, या धारा 13 के अधीन छूट प्रदान नहीं कर दी जाती है।

13. समुचित आयोग, समुचित सरकार की सिफारिश पर, धारा 5 के अधीन विरचित राष्ट्रीय नीति के अनुसार और लोकहित में, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी शर्तो और निबंधनों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि या अवधियां के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 12 के उपबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी पंचायत संस्था, उपयोगकर्ता संगम, सहकारी सोसाइटी, गैर-सरकारी संगठन या विशेषाधिकार प्राप्त को लागू नहीं होंगे।

14. समुचित आयोग, धारा 15 के अधीन उसको किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए-

(क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत पारेषित करने के लिए; या

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरित करने के लिए; या

(ग) विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए,

अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा:

परन्तु नियत तारीख को या उसके पूर्व निरसित विधियों या अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन विद्युत के पारेषण या प्रदाय के कारोबार में लगे किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन ऐसी अवधि के लिए, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरसित विधियों या अधिनियम के अधीन उसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति, समाशोधन या अनुमोदन में अनुबंधित किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी है और ऐसी अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरसित विधियों या ऐसे अधिनियम, के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि या ऐसी पूर्वोत्तर अवधि के लिए, जो अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लागू होंगे और उसके पश्चात इस अधिनियम के उपबंध ऐसे कारोबार को लागू होंगे।

परन्तु यह और कि केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता को इस अधिनियम के अधीन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा:

परंतु यह भी कि यदि समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ या उसके पश्चात विद्युत का पारेषण करती है या विद्युत का वितरण करती है या विद्युत में व्यापार करती है तो ऐसी सरकार इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी मानी जाएगी, किन्तु उससे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

परन्तु यह भी कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित दामोदर घाटी निगम इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी माना जाएगा, किन्तु उसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा ओर दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के उपबंध, जहां तक कि ये इस अधिनियम के उपबंधों से भिन्न नहीं होते, उस निगम पर लागू होते रहेंगे।

परन्तु यह भी किसी सरकारी कंपनी या इस अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कंपनी और अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अनुसरण में सृजित कंपनी या कंपनियों को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि समुचित आयोग, एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को, इन शर्तो के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा कि एक ही क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक, इस अधिनियम के ओन ऐसी अन्य शर्तो या अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अतिरिक्त अपेक्षाओं को (जिनके अंतर्गत पूंजी की पर्याप्तता, उधारपात्रता या आचार-संहिता भी है) पूरा करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, और ऐसे किसी आवेदक को, जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने को लिए सभी शर्तो को पूरा करता है इस आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार नहीं किया जाएगा कि उसी प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र में कोई अनुज्ञप्तिधारी पहले से ही विद्यमान है:

परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रदाय क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विद्युत का वितरण अन्य व्यक्ति के माध्यम से करने की प्रस्थापना करता है वहां ऐसे व्यक्ति से संबंधित राज्य आयोग से कोई पृथक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उसके प्रदाय क्षेत्र में विद्युत के वितरण के लिए उत्तरदायी होगा:

परंतु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन और वितरण करने का आशय रखता है वहां ऐसे व्यक्ति से विद्युत के ऐसे उत्पादन और वितरण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं की जाएगी किन्तु वह ऐसे सभी उपाय करेगा जो धारा 53 के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत में व्यापार आरंभ करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी।

पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत आवेदन

4858. श्री मुरारी लाल सिंह: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) के अंतर्गत छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त एवं मंजूर आवेदनों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा लंबित आवेदनों को मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण वित्तपोषण की सीमा में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कामगारों की सहायता के लिए चलाया जा रहा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य/संघ शासित क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी केवीआईसी है तथा इसके तहत बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त तथा जिला स्तरीय कार्यबल समिति (डीटएफसी) द्वारा बैंकों को अग्रेषित आवेदनों की और जिन मामलों में भुगतान किया गया है, उनकी राज्य/संघ शामिल क्षेत्रवार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) लंबित तथा नये मामलों की मार्जिन मनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2012-13 में 1228.44 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

(ग) और (घ) पीएमईजीपी के तहत वित्त पोषण करने की समय-सीमा में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि 31 मार्च, 2013 तक पीएमईजीपी के तहत बैंकों द्वारा भुगतान के लिए स्वीकृत मामलों के संबंध में बैंकों को 31 मई, 2013 तक का समय दिया गया है।

विवरण

प्राप्त आवेदनों, जिला स्तरीय कार्यबल समिति द्वारा अनुसंशित आवेदनों तथा जिन मामलों में बैंकों द्वारा आवेदनों पर भुगतान कर दिया गया है, की राज्यवार संख्या

2011

(संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदन	डीटीएफसी द्वारा बैंकों को अनुसंशित आवेदन	बैंकों द्वारा भुगतान किए गए मामलों की संख्या (इसमें पिछले वर्ष भुगतान के लिए लंबित आवेदन शामिल हैं)
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	5642	1989	1920

1	2	3	4	5
2.	हिमाचल प्रदेश	3406	1458	961
3.	पंजाब	35.04	2084	823
4.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	101	52	30
5.	उत्तराखंड	2988	1753	974
6.	हरियाणा	3570	2054	915
7.	दिल्ली	2703	1242	149
8.	राजस्थान	13762	6194	2481
9.	उत्तर प्रदेश	26349	15981	4462
10.	बिहार	18161	12118	1428
11.	सिक्किम	243	210	78
12.	अरूणाचल प्रदेश	1728	521	232
13.	नागालैंड	9613	1047	242
14.	मणिपुर	1125	454	204
15.	मिजोरम	1416	865	380
16.	त्रिपुरा	2751	1895	733
17.	मेघालय	2440	979	305
18.	असम	27307	6328	4756
19.	पश्चिम बंगाल	64342	27541	5679
20.	झारखंड	4706	4600	1707
21.	ओडिशा	18043	6101	2581
22.	छत्तीसगढ़	7360	5722	1576
23.	मध्य प्रदेश	7377	5348	1180
24.	गुजरात*	10537	7364	1354
25.	महाराष्ट्र**	15813	13525	4848
26.	आंध्र प्रदेश	17904	9938	2743
27.	कर्नाटक	10840	5303	1871

1	2	3	4	5
28.	गोवा	162	115	133
29.	लक्षद्वीप	75	69	32
30.	केरल	5155	2276	1641
31.	तमिलनाडु	19812	9582	2247
32.	पुदुचेरी	510	390	216
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3335	272	183
	योग	309780	155370	49064

* दमन और दीव सहित,

** दादरा और नगर हवेली सहित

2011-12

(संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदन	डीटीएफसी द्वारा बैंकों को अनुसंशित आवेदन	बैंकों द्वारा भुगतान किए गए मामलों की संख्या (इसमें पिछले वर्ष भुगतान के लिए लंबित आवेदन शामिल हैं)
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	10544	1249	1920
2.	हिमाचल प्रदेश	2793	1390	809
3.	पंजाब	253	0	899
4.	सं.शा. क्षेत्र चंडीगढ़	81	57	38
5.	उत्तराखंड	1226	399	894
6.	हरियाणा	685	88	786
7.	दिल्ली	1619	950	195
8.	राजस्थान	9208	4733	2075
9.	उत्तर प्रदेश	2157	845	5569
10.	बिहार	12367	11577	4887

1	2	3	4	5
11.	सिक्किम	134	92	64
12.	अरूणाचल प्रदेश	2305	596	375
13.	नागालैंड	2037	497	556
14.	मणिपुर	14771	1203	564
15.	मिजोरम	1096	417	418
16.	त्रिपुरा	4917	2970	1812
17.	मेघालय	1954	711	712
18.	असम	30959	8163	5280
19.	पश्चिम बंगाल	0	0	5806
20.	झारखंड	7501	5389	2372
21.	ओडिशा	20526	7012	2259
22.	छत्तीसगढ़	7128	6013	1510
23.	मध्य प्रदेश	5276	4684	1943
24.	गुजरात*	5193	4325	1863
25.	महाराष्ट्र**	13795	9549	2705
26.	आंध्र प्रदेश	1849	13	1672
27.	कर्नाटक	110	0	1852
28.	गोवा	199	172	155
29.	लक्षद्वीप	0	0	12
30.	केरल	2666	960	1629
31.	तमिलनाडु	852		3228
32.	पुदुचेरी	134	125	72
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	187	175	204
	योग	164522	74554	55135

* दमन और दीव सहित,

** दादरा और नगर हवेली सहित

2012-13

(संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदन	डीटीएफसी द्वारा बैंकों को अनुसंशित आवेदन	बैंकों द्वारा भुगतान किए गए मामलों की संख्या (इसमें पिछले वर्ष भुगतान के लिए लंबित आवेदन शामिल हैं)
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1296
2.	हिमाचल प्रदेश	2540	900	855
3.	पंजाब	3633	961	649
4.	सं.शा. क्षेत्र चंडीगढ़	192	174	26
5.	उत्तराखंड	3216	2398	781
6.	हरियाणा	2845	1572	406
7.	दिल्ली	2502	822	135
8.	राजस्थान	8938	5207	1442
9.	उत्तर प्रदेश	8932	3654	3650
10.	बिहार	17477	10828	2356
11.	सिक्किम	120	67	42
12.	अरूणाचल प्रदेश	1394	580	193
13.	नागालैंड	1720	456	332
14.	मणिपुर	14771	800	518
15.	मिजोरम	1654	694	486
16.	त्रिपुरा	5499	3715	362
17.	मेघालय	2448	364	369
18.	असम	56289	8674	3493
19.	पश्चिम बंगाल	60599	15866	5463

1	2	3	4	5
20.	झारखंड	9084	6132	1466
21.	ओडिशा	17665	6381	2198
22.	छत्तीसगढ़	1075	1075	1606
23.	मध्य प्रदेश	6469	5525	2414
24.	गुजरात*	0	00	883
25.	महाराष्ट्र**	359	240	2936
26.	आंध्र प्रदेश	14562	3882	1344
27.	कर्नाटक	10621	2461	3638
28.	गोवा	188	152	46
29.	लक्षद्वीप	0	0	0
30.	केरल	5031	3642	1108
31.	तमिलनाडु	1076	573	1654
32.	पुदुचेरी	93	62	31
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	114	111	67
	योग	261106	87968	42245

* दमन और दीव सहित।

** दादरा और नगर हवेली सहित।

हिमाचल प्रदेश को रावी ब्यास जल

4859. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) को निदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की सिंचाई के लिए पानी पंजाब के रावी ब्यास के पानी में राज्य के हिस्से से आना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या बी.बी.एम.बी. ने उक्त निर्णय को क्रियान्वित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की सूचना के अनुसार भारत सरकार के दिनांक 17.05.1984 के पत्र द्वारा बीबीएमबी को सूचित किया गया है कि सिंचाई हेतु प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लिए पानी (वर्तमान तथा संभावित सिंचाई योग्य क्षेत्र) 04.08.1983 के पंजाब व हिमाचल प्रदेश के बीच समझौते के खंड-I के अनुसार, रावी-व्यास के जल में पंजाब के हिस्से से आना है।

(ख) और (ग) बीबीएमबी के अनुसार, रावी व्यास जल के पंजाब के भाग से हिमाचल प्रदेश के उपयोग के लिए 25 क्यूसेक (सीएस) की बुकिंग द्वारा उपर्युक्त निर्णय वर्ष 2009 तक कार्यान्वित किया गया था। उसके बाद, राजस्थान सरकार ने हिमाचल प्रदेश के वास्तविक (अर्थात वार्षिक औसत के अनुसार इस समय 102

सीएस) जल उपयोग की सामान्य पूल के स्थान पर रावी-व्यास जल के पंजाब अकाउंट से बुकिंग पर बल देते हुए मुद्दा उठाया। इस मामले का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।

[अनुवाद]

राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का दुरुपयोग

4860. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रियायती दरों पर आपूर्ति किए जाने वाले उर्वरकों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को देश में ऐसी घटनाओं के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अर्ह किसानों को उर्वरक पास बुक जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) कुछ क्षेत्रों से कथित कालाबाजारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकारों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत घोषित उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर निवारात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। कालाबाजारी कार्यकलाप एफसीओ का उल्लंघन है। उर्वरक विभाग ने दोषियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रवर्तन एजेंसियों को चुस्त-दुरूस्त बनाने की सलाह दी है/सचेत भी किया है।

(ङ) और (च) वर्तमान में, उर्वरक विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है/सचेत भी किया गया है।

रेलगाड़ियों का ठहराव

4861. श्री चार्ल्स डिएस: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे यात्रियों की बढ़ती भीड़ तथा रेल में सवार होने के लिए दूर स्थित स्टेशनों तक पहुंचने में यात्रियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर केरल के एर्नाकुलम के समीप त्रिपुनितुरा में और अधिक रेलगाड़ियों के ठहराव प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) इस समय त्रिपुनितुरा में अतिरिक्त गाडियों का ठहराव दने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, हाल ही में त्रिपुनितुरा में 02.10.2012 से गाड़ी सं. 16303/16304 एर्णाकुलम-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल वांचिनाड एक्सप्रेस को ठहराव दिया गया है।

कंपनियों के पास अदावाकृत धनराशि

4862. श्री पी. कुमार: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न कंपनियों के पास मौजूद असंदत्त एवं अदावाकृत राशि संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसी कंपनी या इनके निदेशक के विरुद्ध लंबित मामलों पर नजर रखने के लिए निवेशकों को आसान पहुंच उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (घ) जी, हां। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने ऐसी कंपनियां के पास पड़ी अप्रदत्त तथा अदावाकृत राशि के संबंध में कंपनियों द्वारा एमसीए 21 पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने का निर्णय किया है। किसी कंपनी या उसके निदेशकों के खिलाफ लंबित अभियोजन के ब्यौरे प्राप्त करने में निवेशकों को मदद करने के लिए प्रणाली में सर्च सुविधा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

एनटीपीसी संयंत्रों का बंद होना

4863. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने हाल में अपनी कुछ इकाइयों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) आज तक की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी ने अपनी किस भी यूनिट को स्थाई रूप से बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भूमि अधिग्रहण नीति

4864. श्री भीष्म शंकर *ऊर्फ* **कुशल तिवारी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूमि अधिग्रहण अधिनियम/नीति एवं संबंधित नियमों तथा इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के संबंध में किसानों, भू-स्वामियों एवं अन्य साझेदारों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई कार्यक्रम प्रारंभ करने का है ताकि उनके साथ-साथ जनहित की रक्षा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन किसानों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का है जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) और (ख) विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हितधारियों (स्टेकहोल्डरों) में जागरूकता पैदा करने के लिए समय-समय पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के विभिन्न कार्यकलाप चलाए जाते हैं। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबद्ध विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श तथा परामर्श करने के बाद भूमि अर्जन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 तैयार किया है। इस विधेयक को 7 सितम्बर, 2011 को लोक सभा में पुनःस्थापित किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी) 2007 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना लाभों में यह व्यवस्था है कि अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अधिग्रहण करने वाली परियोजना के मामले में, अर्जनकारी निकाय, प्रभावित परिवारों को प्रति-एकल (न्यूक्लियर) परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को परियोजना में रोजगार देने को तरजीह देगा जो रिक्तियों की उपलब्धता तथा रोजगार के लिए प्रभावित व्यक्ति की उपयुक्तता के अध्यधीन होगा। इसके अलावा, जहां कहीं जरूरी हो, अर्जनकारी निकाय, प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति उपयुक्त रोजगार पाने में समर्थ हो सकें।

निधियों का उपयोग

4865. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बजट में आबंटित धनराशि का वर्ष-वार कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है; और

(ख) बजटीय आवंटन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) विगत तीन वर्षों (अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13) के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग) द्वारा उपयोग में लाए गए बजट आबंटन का प्रतिशत क्रमशः 94.54%, 95.83% और 97.02% है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऑन लाइन आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के जरिए निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं प्रभाव की निगारानी की प्रणाली तैयार की है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को एक पांच-सूत्री कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है, जिसमें (i) योजनाओं के बारे में जानकारी देना (ii) पारदर्शिता (iii) जन-भागीदारी (iv) जवाबदेही, सामाजिक लेखा परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता एवं निगरानी शामिल है।

[अनुवाद]

मालभाड़ा दर

4866. श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा हाल ही में मालभाड़े में वृद्धि की गयी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी वस्तु-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितना अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है;

(ग) क्या मालभाड़े से संग्रहित राजस्व का उपयोग यात्रियों की यात्र में रियायत देने में किया जाता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने मालभाड़े पर ईंधान समायोजन आदान प्रारंभ किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या रेलवे का विचार इस तंत्र को यात्री भाड़े पर भी लागू करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो यात्री भाड़े संबंधी राजस्व हानि के अंतराल को पाटने के लिए रेलवे द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ङ) विशेषकर एचएसडी तेल के गैर-नियमन के संदर्भ में रेलवे वित्त को तर्कसंगत ढंग से पृथक करने के उद्देश्य से ईंधन की लागतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार भाड़ा दरों को समायोजित करने अर्थात् वर्ष में दो बार के लिए एक सक्रिय कीमत निर्धारण तंत्र लागू करने का विनिश्चय किया गया हैं बहरहाल, हाल ही में अर्थात् 22.01.2013 से लागू यात्री किरायों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से, शुरूआत में 1 अप्रैल, 2013 से माल-भाड़ा दरों के मामले में ही ईंधन समायोजन घटक (एफएसी)-संबद्ध संशोधन लागू किया गया है। इस यौक्तिकीकरण का समग्र प्रभाव समान रूप से माल-भाड़ा दरों में कुल मिलाकर 5.8% की वृद्धि के रूप में आकलित किया गया है।

01.04.2013 से लागू माल-भाड़ा दरों में समायोजन के परिणामस्वरूप रेलों को वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 4200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

यात्री सेवाओं के विभिन्न घटकों के साथ-साथ माल तथा यात्री सेवाओं के बीच क्रॉस सब्सिडाइजेशन रेलवे के सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए वित्त व्यवस्था हेतु परम्परागत कार्य प्रणाली है। बहरहाल, यह सुनिश्चित किया जाता है कि माल यातायात संचलन में वृद्धि की संभावना के साथ कोई समझौता न किया जाए।

(च) माल-भाड़ा संरचना को युक्तिसंगत बनाने संबंधी विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रकार की कवायद से फिलहाल यात्री किरायों के एफएसी-संबद्ध संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं बनाता है।

(छ) भारतीय रेलों द्वारा यात्री सेवाओं से राजस्व उपार्जित करने हेतु किए गए उपायों में नई गाडियां चलाना, अधिक लोकप्रिय गाडियों की संरचना में आवर्धन, विशेष गाडियां चलाना, कोटा उपयोगिता का नियमित विश्लेषण और उसकी समीक्षा आदि शामिल हैं।

रेल कर्मचारियों के लिए कोटा

4867. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने प्रत्येक रेलगाड़ी में भुगतान करके यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सीट उपलब्ध कराने के लिए शयनयान और वातानुकूलित दोनों श्रेणियों में रेलवे कर्मचारियों अथवा निःशुल्क पास के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकतम सीमा/कोटा निर्धारित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो भुगतान करके यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे किस प्रकार और अधिक सीट उपलब्ध कराने और निःशुल्क यात्रा करने वालों की संख्या सीमित करने की योजना बना रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस गाडियों में सभी श्रेणियों में और जन शताब्दी एक्सप्रेस गाडियों की वातानुकूलित श्रेणी में ड्यूटी पास कोटा, जिसके अंतर्गत कार्यरत/सेवानिवृत्त रेलकर्मी ड्यूटी/सुविधा/सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास पर बर्थे/सीटें बुक करा सकते हैं, के अंतर्गत सीमित संख्या में सीटें/बर्थे निर्धारित की गई हैं। इन गाडियों में ड्यूटी पास कोटा के अंतर्गत मानार्थ पास धारक यात्रियों की बुकिंग भी की जाती है। यह प्रतिबंध दूसरी मेल/एक्सप्रेस गाडियों पर लागू नहीं है।

अधिक जगह मुहैया कराने और बर्थों/सीटों की उपलब्धता बढ़ाने के मद्देनजर, विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें मौजूदा गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाना, गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करना और परिचालनिक व्यवहार्यता के अधीन नई गाड़ियां चलाना शामिल है।

इंडिया अपरचुनिटीज़ वेंचर फंड

4868. श्री नलिन कुमार कटील:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मधयम उद्यमों के लिए इंडिया अपरचुनिटीज वेंचर फंड की स्थापना की है या स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लाभार्थी एम.एस.एम.ई. की संख्या कितनी थी?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केन्द्रीय बजट 2012-13 में की गई घोषणा के अनुसार इंडिया अपरचुनिटीज वेंचर फंड (आईओवीएफ) 1 अगस्त, 2012 से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित किया जा रहा है। आईओवीएफ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को इक्विटी/जोखिम पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। आईओवीएफ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रत्यक्ष सहायता और निधियों की निधि प्रचालन के माध्यम से अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है।

(ग) 31, मार्च 2013 तक इस कोष से 120 सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यमों को 230.82 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष सहायता दी गई है जिसका राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आईओवीएफ के तहत दी गई सहायता का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा (31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपये में)

प्रत्यक्ष सहायता

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एमएसएमई की संख्या	स्वीकृति
1	2	3
चंडीगढ़	5	10.40
छत्तीसगढ़	1	2.00
गोवा	1	0.25
गुजरात	5	14.05
हरियाणा	27	40.57
कर्नाटक	5	8.63
मध्य प्रदेश	1	2.90
महाराष्ट्र	32	89.14
दिल्ली	4	4.00
पंजाब	6	9.35
राजस्थान	16	27.52
उत्तर प्रदेश	4	5.85
उत्तराखंड	1	2.00
तमिलनाडु	12	14.16
कुल	120	230.82
अप्रत्यक्ष सहायता- निधियों की निधिएं*		
कुल		174.00
कुल योग		404.82

*निधियों की निधि के तहत देश भर में निवेश किया गया वेंचर कैपिटल निधि

स्रोत: सिडबी

पौषक तत्व आधारित राजसहायता नीति का क्रियान्वयन

4869. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पौषक तत्व आधारित राजसहायता नीति का क्रियान्वयन कर रही है जिसमें मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की अनुमति दी गई है, जबकि सरकार द्वारा एक निश्चित राजसहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी हां। सरकार दिनांक 1.4.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता की एक नियत राशि का निर्णय लिया जाता है, जिसे उनके पोषक-तत्वों नामत: नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर तत्वों के आधार पर राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उपलब्ध कराया जाता है। पीएण्डके उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) उत्पादकों/आयातकों द्वारा मांग-आपूर्ति के उतार-चढ़ाव के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में एनबीएस योजना पीएण्डके उर्वरकों के 22 ग्रेडों पर लागू है।

लक्षद्वीप की मासिक प्रगति रिपोर्ट

4870. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन एम.पी.एल.ए.डी. के लिए समयबद्ध) तरीके से मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004 से 2013 तक विलम्बित मासिक प्रगति रिपोर्ट का वर्ष-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीलैड्स) के दिशानिर्देशों के पैरा 6.4 (viii) के अनुसार, नोडल जिला प्राधिकारी को भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संबंधित संसद सदस्य को उत्तरवर्ती महीने की 10 तारीख को या उससे पहले मासिक प्रगति रिपोर्टें (एमपीआर) प्रस्तुत करनी होती है। तथापि, मासिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करने में कभी-कभी विलम्ब हो जाता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट से संचयी वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति परिलक्षित होती हैं। अगले उत्तरवर्ती महीने के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट केवल तभ तैयार की जा सकती है जब पूर्व माह से संबंधित सूचना भी उपलब्ध हो। फिलहाल, लक्ष्यदीप ने फरवरी 2013 माह के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे उस महीने के अन्त तक निर्गत तथा व्यय की गई राशि की संचयी स्थिति का पता चलता है।

[हिन्दी]

बिहार में बाढ़

4871. श्रीमती रमा देवी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयासों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इन निधियों से पूरा किए गए कार्यों का तत्संबंधी कार्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) उत्तरी बिहार में कारगर बाढ़-प्रबंधन के लिए, भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ उनके सीमा क्षेत्र में एक बड़े जलाशय के निर्माण हेतु लगातार बातचीत कर रही है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को तकनीकी, सलाहकारी उत्प्रेरक और प्रोत्साहक सहायता देती है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए किए गए उपायों के अलावा, भारत सरकार बिहार सहित विभिन्न राज्यों को नदी प्रबंधन, कटावरोधन, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी विकास, बाढ़ रोधन, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्यों और समुद्र कटावरोधन संबंधी कार्य करने के लिए भी बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सहायता दे रही है।

(ख) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने बिहार सरकार को पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11 से 2012-13 के दौरान 360.45 करोड़ रुपये जारी किए थे जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निधि (करोड़ रुपये)	127.17	178.80	54.48	360.45

(ग) ग्यारहवीं योजना में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 43 निर्माण कार्य अनुमोदित किए गए थे जिनमें से 26 निर्माण कार्य पूरे हो गए थे जिनका ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

बिहार में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित और पूरे किए गए निर्माण कार्य

(लाख रुपये में)

स्कीम कोड संख्या	स्कीम/राज्य का नाम	अवस्थिति नदी/ वितरिका	जिला/ तालुका	अनुमानित लागत	केन्द्रीय हिस्सा (75%)	जारी निधि	पूरा होने की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
बीआर-1	कमला तटबंधों को ऊंचा और मजबूत करना	कमला	मधुबनी	5209.26	3906.95	3797.06	पूर्ण
बीआर-2	बागमती बाढ़ प्रबंधन स्कीम	बागमती	उत्तरी बिहार	13516.00	10137.00	9672.40	निर्माणाधीन
बीआर-3	सिमरिया गोरगामा तटबंध को ऊंचा और मजबूत करना	गेरुआ	भागलपुर	1236.10	927.08	786.79	पूर्ण
बीआर-4	आईबीजीई के 72-74 किलोमीटर पर बसाही दरा (बेगुसराय जिले में बूढ़ी गंडक नदी पर)	बूढ़ी गंडक	बेगुसराय	515.00	386.25	349.37	पूर्ण
बीआर-5	बगहा शहर में कटावरोधी स्कीम	गंडक	पूर्वी चम्पारण	628.02	471.02	471.02	पूर्ण
बीआर-6	बटरडेह गांव के समीप 119.58 किलोमीटर से 120.78 किमी. के बीच सारण तटबंध पर कटावरोधी स्कीम	गंडक	गोपालगंज	680.00	510.00	427.52	पूर्ण
बीआर-9	29.61 किमी. से 83.40 किमी तक तिरहुत तटबंध की शेष लम्बाई को ऊंचा और मजबूत करना	गंडक	मुजफ्फरपर/ बैशली	2627.65	1970.74	1652.54	निर्माणाधीन
बीआर-10	बागमती के बांए तट के साथ-साथ रामपुर खांट गांव के समीप (3.45 किमी. से 4.61 किमी तक) और सोनाखान में (5.55 किमी से 5.885 किमी तक) कटाव रोधी कार्य	बागमती	सीमामढ़ी	830.72	623.04	585.54	पूर्ण
बीआर-11	पिपरासी-पिपराघाट तटबंध पर 0.00 किमी से 35.00 किमी तक और जीएच हिस्से पर 0.00 किमी से 6.68 किमी. तक कटाव रोधी कार्य	गंडक	पश्चिमी चंपारण	920.97	690.73	640.47	पूर्ण
बीआर-12	चंपारण तटबंध के ऊपर 32.24 किमी से 132.40 किमी. तक ईंटे बिछाना	गंडक	पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण	1492.81	1119.61	1119.61	पूर्ण
बीआर-13	गंडक नदी के दाएं किनारे पर 35.20 किमी से 80.00 किमी तक सारण तटबंध पर ईंटों की सड़क का निर्माण	गंडक	छपरा	957.53	718.15	718.15	पूर्ण
बीआर-14	अखाड़ाघाट के प्रतिप्रवाह में 8 किमी से अखाड़ाघाट के अनुप्रवाह में 39.00 किमी तक बूढ़ी गंडक के दाएं तटबंध को ऊंचा और मजबूत करना	बूढ़ी गंडक	मुजफ्फरपुर	1200.00	900.00	798.86	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
बीआर-15	दरभंगा शहर सुरक्षा स्कीम (भाग-1)	दरभंगा बागमती	दरभंगा	933.40	700.05	680.07	पूर्ण
बीआर-16	दरभंगा शहर सुरक्षा स्कीम (भाग-2)	दरभंगा बागमती	दरभंगा	1416.09	1062.07	1026.66	निर्माणाधीन
बीआर-17	दरभंगा शहर सुरक्षा स्कीम (भाग-3)	दरभंगा बागमती एवं कमलानदी का स्पिल नहर	दरभंगा	1060.14	795.11	786.59	पूर्ण
बीआर-19	खगडिया शहर सुरक्षा स्कीम (भाग-2)	चन्हा	बेगुसराय खगडिया	1339.18	1004.39	821.71	निर्माणाधीन
बीआर-20	खगडिया शहर सुरक्षा स्कीम (भाग-3)	बागमती	बेगुसराय खगडिया	550.86	413.15	413.15	निर्माणाधीन
बीआर-21	बिहार में पिपरासी-पिपराघाट तटबंध और जीएच हिस्से को ऊंचा और मजबूत करना	गंडक	पश्चिमी चंपारण	1471.60	1103.70	713.57	पूर्ण
बीआर-22	दानापुर दिआरा में हेतमपुर एवं कासिमचक के समीप गंगा नदी के बाएं किनारे पर पुनरूद्धार कार्य सहित कटाव रोधी कार्य	गंगा	पटना	1230.47	922.85	911.33	पूर्ण
बीआर-24	बिहार के सरण जिले के दिघवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत मथुरापुर गांव के समीप गंगा नदी के बाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	गंगा	सारण	101.4	76.46	70.20	पूर्ण
बीआर-25	नीकनामटोला में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कटावरोधी कार्य	गंगा	भोजपुर	169.00	126.75	124.08	पूर्ण
बीआर-26	राधोपुर दिआरा में गंगा नदी के दाएं जलमार्ग के बाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	गंगा	वैशाली	665.68	499.26	464.20	पूर्ण
बीआर-27	गोआबारी में ललबकिया दाहिना उपान्तिक तटबंध को 9.06 आरडी से 13.50 आरडी तक ऊंचा और मजबूत करना	ललबकिया	पूर्वी चंपारण	175.30	131.48	94.99	पूर्ण
बीआर-28	गोरघाट गांव के समीप मनी नदी के दाहिने और बाएं किनारे पर कटावरोधी कार्य	मनी	मुंगेर	339.39	254.54	254.54	पूर्ण
बीआर-29	मनियारचक गांव के समीप गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कटावरोधी कार्य	गंगा	मुंगेर	352.00	264.00	258.65	पूर्ण
बीआर-30	बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत मोहली तौफीरदियारा गांव के समीप कटावरोधी कार्य	गंगा	मुंगेर	673.90	505.43	505.43	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
बीआर-31	बिहार में पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी तटबंधों को ऊंचा और मजबूत करना	कोसी	सुपौल	33939.00	25454.25	17486.00	निर्माणाधीन
बीआर-32	भुतही बलान नदी, मधुबनी जिला के किनारे के मौजूदा तटबंधों को ऊंचा और मजबूत करना तथा उनका विस्तार करना	भुतही बलान	मधुबनी	3714.00	2785.50	900.00	निर्माणाधीन
बीआर-33	वैशाली जिले में गंगा नदी के किनारे राधोपुर दिआरा में रुस्तमपुर, जाफराबाद, जहांगीरपुर और जाफराबाद-सुकुमारपुर में कटावरोधी कार्य	गंगा	वैशाली	1391.00	1043.00	985.87	पूर्ण
बीआर-34	मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के किनारे तिरहुत तटबंध पर 5 से 6 मील के बीच पहाड़पुर-मनोरथ, बंगारा-बरार, गईटोला गांव में कटावरोधी कार्य	गंडक	मुजफ्फरपुर	813.00	610.00	555.83	पूर्ण
बीआर-35	सिवान एवं छपरा (बिहार) जिलों में घाघरा नदी के बांए किनारे पर कटावरोधी कार्य	घाघरा	सिवान और छपरा	1059.00	794.00	559.70	पूर्ण
बीआर-36	बिहार में भोजपुर एवं बक्सर जिलों में गंगा के दाहिने किनारे पर बीकेजी तटबंध के केवटिया गांव के समीप 135-160 चै. (सेक्टर बी), मजहरिया गांव के समीप 143-460.38 चै. और नैनोजोर गांव के समीप 1491-1505.75 चै. (सेक्टर सी) के बीच कटावरोधी कार्य	गंगा	भोजपुर और बक्कसर	755.00	566.00	529.396	पूर्ण
बीआर-37	बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी के बाएं किनारे पर जरलाही-करहागोला स्कीम में सपर एवं रिटायर्ड लाइन तटबंध के विषय में कटावरोधी कार्य	गंगा	कटिहार	970.00	728.00	698.60	पूर्ण
बीआर-38	कटिहार जिले में महानंदा बाढ़ प्रबंधन स्कीम (भाग-1)	महनंदा	कटिहार	14968.80	11226.60	6880.06	निर्माणाधीन
बीआर-39	गंगा नदी के बांए किनारे (i) दानापुर दिआरा में कासिमचक गांव के समीप (ii) मोकामा पुल के अनुप्रवाह (iii) विक्रमशिला पुल के अनुप्रवाह (iv) पटना शहर और रामनगर दिआरा के समीप नगर सुरक्षा कार्य और (v) मथुरापुर अमी गांव के समीप कटाव रोधी कार्य	गंगा	पटना	6354.42	4765.82	0.00	निर्माणाधीन
बीआर-41	दरभंगा और मधुबनी जिलों में कमला बलान नदी के बाएं और दाएं किनारे पर 11.42 किमी और 5.00 किमी लम्बे क्षेत्र में तटबंध का विस्तार और बांयी ओर ऊपरी क्षेत्रों पर खडंजे की सड़क का निर्माण और कमला बलान के दाहिने किनारे	कमला	दरभंगा एवं मधुबनी	5611.54	4208.66	300.00	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
	के बढ़ाए गए हिस्से पर दो स्थानों पर सुरक्षा कार्य						
बीआर-42	समस्तीपुर जिले में आनुषंगिक कार्यों सहित नून नदी के बाएं और दाएं तटबंध को ऊंचा और मजबूत करना	नून	समस्तीपुर	2671.00	2003.25	1436.51	निर्माणाधीन
बीआर-43	बिहार राज्य में महानंदा नदी के गोविंदपुर दाहिने तटबंध के समीप लावाचौकिया पहाड़पुर के केएम (चै. 668) पर दरार को बंद करने सहित कटावरोधी कार्य और महानंदा नदी के बाएं तटबंध पर 0.00 किमी. से 2.58 किमी (चै. 84.50) पर आजमनगर रिंग बंध को ऊंचा और मजबूत करना	महानंदा	कटिहार	1117.42	838.07	580.07	निर्माणाधीन
बीआर-44	बिहार के छपरा और वैशाली जिले में गंडक नदी के किनारे सल्हापुर तंटासपुर चर्की एवं मगरपाल चर्की में कटावरोधी कार्य	गंडक	गोपालगंज, छपरा और वैशाली	1423.79	1067.84	0.00	निर्माणाधीन
बीआर-45	पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं किनारे पर चंपारण तटबंध के कोयरपट्टी गांव के समीप 27 से 32 मील के बीच कटावरोधी कार्य	गंडक	पश्चिमी चंपारण जिला	1980.00	1485.00	743.00	निर्माणाधीन
बीआर-46	गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर सारण तटबंध की दरार को बंद करना कटावरोधी कार्य और पतहारा चर्की तटबंध को ऊंचा और मजबूत करना	गंडक	छपरा	5714.00	4285.00	2143.00	निर्माणाधीन
बीआर-47	चंपारण जिले में गंडक नदी के दाहिने किनारे पर पिपरा-पिपरासी तटबंध का बाढ़ सुरक्षा कार्य	गंडक	पश्चिमी चंपारण जिला	2173.00	1629.00	815.00	निर्माणाधीन
बीआर-48	सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर जिलों में बागमती बाढ़ प्रबंधन स्कीम चरण-2	बागमती	उत्तरी	12094.00	9070.00	4535.00	निर्माणाधीन
		कुल		137041.98	102779.74	68079.59	

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव

4872. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कलवाकुर्थी के रास्ते हैदराबाद-श्रीसेलम परियोजना सहित विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हैदराबाद-श्रीसेलम (170 किमी.) के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए पहले ही सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के प्रस्ताव

4873. श्री प्रेमचन्द गुड्डूः
श्री देवराज सिंह पटेलः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए कितने तालाबों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से जल संरक्षण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा अब तक उन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 143 खेत तालाब बनाए गए हैं और जल संरक्षण संरचना के एक हिस्से के रूप में 120693 चैकबांधों का निर्माण किया गया है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में कुल 78 जल निकायों के लिए बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु तालाबों/टैंकों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन जल निकायों का कार्य शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अब तक 9.95 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

मध्य प्रदेश में कुल 371 जल निकायों के लिए घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार की स्कीम के तहत वित्तपोषण के प्रस्ताव वर्ष 2011-12 में प्राप्त हुए थे। सरकार ने निर्णय लिया है कि आरआरआर के अंतर्गत निधि जारी करने हेतु जल निकायों के नए प्रस्तावों पर तभी कार्रवाई की जाएगी जब आरआरआर की स्कीम को XIIवीं योजना के दौरान जारी रखने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिल जाएगा।

[अनुवाद]

डी.आर.आई. आवास ऋण

4874. श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के लाभार्थियों की तरह राज्य सरकार बी.पी.एल. आवास योजनाओं के लाभार्थियों को अलग-अलग दर की ब्याज (डी.आर.आई.) पर आवास ऋण उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एस.सी./एस.टी. परिवारों के अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आवास निर्माण सहायता योजना के बी.पी.एल. लाभार्थियों को डी.आर.आई. योजना का लाभ प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रति इंदिरा आवास योजना के लिए डी.आर.आई. ऋण की सीमा बीस हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द्र कटारिया): (क) और (ख) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) स्कीम के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण राज्य सरकार की आवास स्कीमों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (च) वर्तमान में डीआरआई स्कीम का विस्तार करके उसमें राज्य सरकारों की आवास सहायता स्कीमों के बीपीएल लाभार्थियों को शामिल करने और आईएवाई मकानों के लिए अनुमय ऋण राशि में वृद्धि करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान से प्राप्त प्रस्ताव

4875. श्री राम सिंह कस्वांः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार से केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितनी योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है और अभी तक कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक अनुमोदन प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान, केन्द्रीय जल आयोग में नवम्बर, 2012 में कालीसिंध बांध बहुउद्देशीय परियोजना की एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसकी जांच केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञ निदेशालयों द्वारा की गई और जल संसाधन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त फार्मेट में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा करने के अनुरोध के साथ टिप्पणियां/प्रेक्षण परियोजना प्राधिकारियों को भेजे गए है। तथापि, राजस्थान सरकार से केन्द्रीय जल आयोग और सीजीडब्ल्यूबी में कोई अन्य प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जेनेरिक दवाइयों की बिक्री पर निगरानी

4876. श्री अमरनाथ प्रधान: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जेनेरिक दवाइयों की बिक्री को बढ़ाने तथा अत्यधिक मूल्य पर की जाने वाली इसकी बिक्री को रोकने के लिए केमिस्टों को आकर्षित करने के लिए जेनेरिक दवाइयों की रियायती मूल्य पर की जाने वाली बिक्री पर निगरानी रखने के लिए एक एजेंसी स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवाइयों की आपूर्ति किस प्रकार करने की योजना बनाई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सरकार का इरादा ज्यादा से ज्यादा जनऔषधि बिक्री केन्द्र खोलकर उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवाइयों को उपलब्ध कराना है।

एग्जिट पोल

4877. श्री सोमेन मित्रा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमावली बनाने, कोई कानून लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क, अन्य बातों के साथ उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के दौरान जो इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित की जाए, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम को किसी प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं कराएगा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कोई भी हो प्रसारित नहीं करेगा। इस उपबंध का उल्लंघन किया जाना, ऐसे कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता को उजागर करने के लिए अभियान

4878. श्री आधि शंकर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के अनेक भागों में भारतीय दवाइयों के विरुद्ध चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण अभियानों को ध्यान में रखते हुए घरेलू दवाई उद्योग के साथ मिलकर भेषज विभाग ने देश में बनी जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता को उजागर करने के लिए कोई वैश्विक अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेषज निर्यात संवर्धान परिषद ने पूरे विश्व में इन अभियानों को आयोजित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) औषध विभाग ने देश में उत्पादित जेनरिक औषधियों की गुणवत्ता को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए कोई विश्वव्यापी अभियान शुरू नहीं किया है। तथापि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय मंचों यथा संयुक्त कार्य समूह अंतर्सरकार आयोगों इत्यादि पर औषध विभाग देश में उत्पादित जेनरिक औषधियों की गुणवत्ता को चिह्नांकित करता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठते हैं।

राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षक

4879. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षक (एनएलएम) देश में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजनाओं के अनुवीक्षण के लिए राज्य-वार कितने निरीक्षण और दौरे किए गए;

(ग) राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षकों द्वारा प्रत्येक योजना में योजना-वार और राज्य-वार पाई गई अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता देश के विभिन्न जिलों में ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में तीसरे पक्ष के स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। उनके कार्यों में कार्यक्रमों की नियमित निगरानी, विशिष्ट कार्यक्रमों की विशेष निगरानी और जब भी दायित्व सौंपा जाए, तब शिकायतों की जांच शामिल है। राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं को कार्य-स्थलों तथा लाभार्थियों, सृजित परिसंपत्तियों आदि का दौरा करना होता है और सार्वजनिक स्टेकहोल्डरों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ चर्चा करके मंत्रालय को रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं द्वारा किए गए निरीक्षणों और दौरों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं की रिपोर्टें स्कीमों के दिशा-निर्देशों में निहित प्रावधानों से इतर कार्य-स्थल के दौरों और चर्चाओं से संबंधित होती हैं। राज्य सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड उन्हें प्राप्त नहीं होता है। अत: इस चरण पर राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं की अभ्युक्तियां निर्णयात्मक नहीं हैं।

राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की मंत्रालय में जांच की जाती है और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित भी किया जाता है। कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं जिनमें राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता अपने निष्कर्ष मंत्रालय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं और राज्य सरकारों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी जाती है।

विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान एनएलएम द्वारा राज्यवार किए गए दौरों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2012-13 के दौरान एनएलएम द्वारा दौरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	अरूणाचल प्रदेश	15
3.	असम	27
4.	बिहार	40
5.	छत्तीसगढ़	19
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	26
8.	हरियाणा	21
9.	हिमाचल प्रदेश	8
10.	जम्मू और कश्मीर	24
11.	झारखंड	25
12.	कर्नाटक	30
13.	केरल	13
14.	मध्य प्रदेश	58
15.	महाराष्ट्र	31
16.	मणिपुर	10
17.	मेघालय	7
18.	मिजोरम	8
19.	नागालैंड	11
20.	ओडिशा	31

1	2	3
21.	पंजाब	20
22.	राजस्थान	33
23.	सिक्किम	4
24.	तमिलनाडु	30
25.	त्रिपुरा	4
26.	उत्तर प्रदेश	66
27.	उत्तराखंड	13
28.	पश्चिम बंगाल	19
	कुल	617

[हिन्दी]

सचल न्यायालय

4880. श्री यशवंत लागुरी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ओडिशा के पिछड़े क्षेत्रों में सचल न्यायालय खोलने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे न्यायालय स्थित हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) संविधान के उपबंधों के अधीन, राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार पर है। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओडिशा के पिछले क्षेत्रों में किन्हीं अनन्य चल न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है। तथापि राज्य सरकार ने आठ ग्राम न्यायालयों की स्थापना की है जो ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 9 (1) के निबंनानुसार उनकी अधिकारिता के भीतर दूरस्थ क्षेत्रों में चल न्यायालयों का आयोजन कर रहे हैं। ये ग्राम न्यायालय, आठ स्थानों पर अवस्थित हैं; अर्थात् पुरी, लखनपुर, राजनगर, जूनागढ़, संखेमुंदी, सिमिलागुडा, घासीपुरा और कोलनारा।

घरेलू उपयोग के लिए जल

4881. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्याप्त मात्र में जल उपलब्ध होने के बावजूद घरेलू उपयोग के लिए जल की उपलब्धता बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर (बीसीएस) आंकी गई है। तथापि, स्थलाकृति, जल वैज्ञानिक तथा अन्य बाधाओं को ध्यान में रखकर उपयोग योग्य जल संसाधन लगभग 1121 बीसीएम अनुमानित किए गए हैं, जिसमें 690 बीसीएम सतही जल तथा 431 बीसीएस पुनर्भरणीय भूजल है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) ने अपनी रिपोर्ट (1999) में घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता वर्ष 2025 तथा 2050 के लिए क्रमश: 62 बीसीएम तथा 111 बीसीएम आंकी है। अत: घरेलू उपयोग के लिए जल की उपलब्धता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) जल संसाधनों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संवर्धन, संरक्षण तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए अनेक कदम उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों के समर्थन के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों को अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा जल संसाधनों के स्थायी विकास तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों सरकारें विभिन्न उपयोगों के लिए उनकी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के आधार पर जल आबंटित करती हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल प्रदान करने के राज्यों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए उन्हें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (नआरडीडल्यूपी) का राज्यों के माध्यम से संचालन करता है। राज्य सरकारों के पास एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पेय जल आपूर्ति स्कीम की योजना बनाने, निष्पादित करने तथा कार्यान्वित करने का अधिकार है।

शहरी विकास मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, संसाधनों के नॉन लैप्सेबेल केन्द्रीय पूल तथा उपनगरों में शहरी अवसंरचना

विकास योजना जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों को शहरी क्षेत्रों/महानगरों में जलापूर्ति प्रदान करने के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं का विलय

4882. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी ग्रामीण विकास योजनाओं को वर्तमान स्थिति के अनुरूप पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों वाली एक व्यापक योजना में विलय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत संयंत्रों का कार्यकरण

4883. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सासन और कुडानकुलम विद्युत संयंत्र चालू हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे उत्पन्न होने वाली विद्युत की अनुमानित मात्रा कितनी है और इन परियोजनाओं से किन-किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और उपर्युक्त परियोजनाओं के कब तक चालू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सासन यूएमपीपी (6x660 मेवा.) ने अभी कार्य करना आरंभ नहीं किया है और निर्माण के अग्रिम चरण में है। इसकी पहली यूनिट को दिनांक 09.03.2013 को सिंक्रोनाइज्ड किया गया है। विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार, पहली यूनिट मई, 2013 में और बाद की यूनिटें तत्पश्चात् प्रत्येक 7 माह में शुरू की जानी निर्धारित है। सासन यूएमपीपी से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान ओर हरियाणा हैं।

कुडानकुलम परमाणु विद्युत परियोजना (2x1000 मेवा.) से अभी तक विद्युत उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र से लाभान्वित होने वाले राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी हैं। दोनों यूनिटों के इस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है।

उर्वरक इकाइयों को बाजार लाभ का भुगतान

4884. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के प्राकृतिक गैस के विपणनकर्ताओं द्वारा अधिरोपित किए गए बाजार के लाभ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई की गई है क्योंकि वर्तमान में सरकार इस बाजार लाभ का उर्वरक इकाइयों को भुगतान नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस बाजार लाभ को उर्वरक इकाइयों को कब तक संवितरित करने जा रही है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) विपणन मार्जिन का मुद्दा, विपणन मार्जिन की दरें अधिसूचित करने हेतु, अब भी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विचाराधीन है।

एम.एस.एम.ई. का विकास

4885. श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र में की गई प्रगति और नवीनतम विकासों की निगरानी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्पादन वृद्धि दर, नई इकाइयों की स्थापना और सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नई इकाइयों के गठन, उत्पादन, रोजगार सृजन के परिप्रेक्ष्य में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में विकास के मार्ग में आ रहे व्यवधनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए उच्चतर विकास दर प्राप्त करने हेतु आवंटित धनराशि तथा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सरकार, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का समय-समय पर तृतीय पक्ष मूल्यांकन करा और अखिल भारतीय गणना संचालित करने के अलावा नियमित अंत: मंत्रालयी तथा अंतरा-मंत्रालयी बैठकों और अन्य हितधारकों जैसे कि राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानां, उद्योग संघों, वैयक्तिक उद्यमियों आदि के साथ बैठक के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाईयों सहित क्षेत्र की प्रगति की निगरानी करती है। लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना (आधार संदर्भ वर्ष 2001-02 के लिए संचालित) की तुलना में नवीनत गणना (आधार संदर्भ वर्ष 2006-07 में संचालित चौथी गणना), जिसमें वर्ष 2009 तक आंकड़ें संग्रहित किए गए थे और परिणाम 2011-12 में प्रकाशित किए गए थे के नुसार सकल उत्पादन और रोजगार की वृद्धि दर संलग्न विवरण-2 और विवरण-II में दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उद्योग आयुक्तालयों/निदेशालयों के जिला उद्योग केन्द्रों पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत फाईल किए गए उद्यमी ज्ञापन पार्ट-ⅱ (ईएम-II, प्रचालन का आरंभ दर्शाते हुए) की संख्या के अनुसार वर्ष्ज 2008-09 से 2011-12 के दौरान स्थापित र्न इकाइयों की वृद्धि दर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण-III में संलग्न है।

(ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं:–

(i) बैंकिंग के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण-प्रदान करने पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण आवेदनों के निपटान के लिए समय सीमा, समपार्श्विकता संबंधी अपेक्षाएं छोड़ने के लिए ऋण-सीमा और एमएसई लैंडिंग के भीतर सूक्ष्म उद्यमों के लिए उप-लक्ष्य दिए गए हैं।

(ii) विपणन समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति, 2012 की शुरूआत की है।

क. विक्रेता विकास कार्यक्रम

ख. विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन

ग. विपणन विकास सहायता

(iii) गुणवतत्ता बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्रालय क्यूएमएस/क्यूटीटी के माध्यम से एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनने में समक्ष बनाने की योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से नवीनतम गुणवत्तापूर्ण प्रबंध मानको (क्यूएमएस) और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी साधनों (क्यूटीटी) को अपनाने के लिए समर्थन प्रदान करने के अलावा आईएसओ 9001/14001 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 75000 रुपये के अध्यधीन लागत के 75% तक प्रभारों की एक बारगी प्रतिपूर्ति करता है।

(घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन के लिए विकास की उच्चतर दर प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य हेतु आबंटन आंध्र प्रदेश सहित राष्ट्र स्तर पर किया जाता है। गत दो वर्षों के दौरान मंत्रालय का आबंटन और व्यय संबंधी विवरण निम्नोक्त दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आबंटन (ब.अ.)	व्यय
2011-12	2700	2019.58
2012-13	2835	2235.56 (अ)*

*(अ): अनंतिम

विवरण I

2001-02 से 2006-07 के लिए एमएसएमई सेक्अर में सकल उत्पादन का राज्यवार वार्षिक वृद्धि दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सकल उत्पादन (करोड)		
		एसएसआई (2001-02)	एमएसएमई*(2006-07)	वृद्धि दर (%)
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	2575.52	16035.39	44.16

1	2	3	4	5
2.	हिमाचल प्रदेश	2410.73	17247.20	48.22
3.	पंजाब	26017.69	81625.05	25.69
4.	चंडीगढ़	1300.68	1888.55	7.74
5.	उत्तराखंड	1969.13	16187.64	52.40
6.	हरियाणा	19964.64	53198.68	21.65
7.	दिल्ली	15277.29	29672.34	14.20
8.	राजस्थान	13672.51	50004.43	29.61
9.	उत्तर प्रदेश	27424.30	111089.69	32.28
10.	बिहार	3698.27	16709.30	35.20
11.	सिक्किम	28.23	189.76	46.39
12.	अरूणाचल प्रदेश	56.45	1101.73	81.17
13.	नागालैंड	370.28	2845.03	50.35
14.	मणिपुर	480.90	1094.70	17.88
15.	मिजोरम	132.09	677.21	38.67
16.	त्रिपुरा	304.83	1177.84	31.04
17.	मेघालय	322.87	1150.80	28.94
18.	असम	3315.67	13403.27	32.23
19.	पश्चिम बंगाल	17678.77	78880.05	34.87
20.	झारखंड	1274.69	10040.29	51.10
21.	ओडिशा	5266.97	29075.42	40.73
22.	छत्तीसगढ़	2715.41	8437.34	25.45
23.	मध्य प्रदेश	9702.34	34388.44	28.80
24.	गुजरात	13286.23	55306.91	33.01
25.	दमन और दीव	6435.02	7735.73	3.75
26.	दादरा और नगर हवेली	4207.37	2177.43	.12.34
27.	महाराष्ट्र	41014.51	126864.55	25.34

1	2	3	4	5
28.	आंध्र प्रदेश	18261.62	58404.82	26.18
29.	कर्नाटक	12320.54	56317.61	35.52
30.	गोवा	2017.79	8147.46	32.20
31.	लक्षद्वीप	28.23	20.01	.6.65
32.	केरल	8151.05	74821.73	55.80
33.	तमिलनाडु	18256.77	105270.21	41.96
34.	पुदुचेरी	2238.04	5771.99	20.86
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	92.58	254.24	22.39
	अखिल भारतीय	282269.98	1077212.86	30.72

*थोक/खुदरा व्यापार, कानूनी, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं, होटल ओर रेस्तरां, परिवहन और भंडारण और वेयरहाउसिंग (कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर) के तहत गतिविधियों के अतिरिक्त

विवरण II

2001-02 से 2006-07 के लिए एमएसएमई सेक्अर में सकल उत्पादन का राज्यवार वार्षिक वृद्धि दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सकल उत्पादन (करोड)		
		एसएसआई (2001-02)	एमएसएमई*(2006-07)	वृद्धि दर (%)
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	1.52	5.75	30.49
2.	हिमाचल प्रदेश	1.30	4.68	29.30
3.	पंजाब	9.08	26.79	24.17
4.	चंडीगढ़	0.48	1.23	20.71
5.	उत्तराखंड	1.95	6.96	29.03
6.	हरियाणा	5.53	18.84	27.81
7.	दिल्ली	6.27	19.81	25.88
8.	राजस्थान	8.68	30.79	28.82
9.	उत्तर प्रदेश	40.02	92.36	18.21
10.	बिहार	10.83	28.26	21.15
11.	सिक्किम	0.03	0.79	90.89

1	2	3	4	5
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.03	1.19	107.21
13.	नागालैंड	0.57	1.71	24.36
14	मणिपुर	1.36	2.36	11.63
15	मिजोरम	0.24	0.81	27.26
16	त्रिपुरा	0.57	1.75	25.24
17	मेघालय	0.65	1.92	24.28
18	असम	4.29	14.25	27.14
19	पश्चिम बंगाल	21.69	85.78	31.65
20	झारखंड	2.75	12.91	36.21
21	ओडिशा	9.25	33.24	29.15
22	छत्तीसगढ़	5.32	9.52	12.34
23	मध्य प्रदेश	13.44	33.66	20.16
24	गुजरात	12.68	47.73	30.36
25	दमन और दीव	0.29	0.37	5.22
26	दादरा और नगर हवेली	0.13	0.41	25.80
27	महाराष्ट्र	20.51	70.04	27.84
28	आंध्र प्रदेश	21.40	70.69	26.99
29	कर्नाटक	16.39	46.72	23.31
30	गोवा	0.30	1.88	44.49
31	लक्षद्वीप	0.04	0.06	11.15
32	केरल	11.15	49.62	34.80
33	तमिलनाडु	20.18	80.98	32.04
34	पुदुचेरी	0.35	1.01	23.84
35	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.08	0.38	36.26
	अखिल भारतीय	**249.33**	**805.24**	**26.42**

विवरण III

उद्यमी ज्ञापन (भाग-2) की संख्या की राज्यवार वार्षिक वृद्धि दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2008-09 से 2009-10	2009-10 से 2010-11	2010-11 से 2011-12
1	2	3	4	5
1	जम्मू और कश्मीर	22.76	-23.32	28.01
2	हिमाचल प्रदेश	13.84	-10.54	-9.13
3	पंजाब	72.09	36.50	3.31
4	चंडीगढ़	58.39	-31.76	48.85
5	उत्तराखंड	39.00	5.45	7.50
6	हरियाणा	-15.99	6.63	-7.31
7	दिल्ली	135.71	20.61	73.37
8	राजस्थान	0.14	1.87	-1.52
9	उत्तर प्रदेश	5.85	-1.35	-2.19*
10	बिहार	27.95	7.28	-4.51
11	सिक्किम	-74.65	122.22	.25.00
12	अरुणाचल प्रदेश	3.74	-54.95	-28.00
13	नागालैंड	-42.15	-90.24	-
14	मणिपुर	-41.73	50.62	-1.64
15	मिजोरम	4.60	-60.40	-33.84
16	त्रिपुरा	-7.63	0.00	-5.96
17	मेघालय	161.96	-28.08	-23.40
18	असम	-1.93	-10.25	-19.12
19	पश्चिम बंगाल	-12.98	-13.49	33.25
20	झारखंड	-36.35	3.14	36.09
21	ओडिशा	10.71	-5.75	30.05
22	छत्तीसगढ़	-15.65	10.74	44.36
23	मध्य प्रदेश	39.24	-0.22	2.03

1	2	3	4	5
24	गुजरात	11.90	39.75	85.34
25	दमन और दीव	-56.68	17.76	-34.13
26	दादरा और नगर हवेली	-27.27	-28.85	43.24
27	महाराष्ट्र	-2.07	21.86	7.66
28	आंध्र प्रदेश	93.48	0.66	0.61
29	कर्नाटक	9.49	7.21	14.03
30	गोवा	47.37	-21.43	10.23
31	लक्षद्वीप	64.29	4.35	-66.67
32	केरल	-24.61	-15.14	-1.71
33	तमिलनाडु	30.42	38.52	22.00
34	पुदुचेरी	-6.54	-7.00	-35.48
35	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13.33	13.24	6.49
	अखिल भारतीय*	10.60	10.83	18.40

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयुक्तालय/उद्योग निदेशालय; (एनए): उपलब्ध नहीं (*):- 19.02.2013 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार संशोधित आंकड़ें।

[हिन्दी]

रेलवे क्वार्टर/कॉलोनी

4886. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में सागर और बीना में रेलवे स्टॉफ कॉलोनी/क्वार्टरों की स्थिति दयनीय है और वहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे द्वारा इन स्थानों पर क्वार्टरों के अनुरक्षण तथा मरम्मत तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) इन कार्यों को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) क्वार्टरों का अनुरक्षण और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है और आवश्यकता तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार यह कवायद की जाती है।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों का निर्यात

4887. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि और ग्रामोद्योग के निर्यात किये गये उत्पादों की मात्र तथा मूल्य का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन उत्पादों के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं/उठा रही है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) कृषि एवं ग्राणीय उद्योग जिसमें खादी, ग्रामोद्योग एवं केयर शामिल हैं, के निर्यात मूल्य संबंधी आंकड़े /पये में रखे जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादों के निर्यात का मूल्य निम्नलिखित है:

वर्ष	निर्यात का मूल्य (करोड़ रुपये में)
2009-10	886.88
2010-11	923.91
2011-12	1136.49
2012-13 (अनंतिम)	1189.18

खादी ओर ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एवं कयर बोर्ड द्वारा राज्यवार आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

समीक्षा समिति का गठन

4888. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक नीति में समाहित किए जाने वाले नए घटकों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कोई समीक्षा समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई नीति तैयार करने और घोषित करने की संभावित समय-सीमा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक नीति में शामिल किए जाने वाले नए घटकों के सभी पहलुओं पर जांच करने के लिए किसी समीक्षा समिति का गठन नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एनटीपीसी द्वारा भूमि का अधिग्रहण

4889. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा सिपट और उसके आसपास के क्षेत्रों में अधिगृहित भूमि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भूमि खोने वालों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की प्रमात्र कितनी है;

(ख) अब तक भूमि प्रयोक्ता के कितने परिवारों को नौकरियां प्रदान की गई है;

(ग) क्या एनटीपीसी ने भूमि खोने वाले परिवारों को पर्याप्त संख्या में नौकरियां प्रदान नहीं की है और न ही उन्हें नियमित रोजगार प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) एनटीपीसी द्वारा अपना सिपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सिपत और आस-पास के क्षेत्रों से अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

निजी भूमि : 2309.34 एकड़

सरकारी भूमि : 2050.23 एकड़

कुल : 4359.57 एकड़

एनटीपीसी ने संपूर्ण निजी भूमि के लिए भूमि मुआवजे का भुगतान संबंधित भूमि देने वालों को वितरित करने हेतु जिला प्रशासन के पास 3302.87 लाख रुपये जमा किए हैं। वर्ष 2000 से 2008 तक की अवधि के दौरान यह राशि जमा की गई।

(ख) से (घ) सिपत परियोजना के लिए पुनर्वासन कार्य योजना (आरएपी), परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) तथा जिला प्रशासन सहित पणधारकों के साथ विचार-विमर्श करके तैयार की गई।

सिपत परियोजना में, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लगने से एनटीपीसी में सीधी भर्ती के अवसर सीमित हो गए हैं। इस कारण, जिला प्रशासन द्वारा, मुख्य पुनर्वासन विकल्प के रूप में पीएपी द्वारा भूमि

खरीद को सरल बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने पर सहमति दी गई। पुनर्वासन योजना को कार्यान्वित करने से पहले वर्ष 2009 में जिला कलैक्टर द्वारा इस योजना को विधिवत अनुमोदित किया गया था। तदनुसर, अनुमोदित आरएपी के अनुसार पुनर्वासन अनुदान पीएपी को पहले ही वितरित कर दिया गया है।

अनुमोदित आरएपी के अनुसार पुनर्वासन अनुदानों के भुगतान के अलावा, सिपत परियोजना में पीएपी को रोजगार देने पर भी आरएपी में "अन्य लाभों" के रूप में विचार किया गया जोकि रिक्तियों ओर उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्धता पर निर्भर है। रिक्ति और उम्मीदवार के उपयुक्तता के आधार पर सिपत परियोजना में "अन्य लाभों" के एक भाग के रूप में 279 पीएपी को रोजगार दिया गया। इसके अलावा, 50 पीएपी उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें से 28 उम्मीदवार पहले ही कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।

उपर्युक्त के अलावा, इच्छुक पीएपी को परियोजना में विभिन्न संविदात्मक अभिकरणों के माध्यम से रोजगार के लाभप्रद अवसरों की सुविधा भी दी गई है।

एनटीपीसी द्वारा अन्य 109 पीएपी उम्मीदवारों को आईटीआई प्रशिक्षण प्रायोजित किया गया है, जो सरकारी आईटीआई-कोनी, बिलासपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में विद्युत परियोजनाएं

4890. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड राज्य में चार विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में असफल रही है, जिसके परिणामत: अत्यधिक हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है ताकि अधिक हानि न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ में चार विद्युत परियोजनाओं में से एक परियोजना अर्थात कोरबा वेस्ट एक्सटेंशन थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1×500 मेगावाट) ने पहले ही 22.03.2013 को पूर्ण भार प्राप्त कर लिया है और जून, 2013 में वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) शुरू होने की संभावना है। मारवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2×500 मेगावाट) निर्माणाधीन है और मारवा थर्मल पावर स्टेशन की पहली यूनिट (500 मेगावाट) अगस्त, 2013 में और (500 मेगावाट) की दूसरी यूनिट के दिसम्बर, 2013 में शुरू होने की संभावना है। दो अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं अर्थात 2×660 मेगावाट भाइयाथन थर्मल पावर प्रोजेक्ट और 2×660 मेगावाट इफको-छत्तीसगढ़ टीपीपी विद्युत परियोजना पर कार्य अभी शुरू किया जाना है। विलंब के कारण निम्नवत हैं:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	विलंब के कारण
1.	मारवा टीपीपी	2×500	-ग्रामीणों द्वारा आंदोलन। -बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट का तैयार न होना।
2.	भाइयथन टीपीपी	2×660	परियोजना के लिए आबंटित कोयला ब्लॉकों को स्वीकृति न मिलने के कारण विलंब। एमओईएफ ने गिधमूरी और पतुरिया कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं प्रदान की है। सलिए मैसर्स इंडिया बुल्स प्रा.लि. ने परियोजना के लिए आबंटित इन दोनों कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के संबंध में अनिश्चितता के कारण परियोजना के विकास के लिए अपनी पेशकश को वापिस ले लिया है।
3.	इफको-छत्तीसगढ़ टीपीपी	2×660	तारा कैप्टिव कोयला ब्लॉक के विकास के लिए एमओईएफ से चरण-II की अनुमति प्राप्त करने में विलंब के कारण परियोजना में विलंब हुआ।

(ग) और (घ) मारवा टीपीपी (2×500 मेगावाट), भाइयथन टीपीपी (2×660 मेगावाट) और इफको-छत्तीसगढ़ टीपीपी (2×660 मेगावाट), का शुरू होने का निर्धारित कार्यक्रम नीचे दिया गया है-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का निर्धारित समय
1.	मारवा टीपीपी	2×500	यूनिट-1 : अगस्त, 2013
			यूनिट-2 : दिसम्बर, 2013
2.	भाइयथन टीपीपी	2×660	भाइयथन टीपीपी और इफको-छत्तीसगढ़ टीपीपी को आबंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉक के लिए संबंधित एमओईएफ स्वीकृति की अनिश्चितता के कारण, इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के लिए निश्चित समय निर्धारित करना संभव नहीं हैं
3.	इफको-छत्तीसगढ़ टीपीपी		

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंग्ल भारतीयों के लिए सांस्कृतिक केन्द्र

4891. श्री चार्ल्स डिएसः क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंग्ल भारतीय बहुल प्रमुख केन्द्रों पर उनकी पृष्ठभूमि के मद्देनजर और उनकी पहचान के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

4892. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान में केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) यद्यपि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कोई केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित नहीं करता है और यहां राज्य-वार आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है, यह मंत्रालय गुजरात राज्य सहित राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) पुरस्कार स्कीम, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एसएसटीपी) तथा पेटेंट सुगमीकरण प्रकोष्ठ (पीएफसी) कार्यक्रम जैसी कुछ केन्द्रीय स्कीमों को कार्यान्वित करता है और इनसे प्रस्ताव मंगाता है। तीन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए इंस्पायर पुरस्कार, एसएसटीपी और पीएफसी कार्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की इंस्पायर पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत, पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 6 से 10वीं कक्षा वाले देश के सभी माध्यमिक एवं उच्चतर स्कूलों से विज्ञान प्रोजेक्ट/मॉडल तैयार करने के लिए 5000/- रुपये प्रत्येक के इंस्पायर पुरस्कार के लिए दो छात्रों को चुना जाता है। स्कूलों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य को शामिल करते हुए राज्य सरकार के कार्यतंत्र द्वारा विद्यार्थियों का प्रतिभा आधारित चयन किया जाता है। पुरस्कार की राशि को बैंक द्वारा जारी इंस्पायर

पुरस्कार अधिपत्र के रूप में चयनित विद्यार्थी को सीधे भेजा जाता है। ये पुरस्कार विजेता जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिताओं (डीएलईपीसी) में भाग लेते हैं और जिले की 5% से 10% सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिताओं (एसएलईपीसी) में भाग लेने के लिए चुना जाता है। कम से कम 5 प्रविष्टियों के अध्यधीन, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ 5% प्रविष्टियों को राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता (एनएलईपीसी) में भाग लेने के लिए चुना जाता है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। सभी 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम में भाग ले रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं के संचालन की संपूर्ण लागत का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। जिला और राज्य स्तरों पर प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए राशि का इंस्पायर के प्रभारी राज्य नोडल अधिकारी को जारी किया जाता है।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एसएसटीपी) के अंतर्गत राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को वार्षिक मुख्य अनुदान सहायता प्रदान की गई है। राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यकलापों की आयोजना, अनुवीण और कार्यान्यन में इन परिषदों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को यह मुख्य सहायता दी जाती है। इस मुख्य अनुदान सहायता में वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मी, यातायात खर्चे तथा आधुनिक कार्यालय संबंधी उपकरणों आदि के लिए आंशिक रूप से सहायता शामिल होती है।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के पेटेंट सुगमीकरण प्रकोष्ठ (पीएफसी) कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य स्तर पर पेटेंट, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत आदि सहित बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के संरक्षण संबंधी जागरूकता पैदा करने और सहायता प्रदान करने के लिए गुरात राज्य सहित विभिन्न राज्यों में 24 पेटेंट सूचना केन्द्रों (पीआईसी) को सहायता प्रदान की जाती है। ये पीआईसी अपने संबंधित राज्यों के विश्वविद्यालय बौद्धिक संपदा प्रकोष्ठ (आईपीसीयू) भी सृजित कर रहे हैं। अब तक की स्थिति के अनुसार राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 71 आईपीसीयू का सृजन किया गया है।

विगत तीन वर्षों (2010-11, 2011-12) और 2012-13 के दौरान गुजरात राज्य में उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदानों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
इंस्पायर	270.25	1086.14	1159.91	2516.30
पुरस्कार*	(5405)	(21670)	(23138)	(50213)
एसएसटीपी	53.00	66.09	56.00	175.09
पीएफसी	4.50	4.66	4.87	14.03
कुल	327.75	1156.89	1220.78	2705.42

*कोष्ठक में दी गई संख्या सभी राज्यों के लिए इंस्पायर पुरस्कार की संख्या को दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के अंतर्गत वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने क्षेत्र में नवोन्मेष पारिस्थितिकी को अभिप्रेरित करने, निर्धारित क्षेत्रों में प्लेटफार्म प्रौद्योगिकियों के उद्भवन, स्पिन ऑफ के उद्भवन, अभिनव जानकारी के माध्यम से निर्धारित क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उपक्रमों को पोषित करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में अहमदाबाद, गुजरात में नवोन्मेष परिसर बनाने के लिए कदम उठाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इंस्पायर कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार गुजरात सरकार से

प्राप्त प्रस्तावों में से पुरस्कार की मंजूरी संबंधी 769 प्रस्ताव लंबित थे। इन लंबित प्रस्तावों की मंजूरी के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी गई है।

अल्पसंख्यकों के विकास हेतु निधियां

4893. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों के विकास हेतु विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई निधियां व्यपगत हो गई हैं या उनके द्वारा वापस कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को निधियां वापस करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के विकास हेतु राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 820 करोड़ रु. की राशि परियोजनाओं की अनुपस्थिति में व्यय नहीं की जा सकी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) और (ख) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ओर अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन हेतु निधियां उन्हें दी जाती है। इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कोई निधियां लौटाई नहीं गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 11 पंचवर्षीय योजना के लिए 3780 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से, 20 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एमएसडीपी के कार्यान्वयन हेतु 3733.90 करोड़ रुपये (कुल आबंटन का 99%) के परियोजना प्रस्ताव कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित कर दिए ग हैं। यह कार्यक्रम एमएसडीपी के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2012-13 में जारी रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान, 1109.74 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं और 646.42 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए जा चुके हैं तथा एमएसडीपी हेतु आबंटन का 99.52% का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) अल्पसंख्यक बहुल जिला के पहचान हेतु मानदंड के आधार पर, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कोई जिला पात्र नहीं पाया गया था। अतः, एमएसडीपी के अंतर्गत राजस्थान सरकार को कोई निधि जारी नहीं की गई थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में गैस आधारित परियोजनाएं

4894. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में गैस आधारित 700 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करने में केन्द्र सरकार की ओर से देरी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने 12वीं योजना के लिए प्रस्तावित बिडाडी कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट (सीसीपीपी) 1400 मेगावाट (2×700) और तडाडी सीसीपीपी 2100 मेगावाट (3×700) पर दो नये गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया था।

(ग) इस मंत्रालय में दिनांक 29.10.2010 को आवेदन प्राप्त हुआ था।

(घ) और (ङ) कृष्णा गोदावरी (केजी) डी-6 बेसिन से गैस की उपलब्धता में कमी होने से विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने 2015-16 तक घरेलू गैस के उपलब्धता न होने के कारण घरेलू गैस पर आधारित कोई भी गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की योजना नहीं बनाने के लिए एक परामर्शिका जारी की थी।

बिहार में रेलवे स्टेशन

4895. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में मण्डल-वार रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य में मण्डल-वार निर्मित रेलवे स्टेशनों/प्लेटफॉर्मों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) मण्डल-वार इस हेतु आवंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे द्वारा प्रत्येक मण्डल को निधियों का आवंटन करने में कोई मापदण्ड/दिशा-निर्देश अपनाए जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार में रेवले स्टेशनों की संख्या और निर्मित किए गए रेलवे स्टेशनों/प्लेटफामों की संख्या निम्नानुसार है:-

रेलवे मंडल	बिहार में रेलवे स्टेशनों की संख्या	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित किए गए रेलवे स्टेशनों की संख्या	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित किए गए रेलवे प्लेटफॉर्मों की संख्या
धनबाद	06	-	-
मुगलसराय	59	-	-
दानापुर	206	05	17
सोनपुर	88	05	10
समस्तीपुर	199	09	15
आसनसोल	06	01	09
मालदा	59	01	03
कटिहार	60	02	10
वाराणसी	55	02	09
कुल	738	25	73

(ग) से (ङ) यात्री सुविधाओं संबंधी कार्यों पर व्यय यात्री सुविधाएं योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। निधियों का आबंटन क्षेत्रीय रेलवे-वार किया जाता है। क्षेत्रीय रेलों को आबंटित की गई निधियां पुनः कार्यों की सापेक्ष प्राथमिकता के अध्याधीन स्वीकृत किए गए विभिन्न कार्यों के लिए आबंटित कर दी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, जो बिहार राज्य को सेवित करते हैं, पर 'यात्री सुविधाएं' योजना शीर्ष के अंतर्गत आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

रेलवे	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्व रेलवे	184.22	157.71	103.69	130.26	129.30	125.02	162.64

1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्व मध्य रेवले	57.61	38.72	39.02	35.82	45.98	36.03	76.21
पूर्वोत्तर रेवले	21.42	23.78	17.63	17.24	19.69	15.36	24.96
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	55.68	59.13	47.11	53.90	75.91	64.74	58.94

[अनुवाद]

पी एण्ड के उर्वरकों का आयात

4896. श्री प्रताप सिंह बाजवाः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पी एण्ड के उर्वरकों के आयात पर निर्भरता कम करने एवं देश में उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास किए हैं/कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां।

(i) पीएण्डके उर्वरकों, जिसमें इसकी कच्ची सामग्रिंया शामिल हैं, के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार भारतीय पीएसयू/कंपनियां द्वारा उर्वरक परिसंपत्तियों/संसाधनों के अर्जन करने तथा बाह्य संसाधन संपन्न देशों में कुछ अधिमान मूल्यों पर दीर्घावधि उठान करार सहित संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

(ii) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों को योजना निधि के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करा रही है ताकि वे अधिकतम उत्पादन करने के लिए अपने पुराने संयंत्रों का पुनरुद्धार कर सके।

(iii) सरकार कंपनियों को डीएपी के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों में से एक सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) का उत्पादन करने के लिए रॉक फॉस्फेट के विभिन्न मिश्रणों का प्रयोग करने की अनुमति दे रही है।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियां नामतः राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ), नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) तथा एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल) एसएसपी संयंत्रों की स्थापना करने की प्रक्रिया में हैं।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र को एक अन्य उपक्रम नामतः फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर (फैक्ट) अपने फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र और अपने एनपी संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

(vi) एसएसपी के लिए अनुकूल नीतियों के कारण निजी उर्वरक कंपनियां भी एसएसपी संयंत्रों की स्थापना करने की योजना बना रही है।

[हिन्दी]

जलाशयों में जल स्तर

4897. श्री गोपीनाथ मुंडेः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष मुख्य जलाशयों के जल स्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक जलाशय के जल स्तर का वर्ष और जलाशय-वार तुलनात्मक डाटा क्या है;

(ग) ऐसे जलाशयों में जल स्तर घटने के क्या कारण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग देश भर में 84 महत्वपूर्ण जलाशयों की सक्रिय भंडारण की निगरानी करता है। इन जलाशयों की कुल सक्रिय

भंडारण क्षमता 154.421 बिलियन टन मीटर (बीसीएम) है। इन जलाशयों में वर्ष 2010 से 2013 तक 18 अप्रैल को उपलब्ध सक्रिय भंडारण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	तारीख	84 जलाशयों में सक्रिय भंडारण (बीसीएम)	सक्रिय भंडारण क्षमता का प्रतिशत
1.	18.04.2013	44.774	29
2.	18.04.2012	43.889	28
3.	18.04.2011	51.164	33
4.	18.04.2010	34.733	22

अत: उपर्युक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस वर्ष उपलब्ध भंडारण पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बेहतर है। तथापि, वर्ष 2011 की तुलना में भंडारण कत है। यह भंडारण 2010 में उपलब्ध मात्रा की अपेक्षा बेहतर है। ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

जलाशयों के जल स्तर में मुख्य रूप से वर्षा और विभिन्न प्रयोजनों के लिए मांग को पूरा करने हेतु जलाशयों के संचालन के आधार पर विभिन्नता पायी जाती है। जब राज्य का विषय होने के नाते, जलाशयों में उपलब्ध जल का विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपोग संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय में जलाशयों में उपलब्ध भंडारण ओर दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने से होने वाली प्रगति की जून, 2012 में समीक्षा की थी। मानसून के विलंब से शुरू होने की संभावना और असमान स्थानिक वितरण को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में सामान्य वर्षा की तुलना में कम वर्षा हो सकती है, मंत्रालय ने दिनांक 09.07.2012 को सभी राज्य सरकारों को सलाह जारी की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उललेख था कि पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए जल की प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि भूमि जल का उपयोग इस प्रकार किा जाना चाहिए जिससे कि स्थिति से जहां तक संभव हों, निपटा जा सके।

विवरण

18 अप्रैल 2010 से 2013 तक की स्थिति के अनुसार जलाशयों का जल स्तर और सक्रिय भंडारण

क्र.सं.	जलाशय का नाम	(राज्य)	पूर्ण जलाशय स्तर (मीटर)	पूर्ण जलाशय स्तर पर सक्रिय (बीसीएम)	18 अप्रैल, 2013		18 अप्रैल, 2012		18 अप्रैल, 2011		18 अप्रैल, 2010	
					स्तर (मीटर)	सक्रिय भंडारण (बीसीएम)	स्तर (मीटर)	सक्रिय भंडारण (बीसीएम)	स्तर (मीटर)	सक्रिय भंडारण (बीसीएम)	स्तर (मीटर)	सक्रिय भंडारण (बीसीएम)
1	2	4	5	7	8	10	11	7	8	7	8	9
1.	श्रीसैलम	(आं.प्र.)	269.75	8.288	254.63	1.573	245.25	1.264	247.03	1.464	248.90	1.701
2.	नागार्जुन सागर	(आं.प्र.)	179.83	6.841	157.83	0.412	156.06	1.224	169.77	4.145	157.12	1.425
3.	श्रीराम सागर	(आं.प्र.)	332.54	2.300	322.54	0.331	322.23	0.309	324.55	0.564	320.38	0.000
4.	सोमासिला	(आं.प्र.)	100.58	1.994	83.23	0.044	95.25	1.055	98.65	1.604	94.91	1.011
5.	निचली मनैर	(आं.प्र.)	280.42	0.621	270.33	0.140	272.35	0.208	271.91	0.192	268.07	0.084
6.	तेनुघाट	(झारखंड)	269.14	0.821	258.90	0.413	258.78	0.196	256.55	0.210	257.18	0.231
7.	मैथनन	(झारखंड)	146.30	0.471	140.01	0.252	141.02	0.194	138.89	0.121	139.64	0.145

1	2	4	5	7	8	10	11	7	8	7	8	9
8.	पंचेत पहाड़ी	(झारखंड)	124.97	0.184	123.81	0.184	124.36	0.155	120.87	0.032	121.52	0.049
9.	कोनार	(झारखंड)	425.81	0.176	421.84	0.145	422.38	0.118	416.81	0.047	420.53	0.091
10.	तिलेया	(झारखंड)	368.81	0.142	365.62	0.118	365.47	0.039	364.38	0.017	364.18	0.013
11.	उकाई	(गुजरात)	105.16	6.615	97.01	2.828	96.53	2.653	97.77	3.114	92.34	1.528
12.	साबरमती (धरोई	(गुजरात)	189.59	0.735	182.42	0.191	183.21	0.232	180.51	0.112	177.60	0.033
13.	कडाना	(गुजरात)	127.70	1.472	126.65	1.083	123.90	0.828	118.26	0.424	122.07	0.679
14.	शेतरूंजी	(गुजरात)	55.53	0.300	47.67	0.019	50.02	0.052	51.22	0.078	48.27	0.026
15.	भदर	(गुजरात)	107.89	0.188	97.18	0.000	103.63	0.054	104.06	0.064	100.77	0.014
16.	दमनगंगा	(गुजरात)	79.86	0.502	71.05	0.155	70.25	0.135	73.20	0.251	75.20	0.315
17.	दांतीवाड़ा	(गुजरात)	184.10	0.399	162.81	0.002	170.40	0.052	162.94	0.003	163.07	0.003
18.	पताम	(गुजरात)	127.41	0.697	124.15	0.480	124.10	0.477	119.20	0.255	107.95	0.018
19.	सरदार सरोवर	(गुजरात)	121.92	1.566	117.95	0.925	114.82	0.478	118.08	0.944	120.73	1.350
20.	कर्जन	(गुजरात)	115.25	0.523	105.36	0.267	103.93	0.239	106.60	0.293	105.26	0.265
21.	गोबिंद सागर (भाकड़ा)	(हि.प्र.)	512.06	6.229	478.87	1.807	474.53	1.462	484.10	2.286	463.13	0.751
22.	पांग बांध	(हि.प्र.)	423.67	6.157	400.23	1.468	403.13	1.878	410.29	3.067	395.46	0.905
23.	कृष्णराज सागर	(कर्नाटक)	752.50	1.163	735.78	0.000	741.55	0.195	745.66	0.463	744.72	0.393
24.	तुंगभद्रा	(कर्नाटक)	497.74	3.276	482.23	0.145	480.11	0.068	483.00	0.194	479.05	0.050
25.	घाटप्रभा	(कर्नाटक)	662.95	1.391	639.62	0.203	635.16	0.094	641.55	0.263	639.75	0.206
26.	भद्रा	(कर्नाटक)	657.76	1.785	642.28	0.433	647.69	0.799	649.56	0.952	650.48	1.031
27.	लिंगानमक्की	(कर्नाटक)	554.43	4.294	539.04	1.067	540.82	1.294	542.61	1.555	541.21	1.348
28.	नारायणपुर	(कर्नाटक)	492.25	0.863	487.30	0.433	487.06	0.308	486.25	0.247	487.01	0.304
29.	मालप्रभा (रेणुका)	(कर्नाटक)	633.83	0.972	621.35	0.052	621.57	0.057	622.72	0.095	625.07	0.195
30.	कबिनी	(कर्नाटक)	696.16	0.275	684.97	0.000	689.88	0.000	690.29	0.000	689.84	0.000
31.	हेमावती	(कर्नाटक)	890.63	0.927	873.46	0.023	874.33	0.048	880.28	0.243	875.24	0.067
32.	हरांगी	(कर्नाटक)	871.42	0.220	852.96	0.012	856.15	0.029	864.35	0.084	856.20	0.029

1	2	4	5	7	8	10	11	7	8	7	8	9
33.	सुपा	(कर्नाटक)	564.00	4.120	531.06	1.157	525.44	0.845	530.07	1.099	529.23	1.050
34.	वाणी विलास सागर	(कर्नाटक)	652.28	0.802	637.54	0.109	641.76	0.219	645.66	0.370	637.35	0.102
35.	अलमाटी	(कर्नाटक)	519.60	3.105	507.46	0.552	507.55	0.076	510.56		512.02	0.689
36.	गेरुसोप्पा	(कर्नाटक)	55.00	0.130	53.88	0.123	47.56	0.090	50.40	0.104	51.50	0.110
37.	कल्लाडा (परप्पार)	(केरल)	115.82	0.507	91.86	0.094	98.20	0.166	100.06	0.194	98.25	0.167
38.	इदामलायार	(केरल)	169.00	1.018	133.74	0.201	144.54	0.398	135.96	0.234	138.24	0.276
39.	इडुक्की	(केरल)	732.43	1.460	703.97	0.238	708.75	0.389	713.77	0.568	710.08	0.436
40.	कक्की	(केरल)	981.46	0.447	949.46	0.108	960.94	0.190	961.37	0.194	960.53	0.200
41.	पेरियार	(केरल)	867.41	0.173	859.86	0.037	859.15	0.027	861.40	0.062	858.75	0.021
42.	गांधी सागर	(म.प्र.)	399.90	6.827	393.96	3.426	389.13	1.644	380.61	0.000	382.53	0.204
43.	तवा	(म.प्र.)	355.40	1.944	343.94	0.452	341.59	0.356	342.84	0.463	347.29	0.843
44.	बारगी	(म.प्र.)	422.76	3.180	413.80	1.164	412.00	0.920	412.90	1.044	411.65	0.876
45.	बाणसागर	(म.प्र.)	341.64	5.166	335.69	2.731	337.07	3.229	328.05	0.745	327.02	0.539
46.	इन्दिरा सागर	(म.प्र.)	262.13	9.745	250.86	2.348	250.72	2.317	250.70	2.317	247.62	1.220
47.	मिनिमाता बांगोई	(छत्तीसगढ़)	359.66	3.046	352.42	1.763	353.06	1.851	347.00	1.178	346.55	1.145
48.	महानदी	(छत्तीसगढ़)	348.70	0.767	340.71	0.187	345.34	0.481	340.90	0.197	342.74	0.304
49.	जायकवाडी (पैथन)	(महाराष्ट्र)	463.91	2.171	455.31	0.000	457.26	0.285	459.43	0.754	456.16	0.103
50.	कोयना	(महाराष्ट्र)	657.90	2.652	642.82	1.170	643.48	1.369	643.69	1.386	646.48	1.614
51.	भीमा (उज्जैनी)	(महाराष्ट्र)	496.83	1.517	488.19	0.000	491.53	0.100	493.80	0.624	494.33	0.763
52.	ईसापुर	(महाराष्ट्र)	441.00	0.965	431.78	0.274	434.46	0.414	437.00	0.593	426.15	0.004
53.	मुला	(महाराष्ट्र)	552.30	0.609	538.08	0.080	541.92	0.181	546.31	0.332	542.51	0.200
54.	येल्दारी	(महाराष्ट्र)	461.77	0.809	448.18	0.012	450.26	0.071	457.47	0.423	447.32	0.000
55.	गिरना	(महाराष्ट्र)	398.07	0.524	381.52	0.000	385.74	0.080	387.19	0.116	387.37	0.121
56.	खडगवासला	(महाराष्ट्र)	582.47	0.056	580.64	0.032	580.64	0.033	578.51	0.011	578.45	0.010
57.	ऊपरी वेतरणा	(महाराष्ट्र)	603.50	0.331	598.17	0.168	598.96	0.191	598.19	0.169	595.40	0.102
58.	ऊपरी तापी	(महाराष्ट्र)	214.00	0.255	210.93	0.098	210.19	0.070	211.36	0.118	211.69	0.132

1	2	4	5	7	8	10	11	7	8	7	8	9
59.	पेंच (टोटलाडोह)	(महाराष्ट्र)	490.00	1.091	480.20	0.454	476.23	0.290	481.36	0.509	475.20	0.254
60.	ऊपरी वर्धा	(महाराष्ट्र)	342.50	0.564	337.10	0.154	337.00	0.179	338.69	0.274	337.55	0.199
61.	हीराकुड	(ओडिशा)	192.02	5.378	186.12	2.116	185.72	1.925	187.16	2.642	185.81	1.965
62.	बालीमेला	(ओडिशा)	462.08	2.676	453.97	1.431	440.16	0.088	452.20	1.202	446.26	0.574
63.	सलांडी	(ओडिशा)	82.30	0.558	52.42	0.008	70.25	0.214	53.02	0.010	63.41	0.092
64.	रेंगाली	(ओडिशा)	123.50	3.432	117.88	1.655	115.70	1.139	115.54	1.097	115.98	1.199
65.	मचकुंड (जालपुट)	(ओडिशा)	838.16	0.893	830.48	0.367	831.70	0.432	835.82	0.697	823.02	0.093
66.	उुपरी कोलाब	(ओडिशा)	858.00	0.935	853.48	0.546	848.48	0.202	852.39	0.456	847.44	0.152
67.	उुपरी इन्द्रावती	(ओडिशा)	642.00	1.456	633.56	0.627	629.25	0.284	632.86	0.570	632.05	0.503
68.	थेईन	(पंजाब)	527.91	2.344	506.73	0.951	496.63	0.493	506.42	0.935	497.06	0.509
69.	माही बजाज सागर	(राजस्थान)	280.75	1.711	270.75	0.662	270.50	0.640	260.45	0.057	261.45	0.095
70.	झाकम	(राजस्थान)	359.50	0.132	347.15	0.040	345.80	0.034	336.75	0.008	337.50	0.009
71.	राणा प्रताप सागर	(राजस्थान)	352.81	1.436	345.84	0.272	348.00	0.580	345.12	0.166	345.69	0.249
72.	निचली भवानी	(प. बंगाल)	278.89	0.792	261.24	0.079	264.30	0.140	269.87	0.315	270.09	0.323
73.	मेत्तूर (स्टेनले)	(प. बंगाल)	240.79	2.647	211.88	0.162	227.89	1.123	237.14	2.141	226.00	0.962
74.	वैगेई	(प. बंगाल)	279.20	0.172	271.39	0.041	272.65	0.055	273.82	0.070	266.96	0.011
75.	पराम्बिकुलम	(प. बंगाल)	556.26	0.380	536.47	0.027	547.60	0.208	551.87	0.289	546.69	0.191
76.	अलियार	(प. बंगाल)	320.04	0.095	301.66	0.002	315.59	0.067	316.05	0.070	314.10	0.058
77.	शोलायार	(प. बंगाल)	1002.79	0.143	962.27	0.010	965.28	0.015	958.06	0.005	961.49	0.009
78.	गुमटी	(त्रिपुरा)	93.55	0.312	83.60	0.000	83.60	0.000	84.75	0.015	82.25	0.000
79.	माताटीला	(उ.प्र.)	308.46	0.707	303.79	0.211	303.64	0.274	303.46	0.263	307.70	0.631
80.	रिहन्द	(उ.प्र.)	268.22	5.649	257.22	1.230	258.81	1.789	254.94	0.538	254.85	0.512
81.	रामगंगा	(उत्तराखंड)	365.30	2.196	346.63	1.006	343.47	0.858	347.51	1.049	327.51	0.267
82.	देहरी	(उत्तराखंड)	830.00	2.615	765.90	0.535	762.65	0.458	781.65	0.981	754.55	0.279
83.	मयूराक्षी	(उत्तराखंड)	121.31	0.480	112.18	0.126	112.70	0.111	111.30	0.078	111.60	0.084
84.	कंगसाबाती	(उत्तराखंड)	134.14	0.914	126.22	0.333	124.37	0.105	122.89	0.049	122.16	0.022
	कुल 84 जलाशयों के लिए			154.421		44.774		43.889		51.164		34.733
	प्रतिशत					29		28		33		22

[अनुवाद]

उर्वरकों में मिलावट/उसकी कालाबाजारी

4898. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरकों में मिलावट/उसकी कालाबाजारी को रोकने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के क्या तंत्र है;

(ख) उर्वरक नमूनों के विश्लेषण के क्या मापदण्ड हैं; और

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में विश्लेषण किए गए उर्वरकों के नमूनों की संख्या कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 के तहत अनिवार्य वस्तु के रूप में घोषित किया गया है। किसानों को युक्तिसंगत मूल्य पर अच्दी गुणवत्त के उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 घोषित किया है। एफसीओ सरकार को उर्वरकों की गुणवत्ता का विनियमन करने की शक्तियां देता है। एफसीओ के खंड 19 के अंतर्गत ऐसे उर्वरकों की बिक्री/उत्पादन की कड़ी मनाही है जो विहित मानक के अनुसार नहीं है। अवमानक उर्वरकों की बिक्री के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। एफसीओ का उल्लंघन करने पर कदाचार करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाने सहित दंड कार्रवाई की जा सकती है। दोष सिद्ध हो जाने पर कदाचारी को प्राधिकार पत्र निरस्त करने के अलावा ईसीए के अंतर्गत सात वर्ष की सजा भी दी जा सकती है। एफसीओ के खंड 6 के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि डीलर अपने परिसर में उर्वरकों के स्टॉक की स्थिति और मूल्य सूची प्रदर्शित करें।

उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत राज्य सरकारों का डीलरों और उत्पादकों के स्तर पर उर्वरकों के गुणवत्ता मूल्यों की जांच करने हेतु अधिकार दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने उर्वरकों की बिक्री के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने तथा उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु अधिसूचित प्राधिकारियों और उर्वरक निरीक्षकों की नियुक्ति की है। राज्य सरकारों ने उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की हैं जहां उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूनों की विहित पद्धति के अनुसार जांच की जाती है। कदाचारिों के खिलाफ राज्य सरकरों द्वारा एफसीओ के खंड 28/31 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की विभिन्न राओं के तहत कार्रवाई की जाती है।

उपर्युक्त के अलावा उर्वरक विभाग ने समय-समय पर मुख्य सचिवों तथा गृह मंत्रालय को लिखा है कि वे राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के विपथन को रोकने के लए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रवर्तन एजेंसियां को सक्रिय करें। उर्वरक विभाग कृषि एवं सहकारिता विभाग और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साप्ताहिक वीडियों कांफ्रेंस के जरिए राजय सरकारों को सलाह दे रहा है/सचेत कर रहा है कि वे कड़ी निगरानी रखें और काला-बाजारी रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाए। खरीफ 2013 मौसम के लिए 6 से 8 फवरी 2013 को हुए कृषि आदानों पर आंचलिक सम्मेलन तथा खरीफ अभियान 2013 के लिए 6 से 7 मार्च 2013 को हुए कृषि संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इन मामलों पर प्रकाश डाला गया था जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

(ख) नमूनों का विश्लेषण एफसीओ के भाग-ख की अनुसूची-II के अंतर्गत दी गई पद्धति के अनुसार अधिसूचित उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) 2011-12 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा विश्लेषित किए गए नमूनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान विश्लेषित किए गए और अवमानक पाए गए उर्वरक नमूनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	लैबों की संख्या	वार्षिक विश्लेषण क्षमता	नमूनों की संख्या	अवमानक			% क्षमता उपयोग	% नमूने अवमानक
				विश्लेषण	पोषक तत्व की कमी	वास्तविक मानदंड और अशुद्धियां	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	1	500	275	7	0	7	55.0	2.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	मिजोरम	1	250	0	0	0	0	0.0	0.0
3.	झारखंड	1	3385	838	11	0	11	24.8	1.3
4.	बिहार	1	2000	1735	110	0	110	88.9	6.3
5.	ओडिशा	2	3500	2196	54	14	68	62.7	3.1
6.	पश्चिम बंगाल	3	4500	2079	306	0	306	48.2	14.7
	योग पूर्व और पूर्वोत्तर	**9**	**14135**	**7125**	**488**	**14**	**502**	**50.4**	**7.0**
7.	गुजरात	3	7500	9060	88	18	106	120.8	1.2
8.	मध्य प्रदेश	4	5200	4853	668	42	710	93.3	14.6
9.	छत्तीसगढ़	1	2500	2018	158	5	163	80.7	8.1
10.	महाराष्ट्र	4	16000	16403	1624	673	2297	102.5	14.0
11.	राजस्थान	4	8000	15820	147	50	197	197.6	1.2
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	**16**	**39200**	**48154**	**2685**	**788**	**3473**	**122.8**	**7.2**
12.	हरियाणा	3	5100	4561	50	26	76	89.4	1.7
13.	हिमाचल प्रदेश	2	2000	1707	34	4	38	85.4	2.2
14.	जम्मू और कश्मीर	2	1450	1896	62	0	62	130.7	3.3
15.	पंजाब	2	3000	3018	40	1	41	100.6	1.4
16.	उत्तर प्रदेश	5	10000	11345	705	0	705	113.5	5.2
17.	उत्तराखंड	2	800	183	3	0	3	22.9	1.6
	कुल उत्तरी क्षेत्र	**16**	**22350**	**22710**	**894**	**31**	**925**	**101.8**	**4.1**
18.	आंध्र प्रदेश	5	15000	15419	257	4	261	102.8	1.7
19.	कर्नाटक	7	10065	6229	308	21	329	81.9	5.3
20.	केरल	2	3000	2542	109	0	109	84.7	4.3
21.	पुदुचेरी	1	700	484	1	3	4	69.1.	0.8
22.	तमिलनाडु	14	17500	17398	390	145	535	99.4	3.1
	कुल दक्षिणी क्षेत्र	**29**	**46265**	**42702**	**1065**	**173**	**1238**	**90.9**	**2.8**
23.	भारत सरकार	4	8500	11909	303	75	378	140.1	3.2
	कुल अखिल भारत	**74**	**130450**	**131970**	**5435**	**1081**	**6513**	**101.2**	**4.9**

रेल के डिब्बों/लोकोमोटिव में खामियां

4899. श्री के. सुगुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में रेल के डिब्बों और लोकोमोटिव में खामियां आने के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने रेल के डिब्बों और लोकोमोटिव में खामियां उत्पन्न हुई हैं;

(ग) क्या रेलवे ने इस संबंध में कोई अधययन और विश्लेषण करवाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे;

(ङ) क्या ऐसी खामियों हेतु एक मुख्य कारण रेलवे द्वारा निर्मित/खरीदे गए रेल के डिब्बों और लोकोमोटिव की गुणवत्ता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) सवारी डिब्बों में मार्ग में दोष उत्पन्न होने और डीजल इंजनों में उपकरणों की विफलता की संख्या में समग्र रूप से कमी आई है।

(ग) और (घ) सवारी डिब्बों और रेल इंजनों की विफलताओं का विश्लेषण नियमित रूप से किया जा रहा है और निरंतर सुधार के लिए उपचारात्मक एवं निवारण कार्रवाई की जाती है।

(ङ) जी नहीं। उत्पादित/प्रापण किए जा रहे सवारी डिब्बों और रेल इंजनों को उत्पादन इकाइयों से उनके अंतिम प्रेषण से पूर्व इनके विनिर्माण के विभिन्न चरणों पर कड़ी गुणवत्ता जांचें और निरीक्षण किए जाते हैं।

(च) हालांकि उत्पादित/प्रापण किए जा रहे सवारी डिब्बों और रेल इंजनों की गुणवत्ता सेवा में हुए दोषों के लिए कोई प्रमुख कारक नहीं बनता है फिर भी विफलताओं का नियमित विश्लेषण किया जा रहा है और निरंतर सुधार के लिए उपचारात्मक और निवारण कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

टिहरी बांध परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्ति

4900. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना के कारण प्रभावित या विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक पुनर्वासित नहीं किया गया है और उन्हें अभी तक क्षतिपूर्ति भी प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस प्रयोजन हेतु आवश्यक निधियों की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु निधियां प्रदान की हैं/पैकेज स्वीकृत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) प्रभावित आबादी का पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरएंडआर) राज्य सरकार द्वारा, टीएचडीसी द्वारा प्रदत्त निधियों से किया जा रहा हैं पुराना टेहरी नगर की प्रभावित आबादी को उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, न्यू टेहरी टाउन, अथवा ऋषिकेश और देहरादून में पूरी तरह से पुनर्वासित किया जा चुका है। पूर्णतया प्रभावित ग्रामों के सभी पूर्ण रूप से प्रभावित ग्रामीण परिवारों को भूमि के आबंटन/नकद क्षतिपूर्ति द्वारा पुनर्वासित किया गया हैं ग्रामीण पुनर्स्थापित कॉलोनियां देहरादून और हरिद्वार जिलों में कृषि क्षेत्र में स्थित हैं और उन्हें सभी नागरिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। आंशिक रूप से प्रभावित ग्रामीण परिवारों को जिन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जाना है, नकद क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार को अनुमोदित आरएंडआर पैकेज/सरकार द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त उपायों के अनुसार, आरएंडआर के लिए निधियां पूरी तरह से उपलब्ध कराई गई है। टेहरी परियोजना की लागत में आरएंडआर (भूमि अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, सुविधाओं को विकास आदि सहित) के लिए 1380.96 करोड़ रुपये शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर टीएचडीसीआईएल द्वारा विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार, टेहरी परियोजना के आरएंडआर कार्यों के लिए उत्तराखंड सरकार को 102.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि जारी की गई थी।

आगरा छावनी रेलवे स्टेशन

4901. प्रो. रामशंकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताजमहल देखने के लिए आगरा आने वाले विदेशी पर्यटकों हेतु आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर कोई अतिरिक्त व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उक्त स्टेशन पर स्वच्छता अपेक्षित स्तर की नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) पर्यटकों को सूचना मुहैया कराने के लिए आगरा कैंट में एक पर्यटक सुविधा केन्द्र उपलब्ध है।

(ख) और (ग) रेलवे को आगरा कैंट स्टेशन पर कम सफाई की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, आगरा कैंट स्टेशन पर मानक स्तर की सफाई बनाए रखने के लिए सफाई की दोहरी प्रणाली (ठेका से संबंधित और विभागीय) संचालित है। पे एण्ड यू वाले शौचालयों के ठेके कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मामलों के निपटान हेतु मिशन मोड कार्यक्रम

4902. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कोई मिशन आधारित कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य-वार क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या ग्राम न्यायालयों की सफलता हेतु हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकतम प्रयोग की कोई कार्य-योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) न्यायालयों में लंबित मामालें का निपटारा, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है। सरकार ने, (i) विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके पहुंच में वृद्धि करना; और (ii) संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यू से तथा निष्पादन मानकों की स्थापना करके जवाबदेही में अभिवृद्धि करने के दो मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की है। मिशन, पांच रणनीतिक पहलों का अनुसरण कर रहा है ये पहलें निम्नानुसार हैं:- (i) नीति और विधायी परिवर्तनों की रूपरेखा प्रस्तुत करना; (ii) प्रक्रियाओं और न्यायालय आदेशिकाओं का पुनःनिर्माण करना; (iii) मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित करना; (iv) बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और युक्तियों को आरंभ करना; और (v) अवसंरचना में सुधार करना। मिशन ने न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों में चरणबद्ध कमी के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को अंगीकृत किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका के पदों में वृद्धि, अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिक और विधायी उपाय, मामलों को शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनःनिर्माण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है।

मिशन ने, अल्पकाल में, जब से वह अस्तित्व में आया है, प्रत्येक पांच रणनीतिक क्षेत्रों में अनेक उपाय किए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के समक्ष हैं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के कम करने की दृष्टि से अपनी मुकदमा-नीतियों को विरचित किया गया है। चैक बाउंस के मामलों से संबंधित बढ़ती हुई मुकदमेबाजी पर नियंत्रण करने के लिए अन्य नीति तथा प्रशासनिक उपायों के साथ परकाम्य लिखत (एनआई) अधिनियम में आवश्यक संशोधनों को सुझाने के लिए गठित एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने चैक बाउंस मामलों की संख्या को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक और विधायी परिवर्तनों सहित उपायों की सिफारिश की है।

न्यायिक सुधारों का महत्वपूर्ण पहलू, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रियाओं और न्यायालय आदेशिकाओं के पुनः निर्माण से संबंधित है। राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणालियों (एनसीएमएस) की व्यापक स्कीम, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विरचित और अधिसूचित की गई है। एनसीएमएस के अधीन राष्ट्रीय न्यायालय उत्कर्ष ढांचा तैयार किया गया है जो गुणवत्ता, उत्तरदायित्वता ओर समय से, के मुद्दों का समाधान करते हुए न्यायालयों के लिए निष्पादक मापक मानकों को स्थापित करेगा।

राज्य सरकरों के संसाधनों में अभिवृद्धि करने की दृष्टि से, सरकार ने वर्ष 2011-12 से आगे न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपांतरित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन वित्तपोषण पटर्न को पुनरीक्षित करके केन्द्रीय अंश को 50:50 से बढ़ाकर 75:25 (पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न राज्यों के लिए) किया हैं 2010-11 से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्तपोषण पैटर्न को 90:10 के यप में रखा गया है। 2549 करोड़ रुपये से अधिक की केन्द्रीय सहायता, स्कीम के प्रारंभ से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई है। इसमें से 708 करोड़ रुपये से अधिक वर्ष 2012-13 में जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2800 करोड़ रुपये,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा जुलाई, 2010 और सितम्बर, 2012 के बीच न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों के आवासीय क्वाटरों के संनिर्माण के लिए मंजूर किए गए हैं। 234 न्यायालयों के भवनों और 254 आवासीय क्वाटरों का संनिर्माण इस अवधि के दौरान पूरा हो चुका था।

भारत सरकार ने, जुलाई 2011 से दिसम्बर, 2011 तक बकाया मामलों की पहल आरंभ की थी। विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 6 लाख अधिक लंबित मामलां की कमी की गई थी जिनमें से लगभग 1.36 लाख मामले वरिष्ठ नागरिकों, नि:शक्त व्यक्तियों, अल्पवयां तथा समाज के निर्धन वर्गों के थे। अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल और आपराधिक मामलों के लंबित मामले, एक वर्ष पूर्व अर्थात् 31.3.2011 को 27548070 लंबित मामलों की तुलना में 31.3.2012 को 26851766 तक कम हो गए हैं। 31.3.2011 और 31.3.2012 को अधीनस्थ न्यायालयों में राज्यवार लंबित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 29 के अधीन, ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां और उसके निर्णय, यथासाध्य, अंग्रेजी भाषा से भिन्न, राज्य की एक राजभाषा में किया जाएगा।

विवरण

31.03.2011 को और 31.03.2012 को अधीनस्थ न्यायालयों में राज्यवार लंबित मामलों की तुलनात्मक संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	31.03.2011 को लंबित मामलों की संख्या	31.03.2012 को लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	5630120	5798272
2.	आंध्र प्रदेश	950617	917620
3.	महाराष्ट्र	3731751	3144426
4.	गोवा	29114	30052
5.	दमन और दीव तथा सिलवासा	5789	4997
6.	पश्चिमी बंगाल	2842706	2638937
7.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15029	13384
8.	छत्तीसगढ़	266283	266220
9.	दिल्ली	918104	689766
10.	गुजरात	2181588	2197565
11.	असम	253133	264204
12.	नागालैंड	5058	4130
13.	मेघालय	2859	3357
14.	मणिपुर[1]	9501	14238
15.	त्रिपुरा	47673	43954
16.	मिजोरम	4772	4426

1	2	3	4
17.	अरुणाचल प्रदेश	6441	6148
18.	हिमाचल प्रदेश	178490	195018
19.	जम्मू-कश्मीर	190771	207588
20.	झारखंड[2]	294657	298240
21.	कर्नाटक	1136467	1115280
22.	केरल	986189	1071305
23.	लक्षद्वीप	177	240
24.	मध्य प्रदेश	1114788	1129432
25.	तमिलनाडु	1206482	1193541
26.	पुदुचेरी	25190	27141
27.	ओडिशा	1104945	1159482
28.	बिहार[3]	1549710	1628291
29.	पंजाब	560370	644972
30.	हरियाणा	564198	594733
31.	चंडीगढ़	73959	57890
32.	राजस्थान	1513840	1432967
33.	सिक्किम	1286	1310
34.	उत्तराखंड	146013	152640
	कुल	27548070	26851766

ईंधन की कमी

4903. श्री सी. शिवासामी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाएं ईंधन की कमी के कारण अपनी संस्थापित उत्पादन क्षमता से आधे पर कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत संयंत्रों के लिए पर्याप्त ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे/उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वर्ष 2012-13 के लिए, देश में ताप विद्युत परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता के उपयोग का माप, संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 69.95 प्रतिशत था। देश में विद्युत संयंत्रों का निष्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है-जैसे जबरन और नियोजित बंदी, कुछ पुरानी यूनिटों की अप्रचलित तकनीक, लाभग्राही

राज्यों की कार्यक्रम अनुसूची, पारेषण बाधाएं और तापीय संयंत्रों के लिए ईंधन की गुणवत्ता और उपलब्धता। वर्ष 2012-13 के दौरान, ताप आधारित विद्युत संयंत्रों के 767.3 बिलियन यूनिट (बीयू) के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन 760.37 बीयू था, इस प्रकार उत्पादन लक्ष्य लगभग बराबर रहा और पिछले वर्ष के 708.8 बीयू के उत्पादन में 7.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं-

(i) सीआईएल उन विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर करेगा जिन्होंने डिस्कामों के साथ दीर्घावधिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) किए हों और जिन्हें चालू किया जा चुका है/31 मार्च, 2015 तक या पहले चालू कर दिया जाएगा।

(ii) 80 प्रतिशत हतोत्साहन और 90 प्रतिशत प्रोत्साहन लेवी के लिए 80% के ट्रिगर नेवल के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए आश्वासन पत्रों (एलओए) में उल्लिखित कोयले की पूर्ण मात्रा के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

(iii) कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह कोयला कंपनियों पर यह जोर दे कि वे कोयले का उत्पादन बढ़ायें ताकि विद्युत संयंत्रों की मांग पूरी की जा सके।

(iv) स्वदेशी कोयले की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच की कमी को पूरा करने के लिए पावर यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है।

(v) मौजूदा खानों से कैप्टिव कोयला ब्लाक के आवंटियों द्वारा कोयला उत्पादन तेजी से बढ़ाने और नए कोयला ब्लाकों का शीघ्र चालू करने पर बल देना।

[हिन्दी]

लाइसेंसों को वापस करना

4904. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत क्षेत्र में प्रचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त अनेक कंपनियां अपने लाइसेंस वापस कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने स्थिति का जायजा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जून, 2004 से मार्च, 2013 की अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने विद्युत में अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए 64 आवेदकों को व्यापार लाइसेंस प्रदान किए थे। इनमें से, 14 लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं और उनके लाइसेंस को आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया हैं लाइसेंस धारकों ने लाइसेंस सरेंडर करने के अपने आवेदनों में प्रतिस्पर्धी विद्युत ट्रेडिंग बिजनेस, बाजार में चल रही अति अस्थिरता और अनिश्चितता जैसे कारणों को अपने लाइसेंस सरेंडर करने के कारणों के रूप मे उद्धृत किया है।

लाइसेंस सरेंडर करने वाले लाइसेंस धारकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	लाइसेंस धारकों का नाम
1.	एमएमसी लिमिटेड
2.	डीएलएफ पावर लिमिटेड
3.	जिंदल स्टील एड पावर लिमिटेड
4.	सारदा एनर्जी एंड मिनिरल्स लिमिटेड
5.	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड
6.	बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड
7.	मालक्ष्मी एनर्जी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
8.	पटनी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	वन्दना ग्लोबल मिलिटेड
10.	इंडियाबुल्स पावर जेनरेशन लिमिटेड
11.	बेसिक पॉइंट कॉमोडीटीज प्राइवेट लिमिटेड
12.	रिगहिल इलैक्ट्रिक्स लिमिटेड
13.	गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड
14.	कांडला एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड, अहमदाबाद

(ग) और (घ) जी, हां। विद्युत व्यापार व्यवसाय में शामिल विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए और इसके लिए सहायक वातावरण तैयार करने के लिए, सीईआरसी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) अल्पकालिक विद्युत (एक वर्ष तक) के ट्रेडिंग मार्जिन को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) (ट्रेडिंग मार्जिन का निर्धारण) विनियम, 2010 के माध्यम से संशोधित करते हुए किसी भी विक्रय मूल्य के लिए 4 पैसे प्रति किलोवाट की समान दर को, जहां विक्रय मूल्य 3 रुपये/किलोवाट के बराबर अथवा उससे कम हो, वहां 4 पैसे प्रति किलोवाट और जहां विक्रय मूल्य 3 रु./किलोवाट से अधिक होता है, वहां 7 पैसे/किलोवाट कर दिया है।

(ii) ट्रेडिंग लाइसेंस धारकों द्वारा किए गए ट्रेडिंग मार्जिन को सभी दीर्घकालिक ठेकों (अर्थात उन ठेकों के लिए जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक है।) के लिए समाप्त कर दिया गया है।

(iii) विद्युत ट्रेडिंग में छोटे प्लेयरों की अधिक संख्या को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई व्यापार लाइसेंस श्रेणी (वर्ष में 100 एमयू तक व्यापार करने के लिए श्रेणी iv) शुरू की गई है।

(iv) व्यापार लाइसेंस धारकों को अपने उत्पाद पोर्टफोलियों में विविधता लाने और व्यापार की मात्रा बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने के लिए विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसीएस) ट्रेडिंग की शुरूआत।

[अनुवाद]

नवाचार परिसर

4905. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) का प्रस्ताव 2014 तक देश में पहले सीएसआईआर नवाचार परिसर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएसआईआर का विचार अपने नवाचारों को वाणिज्यीकृत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) कोलकाता, चेन्नै और मुंबई में सीएसआईआर नवोन्मेष परिसरों की स्थापनार्थ अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(ख) सीएसआईआर के नवोन्मेष परिसर इस क्षेत्र में नवोन्मेष पारिस्थितिकी प्रणाली को उत्प्रेरित करने के लिए ट्रांसलेशनल रिसर्च सेटअप हैं।

(ग) अपने मैंडेट के अनुसार सीएसआईआर अपने नवोन्मेषों के वाणिज्यीकरण में सीधे शामिल नहीं होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उद्यमिता का विकास

4906. श्री कीर्ति आजाद: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी) द्वारा प्रारंभ किए गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एनएसटीईडीबी के तत्वावधान में कार्यरत एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उद्यमिता प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इसका वित्तीय ब्यौरा क्या है; और

(घ) एनएसटीईडीबी द्वारा पंजीकृत और सफलतापूर्वक प्रशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता बोर्ड (एनएसटीईडीबी) ज्ञान आधारित प्रोद्योगिकी चालित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की योजना स्कीम नामत: "विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास" को कार्यान्वित करता है। यह स्कीम उद्यमिता की समृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को सहायता प्रदान रती हैं इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त मुख्य कार्यक्रमों में से कुछ हैं: अकादमिक संस्थानों में तथा इनके इर्द-गिर्द नवोन्मेष एवं उद्यम विषयक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क (एसटीईपी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी छात्रों के बीच नवोन्मेष

को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक संस्थानों में नवोन्मेष तथा उद्यमिता विकास केन्द्र; देश में पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म-उद्यमिता की संवृद्धि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास प्रोजेक्ट; उद्यमिता के बारे में छात्रों तथा संकाय सदस्यों के बीच जागरूकता के सृजन के लिए अकादमिक संस्थानों में उद्यमिता जागरूकता शिविर (ईएसी) का आयोजन; उद्यमिता के विविध पहलुओं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) तथा प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम और महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम; अकादमिक संस्थानों में उद्यमिता के आयोजन और संवर्धन के लिए संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु संकाय विकास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा एनएसटीईडीबी नवोन्वेष और उद्यमिता की खोज, सहायता तथा स्तरोन्नयन के लिए विविध प्रोजेक्टों को भी सहायता प्रदान करता है।

(ख) एनएसटीईडीबी, एनएसटीईडीबी द्वारा सहायता प्राप्त प्रोजेक्टों के कार्यान्वयन में शामिल विविध पणधारकों के लिए नेटवर्किंग के अवसरों का विकास करता है तथा इन्हें उपलब्ध करता है। प्रौद्योगिकी व्यापनार इन्क्यूबेटर तथा विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क जिनकी संख्या लगभग 66 है, ने एक औपचारिक संगठन बनाया है जो भारतीय एसटीईपी तथा व्यापार इन्क्यूबेटर एसोसिएशन (आईएसबीए) कहलाता है। आईएसबीए सभी पणधारकों के लिए एक उत्तम नेटवर्किंग मंच के रूप में कार्य कर रहा है। एनएसटीईडीबी क साथ समूहबद्ध किए गए अन्य अभिकरण है: विविध राज्य सरकारों द्वारा निर्मित उद्यमिता विकास संस्थान; विविध राज्यों में अलि भारतीय वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित उद्यमिता विकास संस्थान; विविध राज्यों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकी परामर्श संगठन; अकादमिक तथा अनुसंधान और विकास संस्थान; तथा उद्यमिता के प्रोन्नयन में लगे हुए गैर सरकारी संगठन।

(ग) विविध उद्यमिता प्रयासों का ब्यौरा उत्तर के भाग (क) पर वर्णित है। योजना स्कीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास के अंतर्गत एनएसटीईडीबी ने विगत तीन वर्षों के दौरान रुपये 39. 56 करोड़ (2010-11), रुपये 43.61 करोड़ (2011-12) तथा लगभग रुपये 41.00 करोड़ (2012-13) का व्यय किया।

(घ) एनएसटीईडीबी ने अपने विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण के लिए लगभग 80000 छात्रों/प्रत्याशित उद्यमियों/संकाय सदस्यों का पंजीकरण किया।

जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण

4907. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर बोडोलैण्ड प्रादेशिक क्षेत्रों के पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए और नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में आरजीजीवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(i) भारत सरकार से सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया है जो परियोजनाओं को मंजूरी देने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक करती है।

(ii) राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए जिला समितियां स्थापित करने की सलाह दी गई हैं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए सभी राज्यों में जिला समितियों का गठन किया गया है।

(iii) राज्यों को संसद सदस्यों सहित चयनित प्रतिनिधियों को जिला समिति में शामिल करने की सलाह भी दी गई है।

(iv) विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्यों से आरजीजीवीवाई के कार्यान्त्रयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक बैठकें आयोजित करने का अनुरोध भी किया गया है।

(v) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा साथ ही साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी), जो कि आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी है, सहमत कार्यक्रम के अनुसार स्कीम के तीव्र कार्यान्वयन हेतु सभी पणधारियों, संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बार-बार समीक्षा बैठकों का आयोजन करते हैं।

(vi) परियोजनाओं के तीव्र और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, परियोजना का निष्पादन टर्नकी आधार पर प्रारंभ किया गया है।

(vii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के गुणवत्तापरक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र लागू किया गया है।

(viii) जहां भी वन स्वीकृति/रेलवे स्वीकृतियों आदि में विलम्ब होता है और अंतर्मंत्रालयी मध्यस्थता जहां अपेक्षित हो वहां अनिवार्य स्वीकृतियों के मामले को तीव्र करन के लिए विभिन्न स्तरों पर संबंधित मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के साथ मामलों को उठाया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में, अखिल भारतीय आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परम्परागत स्रोतों से 88537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योना बनाइ गई है। क्षमता अभिवृद्धि के इस स्तर के साथ, अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की मांग को 12वीं योजना के टर्मिनल वर्ष (2016-17) तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। 12वीं योजना के दौरान 88537 मेगावाट के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3529.6 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि शामिल है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 13595 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 22147 आशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण और 1624668 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 82 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों में मंजूर परियोजनाओं में पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों तथा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रों सहित सभी जिले शामिल हैं। संचयी रूप से, 31.3.2013 तक स्कीम के अंतर्गत 12339 गैर विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य, 18535 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण किया जा चुका है और 1213673 बीपीएल घरों को निःश्युल्क विद्युत के कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरजीजीवीवाई की राज्य-वार कवरेज एवं उपलब्धि

31.03.2013 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	गैर-विद्युतीकृत गांव		आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव		बीपीएल घर	
			कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि
1.	अरूणाचल प्रदेश	16	2106	1700	1760	1045	40726	28786
2.	असम	23	8326	8019	12984	12290	1150597	908550
3.	मणिपुर	9	882	616	1378	562	107369	28851
4.	मेघालय	7	1866	1654	3239	2223	109696	85495
5.	मिजोरम	8	137	94	570	346	27417	15144
6.	नागालैंड	11	105	88	1140	1069	69899	37562
7.	सिक्किम	4	25	25	418	383	11458	9783
8.	त्रिपुरा	4	148	143	658	617	107506	99502
	कुल	82	13595	12339	22147	18535	1624668	1213673

[हिन्दी]

उर्वरक विक्रेता/खुदरा विक्रेता

4908. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश में राज्य-वार उर्वरक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में उर्वरक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) उर्वरक थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों की राज्य-वार सूची (उत्तर प्रदेश सहित) अनुलग्नक-'क' पर संलग्न है।

संबंधित कंपनियों द्वारा उर्वरक थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को अपनी निजी वाणिज्यिक आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

जले हुए ट्रांसफार्मर

4909. श्री जगदानंद सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई भागों विशेषकर बिहार के लोग तार टूटने और ट्रांसफार्मर के अक्सर जलने के कारण अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं और इसके परिणामस्वरूप बिजली से चलने वाले नलकूप भी कार्य नहीं करते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वित्त पोषण से देश के विभिन्न भागों में स्थापित अधिकांश नलकूपों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने और नए नलकूपों के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत सरकार ने ग्रामीण घरों में विद्युत की पहुंच प्रदान करने और बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के सृजन एवं घरेलू विद्युतीकरण हेतु "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)" प्रारंभ की थी। तारों की मरम्मत और जने के कारण क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को ठीक करने सहित आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सृजित ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के अनुरक्षण और रख-रखाव की जिम्मेवारी संबंधित विद्युत यूटिलिटी की होती है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, गांवों मे वितरण ट्रांसफार्मरों को घरेलू प्रकाश व्यवस्था के भार और बीपीएल घरों की पूर्ति के लिए लगाया गया है न कि नलकूपों के भार की पूर्ति के लिए।

(ग) और (घ) बिहार में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 166.20 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 3000 नलकूप परियोजनाओं को संस्वीकृति दी है जिसमें आरआईडीएफ XI (2005-06) के अंतर्गत 157.89 करोड़ रुपये का आरआईडीएफ ऋण शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत संचयी संवितरण 143.43 करोड़ रुपये (आआईडीएफ ऋण का 91%) है। 3000 नलकूपों में से, बिहार सरकार द्वारा केवल 2744 नलकूपों से संबंधित कार्य ही निष्पादित किया जा सका है। शेष 256 नलकूपों से संबंधित कार्य स्थल चयन की समस्याओं के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

दिनांक 31 मार्च, 2012 के वित्तांश समापन तक केवल 822 नलकूपों को ऊर्जित किए जाने की सूचना है। सूचना है कि शेष नलकूपों को राज्य योजना वित्त पोषण के अंतर्गत विभाग द्वारा ऊर्जित करने की प्रक्रिया चल रही हैं

(ङ) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, एक बार गांव को ऊर्जित कर दिए जाने और उसे राज्य विद्युत यूटिलिटी को सौंप दिए जाने के पश्चात, जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने/मरम्मत करने सहित अवसंरचना के अनुरक्षण एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है।

[अनुवाद]

उद्यमियों को लाभ

4910. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कारोबार/उद्योग शुरू करने के संबंध में भारत का स्थान 166वां है;

(ग) यदि हां, तो इतने निचले स्थान का कारण क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत नए उद्यमियों को सब्सिडी लिंक्ड बैंक ऋण प्रदान किया जाता है; क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत संपार्श्विक मुक्त बैंक ऋण मुहैया कराया जाता है; राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) के तहत नए उद्यमियों को हैंड होल्डिंग सहायता देने के लिए उद्यमी मित्र की लागत पर सब्सिडी दी जाती है।

(ख) विश्व बैंक ने वर्ष 2012 में 'अपेक्षाकृत अधिक पादर्शी विश्व में व्यवसाय करना' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की हैं इस रिपोर्ट में निर्धारित मानक समुच्चय के अनुसार व्यवसाय आरंभ करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर विभिन्न देशों में व्यवसाय करने में सहुलियत के बारे में सूचना दी गई है जबकि इस रिपोर्ट में भारत को कुल मिलाकर 132वां स्थान दिया गया वहीं "व्यवसाय आरंभ करने" की श्रेणी में भारत को 166वें स्थान पर रखा गया है।

(ग) 'अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी विश्व में व्यवसाय करना' रिपोर्ट 2012 में अनुसरण किए गए मानकों के अनुसार 'व्यवसाय आरंभ करने' के तहत रैंक का निर्धारण नए व्यवसाय आरंभ करने के लिए पूरी की जाने वाली प्रक्रियाओं की संख्या, लगने वाले समय, इसमें लगने वाली लागत ओर निवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी के मानकों पर किया जाता है। उपर्युक्त मानकों में से प्रत्येक के अंतर्गत संकलित आंकड़ों और अन्य देशों के आंकड़ों के साथ उनकी तुलना के आधार पर इस रिपोर्ट में भारत का स्थान निर्धारित किया गया है।

(घ) भारत में नए व्यवसाय आरंभ करने को सुगम बनाने के लिए सरकार ने कई पहल किए हैं यथा-एमएसएमईडी अधिनियम-2006 के अधिनियमन के साथ लघु उद्योगों के पंजीकरण को समाप्त करना और उद्यमी ज्ञापन वैकल्पिक रूप में दायर करना; उद्यमी ज्ञापन प्रगामी रूप में ऑनलाइन दायर करना; सिडबी द्वारा वेंचर कैपिटल फंड आरंभ करना; सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच को सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विशेष एसएमई प्लेटफार्म आरंभ करना आदि।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा दवाओं की खरीद

4911. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह *ऊर्फ* **ललन सिंह:**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और बीमा कंपनियों द्वारा देशभर में केवल 21 प्रतिशत दवाओं की खरीद उन दरों पर की जाती है, जो आम लोगों द्वारा खरीदी गई इन दवाओं की दर से कम होती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार देशभर में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और बीमा कंपनियों को बेची जाने वाली दवाओं के मूल्यों में कमी लाने को प्राथमिकताएं प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) औषध विभाग में इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) औषध विभाग द्वारा इस प्रकार के कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

आबिदा बेगम एक्सप्रेस

4912. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने आबिदा बेगम एक्सप्रेस ट्रेन, जो शाहजहांपुर होते हुए कानपुर-बालामऊ-निमसार से दिल्ली तक चलती थी, को पुनः शुरू करने के लिए कदम उठाया है अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) हाल ही में बलामऊ-शाहजहांपुर के रास्ते कानपुर और दिल्ली बीच "आबिदा बेगम एक्सप्रेस" नाम से कोई गाड़ी परिचालन में नहीं है। अत: इसे बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण बलामऊ-शाहजहांपुर के रास्ते कानपुर और दिल्ली के बीच गाड़ी चलाना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

डीवीसी द्वारा मितव्ययिता उपाय

4913. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा खर्च में कमी करने और योजनागत और गैर-योजनागत पदों के सृजन पर पूर्ण पाबंदी लगाने के संबंध में दिनांक 31/5/2012 के का.ज्ञा. सं. 7(1) ई. समन्वय/2012 के तहत एक परिपत्र जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीवीसी ने नियमों के उल्लंघन में वित्त विभाग, नई दिल्ली में उप मुख्य इंजीनियर के चार पदों को सृजित किया था; और

(घ) उक्त नियुक्ति में उल्लंघन के संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने खर्च में कमी करने के उपायों के बारे में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 31.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7(1)ई. समन्वय/!2012 के अनुसार एक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2012 (प्रति विवरण में संलग्न) को जारी किया है।

(ग) जीं, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दामोदर घाटी निगम
डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड
कोलकाता-700054

सं. जी/जी-99 (खंड-III)91-99(भाग)/689

जून 21, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: व्यय प्रबंधन मितव्ययिता उपाय और व्यय को युक्ति संगत बनाना।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, व्यय विभाग द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 के माध्यम से जारी का.ज्ञा.सं. 7(I)ई. समन्वय/2012 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जो स्वत: स्पष्ट है।

उक्त कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों को सूचना और कार्यान्वयन के लिए एतद्द्वारा संलग्न है।

संलग्न-यथोक्त।

(पल्लव रॉय)
अपर सचिव

वितरण:

सूची "ग" के अनुसार

[हिन्दी]

कोचिंग टर्मिनल/वृद्धाश्रम

4914. श्री विष्णु देव साय:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रायगढ में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत कोचिंग टर्मिनल की स्थापना करने के लिए वर्ष 1998 में नींव रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए अब तक आवंटित/खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त टर्मिनल को कब तक परिचालन योग्य बना दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे का अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए देशभर में वृद्धाश्रमों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां। रायगढ़ में कोचिंग टर्मिनल स्थापित करने के लिए 14 सितम्बर, 1998 को आधारशिला रखी गई थी।

(ख) 1998-99 में प्रारंभिक तौर पर कार्य को स्वीकृत किया गया था, बहरहाल, बाद में इसे रोक दिया गया था। उसके बाद, अभी तक रेलवे बजट में प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, इस कार्य को अभी तक कोई धन राशि आबंटित नहीं की गयी है।

(ग) चूंकि यह कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है, इसलिए टर्मिनल के परिचालन के लिए कोई भी समय-सीमा निर्धारित नहीं कीा जा सकती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अमेरिका में पेटेंट रहित दवाओं के अवसर से लाभ उठाना

4915. श्री खगेन दास: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी कुछ वर्षों में अमेरिका में कई दवाएं पेटेंट से मुक्त हो जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस अवसर का लाभ उठाने के लिए भारतीय जेनरिक कंपनियों को सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए गठित की गई भेषज और औषध उद्योग संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट में उद्धृत मैकिन्से एंड कंपनी के अध्ययन "कैपचरिंग द इंडिया एडवांटेज" के अनुसार वर्ष 2015 तक परम्परागत मॉलिक्युल्स और जैव औषध के लिए 300 बिलियन अमेरिका डालर मूल्य का पेटेंट मुक्त हो जाएगी। कीमत में कमी तथा इसके परिणामस्वरूप पेटेंट से जेनरिक में परिवर्तित बाजार मूल्य कम से कम 30-35 प्रतिशत अनुमानित है जो 100 बिलियन अमेरिकी डालर बैठता है।

(ग) और (घ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि वे केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के सहयोग से उद्योग प्रतिनिधियों सहित विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श करते हुए "सदृश जीवोत्पाद संबंधी दिशा-निर्देश: भारत-2012 में विपणन प्राधिकरण के लिए विनियामकीय अपेक्षाएं" तैयार की हैं। ये दिशा-निर्देश विनियामकीय प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाते हैं और सुरक्षित, प्रभावकारी, वहनीय और समान गुणवत्ता वाली "जैविक (बायोजेनरिक औषधियों) को दिशा-निर्देश एवं दस्तावेजों सहायता मुहैया करते हैं और अगले कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका में पेटेंट से मुक्त होने के कारण प्राप्त अवसर का फायदा उठाने में भारतीय जेनरिक औषधि कंपनियों को सहायता करते हैं।

[हिन्दी]

लंबित आवेदन

4916. श्री जफर अली नकवी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में जल की अनुपलब्धता के कारण लंबित पड़े ताप विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्तावित इकाइयों के आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन आवेदनों पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इन आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इन प्रस्तावित इकाइयों के लिए आवश्यक जल की मात्रा और इस संबंध में जल वितरण के लिए सरकार की नीति क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) इस मंत्रालय में इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। एक ताप विद्युत परियोजना के लिए

जल राज्य सरकार द्वारा आबंटित किया जाता है। अन्तर्राज्यीय मुद्दों के मामले में, केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय की स्वीकृति विकासकर्ता द्वारा प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है।

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी की जिम्मेदारी

4917. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अमेरिकी न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया कि न तो यूनियन कार्बाइड निगम और न ही इसके पूर्व अध्यक्ष डब्ल्यू. एंडरसन भोपाल, जहां 1984 में गैस रिसाव के कारण हजारों लोग मारे गए थे, में निष्क्रिय पड़े संयंत्र के आस-पास रह रहे लोगों द्वारा किए गए पर्यावरणीय उपचार अथवा प्रदूषण संबंधी दावों के लिए उत्तरदायी नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो अमेरिकी न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का अमेरिकी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग को यूएस न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे किसी निर्णय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसके अधीन न तो यूनियन कार्बाइड और न ही इसके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वारेन एंडरसन को पर्यावरण उपचार या भोपाल में बंद पड़े संयंत्र, जहां 1984 में गैस रिसाव त्रासदी में हजारों लोग मारे गए थे, के आसपास रहने वालों के पर्यावरण-संबंधी दावों के लिए उत्तरदायी नहीं माना है। तथापि, इस मामले की रिपोर्ट मीडिया में आई थी। विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, भोपाल गैस पीड़ितों एवं अन्य सक्रिय संगठनों द्वारा पर्यावरण उपचारण के संबंध में एक मामला (साजिदा बनो बनाम यूसीसी) यूएस न्यायालय में 1999 में दायर किया गया था। भारत संघ इस मामले में पक्ष नहीं था। भारत संघ एवं मध्य प्रदेश सरकार ने यूएस न्यायालय में अनापत्ति प्रमाणपत्र दायर किया था। यह मामला अंतिम रूप से अक्तूबर, 2005 में खारिज कर दिया गया था। तदुपरांत, जनवरी, 2010 में पीड़ितों के प्रमुख वकील श्री एच. राजन शर्मा ने यूसीसी के विरूद्ध साहू एवं अन्य बनाम यूसीसी एवं अन्य मामले में भारत संघ द्वारा हस्तक्षेप करने तथा एक पक्ष बनने का अनुरोध किया था। मामले की जांच विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि, चूंकि भारत के उच्चतम न्यायालय सहित कई न्यायालयों में भारत संघ द्वारा भोपाल गैस रिसाव एवं इसके विभिन्न प्रभावों संबंधी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, यूएस न्यायालय की कार्यवाहियों में भारत संघ को पक्ष के रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यूएस न्यायालय में हस्तक्षेप के लिए आवेदन करने से भारत संघ को कुछ भी हासिल नहीं होगा।

[हिन्दी]

नियंत्रण रहित फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों की बिक्री

4918. श्री गोपाल सिंह शेखावत: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियंत्रण रहित फास्फेट और पोटाश उर्वरकों की बिक्री से संबंधित राहत योजना को विस्तार दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां। पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति के अंतर्गत किसानों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर नियंत्रणमुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं। इस नीति के अंतर्गत, राजसहायताप्राप्त पीएण्डके उर्वरक के प्रत्येक ग्रेड पर, इसमें निहित पोषक तत्व के आधार पर, राजसहायता की एक नियम राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है। वर्तमान में पीएण्डके उर्वरकों के 22 ग्रेड एनबीएस योजना में शामिल हैं।

[अनुवाद]

केरल के लिए अतिरिक्त विद्युत

4919. श्री पी.के. बिजू:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल की अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के पास कोई अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) 11वीं योजना के अंत (2011-12) तक केरल की विद्युत ऊर्जा आवश्यकता 19890 एमयू थी। देश के 18वें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार 12वीं योजना के अंत तक केरल राज्य की विद्युत ऊर्जा आवश्यकता 26584 एमयू होने का अनुमान है। इसलिए, 12वीं योजना के दौरान केरल की अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा आवश्यकता 6694 एमयू होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) जी हां, योजना आयोग के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परम्परांगत स्रोतों से 88537 मेवा की क्षमता अभिवृद्धि की आयोजना की गई है। इसमें केवल राज्य में 100 मेवा की क्षमता अभिवृद्धि शामिल है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मेवा)
1.	थोट्टियर एचईपी	हाइड्रो	40
2.	पाल्लीवासल एचईपी	हाइड्रो	60
	कुल	100	

इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना के दौरान केरल को दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से 432 केवा का हिस्सा प्राप्त होने की संभावना है।

88357 मेवा की क्षमता अभिवृद्धि होने से अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की मांग 12वीं योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) तक पूरा होने की संभावना है। सरकार ने राज्यों को उनके अनुमानित मांग आपूर्ति परिदृश्य के आधार पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली (परियोजना विकासकर्ताओं अथवा ट्रेडर्स से) के माध्यम से विद्युत के प्रापण की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

विद्युतीकृत गांव

4920. श्री एस. सेम्मलई: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुमोदित परिभाषा में यह दिया गया है कि यदि किन्हीं गांवों और खेड़ों के न्यूनतम 10 प्रतिशत घरों में बिजली प्रदान की गई है तो उन गांवों और खेड़ों को विद्युतीकृत माना जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस परिभाषा को उर्ध्व रूप में संशोधित करने और कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक घरों में बिजली हो तो उन गांवों/खेड़ों को पूर्णतः विद्युतीकृत माने जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परिभाषा के निरपेक्ष इस कार्यक्रम के तहत सभी दलित परिवारों के घरों को बिजली प्रदान की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वर्ष 2004-05 से प्रभावी नई परिभाषा के अनुसार, किसी गांव को विद्युतीकृत तभी घोषित किया जायेगा यदि:

(i) आधारभूत अवसंरचना, जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें, बसे हुए स्थान तथा दलित बस्ती/बस्तियां जहां पर वे है में उपलब्ध करवाई जाती हो। (गैर-परपरागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए वितरण ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है)।

(ii) स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, सामुदायिक केन्द्रों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों को विद्युत उपलब्ध करावाई जाती है और

(iii) विद्युतीकृत किए गए घरों की संख्या गांव में घरों की कुल संख्या का कम से कम 10% होनी चाहिए।

विद्युतीकृत आवासों की कोई परिभाषा नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) परिवारों को (एससी/एसटी बीपीएल परिवारों सहित) उन आवासों में निःशुल्क बिजली का कनैक्शन उपलब्ध करवाया जाता है जहां पर परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई हो और जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक हो। 31.3.2013 तक, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 20721824 बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनैक्शन जारी किए गए हैं।

दवाओं का मूल्य नियंत्रण संबंधी आदेश

4921. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवाओं के मूल्य नियंत्रण से संबंधित सरकार के आदेशों का अब तक कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का इस मुद्दे में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अंतर्गत 74 बल्क औषधियों तथा इन औषधियों वाले किसी फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों को निर्धारित अथवा संशोधित करता है। एनपीपीए अपनी स्थापना से अब तक अनुसूचित फार्मूलेशनों के 12170 मामलों और गैर-अनुसूचित बल्क औषधियों के 533 मामलों में मूल्य को निर्धारित अथवा संशोधित किया है। डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सरकार/एनपीपीए द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित कोई भी अनुसूचित फार्मूलेशन (दवाई) किसी भी उपभोक्ता को मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

उन औषधियों के मामले में जो डीपीसीओ, 1995 के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियों के मामले में विनिर्माता सरकार/एनपीपीए का अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वयं मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तथापि, मूल्य मानीटरिंग गतिविधि भाग के रूप में, एनपीपीए गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित रूप से जांच करती है जहां कही भी मूल्य में मूविंग आधार पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की मूल्य वृद्धि होती है, वहां विनिर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो विहित शर्तों के अध्यधीन जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10(ख) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है। गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मानीटरिंग के आधार पर सरकार ने पैरा 10(ख) के अधीन 30 फार्मूलेशन पैकों के मामलों में मूल्य तय किए हैं और कंपनियों के 65 फार्मूलेशनों पैकों के मामलों में स्वेच्छा से मूल्य कम किए हैं। इस प्रकार, एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप गैर-अनुसूचित औषधियों के 95 पैकों के मूल्य कम हुए हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा निर्यात

4922. श्री अनंत कुमार: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र (एसएसआईएस) द्वारा किया गया कुल निर्यात कितना है और इन निर्यातों के लिए प्रमुख बाजार कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन क्षेत्रें की पहचान की है जहां निर्यातों में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एसएसआईएस उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई, एंडएस) के आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र से कुल निर्यात का अनंतिम रूप से किया गया अनुमान निम्नानुसार है:

अमरीकी मिलियन डालर में

क्र.सं.	वर्ष	एमएसएमई निर्यात
1.	2009-10	82494
2.	2010-11	111403
3.	2011-12	131483

20 सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाले एमएसएमई उत्पाद समूहों, जिसमें 2009-12 के दौरान एमएसएमई निर्यात का 90 प्रतिशत से अधिक भाग शामिल है, के मुय बाजारों में संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ (ईयू), संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, सिंगापुर, हांगकांग, इजरायल और सऊदी अरब शामिल हैं।

(ख) और (ग) 20 सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाले एमएसएमई उत्पाद समूहों के निर्यात में 2009-10 से 2011-12 के दौरान कोई कमी नहीं आई। इन 20 उत्पाद समूहों की सूची विवरण में संलग्न है।

(घ) सरकार एमएसएमई उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाए/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें से कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों में राष्ट्रीय

विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के 10 घटक; क्रेडिट गारंटी योजना; क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम; कलस्टर विकास कार्यक्रम; बाजार विकास सहायता योजना और अनुषंगीकरण के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

विवरण

क्र.सं.	20 सर्वाधिक निर्यातित उत्पाद समूहों की सूची
1.	पर्ल्स, कीमती पत्थर, धातु, सिक्के आदि
2.	इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
3.	पोशाक, एक्सेसरिज, सिलाई नहीं की गई अथवा क्रोचेट वस्तुएं
4.	फार्मास्यूटिकल उत्पाद
5.	मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, उसके पुर्जे
6.	लोहा अथवा स्टील के सामान
7.	पोशाक, एक्सेसरिज, सिलाई की गई अथवा क्रोचेट वस्तुएं
8.	कार्बनिक रसायन
9.	अन्य निर्मित वस्त्र, सेट्स, वार्न क्लोदिंग आदि
10.	रेलवे, ट्रामवे से इतर वाहन
11.	प्लास्टिक और उसके सामान
12.	रबड़ और उसके सामान
13.	फुटवियर्स, गेटर्स और इसी प्रकार की वस्तु, उसके पार्टस
14.	चमड़े की वस्तुएं, एनिमल गट, हारनेस, परिवहन सामग्री
15.	बेस मैटल के टूल्स, इम्पलीमेंटस, कटलरी आदि
16.	चर्म शोधन, डाइंग एक्ट्रैक्ट्स, टेनिन्स, डेरिवेटिस, पिगमेंटस आदि
17.	आवश्यक तेल, इत्र, कास्मेटिक्स, टायलेटरीज
18.	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टर्स, अभ्रक आदि के सामान
19.	कार्पेट्स और टेक्सटाइल के अन्य फ्लोर कवरिंग्स
20.	फर्नीचर, लाइटिंग, साईन्स, प्रीफेबरिकेटेड बिल्डिंग्स

कोयले की आवश्यकता

4923. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उकई ताप विद्युत संयंत्र की कुल वार्षिक कोयला आवश्यकता कितनी है; और

(ख) उक्त विद्युत संयंत्र द्वारा कोयले की आवश्यकता को किस स्रोत से पूरा किया जाता है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) 1350 मेगावाट के उकई थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) का साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के साथ 4.17 मिलियन टन का ईंधन आपूर्ति करार है। उपर्युक्त के अलावा, उकई टीपीएस की इकाई-6 (500 मेगावाट) हाल ही में 5 मार्च, 2013 को चालू की गई है जो कैप्टिव कोयला ब्लॉक से जुड़ी है। आबंटित कोयला ब्लॉक से उत्पादन में विलम्ब होने के कारण कोयला मंत्रालय ने साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से टेपरिंग लिंकज प्रदान किया है।

अनिवासी भारतीयों के लिए ऑनलाइन मतदान

4924. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनिवासी भारतीय द्वारा अपने वोट को ऑनलाइन डालने की ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भावी चुनावों में इस प्रणाली को लागू करने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को ऑनलाइन अपने मतदान का प्रयोग करने की ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरयू नहर परियोजना

4925. श्री जगदम्बिका पाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चल रही सरयू नहर परियोजना का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है और यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस परियोजना के पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) अभी तक सरयू नहर परियोजना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तथा इसे मार्च, 2016 तक पूरा किया जाना है।

(ख) इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बेरमपुर, गोंडा, बस्ती, संतकबीरनगर तथा गोरखपुर जिलों को लाभ होगा।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन परियोजना

4926. श्री संजय धोत्रे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रतलाम-महू-खंडवा-अकोला मार्ग पर आमान परिवर्तन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और अकोला-खंडवा खंड के लिए वन संबंधी अनुमति लेने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या रेल का मेलघाट बाघ रिजर्व के चारों ओर वैकल्पिक संरेखण की संभाव्यता की खोज करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना पर कार्य में तेजी लाने के लिए रेल द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) रतलाम-फतेहाबाद-इंदौर-मऊ-खंडवा-आमलाखुर्द-अकोट-अकोला खंड (472.60 किमी.) के आमान परिवर्तन का कार्य वर्ष 2008-09 में स्वीकृत किया गया था। परियोजना का एक भाग जिसमें रतलाम-फतेहाबाद-इंदौर-मऊ (159.45 किमी.) और अकोट-कोला (43.50 किमी.) खंड आते हैं, के लिए पार्ट विस्तृत अनुमान स्वीकृत किया गया है। रतलाम-फतेहाबाद खंड (80 किमी) के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है। इसके अलावा, फतेहाबाद-इंदौर ख्वांड का परिवर्तन मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च, 2013 तक लगभग 120 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। बजट 2013-14 में इस परियोजना के लिए 119.83 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। आमलाखुर्द-अकोट खंड फिलहाल मेलघाट टाइगर रिजर्व से गुजर रहा है। चूंकि वन संबंधी स्वीकृति प्रदान नही की गई थी, वन क्षेत्र को बचाते हुए और मेलघाट टाइगर रिजर्व की परिधि के साथ रेलवे लाइन ले जाते हुए अकोट-आमलाखुर्द खंड के वैकल्पिक संरेखण के लिए क्षेत्रीय दूरसंवेदी केन्द्र, नागपुर (एनआरएससी) द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता और संवैधानिक मंजूरियों के अनुसार परियोजना प्रगति कर रही है।

[हिन्दी]

जल विवरणी

4927. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री मधुसूदन यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज, जिसमें जल के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण को रोकने के लिए वाणिज्यिक और विनिर्माण कंपनियों द्वारा अनिवार्य रूप से जल विवरणी (वाटर रिटर्न) भरने की परिकल्पना की गई है, के अनुसरण में कोई कदम उठाया है;

(ख) उन उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्होंने उक्त प्रावधान का पालन किया है;

(ग) ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्होंने उक्त प्रावधान के अनुसार जल विवरणी नहीं भरी है;

(घ) ऐसे उद्योगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल के अक्षुण्ण वाणिज्यिक इस्तेमाल पर रोक लगाने तथा सूखा प्रभावित आवासीय क्षेत्रों में जल की अबाधित आपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वाणिज्यिक और विनिर्माता कम्पनियों द्वारा जल विवरणिका प्रस्तुत करने के प्रावधान को अनिवार्य बनाया जाना संकल्पना चरण में है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि उद्योगों द्वारा जल विवरणिका प्रस्तुत किए जाने को अभी अनिवार्य नहीं बनाया गया है।

(ङ) राज्य सरकारें सूखा प्रभावित क्षेत्रों सहित राज्यों में जल के वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है और सूखा प्रभावित आवासीय क्षेत्रों से राज्यों में जल की निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था करती हैं।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने में राज्यों के प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर सहयोग करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, राज्यों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम चलाता है। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, निष्पादन और कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया है।

शहरी विकास मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, संसाधनों का गैर समापनीय केन्द्रीय पूल (नॉन लैप्सऐबल सैंट्रल पूल) और उपग्रह की व्यवस्था वाले नगरों में शहरी अवसंरचना विकास स्कीम जैसी स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत, शहरी क्षेत्र/महानगरों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने में राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है।

[अनुवाद]

ओडिशा में रेल नेटवर्क

4928. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री रुद्र माधव राय:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री अमरनाथ प्रधान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खुर्दा-बोलंगिर परियोजना सहित गत पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ओडिशा राज्य के लिए घोषित रेललाइनों/परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनके लिए आवंटित और इन पर खर्च की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओडिशा राज्य के अधिकांश भाग अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में रेल से नहीं जुड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को रेल संपर्क में सुधार लाने के लिए राज्य के विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए रेलवे द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) गत पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान घोषित की गई रेल परियोजनाएं।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बजट में शामिल किए जाने का वर्ष	2013-13 में आबंटित राशि (करोड़ रु. में)	वर्तमान प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	मार्च, 2013 तक व्यय (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	नई लाइन मंदिर हसौद नया रायपुर (20 किमी) एवं रायपुर (केंद्री)-धामतारी एवं अभानपुर-रजिमब्रांच (67.20) किमी) के आमान परिवर्तन के लिए नई एमएम सहित रायपुर-टिटलागढ़ (203 किमी) (दोहरीकरण)	2007-08	96.91	614.35	51.42	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है और मिट्टी संबंधी कार्य एवं गिट्टी आपूर्ति शुरू कर दी गई है। मंदिर हसौद नया रायपुर खंड के लिए विस्तृत अनुमान को भी स्वीकृत कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	बुरामारा-चाकुलिया (50 किमी-नई लाइन) सहित रूपसा-बांगरीपोसी (90 किमी) (आमान परिवर्तन)	(1995-96)	0.84	643.97	173.04	रुपसा बांगरीपोसी कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। बुरामारा-चाकुलिया कार्य एसपीवी मोड पर आरवीएनएल को सौंप दिया गया है और बैंक ग्राह्ता अध्ययन शुरू कर दिया गया है।
3.	बारबील-बराजमडा (10 किमी) (दोहरीकरण)	2007-08	2.00	56.00	50.18	पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
4.	दुमेतरा-चंपाझारण (19 किमी) (दोहरीकरण)	2007-08		120.00	94.77	पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
5.	बांसपानी-जरोली (8.7 किमी) (दोहरीकरण)	2008-09	1.00	90.88	55.90	खंड को चालू कर दिया गया है।
6.	बांसपानी-दैतारी-तोमका-जाखापुरा (180 किमी) (दोहरीकरण)	2009-10	90.37	942.45	80.88	3 संविदाएं प्रदान कर दी गई हैं, मिटटी संबंधी एवं पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
7.	बृंदामल-झारसुगुड़ा-को डाउन लाइन से जोड़ने के लिए फ्लाईओवर	2009-10	01.00	81.66	3.00	विस्तृत अनुमान स्वीकृति के अंतर्गत हैं।
8.	सम्भलपुर-तालचेर (174.11 किमी) (दोहरीकरण)	2010-11	50.00	679.27	36.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है एवं आकलन शुरू कर दिया गया है।
9.	देलांग-पुरी (28.7 किमी) (दोहरीकरण)	2010-11	55.00	165.16	33.30	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। मिट्टी एवं पुल संबंधी संविदा प्रदान कर दी गई है और कार्य शुरू कर दिया गया है। देलांग-सखीगोपाल खंड 2013-14 के लिए लक्षित है।
10.	चंपाझरन-बिमलगढ़ (21 किमी) (दोहरीकरण)	2010-11	20.00	177.38	24.36	मिट्टी और मिट्टी संबंधी कार्य के लिए ठेका प्रदान कर दिया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया है।
11.	दिघा-जलेश्वर (41 किमी) (नई लाइन)	2010-11	1.00	352.65	4.20	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है।
12.	सिम्हाचलम नार्थ गोपालपट्टनम-बाईपास लाइन का दोहरीकरण 2.07 किमी)	2011-12	10.00	23.33	10.00	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
13.	किरणदुल-जगदलपुर (150 किमी)	2011-12	142.50	826.57	01.00	एनएमडीसी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। 327.96 करोड़ (0 से 45.5 किमी के लिए) के लिए विस्तृत अनुमान पार्ट-I स्वीकृत कर दिया गया है।
14.	खुर्दा रोड-बोलनगीर (289 किमी) (नई लाइन)	1994-95	60.00	1995.25	244.41	खुर्दा रोड-बोलनगीर नई लाइन परियोजना के चरण-I (खुर्दा रोड से बेगुनिया) के संबंध में भौतिक कार्य का 86% काम पूरा हो गया हैं 2012-13 में खुर्दा रोड-खुर्दा टाउन खंड पूरा हो गया है। खुर्दा रोड-नयागढ़ पर स्थित खुर्दा टाउन-सुनाखेला खंड 2013-14 में पूरा करने के लिए लक्षित है।

(ख) ओडिशा में जनसंख्या का 6.69 किमी प्रति लाख का नेटवर्क घनत्व है जोकि जनसंख्या के 6.22 किमी प्रति लाख राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है। क्षेत्र के संबंध में, ओडिशा का नेटवर्क घनत्व 15.81 किमी प्रति 1000 वर्ग किमी है जोकि 19.1 किमी के राष्ट्रीय औसत से कम हैं।

(ग) से (ङ) जी हां। ओडिशा में रेल कनेक्टीविटी में सुधार के संबंध में श्री कालीकेश एन. सिंह देव, संसद सदस्य, श्री रामचंद्र खुंटिया, संसद सदस्य और श्री नवीन पटनायक, मुख्य मंत्री, ओडिशा सहित ओडिशा के जन प्रतिनिधियों से पत्र पाप्त हुए थे और (उनकी जांच के बाद पावती/उत्तर भेज दिए गए थे।

ओडिशा में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से आने वाली 906. 7 किमी लंबाई को कवर करने वाली 7 नई लाइन परियोजनाओं और 1354 किमी लंबाई को कवर करने वाली 16 दोहरीकरण/आमान परिवर्तन परियोजनाओं का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर, ओडिशा में रेलवे नेटवर्क का संर्वधन होगा।

मालभाड़ा प्रोत्साहन स्कीम

4929. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न मालभाड़ा प्रोत्साहन स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन स्कीमों से रेलवे के लिए कोई सकारात्मक परिणाम निकले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इस संबंध में सीमेंट कंपनियों और जन प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) इस समय, परिचालन में शामिल माल यातायात प्रोत्साहन योजनाओं के समूह हैं:–

(i) परम्परागत इम्प्टी फ्लो डारेक्शन के लिए प्रोत्साहन योजना;

(ii) खुले और सपाट माल डिब्बो में बोरी बंद परेषणों के लदान के लिए प्रोत्साहन योजना;

(iii) माल यातायात अग्रेषकों के लिए प्रोत्साहन योजना; और

(iv) वर्द्धमान यातायात के लिए प्रोत्साहन योजना।

(ख) माल यातायात प्रोत्साहन योजना का निष्पादन भारतीय रेलों के साथ-साथ रेल उपयोगकर्ताओं के लिए भी संतोषजनक रहा है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	माल यातायात आमदनी (करोड़ रुपये में)	अनुमेय रियायत (करोड़ रुपये में)
2010-11	4155.79	152.19
2011-12	5963.90	220.60
2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक)	5609.26	190.47

(ग) और (घ) रेलवे में सीमेंट कम्पनियों के परिसंघों सहित महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ नियमित आधार पर होने वाली बातचीत के लिए सुव्यवस्थित तन्त्र मौजूद है। ऐसी बातचीतों के दौरान उठाए गए मुद्दों के अनुपालन में हाल ही में कुछ कदम उठाए गए हैं जिनमें दो प्वाइंट/बहु प्वाइंट संयोजनों की सूची का विस्तार करना, 500 किलोमीटर की दूरी तक 'मिनी' रेक लोडिंग की अनुमति देना, लिब्रलाईज्ड साईडिंग नियम के तहत स्थापित नई साईडिंगों तक वर्द्धमान यातायात के लिए प्रोत्साहन योजना के लाभ का विस्तार करना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

महिला न्यायाधीश

4930. श्री बलीराम जाधव:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की गई है जिनमें महिलाओं से संबंधित अपराधों और उनके उत्पीड़न के मामलों की त्वरित आधार पर सुनवाई के लिए महिला न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे विभिन्न न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शेष अन्य राज्यों में भी ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) अधीनस्थ स्तर पर न्यायालयों का, संबंद्ध उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा गठन किया जाता है। सरकार ने, बलात्संग के मामलों में विचारण समाप्त करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना हेतु सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है। त्वरित निपटान न्यायालयों को महिला न्यायाधीशों के न्यायालयों सहित उनकी उपलब्धता और अपेक्षा को देखते हुए, विनिश्चित करना और उनकी स्थापना करना राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिसम्बर, 2012 से 18 राज्यों में 796 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

महिला न्यायालयों से संबंधित ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राज्यों में 212 कुटुंब न्यायालयों को स्थापित किया गया है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4(4)(ख) के अनुसार, न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्तियों में महिलाओं को वरीयता दी जाती है।

बेकार पड़े शौचालय

4931. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से देश में 'निर्मल भारत अभियान' के अंतर्गत बेकार पड़े शौचालयों का आधारभूत सर्वेक्षण करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त शौचालयों के पुनरोद्धार में कितनी सफलता हासिल हुई है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) से (ग) जी हां, एनबीए के संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित योजनाओं को संशोधित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे इन योजनाओं का नए सिरे से आधारभूत सर्वेक्षण करें। इसके अलावा आधारभूत सर्वेक्षण, कार्य न कर रहे शौचालयों का भी पता लगाएगा एवं उनकी गणना करेगा। सर्वेक्षण का कार्य चल रहा हैं। तथापि, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की मरम्मत एवं रख-रखाव का दायित्व लाभार्थियों पर है।

सिंचित भू-क्षेत्र

4932. राजकुमारी रत्ना सिंहः
श्री रामसिंह राठवाः
डा. संजय सिंहः
श्री पशुपति नाथ सिंहः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उपलब्ध सिचित कृषि योग्य भूमि के कुल क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को अपने-अपने राज्य में सिंचाई सुविधओं के विस्तार के लिए प्रदान की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों को उनकी क्षेत्रविशिष्ट या योजना-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से कोई पैकेज या विशेष निधि प्रदान की गई है तथा यदि हां, तो राज्यों को प्रदान की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान जलस्तर के पुनर्भरण तथा इसका उपयोग करने के लिए कितनी निधि व्यय की गई एवं इसका क्या परिणाम हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सिंचित भूमि का प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2010-11 में सिंचित कृष्य भूमि 89356 हजार हेक्टेयर है। देश में राज्यवार सिंचित कृष्य भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उनके अनुरोध पर निर्माणाधीन एमएमआई परियोजनाओं एवं सतही लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत और एआईबीपी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप केन्द्रीय सहायता देती है। राज्य सरकारों को घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) स्कीम के अंतर्गत पात्र योजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को एआईबीपी के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू सहायता वाली आरआरआर एवं सीएडी एवं डब्ल्यूएम के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV और विवरण में दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ करके 3 वर्ष से अधिक की अवधि से सूखा राहत के लिए बुंदेलखण्ड क्षेत्र में वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ करके 3 वर्ष से अधिक की अवधि से सूखा राहत के लिए बुंदेलखंड विशेष पैकेज क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में यह पैकेज 31.3.2013 तक अनुमोदित है। पैकेज के जल संसाधन घटक के तहत उत्तर प्रदेश को 410.00 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 881.00 करोड़ रुपये, अनुमोदित कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए एसीए घटक के रूप में दिए गए थे। 31.3.2013 तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को क्रमशः 400.25 करोड़ रुपये और 878.16 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(घ) "भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन" नामक केन्द्र क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत XIवीं योजना के दौरान प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन की परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थीं ताकि राज्य सरकारें उसी तरह की जल भू-विज्ञानीय परिवेशों में इन परियोजनाओं का अनुसरण कर सकें। विभिन्न राज्यों के लिए 79.12 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे जिनमें से 65.12 करोड़ रुपये पिछले 3 वर्षों में जारी किए गए थे और भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्षा पोषित/खराब दशा वाले (डिग्रेडेड) क्षेत्रों के विकास के लिए दिनांक 26.2.2009 से एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है और इस स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में 6083 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ङ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार इन स्कीमों को शीघ्र पूरा करने के लिए "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)", "कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीएवंडब्ल्यूएम)" और जल निकायों की "मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर)" स्कीम के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिंचित/कृषि योग्य भूमि (हजा.हे. में.)
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	7153
2.	अरूणाचल प्रदेश	56
3.	असम	170
4.	बिहार	4448

1	2
5. छत्तीसगढ़	1605
6. गोवा	36
7. गुजरात	5616
8. हरियाणा	5543
9. हिमाचल प्रदेश	193
10. जम्मू और कश्मीर	479
11. झारखंड	150
12. कर्नाटक	4279
13. केरल	467
14. मध्य प्रदेश	7421
15. महाराष्ट्र	4850
16. मणिपुर	73
17. मेघालय	74
18. मिजोरम	12
19. नागालैंड	92
20. ओडिशा	1539
21. पंजाब	7724
22. राजस्थान	8322
23. सिक्किम*	20
24. तमिलनाडु	3348
25. त्रिपुरा*	122
26. उत्तराखंड	562
27. उत्तर प्रदेश	19374
28. पश्चिम बंगाल	5562
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30. चंडीगढ़	1
31. दादरा और नगर हवेली	7
32. दमन और दीव	0
33. दिल्ली	32
34. लक्षद्वीप	1
35. पुदुचेरी	25
कुल	89356

विवरण II

2010-2011 से 2012-13 के दौरान एआईबीपी के दौरान अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	22.7920	397.8810	0.0000	5676.0317
2.	अरूणाचल प्रदेश	48.6346	33.7880	54.6650	355.5056
3.	असम	406.4030	424.7100	414.0410	
4.	बिहार	55.7535	15.5300	9.7200	816.3919

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	174.8106	201.4660	157.2650	1171.0056
6.	गोवा	20.0000	20.2500	8.0000	273.1700
7.	गुजरात	361.4200	0.0000	1285.9340	7112.1742
8.	हरियाणा	0.0000	0.0000	0.0000	90.5400
9.	हिमाचल प्रदेश	43.5213	129.7050	48.51 90	650.1393
10.	जम्मू और कश्मीर	156.0341	225.1180	167.9470	1484.3758
11.	झारखंड	242.8874	559.9560	568.9860	1475.2988
12.	कर्नाटक	567.7593	511.4040	368.9570	5715.9293
13.	केरल	10.0172	0.0000	0.0000	179.2696
14.	मध्य प्रदेश	658.6918	473.4640	963.2170	6066.5606
15.	महाराष्ट्र	2069.0559	1199.8920	1019.0170	10679.0149
16.	मणिपुर	249.9965	44.5500	375.0000	1391.5048
17.	मेघालय	110.1947	81 .3002	59.8640	319.1542
18.	मिजोरम	51.0923	42.1100	0.0000	258.1797
19.	नागालैंड	70.0000	72.6470	76.9910	412.0191
20.	ओडिशा	591.6811	614.9420	14.8180	4649.5423
21.	पंजाब	140.4760	43.6300	0.0000	670.9826
22.	राजस्थान	41.9200	3.3750	0.0000	2133.2152
23.	सिक्कम	14.3639	33.7144	0.0000	64.1681
24.	त्रिपुरा	47.9999	34.8751	17.7500	362.8355
25.	तमिलनाडु	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000
26.	उत्तर प्रदेश	432.5382	279.8440	144.6380	3740.5838
27.	उत्तराखंड	160.0600	232.7513	148.8010	1560.8018
28.	पश्चिम बंगाल	89.1000	107.0020	0.0000	405.6761
	कुल	6837.2033	5783.9050	5904.1300	60254.8175

विवरण III

गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू सहयोग के साथ जल निकायों की आरआरआर स्कीम के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-2012 के दौरान जारी निधि	2011-2012 के दौरान जारी निधि 2011-12	2012-2013 के दौरान जारी निधि 2012-13	जारी कुल निधियां
1	ओडिशा	75	70.33	0.00	145.33
2	कर्नाटक	47.47	77.51	0.00	124.98
3	आंध्र प्रदेश	189	0.00	0.00	189
4	बिहार	25	0.00	27.54	52.54
5	उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड)	29.08	0.00	10.3790	39.4590
6	मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड)	7.33	2.62	0.00	9.95
7	मेघालय उमियान झील (केवल सिंचाई संबंधी लागत)	1.78	0.64	0.00	2.42
8	महाराष्ट्र	0.00	80.53	0.00	80.53
9	गुजरात	0.00	10.61	0.00	10.61
10	छत्तीसगढ़	0.00	34.68	0.00	34.68
11	राजस्थान	0.00	7.07	0.00	7.07
12	हरियाणा	0.00	7.04	2.52	9.56
	कुल	374.66	291.03	40.439	706.129

विवरण IV

2010-11 से 2012-13 तक कमाण्ड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)			
		2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.000
2.	अरूणाचल प्रदेश	40.98	56.39	168.84	266.210
3.	असम	226.00	0.00	269.48	495.480

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	2669.09	2943.86	3000.00	8612.950
5.	छत्तीसगढ़	8285.09	1392.17	2000.00	11677.260
6.	गोवा	80.56	6.42	178.85	265.830
7.	गुजरात	893.86	682.00	1791.50	3367.360
8.	हरियाणा	4767.24	5800.62	5515.26	16083.120
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.000
10.	जम्मू और कश्मीर	2250.19	2005.52	3156.69	7412.400
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.000
12.	कर्नाटक	5341.51	5308.00	3952.92	14602.430
13.	केरल	106.25	418.08	28.00	552.330
14.	मध्य प्रदेश	1000.00	5510.11	2557.71	9067.820
15.	महाराष्ट्र	0.00	2148.27	409.25	2557.520
16.	मणिपुर	1200.00	927.02	775.42	2902.440
17.	मेघालय	25.52	0.00	0.00	25.520
18.	मिजोरम	0.00	13.00	0.00	13.000
19.	नागालैंड	0.00	15.00	0.00	15.000
20.	ओडिशा	3563.07	3102.85	2341.79	9007.710
21.	पंजाब	6000.00	3000.00	0.00	9000.000
22.	राजस्थान	0.00	2244.07	1744.41	3988.480
23.	सिक्कम	0.00	0.00	0.00	0.000
24.	तमिलनाडु	1500.00	2999.82	1030.82	5530.640
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.000
26.	उत्तर प्रदेश	7000.00	10000.00	7597.79	24597.790
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.000
28.	पश्चिम बंगाल	690.95	0.00	0.00	690.950
	कुल	45640.31	48573.20	36518.73	130732.24

औषधियों को आवश्यक औषधियों की श्रेणी में शामिल करना

4933. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई भेषज नीति के अंतर्गत 348 औषधियों को आवश्यक औषधियों की श्रेणी में शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त औषधियों के नाम क्या हैं तथा इनके मूल्य-निर्धारण हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त नीति का कार्यान्वयन कब तक किए जाने का निर्णय लिया गया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 जून, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12-01/आवश्यक दवाएं/08-डीसी/डीएफक्यूसी के तहत यथा घोषित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम-2011) के अंतर्गत 348 औषधियों से प्राप्त 614 फॉर्मूलेशनों को नई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2012 में शामिल किया है।

(ख) 348 औषधियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं और औषधियों की कीमत का विनियमन बाजार आधारित मूल्य निर्धारण (एमबीपी) के माध्यम से फार्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य निर्धारण करने के आधार पर किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण नीति, 2012 (एनपीपीपी-2012), 7 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित कर दी गयी है।

विवरण

एनएलईएम-2011 की दवाइयों की अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार सूची

1. 25% डेक्सट्रोज
2. 5-एमिनो सेलिसिलिक एसिड
3. 5-फ्लूराउरासिल
4. एसेटाजोलामाइड
5. एसिटिल सेलिसिलिक एसिड
6. एक्रिफ्लाविन+ग्लिसिरिन
7. एक्टिनोमाइसिन डी
8. एक्टिवेटिड चारकोल
9. एसिक्लोवीर
10. एडेनोसिन
11. एड्रेनालाइन बिटरट्रेट
12. एलबेंडाजोल
13. एलब्यूमिन
14. एलोपूरीनोल
15. एल्फा इंटरफेरोन
16. एल्प्राजोलम
17. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड + मेग्नेशियम हाइड्रोक्साइड
18. एमिकासिन
19. एमिओडारोन
20. एमिट्रीप्टीलाइन
21. एमलोडीपाइन
22. एमोक्सिसिलिन
23. एमोक्सिसिलिन+क्लावूलिनिक एसिड
24. एम्फोटेरिसिन बी
25. एम्पिसिलिन
26. एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन (ह्यूमन)
27. एंटिटेटनस ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन
28. आरटीसूनेट (सल्फाडोक्साइन+पाइरेमिथामिन क मिश्रण के साथ ही प्रयोग हेतु)
29. एस्कोरबिक एसिड
30. एटेनोलोल

31. एटोरवास्टाटीन
32. एट्राक्यूरियम बेसिलेट
33. एट्रोपाइन सल्फेट
34. एजाथियोप्राइन
35. एजिथ्रोमाइसिन
36. बीसीजी वैक्सीन
37. बरियम सल्फेट
38. बेक्लोमेथासवोन डिप्रोपायोनेट
39. बेन्जाथाइन बेन्जिलपेनिसिलिन
40. बेन्जोइन कम्पाउंड
41. बेंजाइल बेंजोएट
42. बेटामेथासोन
43. बेटामेथासोन डिप्रोपायोनेट
44. बेटाक्सालोल हाइड्रोक्लोराइड
45. बिसाकोडिल
46. ब्लिचिंग पाउडर
47. ब्लिओमाइसिन
48. ब्रोमोक्रिपटाइन मेसिलेट
49. बुपिवाकेइन हाइड्रोक्लोराइड
50. ब्यूसल्फान
51. केलामइन
52. कैल्शियम कारबोनेट
53. कैल्शियम ग्लूकोनेट
54. कैल्शियम इपोडेट
55. कार्बामेजेपाइन
56. कार्बीमाजोल
57. कार्बोप्लेटिन
58. सेफिक्साइम
59. सेफोटाक्साइम
60. सेफ्टाजिडाइम
61. सेफट्रायाक्सोम
62. सेफालेक्सिन
63. सेट्रीमाइड
64. सिट्रीजाइन
65. क्लोरमब्यूसिल
66. क्लोरमफेनिकोल
67. क्लोरहेक्सिडाइन
68. क्लोरोक्वीन फास्फेट
69. क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट
70. क्लोरमाजाइन हाइड्रोक्लोराइड
71. सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड
72. सिसप्लेटिन
73. क्लिडामाडसिन
74. क्लोफाजिमाइन
75. क्योमिफेन साइट्रेट
76. क्लोपिडोग्रेल
77. क्लोट्रिमाजोल
78. क्लोक्सासिलिन
79. कोल तार
80. कोडीन फास्फेट
81. कोल्वीसीन
82. कंडोम
83. को-ट्रिमोक्साजोल (ट्रीमेथेप्रिम+सल्फामेथोक्साजोल)
84. क्रायोप्रेसिपिटेट
85. सायनोकोबालामिन
86. साइक्लोफोस्फामाइड
87. साइक्लोस्पोरीन
88. साइटोसिन एराबिनोसाइड

89. डीपीटी वैक्सीन

90. डेकारबाजाइन

91. डेनाजोल

92. डेप्सोन

93. डाउनोरूबिसिन

94. डेस्फेरियोक्सामाइन मेसिलेट

95. डेक्सामेथासोन

96. डेक्सक्लोरफनिरामाइन मेलिएट

97. डेक्स्ट्रान-40

98. डेक्स्ट्रान-70

99. डेक्स्ट्रोमेथोरफेन

100. डायजेपाम

101. डिक्लोफेनेक

102. डिक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड

103. डिडानोसिन

104. डाइथाइलकारबामाजाइन साइट्रेट

105. डायगोसिन

106. डाइहाइड्रोएरगोटामाइन

107. डाइलोक्सानाइड फ्यूरोएट

108. डिलटियाजेम

109. डाइमेरकाप्रोल

110. डिफ्थीरिया एंटिटाक्सिन

111. डाइथ्रानोल

112. डोबुटामाइन

113. डोमपेरिडोन

114. डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड

115. डोक्सोरूबिसिन

116. डोक्सिसाइक्लिन

117. एफाबिरेंज

118. एमला क्रीम

119. एनलाप्रिल मेलिएट

120. एनोक्सापरिन

121. एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट

122. एस्मोलोल

123. एथमब्यूटोल

124. इथर

125. एथिनीलेस्ट्राडियोल

126. एथिनीलेस्ट्राडियोल+लेवनोरगैस्ट्रोल

127. एथिनीलेस्ट्राडियोल+नोरएथिस्टेरोन

128. एथिल एल्कोहल 70%

129. इटोपोसाइड

130. फैक्टर IX कम्पलेक्स (कोग्यूलेशन फैक्टर II] VII, IX, X)

131. फैक्टर VIII कन्सेंट्रेट

132. फामोटीडाइन

133. फेंटानाइल

134. फेरस सॉल्ट

135. फिल्ग्रास्टिम

136. फ्ल्यूकोनालोज

137. फ्ल्यूमाजेनिल

138. फ्ल्यूरेसीन

139. फ्ल्यूक्सेटाइन हाइड्रोक्लोराइड

140. फ्ल्यूटामाइड

141. फॉलि एसिड

142. फालिनिक एसिड

143. फोरमलडिहाइड आईपी

144. फ्रेमिसेटिन सल्फेट

145. फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा

146. फ्यूरोसेमाइड
147. जेमसिटाबाइन हाइड्रोक्लोराइड
148. जेंटामिसिन
149. जेंटिएन वॉयलेट
150. ग्लिबेनक्लामाइड
151. ग्लूकागोन
152. ग्लूकोज
153. सोडियम क्लोराइड के साथ ग्लूकोज
154. ग्लूट्रालडिहाइड
155. ग्लिसिरीन
156. ग्लिम्रिल ट्रिनिट्रेट
157. ग्रिसियोफुलविन
158. हलोपेरिडोल
159. वेपोराइजर के साथ हेलोथेन
160. हेपारिन सोडियम
161. हेपाटाइटिस बी वैक्सीन
162. होमाट्रोपाइन
163. हारमोन रिलीजिंग आईयूडी
164. हाइड्रोक्लोरोथियाजाड
165. हाइड्रोकोरटीजोन सोडियम सस्सिनेट
166. हाइड्रोजन पेरोक्साइड
167. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन फोस्फेट
168. हाइड्रोक्सीइथाइल स्टारच (हेटास्टारच)
169. हायोसाइन बुटाइल ब्रोमाइड
170. इबुप्रोफेन
171. इफोस्फामाइड
172. इमाटिनिब
173. इमिप्रेमाइन
174. इंडिनाविर
175. इंसूलिन इंजेक्शन (घुलनशील)
176. इंटरमिडिएट एक्टिंग (लैटे/एनपीएच इंसूलिन)
177. इंट्रापेरिटोनील डायलेसिस सोलूशन
178. आयोडीन
179. आयोपेनोइक एसिड
180. इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड
181. आयरन डेक्स्ट्रान
182. आइसोफ्ल्यूरेन
183. आइसोनियाजिड
184. आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट/डिनीट्रेट
185. आइस्पागुला
186. कॉपर युक्त आईयूडी
187. केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड
188. एल-एस्प्रागिनेज
189. लेमिवुडाइन
190. लेमिवुडाइन+नेविरापाइन+स्टावूडाइन
191. लेमिवुडान+जिडोवुडाइन
192. लिफ्ल्यूनोमाइड
193. लेवोडोपा+कारबिडोपा
194. लेवोथाइरोक्साइन
195. लिग्नोकेन
196. लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड
197. लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड+एड्रेनालाइन
198. लिथियम कार्बोनेट
199. लोराजेपाम
200. लोसारटन पोटाशियम
201. मेग्नेशियम सल्फेट
202. मेन्निटोल
203. खसरा वैक्सीन

204. मेड्रोक्सी प्रोजेस्टरीन एसिटेट
205. मेफ्लोक्वीन
206. मेगल्यूमाइन लोथालेमेट
207. मेगल्यूमाइन लोटरोक्सेट
208. मेल्फेलान
209. मेरकेप्टोप्यूरीन
210. मेस्ना
211. मेटफोरमिन
212. मेथीट्रेक्सेट
213. मिथाइल सेल्यूलोज
214. मिथाइल एरगोमेट्रीन
215. मिथाइलडोपा
216. मिथाइलप्रेडनिसोलोन
217. मिथाइलरोजानिलियम क्लोराइड (जेंटिएन वायलेट)
218. मिथाइलथियोनिनियम क्लोराइड (मिथाइलीन ब्लू)
219. मेटोक्लोप्रेमाइड
220. मेटोप्रोलोल
221. मेट्रोनिडाजोल
222. मिकोजोल
223. मिडाजोलम
224. मिफेप्रिस्टोन
225. मिजोप्रोस्टल
226. मिटोमाइसनि-सी
227. मोरफिन सल्फेट
228. मल्टीविटामिन (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची-V के अनुसार)
229. एन/2 सेलाइन
230. एन/5 सेलाइन
231. एन-एस्टिलसाइस्टिन
232. नेलोक्सोन
233. नेल्फीनाविर
234. नियोमाइसिन+बेसिट्रेसिन
235. नियोमाइसिन+बेसिट्रेसिन
236. नेविापाइन
237. निकोटिनामाइड
238. निफेडिपाइन
239. नाइट्रोफ्यूरानटोइन
240. नाइट्रस आक्साइड
241. नोरेथिस्टेरोन
242. नारमल सेलाइन
243. नाइस्टाटिन
244. ओफ्लोक्सासिन
245. ओलंजापाइन
246. ओमेप्रेजोल
247. ओनडेनसेट्रोन
248. ओरल पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन (एलए)
249. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्टस
250. ओक्सालिप्लेटिन
251. आक्सीजन
252. आक्सीटोसिन
253. पेक्लिक्सल
254. पेंटोप्रोजोल
255. पैरासिटामोल
256. पेनिसिलाइमाइन
257. पेंटामिडाइन आइसोथियोनेट
258. परमेथरिन
259. फेनिरामाइन मेलिएट
260. फेनोबारबिटोन

261. फिनाइलफ्रिन
262. फेनिटोइन सोडियम
263. फाइटोमेनाडियोन
264. पिलोकारपिन
265. पिप्राजाइन
266. प्लेटलेट रिच प्लाज्मा
267. पोलीगेलिन
268. पोलीवेंलट एंटिस्नेक वेनम
269. पोटाशियम क्लोराइड
270. पोटाशियम परमेंगानेट
271. पोविडोन आयोडीन
272. प्रालिडोक्सिम क्लोराइड (2-पीएएम)
273. प्राजिक्यूएंटल
274. प्रेउनिसोलोन
275. प्रेडनिसोलोन सोडियम फास्फेट
276. प्रेडनिसोलोन सोडियम फास्फेट
277. प्रिमिक्स इंसूलिन 30:70 इंजेक्शन
278. प्राइमाक्वीन
279. प्रोकेनमाइड हाइड्रोक्लोराइड
280. प्रोकेनमाइड हाइड्रोक्लोराइड
281. प्रोमेथाजाइन
282. प्रोप्रोफोल
283. प्रोप्रानोलाल हाइड्रोक्लोराइड
284. प्रोपिलियोडोन
285. प्रोटामाइन सल्फेट
286. पायराजिनामाइड
287. पाइरीडोस्टिग्माइन
288. पाइरीडोक्साइन
289. पाइरीमेथामाइन
290. क्वीनीन सल्फेट
291. रेबीज इम्युनोग्लेबिन
292. रेबीज वैक्सीन
293. रेलाक्सिफेन
294. रेनिटीडाइन
295. रिवोफ्लेविन
296. रिफेम्पिसिन
297. रिंगर लेक्टेट
298. रिटोनावीर
299. साल्बुटामोल सल्फेट
300. सलिसाइक्लिक एसिड
301. सक्विनावीर
302. सेवोफ्लुरेन
303. सिल्वर सल्फाडायजिन
304. सोडियम बाइकार्बोनेट
305. सोडियम लोथलामेट
306. सोडियम मेग्लुमाइन डायट्रिजोयेट
307. सोडियम नाइट्राइट
308. सोडियम नाइट्रोप्रास्साइड
309. सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट
310. सोडियम थायोसल्फेट
311. सोडियम वालप्रोयेट
312. स्पेसिफिक एंटिस्नेक वेनम
313. स्पाइरोनोलेक्टोन
314. स्टावुडाइन
315. स्टावुडाइन
316. स्टावुडाइन+लेमिवुडाइन
317. स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट
318. सस्सीनाइल कोलाइन क्लोराइड

319. सल्फाडाक्साइन + पाइरीमेथामाइन

320. सल्फासलाजाइन

321. सल्फासिरामाइड सोडियम

322. सल्फाडायजिन

323. टेमॉक्सिफेन साइट्रेट

324. टरबुटेलाइन सल्फेट

325. टेस्टोस्टेरोन

326. टेटनस टाक्साइड

327. टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड

328. थायामाइन

329. थायोपेंटोन सोडियम

330. टिमोलोल मेलियेट

331. ट्रामाडोल

337. ट्राइहोक्सिफेनिडाइल हाइड्रोक्लोराइड

333. ट्रापिकामाइड

334. टयूबरकुलिन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव

335. यूरोकाइनेज

336. वेंकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड

337. वेकुरोनियम

338. वेरापामिल

339. विनब्लास्टिन सल्फेट

340. विनक्रिस्टाइन

341. विटामिन ए

342. विटामिन डी (एरगोकेल्सिफेराल)

343. वारफेरिन सोडियम

344. इंजेक्शन के लिए पानी

345. जिडोवुडाइन

346. जिडोवुडाइन+लेमिवुडाइन+नेविरापाइन

347. जिंक आक्साइड

348. जिंक सल्फेट

[अनुवाद]

पत्तन-संपर्क

4934. **श्रीमती सुप्रिया सुले:**
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी पत्तन रेल-नेटवर्क से जुड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने पत्तनों को अभी रेल-नेटवर्क से जोड़ा जाना शेष हैं; और

(ग) शेष पत्तनों को रेल-लाइन से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है एवं इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां। देश में सभी प्रमुख पत्तनों को रेल नेटवर्क के मुख्य ट्रंक मार्गों से जोड़ा गया है।

(ख) और (ग) प्रमुख पत्तनों की सूची और रेल नेटवर्क के खास ट्रंक मार्गों से उना संपर्क निम्नानुसार है:

1. कोलकाता पत्तन का संपर्क सियालदह-बज-बज दोहरी लाइन खण्ड पर मजेरहाट के साथ है।

2. हल्दिया पत्तन का संपर्क पांसकुड़ा-हल्दिया इकहरी लाइन खण्ड पर हल्दिया स्टेशन से है।

3. पारादीप पत्तन का संपर्क हरिदासपुर-पारादीप इकहरी लाइन खण्ड पर है जो वीएसकेपी स्थित स्टेशन से जुड़ा है।

4. वीएसकेपी पत्तन वीएसकेपी-वीएसकेपी पत्तन इकहरी लाइन खण्ड पर चेन्नै बीच स्टेशन से है।

5. चेन्नै पत्तन का संपर्क चेन्नै बीच-कोरूक्कुपेट दोहरी लाइन खण्ड पर चेन्नै बीच स्टेशन से है।

6. एण्णैर पत्तन का संपर्क चेन्नै-गुडूर दोहरी लाइन खण्ड पर अटिपटटु स्टेशन से है।

7. तुतिकोरिन पत्तन का संपर्क वांची मनियाच्छी-तुतिकोरिन इकहरी लाइन खण्ड पर तुतिकोरिन स्टेशन से है।

8. काण्डला पत्तन का संपर्क गांधीधाम-काण्डला इकहरी लाइन खण्ड पर काण्डला से है।

9. मुंबई का संपर्क कुर्ला-सैण्डहर्स्ट दोहरी लाइन खण्ड पर रावली स्टेशन से है।

10. जेएनपीटी पत्तन का संपर्क पनवेल-जसई दोहरी लाइन खण्ड पर जसई स्टेशन से है।

11. मर्मुगोवा पत्तन का संपर्क वास्को-मर्मुगोवा इकहरी लाइन खण्ड और कोंकण रेल निगम लि. के सुरतकल पर तोकुर के साथ है।

13. कोचिन पत्तन का संपर्क एर्णाकुलम-शोरानूर दोहरी लाइन खण्ड पर इदापल्ली स्टेशन से है।

संपर्कता संबंधी अन्य मामलों का निर्णय परिचालनिक आवश्यकता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता, तकनीकी व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के अलग-अलग मामलों के आधार पर लिया जाता है।

नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना

4935. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यूरिया की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को ध्यान में रखकर देश में कुछ नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संयंत्रों की स्थापना करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कितनी राशि का निवेश किया जाएगा;

(घ) क्या उक्त संयंत्रों से यूरिया उत्पादन शुरू होने के बाद यूरिया की मांग और आपूर्ति के संबंध में देश के आत्मनिर्भर होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) जी हां। सरकार ने भविष्य में यूरिया क्षेत्र में ताजा निवेश को सुकर बनाने और यूरिया उत्पादन मे भारत की आयात निर्भरता कम करने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति 2012 अधिसूचित की है। नई निवेश नीति 2012 की प्रतिक्रिया में उर्वरक विभाग को नीचे उल्लिखित कंपनियों से ब्राउनफील्ड/ग्रीनफील्ड परियोजनाओं (प्रत्येक परियोजना की यूरिया क्षमता 1.274 मिलियन मी.टन) के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:–

क्र.सं.	कंपनी	परियोजना	स्वामित्व	राज्य/देश
1	2	3	4	5
1.	इफ्को-कलोल	कलोल में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया विस्तार संयंत्र	सहकारी समिति	गुजरात
2.	आईजीएफएल-जगदीशपुर	जगदीशपुर में ब्राउनफील्ड यूरिया विस्तार परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
3.	सीएफसीएल-गडेपान	गडेपान कोटा में अमोनिया-यूरिया इकाइयों का विस्तार	निजी	राजस्थान
4.	कृभको-हजीरा	ब्राउनफील्ड हजीरा उर्वरक इकाई-चरण-II	सहकारी समिति	गुजरात
5.	टीसीएल-बबराला	बबराला में यूरिया परियोजना का विस्तार	निजी	उत्तर प्रदेश
6.	जीएनवीएफसी-भरूच	दाहेज में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	राज्य संयुक्त उद्यम	गुजरात
7.	जीएसएफसी-वडोदरा	दाहेज में ग्रीनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	राज्य पीएसयू	गुजरात
8.	एनएफसीएल-काकीनाडा	काकीनाडा में अमोनिया-यूरिया परियोजना का विस्तार	निजी	आंध्र प्रदेश
9.	श्रीराम कंपनी ग्रुप	पारादीप, ओडिशा में ग्रीनफील्ड कोयला गैसीकरण अमोनिया-यूरिया परियोजना	निजी	ओडिशा

1	2	3	4	5
10.	आरसीएफ-थाल	आरसीएफ के थाल-III में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना	सीपीएसयू	महाराष्ट्र
11.	केएफएण्डसीएल-कानपुर	पनकी कानपुर में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
12.	केएसएफएल- -शाहजहांपुर	-शाहजहांपुर-II में ब्राउनफील्ड यूरिया अमोनिया परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
13.	मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	पानागढ़, पश्चिम बंगाल में ग्रीनफील्ड अमोनिया-यूरिया उर्वरक परिसर	निजी	पश्चिम बंगाल

उपर्युक्त के अतिरिक्त, फैक्ट कोचीन और त्रिपुरा सरकार ने क्रमश: कोचीन और त्रिपुरा प्रत्येक में 1.3 एमएमटीपीए क्षमता वाली गैस आधारित यूरिया उर्वरक परियोजना स्थापित करने हेतु उर्वरक विभाग से संपर्क किया है। मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार ने संकेत दिया है कि गैस की आवश्यकता को ओएनजीसी स्रोत से पूरा किया जाएगा। उपर्युक्त प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचाराधीन हैं। ऐसी आशा है कि देश 12वीं योजना अवधि के अंत तक यूरिया में आत्म निर्भर हो जाएगा।

[हिन्दी]

सामाजिक रूप से वांछनीय परियोजनाएं

4936. श्री मकन सिंह सोलंकी:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री राजू शेट्टी:
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सामाजिक रूप से वांछनीय घोषित की गई परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वाडसा-गढ़चिरौली, बांसपानी-विमलागढ़ और बड़ामपहाड़-केंदुझरगढ़ रेल-खंडों पर नई रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे का खंडवा-दाहोद और कृष्णराज नगर-कुशल नगर (कर्नाटक) खण्डों पर नई रेल लाइन बिछाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) सामाजिक रूप से वांछनीय 47 नई लाइन और 9 आमान परिवर्तन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और कार्य शुरू कर दिया गया है। परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वडसा-गडचिरौली, बांसपानी-बिमलगढ़ और बादामपहाड़-केंदुझारगढ़ परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति नीचे दी गई है:—

(i) वडसा-गडचिरौली-अतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अनुमान तैयार करने का कार्यशुरू हो गया है।

(ii) बांसपानी-बिमलगढ़-विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गया है। वन संबंधी क्लीयरेन्स और भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है।

(iii) बादामपहाड़-केंदुझारगढ़-ऐसी कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो-फॉरवर्ड और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण, इन परियोजनाओं की स्वीकृति फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान सामाजिक रूप से वांछनीय स्वीकृत परियोजनाओं के परियोजना-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	परियोजना की लंबाई सहित उसका नाम (किमी. में)	लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3
	नई लाइन	
1.	अजमेर-कोटा (नसीराबाद-जालिंद्री) (145 किमी.)	822
2.	महाराजगंज के रास्त आनंदनगर-घुगली (50 किमी.)	307
3.	बरवाडीह-चिरमारी (182 किमी.)	1137
4.	चिकबल्लापुर-पुट्टापर्ती-श्री सत्य साई निलयम (103 किमी.)	558
5.	चिकबल्लापुर-गौरीबिदापून (44 किमी.)	327.25
6.	चोला-बुलंदशहर (16 किमी.)	59
7.	दिल्ली-सोहना-नूह-फिरोज़पुर-झीरका-अलवर (104 किमी.)	
8.	दीमापुर-तिजिट (257 किमी.)	4274
9.	अकबरगंज, महाराजगंज ओर रायबरेली के रास्ते फैजाबाद-लालगंज (116 किमी;	654
10.	फिरोजपुर-पट्टी (25 किमी.)	147
11.	गदग-वाडी (252 किमी.)	1117
12.	अगरोहा और फतेहाबाद के रास्ते हिसार-सिरसा (93 किमी.)	400
13.	बांसी के रास्ते कपिलवस्तु-बस्ती (91 किमी.)	643
14.	मन्नुगुरू-रामागुंडम (200 किमी.)	1112
15.	पीरपैंठी-जसीडीह (127 किमी.)	915.98
16.	पुष्कार-मेडता (59 किमी.)	323
17.	श्रीनिवासपुरा-मदनापल्ली (75 किमी.)	296
18.	आईआरयूएन, कट्टूकोट्टी-आवडी-श्रीपेरूम्बदूर के लिए स्पर सहित श्रीपेरूम्बदूर-गुडुवांचेरी (60 किमी.)	839
19.	सधौरा, नारायणगढ़ के रास्ते यमुना नगर-चंडीगढ़ (91 किमी.)	876
20.	अगरतला-अखौरा (बगलादेश) (13 किमी.)	252
21.	अक्कनपेट-मेडक (17.2 किमी.)	114.37

1	2	3
22.	भद्राचलम-कोव्वूर (151 किमी.)	923.23
23.	रोहतक-मेहम-हांसी (68.8 किमी.)	287
24.	उंचाहार-अमेठी (66.17 किमी.)	380
25.	लालगढ़ के रास्ते भादुटोला-झारग्राम (54 किमी.)	289.64
26.	गुडूर-दुर्गाराजपटनम (41.55 किमी.)	277.74
27.	हंसडीह-गोड्डा (30 किमी.)	267.09
28.	अरूपकोट्टई के रास्ते मुदरै-तूतीकोरिन (143.5 किमी.)	603.43
29.	मारीकुप्पम-कुप्पम (23.7 किमी.)	288
30.	मुरकोंगसेलेक-पासीघाट (30.617 किमी.)	165.82
31.	नाडीकुडे-श्रीकालाहस्ती (309 किमी.)	1313.99
32.	कादियां-ब्यास (39.68 किमी.)	205.22
33.	बांसवाड़ा के रास्ते रतलाम-डूंगरपुर (176.47 किमी.)	2082.75
34.	शिमोगा-हरिहर (78.66 किमी.)	562.74
35.	तुमकूर-चित्रदुर्ग-दावनगेरे (199.7 किमी.)	913
36.	वाडसा-गडचिरौली (49.5 किमी.)	232.4
37.	व्हाइटफील्ड-कोलार (52.6 किमी.)	353.44
38.	बागलकोट-कुडाची (142 किमी.)	986.73
39.	बालूरघाट-हिली (29 किमी.)	242.22
40.	बोवाईचंडी-आरामबाग (31 किमी.)	267.37
41.	बर्नीहाट-शिलांग (108.40 किमी.)	4083.02
42.	दीघा-एग्रा (31 किमी.) क लिए नए एमएम सहित दीघा-जलेश्वर (41 किमी.)	553.63
43.	हसनाबाद-हींगलगंज (14 किमी.)	260.1
44.	जोगनी-बिराटनगर (नेपाल) 18 किमी.)	241.52
45.	कल्याणगंज-बुनियादपुर (33.13 किमी.)	222.21
46.	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग (125.09 किमी.)	4295.3

1	2	3
47.	तारकेश्वर-फुरफुराशरीफ (21.75 किमी.) के लिए एमएम सहित तारकेश्वर-मगरा (51.95किमी.)	527.54
	आमान परिवर्तन	
1.	नागभीर-नागपुर (106 किमी.)	401
2.	अहमदाबाद-बोटाद (170.48 किमी.)	567.18
3.	ढासा-जेतलसर (104.44 किमी.)	376.59
4.	सीतापुर, लखीमपुर के रास्ते लखनऊ-पीलीभीत (262.76 किमी.)	715.75
5.	विद्युतीकरण सहित मियागाम-करजन-दभोई-सामल्या आमान परिवर्तन (96.46 किमी.)	439.88
6.	छिंदवाड़ा-मांडला फोर्ट (182.25 किमी.)	737.72
7.	गंगापुर सिटी तक विस्तार सहित धोलपुर-सिरमुत्रा (144.6 किमी.)	2030.5
8.	कोटा तक विस्तार सहित ग्वालियर-श्योपुरकलां (284 किमी.)	3712
9.	बेत, बीजलपुरा-बारदीबास (नेपाल) तक विस्तार सहित जयनगर-बीजलपुरा (69.08 किमी.)	470

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना की समीक्षा

4937. **श्री हरिन पाठक:**
श्री सी. आर. पाटिल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंदिरा आवास योजना के संबंध में उक्त विशेषज्ञ समूह के क्या सुझाव हैं; और

(घ) उक्त सुझावों को सरकार द्वारा कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ग) योजना आयोग ने 24 जून, 2011 को श्री बी.के सिन्हा, तत्कालीन सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इंदिरा आवास योजना के संबंध में 20 सदस्यों वाले कार्यसूह का गठन किया था। कार्यसमूह ने आईएवाई के प्रमुख सिफारिशें/सुझाव दिए। आईएवाई संबंधी कार्यसमूह की प्रमुख सिफारिशें/सुझाव निम्नानुसार हैं:–

(i) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इकाई सहायता में वृद्धि

(ii) राज्य निधि का गठन

(iii) विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई) के अंतर्गत ऋण में बढ़ोत्तरी

(iv) आईएवाई के अंतर्गत वास-भूमि की खरीद के लिए इकाई सहायता में वृद्धि

(v) आईएवाई के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय का प्रावधान

(घ) सरकार ने निम्नलिखित सुझावों को स्वीकार किया है जिन्हें 1.4.2013 से कार्यान्वित किया जाएगा।

(i) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इकाई सहायता को मैदानी क्षेत्रों में 45000 रुपये से बढ़ाकर 70000 रुपये तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों/आईएपी जिलों में 48500 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये करना।

(ii) वासभूमि की खरीद के लिए इकाई सहायता को 10000 से बढ़ाकर 20000 रुपये करना।

(iii) आईएवाई के अंतर्गत 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय का प्रावधान।

[हिन्दी]

रेलमार्ग परियोजनाएं

4938. श्री अवतार सिंह भडाना:
प्रो. रामशंकर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रूड़की मुजफ्फरनगर और आगरा-इटावा खंडों पर नए रेलमार्ग की परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देहरादून-कलसी नया रेलमार्ग परियोजना को स्वीकृत करने में क्या प्रगति हुई है तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के वित्तीय आकलनों का ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु परियोजना-वार क्या वित्तीय तंत्र बनाया गया है और कितनी निधि आबंटित/व्यय की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) देवबंद (मुजफ्फरनगर के समीप) रुड़की नई लाइन परियोजना उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ 50:50 की लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू कर दी गई है, आगरा-इटावा नई लाइन से संबंधित कार्य का वित्त पोषण रेलवे के सामान्य सकल बजटीय सहायता के माध्यम से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

नई लाइन परियोजना	नवीनतम प्रत्याशित लागत व्यय	मार्च, 2013 तक किया गया	प्रस्तावित परिव्यय 2013-14	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
देवबंद-रुड़की (27.45 किमी)	336.90	176.56	20.00	52%	भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
आगरा-इटावा (114 किमी)	427.21	353.21	25.00	83%	भंडई-फतेहाबाद-बाह खंड (74 किमी) पूरा हो गया है। 40 किमी. लंबे बाह-उदी भाग पर, 20 किमी. पूरा हो गया है और शेष 20 किमी. 2013-14 में पूरा करने के लिए लक्षित है।

देहरादून-कलसी नई लाइन का सर्वेक्षण 2009-10 में पूरा हो गया था और सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस 43.45 किमी. लंबी नई लाइन के निर्माण की लागत (-) 3.90% के प्रतिफल की दर सहित 557.18 करोड़ रुपये आंकी गई थी। रक्षा मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार से लागत में भागीदारी प्रस्तावों के लिए संपर्क किया गया है। चूंकि उनमें से किसी से भी सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ाि। इसलिए, परियोजना पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। बाद में उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुरोध पर देहरादून-विकासनगर नई लाइन का सर्वेक्षण शुरू किया गया था।

[अनुवाद]

चुनावों का सरकारी वित्तपोषण

4939. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चुनावों के सरकारी वित्तपोषण के प्रस्ताव पर अमल करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) निर्वाचन सुधारों का मुद्दा, अपनी संपूर्णता में, जिसमें अन्य बातों के साथ, निर्वाचनों का वित्तपोषण भी सम्मिलित है, भारत के विधि आयोग को उसकी सिफारिशों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। विधि आयोग को 16 जनवरी, 2013 से तीन मास के भीतर इस संबंध में ठोस सुझाव देने का अनुरोध किया गया है। तथापि,

आयोग ने सूचित किया है कि निर्वाचन सुधारों पर सिफारिशों के लिए विधि आयोग अन्य पणधारियों, जिनके अंतर्गत की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। सिफारिशों की प्राप्ति पर इस विषय में शीघ्र समुचित विनिश्चय के संबंध में पणधारियों के परामर्श से इस विषय की और समीक्षा की जाएगी।

रेक ट्रैफिक

4940. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने रेलवे स्टेशनों/साइडिंगों पर संपूर्ण रेक ट्रैफिक की भारी आवक-जावक के चलते संभलाई हेतु स्वीकृत मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार उन स्थलों को अनधिसूचित करने का है जहां लाइनों की धारण क्षमता की अनुपलब्धता के कारण उनके रेकों को एक से अधिक जगहों पर लगाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का उन साइडिंग-मालिकों के डेमरेज को मफ करने का भी विचार है जो अपनी साइडिंग में समुचित अवसंरचना के सृजन हेतु उक्त व्यवस्था स्वयं करने पर सहमत हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी हां। पूरे देश में माल गोदामों की क्षमता में वृद्धि और उनमें सुधार लाना एक सतत् कार्य हैं प्रस्तावां की जांच परिचालनिकम आवश्यकता, वाणिज्यिक है। यातायात की संभावनाओं, समीप में स्थित अन्य माल गोदामों की उपलब्धता और उनकी अतिरित क्षमता पर औचित्य का निर्धारण किया जाता है। अखिल भारतीय रेल में 1124.23 करोड़ रुपये की लागत पर माल गोदामों के 101 कार्य स्वीकृत किए गए हैं और उनपर कार्य जारी है।

(ग) और (घ) किसी माल गोदाम की अधिसूचना को रद्द करना एक सख्त और आपवादिक प्रशासनिक कार्य है जिसका सहारा तब लिया जाता है जब प्राप्त यातायात बहुत ही निम्न स्तर पर गिर जाता है। रेलवे ऐसे मामलों में संवेदनशील रहती है और किसी माल गोदाम की अधिसूचना को अनेक स्थानों पर स्थापित किए जाने के कारण रद्द नहीं करती हैं

(ङ) जी नहीं। ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक का रिक्त पद

4941. श्री भरत राम मेघवाल:
श्री उदय सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय भेषज और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) मोहाली के निदेशक के चयन के लिए वर्ष 2005 में सरकार द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके बावजूद कि जून, 2011 में ही निदेशक मंडल (बीओजी) का गठन कर लिया गया था, नियमित निदेशक की नियुक्ति में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नवम्बर, 2012 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय में एनआईपीईआर के रजिस्ट्रार के चयन और नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था जो जुलाई, 2012 में बुलाई गई निदेशक मंडल की विशेष अधियाचन बैठक में उठाए गए मुद्दों में से एक था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय चूकों पर जुलाई, 2012 के पश्चात् बीओजी बैठक नहीं आयोजित करने के क्या कारण और औचित्य है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) वर्ष 2004 में, भारत के राष्ट्रपति, जो नाईपर, मोहाली के विजीटर हैं, के पूर्वानुमोदन से निदेशक राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) मोहाली की नियुक्ति की गई थी।

(ख) नाईपर मोहाली ने यह सूचित किया है कि दिनांक 9.1.2012 को आयोजित शासी निकाय (बीओजी) की 55वीं बैठक में इस प्रक्रिया की शुरूआत की गई थी। निदेशक के चयन के लिए तलाश-सह-चयन समिति की सिफारिशें दिनांक 23.03.2013 को आयोजित 59वीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी। आज की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो नाईपर मोहाली के विजिटर हैं के अनुमोदन हेतु बीओजी की सिफारिशें इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) नाईपर ने सूचित किया है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में सिविल रिट याचिका संख्या 2012 के 6458 में माननीय एकल पीठ के आदेश को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने लेटर पेटेंट अपील संख्या: 2012 के 2094 एवं 2012 के 2106 में स्थगित कर दिया है। सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 3.5.2013 तय की गई है।

(घ) नाईपर, मोहाली ने सूचित किया है कि वर्ष 2012 में आयोजित बीओजी की बैठकें नाईपर अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। वर्ष 2013 में बीओजी की पहली बैठक दिनांक 23.03.2013 को आयोजित की गई थी।

उच्चतम न्यायालय में महिलाओं के लिए समिति का गठन

4942. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के विशाखा प्रकरण में दिए निर्णयानुसार, पूरे उच्चतम न्यायालय परिसर में कार्य स्थल पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न के शिकार किसी व्यक्ति की शिकायत के निवारण के प्रयोजन से एक शिकायत समिति गठित करने और निवारण तंत्र बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए रजिस्ट्री द्वारा उच्चतम न्यायालय में 2007 में गठित की गई शिकायत समिति को रिट याचिका (सिविल) सं. 162/2003 (बीनू टमटा और अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य) में तारीख 21.03.2013 के आदेश द्वारा पुनर्गठित किया गया है।

रेल पुल

4943. श्री रमेन डेका:
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में बोगीबील महासेतु को पूरा करने की लक्षित तारीख क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिहाज से उत्तर प्रदेश में तापड़ी रेल जंक्शन पर पैदल यात्री पार-पुल के निर्माण का कोई कदम उठाया है या उठाने का विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान में रेवाड़ी-सैदुलपुर खंड में स्थित सी-42 रेल-समपार पर और रतनगढ़-देगाना खंड में सी-21 रेल-समपार पर रेल उपरि-पुलों के निर्माण के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे द्वारा इस संबंध में राजस्थान सरकार से परामर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इन उपरि-पुलों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) लक्ष्य 2015-16 पुल के ऊपरी और दक्षिणी तटों पर बांध, बड़े और छोटे पुल, स्टेशन कार्यों का निर्माण पूरा हो गया है। कुल 42 वैल फाउंडेशनों में से 36 और बोगीबील पुल के लिए 42 में से 28 पियर शाफ्ट पूरे हो गए हैं। सुपरस्ट्रक्चर का फैब्रिकेशन कार्य शुरू हो गया है। मार्च, 2013 तक कुल 54.06% प्रगति हुई है।

(ख) और (ग) तापरी रेल स्टेशन पर एक ऊपरी सड़क पुल (एफओबी) के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। इस समय ऊपरी सड़क पुल की नींव डाली जा चुकी है और सुपरस्ट्रक्चर (स्टील गर्डर) को साइट पर लाया गया है। अप्रैल, 2013 के अंत में एफओबी का निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है और अगस्त, 2013 तक पुल के पूरा होने की संभावना है।

(घ) रेवाड़ी-सादुलपुर खंड में समपार सं. 42 नहीं है।

रतनगढ़-देगाना खंड पर समपार सं. सी-21 का यातायात घनत्व 30281 टीवीयू (गाड़ी वाहन इकाई) है। चूंकि यातायात घनत्व एक लाख से कम है, अत: यह ऊपरी सड़क पुल लागत में भागीदारी के आधार पर निर्माण के लिए पात्र नहीं है। इसलिए समपार सं. 21 के बदले आरओबी के निर्माण कार्य की मंजूरी नहीं दी गई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार

4944. श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः
श्री पुलीन बिहारी बास्केः
श्री जगदम्बिका पालः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर तमिलनाडु राज्य में, महिलाओं के विकास और उनके लिए रोजगार-सृजन हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) महिलाओं के लिए विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित और जारी निधि का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है तथा राज्यों द्वारा इसका कितना उपयोग किया गया है; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में, विशेषकर तमिलनाडु राज्य में, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों के सृजन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य पर और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) महिलाओं को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) नामक उप-घटक का उद्देश्य महिला किसानों की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति करना और ग्रामीण महिला किसानों, अधिकांशतः छोटी और सीमांत किसानों का सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी सशक्तीकरण करना है। मंत्रालय ने एमकेएसपी के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 तक 51 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं के लिए आबंटित/रिलीज की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) नामक दो रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। मनरेगा और एनआरएलएम के अंतर्गत रिलीज और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं के लिए सृजित रोजगार का ब्यौरा विवरण-III में संलग्न है।

विवरण I

एमकेएसपी के तहत निधि आबंटन और रिलीज

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजना	निधियों का आबंटन (केन्द्र का अंश) (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	26	217.43
2.	असम	01	12.666
3.	बिहार	02	2.243
4.	छत्तीसगढ़	01	2.243
5.	गुजरात	01	19.96725
6.	हिमाचल प्रदेश	01	2.03175
7.	कर्नाटक	02	15.94
8.	केरल	02	66.38
9.	मध्य प्रदेश	04	24.78
10.	महाराष्ट्र	01	4.37
11.	ओडिशा	07	28.8767
12.	राजस्थान	01	8.43
13.	पश्चिम बंगाल	01	10.13
14.	बहु राज्य परियोजना (छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र)	01	39.13
	कुल	51	532.7647

मंत्रालय द्वारा 532.7647 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से केन्द्र के अंश की पहली किश्त के रूप में 94.8575 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

विवरण II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा और एसजीएसवाई/एनआरएलएम के तहत केन्द्रीय आबंटन, के न्द्रीय रिलीज और कुल उपयोग

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	मनरेगा		एसजीएसवाई/एनआरएलएम		
		के न्द्रीय रिलीज	कुल उपयोग	के न्द्रीय आबंटन	के न्द्रीय रिलीज	कुल उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1726740.71	1917636.11	54512.57	55220.38	60869.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	17207.44	10473.36	3045.64	2068.71	766.58
3.	असम	329550.12	420571.38	79146.71	80141.89	81325.64
4.	बिहार	629244.21	852269.61	129680.71	86022.24	94719.35
5.	छत्तीसगढ़	695936.18	787170.65	28801.79	28903.28	29739.29
6.	गुजरात	221979.77	246519.79	20519.51	20123.89	23307.52
7.	हरियाणा	71510.34	83437.01	1272.74	12188.74	13487.05
8.	हिमाचल प्रदेश	188034.35	202594.32	5083.62	4488.02	5216.23
9.	जम्मू और कश्मीर	144603.70	120873.89	6291.94	4128.70	3290.15
10.	झारखंड	546885.43	623924.01	48897.45	41387.62	44474.19
11.	कर्नाटक	566280.77	774693.18	41164.20	39518.99	45062.05
12.	के रल	239087.96	247958.77	18470.91	18342.24	19779.02
13.	मध्य प्रदेश	1571743.26	1724166.83	61711.56	59906.84	65050.94
14.	महाराष्ट्र	171159.62	288768.28	81373.41	81668.82	86850.12
15.	मणिपुर	183202.02	157678.34	5306.43	2801.46	1120.46
16.	मेघालय	84337.31	94047.53	5944.68	2665.74	2392.35
17.	मिजोरम	100794.22	97774.27	1375.22	1728.22	1610.84
18.	नागालैंड	206001.06	191557.41	4077.80	3368.35	1770.94
19.	ओडिशा	440128.72	477566.20	62351.45	60479.93	62220.55
20.	पंजाब	48374.62	57826.16	5867.07	5312.23	5919.62
21.	राजस्थान	1792873.45	14981703.72	31257.76	30973.83	33603.04

1	2	3	4	5	6	7
22.	सिक्किम	28112.56	27500.41	1523.82	1697.04	1632.00
23.	तमिलनाडु	812896.58	853001.60	48201.68	48828.46	32231.46
24.	त्रिपुरा	285882.33	300664.13	9579.70	10198.25	11618.01
25.	उत्तर प्रदेश	2042574.04	2210204.39	186696.93	178382.36	180971.97
26.	उत्तराखंड	115412.66	130928.54	9829.50	9900.29	10543.72
27.	पश्चिम बंगाल	830731.09	950072.71	69292.20	63964.19	68561.53
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3491.38	4031.59	125.00	65.00	66.29
29.	दादरा और नगर हवेली	277.03	257.98	125.00	37.50	2.04
30.	दमन और दीव	111.86	0.00	125.00	25.00	0.00
31.	गोवा	1520.33	2419.80	726.00	356.78	314.69
32.	लक्षद्वीप	775.84	915.97	125.00	50.00	27.63
33.	पुदुचेरी	4006.42	3210.18	1175.00	1051.00	876.15
34.	चंडीगढ़	65.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	14101532.38	15842418.12	1034478.00	956995.96	1009420.80

नोट: कुल उपयोग कुल उपलब्ध निधि यों में से है। मनरेगा के तहत कोई भी के न्द्रीय आबंटन नहीं किया गया है। एनए-अनुपलब्ध , एनआर-प्राप्त नहीं किए गए है।

विवरण III

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा के तहत सृजित रोजगार और एसजीएसवाई/एनआरएलएम के तहत सहायता प्राप्त करने वाले स्वरोजगारी

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	मनरेगा (लाख में)		एसजीएसवाई/एनआरएलएम (संख्या में)	
		कुल सृजित श्री दिवस	सृजित महिला श्रम दिवस	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15026.39	8680.39	1022039.00	903684.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	86.40	23.45	4950.00	2492.00

1	2	3	4	5	6
3.	असम	2794.70	769.89	575615.00	345497.00
4.	बिहार	5230.81	1518.42	682621.00	387883.00
5.	छत्तीसगढ़	5918.06	2740.55	198307.00	117451.00
6.	गुजरात	1692.98	768.27	183502.00	80449.00
7.	हरियाणा	357.48	123.88	97464.00	75623.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1073.98	505.35	44431.00	28438.00
9.	जम्मू और कश्मीर	656.85	66.65	24366.00	12762.00
10.	झारखंड	3780.00	1174.49	400411.00	273050.00
11.	कर्नाटक	4287.94	1807.15	399353.00	334852.00
12.	के रल	1667.70	1495.14	179326.00	139020.00
13.	मध्य प्रदेश	12164.80	5256.97	382517.00	184318.00
14.	महाराष्ट्र	1813.27	805.92	605390.00	492532.00
15.	मणिपुर	1159.70	473.18	10800.00	8731.00
16.	मेघालय	642.86	275.40	53962.00	31092.00
17.	मिजोरम	642.86	275.40	53962.00	31092.00
18.	नागालैंड	1105.12	392.71	19860.00	12386.00
19.	ओडिशा	2822.22	1070.88	483591.00	407136.00
20.	पंजाब	276.12	86.58	59886.00	35651.00
21.	राजस्थान	16151.39	10942.40	249271.00	156211.00
22.	सिक्किम	159.19	72.39	8327.00	5744.00
23.	तमिलनाडु	9941.31	7915.97	520340.00	480219.00
24.	त्रिपुरा	1856.63	782.04	145824.00	81598.00
25.	उत्तर प्रदेश	13207.91	2550.44	1397863.00	566589.00
26.	उत्तराखंड	794.73	326.96	72927.00	40547.00
27.	पश्चिम बंगाल	6344.88	1897.01	298289.00	199924.00

1	2	3	4	5	6
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19.03	8.70	1591.00	775.00
29.	दादरा और नगर हवेली	1.65	1.39	24.00	2.00
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	8.66	6.04	3619.00	2711.00
32.	लक्षद्वीप	6.21	2.38	177.00	72.00
33.	पुदुचेरी	32.77	24.59	9616.00	9235.00
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	111700.84	52767.43	8163605.00	5436412.00

एन.ए.-अनुपलब्ध , एनआर-प्राप्त नहीं किए गए है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अनियमितताएं

[हिन्दी]

4945. श्री रामकिशुन:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार से अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में इसके अंतर्गत आबंटित निधि के समुचित उपयोग का पता लगाने के लिए किसी समिति द्वारा की गई जांच का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के द्वारा विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधाारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और प्रतापगढ़ क्षेत्रों को आबंटित और प्रयुक्त की गई निधि का ब्यौरा क्या है तथा उक्त क्षेत्रों में परियोजनाओं की पूर्णता की क्या स्थिति है एवं कितने गांवों में बिजली उपलब्ध करा दी गई है;

(ङ) क्या सरकार का आरजीजीवी योजना में संशोधन करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) झारखण्ड और जम्मू और कश्मीर राज्यों में कथित अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मामले की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों का उचित उपयोग किया गया है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समिति द्वारा ऐसी कोई जांच संचालित नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों से विद्युत मंत्रालय में प्राप्त भिन्न-भिन्न प्रकार की अन्य शिकायतों को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को उचित कार्रवाई/सुधारात्मक उपायों के लिए शीघ्र भेज दिया जाता है।

(घ) उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और प्रतापगढ़ का विगत तीन वर्षों अर्थात-2010-11 से 2012-13 में, कोई भी निधि जारी नहीं की गई है। आरजीजीवीवाई के तहत, 10वीं योजना में उत्तर प्रदेश

के बाराबंकी और प्रतापगढ़ जिलों की परियोजनाओं के लिए क्रमशः 7636.60 लाख रुपये और 4950.40 लाख रुपये की परियोजना लागत की मंजूरी दी गई थी। इन जिलों में विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है।

(ङ) और (च) विद्युत मंत्रालय ने, 100 और उससे अधिक जनसंख्या के मौजूदा प्रावधानों की तुलना में शेष 50 और उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों/बस्तियों के लिए आरजीजीवीवाई को 12वीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव किया है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

न्याय परिदान प्रणाली

4946. श्री बसुदेव आचार्य:
श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में न्याय परिदान प्रणाली की धीमी गति के विरुद्ध लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसी कार्य-योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने और न्यायिक प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास के अंग के रूप में ई-याचिकाओं और मामलों की ई-फाइलिंग को अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है। सरकार ने, (i) विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके पहुंच में वृद्धि करना; और (ii) संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से तथा निष्पादन मानकों, सक्षमता की स्थापना करके जवाबदेही में अभिवृद्धि करने के दो मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की है। मिशन, पांच रणनीति पहलों का अनुसरण कर रहा है, ये पहलें निम्नानुसार हैं:– (i) नीति और विधायी परिवर्तनों की रूपरेखा प्रस्तुत करना; (ii) प्रक्रियाओं और न्यायालय आदेशिकाओं का पुन: निर्माण करना; (iii) मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित करना; (iv) बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और युक्तियों को आरंभ करना; और (v) अवसंरचना में सुधार करना। मिशन ने न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों में चरणबद्ध कमी के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को अंगीकृत किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका के पदों में वृद्धि, अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों, नीतिक और विधायी उपाय मामलों को शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुन:निर्माण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है।

मिशन ने, अल्पकाल में, जब से वह अस्तित्व में आया हैं, अनेक उपाय किए हैं। चैक बाउंस के मामलों से संबंधित बढ़ती हुई मुकदमेबाजी पर नियंत्रण करने के लिए अन्य नीति तथा प्रशासनिक उपायों के साथ परक्राम्य लिखित (एनआई) अधिनियम में आवश्यक संशोधनों को सुझाने के लिए गठित एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने चैक बाउंस मामलों की संख्या को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक और विधायी परिवर्तनों सहित उपायों की सिफारिश की है। न्यायिक सुधारों का महत्वपूर्ण पहलू मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रियाओं और न्यायालय आदेशिकाओं के पुन: निर्माण से संबंधित है। राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणालियों (एनसीएमएस) की व्यापक स्कीम, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विरचित और अधिसूचित की गई है। एनसीएमएस के अधीन राष्ट्रीय न्यायालय उत्कर्ष ढांचा तैयार किया गया है जो गुणवत्ता, उत्तरदायित्वता और समय से, के मुद्दों का समाधान करते हुए न्यायालयों के लए निष्पादक मापक मानकों को स्थापित करेगा। राज्य सरकारों के संसाधनों में अभिवृद्धि करने की दृष्टि से, सरकार ने वर्ष 2011-12 से आगे, न्यायपालिका क लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपांतरित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन वित्तपोषण पैटर्न को पुनरीक्षित करके केन्द्रीय अंश का 50:50 से बढ़ाकर 75:25 (पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न राज्यों के लिए) किया है। 2010-11 से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्तपोषण पैटर्न को 90:10 के रूप में रखा गया है। भारत सरकार ने, जुलाई 2011 से दिसम्बर, 2011 तक बकाया मामलों की पहल आरंभ की थी। विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 लाख अधिक लंबित मामलों की कमी की गई थी जिनमें से लगभग 1. 36 लाख मामले वरिष्ठ नागरिकों, नि:शक्त व्यक्तियों, अल्पवयों तथा समाज के निर्धन वर्गों के थे। अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल और आपराधिक मामलों के लंबित मामले, एक वर्ष पूर्व अर्थात् 31. 03.2011 को 2,75,48,070 लंबित मामलों की तुलना में 31.3.2012 को 2,68,51,766 तक कम हो गए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार, 14,249 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए तथा उच्चतम न्यायालय और

उच्च न्यायालयों में आईसीटी अवसंरचना के उन्नयन के लिए ई-न्यायालय एकीकृत मिशन पद्धति परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। 31 मार्च, 2013 को 12,233 जिला और अधीनस्थ न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

परियोजना, ऐसी सेवाओं की संख्या के परिदान जैसे कि मामले को दाखिल करने और रजिस्ट्रीकरण करने, स्वत: निर्मितवाद सूचियों का तैयार किया जाना, निर्णयों आदि का अपलोड किया जाना परिकल्पित करती है। इसमें से कुछ सेवाएं, विभिन्न न्यायालयों में नागरिकों के पहले ही परिदत्त की जा रही हैं। ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना के प्रचालन में, ई-याचिकाएं तथा मामले की ई-फाइलिंग का अनुज्ञात किया जाना अभी तक उपलब्ध नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली स्थित स्टेशनों पर सुविधाएं

4947. श्री तूफानी सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की कमी है;

ख) यदि हां, तो यात्रियों को हो रही असुविधाओं को दूर करने और इन स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशनों को प्राथमिकता स्टेशनों की सूची में नहीं रखा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो पुरानी दिल्ली स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन और सराय रोहिल्ला स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर कुप्रबंध को दूर करने में बरती जा रही लापरवाही के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी नहीं, सराय रोहिल्ला, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं, दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर पे एंड यूज टायलेट की व्यवस्था को छोड़कर इन स्टेशनों को 'मॉडल' स्टेशन योजना के अंतर्गत पहले ही विकसित कर दिया गया है;

(ग) निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सभी स्टेशनों को उचित प्राथमिकता दी जाती है;

(घ) इस समय, दिल्ली जंक्शन पर 24, निजामुद्दीन पर 15 तथा दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर 10 टिकट काउंटर पर्याप्त समझे जाते हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में एआईबीपी का कार्यान्वयन

4948. श्री सुरेश कलमाडी:
श्री समीर भुजबल:

क्या **जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नई-धमना बराज, टेंभू एलआईएस एवं उरमोदई परियोजनाओं सहित महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना के कार्यकरण की योजना के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक इनमें से किसी परियोजना को एआईबीपी में शामिल न करने के क्या कारण हैं एवं इन परियोजनाओं को समय पर केन्द्रीय सहायता जारी करना सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं की समीक्षा/मूल्यांकन में शीघ्रता के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एआईवीपी के अंतर्गत आवंटित निधि का पूर्ण उपयोग किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार व राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क), (ख) और (घ) 2012-13 के दौरान, नेरधमना बराज, तेम्भू एलआईएस ओर उरमोडी परियोजना सहित 4 बृहद/मध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्ताव त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की स्कीम में शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुए थे। प्रस्ताव की प्रक्रिया केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और जल संसाधन मंत्रालय में आरंभ की गई थी, तथापि, निधियां जारी की गई क्योंकि ये नए प्रस्ताव हैं तथा एआईवीपी स्कीम को जारी रखने के लिए केन्द्रीय मंत्रीमंडल का अनुमोदन XII पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया जाना है।

(ग) प्रचलित एआईबीपी दिशानिर्देशों के अनुसार एआईबीपी की स्कीम के अंतर्गत शामिल करने के बाद बृहत/मध्यम परियोजनाएं

चार वर्ष में पूरी की जानी होती हैं और सतही लघु सिंचाई परियोजनाएं दो वर्ष में पूरी की जानी होती है। एआईबीपी में शामिल करने के लिए परियोजना का निर्माण के अग्रिम चरण में होना जरूरी है।

(ङ) XIवीं योजना के दौरान (2007-08 से 2011-12 तक) एआईबीपी के लिए 39850 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2012-13 के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत 9969.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। उपर्युक्त तीन वर्षों तथा 2012-13 के दौरान बृहत/मध्यम (एमएमआई)/लघु प्रयोजनाओं के लिए जारी केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है और एमएमआई परियोजनाओं पर हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। उपर्युक्त तीन वर्षों और वर्ष 2012-13 के दौरान सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए जारी केन्द्रीय सहायता और हुए व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

2007-08 से 2012-13 के दौरान एआईबीपी के तहत जारी केन्द्रीय सहायता

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
				अनुदान			
1.	आंध्र प्रदेश	987.7692	855.1800	1300.7280	22.7920	397.8810	0.0000
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.1800	33.9580	30.7800	48.6346	33.7880	54.6650
3.	असम	77.3380	405.9450	589.9760	406.4030	424.7100	414.0410
4.	बिहार		62.2400	109.77.9130	55.7535	15.5300	9.7200
5.	छत्तीसगढ़	96.9640	193.0402	60.8853	174.8106	201.4660	157.2650
6.	गोवा	32.4800	39.2300	20.2500	20.0000	20.2500	8.0000
7.	गुजरात	585.7200	258.6100	8.0797	361.4200	0.0000	1285.9340
8.	हरियाणा	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9.	हिमाचल प्रदेश	114.0500	119.3178	90.6797	43.5213	129.7050	48.5190
10.	जम्मू और कश्मीर	199.2251	393.0661	171.7276	156.0341	225.1180	167.9470
11.	झारखंड	9.2244	3.7200	0.0000	242.8874	559.9560	568.9860
12.	कर्नाटक	349.9000	442.4190	823.8280	597.7593	511.4040	368.9570
13.	केरल	0.0000	0.9045	3.8120	10.0172	0.0000	0.0000
14.	मध्य प्रदेश	500.3450	473.7824	758.7458	658.6918	473.4640	963.2170
15.	महाराष्ट्र	972.2500	2257.8318	1395.3946	2069.0559	1199.8920	1019.0170

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	103.9870	221.6733	42.5403	249.9965	44.5500	375.0000
17.	मेघालय	1.1600	24.8009	22.5018	110.1947	81.3002	59.8640
18.	मिजोरम	34.3434	50.7176	36.4500	51.0923	42.1100	0.0000
19.	नागालैंड	40.5100	48.5979	57.2860	70.0000	72.6470	76.9910
20.	ओडिशा	624.3590	724.4387	871.5717	591.6811	614.9420	14.9180
21.	पंजाब	13.5000	9.5400	22.0500	140.4760	43.6300	0.0000
22.	राजस्थान	156.5300	178.6200	157.5770	41.9200	3.3750	0.0000
23.	सिक्किम	3.2400	0.0000	2.6049	14.3639	33.7144	0.0000
24.	त्रिपुरा	8.1000	43.1750	36.2088	47.9999	34.8751	17.7500
25.	तमिलनाडु	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.	उत्तर प्रदेश	150.6900	315.4732	238.0820	432.5382	279.8440	144.6380
27.	उत्तराखण्ड	265.6500	371.6580	127.0063	160.0600	232.7513	148.8010
28.	पश्चिम बंगाल	8.9500	22.8100	0.9144	89.1000	107.0020	0.0000
	कुल	5445.7051	7598.2213	6945.5929	6837.2033	5783.9050	5904.1300

विवरण II

(रुपये करोड़ में)

राज्य/परियोजना का नाम	एमएमआई परियोजनाओं के एआईबीपी संघटकों का व्यय					
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2459.102	1820.924	2810.150	2370.021	1943.186	*
असम	23.870	60.297	80.229	10.184	0.000	*
बिहार	397.547	350.917	257.040	122.882	0.000	*
छत्तीसगढ़	165.120	148.805	211.310	128.198	17.370	*
गोवा	94.190	97.790	86.640	91.620	62.680	*

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	797.420	588.402	268.790	747.080	1727.360	*
हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	*
हिमाचल प्रदेश	93.000	60.017	110.036	55.349	0.000	*
जम्मू और कश्मीर	48.426	94.642	43.662	50.689	21.886	*
झारखंड	54.818	42.587	20.024	13.399	0.000	*
कर्नाटक	638.332	1015.881	768.698	1035.769	547.952	*
केरल	18.952	2.728	5.615	26.656	11.140	*
मध्य प्रदेश	874.223	1094.784	1087.747	1361.365	1218.206	*
महाराष्ट्र	1950.022	1797.900	2248.862	2417.345	2760.857	*
मणिपुर	105.550	188.260	125.600	183.560	0.000	*
मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	*
ओडिशा	312.470	3987.270	394.090	1797.120	125.670	*
त्रिपुरा	6.076	9.631	15.622	5.700	0.000	*
तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	*
उत्तर प्रदेश	687.113	919.375	722.869	942.899	0.000	*
उत्तराखंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	*
पश्चिम बंगाल	12.968	58.307	32.715	0.672	0.000	*

राज्य सरकारों द्वारा व्यय संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना है।

विवरण III

राज्यों को वर्ष 2007-08 से 31.03.2013 तक एआईबीपी के अंतर्गत एमआई स्कीमों के लिए जारी राज्यवार अनुदान और हुए व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		जारी अनुदान	हुआ व्यय	जारी अनुदान	हुआ व्यय	जारी अनुदान	हुआ व्यय	जारी अनुदान	हुआ व्यय	जारी अनुदान	हुआ व्यय	जारी अनुदान	हुआ व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरूणाचल प्रदेश	47.18	52.4222	33.958	37.7311	30.780	34.2000	48.6350	54.0389	33.7883	37.5426	54.6651	60.7390
2.	असम	62.148	69.0533	322.7044	358.5604	577.9694	642.1882	356.9030	396.5589	377.7456	419.7173	414.0209	25.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	मणिपुर	49.8070	55.3411	39.5600	43.9556	42.5403	47.2670	40.5000	45.000	44.5500	49.5000	0	*
4.	मेघालय	1.1600	1.2889	24.8009	27.5566	22.5018	25.0020	110.1951	122.4390	81.3011	90.3346	59.8639	*
5.	मिजोरम	34.3430	38.1589	50.7176	56.3529	36.4500	40.5000	51.0921	56.7690	42.1101	46.7890	0	*
6.	नागालैण्ड	40.510	45.0111	48.59749	53.9977	57.2860	63.6511	70.000	77.7778	72.6525	80.7250	76.9910	85.5456
7.	सिक्किम	3.240	3.6000	0	0	2.6049	2.8943	14.3639	15.9599	33.7144	37.4604	0	0
8.	त्रिपुरा	8.1000	9.0000	20.5065	22.7850	31.3488	34.8320	0.0000	0.0000	34.8751	38.7501	17.7500	*
9.	हिमाचल प्रदेश	43.510	48.3444	37.5078	41.6753	37.8195	42.0217	32.4000	36.0000	47.1152	52.3502	48.5190	*
10.	जम्मू और कश्मीर	105.1851	116.8723	297.7547	330.8386	158.0534	175.6149	110.7215	123.0239	163.4678	181.6309	155.2400	*
11.	ओडिशा (केबीके)	14.770	16.5222	24.1697	28.8552	40.5000	45.0000	27.8538	30.9487	0	0.0000	0	0
12.	उत्तराखंड	265.65	295.1667	371.6580	412.9533	127.0063	141.1181	160.0600	177.8444	232.7513	258.6126	148.8013	*
13.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.0000	231.66	257.4000	0	0.0000	0.00	0.0000	141.75	157.5000	0	0
14.	छत्तीसगढ़	59.57	66.1889	151.0212	167.8013	16.0383	17.8203	131.7986	146.4429	179.1856	199.0951	141.7400	*
15.	मध्य प्रदेश	128.325	142.5833	51.7594	57.5104	173.3724	192.6360	202.5023	225.0026	211.2880	234.7644	471.7069	286.2200
16.	महाराष्ट्र	86.490	96.1000	210.9923	234.4359	0	0	256.1439	284.6043	77.21069	*	1758.8416	*
17.	बिहार	3.55	3.9444	34.8489	38.7210	0	0	32.3535	35.9483	15.5303	17.2559	9.7200	*
18.	पश्चिम बंगाल	8.12	9.0222	0	0	0	0	8.10	9.0000	4.46	4.9512	0	0
19.	राजस्थान	0	0	0	0	14.170	*	0	0	0	0.0000	0	0
20.	कर्नाटक	0	0	0	0	48.5066	53.8962	34.6388	38.4876	59.1674	65.7416	161.6000	*
21.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	231.6474	257.386	224.4158	249.3509	53.2646	*
	कुल	961.7581	1068.6201	1952.2173	2169.1303	1416.9477	1558.6419	1919.9089	2133.2321	2077.0755	2222.0718	1992.7243	457.5046

*उपयोग प्रमाण पत्र अभी प्राप्त होने शेष हैं।

अपर सॉलीसिटर जनरल की नियुक्ति

4949. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर सॉलीसिटर जनरल की नियुक्ति में कोई आरक्षण है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) विधि अधिकारियों (महान्यायवादी, महा-सालीसिटर और अपर महा-सालीसिटर) को, उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और वृत्तिक सक्षमता को ध्यान में रखते हुए, अधिवक्ताओं में से नियुक्त किया जाता है। ऐसे प्रस्ताव उच्चतम स्तर पर सरकार द्वारा किए जाते हैं और मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् नियुक्ति की जाती है। उपरोक्त से भिन्न ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के संबंध में, जिनको भारत के अपर महा-सालीसिटर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, कोई आरक्षण नहीं है।

एक्सबीआरएल

4950. श्री वैजयंत पांडा:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) के भावी कार्यान्वयन की रूप-रेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में विभिन्न पणधारियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में अभी तक प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) नए एक्सबीआरएल के आरंभ से लेकर अब तक इसके रिपोर्टिंग मानकों का अनुपालन करने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) मंत्रालय ने एक्सबीआरएल विशेषज्ञों तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ-साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के प्रतिनिधियों को मिलाकर निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ नवम्बर, 2011 में एक समिति गठित की थी:

(i) एक्सबीआरएल में चरणबद्ध तरीके से दायर करने हेतु कंपनियों के वर्ग तथा विभिन्न प्रतिवेदनों की पहचान।

(ii) कॉर्पोरेट द्वारा सरकारी एजेंसियों के समक्ष उनकी विनियामक फाइलिंग में प्रयोग के लिए टेक्सोनॉमी को विकास।

(iii) टेक्सोनॉमी तथा एक्सबीआरएल आश्वासन फ्रेमवर्क का विस्तार।

(iv) हितधारकों का प्रशिक्षण, जागरूकता तथा क्षमता निर्माण।

(v) एक्सबीआरएल आंकड़ा के उपभोग तथा प्रसार हेतु फ्रेमवर्क।

(घ) और (ङ) समिति के गठन तथा इसके विचारार्थ विषयों से संबंधित सूचना आम जनता के सूचनार्थ तथा सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु मंत्रालय की वेबसाईट www.mca.gov.in पर डाली गई थी। इसके प्रत्युत्तर में निम्नलिखित के संबंध में बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए:

(i) टेक्सोनॉमी में नई लेखांकन संकल्पनाएं (अवयव),

(ii) आगू टेक्सोनॉमी के विकास में अपनाए जा सकने वाला उपागम,

(iii) टेक्सोनॉमी में 'विस्तार' और एक्सबीआरएल दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण जैसे तकनीकी मुद्दों के समाधान हेतु अपनाए जा सकने वाला उपागम,

(iv) एक्सबीआरएल में नई कंपनियों/फाइलिंग को चरणबद्ध तरीके से शामिल करना,

(v) एक्सबीआरएल आंकड़ों के उपभोग एवं प्रसार हेतु फ्रेमवर्क, आदि।

(च) कंपनियों के चयनित वर्ग के लिए एक्सबीआरएल फाइलिंग हेतु नए मानक 6 अक्तूबर, 2011 से प्रभावी हो गए हैं। वित्त वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः 29039 तथा 25786 कंपनियों ने अपने तुलन पत्र संशोधित एक्सबीआरएल मानकों का प्रयोग करते हुए दायर किए हैं।

जन औषधि बिक्री केन्द्रों का खोला जाना

4951. प्रो० रंजन प्रसाद यादव:
श्री राम सिंह राठवा:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आम आदमी को सस्ती दरों पर औषधियां उपलब्ध कराने हेतु जिला अस्पतालों में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रचालन, स्थापना हेतु क्या योजना बनाई गई है तथा निकट भविष्य के लिए इसका क्या लक्ष्य है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) जन औषधि बिक्री केन्द्रों को आपूर्ति हेतु औषधियों की विविधता को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री

(श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी हां। दिनांक 31.03.2013 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्यां में 154 जनऔषधि बिक्री केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन बिक्री केन्द्रों से 319 दवाओं को बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दवाइयों की संख्या बढ़ाने सहित 3000 और बिक्री केन्द्र खोलने का एक संशोधित योजना सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

असम में तटीकरण

4952. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असम में तटीकरण एवं बांध बनाने संबंधी नवीनतम स्थिति की रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो असम की बराक घाटी में तटीकरण और बांध बनाने की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) राज्य में नदी के कटाव को रोकने के लिए तटीकरण, बांध की मरम्मत के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। असम राज्य में तटबंध की कुल लम्बाई 4473.82 कि.मी. (ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी) है। इन तटबंधों की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	लम्बाई	कुल लम्बाई का %
1.	अत्यधिक असुरक्षित	950 कि.मी.	21.3%
2.	असुरक्षित	2390 कि.मी.	53.6%
3.	काफी हद तक सुरक्षित	1133.82 कि.मी.	25%

(ख) असम की बराक घाटी में तटबंध की कुल लम्बाई 731 कि.मी. है। इन तटबंधों की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	लम्बाई	कुल लम्बाई का %
1.	अत्यधिक असुरक्षित	450 कि.मी.	61.56%
2.	काफी हद तक सुरक्षित	81 कि.मी.	11.08%
3.	सुरक्षित	200 कि.मी.	27.36%

(ग) राज्य में इन तटबंधों, डाइकों की मरम्मत और कटाव नियंत्रण के लिए, जल संसाधन विभाग, असम द्वारा 10258.00 करोड़ रुपये की 90 (नब्बे) स्कीम तैयार की गई हैं। इनमें से ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 54 स्कीम संस्तुत की हैं, 8 अन्य स्कीम अनुमोदन क लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड में प्रक्रियाधीन हैं ओर अन्य 28 स्कीम सीडब्ल्यूसी, शिलांग में अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा संस्तुत 54 स्कीमों में से 183.044 करोड़ रुपये की 12 स्कीमें योजना आयोग द्वारा संस्तुत की गई हैं और 258.26 करोड़ रुपए की अन्य 7 स्कीम योजना आयोग में प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई की निगरानी

4953. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री इन्यराज सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के संबंध में स्थानीय संसद सदस्यों से परामर्श नहीं लिया जाता तथा इस योजना की निगरानी प्रणाली में उनकी कोई भूमिका नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) स्थानीय सांसदों को पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन और निगरानी में शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (घ) पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों के लिए वृहत्तर भूमिका का प्रावधान

है और इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित विभिन्न प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) कोर नेटवर्क तथा वार्षिक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में संसद सदस्यों के साथ परामर्श।

(ii) जोन/क्षेत्र के संबंधित पर्यवेक्षक इंजीनियर द्वारा स्थानीय संसद सदस्य से प्रत्येक 6 माह में संयुक्त निरीक्षण किए जाने के लिए किसी पीएमजीएसवाई सड़क (सड़कों) के चयन हेतु अनुरोध किया जाना अपेक्षित है।

(iii) कार्यक्रम से संबंधित सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शिलान्यास तथा उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित करना। पीएमजीएसवाई सड़ हेतु शिलान्यास स्थानीय संसद सदस्य द्वारा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त संसद सदस्यों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित सतर्कता एवं निगरानी समितियों में पीएमजीएसवाई सहित मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका का प्रावधान है।

[अनुवाद]

जल विनियामक प्राधिकरण

4954. **श्री गजानन ध. बाबर:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसके पास जल प्रशुल्क प्रणाली को निर्धारित करने तथा विनियमित करने के अधिकार होंगे;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में पानी की कमी वाले क्षेत्रें में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (एनडब्ल्यूआरसी) ने 28 दिसम्बर, 2012 को आयोजित की गई इसकी छठी बैठक में आम सहमति के आधार पर प्रत्येक राज्य द्वारा जल शुल्क पद्धति निर्धारित करने एवं इसके विनियमन हेतु एक स्वतंत्र सांविधिक जल विनियामक प्राधिकरण स्थापित किये जाने की सिफारिश के साथ राष्ट्रीय जल नीति (2012) को अंगीकार कर लिया है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधन का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए जल संवर्धन, संरक्षण एवं प्रभावी प्रबधन के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते है। राज्य सरकारों को प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम); जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार और वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से जल संसाधन के सतत विकास एवं प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मिशन भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य "एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण, जल की बर्बादी को कम करना और राज्यों के भीतर और राज्यों के बाहर दोनों स्थानों पर जल का और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है"।

ग्रामीण परिसम्पत्तियों का सृजन

4955. **श्री वरूण गांधी:**
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्थायी ग्रामीण परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कदम उठा रही है जिससे ग्रामीण भारत के बेरोजगारों को धारणीय आजीविकाएं मिलने में सुविधा होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार के जरिए स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए मांग किए जाने पर प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों तक का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के सृजन के लिए मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्यों से टिकाऊ ग्रामीण आय सर्जक परिसंपत्तियों का

सृजन हुआ है। एसजीएसवाई का एनआरएलएम के रूप में पुनर्गठन आय सर्जक परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। एसजीएसवाई का एनआरएलएम के रूप में पुनर्गठन किया गया है और इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बना कर निर्धनता का उन्मूलन करना है जिसके परिणामस्वरूप निर्धनों की सुदृढ़ एवं स्थायी जमीनी संस्थाओं के निर्माण के जरिए स्थायी आधार पर उनकी आजीविकाओं में काफी सुधार होगा।

राज्यों के साथ लागत को बांटना

4956. **श्री जोसेफ टोप्पो:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विभिन्न राज्य सरकारों विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्यों से काफी समय से लम्बित रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु लागत का बंटवारा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी हां। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड, धन की कमी, संसाधनों की सीमित उपलब्धता से निबटने और चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए असम राज्य सहित राज्य सरकारों से उनके राज्य से गुजरने वाली परियोजनाओं के लिए रेल लाइनों के निर्माण की लागत में भागीदारी और उनके राज्यों में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया गया है। परिणामस्वरूप, 5102 किमी की लंबाई वाली 37 परियोजनाओं की लागत में भागीदारी के लिए 10 राज्य सरकारें आगे आई हैं। राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ग) भारी थ्रो फारवर्ड एवं संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण, चालू परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। किसी परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा का निर्धारत वार्षिक आधार पर किया जाता है जो परिचालनिक आवश्यक, संसाधनों की उपलब्धता और परियोजना विशेष की प्रगति पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी का%	परियोजना का नाम (किमी)	अद्यतन लागत (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई लाइन					
1.	आंध्र प्रदेश	25	कोटापल्ली-नरसापुर (57.21 किमी)	1045.2	प्रारंभिक कार्य शुरू।
2.	-वही-	33	मनोहराबाद-कोटापल्ली	975.14	प्रारंभिक कार्य शुरू।
3.	-वही-	25	काकीनाडा-पीथापुरम	125.68	परियोजना को अभी शुरू किया जाना है।
4.	-वही-	50	कुड्डापाह-बंगलौर (बंगरापेट) (255.4 किमी)	2050.00	निर्माण 5 चरणों में 3 शुरू हो गए हैं।
5.	-वही-	50	नाडिकुड-श्रीकलाहस्ती (309 किमी)	1313.99	परियोजना स्वीकृत।
6.	-वही-	50	भद्राचलम-कोव्वुर (151 किमी)	923.23	रेल बजट 2012-13 में शामिल किया गया है।

1	2	3	4	5	6
7.	-वही-	50	अक्कनपेट-मेंडक (17.20 किमी)	114.37	रेल बजट 2012-13 में शामिल किया गया है।
8.	छत्तीसगढ़	*	दल्लीराजहारा-जगदलपुर (235 किमी)	1105.23	निर्माण दो चरणों में और सुरक्षा मामलों के कारण रोक दिया गया है।
9.	हरियाणा	50	जींद-सोनीपत (88.9 किमी)	500.00	27% कार्य पूरा।
10.	हरियाणा	50	रोहतक-महम-हांसी (68.8 किमी)	287.00	रेल बजट 2012-13 में स्वीकृत।
11.	हरियाणा	50	रेवाड़ी-रोहतक (81.26 किमी)	712.29	रेवाड़ी-रोहतक पूरा हो गया है। मकरौली तक लाइन शुरू हो गई है।
12.	हिमाचल प्रदेश	25	भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63.1 किमी)	2966.99	प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है।
13.	झारखंड	66.67	दुमका के रास्ते रामपुरहाट-मंदारहिल (130 किमी) एवं रामपुरा-मुरारै (29.48 किमी)	900.00	40% कार्य पूरा।
14.	-वही-	66.67	गिरीडीह-कोडरमा (102.5 किमी)	768.88	74% कार्य पूरा।
15.	-वही-	66.67	कोडरमा-रांची (189 किमी)	2957.21	77% कार्य पूरा।
16.	झारखंड	66.67	कोडरमा-तिलैया (68 किमी)	418.17	35% कार्य पूरा।
17.	-वही-	50	हंसीडाह-गोड्डा (30 किमी)	267.09	बजट 2011-12 में शामिल
18.	कर्नाटक	50	श्रवणबेलगोला के रास्ते हासन-बंगलोर (166 किमी)।	1290	70% कार्य पूरा।
19.	-वही-	50	कडुर-चिकमगलुर-सकलेशपुर (93 किमी)	341.75	74% कार्य पूरा।
20.	-वही-	50	मुनीराबाद-महबूबनगर (246 किमी)	1290.00	28% कार्य पूरा।
21.	-वही-	50	गुलबर्गा बीदर-140 किमी)	776.00	कार्य को 3 चरणों में शुरू किया गया। समग्र वास्तविक प्रगति 55 प्रतिशत
22.	-वही-	50	बगलकोट-कुडाची (142 किमी)	986.73	प्रारंभिक कार्य शुरू

1	2	3	4	5	6
23.	-वही-	50	कल्याणदुर्ग के रास्ते रायदुर्ग-तुमकुर (213 किमी)	970.34	12% कार्य पूरा।
24.	-वही-	50	तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावनगेरे (199.7 किमी)	913.00	बजट 2011-12 में स्वीकृत।
25.	कर्नाटक	50	शियोगा-हरिहर (78.66 किमी)	562.74	बजट 2011-12 में स्वीकृत।
26.	-वही-	50	व्हाइट फील्ड-कॉलर (52.9 किमी)	353.44	बजट 2011-12 में स्वीकृत।
27.	-वही-	50	बंगलौर-सत्यमंगलम (260 मिकी)	1800.00	वन क्षेत्र से मुक्त-चामराजनगर, जिसे कर्नाटक सरकार के सब लागत-बंटवारा आधार पर लिया गया।
28.	महाराष्ट्र	40	वर्धा-नांदेड़ (बरास्ता यशतमाल पुसूड) (270 किमी)	1604.94	प्रारंभिक कार्य शुरू हुआ
29.	-वही-	50	अहमदनगर-बीड-पर्ली वैजनाथ (250 किमी)	2820.00	अहमदनगर नारामनदोह पूर्ण हो चुका। शेष कार्य प्रगति पर।
30.	राजस्थान	50	रतलाम-डूंगरपुर (बरास्ता बांसवाड़ा) (176.47 किमी.)	2082.75	समग्र वास्तविक 12 प्रतिशत।
31.	उत्तराखंड	50	देबद (मुजफ्फरनगर-रुड़की (27.45 किमी)	336.91	समग्र वास्तविक प्रगति 20 प्रतिशत प्रगति 20%
32.	उत्तराखंड	भूमि	किच्छा खटीमा (57.7 किमी)	208.40	राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।
आमान परिवर्तन					
33.	झारखंड	66.67	टोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारदगा (113 किमी)	456.45	55% कार्य पूरा।
34.	कर्नाटक	50	कोलार-चिकबल्लापुर (96.5 किमी)	438.91	75% कार्य पूरा।
35.	पश्चिम बंगाल	50	कटवा-बाजारसो सहित (30.59 किमी) बर्धमान-कटवा-दोहरीकरण कटवा (दैनहाट)-मातेश्वर (34.4 किमी), नेगुन- मंगलकोट (8.60 किमी) एवं मातेश्वर-मेमारी (35.6 किमी) नई लाइन	1088.86	मुख्य परियोजना के लिए समग्र वास्तविक प्रगति 50 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6
दोहरीकरण					
36.	आंध्र प्रदेश	50	विजयवाडा-गुडिवाडा-भीमावरम-नरसापुर, गुडिवाडा मछलीपटनम और भीमवरम-निदादावोलु (221 किमी)-विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण	1009.82	सर्वेक्षण प्रगति पर
37.	कर्नाटक	66.67	केंगेरी-मैसूर के विद्युतीकरण सहित रामनगरम-मैसूर (91.5 किमी)	800	75% कार्य पूरा।

*राज्य सरकार भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी, भूमि की अधिग्रहण लागत को वहन करेगी और इस लाइन के निर्माण के लिए अपेक्षित खनिजों एवं सामग्रियों पर राज्य करों और रॉयल्टी पर छूट देगी।

[हिन्दी]

विद्युतीकरण परियोजनाएं

4957. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री भीष्म शंकर *ऊर्फ* **कुशल तिवारी:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे लाइनों के जारी/लम्बित विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा तत्संबंधी राज्य/जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान रेल लाइनों के विद्युतीकरण हेतु मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को जल्द पूरा करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) देश में रेल लाइनों के चालू विद्युतीकरण का राज्य/जोनवार विवरण और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:–

चालू रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय रेल	परियोजना का नाम (एवं स्वीकृति का वर्ष)	मार्ग किलोमीटर (मार्ग किमी) जोड़	01.04.2013 3 को शेष मार्ग किमी
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र	मध्य एवं दक्षिण पूर्व मध्य	अमला-छिंदवाड़ा-कलुमना (2012-13)	257	257
2.	महाराष्ट्र	मध्य	अमरावती-नरखेड़ (नई लाइन का सामग्री आशोधन नवम्बर, 2012)	138	138

1	2	3	4	5	6
3.	पश्चिम बंगाल	पूर्व	आमान परिवर्तन सहित कृष्णानगर-शांतिपुर-नवद्वीप (2001-02/2007-08)	27	14
4.	पश्चिम बंगाल	पूर्व	जमुरिया-इकरा और श्रीपुर के रास्ते अंडाल-सीतारामपुर (2012-13)	57	57
5.	पश्चिम बंगाल	पूर्व	आमान परिवर्तन सहित बर्दवान-कटवा (2007-08)	52	28
6.	पश्चिम बंगाल/ झारखंड	पूर्व	खाना-सैंथिया सहित पांडबेश्वर-सैंथिया-पाकुर (2010-11)	205	57
7.	उत्तर प्रदेश/ बिहार	पूर्वोत्तर पूर्व मध्य	बाराबंकी-बरौनी-गुवाहाटी के चरण-I के रूप में सीवान-थावे सहित बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर (2007-08)	757	77
8.	बिहार पश्चिम बंगाल/असम	पूर्व अध्य पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार-बरसोई सहित बरौनी-कटिहार-गुवाहाटी (2008-09)	836	567
9.	ओडिशा	पूर्वतट	अंगुल-सुकिंदा (रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा नई लाइन सहित (आरवीएनएल) 1997-98)	99	99
10.	ओडिशा	पूर्वतट	हरिदासपुर-पारादीप (आरवीएनएल द्वारा नई लाइन 1996-97)	82	82
11.	ओडिशा/ छत्तीसगढ़/आंध्र आंध्र प्रदेश	पूर्वतट	विजयानगरम-रायगडा-टिटलागढ़-रायपुर (2011-12)	465	465
12.	हरियाणा/पंजाब	उत्तर	चंडीगढ़-लुधियाना (नई लाइन सहित 2005-06)	112	17
13.	दिल्ली/उत्तर प्रदेश	उत्तर	लोनी-दिल्ली शाहदरा (यातायात सुविधाएं पूरक 2008-09)	10	10
14.	हरियाणा/पंजाब	उत्तर	रोहतक-भटिंडा-लेहरा मुहबत (2010-11)	252	252
15.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	गाजियाबाद-मुरादाबाद (2010-11)	140	138
16.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	फाफामऊ-प्रयाग-इलाहाबाद सहित वाराणसी-जंघई-उंचाहार (2008-09)	207	03

1	2	3	4	5	6
17.	पंजाब/हिमाचल प्रदेश/जम्मू और कश्मीर	उत्तर	जम्मूतवी-उधमपुर सहित जालंधर-जम्मूतवी (2007-08)	275	30
18.	उत्तराखंड	उत्तर	लक्सर-देहरादून/(अंबाला-मुरादाबाद का सामग्री आशोधन)	79	79
19.	उत्तर प्रदेश	उत्तर, पूर्वोत्तर	रोजा-सीतापुर-बुरहवल (2011-12)	181	181
20.	उत्तर प्रदेश	उत्तर मध्य, पूर्वोत्तर	ऐट-कौंच एवं कानपुर अनवरगंज-कल्याणपुर सहित झांसी-कानपुर (2008-09)	241	11
21.	उत्तर प्रदेश/ राजस्थान	उत्तर मध्य	मथुरा-अलवर (2010-11)	121	83
22.	राजस्थान	उत्तर पश्चिम	अलवर-रेवाड़ी (2011-12)	82	82
23.	हरियाणा	उत्तर पश्चिम	रेवाड़ी-मनहेरू (दोहरीकरण सहित 2011-12)	69	69
24.	कर्नाटक/आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम	येलहंका-धर्मवरम-गूटी (2010-11)	306	202
25.	केरल/कर्नाटक	दक्षिण	शोराणुर-मंगलोर-पेनम्बूर)2010-11)	328	213
26.	तमिलनाडु	दक्षिण	कोयंबतूर नार्थ मेट्टुपलायम (2012-13)	33	33
27.	तमिलनाडु	दक्षिण	मदुरै-तूतीकोरिन-नागरकोइल (2008-09)	262	03
28.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	ओबुलावरिपल्लै-कृष्णापटनम (रेविनिलि द्वारा नई लाइन 2006-07)	113	85
29.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा-गुडिवाडा-भीमवरम निदादावोलु और गुडिवाडा-मछलीपटनम और भीमवरम-नरसापुर (दोहरीकरण 2011-12)	221	221
30.	आंध्र प्रदेश/ कर्नाटक/महाराष्ट्र	दक्षिण मध्य, मध्य	पुणे-वाडी-गुंटकल (रेविनिलि द्वारा विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण, 2009-10 एडीबी वित्तपोण सहित)	641	641
31.	महाराष्ट्र	दक्षिण पूर्व मध्य	गोंदिया-बल्लारशाह (2010-11)	250	241
32.	पश्चिम बंगाल/ झारखंड	पूर्व	कुमेदपुर-माल्दा-सिंहबाद और पाकुर-माल्दा (2012-13)	153	153

1	2	3	4	5	6
33.	आंध्र प्रदेश/ कर्नाटक	दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम	तोरनगल्लु-रंजीतपुरा ब्रांच लाइन सहित गुंटकल-बेल्लारी-हॉस्पेट खंड (2012-13)	138	138
34.	मध्य प्रदेश/ उत्तर प्रदेश	उत्तर मध्य और पश्चिम मध्य	सतना-रीवा सहित इटारसी-कटनी-मनीपुर-चीओकी (2012-13)	653	653
35.	झारखंड/मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश	पूर्वतट	करलीला रोड सहित गरवा रोड-चोपान-सिंगरौली (2012-13)	257	257
36.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	नल्लपाडु-गुंटकल (2012-13)	426	426
37.	ओडिशा	पूर्वतट	संबलपुर-अंगुल (2012-13)	156	156
38.	हरियाणा	उत्तर पश्चिम	मनहेरू-हिसार (2012-13)	74	74
39.	ओडिशा	पूर्वतट	झारसुगुडा सहित झारसुगुडा-संबलपुर-टिटलागढ़ खंड-आईबी (बाईपास लाइन) (2012-13)	238	238
40.	कर्नाटक	दक्षिण पश्चिम	केंगेरी-मैसूर (बंगलोर-मैसूर दोहरीकरण का सामग्री आशोधन, फरवरी, 2010)	126	78
41.	गुजरात	पश्चिम	मियागाम-दभोई-समाल्या (दोहरीकरण सहित 2011-12)	96	96

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से रेल मार्गों के विद्युतीकरण के निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित खंड/खंडों का नाम	राज्य सरकार	स्थिति/की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	विजयवाडा-गुडिवाडा-मछलीपटनम-भीमवरम/नरसापुर-निदादावोलु	आंध्र प्रदेश	इस खंड के विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण को स्वीकृत किया गया है।
2.	बीबीनगर-नल्लापाडु	आंध्र प्रदेश	विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।
3.	नल्लापाडु-द्रोणाचल्लम (धोने)	आंध्र प्रदेश	यह नल्लापाडु-गुंटकल स्वीकृत विद्युतीकरण परियोजना का भाग है।
4.	गुंटुर-तेनाली-रेपल्ली	आंध्र प्रदेश	गुंटुर-तेनाली का विद्युतीकरण दोहरीकरण के साथ स्वीकृत है।
5.	गुवाहाटी-डिब्रुगढ़ और बोंगाईगांव-कामाख्या	असम	तमडिंग के रास्ते गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ के लिए विद्युतीकरण हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है। बोंगाईगांव-कामाख्या खंड के लिए विद्युतीकरण परिचालनिक आधार पर व्यवहार्य नहीं है।

1	2	3	4
6.	रंगिया और गुवाहाटी के रास्ते न्यू बोंगाईगांव-कायाख्या	असम	यह बरौनी-कटिहार-गुवाहाटी स्वीकृत विद्युतीकरण परियोजना का एक भाग है।
7.	लमडिंग के रास्ते गुवाहाटी-तिनसुकिया	असम	इस खंड पर विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।
8.	कटिहार-गुवाहाटी	असम	यह बरौनी-कटिहार-गुवाहाटी स्वीकृत विद्युतीकरण परियोजना का एक भाग है और कार्य प्रगति पर है।
9.	कोरापुट-रायगडा-विजयानगरम	ओडिशा	कोरापुट-दमनजोडी पहले से ही विद्युतीकृत है। दमनजोडी-सिंगापुर रोड के विद्युतीकरण के कार्य को रेल बजट 2013-14 में शामिल किया गया है। सिंगापुर-रोड-रायगडा-विजयानगरम, विजयानगरम-रायपुर स्वीकृत विद्युतीकरण परियोजना का एक भाग है।
1[illegible]	इटारसी-कटनी-इलाहाबाद	मध्य प्रदेश	इस खंड का विद्युतीकरण स्वीकृत है और प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है।
[illegible]1.	मध्य प्रदेश में सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण	मध्य प्रदेश	रेल लाइनों के विद्युतीकरणा पर वित्तीय व्यवहार्यता, यातायात घनत्व और परिचालनिक लोचशीलता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
[illegible]2.	नक्सी-विजयपुर और गुना-ग्वालियर	मध्य प्रदेश	परिचालनिक आधार पर व्यवहार्य नहीं।
13.	मनमाड-परभनी एवं पुणे-कोल्हापुर	महाराष्ट्र	विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।
14.	मनमाड-हैदराबाद	महाराष्ट्र	विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।
15.	कोंकण रेल लाइन का विद्युतीकरण	महाराष्ट्र	इस समय इस खंड का विद्युतीकरण विचाराधीन नहीं है।
16.	पनवेल-पेन-रोहा	महाराष्ट्र	परिचालनिक आधार पर व्यवहार्य नहीं।
17.	टिटलागढ-संबलपुर-झारसुगुडा और तालचेर-संबलपुर	ओडिशा	दोनों खंडों का विद्युतीकरण स्वीकृत है और प्रारंभिक कार्यो का शुरू कर दिया गया है।
18.	हरीदासपुर-पारादीप	ओडिशा	नई लाइन सहित रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा विद्युतीकरण किया जा रहा है।
19.	बीना-कोटा	राजस्थान	कार्य पूरा हो गया है।
20.	जयपुर-सवाईमाधोपुर	राजस्थान	परिचालनिक आधार पर व्यवहार्य नहीं।
21.	दिल्ली-जयपुर-अजमेर-अहमदाबाद	राजस्थान	इस खंड के विद्युतीकरण को रेल बजट 2013-14 में शामिल किया गया है।
22.	विल्लुपुरम-तिरूच्चिरापल्ली-मदुरै	तमिलनाडु	कार्य वास्तविक रूप से पूरा हो गया है।
23.	मदुरै-तूतीकोरिन/नागरकोईल	तमिलनाडु	कार्य वास्तविक रूप से पूरा हो गया है।

1	2	3	4
24.	कोयंबतूर-तिरूच्चिरापल्ली	तमिलनाडु	कोयंबतूर-ईरोड पहले से विद्युतीकृत है। ईरोड-तिरूच्चिरापल्ली का विद्युतीरण परिचालनिक आधार पर व्यवहार्य नहीं है।
25.	तमिलनाडु में विभिन्न रेल लाइनों का विद्युतीकरण	तमिलनाडु	रेल पथ के विद्युतीकरण पर वित्तीय व्यवहार्यता, यातायात घनत्व और परिचालनिक लोचशीलता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
26.	शोरूवण्णूर-मंगलोर	केरल	कार्य स्वीकृत है और प्रगति पर है।
27.	कोल्लम-पुनलूर	केरल	वर्तमान में सक्रिय आधार पर नहीं।
28.	शोरानुर-नीलांबर	केरल	वर्तमान में सक्रिय आधार पर नहीं।
29.	लक्सर-देहरादून	उत्तराखंड	कार्य स्वीकृत है और प्रगति पर है।
30.	दिल्ली-रोहतक	दिल्ली/हरियाणा	कार्य पूरा हो गया है।

(घ) रेल पथों के विद्युतीकरण का शीघ्रता से पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें टर्नकी ठेकों को सौंपना, कार्यों के लिए नई एजेंसियों को तैयार करना और बेहतर परियोजना निगरानी तंत्र आदि शामिल है।

कांटी ताप विद्युत संयंत्र

4958. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) दो पुरानी इकाइयों के नवीकरण के बाद संयंत्र की भार वहन क्षमता कितनी है;

(ग) नई इकाइयों की स्थापना के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई इकाइयों द्वारा विद्युत उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) कांटी थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (नामत: कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड) के स्वामित्व की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इनके दो चरण, चरण-I (2×110 मेगावाट) और चरण-II (2×195 मेगावाट) हैं। वर्तमान में चरण-I नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) के चरण में और चरण-II निर्माणाधीन हैं।

(ख) आरएण्डएम के पूरा होने के पश्चात दोनों पुरानी इकाइयों पर लोड दिया जाएगा।

(ग) और (घ) चरण-II में 195 मेगावाट प्रत्येक की क्षमता वाली दो नई यूनिटें निर्माणाधीन हैं। प्रथम यूनिट से विद्युत उत्पादन मार्च, 2014 से और दूसरी यूनिट से अगस्त, 2014 से प्रारंभ होने की संभावना है।

[अनुवाद]

नोटरियां

4959. श्री निशिकांत दुबे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को झारखंड सहित विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य में नोटरियों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नौटरीज एक्ट, 1952 के अंतर्गत लाइसेंस धारक राज्य तथा केन्द्रीय नोटरियों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार को केरल, गोवा और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, झारखंड राज्य सरकार से नोटेरियों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) गोवा और केरल राज्य सरकारों के संबंध में पब्लिक नोटेरियों का कोटा, क्रमश: 250 से बढ़ाकर 350 और 845 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के संबंध में पब्लिक नोटेरियों के विद्यमान राज्य कोटे को 450 से बढ़ाकर 600 करने या वैकल्पिक रूप से केन्द्रीय सरकार के कोटे के अधीन आने वाले 50 प्रतिशत पदों को राज्य सरकार के कोटे में अंतरित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस विभाग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि वह नोटेरी बनने की वांछा रखने वाले आवेदकों को नोटेरीशिप के लिए केन्द्रीय सरकार को सीधे आवेदन करने का सुझाव दे।

(ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा अनुज्ञप्त नोटेरियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटेरी अधिनियम, 1952 के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुज्ञप्त नोटेरियों को दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटेरी		
	2010	2011	2012
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-
आंध्र प्रदेश	24	74	-
अरूणाचल प्रदेश	-	-	-
असम	-	-	-
बिहार	9	11	-
चंडीगढ़	2	2	-
छत्तीसगढ़	-	1	-
दिल्ली	13	11	-
दादरा और नगर हवेली	-	-	7
दमन और दीव	-	-	-
गोवा	2	1	-
गुजरात	74	132	184
हिमाचल प्रदेश	-	-	-
हरियाणा	20	60	-
जम्मू और कश्मीर	-	-	-
झारखंड	1	1	-
केरल	34	69	-

1	2	3	4
कर्नाटक	49	125	-
लक्षद्वीप	-	-	-
मेघालय	-	-	-
महाराष्ट्र	120	168	-
मणिपुर	-	-	-
मिजोरम	-	-	-
मध्य प्रदेश	5	8	-
नागालैंड	-	-	-
ओडिशा	3	2	-
पंजाब	18	37	-
पुदुचेरी	11	1	-
राजस्थान	10	45	-
सिक्किम	-	-	-
तमिलनाडु	105	165	-
त्रिपुरा	-	4	-
उत्तर प्रदेश	29	72	159
उत्तराखंड	-	9	-
पश्चिमी बंगाल	9	4	-

स्टालों का आवंटन

4960. श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री पी. लिंगम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को किसी ठेकेदार को रेलवे खान-पान नीति, 2010 का उल्लंघन करके वेंडर लाइसेंस देने की शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा पूर्वी रेलवे जोन में महिला/अजा/अजजा/अपिव तथा अल्पसंख्यक समुदाय जैसे आरक्षित वर्ग के ठेकेदारों को दिए गए स्टाल/ट्राली की संख्या कितनी है जिनके नवम्बर, 2009 से अब तक ठेके खत्म कर दिए गए थे तथा उनसे कब्जा ले लिया गया था; और

(घ) आईआरसीटीसी द्वारा लिए गए इन ठेकेदारों के स्टाल/ट्राली को वापस दिलवाने तथा पुन:बहाली हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता,

(ग) जी नहीं,

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दोहरीकरण परियोजनाएं

4961. श्री राधे मोहन सिंह:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार वाराणसी जंक्शन से भटनी जंक्शन के बीच ब्रॉडगेज लाइन के दोहरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उधान-जलगांव, गांधीधाम-कांडला पोर्ट तथा गांधीधाम-आदिपुर खण्डों सहित इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस पर खर्च/आवंटित धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) वाराणसी भटनी खंड पर, मंडुआडीह-औंडिहार दोहरीकरण परियोजना के रूप में वाराणसी-औंडिहार और मऊ-इंदारा का दोहरीकरण शुरू कर दिया गया है, उधना-जलगांव, गांधीधाम-कांडला पोर्ट और गांधीधाम-आदिपुर दोहरीकरण परियोजनाओं सहित इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति और उनके लिए आबंटित खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मार्च, 2013 तक प्रत्याशित खर्च	2013-14 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
1.	मंडुआडीह-औंडिहार (38 किमी)	46.20	10.00	वाराणसी-औंडिहार (34 किमी) का दोहरीकरण मंडुआडीह-औंडिहार स्वीकृत दोहरीकरण परियोजना का भाग है, विस्तृत अनुमान स्वीकृत। ठेका प्रदान कर दिया गया है। कार्य शुरू कर दिया गया।
2.	मऊ-इंदारा (8.30 किमी)	68.16	1.00	यह खंड 12.12.2011 को यात्री यातायात के लिए चालू कर दिया गया है।
3.	उधना-जलगांव विद्युतीकरण सहित (306.93 किमी)	425.12	270	अमलनेर-धरनगांव-चावलखेडे (32 किमी) और व्यारा-उकाईंसोनगढ़-चिंचपाडा (60 किमी) खंडों का दोहरीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है और ये खंड यातायात के लिए चालू कर दिए गए हैं, इसके अलावा, चिंचपाड़ा-नांदूरबार (41 किमी) और बडोली-व्यारा (29 मि) खंडों का दोहरीकरण कार्य मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	गांधीधाम-कांडला पोर्ट (12 किमी)	30.99	2.00	कार्य पूरा हो गया है।
5.	गांधीधाम-आदिपुर (8 किमी)	26.56	2.00	कार्य पूरा हो गया है।

जल संसाधनों की कमी

4962. श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्रीमती पुतुल कुमारी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जल प्रबंधन और विकास नीति के अनुसार देश के 2025 तक जल की भीषण कमी का सामना करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) लोगों की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर जल प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनाओं के कार्यान्वित करने हेतु धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से पेयजल से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन प्रस्तावों को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) राष्ट्रीय जल नीति 2012 में बताया गया है कि भारत के बड़े भाग पहले से ही जल की कमी वाले क्षेत्र बन गए है तथा जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण तथा बदल रही जीवन-शैली के कारण जल की मांग में तीव्र वृद्धि के कारण जल सुरक्षा के लिए गम्भीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों नामतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), 'कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम' 'जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार' तथा 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण' के माध्यम से भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने तथा जल संसाधन के स्थाई विकास तथा दक्ष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12) के दौरान उपर उल्लिखित स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार निधियों संबंधी ब्यौरे विवरण I से IV में संलग्न है।

(घ) और (ङ) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों को पेय जल प्रदान करने के राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का राज्यों के माध्यम से संचालन करता है। राज्य सरकारों के पास एनआरडीडब्ल्यूपी) का राज्यों के माध्यम से संचालन करता है। राज्य सरकारों के पास एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाने, निष्पादित करने और कार्यान्वित करने का अधिकार है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसर वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एनआरडब्ल्यूनी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन और (धनराशि) जारी की गई जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण I

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	987.77	855.18	1300.728	22.792	397.8810
2.	अरूणाचल प्रदेश	47.18	33.96	30.780	48.635	33.7880
3.	असम	77.34	405.95	589.973	406.403	424.7100
4.	बिहार	62.24	109.70	77.913	55.754	15.5300
5.	छत्तीसगढ़	96.96	193.04	60.885	174.811	201.4660
6.	गोवा	32.48	39.23	20.250	20.000	20.2500
7.	गुजरात	585.72	258.61	6.808	361.420	0.0000
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00		0.0000

1	2	3	4	5	6	7
9.	हिमाचल प्रदेश	114.05	119.32	90.680	43.521	129.7050
10.	जम्मू और कश्मीर	199.23	393.07	171.728	156.034	225.1180
11.	झारखण्ड	9.22	3.72	0.00	242.887	559.9560
12.	कर्नाटक	349.90	442.42	823.828	567.759	511.4040
13.	केरल	0.00	0.90	3.812	10.017	0.0000
14.	मध्य प्रदेश	500.35	473.78	758.746	658.692	473.4640
15.	महाराष्ट्र	972.25	2257.83	1395.395	2069.056	1199.8920
16.	मणिपुर	103.99	221.67	42.540	249.97	44.5500
17.	मेघालय	1.16	24.80	22.502	110.195	81.3002
18.	मिजोरम	34.34	50.72	36.450	51.092	42.1100
19.	नागालैंड	40.51	48.60	57.286	70.000	72.6470
20.	ओडिशा	624.36	724.44	871.572	591.681	614.9420
21.	पंजाब	13.50	9.54	22.050	140.476	43.6300
22.	राजस्थान	156.53	178.62	157.577	41.920	3.3750
23.	सिक्किम	3.24	0.00	2.605	14.364	33.7144
24.	त्रिपुरा	8.10	43.18	36.2096	48.000	34.8751
25.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00		0.000
26.	उत्तर प्रदेश	150.69	315.47	238.082	432.538	279.8440
27.	उत्तराखंड	265.65	371.66	127.006	160.060	232.7513
28.	पश्चिम बंगाल	8.95	22.81	0.914	89.100	107.0020

विवरण II

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख में)				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	238.59	250.00	0.00	40.98	56.39
3.	असम	0.00	594.61	0.00	226.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	0.00	0.00	6095.19	2669.09	2943.86
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	8285.09	1392.17
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	80.56	6.42
7.	गुजरात	3057.66	0.00	0.00	893.86	682.00
8.	हरियाणा	2332.22	4411.19	5451.28	4767.24	5800.62
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	-	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	777.61	1292.83	14432.35	2250.19	-
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	-	0.00
12.	कर्नाटक	5771.29	1500.00	3170.04	5341.51	5308.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	106.25	418.08
14.	मध्य प्रदेश	490.07	0.00	589.67	1000.00	5510.11
15.	महाराष्ट्र	622.27	2623.63	3404.79		2148.27
16.	मणिपुर	184.07	554.47	938.77	1200.00	927.02
17.	मेघालय	0.00	0.00	3.56	25.52	0.00
18.	मिजोरम	6.43	0.00	0.00		13.00
19.	नागालैंड	19.43	0.00	0.00		15.00
20.	ओडिशा	1101.91	2976.25	1577.80	3563.07	3102.85
21.	पंजाब	3589.24	6091.13	0.00	6000.00	3000.00
22.	राजस्थान	1804.38	4630.31	2980.85		2244.07
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00		0.00
24.	तमिलनाडु	1740.48	0.00	4650.00	1500.00	2999.82
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00		0.00
26.	उत्तर प्रदेश	5746.30	7094.76	9475.99	7000.00	10000.00
27.	उत्तराखंड	0.00	409.92	0.00		0.00
28.	पश्चिम बंगाल	231.58	0.00	1600.00	690.95	0.00
	कुल	27713.52	32429.10	41370.29	45640.31	48573.20

विवरण III

जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार के अंतर्गत राज्यों को जारी धनराशि की स्कीम (करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	2009-10 के दौरान जारी निधियां	2010-11 के दौरान जारी निधियां	2011-12 के दौरान जारी निधियां
ओडिशा	72.12	75	70.33
कर्नाटक	74.04	47.47	77.51
आंध्र प्रदेश		189	
बिहार		25	
उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड)		29.08	
मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड)		7.33	2.62
मेघालय-युमियाम लेक		1.78	0.64
महाराष्ट्र			80.53
गुजरात			10.61
छत्तीसगढ़			34.68
राजस्थान			7.07
हरियाणा			7.04
कुल	146.16	374.66	291.03

नोट: स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण 2009-10 से आरंभ हुआ।

विवरण IV

भूजल के प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत जारी राज्यवार निधियां (लाख रुपये में)

राज्य	2008-09 जारी निधियां	2009-10 जारी निधियां	2010-11 जारी निधियां	2011-12 जारी निधियां
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	0	91.01	52.64	294.04
अरूणाचल प्रदेश	77.9	0	103.87	227.61
बिहार	0	0	0	67.21
चंडीगढ़	0	0	543.22	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	150.40

1	2	3	4	5
दिल्ली	0	0	0	30.41
गुजरात	0	0	221.37	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	165.1
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	91.28
झारखंड	0	0	11.54	122.40
कर्नाटक	0	76.41	67.61	303.00
केरल	11.715	0	10.82	55.07
मध्य प्रदेश	0	0	302.30	331.07
महाराष्ट्र	0	0	10.61	4.55
नागालैंड	0	0	0	141.34
ओडिशा	0	0	0	325.04
पंजाब	53.836	0	0	56.62
राजस्थान	0	0	0	235.06
तमिलनाडु	33.3	368.45	0	112.61
उत्तर प्रदेश	0	504.44	728.50	1269.49
पश्चिम बंगाल	33.327	0	44.44	33.33
कुल	210.078	1040.31	2096.9 1	4015.66

टिप्पणी: वर्ष 2007-08 में कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

विवरण V

*पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार वित्त वर्ष 2012-13 के लिए राज्यवार आवंटन, जारी और व्यय का विवरण**

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आवंटन	जारी	व्यय	
		केन्द्रीय	केन्द्रीय	केन्द्रीय	केन्द्रीय निधि के प्रति%
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	563.39	485.14	672.82	85.55
2.	बिहार	484.24	224.30	292.39	57.34
3.	छत्तीसगढ़	168.89	148.64	107.72	46.94

1	2	3	4	5	6
4.	गोवा	6.07	0.03	0.00	0.00
5.	गुजरात	578.29	717.47	660.10	63.16
6.	हरियाणा	250.24	313.41	272.11	76.14
7.	हिमाचल प्रदेश	53.59	129.90	95.55	49.81
8.	जम्मू और कश्मीर	510.76	474.50	348.41	56.06
9.	झारखंड	191.86	243.43	204.39	64.33
10.	कर्नाटक	922.67	869.24	541.12	49.99
11.	केरल	193.59	249.04	122.29	46.13
12.	मध्य प्रदेश	447.33	539.56	287.46	49.96
13.	महाराष्ट्र	897.96	846.48	429.09	36.78
14.	ओडिशा	243.91	210.58	248.95	84.41
15.	पंजाब	101.90	144.27	91.67	62.25
16.	राजस्थान	1352.54	1411.36	869.03	50.20
17.	तमिलनाडु	394.82	570.17	428.36	52.92
18.	उत्तर प्रदेश	1060.87	980.06	381.93	33.50
19.	उत्तराखंड	159.74	74.28	92.79	42.95
20.	पश्चिम बंगाल	523.53	502.36	560.11	72.90
21.	अरूणाचल प्रदेश	145.32	223.22	106.80	45.95
22.	असम	525.71	659.21	479.29	60.92
23.	मणिपुर	69.99	66.21	16.41	21.74
24.	मेघालय	73.96	97.61	67.45	50.17
25.	मिजोरम	48.35	47.92	24.68	42.80
26.	नागालैंड	110.25	110.20	49.73	44.68
27.	सिक्किम	36.69	32.36	28.29	34.47
28.	त्रिपुरा	70.66	100.59	99.36	94.97
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.15	0.78	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	1.75	0.88	0.00	0.00

*दिनांक 22.4.2013 को सायं 5:15 को यथा प्राप्त।

पानी की बर्बादी

4963. श्रीमती पुतुल कुमारी:
श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पानी की कमी को देखते हुए जल जैसे पवित्र प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी रोकने तथा संरक्षण की ओर लक्षित प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और जहां जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, में पेयजल की कमी की समस्या पर धयान देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उचित प्रबंधन की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष पानी की कुल कितनी मात्र बर्बाद होती है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि के कारण देश में जल संसाधनों की मांग के बढ़ने से पेश आने वाली चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में देश में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु कई सिफारिशें की गई हैं। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 की प्रमुख विशेषताएं अनुलग्नक में दी गई हैं।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, राज्यों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम चलाता है। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, निष्पादन और कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया है।

शहरी विकास मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, संसाधनों का गैर समापनीय केन्द्रीय पूल (नॉन लैप्सएबल सैंट्रल पूल) और उपग्रह की व्यवस्था वाले नगरों में शहरी अवसंरचना विकास स्कीम जैसी स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत, शहरी क्षेत्र/महानगरों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने में राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है।

देश में जिन क्षेत्रों में जलस्तर की गिरावट आ रही है वहां भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए कृत्रिम पुनर्भरण, वर्षा जली संचयन एवं भूजल विकास के विनियमन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए हैं। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन एवं भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए भारत सरकार ने VIIIवीं, IXवीं, Xवीं और XIवीं योजना अवधियों के दौरान प्रायोगिक/प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण के लिए तकनीकी सहायता दी जाती है। जिन क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है वहां सुधारात्मक उपायों में जलापूर्ति के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है चूंकि संदूषित जलभृतों का स्वस्थाने उपचार मुश्किल होता है।

(घ) जल की उपलब्धता में मौसमी, भौगोलि और वार्षिक परिवर्तित और पर्याप्त भण्डारण की कमी के कारण काफी मात्रा

में जल, विशेषकर मॉनसून मौसम के दौरान, अप्रयुक्त रह जाता है और समुद्र में बह जाता है। वर्तमान आकलन के अनुसार देश में जल की औसत वार्षिक उपलब्धता 1869 बिलियन घन मी. है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009 में क्रमश: केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए लगभग 450 बिलियन घन मी, सतही जल और लगभग 243 बिलियन घर मी. भूमि जल का उपयोग किया जा रहा है। शेष जल का समुद्र में बह जाना माना जा सकता है।

भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बांधों, चैक बांधों ओर खेत तालाबों के निर्माण जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं। भारत सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों मे सहयोग करती है।

विवरण

प्रारूप राष्ट्रीय जल नीति (2012) की मुख्य विशेषताएं

1. एक राष्ट्रीय जल संरचना कानून बनाने, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के इष्टतम विकास के व्यापक विधान, सिंचाई अधिनियमों, भारतीय भोगाधिकार, अधिनियम, 1882 में संशोधन करने आदि की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

2. जल को सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने, खाद्य सुरक्षा अर्जित करने, कृषि पर निर्भर निर्धन लोगों को आजीविका प्रदान करने के पश्चात आर्थिक वस्तु माना गया है ताकि इसके संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

3. नदी की परिस्थितिकीय आवश्यकताओं को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए कि नदी प्रवाहों में कम अथवा शून्य प्रवाह, कम बाढ़ (फ्रेोट), अधिक बाढ़ तथा प्रवाह विभिन्नता जैसी विशिष्टताएं पाई जाती हैं और इन आवश्यकताओं में विकास संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए। नदी प्रवाहों के एक भाग को यह सुनिश्चित करते हुए पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग रखा जाना चाहिए कि अनुपालिक न्यून अथवा उच्च प्रवाह उस समय प्राकृतिक प्रवाह स्तर के संगत होना चाहिए।

4. जल संसाधन संरचनाओं के अभिकल्पन और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर अनुकूलन कार्यनीतियों को अपनाने तथा स्वीकार्य मानदंडों की समीक्षा पर जोर दिया गया है।

5. जल के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जल के विभिन्न प्रयोजनों हेतु बैंचमार्को अर्थात जल फुटप्रिंट तथा जल लेखापरीक्षा को विकसित किया जाना चाहिए। परियोजना वित्तपोषण को जल के कुशल और किफायती उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक साधन के रूप में सुझाया गया है।

6. जल विनियामक प्राधिकरण का गठन करने की सिफारिश की गई है। जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है।

7. जल प्रयोक्ता संघ को जल प्रभार एकत्र करने तथा इसका एक भाग अपने पास रखने, उन्हें आबंटित जल की मात्रा का प्रबंधन करने तथा उनके अधिकार क्षेत्र में रख-रखाव करने के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

8. शहरी और ग्रार्मीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के निर्धारण में भारी असमानता को दूर किए जाने की सिफारिश की गई है।

9. जल संसाधन परियोजनाओं और सेवाओं का सामुदायिक सहभागिता से प्रबंधन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों अथवा स्थानीय शासी निकायों के निर्णयानुसार सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल के अनुसार निजी क्षेत्र को सेवा प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें असफलता होने पर दंड दिया जाना शामिल हो।

10. राज्यों को प्रौद्योगिकी के अद्यतनीकरण, डिजाईन पद्धतियों, आयोजना एवं प्रबंधन पद्धतियों, वार्षिक जल संतुलन तथा स्थान और बेसिन का लेखा तैयार करने, जल प्रणालियों के लिए जल विज्ञानीय संतुलन तैयार करने तथा बैंचमार्किंग और निष्पादन आकलन के लिए पर्याप्त अनुदान जारी किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

कर्नाटक के लंबित परियोजना प्रस्ताव

4964. श्री के. जयप्रकाश हेगड़े: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा अब तक केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु भेजी गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक द्वारा भेजी गई अधिसंख्य सिंचाई परियोजनाएं काफी समय से अनुमोदन हेतु लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु कर्णाटक सरकार द्वारा भेजी गई बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ग) और (घ) परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देने में लगने वाला समय, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई तकनीकी टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि समेत संबंधित अभिकरणों से स्वीकृति प्रस्तुत करने में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले समय पर निर्भर होता है।

विवरण I

कर्णाटक राज्य की सिंचाई परियोनाओं (नई परियोजनाओं) के मूल्यांकन की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	श्रेणी	नदी/बेसिन	लाभ (हजार हेक्टेयर)	स्थिति
1.	सौंथी लिफ्ट	बृहत	भीमा/कृष्णा	16.00	सीडब्ल्यूसी की सिंचाई आयोजना विषयक टिप्पणियां अप्रैल, 2013 में परियोजना प्राधिकारियों को भेजी गईं। पर्यावरण वं वन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृतियां अभी दी जानी है।
2.	नारायणपुर बांया किनारा नहर का ईआरएम	बृहत	कृष्णा	408703 हेक्टेयर कुल कमान क्षेत्र में से 105623 हेक्टेयर का पुनरुद्धार	कृषि मंत्रालय की टिप्पणियां अप्रैल, 2013 में परियोजना प्राधिकारियों को भेजी गईं।
3.	ऊपरी तुंग	बृहत	तुंग/तुंगभद्रा/कृष्णा	94.698 (सीसीए), 80.494 (आईसीए)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति अभी नहीं दी गई है।
4.	तुंग एनिकट नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	मध्यम	तुंग/कृष्णा	8.705	सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों 21.12.2012 को जारी की गईं।
5.	गोंथी एनिकट नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	मध्यम	भद्रा/तुंगभद्रा/कृष्णा	4.6	सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियां 26.03.2013 को जारी की गईं।

कर्णाटक राज्य की सिंचाई परियोजनाओं (संशोधित परियोजनाओं) के मूल्यांकन की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम	नदी/ बेसिन	लाभ (हजार हेक्टेयर)	संशोधित लागत (करोड़ रुपये)	स्थिति
1.	करंजा	बृहत	करंजा/मंजरा/ गोदावरी	26.227	630.00 करोड़ (2010-11 के मूल्य स्तर पर)	सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियां मार्च एवं अप्रैल, 2013 में जारी की गई।

वापस भेजी गई परियोजनाएं (बृहत)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बृहत/ मध्यम	नदी/ बेसिन	लाभ (हजार हेक्टेयर)	स्थिति
1.	सिंगतालुर (हुलिगुइडा) एलआईएस	बृहत	तुंगभद्रा/कृष्णा	16.188	18.55 टीएमसी उपयोग सहित संशोधित रिपोर्ट मार्च, 2006 मे प्राप्त हुई थी और 7.64 टीएमसी से अधिक आवंटन होने के कारण जून, 2006 में वापस लौटा दी गई।
2.	हरांगी सिंचाई परियोजना	बृहत	हरांगी कावेरी	68.808	परियोजना कावेरी बेसिन में पड़ती है अत: परियोजना के मूल्यांकन के लिए अधिकरण की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। कर्णाटक सरकार को 24.08.2008 को सूचित कर दिया गया था।
3.	हेमावती	बृहत	हेमावती कावेरी	283.581	परियोजना कावेरी बेसिन में पड़ती है अत: परियोजना के मूल्यांकन के लिए अधिकरण की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। कर्णाटक सरकार को 24.08.2008 को सूचित कर दिया गया था।
4.	यागाची	बृहत	यागाची कावेरी	14.974	परियोजना कावेरी बेसिन में पड़ती है अत: परियोजना के मूल्यांकन के लिए अधिकरण की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। कर्णाटक सरकार को 24.08.2008 को सूचित कर दिया गया था।

वापस भेजी गई परियोजनाएं (मध्यम)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बृहत/ मध्यम	नदी/ बेसिन	लाभ सीसीए हजार हेक्टेयर में	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बेल्लारी नाला सिंचाई परियोजना	मध्यम	कृष्णा	9.55	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से स्वीकृति की अपेक्षा के लिए जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.02.2008 को तकनीकी सलाहकार समिति की 92वीं बैठक में परियोजना को स्थगित कर दिया गया था।

1	2	3	4	5	6
2.	कामसमुद्र लिफ्ट सिंचाई स्कीम	मध्यम	कावेरी	5.127	परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए सीडब्ल्यूडीटी पंचाट के अंतर्गत जल आवंटन अनिवार्य है।
3.	काचेनहल्ली लिफ्ट सिंचाई स्कीम	मध्यम	कावेरी	5.10	
4.	हुच्चनकोपलू लिफ्ट सिंचाई स्कीम	मध्यम	कावेरी	3.361	
5.	बासापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	मध्यम	तुंगभद्रा/ कृष्णा	2.267	अन्तर्राज्यीय मामले पर सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियां जारी की गई।
6.	अट्टापाडी घाटी सिंचाई परियोजना	मध्यम	भवानी/कावेरी	5.187	परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए सीडब्ल्यूडीटी पंचाट के अन्तर्गत जल आवंटन अनिवार्य है।

राजनीतिक दलों को दान

4965. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री जोस के० मणि:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छोटे तथा बड़े दान देने वालों, चाहे वह चैक से हो अथवा नकद हो, से संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही लेखा कार्यविधि को अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो चुनाव आयोग द्वारा आयकर अधिानियम, 1961 के अंतर्गत फार्म 24ए में संशोधान करने के सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सरकार, राजनैतिक दलों द्वारा उनके द्वारा प्राप्त संदानों के संबंध में अनुसरण की जाने वाली पारदर्शी लेखाकंन प्रक्रिया रखे जाने की आवश्यकता पर चिंतित है। इस संबंध में सरकार द्वारा एक ऐसा कदम, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (22ककक) के अधीन निर्वाचन न्यासों के अनुमोदन के लिए निर्वाचन न्यास स्कीम, 2013 को लाकर और उक्त अधिनियम की धारा 13ख के प्रयोजन के लिए निर्वाचक न्यासों के कार्यकरण के लिए एक नया नियम 17गक अंत:स्थापित करके, उठाया गया है। स्कीम और नियम यह उपबंध करते हैं कि निर्वाचक न्यास, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी होगा। यह उपबंध करता है कि किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त 95 प्रतिशत अभिदायों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों को वित्त वर्ष के दौरान ही संवितरित किया जाएगा। यह और उपबंध किया गया है कि नकद में कोई अभिदाय प्राप्त नहीं किया जाएगा। यह भी उपबंध किया गया है कि अभिदाताओं के पूर्ण ब्यौरे, जिनके अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या है, किसी अभिदाय को प्राप्त करते समय निर्वाचक न्यासों द्वारा लिए जाएंगे। अत:, स्कीम और नियम, निर्वायक न्यासों के माध्यम से राजनैतिक दलों को अभिदायों के लिए पारदर्शी तंत्र का उपबंध करते हैं।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के अधीन राजनैतिक दलों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त अभिदायों के संबंध में, बृहत्तर पारदर्शिता के हित में, उनसे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 85ख के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 29ग के अधीन प्रारुप 24क में रिपोर्ट फाइल करना अपेक्षित है। निर्वाचन आयोग ने सरकार से उक्त प्रारुप 24क का संशोधन करने का अनुरोध किया है जो कि विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रेलवे टर्मिनस/स्टेशन

4966. श्री समीर भुजबल:
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार सहारनपुर स्टेशन के पास मालीपुर पर नासिक रोड टर्मिनस, रेलवे स्टेशन स्थापित करने तथा नरकटियागंज जंक्शन के सौंदर्यीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय अवधि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता,

(ग) मध्य रेल के मनमाड़ (एमएमआर)-कल्याण (केवाईएन) खंड पर ओढ़ा (ओडी) और देवलाली (डीवीएल) स्टेशनों के बीच नासिक रोड स्टेशन (एनके) है। नासिक स्टेशन से 73 किमी दूरी पर मनमाड़ स्टेशन स्थित है जहां पीट लाइन और वहां रेक को खड़ा करने की सुविधा है। मनमाड़ पर पूर्ण विकसित कोचिंग टर्मिनल की उपलब्धता और नासिक रोड स्टेशन पर जगह की भारी कमी को देखते हुए नासिक रोड पर नया टर्मिनल विकसित करने की मांग न परिचालनिक रूप से अपेक्षित है और न ही इस समय वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण है।

मालीपुर

सहारनपुर के निकट मालीपुर इस समय रेल शीर्ष पर नहीं है। मालीपुर पर एक स्टेशन के विकास के लिए परिचालनिक आवश्यकता और वाणिज्यिक औचित्य नहीं है।

नरकटियागंज

मौजूदा निर्देशों के पैमाने के अनुसार नरकटियागंज स्टेशन पर अपेक्षित यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं, अपग्रेडेशन/सौंदर्यीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में किए गए कार्य स्टेशन पर संभाले जाने वाले यात्री यातायात की आवश्यकता और कार्य की प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए जाते हैं, बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

पीएमईजीपी के अंतर्गत रोजगार

4967. डॉ. पदमसिंह बाजीराव पाटील: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत रोजगार सृजन हेतु निर्धारित लक्ष्य का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) और (ङ) राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार मार्जिन मनी सब्सिडी के आवंटन को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत लक्ष्य माना जाता है। पीएमईजीपी के अंतर्गत जारी राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार मार्जिन मनी सब्सिडी सहित उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी, सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सृजित अनुमानित रोजगार के अवसर विवरण में दर्शाए गए हैं।

मार्जिन मनी सब्सिडी के उपयोग के संबंध में पीएमईजीपी के तहत उपलब्धियां पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि से अधिक रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2010-11

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई मार्जिन मनी (लाख रुपये में)	उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख रुपये में)	सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	2544.81	2941.29	1920	15360

1	2	3	4	5	6
2.	हिमाचल प्रदेश	1374.78	1339.72	961	4781
3.	पंजाब	1833.28	1755.06	823	8234
4.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	63.98	28.96	30	302
5.	उत्तराखंड	1120.18	1190.26	974	8769
6.	हरियाणा	1887.82	1886.64	915	10508
7.	दिल्ली	173.83	109.72	149	1490
8.	राजस्थान	4401.64	3904.93	2481	24085
9.	उत्तर प्रदेश	13848.08	13360.58	4462	45019
10.	बिहार	3504.32	3207.20	1428	8316
11.	सिक्किम	173.77	154.24	78	321
12.	अरूणाचल प्रदेश	248.00	342.44	232	2320
13.	नागालैंड	466.00	546.35	242	1396
14.	मणिपुर	0.00	304.55	204	1691
15.	मिजोरम	306.00	546.51	380	3658
16.	त्रिपुरा	811.25	1098.76	733	2583
17.	मेघालय	515.00	574.00	305	1609
18.	असम	5538.00	4808.10	4756	38473
19.	पश्चिम बंगाल	6719.17	6719.06	5679	56790
20.	झारखंड	1562.68	2429.68	1707	15363
21.	ओडिशा	4949.26	4983.97	2581	25842
22.	छत्तीसगढ़	2983.58	3643.65	1576	18213
23.	मध्य प्रदेश	5440.13	5196.18	1180	17467
24.	गुजरात*	3042.54	3229.02	1354	16483
25.	महाराष्ट्र**	4793.82	5244.46	4848	36592
26.	आन्ध्र प्रदेश	7443.94	7750.24	2743	53808
27.	कर्नाटक	3696.02	3681.27	1871	14000
28.	गोवा	391.71	294.79	133	2456
29.	लक्षद्वीप	77.00	26.08	32	84
30.	केरल	3164.19	3141.21	1641	11375
31.	तमिलनाडु	4389.80	4475.04	2247	31895
32.	पुदुचेरी	85.64	103.24	216	757
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	171.83	101.06	183	573
	कुल	87722.05	89118.26	49064	480613

*दमन और दीव सहित। **दादरा और नगर हवेली सहित।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई मार्जिन मनी (लाख रु. में)	उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	2780.57	2983.42	1920	15360
2.	हिमाचल प्रदेश	1141.28	1152.51	809	4248
3.	पंजाब	1695.61	1756.94	899	4622
4.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	0.00	39.98	38	144
5.	उत्तराखंड	1123.74	1059.62	894	6942
6.	हरियाणा	1396.25	1353.79	786	7418
7.	दिल्ली	213.02	189.69	195	906
8.	राजस्थान	3684.10	3518.29	2075	14955
9.	उत्तर प्रदेश	18851.45	18599.43	5569	59901
10.	बिहार	7417.30	9873.73	4887	35193
11.	सिक्किम	0.00	113.87	64	253
12.	अरूणाचल प्रदेश	349.25	431.63	375	1516
13.	नागालैंड	695.46	1155.94	556	6545
14.	मणिपुर	630.42	869.51	564	3142
15.	मिजोरम	508.00	723.57	418	3404
16.	त्रिपुरा	2868.06	2539.45	1812	16079
17.	मेघालय	833.42	1228.13	712	3273
18.	असम	4035.14	5544.99	5280	44205
19.	पश्चिम बंगाल	5581.67	5581.67	5806	61092
20.	झारखंड	3620.64	3486.33	2372	7116
21.	ओडिशा	4220.87	4194.51	2259	20905
22.	छत्तीसगढ़	3182.97	3306.12	1510	10345
23.	मध्य प्रदेश	5172.54	5419.41	1943	16256
24.	गुजरात*	6101.97	6147.35	1863	18662
25.	महाराष्ट्र**	4730.07	4548.95	2705	24661
26.	आन्ध्र प्रदेश	5568.30	5497.37	1672	37336
27.	कर्नाटक	3863.96	3872.13	1852	14971
28.	गोआ	215.22	296.12	155	2467
29.	लक्षद्वीप	0.00	10.52	12	25
30.	केरल	2910.66	2928.85	1629	9195

1	2	3	4	5	6
31.	तमिलनाडु	7383.44	7164.15	3228	43473
32.	पुदुचेरी	164.32	79.22	72	361
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	83.22	116.47	204	552
	कुल	101022.92	105783.66	55135	495523

*दमन और दीव सहित **दादरा और नगर हवेली सहित।

2012-13

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई मार्जिन मनी (लाख रु. में)	उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख रु. में)#	सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या#	अनुमानित सृजित रोजगार#
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	3667.37	2113.48	1296	11902
2.	हिमाचल प्रदेश	1449.60	1259.51	855	4171
3.	पंजाब	1691.03	1079.88	626	4002
4.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	135.38	34.11	24	87
5.	उत्तराखंड	1979.18	1028.70	781	4196
6.	हरियाणा	1898.29	886.02	406	4077
7.	दिल्ली	368.98	106.56	130	1040
8.	राजस्थान	6737.25	3815.75	1346	10242
9.	उत्तर प्रदेश	14789.65	10464.36	3640	36091
10.	बिहार	7234.44	5956.02	2356	15317
11.	सिक्किम	216.09	75.72	42	245
12.	अरूणाचल प्रदेश	290.74	263.20	193	1330
13.	नागालैंड	1049.83	554.40	237	2988
14.	मणिपुर	1057.31	839.86	518	2245
15.	मिजोरम	724.52	511.40	486	3888
16.	त्रिपुरा	2867.73	660.26	362	2597
17.	मेघालय	1194.87	664.78	369	1476
18.	असम	6614.04	2918.62	3493	11548

1	2	3	4	5	6
19.	पश्चिम बंगाल	7326.41	6099.40	5344	42820
20.	झारखंड	3396.37	2099.86	1231	6155
21.	ओडिशा	7937.60	4445.80	2198	21980
22.	छत्तीसगढ़	4456.80	3735.69	1467	7650
23.	मध्य प्रदेश	9831.73	6538.15	2414	19543
24.	गुजरात*	5640.48	3012.66	883	8648
25.	महाराष्ट्र**	6875.19	5425.28	2922	16686
26.	आन्ध्र प्रदेश	7190.36	4163.02	1344	13247
27.	कर्नाटक	6318.62	3046.56	3638	6139
28.	गोआ	387.68	83.87	46	355
29.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
30.	केरल	3265.49	1909.97	1108	7290
31.	तमिलनाडु	6084.27	4224.13	1654	28812
32.	पुदुचेरी	17.00	42.23	31	123
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	149.75	30.77	67	155
	कुल	122844.05	78090.02	41507	297045

*दमन और दीव सहित **दादरा और नगर हवेली सहित। #अनंतिम

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

4968. श्री तकाम संजय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया है अपना कार्य पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत धनराशि के उपयोग की स्थिति क्या है तथा इसके विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 11वीं योजना में 4816.17 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से पूर्वोत्तर राज्यों में 11,970 गैर/निर्विद्युतीकृत ग्रामों (यूईवी) के विद्युतीकरण, 18,328 आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों (पीईवी) के गहन विद्युतीकरण और गरीबी-रेखा से नीचे के 13,88,104 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए 66 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई। 31.03.2013 के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में संचयी रूप से, 10,757 यूई ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य 15,081 पीई ग्रामों का गहन विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है और गरीबी-रेखा से नीचे के 10,21,326 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। 40,84.11 करोड़ रुपये की राशि जारी

की जा चुकी है। कवरेज, उपलब्धि और जारी की गई निधि के पूर्वोत्तर (एनई) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आरजीजीवीवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, संविदा के लागू रहने के दौरान यूनिट दरों में बदलाव की अनुमति नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रगति अत्यंत कठिन भू-भाग, ग्रामों के दूर-दराज स्थित होने और दुर्गम्यता, वन स्वीकृति के मामलों, मुकदमें, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मामलों, बाढ़, सामग्री के परिवहन में समस्या और कुछ राज्यों में अराजकता के कारण प्रभावित हुई है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण के कार्यों में तेजी लाने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) लि., जो आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी है, ने मई 2012 और जुलाई, 2012 में राज्य विशिष्ट समीक्षा बैठक आयोजित की थी। अरूणाचल प्रदेश में कार्य निष्पादन न करने वाले अभिकरणों के ठेके समाप्त कर दिए गए हैं। अरूणाचल प्रदेश के लिए एक विशेष मामले के रूप में, ढुलाई आसान करने के लिए स्टील पोल्स के इस्तेमाल की अनुमति भी दी गई थी।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 11वीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई की राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति 31.03.2013 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	गैर-विद्युतीकृत गांव		आंशिक विद्युतीकृत गांव		बीपीएल घर		संशोधित स्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	जारी निधियां* (करोड़ रुपये में)
			कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि		
1.	अरूणाचल प्रदेश	13	1869	1463	1439	861	36349	24436	912.15	731.92
2.	असम	21	7423	7116	11238	10544	994629	781094	2551.90	2230.25
3.	मणिपुर	7	696	432	1108	296	92922	18169	293.72	217.88
4.	मेघालय	5	1733	1522	2465	1546	87975	64196	385.64	335.50
5.	मिजोरम	6	47	31	361	191	18799	8585	180.70	135.91
6.	नागालैंड	9	93	85	871	873	55609	32704	225.80	199.64
7.	सिक्किम	2	9	9	260	225	7734	6059	104.33	90.06
8.	त्रिपुरा	3	100	99	586	545	94087	86083	161.93	142.95
	कुल	66	11970	10757	18328	15081	1388104	1021326	4816.17	4084.11

*निधियों में आरईसी द्वारा सब्सिडी एवं ऋण शामिल है।

[हिन्दी]

शैक्षिक केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

4969. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को उनके अपने शैक्षिक केन्द्रों की स्थापना एवं प्रचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे समुदायों को समुदाय-वार कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) जी, नहीं। तथापि, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) छात्राओं पर विशेष बल देते हुए विद्यालयों, तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण और विस्तार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहयाता-अनुदान प्रदान करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमएईएफ द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को संस्वीकृत सहायता-अनुदान के ब्यौरे विवरण में संलग्न है।

विवरण

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई अनुदान राशि

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों का नाम व पता	स्वीकृति वर्ष	उद्धेश्य	स्वीकृत अनुदान राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	महमूदिया ऐजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी, निरमल, कसबा हाईस्कूल के सामने, निरमल, जिला-अदीलाबाद	2011-12	कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	225000
2.	गोथामी ऐजुकेशनल सोसाइटभ, 1-1ए, ज्योथी सवारूपा नीलायम, तनगुतुर, जिला-प्रकाशम	2011-12	कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	300000
3.	अलफा ऐजुकेशनल सेसाइटी, 9/185-4, सांइपेंट, जिला-कोडप्पा	2011-12	विद्यालय भवन विस्तार हेतु	2000000
अरुणाचल प्रदेश				
4.	जीरो वैली चैरीटी मिशन सोसाइटी, जीरो वैली स्कूल ग्राम-लेमपीया, पोस्ट ऑफिस-जीरो, जिला-लोअर सुबनसीरी	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	300000
असम				
5.	जन कल्याण संस्था, धुपागुरी, पोस्ट ऑफिस-धुपागुरी, जिला-नागौन	2011-12	मिडिल स्कूल भवन निर्माण हेतु	800000
6.	ऐड फॉर दि दिसबलेड सोसाइटी, मौरीगाव टाउन, वार्ड नं. 7, जिला-मौरीगांव	2011-12	बीएड महाविद्यालय भवन निर्भाण हेतु	1500000
7.	ताजउद्दीन अहमद ऐजुकशनल ट्रस्ट, मार्फत दिसपुर पब्लिक स्कूल, नोटबामा, हाउसफेड कम्पलेक्स रोड के पास, पोस्ट ऑफिस-सेकरेटेरियट दिसपुर, हाथीगांव, गुवाहाटी, जिला-कामरूप	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1300000
8.	आदर्श समाज कल्याण समिति, ग्राम-बेलोगुरी, विया-हैबोरगांव, जिला-नागौन	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
9.	पथराकंडी कॉलिज ऑफ ऐजुकेशन, पोस्ट-ऑफिस पथराकंडी, जिला-करीम गंज	2011-12	छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
10.	नॉर्थ ईस्ट पारामेडिकल एंड नरसिंग इंस्टीटयूट मार्फत नेपनी स्कूल ऑफ नरसिंग, अमबीका मेनसन, हाथीगांव मैन रोड, दिसपुर-जिला-गुवाहाटी	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
बिहार				
11.	कायनात फाउनडेशन, मार्फत कायनात इन्टर कॉलेज, कायनात नगर, काको, जिला-जहांनाबाद	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1470000
दिल्ली				
12.	फैसल ऐजुकेशन सोसाइटी, मार्फत राजधानी पब्लिक स्कूल, ए-1, बाबू नगर, तिराहा शिव विहार, दिल्ली	2011-12	स्कूल प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर खरीदने हेतु	250000
छत्तीसगढ़				
13.	उसमानी ऐजुकेशनल सोसाइटी, छोतापारा, मस्जिद के पास, रायपुर	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2500000
गुजरात				
14.	पीर हाजी अलीशाह बुखारी हाई स्कूल समाखीयाली ट्रस्ट, नेशनल हाईवे नं. 8, नियर-चार रास्ता, समाखीयारी ता-भचाउ, जिला-कच्छ	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
15.	दारूल उलूम फैजुर-रहमान ट्रस्ट, वृधाश्रम के सामने, आरटीओ रोड जूनागढ़	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
16.	डॉक्टर नकादार चेरीटेबिल ट्रस्ट, एनबी कम्पलेक्स पीरबोरदी चाकला, कडी (एनजी), जिला-मेहसाना	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
17.	गुलशन-ए-महर मुस्लिम माइनोरिटि पब्लिक ऐजुकेशन ट्रस्ट, 4085, गुलशन, डेलटा अपार्टमेंट के सामने, कल्यानीवाद, खानपुर, अहमदाबाद	2011-12	प्राइमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	60000
18.	नुतन ऐजुकेशन सार्वजनिक ट्रस्ट, नवा चोक, वहोरवद, सोजितरा, जिला-आनन्द	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	2000000
19.	सर्वोदय केलावनी मंडल, पोस्ट-कनोदर ता. पालनपुर, जिला-बनसकांठा	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	15000000
20.	मदरसा-ए-गरीब नवाज ट्रस्ट, छान्दरोदा, ता.-बेचाराजी, जिला-मेहसाना	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
21.	नेशनल ऐजुकेशन ट्रस्ट, ग्रीन पार्क, भगदवादा, जिला-बलसाद	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	600000
हरियाणा				
22.	मेवात ऐजुकेशन बोर्ड मार्फत चौधरी मौ. यासीन खान हाई स्कूल, नुह, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
23.	ऐजुकेशन एवं डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्राम-खुशपुरी, पो.-नगीना, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
24.	मेवात ऐजुकशनल एंड वेलफेयर संगठन, भादास, नगीना, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
25.	चौ. अजमत खान मेमोरियल हुमन वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-नीमखेरा, अलीपुर टीगरा, तहसील-फिरोजपुर झिरका, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
26.	अनीशिया ऐजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-झिमरावत, तहसील-फिरोजपुर झिरका, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
27.	ग्रामीण विकास एंड शिक्षा सुधार समिति, मार्फत मेवात विकास हाई स्कूल, महुन छोपरा, तहसील-एफपी झिरका, पो.-मन्देखेरा जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
28.	जन विकास एवं शिक्षा समिति ग्राम-डुंगेजा, पो.-पीननगवां, तहसील-एफपी झिरका, नुह जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
29.	मेवात ऐजुकेशनल एवं डवलपमेंट सोसाइटी, मार्फत एमजी मिडिल स्कूल, रनयाला खुर्द (झनडा), तहसील-हथिन, जिला-पलवल	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
30.	मेवात ऐजुकेशनल आर्गेनाइजेश्यान मार्फत उटोपियां सी. से. स्कूल, ग्राम-पुनहाना, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	2000000
31.	मेवात ऐजुकेशनल एवं डवलपमेंट सोसाइटी, डुंगेजा, पो.-पीननगवां, तहसील-एफपी झिरका, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
32.	मेवात, शिक्षा सुधार समिति, ग्राम-मुनधेता, पो.-नीननगवां, तहसील, पुनहाना, जिला-मेवात, नुह	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
33.	जन विकास एवं शिक्षा सुधार समिति, नं. 64 पचनका, पो.-हथीन, जिला-पलवल	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000

1	2	3	4	5
34.	साहिल ऐजुकेशन सोसाइटी, खोरी क़लान, टाउरू, जिला-मेवात	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	2500000
	जम्मू और कश्मीर			
35.	चाईल्ड राइट ऐजुकेशन सोसाइटी, मार्फत् न्यू स्प्रिंग बडस ऐजुकेशन इंस्टीट्यूट, वेहदतपुरा, जिला-बुडगम	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
	झारखंड			
36.	हफीज अलहाज जकारिया ऐजुकेशन ट्रस्ट, पतराटोली, कनके, जिला-रांची	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
37.	अबदुर रज्जाक अनसारी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, इरबा, ओरमंझी, जिला-रांची	2011-12	छात्रावास भवन विस्तार हेतु	3000000
	कर्नाटक			
38.	दि मवल्ली ऐजुकशन सोसाइटी, 64, 2 क्रोस, लालबाग फोर्ट रोड, डोडडा मवाल्ली, बैंगलोर	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
39.	सकाफिया मिल्लत ऐजुकेशन सोसाइटी, विवेकानन्द नगर, गडग	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
40.	मथुरूवनी ऐजुकेशनल सोसाइटी, कमकशिपालया, 2 स्टेज, बसावेश-वारानगर, बैंगलोर	2011-12	कम्प्यूटर/विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सामान खरीदने हेतु	300000
41.	आफताब ऐजुकेशन ट्रस्ट, यरमारूस कैम्प, जिला-रायचुर	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
42.	रेडियंस ऐजुकेशन सोसाइटी, तालीकोटी ता.-मुददेबीहल, जिला-बीजापुर	2011-12	प्राइमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
43.	आजाद ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत अबुल कलाम आजाद हाई स्कूल, अथानी, बेलगाम	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
44.	अर-रेहान ऐजुकेशनल ट्रस्ट, अस्सर मौहल्ला, सिरा, जिला-टुमकुर	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
45.	एमएमयू ट्रस्ट, कोनकनी डोडी, रामादेवरा बेटा रोड, रामानागराम, जिला-बैंगलार	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
46.	प्योपिल्स ऐजुकेशन सोसाइटी एवं ट्रस्ट, शैख कैम्पस, नहरू नगर, जिला-बलगांम	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
47.	मिल्लत ऐजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, बशा नगर जिला-दावनगेर	2011-12	वीटीसी के लिए उपकरण/मशीनरी/ फर्नीचर खरीद हेतु	500000

1	2	3	4	5
48.	रोयल ऐजुकेशन सोसाइटी औल्ड् एग्जीबीशन बिल्डिग, शेशादरी अय्यर रोड, जिला-मैसूर	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	600000
49.	नूर अफजाल ऐजुकेशनल एवं चैरीटेबिल ट्रस्ट, राज राजेश्वरी होटल बवसन्त नगर के सामने, एमएसके मिल रोड, गुलबरगा	2011-12	प्रयोगशाला के लिए सामान खरीदने हेतु	500000
केरल				
50.	नदवाथुल इस्लाम, वादु-थाला मार्फत नदवाथुल स्कूल, पोस्ट-नदवथ नगर, जिला-अलापुजहा	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
51.	नसराथुल इस्लाम ट्रस्ट मार्फत रहमत पब्लिक हा.से. स्कूल, पुल्लुर, करूवम-बरम, पोस्ट-मनजेरी-3 जिला- मालप्पुरम	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
52.	वलापत्तनम मुस्लिम वेलफेयर ऐसोसिएशन मार्फत ताजुम उलूम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, ग्राम एंड पोस्ट-वलापत्तनम, जिला-कन्नूर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
53.	अल आरिफ ऐजुकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट, अशोका रोड, कालूर कोचि	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
54.	इस्लाहिया ऐसोसिएशन, चेननामअंगलुर, मुक्काम केलिकट	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	30000000
55.	अनसारूल इस्लाम चैरिटेबिल ट्रस्ट, मार्फत मरकाजुल उलूम इंग स्कूल, पौ. कोनडोटी मल्लापुरम	2011-12	100 बड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
56.	गाएडेंस इस्लामिक सेंटर, कटटुपारा, पोस्ट-चेलाकड, विया पुलमएनथोले, मल्लापुरम	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
57.	मकदा अनाधा सला संघम, मार्फत मुफीद अल उलूम अराबिक कालिज, पो.मंकदा, मल्लापुरम	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
58.	इरशाद ऐजुकेशनल एंड चेरिटेबिल ट्रस्ट, मार्फत इरशाद हाई स्कूल, मन्नारक्कड, पलाक्कड	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
59.	कोपम मुस्लिम ऐजुकेशन ट्रस्ट, पोस्ट-पुलासेरी, कोपम, पलाक्कड	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	100000
60.	मुस्लिम कल्चरल ट्रस्ट, पो-मेलमुरी, मल्लापुरम	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
61.	थाइकाटटुकारा मुस्लिम जमात ऐजुकेशनल एंड चेरिटेबिल ट्रस्ट, पो. थाइकाटटुकारा, अलुवा, इरनाकुलम	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
62.	कुमारनेलुर इस्लाहिया अराबिक कालिज एंड ऑरफेनेज कमेटी मार्फत इस्लाहिया ऑरफेनेज स्कूल, कुमारनेलुर, पो-अंगड़ी, पलाक्कड	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1500000
मध्य प्रदेश				
63.	आनंद विहार शिक्षा समिति एवं समाज कल्याण टेलीफोन एक्स. के सामने सम्राट नगर, वरासियोनी जिला-बालाघाट	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
64.	अभीलाशा संस्कृतिक एवं शैक्षणिक संगठन, एफ-14, मिशा अपार्टमेंट, करबला रोड, भोपाल	2011-12	बीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1500000
महाराष्ट्र				
65.	मासूमीन ऐजुकेशन सोसाइटी, मार्फत सुपर इंगलिश मीडियम हाई स्कूल, मंगल कालोनी, शियादरी नगर, सांगली	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सामान खरीदने हेतु	300000
66.	माईनोरिटि ऐजुकेशनल सोसाइटी, प्लाट नं. 6 शादाब बाग, भोसा रोड, जिला-यावतमल	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2000000
67.	यावतमल जिला अल्पसंख्यक महीला विकास बहुउद्देशिया संस्था मार्फत उर्दू डी ऐड काजिल, अलसमीनगर, पांडर-लोवादा रोड नियर-रिलायंस पेट्रोल पम्प, पो-यावतम	2011-12	डीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
68.	कोस्मोपोलिटन ऐजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, शिवाजी पार्क के सामने, नानखेडा रोड़, नानल पेंठ, परभानी	2011-12	बीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
69.	दारूल उलूम जकरया पोस्ट-कोनदेव, तहसील/ जिला-सतारा	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
70.	टाईगर वेलफेयर एसोसिएशन, पो-जयहिंद सों मिल, सुभाश रोड, बीड	2011-12	डीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
71.	राजा ऐजुकेशन एंड बहुउद्देशीय सोसाइटी, पिपलगेन राजा, ता. खमगाव, जिला-बुलडाना	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2000000
72.	मौलाना आजाद उर्दू ऐजुकेशन सोसाइटी वाडनर गंगई ता.दरयापुर, जिला-अमरावती	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
73.	महात्मा गांधी ऐजुकेशन सोसाइटी मार्फत खान अब्दुल गफ्फार खान उर्दू हाई स्कूल, फकराबाद पो.-पथरी, जिला-परमानी	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	2500000

1	2	3	4	5
74.	मदर टेरेसा ऐजुकेशन ट्रस्ट, ओल्ड कलेक्टर कम्पाउंड, प्लॉट नं. 15, रूम नं. 45, गेट नं. 5, मलाड, मुम्बई	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	25000000
75.	वलावा तालुका बुधा सोसाइटी, वानलेसवादी स्कूल मार्फत वानलेसवादी ता. मीराज, जिला-सांगली	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
76.	श्री उमाजीराओ सनामादीकर मेडिकल फाउनडेशन, जाथ, जिला-सांगली	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
	मणिपुर			
77.	दि रूरल डेवलेपमेंट बेववार्ड आर्गेनाइजेशन, ग्राम-चंगमदाबी माथक सगाल्लाउ, पो./पीएस-यारीपोक, जिला-इमफाल ईस्ट-II	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
78.	दि ए गनी ऐजुकेशनल सोसाइटी, मिनथुथोंग, हफीज हत्ता, पो.-इम्फाल, जिला-ईस्ट इम्फाल	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
79.	निलोफर ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, खेरगांव इम्फाल ईस्ट	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1200000
80.	कशुंग थोयीबा लीनगेला ऐजुकेशनल रिसोर्स सेंटर,	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
	पीबी नं. 38, फुंगरीटेंग, सर्किल रोड, जिला-उखरूल	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
	तमिलनाडु			
81.	टेक्ससिटी मेडिकल एंड ऐजुकेशनल ट्रस्ट, टेक्ससिटी केम्पस, पोडानुर मेन रोड, कोयमबेटूर	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	2500000
82.	तकवा ऐजुेशन ट्रस्ट, मार्फत टेट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीटूट फॉर वूमन, 6/907, ट्रीची मेन रोड, नेताजी नगर, जिला-नमक्कल	2011-12	डीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
	उत्तर प्रदेश			
83.	इरम ऐजुकेशनल सोसाइटी, सी ब्लाक, इंदिरा नगर, लखनऊ	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
84.	अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, 58 भीतारगांव न्यूरीया, हुसैनपुर, पीलीभीत	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
85.	हबीब शिक्षा प्रसार समिति, मार्फत हबीब कन्या इंटर कालेज, नयागांव, जंगल कौर, जिला-गोरखपुर	2011-12	मीडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
86.	अल्पसंख्यक समाज स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति, मो. उपादिया, टाउन-केथोर, जिला-मेरठ	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
87.	रफी अहमद उसमानी कन्या इंटर कालेज समिति ग्राम व पोस्ट-कफा़ा, जिला-लखीमपुर खीरी	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/ सामान खरीदने हेतु	500000
88.	खलीक अहमद उसमानी गर्ल्स इंटर कालेज समिति ग्राम व पोस्ट-पदरीयातुला, जिला-लखीमपुर खीरी	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर सामान खरीदने हेतु	500000
89.	नजीबाबाद ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत नजीबुद्दोला गर्ल्स इंटर कालेज, नजीबाबाद मो. बिसतयान, बिजनोर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
90.	मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान, ग्राम-नोदर, पो.-रामगढ़-जिला-चंदौली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
91.	अथर ऐजुकेशनल सोसाइटी, एफ-16, गुयान बाग जिला-मुरादाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
92.	लल्ला मियां जन्ता ऐजुकेशन सोसाइटी, टाउन एंड पो.-सेदपुर, तहसील-बिसौली, जिला-बदायूं	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	2000000
93.	कसीमुल उलूम शिक्षा समिति, मो. आजाद नगर ग्राम व पोस्ट-मनकापुर, जिला-गोंडा	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
94.	सेंट सैफ शिक्षा संस्थान मार्फत सेंट सैफ ज.ह. स्कूल, मो. नयीपुरा, गजरौला, जिला-ज.पी. नगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
95.	त्सादुक हुसैन मुस्लिम ऐजुकेशन सोसाइटी, मार्फत वसीम तुरकी मुस्लिम डिगरी काजिल, ग्राम-फतेहपुर मफी, पोस्ट-पलोला, जिला-ज.पी. नगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
96.	जफर शिक्षा प्रचारनी समिति, मार्फत जफरूल मिल्लत मेमोरियल हाई स्कूल, निजामाबाद, आजमगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
97.	श्रीमती मरीयम बीबी सेवा समरपन संस्थान, ग्राम-पुरे लहुरिया, कोदारस खुर्द, ब्लॉक अमावन, जिला-राय बरेली	2011-12	वीटीसी भवन निर्माण हेतु एवं सामान खरीदने हेतु	1000000
98.	नसीम मैमोरियल एंड वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-सीमारा रामनगर रोड. पोस्ट-कटेसर, जिला-चंदौली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
99.	मदरसा निसारूल उलूम शाहजादपुर, अकबरपुर, अमबेडकर नगर	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1500000
100.	मौलाना अबुल कलाम आजाद वेलफेयर सोसाइटी अजय नगर, न्यू इस्माइल, लखनऊ, मार्फत मौलाना आजाद प्राथमिक विद्यालय, दर्काशेनटोला, टाउन-बनकी, जिला-बाराबंकी	2011-12	मीडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000

1	2	3	4	5
101.	अबु हुरेरा मॉडल स्कूल समिति मदीना कालोनी फिरोजाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
102.	अबरार हुसन एजुकेशनल सोसाटी, बलधुना रोड सोरिख, जिला-कनौज	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
103.	अबदुल बारी मुस्लिम ऐजुकेशनल सोसवाइटी, मार्फत एसबीएम गर्ल्स इंटर कालिज, पक्का बाग बिजनोर रोड, अमरोहा, ज.पी. नगर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	300000
104.	नसरूल्लाह मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल, अंसार नगर, सिरसिया, पो. बलुआ, जिला-महाराजगंज	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
105.	मौलान आजाद ऐजुकेशनल सोसाइटी, कोट वेस्ट, ईदगाह रोड, हसनपुर, जिला-ज.पी. नगर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु	10000000
106.	एएन अम्बेडकर शिक्षा संस्थान मार्फत एएन अम्बेडकर हाई स्कूल, ग्राम मचारिया गांव, 506, यशोदा नगर, कानपुर	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
107.	शाहिद मैमोरियल ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत शाहिद मैमोरियल जू.हा. स्कूल, नियर-रवन चुंगी, काबुलपुरा, बदायूं	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
108.	दि मोडर्न ऐजुकेशनल सोसाइटी, नियर-जामा मस्जिद, देव बंद, सहारनपुर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
109.	ग्रीन फील्ड मोडर्न सेसाइटी, अर्या नगर, छुटमलपुर, जिला-गोरखपुर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन निर्माण हेतु	1500000
110.	इस्लामिक ऐसोसिएशन मार्फत शबनम मैमोरियल हा.से.स्कूल बरहालगंज, जिला-गोरखपुर	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
111.	मैरी चिल्डरन अकेडमी मार्फत जेसस एंड मैरी इंटर कालिज, पोस्ट-नवाबगंज, जिला-बरेली	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1500000
112.	सनबीम ऐलीमेंटरी स्कूल समिति, ग्राम व पोस्ट-अबदुल्लापुर, मैरठ	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
113.	दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं निराशरित महीला उथान समिति, ग्राम व पोस्ट-इनहौना, सिंहपुर, टिलोई, रायबरेली	2011-12	छात्र/छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
114.	वारसी हायर सेकेण्डरी स्कूल सोसाइटी, ग्राम-काजीपुर पो.-अफजालपुरवरी, सिराथु, जिला-कौशांबी	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000

1	2	3	4	5
115.	किसान महाविद्यालय शिक्षन संस्थान, ग्राम-महुवा पकर पो.-गवरा चौकी, तहसील-मनकापुर, जिला-गोंडा	2011-12	बीऐड काजिल भवन विस्तार हेतु	15000000
116.	मुताकल्लिम मुस्लिम ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत शैख रजब अली हा.से. स्कूल, बमहोर, आजमगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
117.	दारूल उलूम कादरी गुलशन ऐ बरकत, परासराई पो.-इंतयाथुल, गोंडा	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	25000000
118.	सायमा शिक्षा समिति, मार्फत सायमा इंटरमीडिएट कालिज, ग्राम व पोस्ट-मझील गांव, तहसील-कुन्दा, जिला-प्रतापगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	15000000
119.	मदरसा सकलेनिया अस्गर अली दारूल उलूम अहले सुन्नत स्कूल समिति मार्फत डीएमए पब्लिक जू.हा.स्कूल, ग्राम-धनोरी, तहसील-सवर जिला-रामपुर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
120.	भारतीया शिक्षा प्रचार संस्थान, भीकमपुर, ब्लॉक बिजोली, अलीगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1250000
121.	प्रयागराज वेलफेयर सोसाइटी, मार्फत बेनहुर हा.स्कूल 592-बी. सुलतानपुर भावा, इलाहाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
122.	सोसाइटी फॉर ऐजुकेशनल एंड रूरल डेवलेपमेंट मार्फत इंडियन पब्लिक स्कूल, पकबरा रोड, दिनगरपुर, जिला-मुरादाबाद	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
123.	ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मार्फत ऑक्सफोर्ड वीर अब्दुल हमीद हाई स्कूल, मो.-फतेहउल्लाह गंज, वार्ड नं. 19 ठाकुरद्वारा, जिला-मुरादाबाद	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1300000
124.	शेख गुलाब हसन प्रशिक्षण संस्थान, ग्राम-रज्जाक खेरा, पो.-असाही आजमपुर, जिला-हरदोई	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
125.	अजिजिया मॉनटेसरी स्कूल समिति, मो. पुरेनिया तालाब, जिला-बलरामपुर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
126.	रूखसाना बैगम ऐजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम-अतरासी कलान, जिला-जेपी नगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
127.	मिर्जा अहसान उल्लाह बैग ऐजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट-अनजान शाहीद, जिला-आजमगढ़	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000

1	2	3	4	5
128.	शाहीद अशफाकउल्लाह खान मैमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, 12 मोहनपुरा, उरई, जिला-जलोन	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
129.	फौजदार हसनैन ऐजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-शाहबाद, पो.-ब्रिज मानगंज, जिला-महाराजगंज	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
130.	मौहम्मद आरिफ इस्लामिया ऐजुकेशन सोसाइटी मार्फत एमए इस्लामिया हा.से. स्कूल, दिव्यापुर रोड, बिधुना, जिला-ओरया	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1300000
131.	नवादा ग्राम, उद्योग विकास समिति मो.- बगला अमरोहा, जिला-जे.पी. नगर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
132.	जामिया दारूसलाम सोसाइटी, 609, सेक्टर-4, शास्त्री नगर, मेरठ मार्फत जामिया दारूसलाम स्कूल मौ. पुरब टोक, पटीयाली रोड, गंजदुन द्वारा, जिला-काशीराम नगर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
133.	इंदिरा बालीका शिक्षन समिति, ग्राम व पोस्ट-टेकुआटर रामकोला, जिला-कुशीनगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
134.	श्रीमती सुमितरा देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा समिति, ग्राम-रामचन्द्रपुर पो.-सिथोरा, जिला-फतेहपुर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/ सामान खरीदने हेतु	500000
135.	एम. जौहर अली ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत मौलाना जौहर अली गर्ल्स स्कूल, ग्राम-पुरनाहा बुजुर्ग, किंदर पट्टी, जिला-कुशीनगर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन निर्माण हेतु	800000
136.	अर्जुन सेवा समिति, ग्राम-खोजपुर, पो. मनझानपुर जिला-कौशंबी	2011-12	प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	300000
137.	श्री साधु सरन सिंह बाल विदया निकेतन, ग्राम व पोस्ट-बरायपुर, जिला-फतेहपुर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
138.	स्वर्गिय अबदुल जब्बार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, ग्राम-सुखनखेडा, पोस्ट-भतोटोली, तहसील-संदीला, जिला-हरदोई	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
139.	अर्शी मॉडर्न नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल सोसाइटी मार्फत अर्शी गर्ल्स इंटर कालिज, 88/156, चमन गंज, मौ. अली पार्क, कानपुर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	1300000
140.	राबिया खातून मैमोरियल बालिका विद्यालय सोसाइटी, पो.-कमपिल, तहसील-कायमगंज, फरूखाबाद	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000

1	2	3	4	5
141.	मदरसा इस्लामिक मकतब कमिटि, ग्राम-अलहाद्पुर, पो.-फाजील नगर, जिला-मुशीनगर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
142.	हाजी अली जान खान मैमोरियल ऐजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट-शरीफ नगर, तहसील-ठाकुडवारा, जिला-मुरादाबाद	2011-12	बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
143.	ख्वाजा गरीब नवाज पब्लिक स्कूल समिति, ग्राम-चांद खेरी, पो.-दिलारी, जिला-मुरादाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
144.	बज्म ए अदब सोसाइटी, मो. काजी सराई फस्ट, नगीना, जिला-बिजोर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
145.	बाबर शिक्षा समिति, ग्राम-हजरत नगर गरही, तहसील, सम्भल, जिला-मुरादाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
146.	रफीक ऐजुकेशनल एड वेलफेयर सोसाइटी, मो.-नीमटाला, गमगोह, जिला-सहारनपुर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
147.	डा. महमूद् अहमद मैमोरियल सोसाइटी, मार्फत ए.बी. कन्वेंट जू.हा. स्कूल, खेरा, गरीया गांव, नगरा, जिला-झांसी	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
148.	मुस्लिम प्रोग्रेसिव एंड ऐजुकेशनल काउनसिल ऑफ यूपी अबुल बरकत देवबंद, जिला-सहारनपुर	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
149.	श्री गफूर खान इस्लामिया शिक्षा समिति, ग्राम-रामपुर, पो.-फरीदा, तहसील-जसराना, जिला-फिरोजाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
150.	एन. रहमान इलाहाबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी, नूरूल्लाह रोड, इलाहाबाद	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
151.	श्री मुनव्वर हुसैन मुस्लिम शिक्षा विकास समिति मार्फत एमएस सैनिक हाई स्कूल, अमीनपुर सेनवरो, पो.-करारी, तहसील-मंझानपुर जिला-कोशंबी	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
152.	न्यू इंडियन मोनटेसरी स्कूल समिति, ग्राम-सोनवरसा, पो.-विसनुपुर बेरिया, ब्लाक पदरीकरीपाल, अतरौली रोड, जिला-गोंडा	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
153.	इरा ऐजुकेशनल सोसाइटी, कस्बा एवं पोस्ट-शाही, तहसील-मीरगंज, जिला-बरेली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
154.	शकील ऐजुकेशनल सोसाइटी, ए-645, इंदिरा नगर, जिला-लखनऊ	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	500000
155.	सरदार खान अल्पसंख्यक विकास संस्थान, मार्फत सरदार खान अल्पसंख्यक हा.से. स्कूल ग्राम व पोस्ट-केलाई, जिला-फिरोजाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
156.	महाराना प्रताप बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, करचालपुर, जिला-फतेहपुर	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
157.	अंजुमन ए शैखुल हिंद सोसाइटी, कसीमाबाद पो.-अंजान भाहीद, तहसील-सगढ़ी, जिला-आजमगढ़	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
158.	मेंहदी हसन मैमोरियल ऐजुकेशन सेंटर स्कूल समिति, जरारी, जिला-फरूखाबाद	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	800000
159.	अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, पो.-एवं टाउन-डासना, जिला-गाजियाबाद	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
160.	मानव सेवा संस्थान, 36, आईटीआई रोड, दक्षिणी गौतम नगर, जिला-फतेहपुर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	500000
161.	महाराजा अदित्य नारायन हा. स्कूल ऐसोसिएशन, भदोही, जिला-संत रवीदास नगर	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु/विज्ञान प्रयोगशाला के सामान खरीदने हेतु	1500000
162.	एमके सेवा संस्थान, ग्राम-कबरा, बरायपुर, जिला-फतेहपुर	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
163.	फ्रीडम फाईटर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ऐजुकेशनलल ट्रस्ट, मदनी मजिल, मदनी नगर, देवबंद, जिला-सहारनपुर	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
164.	मौलाना अबुल कलाम आजाद अकेडमी, नगला साहु, पो.-जाई, मैरठ	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
165.	मौलाना अबुल कलाम आजाद मैमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, मो. पठानपुरा, देवबंद, सहारनपुर	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
उत्तराखंड				
166.	मदरसा गुलजार फरीद सोसाइटी मार्फत एमजीएफएम इंटर कालिज, दरगाह इमाम साहेब पीरन कलीयर, पो.-खास रुड़की, जिला-हरीद्वार	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
167.	मदर इंडिया अल्पसंख्यक शिक्षा समिति, मिसरवाला, पो.-कुन्डा, तहसील-काशीपुर, जिला-यू.एस. नगर	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल				
168.	बेलुनी जनकल्यान संघा, पो.-दोहलाहट, ब्लोक-कुलपी, जिला-साउथ 24 परगनास	2011-12	50 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1500000
169.	छरकतला मानव समपद विकास समिति ग्राम-छरकतला, पो.-गंगाप्रसाद, जिला-मालडा	2011-12	वीटीसी के लिए उपकरण/ मशीनरी खरीद हेतु	500000
170.	इकरा एजुकेशनल सोसाइटी, वार्ड नं. 10, रक्कासपेट, बोधान, जिला-निजामाबाद	2012-13	हाई स्कूल भवन के निर्माण हेतु	135000
171.	अर्श विद्या मंदिर,, कोनदापेटा, बनगानपल्ली जिला-कुरनूल	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला भवन निर्माण हेतु	250000
172.	सिस्टर केयर एजुकेशन सोसाइटी, 2-14-151, श्यामला नगर, रेलवे गेट के पास, जिला-गुन्टूर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
173.	ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल सोसाइटी, मेन रोड कंगाला जिला-गुन्टूर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
174.	मुस्लिम माइनोरिटीज एजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, विजयनगर जिला-हैदराबाद	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
175.	गोदावरी एजुकेशन सोसाइटी, डी नं. 16-2-70 वोल्ड वाटर टैंक के सामने, बुधवार मार्किट, भिमावरम, जिला-पश्चिम गोदावरी	2012-13	प्रायमरी स्कूल भवन का विस्तार	600000
बिहार				
176.	इदरा अल-निशात मुस्लेमीन एजुकेशनल सोसाइटी, इंद्रापूरी कॉलोनी, आशियाना रोड, राजा बाजार, जिला-पटना (बिहार)	2012-13	बीएड कॉलेज भवन का विस्तार	1500000
177.	अल्पसंख्यक विकास परिस्थान केन्द्र नालंदा कधजी, मोहल्ला, बिहार शरिफ, जिला-नालंदा (बिहार)	2012-13	100 बेड छात्र वास भवन निर्माण हेतु	300000
178.	इदरा कलाहल मुस्लेमिन, फुलवारी शरिफ, पटना (बिहार)	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
गुजरात				
179.	आजाद एजुकेशन ट्रस्ट, बी-11/12, रेहान पार्क सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी के सामने, भारूच, (गुजरात)	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	250000
179.	आजाद एजुकेशन ट्रस्ट, बी-11/12, रेहान पार्क सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी के सामने, भारूच (गुजरात)	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	250000

1	2	3	4	5
180.	नपाड वंता माइनोरिटी एजुकेशनल ट्रस्ट, एटी, नपाड़ (वंता), जिला आनंद (गुजरात)	2012-13	हाई स्कूल भवन के निर्माण हेतु	2000000
181.	धंधुका तालुका मुस्लिम केलवानी मंडल, एनआर पिरासर तलव, धंधुका, जिला अहमदाबाद (गुजरात)	2012-13	हाई स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1000000
182.	बोर्सद तालुका मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, बोरसद 388540 जिला आनंद	2012-13	स्कूल के लिए कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	250000
183.	फैज चेरिटेबल ट्रस्ट, बापुनगर, शितल चर रस्ता रंदेर रोड, डी सुरत	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1500000
हरियाणा				
184.	ग्रामीण बाल विकास एवं एजुकेशन समिति, नीम्का, दी पुनहाना, डाकघर-बिछोर, जिला मेवात	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1500000
185.	मो. सवमसुद्दीन एजुकेशन एड सोसल सोसाइटी, ग्राम-दिहारा, डाकघर तौरू, जिला-मेवात	2012-13	हाई स्कूल भवन के निर्माण हेतु	2000000
झारखंड				
186.	चक्रधरपुर मिल्लत एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, मेन रोड, डाकघर चक्रधरपुर, डब्ल्यू सिंघमूम	2012-13	हाई स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1000000
187.	हिजरत मुनाम एक तालिमी मिशन, हजारी बाग कर्नाटक	2012-13	50 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1500000
188.	नूर एजुकेशन ट्रस्ट, नूर कॉलोनी, एनआर, होर्टीकल्चर सेंटर, हलादकेरी, हैदराबाद रोड, जिला-बिदर	2012-13	50 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
189.	द हुडा एजुकेशनल सोसाइट, कोल बाजार, बेलारी	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
190.	वोकेशनल एजुकेशन सोसाइटी, पूरानी जेवारगी रोड, गुलबर्गा	2012-13	आईटीआई भवन के निर्माण हेतु	1000000
191.	खिदमथ-उल-मुस्लमीन, जम्बुनाथ रोड, रहमत नगर, होसपेट, जिला बेलारी	2012-13	डीएड कॉलेज भवन के विस्तार हेतु	1000000
192.	दी बिजापुर जिला सोसियो-इकोनोमिक एंड कल्चरल एसोसिएशन (एसईसीएबी एसोसिएशन) नौबाग, बिजापुर	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला उपकरण की खरीद	290000

1	2	3	4	5
193.	माइनोरिटिज वूमन मल्टीपरपस सोसाइटी एंड रूरल सोसल वेलफेयर ट्रस्ट, कलकेरी सिंदगी, जिला-बिजापुर	2012-13	आईटीआई (बीटीसी) भवन के निर्माण हेतु	1000000
194.	जफारिया एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, पोर्टनहाल्ली, गौरीबदनूर तालूक, जिला चिकबालपुर-561213	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	100000
195.	अल-फारूक एजुकेशन सोसाइटी (मार्फत अल-फारूक प्रो-प्राइमरी, हाईयर प्राइमरी एंड हाई स्कूल), तेहसिल ऑफिस के पीछे, अलाद, जिला गुलबर्ग-582302	29.09.11	हाई स्कूल भवन का विस्तार हेतु	1000000
196	सेट टेक इंगलिश स्कूल, नं. 666 द्वितीय मेन, कुशाल नगर, के.जी. हॉल बेंगलूर केरल	28.02.12	हाई स्कूल भवन का विस्तार हेतु	2000000
197.	जामिया नदविया ट्रस्ट, सलाह नगर, डाकघर एदवाना जिला-मल्लापुरम	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
198.	तलीमुल इस्लाम ट्रस्ट, डाकघर प्यांगाड़ी जिला-कन्नूर	2012-13	आईटीआई हेतु औजार/उपकरण के खरीद हेतु	800000
199.	अल-अमन एजुकेशनल एवं चारिटेबल ट्रस्ट, मार्फत अल-अमीन स्कूल पथानापुरम, जिला-कोल्लम	2012-13	हाई स्कूल भवन` विस्तार हेतु	1000000
200.	मनारूल हुडा ट्रस्ट पीबी नं. 5829 इमके मंजिल कल्लाटुमुक्का,मनाकुड, मनाकुड, मनाकुड	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	3000000
201.	मखदुमिया इस्लामिका समसकारिका कॉपलेक्स कमेटी, अथानिक्कल, डाकघर, वेल्लुवमबराम, जिला मलापुरम	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
202.	जे एंड के एजुकेशन एंड चेरिटेबल इंस्टीट्यूट डाकघर करूपादन्ना, जिला त्रिस्सुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1500000
203.	अल-अजहर मुस्लिम एजुकेशनल चेरिटेबल सोसाइटी, माला, जिला-त्रिस्सुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1500000
204.	अल्लूर एजुकेशनल सोसाइटी, अल्लोर, डाकघर कंमनाम थेक्कुमारी, वाया कलपकंचेरी, जिला मलापुरम	2012-13	उच्चतर माध्यमिक भवन के विस्तार हेतु	1500000

1	2	3	4	5
205.	करूवंथिरूथी खिदमाथुल इस्लाम संघम, डाकघर करूवंधिरूथी, फरोकी, डी. कालीकट	2012-13	प्रायमरी स्कूल भवन का विस्तार हेतु	600000
206.	मजमा मलाबर अल-इस्लामी, रहमथ नगर, डाकघर कवनुर-673644, जिला-मलापुरम	2012-13	बीएड कॉलेज भवन का विस्तार	1500000
207.	ओचिरा थानवीरूल इस्लाम संगम ट्रस्ट, डाकघर ओचिरा जिला कोल्लम-690526	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का विस्तार	1500000
208.	सलाफी चेरिटेबल ट्रस्ट, मार्फत नरिक्कूनी इंगलिश मीडियम स्कूल, डाकघर पुन्नूर चेरीपलम, नरिक्कूनी, जिला-कोजिकोड-678585	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
209.	नरूकरा पत्ततकुलम, हयाथुल इस्लाम संगम, डांकघर नरूकरा मंजेरी, जिला मलापुरम-676522	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
210.	मंजेरी थूरक्कल हिदायथुल मुस्लिमीन संगम, थूरूवकल, डाकघर मंजेरी जिला-मलापुरम-676121	2012-13	आईटीआई हेतु औजार/उपकरण/ मशीनरी की खरीद	800000
211.	एरियाकोड एजुकेशनल ट्रस्ट, डाकघर, एरियाकोड, अरनाद, जिला मलीपुरम-673639	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
212.	कुनियिल हुमाथुल इस्लाम संगम, कुनियिल, डाकघर किजुपराम्बा, वाया-एरियाकोड, जिला-मलापुरम-673639	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
213.	इस्लामिक डेवलपमेंट कोंसिल (आईडीसी), मार्फत, आईडीसी इंगलिश स्कूल, ओरूमनयूर, डाकघर, चवाक्कड़, जिला-त्रिसुर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
214.	पनामराम इस्लामिक एंड एजुकेशनल सोसाइटी (पीओसीईएस), मार्फत क्रिसेंट पब्लिक हाई स्कूल, डाकघर पनामुराम, जिला-वेयनाद	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
215.	कन्नूर एसोसिएशन ऑफ सोसल एंड इकोनोमिक रेफर्स ट्रस्ट (कंएओएसईआर चेरिटेबल ट्रस्ट) कोसर कॉम्पलेक्स, चालटेक्स जंक्शन, पोस्ट बॉक्स नं. 439, जिला-कन्नुर-670002	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
216.	चेरूकरा मनफौल उलूम इस्लामिक कॉम्पलेक्स कमेटी, मार्फत एमआईसी इंगलिश मीडियम सिनियर सेकेंड्री स्कूल, डाकघर चेरूकरा, परितालमन्ना, जिला-मलापुरम	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
	मध्य प्रदेश			

1	2	3	4	5
217.	अभिलाषी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक समिति मचना कॉलोनी, भोपाल	2012-13	बीएड कॉलेज भवन का निर्माण	1500000
218.	नव हिंद महिला एवं बाल विकास समिति, मार्फत हैप्पी मेमोरियल हाई स्कूल, हरयापुरा रोड, जिला-शजापुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	2500000
219.	ब्राइट एजुकेशनल, टेक्नीकल एंड ओकेशनल सोसाइटी, 43, विक्रम नगर, कन्या महाविद्यालय के पीछे, उज्जैन रोड, एटावा, जिला देवास	2012-13	प्रयोगशाला/कम्प्यूटर उपकरण की खरीद	250000
220.	अंजुमन नुरूल इस्लाम शिक्षण समिति, नागौरी कॉलोनी, महिदपुर, जिला-उज्जैन	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
	महाराष्ट्र			
221.	हुसामिया एजुकेशन सोसाइटी, कामप्टे रोड, शांतिनगर, नागपुर (एमएस)	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	125000
222.	ताज एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर ट्रस्ट, मार्फत उर्दू हाई स्कूल, तकली आरआर खुल्दाबाद, जिला-औरंगाबाद	2012-13	हाई स्कूल भवन के विस्तार हेतु	2000000
223.	सुफा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, 39ए गुलकाड़ा प्रोफेसर, कॉलोनी, हिमायत बाघ, जिला औरंगाबाद	2012-13	बीएड कॉलेज भवन का विस्तार	1500000
224.	नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत नेशनल इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर, रेलवे ओवर ब्रिज के पास, शिवाजी नगर, डी नंदेद	2012-13	आईटीआई के लिए मशिनरी/औजार/उपकरण की खरीद हेतु	800000
225.	अमिना ग्रामीण विकास संस्थान, प्लॉट नं. 6 टकी लान पुलिस के पीछे, डाकघर के पास जफर नगर जिला-नागपुर	2112-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	2500000
226.	सेंट्रल इंडिया सार्वजनिक वकानलीं, सदर बाजार जिला नागपुर	2012-13	टेक्नीकल इंस्टीट्यूट के लिए कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	800000
227.	मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तानी शिक्षण संस्था, शिरूर (ताजबाद), अहमेदपुर, जिला लतुर	2012-13	कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण हेतु खरीद	200000
228.	भिवांडी विवर्स एजुकेशनल सोसाइटी, समद नगर कनेरी, भिवांडी, जिला-थाने	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोशाला उपकरण की खरीद हेतु	300000
229.	डॉ. अल्लामा इक्बाल एजुकेशन सोसाइटी, लादखेड, तालुक करवहा, जिला-वयतमाल	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	200000

1	2	3	4	5
230.	हबीब एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, हबीब एजुकेशनल काम्प्लेक्स, एमएच मोहनी रोड, कौसा मुमब्रा जिला-थाने	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	300000
231.	नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, मार्फत एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, मोहल्ला-मुजवार, जिला नंदुरबार	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	500000
232.	फादर स्टीफन अकादमी, मार्फत फादर स्टीफन अकादमी स्कूल, गिरिज वसाई, जिला थाने	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	250000
233.	अंजुमन तहजीब-उल-अखलाकी, मार्फत तहजीब हाई स्कूल, एसएन 221/22 तहजीब नगर, नालेगांव जिला-नासिक	2012-13	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
234.	धवादवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी धवादवाड़ी, जाट जिला संगली	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
234.	कोदरिया एजुकेशन एंड सोसल वेलफेयर सोसाइटी, मार्फत तहजीब उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, पीर मुसा कादरी नगर, चालिसगांव, जिला-जलगांव	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर उपकरण की खरीद	500000
236.	अब्दुल मजीद सेंट्रल एजुकेशन सोसाइटी, 502 अमर सज्जन टावर डी नागपुर	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन के निर्माण हेतु	3000000
237.	मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, तालुक पुसद तिलक वार्ड मुसाद, जिला-यवातमल-445204	2012-13	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
238.	मुस्लिम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, 95/6, आईएलएच कॉलोनी, जिला-नंदेद-431602	2012-13	30 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	1000000
	मणिपुर			
239.	दी मौलवैफेई रूरल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर, मोलवेफेई, जिला-चुराचांदपुर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
240.	चिल चिल एसियन मिशन सोसाइटी, कैम्पस जिला कंगलटंगबी	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
241.	दी सोसल डेवलपमेंट एंड रिहेबिटेशन काउंसिल मार्फत इमिदा पब्लिक स्कूल, फेदेन, डाकघर एंड जिला थौबाल-795138	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
	मेघालय			
242.	दी सेल्सीयन सिस्टर ऑफ नोर्थ इंडिया, ओक्सीलियम कानवेंट नॉगथयम्मी, शिलॉग	2012-13	उच्चतर माध्यम स्कूल भवन का विस्तार	1500000

1	2	3	4	5
	नागालैंड			
243.	लिमा अयर मेमोरियल स्कूल, लिंगरिजन, जिला दिमापुर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	2500000
244.	विजन होम क्लब, मार्फत विजन होम उच्च माध्यम स्कूल, दिफुपर (4वां माइल), सेंट्रल जेल रोड, दिमापुर	2012-13	उच्च्तर माध्यम स्कूल भवन का विस्तार	1500000
	ओडिशा			
245.	डिलिगेंट एक्शन ग्रुप फोर नेगलेक्टैंड इंफोर्म एंड इकोनोमिकली लॉ फोर ऑल राउंड सलवेशन (डीएएनआईईएलएस), शास्त्रीनगर, डाकघर, ब्रजराजनगर, जिला-झारेगुदा	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
	राजस्थान			
246.	दारूल उल्लूम फैज सिद्दीकी (संनिया समफिया) संस्थान, ग्राम सुजान का निवान, डाक नवातला (बकसर) तहसिल चौतन, जिला बरमेर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	300000
247.	इकरा मानव सेवा संस्थान, मार्फत राजस्थान पब्लिक स्कूल, ग्राम एवं पोस्ट कैथवारा, तहसिल पहाड़ी, जिला भारतपुर-321024	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
	तमिलनाडु			
248.	सरकेंस एजुकेशनल सोसाइटी, सतकेंस बिल्डिंग, 51, शिवगंगा रोड, जिला-मदुराई	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1200000
249.	पोपुलर एजुकेशनल ट्रस्ट, केप रोड, इदालकुडी, कोटटर, नगरेरकोल, डी बल्लिउर	2012-13	बी.एड कॉलेज भवन का विस्तार	1500000
250.	डॉ. रहमान ट्रस्ट, मार्फत मुन्ना आस्ट्रलियन मैट्रिकुलेशन हाइयर सेकेंड्री स्कूल नं. 22/10, गुम्मथ पल्ली स्ट्रीट, परामनगिपेट्टी, जिला गुदालोर-308502	2012-13	50 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	1500000
	उत्तराखंड			
251.	इदारा शबाब इस्लामी, लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, मेहुवाला माफी, जिला-देहरादून	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
252.	होली मेरी स्कूल समिति, मार्फत होली मेरी स्कूल ग्रीन पार्क (ब्रहमपुरी), निरंजनपुरा मजरा, जिला-देहरादून	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000

1	2	3	4	5
253.	सर सईद अहमद खान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, मोहल्ला पश्चिमी छिपियन, शहर-जसपुर, जिला-यूएस नगर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000
254.	मदरसा जिया-उल्लूम समिति, मोहल्ला नई बस्ती, जसपुर, जिला-यूएस नगर-244712	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
255.	सिद्दीकी मुस्लिम एजुेशन सोसाइटी, मोहल्ला-अली खान, काशीपुर, जिला-यूएस नगर-244713	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	150000
	उत्तर प्रदेश			
256.	मिर्जा अनवर बेग एजुकेशनल सोसाइटी उसेरहता, शाहगंज जॅनपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन	1500000
257.	एमबी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, रधना इनयातपुर, किथोर, डी मेरठ	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण हेतु	1000000
258.	रशीद मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी, खुर्जा जिला बुलंदशहर	2012-13	मीडिल स्कूल के लिए प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	200000
259.	इराम एजुकेशनल, कल्चरल एंड सोसल वेलफयर सोसाइटी, मार्फत इराम पब्लिक स्कूल, आजाद नगर शहर एवं पोस्ट तामबौर, जिला-सीतापुर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1000000
260.	वीर अब्दूल हमीद स्मारक शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम हथौड़ा, डाकघर बलदोई, दी महवान, जिला मथुरा	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000
261.	मदरसा हदीसुल कुरान सोसल डेवलपमेंट एंड अवेरनेस सोसाइटी, कस्बा, लालियाना, जिला-मेरठ	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1000000
262.	इकरा पब्लिक स्कूल एंड वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी ग्राम एवं पोस्ट-खैराबाद, डी मऊ	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
263.	शमसुद्दीन मेमोरियल शिक्षा ग्रामीण विकास संस्था, ग्राम-सीलपुर, पोस्ट-कुदर्की, जिला-मुरादाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000
264.	खान मेमोरियल पब्लिक स्कूल समिति, ग्राम खान गाटिया बंदिया, पोस्ट-टिलीयापुर, सीबी गंज, जिला बरेली	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
265.	मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी ग्राम एवं पोस्ट लालियाना, जिला-मेरठ	2012-13	उच्चतर स्कूल भवन का विस्तार एवं स्कूल के लिए प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु	1800000

1	2	3	4	5
266.	मिर्जा अनवर बेग चेरिटेबल ट्रस्ट, इरेकियाना शाहगंज, जौनपुर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
267.	अब्दुल गफ्फार हाशमी इंटर कॉलेज एसोसिएशन ग्राम एवं पोस्ट साहदुल्ला नगर, जिला-बलरामपुर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
268.	इमामिया एजुकेशनल सोसाइटी, ए-ब्लाक, जीटीबी नगर करेली, जिला अहमदाबाद	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार हेतु	1500000
269.	मजीदिया सोसाइटी, मार्फत मजीदिया पब्लिक स्कूल, ईदगाह रोड, सरधाना, जिला मेरठा	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
270.	जंता पब्लिक स्कूल सोसाइटी, डियोरानिया जिला-बरेली	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
271.	मुर्तजा जैदी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल सोसाइटी, 6 मोहसिन मंजिल (पुरानी कोठी), जैदी फर्म जिला मेरठ	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
272.	रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्राम धेधेयपुर, पोस्ट-तराबगंज, डी. गोंडा	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	600000
273.	डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल शिक्षा समिति ग्राम एवं पोस्ट-खुजनापुर, जिला-सहारनपुर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000
274.	हकिमुल उम्मत एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट-परवर, जिला-सुल्तानपुर	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के विस्तार हेतु	600000
275.	अब्बासी चेरिटेबल एंड एजुकेशनल सोसाइटी कैल्सा रोड, अमरोहा, जिला-जेपी नगर	2012-13	बीएड कॉलेज भवन के विस्तार हेतु	1500000
276.	अहसान एजुकेशनल डेवलपमेंट एवं वेलफेयर सोसाइटी कस्बा एंड पोस्टःमुबारकपुर, तहसील सदर जिला आजमगढ़	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के विस्तार हेतु	600000
277.	मोहम्मद हरून एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट उमरी, जिला-बिजनोर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1500000
278.	जफर मेमोरियल गर्ल्स एजुकेशनल सोसाइटी ग्राम एवं पोस्ट-जगनपुर, जिला-फैजाबाद	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1500000
279.	सनरियास पब्लिक स्कूल समिति सी-506, यशोदा नगर, जिला कानपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन के विस्तार हेतु	2500000
280.	फिरासत ग्राम विकास एवं शिक्षा संस्थान, ग्राम देवरिया शुमली, बाजार खास, तहसील सदर, जिला-रामपुर	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1000000
281.	प्रगति माडर्न स्कूल समिति, ग्राम धनौरी तहसील सवार, जिला-रामपुर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन के विस्तार हेतु	800000

1	2	3	4	5
282.	अब्दुल रहमान शिक्षा समिति, ग्राम रामपुर शाहपुर ब्लॉक चंदौस, तहसील, जिला-अलीगढ़	2012-13	मीडिल स्कूल भवन के विस्तार हेतु	800000
283.	गुरू तेग बहादुर एजुकेशनल सोसाइटी, पोवायान रोड, बंदा डी. शाहजहांनपुर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
284.	सिराजे हिंद एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट मुर्की केराकट, जिला-जौनपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1500000
285.	शलश जन कल्याण समिति, ग्राम नर्गादेनपुर, पोस्ट-बराइपुर, जिला-फतेहपुर	2012-13	हाई स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1000000
286.	अब्दुल रशीद समाज सेवा समिति, मिलाक अभाती, पीपीओ, दिलारी, जिला - मुरादाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन के विसतार हेतु	800000
287.	फउंडेशन फोर सोसल केयर, 173/35 दूसरा तल, डॉ. बीएन वर्मा रोड, अमिनाबाद, जिला-लखनऊ-226018	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
288.	लिटिंग नेस्ट पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट-जरगांव, जिला- बाराबंकी-225416	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
289.	मरियन हूर मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट-कोसाइगंज, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्ता	800000
290.	लिन्ह सन बुद्धिस्ट ऑग फाप इंटरमीडिएट कॉलेज सोसाइटी, इम्पेरियल हॉटल के सामने गांव एवं पोस्ट-कुशीनगर, जिला कुशीनगर.274403	2012-13	हाई स्कूल भवन का निर्माण	1000000
291.	वीकर सेक्सन एजुकेशन एंड कॉमन वेलफेयर सोसाइटी, शहर एवं पोस्ट-कुदेरकी, तहसील-बिलारी, जिला-मुरादाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000
292.	मुखिया शब्बिर एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम-वकारपुर अत्यान, पोस्ट-बहेरी ब्रहमा-नान, जिला-मुरादाबाद-244402	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
293.	मुस्लिम फंड कोपागंज, मार्फत हबीब उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मदानी मंजिल, चमन रोड कोपालगंज, घोसी, जिला-मऊ-275305	2012-13	प्रयोगशाला उपकरण एवं कम्प्यूटर की खरीद	140000
294.	इकबाल गफूर पब्लिक स्कूल समिति, मंझोला बिल्लोच, पोस्ट एवं ब्लॉक-नूरपुर, जिला-बिजनोर-246727	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
295.	एआईए एजुकेशनल सोसाइटी, अखतेर भवन, 36, तवेला स्ट्रीट, गोकुलदास डिग्री कालेज के पास, जिला-मुरादाबाद-244001	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	2500000

1	2	3	4	5
296.	नसीरन मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत जनता डिग्री कॉलेज, डाकघर नूरपुर, जिला-बिजनोर-246734	2012-13	छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
297.	सिटिजन केयर एवं उपलिफ्टमेंट फाउंडेशन, मार्फत डिसेंट कोलेजिएट, हुदा तलब पोस्ट-ककोरी जिला लखनऊ	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण	1000000
298.	अब्दुल रूफ खान शिक्षा समिति, मार्फत अब्दुल रूफ खान मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल, ग्राम शर्फाबाद पोस्ट-जराई, जिला-फरूखाबाद-209739	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000
299.	जनता पब्लिक स्कूल समिति मार्फत एचकेएस उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ग्राम उसमानपुर पोस्ट-सुल्तानपुर, जिला-मुरादाबाद-244001	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
300.	एक्ता प्राथमिक विद्यालय समिति, मार्फत अब्दुल हकिम मेमोरियल इंटर कॉलेज, ग्राम सुल्तानपुर मुंडा, पोस्ट-सहासपुर, तहसील-ठाकुर द्वारा जिला-मुरादाबाद	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
301.	मोहाद्दिसे-अजम मिशन स्कूल समिति, किचौचा शरिफ, जिला-अम्बेडकर नगर	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
302.	सुबेदार अलाउद्दीन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, मकान नं.0 17, अबुल फजल एनक्लेव-1, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-1100025	2012-13	जिला-मुजफ्फरपुर, ग्राम हरसोली में नेशनल पब्लिक स्कूल भवन का विस्तार	800000
303.	मुस्लिम एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर एसोसिएशन, मार्फत दुबंद उनानी मेडिकल कॉलेज, मोहल्ला-नया बंस, तलहेरी चुंगी के पास, दुबंद, जिला-सहारनपुर-247554	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
304.	तहिरा बेगम मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी 93/103, बीसीत्र बंकर कॉलोनी, नराई बंध, पोस्ट-मौनाथ-भंजन जिला-मऊ-275101	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	500000
	पश्चिम बंगाल			
305.	मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, 40/4बी, इकबालपुर, लेन, कोलकता	2012-13	50 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	1500000
	योग			402450000

नोट: वर्ष 2010-11 के दौरान कोई सहायता अनुदान मंजूर नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में भ्रष्टाचार

4970. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) में करोड़ों रुपयों के कथित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा इसमें कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है एवं इसमें कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) जी हां, उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध की-गई-कार्रवाई सहित गत पांच वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) में निधियों के गबन वाले कथित प्रष्टाचार और अनियमितताओं क मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए केन्द्रिय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेय दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं एवं निगरानी की जाती है।

विवरण I

(एनटीपीसी में प्राप्त दोषी पाए गए अधिकारियों क विरूद्ध की गई कार्रवाई सहित गत पांच वर्षों के दौन नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) में निधियों के गबन वाले कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा)

क्र.सं.	आरोप	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	श्री स्वतंत्र कुमार ईडी (एचआर) एनटीपीसी के विरूद्ध शिकायत अधिक कीमतों पर निविदा में अनियमितताएं आदि	दिनांक 30.04.2008 को सीवीओ, एनटीपीसी की रिपोर्ट की जांच मंत्रालय में की गई थी और दिनांक 8.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीवीसी को भेजी गई थी। सीवीसी ने दिनांक 13.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से शिकायत को बंद करने की सलाह दी।
2.	गुणवत्ता में भारी गिरावट और लोक सभा सचिवालय से प्राप्त एनटीपीसी कहलगांव के दूसरे चरण में भ्रष्टाचार के कारण करोड़ों रुपए के गबन का आरोप।	दिनांक 3.10.2008 की सीवीओ, एनटीपीसी की रिपोर्ट के आधार पर, वास्तविक सूचना दिनांक 27.2.2009 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से याचिका समिति, लोक सभा को उत्तर भेजने के लिए मंत्रालय के थर्मल विंग को दी गई थी।
3.	एनटीपीसी की बोंगईगांव टीपीएस की स्थापना में श्री आर.एस. शर्मा, सीएमडी एनटीपीसी के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दिनांक 18.7.2009 की शिकायत	सीवीओ, एनटीपीसी ने दिनांक 11.12.2009 के पत्र के माध्यम से मंत्रालय को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट की जांच करने पर यह पाया गया था कि शिकायत में लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है और इन्हें साबित नहीं किया जा सकता। इसे दिनांक 20 जनवरी 2010 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीवीसी को सूचित किया गया था। सीवीसी ने मामले को बंद करने की सलाह दी।
4.	नोएडा में 236 करोड़ रुपये के कुल अनुबंध मूल्य के एनटीपीसी टावर के निर्माण के संबंध में एनआईटी के लिए योग्यता मानदंड तैयार करने में पक्षपातवाद और भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायत।	यद्यपि इस मामले की जांच मंत्रालय में की जा रही थी तथापि सीवीओ एनटीपीसी ने दिनांक 10.02.2011 के पत्र के माध्यम से सूचित किय कि सीवीसी ने दिनांक 12.12.2010 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से मामले को बंद कर दिया है।

1	2	3
5.	सिविल पैकेज के लिए एनटीपीसी तपोवन निविदा में 200-250 करोड़ रुपये का कथित घोटाला।	सीवीओ, एनटीपीसी ने दिनांक 24.09.2010 के पत्र के माध्यम से मामले में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट की जांच करने पर यह पाया गया था कि आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं थे क्योंकि निविदा 3.6.2010 को एनटीपीसी बोर्ड द्वारा दी गई थी, एल-I बोलीदाता का हवाला दिया गया मूल्य अनुमानित लागत से 38.29% (266.57 करोड़ रुपये) अधिक था। रिपोर्ट दिनांक 1.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीवीसी को भेजी गई थी।
6.	बच्चों की शिक्षा पर भारी धनराशि खर्च करने, कारों के क्रय, शेयर एवं संपत्ति में निवेश आदि पर भारी धन खर्च करने का आरोप लगाते हुए श्री पीके भारद्वाज डीजीएम एनटीपीसी के विरूद्ध सूचक की जनहित घोषणा सुरक्षा संकल्प के अंतर्गत सीवीसी से प्राप्त शिकायत।	सीवीसी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, मामले की गंभीर जांच के लिए सीबीआई के साथ इस मामले को उठाने के लिए दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के पत्र के माध्यम से सीवीओ, एनटीपीसी को सूचित किया गया था क्योंकि यह मामला एनटीपीसी के बोर्ड स्तर से नीचे के स्तर के अधिकारी से संबंधित था।
7.	अतिरिक्त सचिव डीओपीटी ने 19.7.2010 के अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से अमेरिकी फर्म ने ढेकों के लिए भारतीय पीएसयू को रिश्वत दी न्याय विभाग से न्यायालय तक के संबंध में दिनांक 8 जुलाई 2010 इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली में छपने वाला आर्टिकल भेजा था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि भेल, एमएसईबी, एनटीपीसी भिलाई इलेक्ट्रिकल तथा स्पिन उद्योग और जे मेहता एंड कंपनी ने कैलीफोर्निया आधारित कन्होल काम्पोनेन्ट इंक (सीसीआई) से रिश्वत प्राप्त की।	मामले की जांच सीवीओ, एनटीपीसी के परामर्श से की गई थी और रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई थी। सीवीओ एनटीपीसी की रिपोर्टों की जांच करने पर यह पाया गया था कि यद्यपि मेसर्स सीसीआई ने एनटीपीसी के अधिकारियों को अपने एजेंटों के माध्यम से कुछ भुगतान करने के बारे में सूचित किया है तथापि, एनटीपीसी अधिकारियों को इस रिश्वत का भुगतान करने के संबंध मे न तो कोई नाम और न ही कोई साक्ष्य मैसर्स सीसीआई द्वारा उपलब्ध करवाया जा सका है। डीओपीटी को सूचित किया गया था कि साक्ष्य के अभाव में मामले को चलाया नहीं जा सकता।
8.	पकरी बरवाडीह कोयला खान की अनुमानित लागत से दोगुनी लागत पर विकास एवं प्रचालन हेतु पैकेज सौपने के लिए श्री आर एस शर्मा, सीएमडी एनटीपीसी के विरूद्ध शिकायत	सीवीओ, एनटीपीसी ने दिनांक 17.1.2011 और 25.02.2011 के पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दी जिसकी मंत्रालय में जांच की गई थी और इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। इसे सीवीओ एनटीपीसी की रिपोर्ट की सहमति से दिनांक 18 अप्रैल, 2011 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीवीसी को भेजा गया था।
9.	269 करोड़ रुपये के एनटीपीसी घोटाले द्वारा बोंगईगांव ताप विद्युत स्टेशन में भ्रष्टाचार	कई शिकायतें प्राप्त की गई थीं। इन शिकायतों पर सीवीओ, एनटीपीसी ने दिनांक 9.5.2011 के पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दी जिसकी जांच मंत्रालय में की गई थी और मंत्रिमंडल सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सीवीसी को भेज दी गई थी। सीवीसी ने दिनांक 5.3.2012 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रणाली की समीक्षा हेतु प्रबंधन के साथ मामले को उठाने की सलाह दी थी। उन्होंने यह भी सलाह दी थी कि मंत्रालय शिकायत के उस भाग की जांच कर सकता है जिसमें यह

1	2	3
		बताया गया है कि श्री विनोद कुमार, जिनका सेल संख्या दिया गया है, श्री चौधरी सीएमडी, एनटीपीसी और पक्षों/ठेकेदारों के बीच दलाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री विनोद कुमार की सेल संख्या की काल डिटेल प्राप्त करने के लिए सीवीओ, एनटीपीसी और दूरसंचार विभाग के साथ मामले को उठाया गया था। सीवीओ, एनटीपीसी और दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि ब्यौरा पदनामित सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सीवीसी को इस मामले को बंद करने के अनुरोध सहित इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।

विवरण II

(एनटीपीसी में प्राप्त दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई सहित गत पांच वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) में निधियों के गबन वाले कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा)

क्रम सं.	आरोप	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	5.67 लाख रुपये की सीमा तक महत्वपूर्ण रिकार्डों की जालसाजी द्वारा नाफ्था की चोरी	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी। विभागीय जांच में न्यूनतम ग्रेड में पदावनति का दंड 7.4.2009 को लगाया गया था।
2.	6.32 लाख रुपये की सीमा तक महत्वपूर्ण रिकार्डों की जालसाजी द्वारा नाफ्था की चोरी	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी विभागीय जांच में न्यूनतम ग्रेड में पदावनति का दंड 7.4.2009 को लगाया गया था।
3.	लगभग 70,23,553 रुपये की सीमा तक कंपनी निधियों का गबन।	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी। बड़े दंड प्रक्रिया प्रगति पर है। जांच अधिकारी 16.7.2012 को नियुक्त किया गया।
4.	मैसर्स जेपी कारपोरेशन को लगभग 29,50,409 की सीमा तक कपटपूर्ण भुगतान जारी करना।	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी। बड़े दंड प्रक्रिया प्रगति पर है। जांच अधिकारी 26.2.2013 को नियुक्त किया गया।
5.	लगभग 18,71,576 रुपये की सीमा तक एनटीपीसी की निधियों का दुरूपयोग	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी। बड़े दंड कार्यवाहियां प्रगति पर है। जांच अधिकारी 25.2.2013 को नियुक्त किया गया।
6.	लगभग 44 लाख रुपये की कीमत के निर्माण स्टील की चोरी।	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी। बड़े दंड कार्रवाहियां प्रगति पर है। प्रबंधक स्तर के एक और अधिकारी को भी विभागीय कार्यवाही हेतु चार्जशीट किया गया है।
7.	20 लाख रुपये की लागत पर किंग्स कालेज, लंदन में अपनी पुत्री की शिक्षा को प्रायोजित करने के लिए एनटीपीसी कोलडैम के उप ठेकेदार से लाभ स्वीकार करना।	बड़ा दंड के लिए विभागीय कार्यवाहियां 28.3.2013 को की गई थी।
8.	कार्यरत ठेकेदार से अवैध पारितोषित के रूप में 'ब्लैकबैरी' मोबाइल फोन की मांग करना।	मुख्य दंड कार्यवाही के लिए विभागीय कार्यवाहियों 8.4.2013 को शुरू की गई। पीसी अधिनियम/आपराधिक कार्यवाहियों के अंतर्गत साथ-साथ मामले को चलाने

1	2	3
		के लिए विश्लेषण हेतु टुथ लैब को आरोपित अधिकारी की आवाज का नमूना और रिकार्ड की गई बातचीत भेजी गई है।
9.	एनटीपीसी, ईओसी के स्टोर से कम्प्यूटर काटरिज कपटपूर्ण रूप से जारी करना।	रिकार्ड योग्य चेतावनी 30.10.2012 को जारी की गई।
	वही	प्रशासनिक कार्यवाही को डीए द्वारा अनुमोदित किया गया।
	वही	लघु दंड कार्यवाहियों को डीए द्वारा अनुमोदित किया गया। मामले की समीक्षा करने और श्री एमसी वर्मा, इंजीनियर (स्टोर) के विरूद्ध बड़े दंड कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए दिनांक 5.2.2013 को फाइल डीए को भेजी गई।
	वही	बड़ा दंड कार्यवाहियों को डीए द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया।

[अनुवाद]

ताप विद्युत संयंत्र

4971. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन के बीच कितना अंतर है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) विद्युत की आनुषंगिक खपत, संयंत्रों के योजित अनुरक्षण और जबरन बंदी जैसे विभिन्न कारकों के कारण विद्युत उत्पादन संयंत्रों की संस्थापित क्षमता का 100% उपयोग संभव नहीं है। संयंत्रों से उत्पादन मांग, ईंधन की उपलब्धता पारेषण बाधाओं एवं यूनिटों की बंदी पर निर्भर करते हुए विद्युत के अपेक्षित कार्यक्रम पर भी निर्भर करता है। हाइड्रो के मामले में, पानी की उपलब्धता भी एक कारक है।

(ग) संस्थापित क्षमता मेगावाट (मे.वा.) में मापी जाती है और किसी वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्र से वास्तविक विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट (एमयू) में मापा जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में संस्थापित क्षमता (मे.वा) और विद्युत संयंत्रों से वास्तविक विद्युत उत्पादन (एमयू) निम्नानुसार है:-

वर्ष	वर्ष की 31 मार्च के अनुसार संस्थापित			वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन # (एमयू)		
	निजी	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी	सार्वजनिक क्षेत्र	
		केन्द्रीय	राज्य		केन्द्रीय*	राज्य
1	2	3	4	5	6	7
2012-13	68859.04	65359.94	89124.62	183963.85	380636.57	347051.89
2011-12	59121.73	54029.43	86725.87	139646.58	369289.17	367952.73

1	2	3	4	5	6	7
2010-11	35449.70	50759.43	87417.28	116139.81	351701.43	343301.55
2009-10	29014.01	47479.43	82905.05	93634.47	329642.47	348273.64

25 मे.वा. तक के स्टेशनों से उत्पादन को छोड़कर।

*भूटान से आयात शामिल है।

(घ) उत्पादन में संभव सीमा तक सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम निम्नलिखित हैं:

* संयंत्र का बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण।
* ताप विद्युत उत्पादन हेतु अधिक कुशल सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी अपनाना।
* पुराने विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।
* अकुशल ताप उत्पादन यूनिटों को रिटायर करना।
* मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।

पनधारा प्रबंधन परियोजनाएं

4972. डॉ. रतन सिंह अजनाला: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पनधारा प्रबंधन परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब में ऐसी परियोजनाओं पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं के भूजल स्तर में वृद्धि के रूप में प्रभाविता की जांच करने के लिए सरकार का कोई विनियमन प्राधिकरण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात् समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) कार्यक्रम को 1995-96 से वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। वर्षा-सिंचित/अवक्रमित क्षेत्रों का विकास करने के लिए उपर्युक्त तीन कार्यक्रमों को 26.02.2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित कर दिया गया है। आईडब्ल्यूएमपी के तहत किए प्रमुख क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ रिज क्षेत्र का निरूपण, नाली लाइन का निरूपण, मृदा तथा नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, पौध-रोपण, बागवानी, चरागाह का विकास करना, सम्पत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि की व्यवस्था करना शामिल है।

(ख) 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार, आईडब्ल्यूएमपी पर 14.04 करोड़ रुपये तथा आईडब्ल्यूडीपी पर 23.30 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी है। पंजाब में डीपीएपी तथा डीडीपी के तहत किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गयी है।

(ग) और (घ) देश में भू-जल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन से, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के प्रमुख केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के अध्यक्ष हैं और इसमें भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/संस्थाओं के 14 अन्य सदस्य हैं। सीजीडब्ल्यूए वाटरशेड प्रबंधन परियोजनाओं के भू-जल स्तर में वृद्धि करने की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए किसी भी शक्ति/विनियामक उपायों का प्रयोग नहीं करता है। सीजीडब्ल्यू निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है और कार्य करता है:

(i) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) में उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में निर्देश जारी करने और ऐसे उपाय करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करना।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 15 से 21 में समाविष्ट दाण्डिक उपबंधों का प्रयोग करना।

(iii) देश में भू-जल के प्रबंधन तथा विकास को विनियमित तथा नियंत्रित करना और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विनियामक निर्देश जारी करना।

(iv) अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करना।

इस दोहन की गंभीरता को देखते हुए तथा भू-जल के और आगे दोहन को रोकने के उद्देश्य से भू-जल के निवर्तन को विनियमित करने के लिए सीजीडब्ल्यूए द्वारा कुछ बहुत ही अधिक दोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाता है। सीजीडब्ल्यूए ने भू-जल विकास के विनियमन के प्रयोजन से देश में अभी तक 162 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन सुविधाएं

4973. श्री सज्जन वर्मा:
श्री सोहन पोटाई:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए विपणन सुविधाएं (ग्रामीण हाट) उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस योजना के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) सरकार ने वर्ष 2009 के दौरान एसजीएसवाई के तहत ग्रामीण हाट की स्थापना के लिए एक योजना (स्कीम) शुरू की है, जो ग्रामीण कलाकारों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। योजना के तहत, सरकार राज्यों को प्रति जिला 3 की दर से ग्रामीण हाट के सृजन के लिए 15 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराती है। केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच उक्त राशि को 75:25 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में) के अनुपात में बांटा जाएगा।

योजना के प्रारंभ से अब तक 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों में 1647 ग्रामीण हाट को निधियां जारी की गई हैं।

ग्रामीण हाट को जारी की गई निधियों, पहली तथा दूसरी किश्त का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण हाट के संबंध में जारी की गई निधि की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	डीआरडीए का नाम (गैर पूर्वोत्तर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	डीआरडीए की संख्या	बीएच की संख्या	रिलीज की गई किश्तें		
				पहली किश्त 5.625 रुपये लाख प्रति वीएच	दूसरी किश्त 5.625 रुपये लाख प्रति वीएच	जारी की गई दूसरी किश्त की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	22	66	371.250	0.000	0
2.	बिहार	29	87	489.375	236.250	42
3.	छत्तीसगढ़	16	48	270.000	236.250	42
4.	गोवा	1	3	16.875	0.000	0
5.	गुजरात	25	75	421.875	32.825	6
6.	हरियाणा	20	60	337.500	0.000	0

1	2	3	4	5	6	7
7.	हिमाचल प्रदेश	12	35	202.500	95.625	17
8.	जम्मू और कश्मीर	9	27	151.875	0.000	0
9.	झारखंड	22	66	371.250	253.125	45
10.	कर्नाटक	29	87	489.375	0.000	0
11.	केरल	14	42	236.250	151.180	27
12.	मध्य प्रदेश	48	144	810.000	438.750	78
13.	महाराष्ट्र	33	99	556.875	217.627	39
14.	ओडिशा	30	90	506.250	438.750	78
15.	राजस्थान	32	969	540.000	67.500	12
16.	पंजाब	20	60	337.500	185.625	33
17.	तमिलनाडु	30	90	506.250	135.000	24
18.	उत्तर प्रदेश	69	208	1181.250	888.129	158
19.	उत्तराखंड	13	39	219.375	84.375	15
20.	पश्चिम बंगाल	16	48	270.000	16.875	3
21.	पुदुचेरी	1	3	22.500	0.000	0
	कुल	491	1473	8308.125	3477.886	618
	डीआरडीए का नाम (पूर्वोत्तर राज्य)			पूर्वो.राज्य के लिए पहली किश्त 6.75 लाख रु. प्रति वीएच	पूर्वो. राज्य के लिए दूसरी किश्त 6.75 लाख रु. प्रति वीएच	जारी की गई दूसरी किश्त की संख्या
1.	अरूणाचल प्रदेश	5	15	101.250	60.147	9
2.	असम	27	81	546.750	222.750	33
3.	मणिपुर	1	3	20.250	20.250	3
4.	मेघालय	1	3	20.250	20.250	3
5.	मिजोरम	8	24	162.000	162.000	24

1	2	3	4	5	6	7
6.	नागालैंड	11	33	222.750	121.500	18
7.	सिक्किम	1	3	20.250	0.000	0
8.	त्रिपुरा	4	12	81.000	20.250	3
	कुल	58	174	1174.500	627.147	93
	कुल योग	549	1647	9482.625	4105.033	711

[अनुवाद]

मुसलमानों का प्रतिनिधित्व

4974. श्री अब्दुल रहमान: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुसलमान सभी अधिसूचित अल्पसंख्यकों का 73% हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त आयोग में मुसलमानों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3 में उल्लेख है कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्य एवं सत्यनिष्ठा व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा, बशर्ते कि अध्यक्ष सहित पांचों सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होंगे।

कार उत्पादन में कमी

4975. श्री अशोक तंवर: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल-नवंबर, 2012 के दौरान वर्ष 2011 के दौरान इसी अवधि के मुकाबले पैसेंजर कार उत्पादन घटकर एक प्रतिशत रह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के अनुसार पैसेंजर कार उत्पादन पिछले 10 वर्षों से 17% की दर से बढ़ रहा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को ऑटोमोटिव मिशन प्लान (2006-2016) द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों की जानकारी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पैसेंजर कार उत्पादन बढ़ाने के लिए नयी विदेश व्यापार नीति द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। सेसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के अनुसार, अप्रैल-नवंबर, 2012 के दौरान पैसेंजर कार उत्पादन वर्ष 2011 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में मामूली रूप से प्रतिशत घटा है। अप्रैल-नवम्बर, 2011 और 2012 के दौरान पैसेंजर कार उत्पादन की संख्या क्रमश: 15,75,777 और 15,91,911 थी।

(ग) जी, हां। 2011-12 तक पैसेंजर कारों की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 17% थी। हालांकि, 2012-13 में बाजार में गिरावट आई और इसलिए पिछले 10 वर्षों की सीएजीआर गिरकर 15.86% रह गई।

(घ) पिछले 10 वर्षों का उत्पादन और वृद्धि दर का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	उत्पादन (संख्या में)	वृद्धि दर (%)
2002-03	557410	11.41
2003-04	782562	40.39
2004-05	960487	22.74
2005-06	1046133	8.92
2006-07	1238021	18.34
2007-08	1426212	15.20
2008-09	1516967	6.36
2009-10	1932620	27.40
2010-11	2453097	26.93
2011-12	2537170	3.43

पैसेंजर कारों की ऊंची वृद्धि दर के कारण निम्नवत हैं:

(i) ऑटोमोटिव मिशन प्लान (2006-16) क अंतर्गत आयात नीति, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और उत्पाद शुल्क नीति सहित सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप।

(ii) उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में बढ़ोत्तरी।

(iii) आसानी से धन की उपलब्धता।

(iv) शहरीकरण के कारण अधिक गतिशील होने की आवश्यकता।

(ङ) जी, हां।

(च) ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16 में ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जों के क्षेत्र के दीर्घकालिक एवं सतत आधार पर विस्तृत समर्थन और विकास की परिकल्पना की गई है।

(छ) पैसेंजर कार का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई विदेश व्यापार नीति में कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं करया गया है।

उद्भवन केन्द्र

4976. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमशीलता के लिए विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के इच्छुक उद्यमियों के लिए अलग से एक उद्भवन और प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'इनक्युबेटरों के माध्यम से एसएमई के उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता' की योजना के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार नए विचारों और उनके तदनंतर वाणिज्यीकरण के विकास में सहायता देने के लिए विभिन्न अकादमिक संस्थानों में इनक्युबेशन केन्द्रों को बिजनेस इनक्युबेटर के रूप में मान्यता प्रदान कर रही हैं वर्ष 2012-13 तक सरकार ने 102 अकादमिक संस्थानों को बिजनेस इनक्युबेटर के रूप में मान्यता प्रदान की है। अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार ने 12वीं योजना के शेष 4 वर्षों में प्रति वर्ष 25 अकादमिक संस्थानों को बिजनेस इनक्युबेटर के रूप में मान्यता देने का लक्ष्य रखा है।

तिपाईमुख बांध परियोजना

4977. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य सही है कि तिपाईमुख बांध परियोजना में विलंब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए बांग्लादेश की ओर से कोई आपत्ति दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) तिपाईमुख बांध परियोजना को 02.07.2003 को विद्युत मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति दे दी गई है। तथापि, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से वन अनापत्ति लंबित रहने के कारण परियोजना का निर्माण अभी आरंभ नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) बांग्लादेश का विचार है कि परियोजना से उनके क्षेत्र में प्रतिकूल असर पड़ सकता है और उनके क्षेत्र मे परियोजना के प्रभाव और इसके आकलन हेतु अध्ययन के लिए सलाह देने हेतु एक संयुक्त उपसमूह की आवश्यकता है।

(ङ) भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार को आश्वस्त कराया है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे बांग्लादेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और बांग्लादेश द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, बांग्लादेश क्षेत्र में परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए संयुक्त नदी आयोग के अंतर्गत तिपाईमुख बांध परियोजना के विषय में एक उप-समूह बनाया गया है। उप-समूह की अगस्त, 2012 में नई दिल्ली में और फरवरी, 2013 में ढाका में, दो बैठकें हो चुकी है। दोनों पक्ष इस संबंध में हुई प्रगति से संतुष्ट हैं।

उच्च न्यायालयों की खंडपीठ

4978. श्री महेन्द्र कुमार राय: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट ब्रांच की जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल में स्थापना किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसे जिला परिषद् बंगले में स्थापित किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सर्किट ब्रांच को स्थापित करने के लिए एक नये भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) कलकत्ता उच्च न्यायालय के पांच (5) न्यायाधीशों के समूह ने सर्किट न्यायपीठ आरंभ करने के लिए अस्थायी के साथ-साथ स्थायी दोनों की अवसंरचना की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए जलपाईगुड़ी का दौरा किया है। उनका निर्धारण यह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई अस्थायी अवसरंचना, सर्किट न्यायपीठ के लिए यहां तक कि न्यायधीशों की न्यूनतम संख्या और उनके लिए अपेक्षित कर्मचारीवृंद की देखभाल के लिए भी पर्याप्त नहीं है। आवासीय सुविधाएं भी यहां तक कि स्वीकृत कर्मचारिवृंद के लिए वास्तविक अपेक्षित संख्या को छोड़ भी दें तो उनकी मंजूर संख्या के लिए भी अपर्याप्त हैं।

सर्किट न्यायपीठ के लिए नए स्थायी भवन के संनिर्माण के लिए केवल परिसीमा दीवार का ही संनिर्माण किया गया है। मुख्य न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के आवासीय बंगलों का कार्य आरंभ नहीं हुआ है। न्यायपीठ की स्थापना, न्यायपीठ के प्रचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी।

सर्किट न्यायपीठ के लिए निधियां, पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

एजेंटों द्वारा उर्वरक राजसहायता का दुरुपयोग

4979. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरक एजेंटों द्वारा उर्वरक राजसहायता का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) कृषि उपयोग के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए उर्वरकों के कथित विपणन, काला-बाजारी आदि को देखते हुए उर्वरक राजसहायता के दुरूपयोग की रिपोर्ट हैं, परन्तु राज्य सरकारों द्वारा उनकी पुष्टि नहीं की र्ग है।

(ग) उर्वरक कंपनियों द्वारा राजसहायता के किसी प्रकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय पहले ही विद्यमान हैं:-

(i) राजसहायता भुगतानों की निगरानी वेब आधारित ऑन लाइन उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के जरिए की जाती है जिसके अंतर्गत कंपनियों को दैनिक आधार पर कच्ची सामग्री की खरीद, उत्पादन, खपत, बिक्री आदि संबंधी आंकड़े अपलोड करना अपेक्षित होता है। उर्वरक कंपनियों को प्रत्येक माह के लिए एफएमएस में राजसहायता बिल सृजित करना अपेक्षित होता है।

(ii) राजसहायता बिलों की अंतिम रूप से केवल तभी मंजूर किया जाता है जब उन राज्य सरकारों द्वारा जारी विहित प्रपत्र-ख मिल जाता है जिसमें उर्वरकों की गुणवत्ता के अलावा उस राज्य में उर्वरकों की मात्रा की प्राप्ति और बिक्री का प्रमाणन किया गया है, जहां राजसहायता प्राप्त उर्वरक प्राप्त/बिक्री किए गए हो।

(iii) राज्य सरकारों की आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी, उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करने पर रोकथाम/दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

(iv) उर्वरक विभाग ने राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी है/सचेत किया है कि वे कदाचारियों, यदि कोई हों, के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रवर्तन एजेंसियों को तैयार करें।

रेलवे की आय

4980. श्री के. शिवकुमार *उर्फ* **जे.के. रितीश:**
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान रेलवे की शुद्ध आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भाड़ा प्रभारों में वृद्धि और यात्री किरायों में आंशिक वृद्धि के बावजूद रेलवे की आय उसके लक्ष्यों से कम हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार बाजार और/या सरकार से कुछ धन उधार लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलत्रे द्वारा लिए गए ऐसे ऋणों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय रेलों की आमदनी (अनंतिम) निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	संशोधित अनुमानित लक्ष्य	अनंतिम अनुमान	आधिक्य/कमी
(i)	यात्री	32,500	31,321	-1179
(ii)	अन्य कोचिंग	3083	3049	-34
(iii)	माल	85956	84862	-1094
(iv)	अन्य खुदरा आमदनी	4096	4141	+45
(v)	सकल आमदनी	125635	123373	-2262

यात्री क्षेत्र में कमी मुख्यत: कम प्रारंभिक यात्रियों और विविध श्रेणी के कारण है। माल क्षेत्र मे लदान लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया गया है, जबकि आमदनी में कमी औसत गमन में गिरावट और मिश्रित पण्यों के कारण है।

(घ) और (ङ) जी हां। रेलवे का 2013-14 के दौरान बाजार से 15103 करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव है। विगत तीन वर्षो के दौरान बाजार से लिए गए इस प्रकार के उधार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
2010-11	9780
2011-12	4790
2012-13 (संशोधित अनुमान)	15000

इसके अलावा, 2011-12 के दौरान सामान्य राजस्व से 3000 करोड़ रुपये ऋण भी लिया गया जिसे 2012-13 के दौरान ब्याज पूर्ण रूप से चुका दिया गया है।

छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए सीधे नकद अंतरण

4981. श्री एंटो एंटोनी:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के चयनित जिलों में तीन छात्रवृत्ति योजनाओं में आधार संख्या के आधार पर सीधे नकद अंतरण को कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत सीधे नकद अंतरण का लाभ प्राप्त करने के लिए अब तक कितने लाभार्थियों ने बैंक खाते खुलवा लिए हैं;

(घ) क्या आधार द्वारा कवर न किए जाने के कारण कई लाभार्थी सीधे नकद अंतरण प्राप्त करने में असमर्थ हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिन्हें अभी आधार संख्या मिलनी बाकी है, उन्हें सीधे नकद अंतरण का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) और (ख) जी नहीं, किन्तु सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) दो छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना तथा एक अध्येतावृत्ति योजना अर्थात मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना डीबीटी के प्रथम चरण में देश के 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों में शुरू की गई हैं। लाभार्थियों की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

योजना का नाम	राज्यों की संख्या	जिलों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या	बैंक खाता सहित कुल लाभार्थियों की संख्या	बैंक खाता एवं आधार सं. सहित कुल लाभार्थियों की संख्या
मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	16	43	3538	3538	1343
मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	16	43	46834	46673	19362
मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	16	43	77	77	6

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का लाभ प्राप्त करने के लिए अब तक लाभार्थियों द्वारा खोले गए बैंक खातों की संख्या निम्नानुसार है:-

योजना का नाम	कुल लाभार्थियों की संख्या	बैंक खाता सहित लाभार्थी
मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	3538	3538
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	46834	*46673
मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	77	77

*क्योंकि यह मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन है, इसे 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए वैकल्पिक रखा गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। प्रत्यक्ष नकद अंतरण, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति के भुगतान/अंतरण हेतु अभिज्ञात इस मंत्रालय की सभी तीन योजनाओं के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मौलाना, आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना में पात्र संस्तुत छात्रों/उम्मीदवारों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाता है।

इसलिए, इस वित्तीय वर्ष अर्थात् 2012-13 में आधार संख्या को ध्यान में रखे बिना राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/यूजीसी द्वारा लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में लाभों का सभी अंतरण कर दिया गया है। इसे इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रभावी किया गया है।

वृहत् विद्युत परियोजनाएं

4982. श्री पी.आर. नटराजनः
श्रीमती श्रुति चौधरीः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में विशेषकर तमिलनाडु में वृहत् विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है)

(ग) क्या ये परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और इनके द्वारा विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इनको शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजना-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्यों को इन परियोजनाओं से 50 प्रतिशत विद्युत मिलेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) भारत सरकार ने 4000 मेगावाट प्रत्येक की क्षमता वाले कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) के विकास के लिए एक नई पहल की थी। देश के विभिन्न भागों में सोलह यूएमपीपी की पहचान की गई है। इनमें से दो यूएमपीपी की पहचान तमिलनाडु में स्थापित किए जाने के लिए की गई है। अब तक, अन्तर्राष्ट्रीय प्रशुल्क पर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित विकासकर्ताओं को चार यूएमपीपी का कार्य सौंपा गया है। मुद्रा यूएमपीपी पूरी तरह से चालू हो गया है और बिजली का उत्पादन कर रहा है। सासन यूएमपीपी की पहली यूनिट को मार्च, 2013 में सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। सासन यूएमपीपी की अन्य इकाइयां तथा केवल तिलैया यूएमपीपी की अंतिम इकाई छोड़कर जो कि 13वीं योजना में संभावित है, कृष्णापट्टनम और तिलैया यूएमपीपी की समस्त इकाइयों के 12वीं योजना में चालू किए जाने की संभावना है। अन्य यूएमपीपी विकास के विभिन्न चरणों में है और इन परियोजनाओं को विकासकर्ताओं को सौंपे जाने के पश्चात इन यूएमपीपी को चालू करने का कार्यक्रम दिया जा सकेगा। विभिन्न यूएमपीपी के परियोजना-वार और राज्य-वार विद्युत उत्पादन क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) ओडिशा को राज्य में प्रस्तावित दो अतिरिक्त यूएमपीपी से 50% विद्युत मिलेगी और आंध्र प्रदेश को द्वितीय यूएमपीपी से 50% विद्युत मिलेगी तथा महाराष्ट्र में प्रस्तावित यूएमपीपी से 50% विद्युत महाराष्ट्र को मिलेगी।

विवरण

क. सौंपे गए यूएमपीपी

क्र.सं.	यूएमपीपी	प्रस्तावित क्षमता (मे.वा.)	स्थान	स्थिति
1	2	3	4	5
		मध्य प्रदेश		
1.	सासन (6×660	6×600=3960	जिला सिंगरौली, में सासन	परियोजना दिनांक 7.8.2007 को मैसर्स रिलायन्स पाव लिमिटेड को अवार्ड की गई और अंतरित की गई। परियोजना निर्माण के अंतिम चरणों में है और इसकी

1	2	3	4	5
				पहली इकाई को 09.03.2013 को शुरू किया गया और मई, 2013 में सीओटी प्राप्त हो जाने की आशा है। ऐसी आशा है कि अंतिम इकाई अप्रैल, 2016 में सीओडी प्राप्त कर लगी।
			गुजरात	
2.	मुन्द्रा (5×800 मेगावाट)	5×800=4000	जिला कच्छ, में टुण्डावन्द गांव में मुन्द्रा	परियोजना दिनांक 24.4.2007 को मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और अंतरित की गई। मुद्रा यूएमपीपी की सभी 5 इकाईयां शुरू हो चुकी है। मुद्रा यूएमपीपी को पूरी तरह से पणिज्यि रूप से प्रचालनात्क हो गई है।
			आंध्र प्रदेश	
3.	कृष्णापट्टनम (6×660 मेगावाट)	6×660=3960	जिला नेल्लौर में कृष्णापट्टनम	परियोजना दिनांक 29.01.2008 को मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को अवार्ड की गई और अंतरित की गई। इंडोनेशिया में नई कोयला मूल्य निर्धारण के विनियमन का हवाला देते हुए आरपीएल ने स्थल पर कार्य करना बंद कर दिया है। 15.03.2012 को कोस्टल आंध्र पावर लिमिटेड (सीएपीएल), जो एक रिलायंस पावर कंपनी है को प्रापणकर्ताओं ने टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया था। सीएपीएल ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, से संपर्क किया। न्यायालय ने सीएपीएल की याचिका खारिज कर दी है। सीएपीएल अब डिवीजन बेंच, दिल्ली उच्च न्यायालय और भारतीय मध्यस्थता काउंसिल से संपर्क किया है। यह मामला न्यायाधीन है।
			झारखंड	
4.	तिलैया (6×660	6 × 660=3960	हजारीबाग तथा कोडरमा जिले में तिलैया गांव के निकट	परियोजना 7.8.2009 को मैसर्स रिलायन्स पावर लिमिटेड को अवार्ड की गयी और अंतरित की गयी। संयंत्र का निर्माण कार्य रूका हुआ है क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि नहीं सौंपी गई।
	ख. अन्य यूएमपीप			
			ओडिशा	
5.	बेदाबहल	सुन्दरगढ़ जिला, के निकट	ओडिशा में बेदाबहल	परियोजना के विकासकर्ता का चयन करने के लिए अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) बोलियां 1 अगस्त, 2011 को प्राप्त हुई हैं। एसबीडी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किए जाने हैं।

1	2	3	4	5
6.	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	तटीय स्थान के लिए भद्रक जिला के तहसील चांदबली में बिजोंय पाटना में स्थल की पहचान कर ली गई है।		
7.	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	भूमि इनलैंड लोकेशन के लिए कालाहांडी जिला के उप डिवीजन नारला और कसिंगा में स्थल की पहचान कर ली गई है।		
			छत्तीसगढ़	
9.	तमिलनाडु	गांव चेययूर, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु		स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है। मानक बोलीं दस्तावेज)एसबीडी) में संशोधन किए जाने के बाद आरएफक्यू जारी किया जाएगा।
10.	तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है		
			आंध्र प्रदेश	
11.	आंध्र प्रदेश का दूसरा यूएमपीपी	गांव न्यूनिपल्ली, जिला प्रकाशम आन्द्रप्रदेश		आरएफक्यू-पूर्व चरण में है।
			झारखंड	
12.	झारखंड का दूसरा यूएमपीपी	हुसैनाबाद, देवधर जिले में स्थल चिह्नित किया गया है।		
			गुजरात	
13.	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी	अंतिम रूप नहीं दिया गया है।		
			कर्नाटक	
14.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने दक्षिण कन्नड जिलों में मैंगलोर तालुका के ग्राम निद्डोडी में उपयुक्त स्थल की पहचान कर ली है।		
			महाराष्ट्र	
15.	महाराष्ट्र	अंतिम रूप नहीं दिया गया है।		
			बिहार	
16.	बिहार	बांका जिला में ककवाडा में स्थल की पहचान की गई है।		

ट्रेनों में सुरक्षा

4983. श्री सुल्तान अहमदः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रात्रि काल में सवारी डिब्बों में सुरक्षा में सुधार लाने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या रेलवे का विचार इस संबंध में सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समस्त रेलवे नेटवर्क में रूटरिले इंटरलॉकिंग कार्य पूरा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): ट्रेनों में सुरक्षा के संबंध में दिनांक 25.04.2013 को लोक सभा में श्री सुल्तान अहमद द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 4983 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने सहित चलती गाड़ियों के साथ-साथ रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसा निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) क माध्यम से करती है। बहरहाल, रेलवे सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गाड़ियों के मार्गरक्षण के लिए अपने कर्मचारियों को तैनात करके राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों में सहायता करती है और महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण ड्यूटियां करती है।

यात्रियों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:-

1. विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा प्रतिदिन 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, भेद्य और चिह्नित मार्गों/खडों पर प्रतिदिन औसतन 1275 गाड़ियों का मार्गरक्षण रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया जाता है।

2. 202 संवेदनशील और भेद्य रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमा नेटवर्क के माध्यम से संवेदनशील स्टेशनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, एक्सेस कंट्रोल, तोड़फोड़ निरोधक जांचों से युक्त एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली अनुमोदित की गई है।

3. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं के बारे में सूचित करने के लिए यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए कुछ क्षेत्रीय रेलों के जोनल कंट्रोल रूम में सुरक्षा हैल्प-लाइन नंबर स्थापित किए गए हैं। ये सुरक्षा हैल्प-लाइन नंबर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों ओर गाड़ियों के सवारी डिब्बों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली जगहों पर डिस्पले किए गए हैं।

4. राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपराधों के समुचित पंजीकरण और जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलिस के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ख) और (ग) सवारी डिब्बों मं सीसीटीवी कैमरे लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। बड़े आमान वाले 6189 इंटरलॉक किए गए स्टेशनों में से, प्रमुख जंक्शन स्टेशनों पर रूट रिले इंटरलॉकिंग (आरआरआई) लगाए गए हैं जबकि वे साईट स्टेशनों पर पैनल इंटरलॉकिंग (पीआई)/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) लगाए गए हैं। भरतीय रेलों में अभी तक 267 स्टेशनों पर आरआरआई, 4179 स्टेशनों पर पीआई और 614 स्टेशनों पर ईआई लगाए गए हैं।

एमएफएमएस का कार्यान्वयन

4984. श्री शिवराम गौडाः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मोबाइल फर्टिलाइजर मॉनीटरिंग सिस्टम (एमएफएमएस) को केवल कुछ ही राज्यों में कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार इसे पूरे देश में कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उर्वरक क्षेत्र पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) केन्द्र सरकार एमएफएमएस: मोबाइल आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन में चरणबद्ध दृष्टिकोण अपना रही है। वांछित लाभार्थियों को उर्वरक राजसहायता के सीधे वितरण के लिए सरकार का दृष्टिकोण निम्न प्रकार है:

(i) चरण-I: खुदरा व्यापारी स्तर तक सूचना दिखाई देना, जिसमें मोबाइल आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली (एमएफएमएस) ने सूचित खुदरा पावतियों की सूचना के आधार पर उत्पादकों को आंशिक (उर्वरक ग्रेडों के संदर्भ में शेष 5-15%) राजसहायता का वितरण किया जाता है।

II. चरण-II: मोबाइल आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली (एमएफएमएस) में दर्ज खुदरा डीलरों द्वारा उर्वरकों की बिक्री की सूचना के आधार पर विनिर्माताओं को राजसहायता की आंशिक अदायगी।

III. चरण-III: खुदरा ग्राहकों को, उनके द्वारा खरीदे गए उर्वरकों के आधार पर, राजसहायता की अदायगी।

IV. चरण-IV: किसानों को, उन्हें की गई बिक्री के ब्यौरे के आधार पर, राजसहायता की अदायगी।

चरण-I (एमएफएमएस: मोबाइल आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली) पूरे देश में खुदरा व्यापारी स्तर तक सूचना की दृश्यता के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के जरिए उर्वरक विाग द्वारा विकसित कराया गया है। देश भर में इसे पंजीकृत उर्वरक उत्पादकों (116), थोक विक्रेताओं (22 हजार) तथा खुदरा व्यापारियों (1.90 लाख) के बीच फैलाकर स्थिर बनाया जा रहा है।

चरण-II के दौरान, किसानों को की गई उर्वरकों की बिक्री की सूचना दर्ज की जाएगी। आंकड़े एकत्र करने वाली विभिन्न प्रणलियों जैस वेब, मोबाइल और पीओएस आदि का इस्तेमाल करके चयनित 12 जिलों में प्रायोगिक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रायोगिक योजना के कार्यान्वयन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा।

(ग) से (ङ) जी हा, सरकार एमएफएमएस के सभी चरणों को पूरे देश में कार्यान्वित करना चाहती है। एमएफएमएस चरण-I कार्यान्वयन के अंतिम परिणाम के रूप में लेनदेन के प्रत्येक बिंदु अर्थात् कंपनियों (राज्य/जिला स्तर), थोक विक्रेताओं (जिला स्तर) और खुदरा व्यापारी (ग्राम स्तर) पर उर्वरक आपूर्ति/स्टॉक की सूचना को पूरे देश में एमएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन देखा जा सकेगा।

एमएफएमएस का अंतिम लक्ष्य किसानों को की गई बिक्री के ब्यौरे के आधार पर उन्हें किए गए राजसहायता भुगतान को दिखाना है।

[हिन्दी]

कम सिंचाई सुविधा वाले राज्यों हेतु परियोजनाएं

4985. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार मध्य प्रदेश जैसे राज्यों, जिनके पास सिंचाई सुविधाओं का प्रतिशत कम है, को सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने में वरीयता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ख) संघ सरकार, चालू परियोजनाओं को पूरा करने के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। एआईबीपी के दिशा-निर्देशों में दिसम्बर 2006 में किए गए नवीनतम संशोधनों के अनुसार, इस शर्त के कि एक जारी परियोजना को एआईबीपी के अंतर्गत एक नई परियोजना के सम्मिलित होने से पहले समाप्त करना है, उन परियोजनाओं को छूट दी गई है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्नतर सिंचाई विकास वाले राज्यों को लाभान्वित कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर एआईबीपी के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी ग्राम

4986. श्री उदय सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधाान परिषद् (सीएसआईआर) ने नवीनतम प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वित करने और उनके उपयोग तथा लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और ऐसी प्रौद्योगिकियों जिनसे लोगों को कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता मिले, की पहचान करने के लिए अपने वैज्ञानिकों

को गांवों में भेजने के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रें और छोटे कस्बों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिषद् गांवों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में प्रौद्योगिकी ग्राम की स्थापना भी कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी 11वीं और 12वीं योजनावधियों का ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश के ग्रामीण लोगों की आर्थिक उन्नति में यह किस हद तक सहायक होगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) देश में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी ज्ञानाधार उपलब्ध कराती रही है। सीएसआईआर की 'सीएसआईआर-800' नामक स्कीम आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर स्थित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, रीनसता को समाप्त करने और उनी आय में वृद्धि करने हेतु वांछित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अंतराक्षेप उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है। इस स्कीम के माध्यम से सीएसआईआर प्रौद्योगिकी-समर्थित गांव (टेकविल) पहल आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर स्थित एक मिलियन लोगों के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकीय अंतराक्षेप उपलब्ध कराने, उनके कौशल विकास एवं उन्नयन से संबंधित स्कीम है।

सीएसआईआर रोजगार सृजन को एवं आय में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए गांवों को अपनाता रहा है। इस प्रकार इसने समुदाय प्रतिभागिता के माध्यम से उत्तरांचल में जिरेनियम और जम्मू एवं कश्मीर में लेवेण्डर की वाणिज्यिक कृषि को उत्प्रेरित किया है। इन आद्योपान्त (एंड टू एंड) मिशनों में किसानों को न केवल जिरेनियम और लेवेण्डर् की कृषि में अपितु तेल के निष्कर्षण में भी प्रशिक्षित किया गया है, परिणामस्वरूप उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से सीएसआईआर ने मेंथा की महत्वपूर्ण किस्मों के विकास और बृहत मात्रा में कृषि हेतु उनके प्रचार के प्रयास किए हैं इन प्रयासों से भारत का आर्थिक विकास हुआ है और भारत मेंथॉल मिंट तेल के उत्पादन और निर्यात में विश्व में नेतृत्व की स्थिति हासिल कर पाया है।

सीएसआईआर ने मिजोरम (आइजोल) तथा अरुणाचल प्रदेश (पाशीघाट) में पश्च-फसल कन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र इस क्षेत्र में स्थानीय किसानों की उनके कृषीय उत्पादों में मूल्यवर्धन हेतु सहायतार्थ केन्द्रित हैं। इन केन्द्रों में अदक, इलायची, हल्दी, मिर्ची आदि के अत्यधिक दक्ष शुष्कन और प्रक्रमण के लिए प्रौद्योगिकी मौजूद है। सीएसआईआर के ये पश्च-फसल प्रौद्योगिकी केन्द्र आय में वृद्धि करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता प्रदान करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु लक्षित सीएसआईआर के प्रौद्योगिकी विकास प्रयासों के निम्नवत परिणाम निकले हैं (i) संघीय उद्योग के सृजन के माध्यम से कश्मीर घाटी के लोगों का सशक्तीकरण, पादप उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए बायो-इनोकुलैंट्स का विकास हुआ है और राज्य सरकार के साथ भागीदारी करते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों में बड़े पैमाने पर इसका प्रचार-प्रसार किया गया है (ii) मशरुम प्रौद्योगिकी के विकास और इसके अंतरण एवं प्रशिक्षण से उत्तर-पूर्वी राज्यों में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक लाभ मिले हैं, (iii) मणिपुर की महिला उद्यमियों के आर्थिक विकास के लिए जातीय उत्पादों का विकास एवं उनका प्रोत्साहन।

सीएसआईआर ने ग्रेनाइट सिरामिट टाइलों में यूक्रेन क्ले के देसी प्रतिस्थापक का विकास किया है जिससे यूक्रेन क्ले की आवश्यकता 20% से घट कर लगभग 1% रह गई है जिससे विदेशी माल के आयात और संबंधित लागतों में कमी आई है। इससे गुजरात में बड़ा ार्थिक अंतर आया है और इससे लघु और मझौले उद्यम लाभान्वित हुए हैं।

गत वर्षों में सीएसआईआर ने निम्नवत हेतु प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं:- खाद्य एवं खाद्य संसाधन, भवन एवं निर्माण, जल को पीने योग्य बनाने हेतु उसकी गुणवत्ता मे वृद्धि; पर्यावरण एवं स्वच्छता, आर्थिक पादपों की कृषि एवं प्रक्रमण; ग्रामीण सड़कें; कृषि मशीनरी; सौर रिक्शा (सोलेक्शा), चर्म, पोंटरी आदि। इन विकसित प्रौद्योगिकियों का अनेक राज्यों में लाभदायक रूप से उपयोग किया गया है और लक्षित गांवों और छोटे कस्बों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक विकास में सुधार लाने में इनका योगदान रहा है।

सीएसआईआर सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के प्रौद्योगिकीय आधार में वृद्धि करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अंतराक्षेप उपलब्ध कराने के लिए नेशनल इनोवेशन काउंसिल (NiNC) के साथ भागीदारी कर रहा है। सीएसआईआर ने स प्रयोजनार्थ छ: क्लस्टरों को अपनाया है। ये हैं (i) आम क्लस्टर, कृष्णागिरी, (ii) पीतल क्लस्टर, मुरादाबाद, (iii) बांस क्लस्टर, अगरतला, (iv) ऑटो क्लस्टर, फरीदाबाद; (v) आयुवेद क्लस्टर, त्रिशूर; और (vi) जीव विज्ञान क्लस्टर, अहमदाबाद। इस सुकेन्द्रित प्रयास के भाग के रूप में, सीएसआईआर ने आम क्लस्टर, कृष्णागिरी के लिए कृष्णागिरी आमों की भंडारण आयु को 7 दिनों से बढ़ाकर 35 दिन करने` लिए एक प्रोटोकॉल विकसित किया है; मुरादाबाद के पीतल के साजो सामान को चीन में बने

उत्पादों से अधिक चमक देने के लिए एक लैंकर विकसित किया गया है; और अगरतला बांस क्लस्टर के लिए अगरबत्तियां बनाने के लिए जिगेट बाइंडिंग पदार्थ के सस्ते विकल्प का विकास किया गया है। ये वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अंतराक्षेप लक्षित एमएसएमई क्लस्टरों के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। सीएसआईआर-800 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के फोकस वाले क्षेत्र निम्नवत है: (i) सस्ती स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पोषण; (ii) पेयजल एवं स्वच्छता, (iii) सस्ते आवास, (iv) संपोषणीय ऊर्जा, (v) मूल्य अभिवृद्धि वाली कृषि, (vi) ऊर्जा दक्षता; और (vii) अपशिष्ट से संपदा तक।

हाल में स्थापित एसीएसआईआर में अपने पीएचडी शोध कार्य कर रहे सीएसआईआर स्कॉलर्स के लिए ग्रामीण समस्या पर ध्यान देने और उसका समाधान करने के लिए 8 सप्ताह की अवधि वाले 4 क्रेडिट प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम पूरे करने की अनिवार्य आवश्यकता हैं ऐस सैड़ों स्कॉलर्स आर्थिक मूल्य अभिवृद्धि के लिए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अंतराक्षेप (प्रयोगशाला से जमीनी कार्यक्रम) के कार्यान्वयन में कार्यबल के रूप में कार्य करेंगे।

इस प्रकार सीएसआईआर के वैज्ञानिक ग्रामीण परिवेश में कार्य कर रहे हैं। इन प्रयासों को सीएसआईआर-800 स्कीम के वांछनीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए टेकविल्स के माध्यम से और अधिक सघन किया जाएगा।

(ग) और (घ) सीएसआईआर-800 स्कीम का रणनीतिक कार्यान्वयन कई भौगोलिक दृष्टि से वितरित सीएसआईआर प्रौद्योगिकी समर्थिक गांव (टेकविट) की सीएसआईआर की नई पहल पर केन्द्रित है ताकि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय समाधानों को लोगों की आवश्यकताओं से जोड़कर वैज्ञानि एवं प्रौद्योगिकीय लाभों को ग्रामीणों के दरवाजों तक पहुंचाया जा सके। टेकविल्स ऐसे मंचों का निर्माण करते हैं जहां ग्रामीण समुदायों के लिए आवश्यक सीएसआईआर की प्रौद्योगिकियां आर्थिक विकास और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने पर केन्द्रित हैं।

सीएसआईआर-800 स्कीम ने ऐसे जिलों को अभिनिर्धारित किया है जिन्हें योजना आयोग ने वर्ष 2001 और वर्ष 2010 में पिछड़े जिले घोषित किया था और ये यूएनडीएएफ (यूएन डिवेलेपमेंट असिस्टेंस फ्रेमवर्क); आरजीएफ (राजीव गांधी फाउंडेशन); और/अथवा पीएसीएस (पूअरेस्ट एरियाज सिविल सोसाइटीज) के अंतर्गत यूएन के साथ संयुक्त कार्रवाई हेतु अभिनिर्धारित सूची में भी शामिल हैं।

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

4987. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में खरीफ और रबी फसलों के लिए उर्वरकों की मांग और आपूर्ति का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए कर स्टॉक की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विवरण I

(आंकड़े 000 मी.टन में)

रबी 2012-13 (अक्तूबर, 12 से मार्च, 13) के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीके			
	आवश्यकता	आपूर्ति योजना	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	आपूर्ति योजना	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	आपूर्ति योजना	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	आपूर्ति योजना	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	1600.00	1991.95	1485.01	1397.77	500.00	585.94	311.53	282.52	335.00	304.92	178.18	156.98	1100.00	1468.39	912.13	854.72
कर्नाटक	700.00	996.74	816.81	798.73	275.00	370.68	235.80	220.589	275.00	266.34	124.97	117.00	700.00	854.91	506.72	479.00
केरल	105.00	125.39	63.70	63.70	20.00	30.86	15.10	10.06	104.00	111.16	42.12	40.95	121.00	126.66	73.84	65.66
तमिलनाडु	700.00	923.25	582.30	574.46	230.00	270.04	123.72	116.52	344.00	277.65	128.97	128.11	376.00	559.19	285.00	266.34
गुजरात	1175.00	1397.09	960.56	949.48	400.00	400.12	273.34	247.98	100.00	104.36	47.04	43.42	280.00	271.71	285.96	275.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मध्य प्रदेश	1100.00	1585.28	1264.83	1208.18	500.00	922.80	588.99	521.76	50.00	100.00	24.46	23.71	214.00	216.35	108.29	90.22
छत्तीसगढ़	190.00	402.86	306.54	287.06	90.00	204.88	141.93	124.65	42.00	55.39	27.51	25.56	50.00	111.55	30.27	17.55
महाराष्ट्र	1250.00	1585.42	1025.31	977.20	560.00	620.20	378.07	342.47	300.00	292.10	151.98	142.25	950.00	1041.27	616.89	569.44
राजस्थान	1050.00	1457.11	1263.71	1218.88	380.00	557.37	382.69	343.93	16.24	19.30	7.79	7.80	76.10	40.43	34.16	33.72
हरियाणा	1125.00	1712.12	1287.17	1220.82	400.00	702.05	458.40	422.18	40.00	36.87	3.09	3.09	47.50	21.50	12.11	12.09
पंजाब	1315.00	1929.13	1703.64	1641.57	330.00	762.05	462.09	424.54	50.00	43.33	9.92	9.92	97.50	16.81	16.11	14.45
हिमाचल प्रदेश	29.50	39.45	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	6.57	6.57	28.00	27.37	13.33	13.31
जम्मू और कश्मीर	78.00	155.03	95.08	89.01	45.00	52.64	41.02	35.95	25.00	16.62	14.36	13.05	0.02	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	3400.00	4671.39	3630.53	3555.10	915.00	1961.38	1356.53	1274.59	250.00	213.69	49.06	33.07	572.50	504.55	269.93	258.89
उत्तराखंड	110.00	167.62	114.68	108.82	14.50	38.62	17.19	16.87	3.00	10.42	1.10	1.10	32.00	45.71	18.51	17.24
बिहार	1150.00	1450.00	1202.07	1192.95	275.00	496.59	348.46	325.16	150.00	133.74	70.36	69.29	190.00	265.76	204.23	201.60
झारखंड	100.00	152.37	79.29	79.24	45.00	40.71	27.77	27.67	15.00	11.75	0.26	0.25	88.50	21.63	9.58	9.58
ओडिशा	200.00	228.72	167.36	152.14	100.00	190.59	71.73	66.23	90.00	74.80	27.62	27.55	192.49	210.81	121.88	114.75
पश्चिम बंगाल	850.00	1028.18	8825.84	868.51	275.00	492.74	290.13	281.63	275.00	208.30	138.79	136.54	428.21	834.11	488.24	476.85
असम	170.00	201.38	138.77	138.33	40.00	61.00	23.64	18.49	90.00	78.79	50.09	46.35	15.80	16.66	3.07	2.76
अखिल भारत	16460.98	22300.55	17128.82	16578.41	5418.35	8813.11	5551.04	5106.69	2584.38	2371.16	1108.48	1036.76	5599.11	6684.90	4020.17	3783.09

विवरण II

(आंकड़े 000 मी.टन में)

खरीफ 2013 के लिए राज्य-वार आवश्यकता

राज्य/संघ शासित प्रदेश	यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके
1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	1650.00	700.00	300.00	1100.00
कर्नाटक	800.00	500.00	29.00	750.00
केरल	100.00	20.00	97.00	124.00
तमिलनाडु	450.00	200.00	200.00	293.30
पुदुचेरी	12.00	2.30	2.00	8.00

1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.60	0.60	0.50	0.50
योग	3012.50	1422.80	889.40	2275.80
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	.00
गुजरात	1200.00	300.00	70.00	243.00
मध्य प्रदेश	750.00	650.00	90.00	220.00
छत्तीसगढ़	500.00	210.00	75.00	130.00
महाराष्ट्र	1550.00	950.00	300.00	950.00
राजस्थान	700.00	304.00	9.00	69.70
गोवा	3.20	1.80	0.20	5.00
दमन और दीव	0.21	0.10	0.02	0.01
दादरा और नगर हवेली	0.98	0.92	0.10	1.05
योग	4704.39	2416.82	544.32	1618.76
उत्तरी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	850.00	300.00	25.00	35.00
पंजाब	1325.00	500.00	40.00	50.00
उत्तर प्रदेश	2800.00	950.00	100.00	600.00
उत्तराखंड	135.00	20.00	3.50	25.00
हिमाचल प्रदेश	33.00	0.00	1.00	10.00
जम्मू और कश्मीर	67.50	32.00	6.00	0.00
दिल्ली	2.20	2.00	0.50	0.60
चडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	5212.70	15804.00	176.00	720.60
पूर्वी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	1000.00	250.00	80.00	475.00
झारखंड	160.00	50.00	15.00	35.00
ओडिशा	450.00	175.00	100.00	250.00
पश्चिम बंगाल	560.00	300.00	150.00	400.00

1	2	3	4	5
योग	21740.00	775.00	345.00	860.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	145.00	25.00	60.00	7.50
त्रिपुरा	30.00	3.00	5.00	0.00
मणिपुर	30.60	5.00	2.15	0.00
मेघालय	4.10	3.00	0.30	0.00
नागालैंड	0.85	0.50	0.20	0.00
नागालैंड	0.855	0.50	0.20	0.00
अरूणाचल प्रदेश	0.50	0.30	0.10	0.00
मिजोरम	8.00	4.00	3.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	219.05	40.80	70.745	7.50
अखिल भारत	15318.64	6459.42	2025.47	5482.66

यूरिया की कीमतों में वृद्धि

4988. श्री एम.आई. शानवासः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतें क्या रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में राजसहायता भार को कम करने के लिए यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की खुदरा कीमतों में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और किस अधिकतम संभावित खुदरा कीमत पर किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में उर्वरकों पर माल-भाड़ा राजसहायता वापस ले ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया के भारित औसत लागत एवं मालभाड़ा (सीएण्डएफ) मूल्य इस प्रकार हैं:–

2010-11 327.38 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन

2011-12 481.74 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन

2012-13 417.40 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन

(ख) और (ग) यूरिया की एमआरपी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में, सरकार 2010 से एनबीएस नीति का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर इसमें निहित पोषक तत्वों के आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर लिया

जाता है। पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी उर्वरक कंपनियों द्वारा मांग आपूर्ति की गति के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(घ) यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों के लिए मालभाड़ा राजसहायता योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्राथमिक मालभाड़े का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है और द्वितीयक मालभाड़े को उर्वरकों की एमआरपी में सम्मिलित किया जाता है।

(ङ) यूरिया की एमआरपी को सांविधिक रूप से नियंत्रित किया जाता है और 1 नवम्बर, 2012 से 50 रुपये प्रति मी.टन की मामूली वृद्धि के आलवा अप्रैल, 2010 से यूरिया की एमआरपी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी का निर्णय पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जा रही राजसहायता और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों/आयातकों द्वारा युक्तिसंगत स्तर पर किया जाता है।

[हिन्दी]

जेनरिक दवाओं को प्रोत्साहित करना

4989. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आम आदमी के हित में उनके इस्तेमाल के लिए जेनरिक दवाओं को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जेनरिक दवाओं की उपलब्धता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में जेनरिक दवाओं के संपाकों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा जेनरिक दवाओं का परामर्श नहीं लिखने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) जी, हां। आम आदमी को उचित मूल्य पर नेजरिक दवाओं की बिक्री करने के लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों में 154 जनऔषधि बिक्री केन्द्र खोले हैं। सरकार राज्यों/संघ शासित प्रशासन से अधिक से अधिक जनऔषधि बिक्री केन्द्र खोलने में सहायता करने के लिए अनुरोध करती रही है। इन जनऔषधि बिक्री केन्द्रों से बिक्री करने के लिए फार्मूलेशन सहित कुल 319 दवाओं की पहचान की गई है। जहां कही भी जनऔषधि बिक्री खोले गए हैं संबंधित राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में अपने डाक्टरों को जेनरिक दवाइयां प्रिस्क्राइब करने हेतु निदेश/दिशा-निर्देश जारी कर रही हैं। सूचना मिली है कि जेनरिक नामों से दवाइयां प्रिस्क्राइब करने के लिए सी प्रकार का निदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी डाक्टरों को जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

विद्युत कंपनियों का ऋण

4990. डॉ. अनूप कुमार साहा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) का दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों पर कंपनी-वार कितना ऋण है; और

(ख) एनटीपीसी द्वारा उक्त ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) दिनांक 31.3.2013 तक मासिक ऊर्जा बिलों की तुलना में एनटीपीसी का दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों पर कोई अतिदेय बकाया नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों की खरीद हेतु धन जुटाना

4991. श्री अजय कुमार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की खरीद करने के लिए धन जुटाने हेतु सहकारी समितियों को दिये गये समय को सीमित कर एक सप्ताह कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) जी हां, उर्वरक विपणन कंपनियों (एफएमईज) को 18 जुलाई, 2012 को यह निर्देश जारी किए गए थे कि वे सरकार की ओर से आयात किए जाने वाले और राज्य द्वारा प्रायोजित संघ/विपणन संघ/सहकारी समितियों के जरिए उनके द्वाा विपणन किए जाने वाले न्यूनतम 50% यूरिया की बिक्री करें जो एफएमईज द्वारा सूचित की गई तारीख से 7 दिनों के अंदर इन संगठनों द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान के अधीन है। इसके बाद, 16 अगस्त, 2012 को अग्रिम भुगतान की शर्त हटा ली गई थी और अब राज्य द्वारा प्रायोजित संघ/विपणन संघ/सहकारी समितियों को एफएमईज द्वारा सूचित की गई तारीख से 7 दिनों के अंदर आर्डर देना अपेक्षित होता है, ऐसा न होने पर एफएमईज अपने स्वयं के विपणन चैनल के जरिए ऐसी मात्रा की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मनरेगा के अन्तर्गत कार्य

4992. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अन्तर्गत कुछ कार्य कराने का विचार है, जिनमें अकुशल मजदूरों की उपेक्षा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु अभिज्ञात कार्यों का क्षेत्र क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने रेल पटरियों के आस-पास उन स्थानों जहां रेलपथ समपार शामिल हैं, पर कुछ कार्य स्वीकृत किए हैं। कुछेक रेल समपार संबंधी कार्य, जहां-कहीं राज्य सरकार की सहमति है, एमएनआरईजीए योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे हैं। ऐसे कार्य रेलवे पर्यवेक्षण के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे हैं। बहरहाल, एमएनआरईजीए योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कार्य प्रायोजित करने के लिए अन्य राज्य सरकारें आगे नहीं आई हैं।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

4993. **श्री नित्यानंद प्रधान:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रें में निजी कंपनियों को सड़क निर्माण का कार्य सौंपने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत ओडिशा राज्य के क्षेत्रों में सड़क संपर्क की प्रगति क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा और अन्य राज्यों में उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत व प्रयुक्त की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द्र कटारिया): (क) और (ख) कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी एजेंसियों अर्थात जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के माध्यम से किया जाता है। ये एजेंसियां स्वीकृत कार्यों के निष्पादन के लिए प्राइवेट ठेकेदारों/पक्षों को ठेका देती है। यह भी देखा गया था कि समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत 82 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित) में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों के कार्यान्वयन का स्तर राष्ट्रीय स्तर से कम था। आईएपी जिलों में राज्यों की ठेका देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित निर्णय लिये हैं:–

(i) राज्य कार्य सौंपने के प्रयोजनार्थ सड़क निर्माण का अनुभव रखने वाली राज्य या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की तैनाती का प्रस्ताव भेज सकते हैं, जिनके लिए भारत सरकार एजेंसी शुल्क भुगतान करने पर विचार कर सकती है।

(ii) यदि सड़कें आंशिक रूप से या पूर्णरूपेण वन क्षेत्रों से गुजरती है तो इसका निर्माण वन विभाग के माध्यम से कराया जाए।

(ग) ओडिशा राज्य के 18 आईएपी जिलों में, मंत्रालय ने सड़क संपर्कविहीन 7738 पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए 27632 कि.मी. लंबाई की सड़कों के निर्माण की परियोजनाएं मंजूर कर दी हैं। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15805 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण करके 4340 बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराया गया है।

(घ) ओडिशा राज्य के आईएपी जिलों सहित 82 आईएपी जिलों में स्वीकृत कार्यों की लागत और राज्य द्वारा किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

28.02.2013 की स्थिति के अनुसार नक्सलवाद प्रभावित 82 जिलों में पीएमजीएसवाई कार्यों की वित्तीय प्रगति

(लागत करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आईएपी जिलों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की लागत	फरवरी, 2013 तक किया गया संचयी खर्च	2012-13 के दौरान किया गया खर्च (फरवरी, 2013 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	8	2191	1427	120
2.	बिहार	11	5326	3178	545
3.	छत्तीसगढ़	10	4315	2773	171
4.	झारखंड	17	3249	1871	271
5.	मध्य प्रदेश	10	4725	3223	306
6.	महाराष्ट्र	3	476	314	95
7.	ओडिशा	18	9895	5911	956
8.	उत्तर प्रदेश	3	689	430	9
9.	पश्चिम बंगाल	3	1084	764	59
	कुल	82	31950	19890	2533

[हिन्दी]

बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल समझौता

4994. श्री सुदर्शन भगत: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारे के कार्यान्वयन के संबंध में कोई ठोस नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इसमें शामिल सभी बिन्दुओं पर चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) भारत सरकार तीस्ता नदी सहित साझा नदियों में जल की समान और उचित आधार पर हिस्सेदारी के विषय में समझौता करने के लिए बांग्लादेश सरकार से बात-चीत कर रही है। सितम्बर, 2011 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री की ढाका, बांग्लादेश यात्रा के दौरान, दोनों प्रधान मंत्रियों ने प्रगति की सराहना की और संबंधित अधिकारियों को समझौता शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद फरवरी, 2012 में कोलकाता में तकनीक स्तरीय बैठक में भारत के गाजालदोबा और बांग्लादेश के दलिया बैराज के निस्सरण संबंधी आंकड़ों (1998 से 2010 तक) का दोनों पक्षों द्वारा आदान-प्रदान किया गया ताकि समझौते का प्रारूप तैयार किया जा सके। उसके बाद, समय-समय पर विभिन्न द्विपक्षीय मंचों पर भी बांग्लादेश के साथ इस विषय में चर्चा की गई है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भी समुचित स्तरों पर इस विषय के सभी बिन्दुओं पर बात-चीत की है और सरकार का प्रयास तीस्ता के जल में उचित

और समान आधार पर हिस्सेदारी के लिए समझौता करने का है जो सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो और सभी पणधारियों के हितों की रक्षा करता हो।

[अनुवाद]

ग्रामीण उद्योग

4995. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में प्रस्तावित विकास का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में किस प्रकार मददगार होगा?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार देश में ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं इनमें ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन (आईएसईसी) योजना और विपणन विकास सहायता जिसमें ग्रामोद्योगों के तहत पॉलिवस्त्र शामिल हैं, के अलावा उत्पाद विकास डिजाइन इण्टरवेंशन और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) और ग्रामोद्योग अनुदान के अधीन ग्रामीण उद्योग सेव केन्द्र (आरआईएससी) जैसी योजनाएं और उन्नत उपकरण, सामान्य सुविधा केन्द्र, व्यवसाय विकास सेवाएं, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं डिजाइन तथा विपणन समर्थन आदि प्रदान करके ग्रामोद्योग क्लस्टरों के विकास के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त गैर-कृषि क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके देश में स्व-रोजगार सृजित करने का प्रयास करती है।

[हिन्दी]

भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार

4996. श्री भूदेव चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन लोगों जिनकी भूमि रेल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई है को मुआवजा और रोजगार प्रदान करने के लिए नीति/दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रेल परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितने व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नीति/दिशानिर्देशों के अंतर्गत कितने पात्र व्यक्तियों को राज्य-वार मुआवजा और रोजगार प्रदान किया गया; और

(घ) शेष पात्र व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कापार्ट द्वारा निधि आवंटन

4997. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण लोगों को लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार संस्थानों को आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त आवंटनों से राज्य और वर्ष-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित की गई राशि तथा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कपार्ट द्वारा संगठनों (एनजीओ) को आबंटित राशि वित्त वर्ष 2010-2011

राज्य: आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	संस्था का नाम	पता	योजना	स्वीकृत राशि	स्वीकृति की तिथि	निर्गत राशि	लाभान्वित लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चैतन्य एजुकेशनल सोसायटी	1/169-2, थर्ड रोड एक्सटेंशन, अनन्तपुर	पीसी	1032350	24.05.2010	0	-
2.	चैतन्य युवाजना संगम	एच. नं. 2-3-175/1, उप्परपल्ली विलेज, गांधी नगर, बहादुरपुरा, राजेन्द्रनगर मंडल, आरआर जिला-ए.पी	पीसी	1343100	24.05.2010	0	-
3.	फॉरम फॉर इन्टीग्रेटिड डेवलपमेंट	एच नं. 3-4-1009, (एडज बस डिपो) बरकतपुरा, हैदराबाद	आर्ट्स	2067000	09.04.2010	1860300	230
4.	इंदिरा प्रियदर्शिनी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन	8-7-1, प्लॉट नं. 51, सेकंड फ्लोर, सामंथानगर, ओल्ड बोवनपल्ली, कुकाटापल्ली म्युनिसिपलिटी	जीएसएम	450000	10.09.2010	0	-
5.	इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	डी.नं. 7-1-34, कोठाकोटावारी स्ट. अमाडालावालसा, श्रीकाकुलम जिला, ए.पी.	जीएसएम	365500	10.09.2010	365500	50
6.	प्रकृति एनवायरनमेंट सोसायटी	एच नं. 7-4-167, फिरोजगुडा, बालानगर, हैदराबाद, ए.पी.	जीएसएम	962000	10.09.2010	0	-
7.	सेवा भारती	जेड.पी.पी. हाई स्कूल के पीछे, विरूचनूर, जिला चित्तूर आंध्र प्रदेश	जीएसएम	450000	10.09.2010	225000	50

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	यूथ क्लब ऑफ बेज्जीपुरम	डी.नं. 4/29-ए, बेज्जीपुरम विलेज, मुराका एसओ, रानासतलम, तालुक, श्रीकाकुलम जिला-ए.पी-532403	जीएसएम	396000	10.09.2010	0	-

राज्य : बिहार

क्र.सं.	संस्था का नाम	पता	योजना	स्वीकृत राशि	स्वीकृति की तिथि	निर्गत राशि	लाभान्वित लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बीबीपुर एरिया स्माल फार्मर्स एण्ड रिसोर्सलेस कम्युनिटी एसोसिएशन	पीओ अनिरूद्ध बेलुहोर जिला वैशाली, बिहार	पीसी	1495175	24.05.2010	0	-
राज्य: दिल्ली							
1.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री	23, इंस्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003	पीसी	543500	15.03.2011	0	-
2.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री	23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	पीसी	732300	17.02.2011	0	-
3.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री	23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	पीसी	732300	13.10.2010	0	-
4.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री	23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	पीसी	732300	07.02.2011	0	-
5.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री	23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	पीसी	732300	17.02.2011	0	-
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी	सीआरडीटी-आईआईटी, हौज खास, नई दिल्ली-110016	आर्ट्स	4535000	17.08.2010	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
राज्यः गुजरात							
1.	नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन	अहमदाबाद गुजरात	आर्ट्स	1045000	18.05.2010	940500	72
2.	डाक्टर अंबेडकर एड्रुकेशन	जिला भावनगर गुजरात	जीएसएम	450000	13.12.2010	0	-
3.	मालधारी सेवा संघ	अहमदाबाद गुजरात	जीएसएम	4500000	13.12.2010	940500	-
4.	यूनिमेक ग्राम्य विकास	जिला राजकोट गुजरात	जीएसएम	450000	13.12.2010	940500	-
राज्यः हरियाणा							
1.	मॉडर्न एजुकेशन सोसायटी	मन्डौरी रोड, मन्डौरा, जिला-तहसील-सोनीपत, हरियाणा	पीसी	1378300	21.05.2010	0	-
राज्यः झारखण्ड							
1.	लाइफटैक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन	एट-जी.टी. रोड, मुगमा, जिला-धनबाद, झारखण्ड	जीएसएम	449000	05.08.2010	449000	50
राज्यः केरल							
1.	कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी	सिविल स्टेशन, मालापुरम,	जीएसएम	450000	30.09.2010	449000	-
2.	राजगीरी एजुकेशनल अल्टरनेटिव्स एण्ड कम्युनिटी हैल्थ सर्विस सोसायटी	राजगीरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, राजगीरी, कलामेसरी	जीएसएम	450000	30.09.2010	449510	50
राज्यः राजस्थान							
1.	राजस्थान नवचेतना समिति, कोटपुतली	बजाजों का मोहल्ला, मारवाड़ मुंडवा, जिला नागौर, राजस्थान-341026	जीएसएम	439000	07.09.2010	0	-
2.	शिल्पी संस्थान (पर्यावरण शिक्षा संस्कृति ललितकला विकास संस्थान)	खागल मोहल्ला, बाड़मेर-344001, राजस्थान	जीएसएम	439000	31.08.2010	329250	50
राज्यः तमिलनाडु							
1.	ए.ए.म. मुरूगप्पा चीट्टयार रिसर्च सेंटर	तियम हाउस, नं. 28 राजाजी सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु	जीएसएम	300000	07.09.2010	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	सेंटर फार सोशल डेवलपमेंट	कुलाला स्ट्रीट, थिरुनारंकुरिची, अम्मांडिवीलाई पोओ कुरुन्थेंकोड़े कन्याकुमारी जिला-तमिलनाडु	आर्ट्स	4904000	15.04.2010	2452000	40
राज्य: उत्तराखंड							
1.	अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विकास समिति	सारदा फैक्टरी के सामने, निकट शीशमहल काठगोदाम, नैनीताल	जीएसएम	450000	09.09.2010	0	-
राज्य: उत्तर प्रदेश							
1.	आधार	117/507, क्यू ब्लॉक शारदा नगर कन्दपुर जिला-कानपुर यू.पी.	जीएसएम	450000	13.07.2010	0	-
2.	बाल महिला एवं ग्राम विकास सेवा समिति	58/300/1वी/1 अयोध्या कुंज अर्जुन नगर मेन रोड आगरा	जीएसएम	450000	11.08.2010	0	-
3.	दरिया गंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	109, टेगोर टाउन जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	जीएसएम	450000	23.07.2010	0	-
4.	डाक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य विकास सेवा समिति	पीतमभारखेरा सी ब्लॉक के पास रेलवे क्रोसिंग राजाजीपुर लखनऊ-17	डिसेबिलिटी	2321880	24.06.2010	0	-
5.	गोपाल शिक्षण संस्थान एंड ग्रामीण विकास संस्थान	गांव पीओ जोनिहन जिला-फतेहपुर	जीएसएम	450000	26.07.2010	0	-
6.	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद्	धर्मशाला बाजार गोरखपुर	जीएसएम	450000	29.07.2010	0	-
7.	जन जागृत्ति सेवा संस्थान	डीएम कॉलोनी सूत्रखाना बानदा जिला-बानदा	जीएसएम	450000	26.07.2010	0	-
8.	कृष्ण सोशल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	486/160, लाहोर गूंज डाली गंज-लखनऊ	जीएसएम	450000	26.07.2010	0	-
9.	मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी	93 अदल सराय कल्पी जालौन	जीएसएम	450000	16.08.2010	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	पूर्वांचल विकास संस्थान	मोहखुदाईपुरा पीओ सदर गाजीपुर	जीएसएम	450000	02.08.2010	0	-
11.	सैनिक महिला प्रशिक्षण संस्थान	जुबली रोड मोह पुरदिलपुर जुबली रोड सहर गोरखपुर	जीएसएम	450000	16.07.2010	0	-
12.	शारदा समाजोथान एवं शिक्षा समिति	2/180, रुचिखण्ड शारदा नगर ब्लॉक सरोजिनी नगर जिला-लखनऊ यू.पी.	पीसी	709087	21.05.2010	0	-
13.	श्री नागेश्वर जन कल्याण समिति	26, चर्च लेन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	जीएसएम	450000	26.07.2010	0	-
राज्यः पश्चिम बंगाल							
1.	सारबिक पल्ली कल्याण केन्द्र	एट/पीओ-कियागेरिया, वाया-चन्दकोना, जिला-मिदनापुर पश्चिम बंगाल	पीसी	915838	31.05.2010	0	-
कुल							592

वित्तीय वर्ष-2011-12-शून्य
वित्तीय वर्ष-2012-13-शून्य
वित्तीय वर्ष-2013-14-शून्य

[अनुवाद]

सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र

4998. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक के रायचूर क्षेत्र में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना के पूरा होने और इसके वाणिज्यिक प्रचालन के आरम्भ होने की सम्भावना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक के उडुपी में आयातित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी हां, कर्नाटक के रायचूर क्षेत्र में कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) की यरमारूस सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। परियोजना का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	चालू होने की संभावित तिथि	वाणिज्यिक प्रचालन की संभावित तिथि
1.	यरमारूस थर्मल पावर प्लांट (2×800 मेगावाट) केपीसीएल	मार्च, 2016	जून, 2016

यरमारूस थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2×800 मेगावाट) की वर्तमान स्थिति

दोनों यूनिटों का बॉयलर इरेक्शन प्रारंभ हो चुका है और प्रेशर पार्ट इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के लिए फाउंडेशन कार्य, प्राइमरी एयर, फोर्स्ड एयर एंड इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन्स, मिल्स एंड बंकर्स, नियंत्रण कक्ष, कूलिंग वाटर पम्प हारस, ऐश हैंडलिंग प्लांट एवं कोल हैंडलिंग प्लांट और टरबाइन जेनरेटर के कार्य प्रगति पर हैं।

(घ) उडुपी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दोनों यूनिटें (2×600 मेगावाट) चालू हो चुकी हैं और वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है।

पंजाब में नहर प्रणाली

4999. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पंजाब से 150 वर्ष पुरानी नहर से जल वितरण प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्धनासा) की रिपोर्ट के अनुसार अगले दो दशकों में पंजाब को मरूस्थलीकरण का सामना करना पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में नहर प्रणाली के पुनरुद्धार से 30% जल की बचत होगी जो मरम्मत के अभाव में व्यर्थ हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) पंजाब राज्य में नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन, विस्तार, नवीकरण, आधुनिकीकरण, जलाशयों की भंडारण क्षमता की पुनर्बहाली, जलमार्गों का संरेखण और नलकूपों की संस्थापना के साथ-साथ संबद्ध कार्यों के लिए जून, 2011 में 3769.35 करोड़ रुपये का परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव की जांच करने पर अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया कि परियोजना रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी/जल संसाधन मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार नहीं की गई थी। परियोजना प्रस्ताव सितम्बर, 2011 में राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ लौटा गया था कि वे सीडब्ल्यूसी को संशोधित डीपीआर पुनः प्रस्तुत करें।

(ग) मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार नासा से ऐसी एक रिपोर्ट थी।

(घ) परियोजना प्रस्ताव के अनुसार नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से जल की बचत होगी।

(ङ) राज्य सरकार को, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने हेतु सीडब्ल्यूसी को संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लघु रत्न का दर्जा प्रदान करना

5000. श्री महाबली सिंहः क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) को लघु रत्न दर्जा प्रदान करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनको लघु रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों को लघु रत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वे केन्द्रीय सरकारी उद्यम, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया है और जिनका निवल मूल्य सकारात्मक है, को मिनीरल दर्जा दिए जाने के लिए पात्र माना जाएगा।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय निम्नानुसार 69 मिनिरल केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं।

मिनीरल श्रेणी-I केन्द्रीय सरकारी उद्यम

1. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
2. अंतरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड

3. बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड
4. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
5. बीईएमएल लिमिटेड
6. भारत संचार निगम लिमिटेड
7. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
8. सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन
9. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
10. चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
11. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
12. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
15. एन्नौर पोर्ट लिमिटेड
16. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
17. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
18. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
19. एचएलएल लाईफ केयर लिमिटेड
20. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
21. हिंदुस्तान पेपर कॉपोरेशन लिमिटेड
22. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
23. इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
24. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
25. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
26. केआईओसीएल लिमिटेड
27. मझगांव डॉक लिमिटेड
28. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
29. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड
30. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
31. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
32. एमएमटीसी लिमिटेड
33. एमएमटीसी लिमिटेड
34. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
35. नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
36. एनएचपीसी लिमिटेड
37. नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
38. नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
39. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
40. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
41. पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड
42. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड
43. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
44. रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
45. राइट्स लिमिटेड
46. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
47. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
48. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
49. स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
50. टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड
51. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
52. बेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
53. वापकोस लिमिटेड

मिनीरत्न श्रेणी-II केन्द्रीय सरकारी उद्यम

54. भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
55. ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग वुंसलटेण्ट्स (आई) लिमिटेड
56. सेण्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
57. एजुकेशनल कंसलटेण्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
58. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

59. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड

60. फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड

61. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

62. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

63. ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन इंडिया

64. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

65. मेकॉन लिमिटेड

66. नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

67. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड

68. पीईसी लिमिटेड

69. राजस्थान लेक्ट्रोनिक्स एवं इन्स्ट्रमेंट्स लिमिटेड

(ग) और (घ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की मिनीरत्न दर्जा प्रदान करने के लिए उस स्थिति में सक्षम है जब उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया हो कि संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम इस संबं में में पूरा करते है।

[अनुवाद]

अंतर-क्षेत्रीय कोरिडोर

5001. श्री सी.आर. पाटिल:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मौजूद पारेषण लाइनों की क्षमता क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की योजना इन पारेषण लाइनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात अंतर-क्षेत्रीय पारेषण कोरिडोर में अड़चनों के कारण विद्युत की कमी वाले राज्यों को अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति करने में असमर्थ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में विद्युत की कमी वाले राज्यों के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से पर्याप्त अंतर-क्षेत्रिय पारेषण लिंक के सृजन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पॉवर सिस्टम डेवलपमेंट फंड) में पड़ी निधि के उपयोग के लिए निवेदन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार देश में 220 केवी तथा उससे ऊपर के वोल्टेज स्तर की पारेषण लाइनों का कुल सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) 274588 सीकेएम है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के विनियमों/मानकों के अनुसार अनुमन्य होने पर तदनुसार पारेषण लाइनों को उनकी पूरी क्षमता पर चलाने की अनुमति है। तथापि, कुछ मामलों में पारेषण लाइनों पर लोडिंग की वोल्टेज स्टेबिलीटी, एंगुलर स्टेबिलीटी, लूप फ्लोज, लोड फ्लासे पैटर्न तथा ग्रिड में सबसे कमजोर लोडिंग के लिंक को ध्यान में रखते हुए सीमित किया जाता है।

(ग) इस समय विभिन्न उत्पादक स्टेशनों से लाभग्राही राज्यों को आबंटित की गई दीर्घावधि विद्युत के स्थानांतरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण तंत्र में कोई बाधा नहीं है। पारेषण तंत्र में उपलब्ध किसी भी मार्जिन का उपयोग मध्यम अवधि, अल्पावधि ओपेन एसेस ट्रांजेक्शन और बाइवेंट विद्युत बाजार में किया जाता है, जोकि देश में चल रही हैं। संकुलन (कंजेशन) का सामना मुख्यतया अल्पावधि में दक्षिणी क्षेत्र (देश के अन्य क्षेत्रों से हाईवोल्टेज डायरेक्ट करेंट लिंक से जुड़ी हुई) को आयात करना पड़ता है तथा मौसमी संकुलन हो सकते हैं।

(घ) विद्युत की कमी का सामना करने वाले राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे विद्युत के आयात के लिए आकलन और आयोजना करें तथा विद्युत अधिनियम, 2003 और सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अन्य विनियमों में खुली पहुंच के लिए दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) से अन्तर-क्षेत्रीय/अन्तर-राज्यीय पहुंच की मांग करें।

(ङ) और (च) गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि विद्युत तंत्र विकास निधि (पीएसडीएफ) का उपयोग पर्याप्त अन्तर-क्षेत्रीय पारेषण संपर्कों के सृजन के लिए किया जाए। तथापि, पीएसडीएफ की प्रबंधन समिति को अभी तक इस संबंध मे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सीईआरसी (विद्युत तंत्र विकास निधि) विनियम, 2010 के अनुसार पीएसडीएफ के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग सीईआरसी द्वारा निधियों के प्रबंधन के लिए नियुक्त समिति द्वारा योजनाओं/जांची गई गतिविधियों/निर्धारित वरीयताओं के अनुसार किया जाएगा।

[हिन्दी]

औषधियों/जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि

5002. डॉ. भोला सिंह:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान औषधियों/जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान औषधियों/जीवन रक्षक औषधियों की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(घ) बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का इन औषधियों की कीमतों की समीक्षा के लिए कोई कृतक बल गठित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995 में जीवन रक्षक दवाओं के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के पास उपलब्ध आईएमएस स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल मिलाकर दवाओं के मूल्य स्थिर रहे हैं। संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) डीपीओ, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों को निर्धारित अथवा संशोधित करता है। डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोई भी अनुसूचित फार्मूलेशन (दवाई) किसी भी उपभोक्ता को सरकार/एनपीपीए द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

उन औषधियों के मामले में जो डीपीसीओ, 1995 के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियों के मामले में एनपीपीए गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित रूप से जांच करती है। जहां कही भी मूल्य में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की मूल्य वृद्धि पायी जाती है, वहां विनिर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो विहित शर्तों के अध्यधीन जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10(ख) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है।

इसके अलावा, दिनांक 07.12.2012 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2012 (एनपीपीपी-2012) अधिसूचित कर दी गई है। एनपीपीपी-2012 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएलईएम-2011) में विनिर्दिष्ट क्षमता और खुराक की दवाएं कीमत नियंत्रण के अधीन होगी।

(ङ) और (च) औषधियों के मूल्यों की समीक्षा करने के लिए किसी कार्यबल का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मास जिसकी रिपोर्ट दी जा रही है: जनवरी, 2013

1. कुल बाजार स्थिति:

कुल बाजार (एमएटी)	:	60456.19 करोड़ रुपये
	:	(59900.00 करोड़ रुपये)
कवर की गई दवाइयां (पैकों) की संख्या	:	61985 (61796)
कवर किए विनिर्माताओं की संख्या	:	518 (518)

कवर किए गए निगमों की संख्या : 481 (481)

कोष्ठक के आंकड़ें वर्ष 2011-12 के हैं

आईएमएस-हेल्थ की वर्ष 2011-12 और 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) की स्टॉकिस्ट सेकेण्डरी लेखा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उन पैकों की संख्या के प्रतिशत का विवरण जिनके मूल्य में मासिक आधार पर प्रतिशत में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है अथवा स्थिर रही है, निम्नवत है:-

1. उन पैकों की प्रतिशत संख्या जिनके मूल्य में वृद्धि हुई:

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तू.	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2011-12	0.07	0.02	1.49	0.01	0.004	1.77	0.19	0.03	5.00	0.007	0.03	0.10
2012-13	0.08	0.08	0.64	-	0.01	0.04	0.40	0.005	0.07	0.04	लागू नहीं	लागू नहीं

2. उन पैकों की प्रतिशत संख्या जिनके मूल्य में कमी हुई:

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तू.	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2011-12	0.01	0.04	0.89	0.03	0.008	0.67	0.12	0.02	3.74	0.003	0.02	0.03
2012-13	0.03	0.01	0.74	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	लागू नहीं	लागू नहीं

3. उन पैकों की प्रतिशत संख्या जिनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ:

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तू.	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2011-12	99.92	99.94	97.62	99.96	99.99	97.56	99.69	99.95	91.26	99.99	99.95	99.87
2012-13	99.89	99.91	98.62	99.99	99.97	99.95	99.57	99.99	99.92	99.95	लागू नहीं	लागू नहीं

[अनुवाद]

पेंशन योजना की समीक्षा

5003. श्री संजय भोईः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. संजीव गणेश नाईकः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पेंशन योजना की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल ने बुजुर्गों के लिए मासिक पेंशन योजना को वर्ष 2017 के अंत तक विलंब करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सिफारिशों के पीछे क्या कारक हैं;

(ग) उक्त सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बुजुर्ग लोगों की बेहतरी के लिए वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द्र कटारिया): (क) से (घ) सरकार द्वारा पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए ऐसे किसी पैनल का गठन नहीं यिा गया है जिसमें मासिक वृद्धावस्था पेंशन स्कीम को 2017 के अंत तक आस्थगित रखने की सिफारिश की हो। तथापि, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश पर व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए डा. मिहिर शाह, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में

एक कार्यबल गठित किया गया था। कार्यबल ने विभिन्न पक्षों से प्राप्त एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन स्कीमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों, मांगों और सिफारिशों पर विचार किया जिसमें वयोवृद्ध व्यक्तियों की बेहतरी क लिए वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि भी शामिल है। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

मनरेगा की सामाजिक लेखा परीक्षा

5004. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंचायती राज संस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों हेतु रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में बहुत अधिक रुचि नहीं ले रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मनरेगा में सामाजिक भेदभाव व्याप्त होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में मनरेगा की सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु क्या उपर्युक्त कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की धारा 16(1) में यह प्रावधान है कि ग्राम सभाओं ओर वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के निर्धारण, निष्पादन और ऐसे कार्यों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। मनरेगा की धारा 13(1) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाने वाली योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्राधिकरण जिला, मध्यवर्ती और ग्राम-स्तरीय पंचायतें होंगी। सरकार द्वारा जारी प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान को अन्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं से जोड़ने पर विचार कर सकती है, बशर्ते की कामगार इसके लिए इच्छुक हों। ऐसा सामाजिक सुरक्षा लाभ पूर्णतः स्वैच्छि होगा। फिलहाल मनरेगा कामगार वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही जन श्री बीमा योजना (जेबीवाई) योजना (जेबीवाई) और श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) में कवर हैं। आरएसबीवाई उन सभी मनरेगा कामगारों/लाभार्थियों पर लागू की गई है, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 15 से अधिक दिनों तक काम किया हो।

(ग) और (घ) इस योजना में जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत परिवार को उनके मांग करने पर 100 दिनों तक का रोजगार दिया जाना होता है। इस योजना का समुचित कार्यान्वयन न किए जाने से संबंधित सभी शिकायतें इस अधिनियम के प्रावधानों में यथा निर्धारित उपयुक्त कार्रवाई करने क लिए राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं और केन्द्र सरकार मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के रूप में अनुदेश जारी करती है।

(ङ) ग्राम पंचायत में इस योजना के अंतर्गत चलाई जाने वाली सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा परीक्षाएं ग्राम सभा से कराने के लिए मनरेगा अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत उपयुक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं और योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 भी अधिसूचित कर दी गई है। सामाजिक लेखा परीक्षा मनरेगा के अंतर्गत पारदर्शिता, भागीदारी, परामर्श और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रभावी साधन है। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया लोगों की भागीदारी और निगरानी को लेखा परीक्षा की अपेक्षाओं से जोड़ देती है। पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुरूप सभी जिलों में ओम्बड्समैन नियुक्त करके उन्हें पर्याप्त अधिकार प्रदान करने के अनुदेश भी जारी किए गए हैं, ताकि लिंग/जाति/धर्म के आधार पर भेदभाव के संबंध में किसी भी शिकायत सहित मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के विषय में शिकायतों का शीघ्र निपटान हो सके। मनरेगा के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा की व्यापक प्रणाली है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवधिक प्रगति रिपोर्ट, निष्पादन समीक्षा समिति, तिमाही, क्षेत्रीय समीक्षाएं, क्षेत्र अधिकारी योजना, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता और राज्य एवं जिला-स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समितियां शामिल हैं। विशिष्ट शिकायतों के मामलों में राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता एवं क्षेत्र अधिकारी स्वतंत्र निगरानी और सत्यापन भी करते हैं। ऐसी समीक्षा बैठकों और दौरों के निष्कर्षों एवं रिपोर्टों की जानकारी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को दी जाती है।

[अनुवाद]

जल प्रबंधन संबंधी समिति

5005. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः

श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ करने, भूजल निकासी में सुधार, वर्षा जल संचयन के उपाय खोजने के लिए समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों का ब्यौरा क्या है, इन समितियों द्वारा कब तक अपनी-अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) इन मुद्दों के संबंध में सरकार द्वारा विगत में क्या अन्य कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार इन कदमों के क्या परिणाम निकले हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के अतिरिक्त जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की यमुना के जल पर निर्भरता को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्षा जल संचयन और भूमि जल पुनर्भरण का प्रस्ताव तैयार करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में समिति बनाई है। शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली जल बोर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधियां वाली समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान भूमि जल के प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में चैक बांध छाजन वर्षा जल संचयन पुनर्भरण ट्रेंच, पुनर्भरण सॉफ्ट, पुनर्भरण कुओं आदि जैसी विभिन्न प्रकार की पुनर्भरण संरचनाएं निर्मित की गई थीं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु जल संसाधनों के संवर्द्धन के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जलाशय, पारम्परिक जल निकायों, वर्षा जल संचयन और भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से जल संसाधनों का संरक्षण शामिल है।

[हिन्दी]

केन-बेतवा परियोजना

5006. **श्रीमती मीना सिंह:**
श्री विजय बहादुर सिंह:
श्रीमती रमा देवी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती अश्वमेध देवी:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन-बेतवा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि बेतवा परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने के बावजूद इस संबंध में अधिाक प्रगति नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) केन-बेतवा अन्तर्बेसिन जल अन्तरण संपर्क को, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालयी घटक के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए प्राथमिकता वाले संपर्कों में से एक संपर्क के रूप में अभिज्ञात किया गया है। केन-बेतवा सम्पर्क परियोजना पर आगे कार्यवाही करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु परियोजना शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और केन्द्र सरकार के बीच 25 अगस्त, 2005 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञान (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये थे। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने केन-बेतवा सम्पर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली थी और इसे पक्षकार राज्यों को सहमति हेतु भेज दिया था। पक्षकार राज्यों के विचारों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दो चरणों में तैयार की जाएगी। एनडब्ल्यूडीए द्वारा संबंधित राज्य की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए चरण-II की डीपीआर की तैयारी शुरू की गई थी। केन-बेतवा संपर्क (चरण-I) की डीपीआर एनडब्ल्यूडीए ने 2010 में पूरी कर ली है और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को सहमति

के लिए भेजी गई है। एनडब्ल्यूडीए ने सम्पर्क परियोजना के चरण-II का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य शुरू कर दिय है। केन-बेतवा सम्पर्क परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। सरकार केन-बेतवा संपर्क कार्यक्रम को पक्षकार राज्यों के साथ परामर्शी ढंग से उठा रही है। इसका कार्यान्वयन संबंधित राज्यों की सहमति और सहयोग तथा केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न अनिवार्य स्वीकृतियों ओर सांविधिक स्वीकृतियों की प्राप्ति पर निर्भर है।

(घ) एनडब्ल्यूडीए ने विभिन्न स्वीकृतियां जैसे वन भूमि, वन्य जीव प्राप्त करने, पर्यावरण स्वीकृति, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आदि के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से जन सुनवाई करने के लिए विभिन्न आवश्यक कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त केन-बेतवा संपर्क कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाती है और एनडब्ल्यूडीए की आम सभा की बैक और एनडब्ल्यूडीए सोसाइटी की वार्षिक आम सभा में पक्षकार राज्यों के साथ परामर्शी ढंग से परियोजना संबंधी मुद्दों का समाधान किया जाता है इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जल संसाधन मंत्रालय, नदी संपर्क कार्यक्रम की प्रगति को तेज करने के लिए नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी विशेष समिति नामक एक समिति गठित कर रहा है जिसके अध्यक्ष माननीय जल संसाधन मंत्री होंगे।

त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट)

5007. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री सी. शिवासामी:
श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कितने त्वरित न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के हाल ही में हुए सम्मेलन के दौरान त्वरित न्यायालयों फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मांग करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त प्रयोजन हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों/राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना क अनुसार देश में कार्य कर रहे त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) तारीख 7.4.2013 को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आयोजित सम्मेलन में त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि राज्य सरकारें संबद्ध उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से महिलाओं, बालकों, विभिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के निर्धन वर्गों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित त्वरित निपटान न्यायालयों की उचित संख्या में स्थापना करने के लिए तुरंत कदम उठाएंगी। यह भी विनिश्चय किया गया था कि राज्य सरकारें, त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन और उन्हें बनाए रखने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएंगी।

(घ) और (ङ) सरकार ने, 13वें वित्तीय आयोग अधिनिर्णय में न्यायपालिका के लिए प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों के लिए बृज मोहन लाल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में राज्य न्यायिक सेवाओं में सृजित की जाने वाली न्यायाधीशों के 10% अतिरिक्त पदों पर व्यय की पूर्ति के लिए आबंटित रकम (500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष) में से तारीख 31.3.2015 तक अनुरूप आधार पर 80 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक उपलब्ध कराने का अनुमोदन कर दिया है।

विवरण

दिसम्बर, 2012 को कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिसम्बर, 2012 को कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	108
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम*	20
4.	बिहार	183
6.	गोवा	4

1	2	3
8.	हरियाणा	7
9.	हिमाचल प्रदेश	9
11.	कर्नाटक	93
12.	केरल	38
14.	महाराष्ट्र	100
15.	मणिपुर*	2
16.	मेघालय	3
17.	मिजोरम	2
18.	नागालैंड*	2
19.	ओडिशा	35
20.	पंजाब	15
25.	उत्तराखंड**	22
26.	पश्चिमी बंगाल	150
	कुल	796

*- 10/12 तक जानकारी

**- 6/12 तक जानकारी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

5008. श्री हर्ष वर्धनः
डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः
डॉ. एम. तम्बिदुरईः
श्री पन्ना लाल पुनियाः
श्री आर. थामराईसेलवनः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन और न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के निर्णय तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के साथ गठित उसकी सलाहकारी राय तारीख 28 अक्तूबर, 1998 के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नियुक्ति के प्रक्रिया ज्ञापन पर आधारित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया का पुनर्विलोकन/परिवर्तन करने के लिए विभिन्न अभिकरणों और विशेषज्ञ निकायों द्वारा अभ्यावेदन किए गए हैं। प्राप्त सुझावों पर आधारित व्यापक आधार वाले न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव है। तथापि, अब तक, सरकार द्वारा ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

वर्तमान में, उच्चतर न्यायपालिका के 'आंतरिक तंत्र' के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (सीजेआई), उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति (सीजेएचएस), उनके न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक नामक एक विधेयक पुरःस्थापित किया है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभिकथित कदाचार और अक्षमता के आधारों पर नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के निपटारे के लिए और अन्वेषण के पश्चात् उनके दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए व्यापक तंत्र का उपबंध करता है। विधेयक न्यायिक मानकों को भी अधिकथित करता है और उनकी आस्तियों/दायित्वों की घोषणा के लिए न्यायाधीशों पर उसको आवश्यक बनाता है।

[अनुवाद]

स्वच्छता सुविधाएं

5009. श्री आनंदराव अडसुलः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री गजानन घ. बाबरः
श्री पी. कुमारः
श्री निखिल कुमार चौधरीः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री अरविन्द कुमार चौधरीः
श्री हेमानंद बिसवालः
श्री प्रहलाद जोशीः

श्रीमती पुतुल कुमारी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12वीं योजना के दौरान सरकार द्वारा स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के लिए परिव्यय में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो 11वीं योजना की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में स्वच्छता सुविधाओं का कोई आंकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या भारत निर्माण योजना के अंतर्गत स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है;

(च) यदि हां, तो क्या इसके कारण सरकार ने अपने लक्ष्यों और इस प्रयोजन हेतु निर्धारित निधियों में वृद्धि की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या यह भी सत्य है कि स्वच्छता पर सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम एक प्रतिशत व्यय करने की मांग की गई है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) जी हां।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6540 करोड़ रुपये की तुलना में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 34377 करोड़ रुपये के परिव्यय का (11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 425% अधिक) ग्रामीण स्वच्छता के लिए प्रावधान किया गया है।

(ग) जी हां, सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का मूल्यांकन जनगणना-2011 से प्राप्त आधार पर उपलब्ध है।

(घ) जनगणना-2011 के परिणामों के अनुसार, 32.67% ग्रामीण परिवारों की शौचालयों तक पहुंच बताई गई है।

(ङ) से (छ) निर्मल भारत अभियान (एनबीए), भारत निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने स्वच्छता के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 6540 करोड़ रुपये की तुलना में 12वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में ग्रामीण स्वच्छता के लिए 34,377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि उल्लेखनीय रूप से अपेक्षाकृत अधिक आवंटन है। एनबीए के अंतर्गत 2022 तक देश में सभी ग्रामीण परिवारों के लिए स्वच्छता 100% उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। एनबीए की 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार भी, सभी ग्राम पंचायतों में से 50% को 2017 तक निर्मल ग्राम बनाना है।

(ज) इस प्रकार की किसी विशिष्ट मांग से सरकार अवगत नहीं है।

(झ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

5010. श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार को उक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो स्कीमों नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) तथा निर्मल भारत अभियान (एनबीए) को चलाता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतमर्गत बसावटों में पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियां विवरण-I में संलग्न है। जहां तक एनबीए का प्रश्न है, यह एक मांग चालित स्कीम है, अतः राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों, विद्यालय शैचालयों तथा आंगनवाडी,

शौचालयों के निर्माण के संबंध में राज्य/संघ राज्य-वार उपलब्धियां विवरण-II में संलग्न है।

(ख) और (ग) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य स्तरीय स्कीम मंजूरी समिति में पेयजल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में योजना बनाने तथा इनका अनुमोदन करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास निहित हैं। वे एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करतीं।

जहां तक एनबीए का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी 17 योजनाएं मंत्रालय को प्रस्तुत की गई हैं तथा अनुमादित की गई हैं।

विवरण I

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक बसावटों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(बसावटों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6843	6971	5700	6183	5477	5699
2.	बिहार	18774	14221	16600	11243	15015	10085
3.	छत्तीसगढ़	11255	7847	11454	7977	12642	6145
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	1100	1079	1126	115	1150	1812
6.	हरियाणा	1007	752	943	859	955	895
7.	हिमाचल प्रदेश	5000	5094	2557	2558	2532	2251
8.	जम्मू और कश्मीर	1709	903	1451	536	1279	722
9.	झारखंड	14735	11399	19559	17425	16583	17187
10.	कर्नाटक	13925	6130	9695	8757	10339	8708
11.	केरल	744	405	824	419	696	646
12.	मध्य प्रदेश	13399	13937	16744	15644	17074	13149
13.	महाराष्ट्र	9745	8987	6502	6364	5940	2954
14.	ओडिशा	5354	7525	8642	6782	12209	19370
15.	पंजाब	2023	1658	1630	643	1473	435
16.	राजस्थान	8878	7254	14262	7885	9137	2420

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	तमिलनाडु	7318	7039	6000	6000	7000	6585
18.	उत्तर प्रदेश	2142	1879	23300	23134	24000	2584
19.	उत्तराखंड	1565	1324	1359	1102	1085	758
20.	पश्चिम बंगाल	6630	5967	6096	4619	4152	4232
21.	अरूणाचल प्रदेश	517	301	308	415	292	153
22.	असम	8497	6467	7304	6601	7230	5172
23.	मणिपुर	333	227	330	234	250	167
24.	मेघालय	760	380	781	510	628	173
25.	मिजोरम	124	121	128	122	57	5
26.	नागालैंड	105	128	109	116	175	155
27.	सिक्किम	175	100	200	50	280	63
28.	त्रिपुरा	834	976	982	1024	1052	1323
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
34.	पुदुचेरी	17	12	0	0	30	0
	कुल		119383	164586	138367	158732	113848

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों, विद्यालय शौचालयों तथा आंगनवाडी शौचालयों के निर्माण में राज्य/संघ राज्य-वार उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11			2011-12			2012-13		
		वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय	विद्यालय शौचालय	आंगनवाडी शौचालय	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय	विद्यालय शौचालय	आंगनवाडी शौचालय	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय	विद्यालय शौचालय	आंगनवाडी शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1049704	3961	816	654282	7308	1048	381655	4199	1574
2.	अरूणाचल प्रदेश	19799	335	331	27781	4	76	4887	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	498849	4528	1004	510243	633	120	272839	52	76
4.	बिहार	717792	8679	309	839927	22575	1521	787654	16222	4593
5.	छत्तीसगढ़	236164	616	262	82496	1918	365	51064	1387	220
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	800	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	515224	2323	2343	321357	5182	474	171977	4663	451
9.	हरियाणा	132137	1340	870	103913	657	633	62949	148	315
10.	हिमाचल प्रदेश	216571	6429	4400	30066	802	132	5183	1215	1066
11.	जम्मू और कश्मीर	125228	1480	42	70626	2682	97	62441	1863	67
12.	झारखण्ड	296678	2158	1451	53479	1228	1067	48204	543	684
13.	कर्नाटक	810104	4719	3025	414782	1062	1046	295195	1758	687
14.	केरल	20241	29	195	2188	76	60	5674	34	322
15.	मध्य प्रदेश	1166016	16570	4419	900769	43687	1856	551935	1033	804
16.	महाराष्ट्र	562183	4222	1574	519563	539	579	189306	159	5800
17.	मणिपुर	49576	1227	779	55306	703	144	43917	0	53
18.	मेघालय	65417	2833	710	51550	2077	595	14134	1603	113
19.	मिजोरम	1611	0	0	17237	0	236	4967	106	219
20.	नागालैंड	18224	578	60	46318	304	168	22149	28	20
21.	ओडिशा	853303	3418	1459	359171	1984	3320	118318	1108	956
22.	पुदुचेरी	77	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	229526	2000	1951	32535	5	1197	57421	345	620
24.	राजस्थान	750948	6323	1734	730385	5297	2015	242707	14283	3350
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	473647	1464	182	410794	5605	1202	265824	1561	1144
27.	त्रिपुरा	30392	588	645	24761	1035	777	7035	412	2
28.	उत्तर प्रदेश	2915407	18410	16076	1613384	18	504	130475	30	80
29.	उत्तराखंड	132913	219	6	125051	192	29	97472	344	19
30.	पश्चिम बंगाल	466311	12060	6180	800900	16898	9148	559115	19475	12176
	कुल	1224373	10550	50823	8798864	12247	28409	445449	72571	35419

एस.जी.एस.वाई. में खामियां

5011. डॉ. संजय सिंह:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रो. राधाकृष्ण समिति ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) में विद्यमान खामियों को इंगित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किस हद तक इन खामियों को दूर कर लिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) रिपोर्ट से संबंधित ऋण संबंधी मुद्दों पर प्रो. राधाकृष्ण समिति द्वारा इंगित की गई कुछ प्रमुख कमियां निम्नानुसार हैं:–

(i) सूक्ष्म उद्यमों सहित 22 प्रतिशत स्व-सहायता समूह आय सृजन संबंधी कार्यकलापों के लिए बैंक ऋण प्राप्त कर पाते हैं। बैंक सहायता बहुत ही कम है जिसके कारण निवेश कार्यकलापों का स्तर कम रहा है। यह कमी स्व-सहायता समूहों की ऋण प्राप्त करने की क्षमता में सुधार के लिए सार्वजनिक हस्तक्षेप की असफलता के साथ-साथ ऋण सुपुर्दगी प्रणालियों के गरीबों तक पहुंचने में असफल रहने के कारण है।

(ii) चूंकि अधिकांश स्व-सहायता समूह न्यून प्रौद्योगिकी वाले एवं कम लाभकारी परंपरागत कार्यकलापों में लगे हुए हैं और उनकी आय बहुत कम है। अत: एसजीएसवाई स्वरोजगारियों के रहन-सहन के मानकों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल पाया है।

(iii) अलग-अलग राज्यों में स्व-सहायता समूहों की असमान एकजुटता, लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण, कम ऋण उपयोग तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समर्पित पेशेवरों का अभाव।

(ग) व्यापक रूप से प्रो. राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर एसजीएसवाई का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन किया गया है-जिसे अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन किया गया है- जिसे अब 'आजीविका' नाम दिया गया है परिणामों की लक्ष्यबद्ध एवं समय पर प्राप्ति के लिए कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से देश भर में मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाता है। इसका लक्ष्य गरीब परिवारों लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना है। एनआरएलएम मांग संचालित कार्यक्रम है और इसमें राज्यों को उनकी अपनी आजीविका आधारित उन्मूलन कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए गुणवत्तायुक्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एनआरएलएम में संस्थागत अवसंरचना की स्थापना, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की स्थापना तथा राज्यों में मिशन कार्यकलापों की शुरूआत पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। एनआरएलएम में ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता, महिला स्व-सहायता समूहों के सतत क्षमता निर्माण, अपेक्षित कौशलों हेतु प्रशिक्षण तथा निर्धनों के लिए संगठित क्षेत्र में सामने आने वाले अवसरों सहित आजीविका अवसरों के साथ तालमेल के सृजन और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों के लिए निगरानी पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। राज्य, जिला, तथा ब्लॉक स्तर पर समर्पित सहायता संरचना के जरिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाता है। एनआरएलएम वित्तीय समावेशन में सुधार तथा मांग एवं आपूर्ति दोनों पक्षों के संबंध में स्व-सहायता समूहों और बैंकों के बीच संबंध पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मांग पक्ष के संबंध में एनआरएलएम गरीबों की वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ओर एसएचओ सदस्यों के बीच ऋण अदायगी की परंपरा का विकास करते हुए निर्धनों की सदृढ़ संस्थाओं का निर्माण कर रहा है। आपूर्ति पक्ष के संबंध में उपयुक्त नीतिगत वातावरण का निर्माण करने तथा निर्धनों के लिए समुचित वित्तीय उत्पाद करने के लिए मिशन बैंकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

स्वीकृति हेतु तकनीकी मानदंड

5012. श्री मनोहर तिरकी:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **रेल मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा विशेषकर ब्राड गेज रूट पर अपने चल स्टॉक को प्रचालन संबंधी स्वीकृति प्रमाण पत्र देने के लिए अपनाए गए तकनीकी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक ही मार्ग/पटरी पर विभिन्न प्रकार के चल स्टॉक के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) चल स्टाक के पैरामीटरों आर वाहन डायनैमिक्स के कम्प्यूटरीकृत सिम्यूलेशन के आधार पर अनन्तिम रफ्तार प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं जिनकी वैधता अवधि 5 वर्ष की होती है और ये प्रमाण पत्र निम्नलिखित अधिकतम गति के लिए होते हैं:

बला यात्री स्टाक के लिए 80 किमी./घंटा

बला माल स्टाक के लिए 65 किमी./घंटा

रोलिंन स्टाक के दोलन परीक्षण में संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने के आधार पर अन्तिम गति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(ख) जी हां। प्रत्येक किस्म के रोलिंग स्टाक के लिए मानदण्डों और उनकी अनुमेय उपयोगिता भिन्न होती हैं।

(ग) अनुमेय उपयोगिता जो अपेक्षित सेवा पर आधारित होता है, भारतीय रेलों पर रोलिंग स्टाक के स्थायी आकलन हेतु मानदण्ड तैयार करने के लिए स्थापित भारतीय रेलवे की अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन की स्थायी मापदण्ड समिति द्वारा निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का लाभांश

5013. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) ने वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार घोषित सरकारी उपक्रम-वार लाभांश राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2011-12 की राशि की तुलना में उक्त लाभांश राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2013-14 के वित्त वर्ष के लिए उक्त उपक्रमों द्वारा अधिक लाभांश दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त राशि का ब्यौरा क्या है और मार्च 2013 के अंत तक इन संस्थानों के पास पड़े अप्रयुक्त अतिरिक्त निधियों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश की घोषणा अपने वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने, लेखा परीक्षण और बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाने तथा तदुपरांत वार्षिक आम सभा में स्टेकहोल्डरों द्वारा अनुमोदन के बाद की जाती है। चूंकि यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश की घोषणा मार्च, 2013 तक नहीं की गई है। तथापि, भारत हेवी लेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने वर्ष 2012-13 के लिए 515.89 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

(ग) बीएचईएल ने वर्ष 2011-12 के लिए 1567 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश घोषित किया था।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मनरेगा के तहत कार्य-निष्पादन

5014. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री तूफानी सरोज:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जारी धानराशि के उपयोग के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए वित्त-उपयोग संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जहां धानराशि का कम उपयोग होने की सूचना है;

(घ) किन-किन राज्यों में योजना के तहत उपलब्धियां औसत से नीचे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सभी राज्यों को 'मनरेगा' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थानों को तैयार करने हेतु अनुदेशित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र से अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किए गए कार्यों का वित्तीय निष्पादन और वास्तविक प्रगति के साथ समय-समय पर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपयोग प्रमाण पत्र, श्रमिक आकलन और विगत निष्पादन के आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) मनरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसके तहत कोई भी राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते है। मनरेगा का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार किया जाता है और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित प्रक्रिया विधि और उपायों को तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(ङ) और (च) मनरेगा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य जमीनी स्तर पर प्रजातंत्र को मजबूत बनाना है ताकि स्थानीय शासन में पारदर्शिता, प्रत्युरत्ता तथा उत्तरदायित्ता लाई जा सके। संविधान के 73वें संशोधन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनरेगा एक मजदूर, कानूनी हकदारी और अवसर उपलब्ध कराता है। एमजीएनआरईजी की धारा (1) के अनुसार ग्राम सभा और वार्ड सभा की सिफारिशों के अनुसार योजना के तहत ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत लिए जाने वाली परियोजनाओं की पहचान तथा उक्त कार्यों के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए ग्राम पंचायतें जिम्मदार रहेंगी। एमजीएनआरईजी की धारा 13(1) के अनुसार अधिनियम के तहत तैयार की गई योजनाओं के आयोजना और कार्यान्वयन के लिए पंचायतें जिला, माध्यमिक और ग्रामीण स्तरों पर प्रमुख प्राधिकारी होंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एमजीएनआरईजी अधिनियम के इन प्रावधानों से बंधे हुए हैं।

एमपीएलएडी निधि

5015. श्री वीरेन्द्र कश्यपः
श्री एस. सेम्मलईः
श्रीमती सुमित्रा महाजनः

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में विकासात्मक कार्यों हेतु संसद सदस्यों की सिफारिश पर आज की तारीख तक संस्वीकृत तथा जारी धनराशि का संसद सदस्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या धनराशि निर्गत करने में कोई विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस धनराशि को समय पर जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस संबंध में राज्य-वार क्या प्रगति की गई है; और

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत धनराशि के वार्षिक आबंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत जारी तथा व्यय की गई राशि के संबंध में संचयी आंकड़े का रख-रखाव करता है जिसे नोडल जिला प्राधिकारियों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों (एमपीआर) के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार एमपीलैड्स के अंतर्गत 15वीं लोक सभा को जारी एवं व्यय की गई राशि की संचयी स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। दिनांक 01.04.2013 से 15.04.2013 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधियों की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख), (ग) और (घ) क्षेत्र में कार्यों का कार्यान्वयन जिला प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। निधियां जारी करने तथा उनके प्रबंधन के लिए शर्तें एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के पैरा 4, उप-पैरा 4.1 से 4.17 में दी गई हैं। जिला प्राधिकारियों को जारी निधियां गैर-व्यपगत हैं। जिल में शेष निधियों को बाद के वर्षों में उपयोग के लिए आगे ले जाया जाता है। किसी वर्ष में भारत सरकार द्वारा जारी न की गई निधियों को बाद के वर्षों में जारी करने के लिए आगे ले जाया जाता है। यह मंत्रालय निधियों के सामयिक तथा नियमित उपयोग एवं जिला प्राधिकारियों से आवश्यक कागजात तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर निरंतर बल देता रहा है।

(ङ) एमपीलैड्स के अंतर्गत निधियों के वार्षिक आबंटन में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण I

31.03.2013 के अनुसार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत 15वीं लोक सभा के संबंध में निर्गत तथा व्यय की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सांसद/निर्वाचन क्षेत्र	निर्वाचन क्षेत्र की पात्रता	भारत सरकार द्वारा जारी	नोडल जिले के पास उपलब्ध धनराशि ब्याज सहित	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	अव्ययित शेष	प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य: नामित								
1.	डॉ. चार्ल्स डियूस एर्नाकुलम	14.00	11.50	11.61	12.70	6.20	5.41	जनवरी, 13
2.	श्रीमती इंग्रिड मैक्लॉड बिलासपुर	14.00	11.50	11.61	5.92	5.59	6.02	जून, 12
कुल:		28.00	23.00	23.22	18.62	11.79	11.43	
राज्य: आंध्र प्रदेश								
1.	श्री राठौर रमेश आदिलाबाद (अजजा)	14.00	11.50	12.23	10.30	9.06	3.17	फरवरी, 13
2.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार अमलापुरम (अजा)	14.00	11.50	12.33	11.83	8.12	4.21	फरवरी, 13
3.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी अनन्तपुर	14.00	14.00	14.91	13.94	11.89	3.02	फरवरी, 13
4.	श्री सब्बम हरि अनकापल्ली	14.00	11.50	12.21	7.35	7.00	5.21	जून, 12
5.	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी बापटला	14.00	11.50	12.26	10.92	5.85	6.71	फरवरी, 13
6.	श्री सुरेश कुमार शेटकर जहीराबाद	14.00	11.50	12.22	11.74	9.01	3.21	फरवरी, 13
7.	श्री सर्वे सत्यनारायण मल्काजगिरि	14.00	11.50	12.24	10.75	6.73	5.51	फरवरी, 13
8.	श्री नरमल्ली शिवप्रसाद चित्तूर	14.00	11.50	12.20	10.65	8.16	4.13	जनवरी, 13
9.	श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, कडापा	14.00	11.50	12.31	13.38	11.04	1.27	फरवरी, 13
10.	श्री कावूरू सांबासिव राव एलूरू	14.00	11.50	12.10	14.43	10.03	2.07	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	श्री रायापति सांबासिवा राव गुंटूर	14.00	11.50	12.40	14.27	9.40	3.00	फरवरी, 13
12.	श्री जयपाल सुदीनी रेड्डी चेवेल्ला	14.00	11.50	12.25	11.28	6.32	5.93	जनवरी, 13
13.	श्री क्रिस्टप्पा निम्माला हिन्दुपुर	14.00	14.00	14.81	12.45	10.38	4.43	जनवरी, 13
14.	श्री असादूद्दीन ओवेसी हैदराबाद	14.00	6.50	7.43	4.51	3.70	3.64	फरवरी, 13
15.	श्री एम. मंगापति पल्लम राजू काकीनाडा	14.00	11.50	12.44	11.14	6.83	5.61	फरवरी, 13
16.	श्री पोन्नम प्रभाकर करीमनगर	14.00	11.50	12.22	12.73	5.26	6.96	जनवरी, 13
17.	श्री नामा नागेश्वर राव खम्माम	14.00	11.50	12.14	9.86	8.77	3.37	फरवरी, 13
18.	श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी कुरनूल	14.00	14.00	14.89	14.64	11.86	3.03	फरवरी, 13
19.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव मछलीपत्तनम	14.00	11.50	11.65	11.28	7.44	4.21	फरवरी, 13
20.	श्री के.के. चन्द्रशेखर राव महबूबनगर	14.00	11.50	12.26	14.52	7.85	4.41	अक्तूबर, 12
21.	श्रीमती एम. विजया शांति मेडक	14.00	11.50	12.24	12.11	9.29	2.95	फरवरी, 13
22.	श्री कोमातीरेड्डी राज गोपाल रेड्डी भोंगीर	14.00	11.50	12.16	13.98	10.68	1.48	जनवरी, 13
23.	डॉ. मंदा जगन्नाथ नगरकुरनूल (अजा)	14.00	14.00	14.68	14.44	11.70	2.96	नवम्बर, 12
24.	श्री सुखेन्द्र रेड्डी गुथा नालगोंडा	14.00	11.50	12.21	13.75	10.00	2.21	जनवरी, 13
25.	श्री एस.पी.वाई. रेड्डी नांदयाल	14.00	11.50	12.36	13.18	9.40	2.96	फरवरी, 13
26.	श्री मोदुगुला वेणुगोपाला रेड्डी नरसारापेट	14.00	11.50	12.34	13.69	9.90	2.44	फरवरी, 13
27.	श्री बापीराजू कानूमुनी नरसापुरम	14.00	11.50	12.10	14.00	9.86	2.24	फरवरी, 13
28.	श्री मेकपति राजमोहन रेड्डी, नेल्लौर (अजा)	14.00	11.50	12.26	13.76	7.90	4.36	फरवरी, 13
29.	श्री मधु गौड यास्खी निजामाबाद	14.00	6.50	7.21	9.10	5.69	1.52	फरवरी, 13
30.	श्री मागुण्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी, ओंगोले	14.00	11.50	12.25	14.62	9.22	3.03	फरवरी, 13
31.	श्री पोरिका नायक बलराम महबूबाबाद (अजजा)	14.00	11.50	12.17	13.91	9.66	2.51	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	डॉ. गद्दम विवेकानन्द पेड्डापल्ले (अजा)	14.00	11.50	12.22	12.49	6.34	5.88	जनवरी, 2
33.	श्री अरूण कुमार वुन्डावल्ली राजामुन्दरी	14.00	11.50	12.39	11.68	7.66	4.73	फरवरी, 13
34.	श्री अन्नैयागरी साईं प्रताप राजमपेट	14.00	14.00	14.73	14.57	12.18	2.55	फरवरी, 13
35.	श्री एम अंजनकुमार यादव सिकन्दराबाद	14.00	11.50	12.44	13.83	9.21	3.23	फरवरी, 13
36.	श्री वी. किशोर चन्द्र देव, अराकु (अजजा)	14.00	11.50	12.24	10.27	8.29	3.95	फरवरी, 13
37.	श्रीमती कृपारानी किल्ली श्रीकाकुलम	14.00	11.50	12.30	10.43	7.06	5.24	फरवरी, 13
38.	डॉ. झांसी लक्ष्मी बोचा विजियानगरम	14.00	14.00	14.65	15.77	11.81	2.84	फरवरी, 13
39.	डॉ. चिन्ता मोहन तिरूपति (अजा)	14.00	6.50	7.32	3.01	2.72	4.60	जनवरी, 13
40.	श्री राजगोपाल लगडपति विजयवाड़ा	14.00	11.50	11.65	13.87	7.57	4.08	फरवरी, 13
41.	श्रीमती डग्गुबति पुरन्देश्वरी विशाखापत्तनम	14.00	14.00	14.72	12.16	10.20	4.52	जनवरी, 13
42.	श्री राजईया सिरिसला वारंगल	14.00	6.50	7.23	9.83	4.47	2.76	फरवरी, 13
कुल:		588.00	480.50	511.46	506.51	355.60	155.86	
राज्य: अरूणाचल प्रदेश								
1.	श्री निनोंग ईरींग अरूणाचल पूर्व	14.00	14.00	16.26	10.81	11.06	5.20	फरवरी, 13
2.	श्री तकाम संजय अरूणाचल पश्चिम	14.00	14.00	14.19	11.56	11.64	2.55	फरवरी, 13
कुल:		28.00	28.00	30.45	22.37	22.70	7.75	
राज्य: असम								
1.	डॉ. बिरेन सिंह इंग्ती स्वशासी जिला (अजजा)	14.00	11.50	11.62	9.10	6.74	4.88	जनवरी, 13
2.	श्री इस्माइल हुसैन बारपेटा	14.00	6.50	6.56	4.09	3.16	3.40	दिसम्बर, 12
3.	श्री बदरूद्दीन अजमल धुबरी	14.00	6.50	6.61	3.28	2.78	3.83	जनवरी, 13
4.	श्री पबन सिंह घाटोवार डिब्रुगढ़	14.00	11.50	11.89	9.04	7.78	4.11	जनवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती गुवाहाटी	14.00	14.00	14.03	11.33	9.47	4.56	जनवरी, 13
6.	श्री विजय कृष्णा हान्डिक जोरहाट	14.00	11.50	11.54	6.50	6.35	5.19	मार्च, 12
7.	श्री दीप गोगोई कलियाबोर	14.00	6.50	6.54	6.49	5.95	0.59	जनवरी, 13
8.	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य करीमगंज (अजा)	14.00	11.50	11.50	8.20	7.59	3.91	जनवरी, 13
9.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, कोकराझार (अजजा)	14.00	11.50	11.64	9.14	7.93	3.71	फरवरी, 13
10.	श्री रानी नरह लखीमपुर	14.00	6.50	6.75	5.05	4.05	2.70	जनवरी, 13
11.	श्री रमेन डेका मंगलदोई	14.00	11.50	11.62	9.17	8.43	3.19	जनवरी, 13
12.	श्री राजेश गोहेन नौगांव	14.00	11.50	11.58	8.90	8.20	3.38	जनवरी, 13
13.	श्री कवीन्द्र पुरकायस्था सिल्चर	14.00	11.50	11.66	9.16	8.41	3.25	फरवरी, 13
14.	श्री जोसेफ टोपो तेजपुर	14.00	11.50	11.61	9.21	7.96	3.85	दिसम्बर, 12
कुल:		196.00	143.00	145.15	108.66	94.80	50.35	
राज्य: बिहार								
1.	श्री प्रदीप कुमार सिंह अररिया	14.00	6.98	7.14	5.32	2.42	4.72	फरवरी, 13
2.	श्रीमती मीना सिंह आरा	14.00	17.98	12.11	11.29	9.21	2.90	फरवरी, 13
3.	श्री सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद	14.00	11.98	11.98	6.04	4.50	7.48	फरवरी, 13
4.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो वाल्मीकि नगर	14.00	11.98	12.15	7.58	5.42	6.72	जनवरी, 13
5.	डॉ. संजय जायसवाल पश्चिम चम्पारण	14.00	6.98	7.10	3.74	2.63	4.48	दिसम्बर, 12
6.	श्रीमती पुतुल कुमारी बांका	14.00	6.98	7.07	5.50	1.07	6.00	फरवरी, 13
7.	श्री राधा मोहन सिंह पूर्वी चम्पारण	14.00	6.98	6.98	3.48	2.60	4.38	जनवरी, 13
8.	डॉ. मोनाजिर हसन बेगूसराय	14.00	11.96	12.02	6.62	5.07	6.94	फरवरी, 13
9.	श्री विश्व मोहन कुमार सुपौल	14.00	11.98	12.07	6.33	6.04	6.02	दिसम्बर, 12
10.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर	14.00	11.96	12.01	10.61	4.58	7.42	जनवरी, 13
11.	श्री लालू प्रसाद सारण	14.00	11.98	11.98	8.61	4.42	7.46	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	श्री जगदानंद सिंह, बक्कसर	14.00	11.95	12.12	10.95	10.12	2.00	फरवरी, 12
13.	श्रीमती अश्वमेध देवी उजियारपुर	14.00	6.98	7.09	3.25	1.80	5.28	जनवरी, 13
14.	श्री कीर्ति आजाद दरभंगा	14.00	6.98	7.08	8.03	3.69	3.38	जनवरी, 13
15.	श्री हरि मांझी गया (अजा)	14.00	11.96	12.08	6.95	6.24	5.84	दिसम्बर, 12
16.	श्री पूर्णमासी राम गोपालगंज (अजा)	14.00	14.48	14.58	11.37	9.62	4.06	फरवरी, 13
17.	श्री रामसुंदर दास हाजीपुर (अजा)	14.00	11.98	12.14	8.34	8.18	3.96	जनवरी, 13
18.	श्री जगदीश शर्मा जहानाबाद	14.00	6.98	7.08	9.01	3.25	3.82	फरवरी, 13
19.	श्री मंगनी लाल मंडल झंझारपुर	14.00	6.98	6.99	3.17	2.55	4.44	फरवरी, 13
20.	श्री निखिल कुमार चौधरी कटिहार	14.00	6.98	7.02	5.30	3.08	3.94	जनवरी, 13
21.	श्री दिनेश चन्द्र यादव खगड़िया	14.00	6.98	7.08	3.37	2.68	4.40	सितम्बर, 12
22.	श्री मोहम्मद असर्फुल हक किशनगंज	14.00	6.98	7.08	5.45	3.75	3.32	दिसम्बर,12
23.	श्री शरद यादव मधेपुरा	14.00	11.98	12.06	9.35	6.79	5.26	अक्तूबर, 12
24.	श्री हुकुमदेव नारायण यादव मधुबनी	14.00	6.98	6.99	6.58	2.86	4.12	फरवरी, 13
25.	श्री उमा शंकर सिंह महाराजगंज	14.00	3.48	3.63	2.01	1.29	2.34	जनवरी, 13
26.	श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह, मुंगेर	14.00	6.98	7.06	5.40	1.10	5.98	फरवरी, 13
27.	श्री रंजन प्रसाद यादव पाटलिपुत्र	14.00	11.98	12.02	11.01	5.01	7.00	फरवरी, 13
28.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद, मुजफ्फरपुर	14.00	11.98	12.09	8.06	6.41	5.68	जनवरी, 13
29.	श्री कौशलेन्द्र कुमार नालन्दा	14.00	11.98	12.11	9.88	6.42	5.68	फरवरी, 13
30.	श्री भोला सिंह नवादा	14.00	11.98	11.99	6.98	4.49	7.50	जनवरी, 13
31.	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा पटना साहिब	14.00	11.98	11.98	9.02	6.85	5.12	दिसम्बर, 12
32.	श्री महाबली सिंह काराकाट	14.00	11.96	11.98	9.02	6.45	5.12	दिसम्बर, 12
33.	श्री भूदेव चौधरी जमुई (अजा)	14.00	6.98	7.0	5.19	2.37	4.64	दिसम्बर, 12
34.	श्री महेश्वर हजारी समस्तीपुर (अजा)	14.00	11.98	12.14	9.15	4.63	7.50	फरवरी, 13
35.	श्रीमती मीरा कुमार सासाराम (अजा)	14.00	11.98	12.24	10.25	9.66	2.58	फरवरी, 13
36.	श्रीमती रमा देवी शिवहर	14.00	6.98	7.04	6.79	4.58	2.46	जनवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	श्री अर्जुन राय सीतामढ़ी	14.00	6.96	7.02	4.03	3.09	3.92	जनवरी, 13
38.	श्री ओम प्रकाश यादव सीवान	14.00	6.98	7.22	7.01	5.53	1.68	फरवरी, 13
39.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली	14.00	6.98	7.11	8.65	3.37	3.74	फरवरी, 13
40.	श्री उदय सिंह पूर्णिया	14.00	6.98	7.11	3.04	2.95	4.16	जनवरी, 13
कुलः		560.00	378.00	381.60	279.22	186.83	194.77	
राज्यः गोवा								
1.	श्री श्रीपद येसा नाईक गोवा	14.00	12.50	12.83	9.10	6.25	6.58	जनवरी, 13
2.	श्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा दक्षिण गोवा	14.00	11.50	11.92	8.41	7.03	4.89	जनवरी, 13
कुलः		28.00	24.00	24.75	17.60	13.28	11.47	
राज्यः गुजरात								
1.	श्री हरिन पाठक अहमदाबाद पूर्व	14.00	11.58	11.65	11.72	8.69	2.96	जनवरी, 13
2.	श्री नारनभाई कछाड़िया अमरेली	14.00	11.58	12.38	13.71	9.24	3.14	जनवरी, 13
3.	श्री भरतभाई माधवसिंह सोलंकी, आनन्द	14.00	11.56	12.42	12.20	6.93	5.49	जनवरी, 13
4.	श्री मुकेश भैरवदानजी गैढ़वी बनासकांठा	14.00	6.58	7.31	13.71	6.40	1.91	फरवरी, 13
5.	श्री बालकृष्ण खांडेलराव शुला (बालुशुक्ला) वडोदरा							
6.	श्री राजेन्द्रसिंह घनश्याम सिंह राणा भावनगर	14.00	6.58	7.55	9.66	5.31	2.2	फरवरी, 13
7.	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा भरूच	14.00	6.58	7.39	11.36	6.92	0.47	सितम्बर, 12
8.	डॉ. किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी अहमदाबाद पश्चिम (अजज)	14.00	11.58	11.67	14.98	10.24	1.43	जनवरी, 13
9.	श्री रामसिंह पतल्याभाई राठवा, छोटा उदसपुर (अजजा)	14.00	6.58	7.28	8.43	5.14	2.14	जनवरी, 13
10.	श्री दिनशा जे. पटेल खेड़ा	14.00	11.58	12.36	14.79	7.87	4.49	जनवरी, 13
11.	डॉ. (श्रीमती) प्रभा किशोर तवैद दाहोड़ (अजजा)	14.00	6.55	7.42	7.11	3.04	4.39	सितम्बर, 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर	14.00	6.58	6.65	9.70	3.78	2.87	जनवरी, 13
13.	श्री प्रभातसिंह चौहान, पंचमहल	14.00	14.08	14.90	13.72	10.70	4.20	फरवरी, 12
14.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम जामनगर	14.00	11.58	12.47	11.80	10.27	2.220	जनवरी, 13
15.	श्री दीनूभाई बोगाभाई सोलंकी जूनागढ़	14.00	11.58	12.43	13.30	6.33	6.10	जनवरी, 13
16.	श्री तुषारभाई ए. चौधरी बारडोली (अजजा)	14.00	11.58	12.37	8.85	5.82	6.55	फरवरी, 13
17.	श्री सी.आर. पाटील नवसारी	14.00	11.58	12.05	9.53	6.61	5.44	फरवरी, 13
18.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट कच्छ (अजा)	14.00	11.58	12.38	9.11	7.02	5.36	फरवरी, 13
19.	श्री किसनभाई वेस्टाभाई पटेल वलसाड (अजजा)	14.00	11.58	12.29	12.6	8.31	3.96	अगस्त, 12
20.	श्रीमती जयश्रीबेन कानुभाई पटेल मेहसाना	14.00	11.58	12.22	11.64	9.49	2.73	जनवरी, 13
21.	श्री जगदीश ठाकोर पाटन	14.00	11.58	12.36	11.86	8.75	3.61	जनवरी, 13
22.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया, पोरबंदर	14.00	11.58	11.65	9.12	5.79	5.86	दिसम्बर, 12
23.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया, राजकोट	14.00	11.58	11.94	8.01	6.66	5.28	नवम्बर, 12
24.	डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहान साबरकंठा	14.00	6.58	7.13	10.84	5.99	1.14	जनवरी, 13
25.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश सूरत	14.00	11.58	12.22	11.37	7.43	4.799	फरवरी, 13
26.	श्री सोमाभाई गैदालाल कोली पटेल सुरेन्द्रनगर	14.00	11.58	12.02	12.88	6.86	5.17	अगस्त, 12
कुल:		364.00	263.50	279.82	292.33	183.51	9631	
राज्य: हरियाणा								
1.	श्रीमती श्रुति चौधरी भिवानी, महेन्द्रगढ़	14.001	14.00	14.41	12.91	10.08	4.33	दिसम्बर, 12
2.	श्री अवतार सिंह भडाना फरीदाबाद	14.00	14.00	14.26	13.22	11.38	2.88	फरवरी, 12
3.	श्री कुलदीप बिश्नोई हिसार	14.00	11.50	11.64	8.14	5.19	6.45	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा करनाल	14.00	14.00	14.36	11.63	9.90	4.46	फरवरी, 13
5.	श्री नवीन जिन्दल कुरूक्षेत्र	14.00	14.00	14.24	13.56	10.03	4.21	फरवरी, 13
6.	श्री इन्द्रजीत सिंह राव गुड़गांव	14.00	14.00	14.25	11.68	9.47	4.78	फरवरी, 13
7.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा रोहतक	14.00	14.00	14.38	11.95	11.20	3.18	फरवरी, 13
8.	श्री अशोक तंवर सिरसा (अजा)	14.00	11.50	11.60	12.15	9.17	2.43	जनवरी, 13
9.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक सोनीपत	14.00	14.00	14.20	11.65	9.22	4.98	जनवरी, 13
10.	कुमारी सैलजा अम्बाला (अजा)	14.00	11.50	11.65	7.65	5.82	5.83	जुलाई, 12
कुल		140.00	132.50	134.99	114.54	91.46	43.53	
राज्यः हिमाचल प्रदेश								
1.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हमीरपुर	14.00	14.00	17.73	12.03	10.27	4.46	अक्तूबर, 12
2.	डॉ. राजन सुशान्त कांगड़ा	14.00	14.00	15.15	11.73	11.73	3.42	नवम्बर, 12
3.	श्री वीरभद्र सिंह मंडी	14.00	14.00	15.10	15.01	12.36	2.74	जनवरी, 13
4.	श्री वीरेन्द्र कश्यप शिमला (अजा)	14	14	15.10	15.01	12.36	2.74	जनवरी, 13
कुलः		56.00	56.00	59.26	50.46	43.65	15.61	
राज्यः जम्मू और कश्मीर								
1.	डॉ. मिर्जा महबूब बेग अनंतनाग	14.00	11.50	11.65	13.25	7.06	4.59	दिसम्बर, 12
2.	श्री शरीफुद्दीन शरीक बारामूला	14.00	12.50	12.61	15.40	9.62	2.99	जनवरी, 13
3.	श्री मदन लाल शर्मा जम्मू	14.00	14.00	14.10	11.21	9.95	4.15	जनवरी, 13
4.	श्री हसन खां लद्दाख	14.00	14.50	14.56	9.83	8.82	5.73	दिसम्बर, 13
5.	डॉ. फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर	14.00	12.50	12.61	12.71	8.72	3.89	जनवरी, 13
6.	श्री चौधरी लाल सिंह उधमपुर	14.00	12.50	12.56	12.55	6.69	5.87	जनवरी, 13
कुलः		84.00	77.50	78.08	74.95	50.86	27.22	
राज्यः कर्नाटक								
1.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर बागलकोट	14.00	12.11	12.74	13.33	10.24	2.50	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौंडा बंगलौर उत्तर	14.00	12.11	12.35	14.68	12.31	0.04	जनवरी, 13
3.	श्री अनंत कुमार बंगलौर दक्षिण	14.00	12.11	12.42	11.75	7.41	5.01	सितम्बर, 12
4.	श्री सुरेश चनबसप्पा अंगादि बेलगाम	14.00	12.21	12.20	7.70	6.43	5.77	नवम्बर, 12
5.	श्रीमती जे. शान्ता बेल्लारी (अजजा)	14.00	7.11	7.17	3.45	1.69	5.48	दिसम्बर, 11
6.	श्री एन. धर्म सिंह बीदर	14.00	12.11	12.39	11.77	6.59	5.79	जनवरी, 13
7.	श्री रमेश चंदप्पा जीगजीणगी बीजापुर (अजा)	14.00	7.11	7.31	6.97	4.96	2.68	दिसम्बर, 12
8.	श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण चामराजनगर	14.00	14.61	14.83	12.20	9.88	4.96	दिसम्बर, 12
9.	श्री एम. वीरप्प मोहली चिकबल्लापुर	14.00	12.11	12.34	6.82	6.20	6.14	अक्तूबर, 12
10.	श्री रमेश विश्वनाथ कट्टी चिक्कोडी	14.00	12.11	12.50	8.75	6.64	5.86	नवम्बर, 12
11.	श्री डी.वी. सदानन्द गौडा/जय प्रकाश हेगड़े उदुपी चिकमगलूर	14.00	12.11	12.48	9.38	7.19	5.29	फरवरी, 13
12.	श्री जनार्दन स्वामी चित्रदुर्ग (अजा)	14.00	12.11	12.59	11.18	8.16	4.43	फरवरी, 13
13.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर दावणगेरे	14.00	12.11	12.54	13.31	11.94	0.60	जनवरी, 13
14.	श्री प्रहलाद वैंकटेश जोशी धारवाड़	14.00	12.11	13.34	8.29	6.36	6.98	अक्तूबर, 12
15.	श्री उदासी शिवकुमार चनबसप्पा हावेरी	14.00	12.11	12.44	8.67	7.18	5.28	जनवरी, 13
16.	श्री मल्लिकार्जुन खर्गे गुलबर्गा (अजा)	14.00	12.11	12.43	12.83	10.04	2.39	जनवरी, 13
17.	श्री एच.डी. देवेगौडा हसन	14.00	12.11	12.43	9.13	9.13	3.30	जनवरी, 13
18.	श्री अनंत कुमार हेगडे उत्तर कन्नड़	14.00	7.11	7.63	11.90	3.63	4.00	फरवरी, 13
19.	श्री नलिन कुमार कटील दक्षिण कन्नड़	14.00	12.11	12.50	9.52	8.18	4.32	फरवरी, 13
20.	श्री के.एच. मुनियप्पा कोलार (अजा)	14.00	12.11	12.67	7.66	6.61	6.06	अक्तूबर, 12
21.	श्री शिवराज गोंडा कोप्पल	14.00	12.11	12.51	8.44	5.98	6.53	दिसम्बर, 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी मांडया	14.00	7.11	7.40	11.80	4.22	3.18	जनवरी, 13
23.	श्री एच.डी. कुमार स्वामी बंगलौर ग्रामीण	14.00	12.11	12.40	10.35	10.35	2.05	फरवरी, 13
24.	श्री अदागुरू एच. विश्वनाथ मैसूर	14.00	12.11	12.34	7.61	6.00	6.34	जनवरी, 13
25.	श्री एस. पक्कीरप्पा रायचूर (अजजा)	14.00	7.11	7.33	6.43	3.34	3.99	नवम्बर, 12
26.	श्री राधवेन्द्र येद्यूरप्पा शिमोगा	14.00	12.11	12.53	12.34	7.2	5.33	जनवरी, 13
27.	श्री जी.एस. बासवराज तुमकुर	14.00	7.11	7.26	9.10	7.03	0.23	जनवरी, 13
28.	श्री पी.सी. मोहन बंगलौर सेन्ट्रल	14.00	7.11	7.44	11.58	5.30	2.14	फरवरी, 13
कुल:		392.00	306.50	316.42	276.94	199.86	116.56	
राज्य: केरल								
1.	श्री कुंबाकुडी सुधाकरन कन्नूर	14.00	12.10	12.64	13.76	7.15	5.49	फरवरी, 13
2.	श्री के.सी. वेणुगोपाल अलप्पुझा	14.00	12.10	12.64	14.82	8.50	4.14	फरवरी, 13
3.	श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन वडकरा	14.00	12.10	12.62	13.19	6.17	6.45	जनवरी, 13
4.	श्री एम.के. राघवन कोझीकोड	14.00	12.10	12.54	14.99	6.38	6.16	जनवरी, 13
5.	श्री एम. आई. शानवास वयनाड	14.00	14.80	14.68	15.29	10.83	3.85	फरवरी, 13
6.	श्री ई. अहमद मलप्पुरम	14.00	12.10	12.73	13.60	8.42	4.31	फरवरी, 13
7.	प्रो. के. वर्के थॉमस एर्णाकुलम	14.00	12.10	12.72	12.73	5.68	7.04	फरवरी, 13
8.	श्री पी.टी. थॉमस इदुक्की	14.00	12.10	12.70	16.07	9.04	3.66	जनवरी, 13
9.	श्री पी. करूणाकरन कासरगोड	14.00	12.10	12.60	14.69	5.25	7.35	फरवरी, 13
10.	श्री जोस के मणि कोट्टायम	14.00	12.10	12.68	15.02	8.96	3.72	फरवरी, 13
11.	श्री पी. कुट्टप्पन बीजू अलधूर (अजा)	14.00	7.10	7.56	12.75	4.91	2.65	फरवरी, 13
12.	श्री सुरेश कोडिकुन्नील मवेलीकारा (अजा)	14.00	12.10	12.48	14.54	8.43	4.05	फरवरी, 13
13.	श्री के.पी. धनपालन चालाकुडी	14.00	12.10	12.64	13.19	6.95	5.69	फरवरी, 13
14.	श्री एंटो एंटोनी पथनमथीट्टा	14.00	12.10	12.56	15.04	9.65	2.91	जनवरी, 13
15.	श्री एम.बी. राजेश पलक्कड	14.00	12.10	12.62	13.14	8.77	3.85	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर पोन्नानी	14.00	12.10	12.68	10.41	5.73	6.95	फरवरी, 13
17.	श्री एन. पीलांबर कुरूप कोल्लम	14.00	12.10	12.53	12.71	6.16	6.37	फरवरी, 13
18.	श्री पी.सी. चाको त्रिस्सूर	14.00	12.10	12.45	15.44	6.40	6.05	फरवरी, 13
19.	श्री शशि थरूर तिरुवनन्तपुरम	14.00	12.10	12.10	12.54	6.95	5.15	फरवरी, 13
20.	श्री अनिरूधन सम्पत अतिंगल	14.00	12.10	12.67	14.68	8.55	4.12	मार्च, 13
कुल		280.00	239.50	248.84	278.60	148.88	99.96	
राज्य: मध्य प्रदेश								
1.	श्री के.डी. देशमुख बालाघाट	14.00	14.03	14.33	11.56	11.19	3.14	फरवरी, 13
2.	श्रीमती ज्योति धुर्वे बेतुल (अजजा)	14.00	11.53	11.90	9.14	9.14	2.76	जनवरी, 13
3.	श्री अशोक अर्गल भिंड (अनु.जा.)	14.00	11.53	11.54	8.96	8.96	2.58	जनवरी, 13
4.	श्री कैलाश जोशी भोपाल	14.00	11.53	11.57	8.24	6.54	5.03	नवम्बर, 12
5.	श्री कमल नाथ छिंदवाड़ा	14.00	11.53	12.19	10.79	7.99	4.20	फरवरी, 13
6.	श्री शिवराज सिंह लोधी दामोह	14.00	11.53	11.88	9.42	8.03	3.85	फरवरी, 13
7.	श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी धार (अजजा)	14.00	14.03	14.40	11.60	10.87	3.53	जनवरी, 13
8.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया गुना	14.00	11.53	12.01	11.01	6.53	5.48	फरवरी, 13
9.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ग्वालियर	14.00	11.53	12.03	14.28	9.92	2.11	जनवरी, 13
10.	श्री उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद	14.00	11.53	11.80	6.03	4.38	7.42	मार्च, 12
11.	श्रीमती सुमित्रा महाजन इन्दौर	14.00	14.03	14.36	12.82	12.77	1.61	जनवरी, 13
12.	श्री राकेश सिंह जबलपुर	14.00	11.53	11.99	13.55	10.90	1.09	फरवरी, 13
13.	श्री वीरेन्द्र कुमार टीकमगढ़ (अजा)	14.00	6.53	6.95	7.90	5.71	1.24	जनवरी, 13
14.	श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला खजुराहो	14.00	11.53	11.96	6.62	8.62	3.34	दिसम्बर, 12
15.	श्री अरूण सुभाष चन्द्र यादव खंडवा	14.00	11.53	11.60	6.55	5.85	5.75	सितम्बर, 12
16.	श्री माखनसिंह सोलंकी (बाबूजी) खरगौन (अजजा)	14.00	11.53	11.94	8.59	9.02	2.92	जनवरी, 13
17.	श्री बसोरी सिंह मसराम मांडला (अजजा)	14.00	11.53	11.79	10.65	9.65	2.14	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन मंदसौर	14.00	14.03	14.30	10.94	9.55	4.75	फरवरी, 13
19.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना	14.00	11.53	11.82	6.67	5.31	6.51	फरवरी, 13
20.	श्री नारायण सिंह अम्लाबे राजगढ़	14.00	14.03	14.41	11.00	10.83	3.58	जनवरी, 13
21.	श्री देवराज सिंह पटेल रीवा	14.00	11.53	11.94	11.59	10.57	1.37	जनवरी, 13
22.	श्री भूपेन्द्र सिंह सागर	14.00	14.03	14.44	13.73	12.10	2.34	फरवरी, 13
23.	श्री गणेश सिंह सतना	14.00	11.53	11.84	9.60	9.15	2.69	जनवरी, 13
24.	श्री सज्जन सिंह वर्मा देवास (अजा)	14.00	11.53	11.66	7.21	6.66	5.00	अक्तूबर, 12
25.	श्रीमती राजेश नन्दिनी सिंह शहडोल (अजजा)	14.00	14.03	14.45	12.87	10.27	4.18	फरवरी, 13
26.	श्री कांति लाल भूरिया रतलाम (अजजा)	14.00	11.53	11.71	8.85	7.69	4.02	जनवरी, 13
27.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा सीधी	14.00	11.53	11.79	10.58	9.70	2.09	फरवरी, 13
28.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू उज्जैन (अजा)	14.00	14.03	14.40	13.23	10.85	3.55	जनवरी, 13
29.	श्रीमती सुषमा स्वराज विदिशा	14.00	14.03	14.32	13.91	13.05	1.27	फरवरी, 13
कुल:		406.00	352.00	361.47	299.69	261.80	99.67	
राज्य: महाराष्ट्र								
1.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी अहमदनगर	14.00	11.85	12.78	14.65	9.79	2.99	जनवरी, 13
2.	श्री संजय शामराव धोत्रे अकोला	14.00	11.85	11.98	14.68	7.71	4.27	नवम्बर, 12
3.	श्री आंनदराव विठोबा अड्सूल अमरावती (अ.जा.)	14.00	11.85	11.98	12.24	6.80	5.18	अगस्त, 12
4.	श्री चन्द्रकान्त भाऊराव खैरे औरंगाबाद	14.00	11.85	12.88	14.21	10.63	2.25	फरवरी, 13
5.	श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले बारामती	14.00	11.85	12.84	13.19	8.39	4.45	फरवरी, 13
6.	श्री प्रफुल्ल मनोहरभाई पटेल भंडारा-गौदिया	14.00	11.85	12.96	9.14	7.14	5.82	दिसम्बर, 12
7.	श्री गोपी राव पाडूरंग मुण्डे बीड	14.00	11.85	12.05	12.60	8.05	4.00	दिसम्बर, 12
8.	श्री संजय निरूपम मुम्बई उत्तर	14.00	11.85	11.96	14.31	8.26	3.72	जनवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	श्रीमती प्रिया सुनील दत्त मुम्बई उत्तर मध्य	14.00	11.85	11.97	11.78	9.20	2.77	दिसम्बर, 12
10.	श्री संजय दीना पाटिल मुम्बई उत्तर पूर्व	14.00	11.85	11.96	9.40	6.88	5.08	दिसम्बर, 12
11.	श्री गुरूदास वसंत कामत मुम्बई उत्तर पश्चिम	14.00	11.85	12.03	11.24	6.22	5.81	जनवरी, 13
12.	श्री मिलिन्द मुरली देवरा मुम्बई दक्षिण	14.00	11.85	12.55	12.81	7.32	5.23	फरवरी, 13
13.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ मुम्बई दक्षिण-मध्य	14.00	11.85	12.42	6.23	6.23	6.19	फरवरी, 13
14.	श्री प्रतापराव गणपत राव जाधव बुलढ़ाना	14.00	6.85	7.15	7.69	4.14	3.01	जनवरी, 13
15.	श्री हंसराज गंगाराम आहीर चन्द्रपुर	14.00	11.85	11.93	9.35	9.35	2.58	नवम्बर, 12
16.	श्री मारुतराव सैनुगोजी कोवासे गढ़ चिरोली-चिम्मूर (अजा)	14.00	11.85	11.90	11.17	6.93	4.97	मार्च, 12
17.	श्री हरीभाऊ माधव जावले रावेर	14.00	11.85	11.97	11.45	6.51	5.46	नवम्बर, 12
18.	श्री प्रताप नारायणराव सोनवणे धुले	14.00	11.85	12.78	9.21	7.54	5.24	जनवरी, 13
19.	श्री हरीश चन्द्र देवराम चव्हाण दिन्डोरी (अजजा)	14.00	11.85	11.85	9.34	6.50	5.35	जून, 12
20.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े हिंगोली	14.00	6.95	6.91	7.81	6.91	0.00	जनवरी, 13
21.	श्री बलिराम सुकुर जादव पालधर (अनु.जन.जा.)	14.00	11.85	12.85	13.30	10.22	2.63	जनवरी, 13
22.	श्री ए.टी. नाना पाटिल जलगांव	14.00	11.85	12.04	9.88	5.86	6.18	नवम्बर, 12
23.	श्री रावसाहिब धनवे पाटिल जालना	14.00	11.85	12.00	12.99	10.20	1.80	फरवरी, 13
24.	श्री सुरेश काशीनाथ तिवारी भिवंडी	14.00	11.85	12.03	9.88	7.56	4.47	जनवरी, 13
25.	श्री आनन्द प्रकाश परांजपे कल्याण	14.00	11.85	12.42	13.87	9.90	2.52	जनवरी, 13
26.	श्री गजानंन धरमशी बाबर मावल	14.00	14.35	15.32	13.60	11.44	3.88	फरवरी, 13
27.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक कोल्हापुर	14.00	11.85	12.71	12.46	7.16	5.55	दिसम्बर, 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	श्री अनंत गंगाराम गौत रायगढ़	14.00	11.85	11.96	8.98	4.98	6.98	अक्तूबर, 12
29.	श्री जयवन्त गंगाराम अवाले लातूर (अजा)	14.00	11.85	12.77	12.20	7.05	5.72	जनवरी, 13
30.	श्री शिवाजी अधलराव पाटिल शिरूर	14.00	14.35	15.39	15.26	10.86	4.53	फरवरी, 13
31.	श्री विलास बाबूराज मुत्तेमवार नागपुर	14.00	6.85	7.80	6.60	3.38	4.42	फरवरी, 13
32.	श्री भास्करराव बापूराव खतगांवकर नान्देड	14.00	11.85	12.00	11.17	6.35	5.65	अक्तूबर, 12
33.	श्री मानिकराव होडल्या गावित नन्दूरबार (अजजा)	14.00	11.85	12.03	13.43	10.29	1.74	जनवरी, 13
34.	श्री समीर मगन भुजबल नासिक	14.00	6.85	6.85	7.22	4.91	1.94	जून, 12
35.	श्री पदम सिन्हा बाजीराव पाटिल उस्मानाबाद	14.00	6.85	8.00	10.16	8.00	0.00	फरवरी, 13
36.	श्री भाऊसाहिब राजाराम वकचौरे शिरडी (अजा)	14.00	11.85	12.83	14.99	9.30	3.53	जनवरी, 13
37.	श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकर परभानी	14.00	11.85	11.99	12.67	9.95	2.04	फरवरी, 13
38.	श्री सुरेश कल्माड़ी पुणे	14.00	11.85	12.83	11.43	8.39	4.44	फरवरी, 13
39.	श्री शरद चन्द गोविन्दराव पवार माधा	14.00	11.85	12.79	13.41	6.58	6.21	फरवरी, 13
40.	श्री मुकुल बालकृष्ण वास्निक रामटेक (अजा)	14.00	6.85	7.82	9.33	6.32	1.50	फरवरी, 13
41.	श्री नीलेश नारायण राणे रत्नागिरी-सिन्धु दुर्ग	14.00	6.85	7.74	12.58	4.35	3.39	दिसम्बर, 12
42.	श्री प्रतीक प्रकाश बापू पाटिल सांगली	14.00	11.85	12.91	14.17	10.65	2.26	फरवरी, 13
43.	श्री उदयनराजे प्रतापसिंह भौंसले सतारा	14.00	11.85	12.01	12.04	6.85	5.16	जनवरी, 13
44.	श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे शोलापुर (अजा)	14.00	6.85	7.83	8.64	4.97	2.86	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	डॉ. संजीव गणेश नायक थाने	14.00	6.85	7.49	12.10	6.06	1.43	जनवरी, 13
46.	श्री दत्ता राधोबाजी मेघे वर्धा	14.00	11.85	11.98	12.33	7.04	4.94	दिसम्बर, 12
47.	श्री राजू उर्फ देवप्पा अन्ना शेट्टी हथकंगले	14.00	11.85	12.77	11.84	7.96	4.81	दिसम्बर, 12
48.	श्रीमती भावना गावली (पाटिल) यवतमाल-वाशिम	14.00	11.85	11.91	9.15	5.45	6.45	मई, 12
कुल:		672.00	529.00	554.14	548.18	362.53	191.61	
राज्य: मणिपुर								
1.	डॉ. थोकचोम मेन्या इनर मणिपुर	14.00	14.00	14.05	11.50	10.55	3.50	फरवरी, 13
2.	श्री थांगसो बैते बाहरी मणिपुर (अजजा)	14.00	14.00	14.13	11.50	10.42	3.71	फरवरी, 13
कुल:		28.00	28.00	28.18	23.00	20.97	7.21	
राज्य: मेघालय								
1.	श्री वीसेन्ट एच. पाला शिलांग	14.00	11.50	12.18	13.04	9.63	2.55	नवम्बर, 12
2.	कुमारी अगाथा के. संगमा तुरा	14.00	11.50	11.92	9.95	7.48	4.44	जनवरी, 13
कुल:		28.00	23.00	24.10	22.99	17.11	6.99	
राज्य: मिजोरम								
1.	श्री सी.एल. रूआला मिजोरम (अजजा)	14.00	14.00	14.11	11.23	10.42	3.69	फरवरी, 13
कुल		14.00	14.00	14.11	11.23	10.42	3.69	
राज्य: नागालैंड								
1.	श्री सी.एल. रूआला मिजोरम (अजजा)	14.00	14.00	14.03	10.60	10.06	3.97	सितम्बर, 12
कुल:		14.00	14.00	14.03	10.60	10.06	3.97	
राज्य: ओडिशा								
1.	श्री नित्यानद प्रधान अस्का	14.00	6.50	6.77	8.46	4.51	2.26	जनवरी, 13
2.	श्री श्रीकांत कुमार जेना बालासोर	14.00	11.50	11.87	11.16	6.91	4.96	फरवरी, 13
3.	श्री सिद्धांत महापात्रा बरहामपुर	14.00	6.50	6.78	7.56	4.45	2.33	जनवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	श्री अर्जुन चरण सेठी भद्रक (अजा)	14.00	11.50	11.853	11.82	8.08	3.75	दिसम्बर, 12
5.	डॉ. (प्रो.) प्रसन्न कुमार पाटसाणी भुवनेश्वर	14.00	11.50	11.88	9.62	7.29	4.59	फरवरी, 13
6.	श्री कलिकेश नारायण सिंह देव बोलनगिर	14.00	11.50	11.55	11.66	9.17	2.38	नवम्बर, 12
7.	श्री भर्तृहरि मेहताब कटक	14.00	11.50	11.61	9.05	9.05	2.56	अक्तूबर, 12
8.	श्री रूद्र माधव राय कंधमाल	14.00	14.00	14.26	11.66	9.79	4.47	दिसम्बर, 12
9.	श्री तथागत सतपति धेनकनाल	14.00	11.50	11.73	9.27	5.63	6.10	फरवरी, 13
10.	श्री बिभु प्रसाद ताई जगतसिंहपुर (अजा)	14.00	11.50	11.80	10.10	8.58	3.22	फरवरी, 13
11.	श्री मोहन जेना जाजपुर (अजा)	14.00	11.50	11.79	6.73	4.32	7.47	दिसम्बर, 12
12.	श्री भक्त चरण दास कालाहांडी	14.00	11.50	11.91	11.83	9.46	2.46	जनवरी, 13
13.	श्री बैजयन्त पांडा केन्द्रपाड़ा	14.00	11.50	11.82	8.18	4.57	7.25	जनवरी, 13
14.	श्री यशवंत नारायण सिंह लमूरी क्योंझर (अजा)	14.00	14.00	14.26	11.76	9.74	4.52	फरवरी, 13
15.	श्री जयराम पंगी कोरापुट (अजजा)	14.00	6.50	6.73	6.69	4.75	1.98	फरवरी, 13
16.	श्री लक्ष्मण तुदू मयूरभंज (अनु.जन.जा.)	14.00	14.00	14.27	12.89	9.79	4.48	जनवरी, 13
17.	श्री प्रदीप मांझी नबरंगपुर (अनु.ज.जा.)	14.00	11.50	11.92	7.27	5.97	5.95	दिसम्बर, 12
18.	श्री संजय भोई बारगढ़	14.00	11.50	11.57	6.36	5.58	5.99	मार्च, 12
19.	श्री पिनाकी मिश्रा पुरी	14.00	11.50	11.74	11.44	9.63	2.11	फरवरी, 13
20.	श्री अमरनाथ प्रधान सम्बलपुर	14.00	14.00	14.40	11.16	9.43	4.97	फरवरी, 13
21.	श्री हेमानंद बिसवाल सुंदरगढ़ (अनु.जनजा)	14.00	11.50	11.80	6.78	4.72	7.08	नवम्बर, 12
कुल:		294.00	236.50	242.29	201.45	151.42	90.87	
राज्य: पंजाब								
1.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर	14.00	11.50	11.78	9.37	7.97	3.81	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भटिन्डा	14.00	11.50	11.99	9.39	6.26	5.73	जनवरी, 13
3.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन फरीदकोट (अजा)	14.00	14.00	14.50	11.41	9.58	4.92	फरवरी, 13
4.	श्री शेर सिंह गुबाया फिरोजपुर	14.00	14.00	14.45	11.78	9.85	4.60	फरवरी, 13
5.	श्री प्रताप सिंह बाजवा गुरदासपुर	14.00	11.50	11.95	10.39	7.87	4.08	जनवरी, 13
6.	श्रीमती संतोष चौधरी होशियारपुर (अजा)	14.00	14.00	14.38	13.15	10.07	4.31	फरवरी, 13
7.	श्री मोहिन्द्र सिंह केपी जालंधर (अजा)	14.00	11.50	12.00	7.52	4.84	7.16	जनवरी, 13
8.	श्री मनीष तिवारी लुधियाना	14.00	11.50	11.965	6.34	4.74	7.21	अगस्त, 12
9.	श्रीमती मनप्रीत कौर पटियाला	14.00	14.00	14.44	13.41	11.31	3.13	जनवरी, 13
10.	श्री सुखदेव सिंह लिब्रा फतेहगढ़ साहिब (अजा)	14.01	11.50	12.05	11.14	8.896	3.16	फरवरी, 13
11.	श्री रवनीत सिंह आनंदपुर साहिब	14.00	14.00	14.49	11.75	9.98	4.51	फरवरी, 13
12.	श्री विजय इन्दर सिंगला संगरूर	14.00	14.00	14.52	11.57	9.61	4.91	फरवरी, 13
13.	डॉ. रतन सिंह अजनाला खंडूर साहिब	14.00	14.00	14.46	13.09	12.17	2.29	फरवरी, 13
कुल:		182.00	167.00	172.96	140.31	113.14	59.82	
राज्य: राजस्थान								
1.	श्री सचिन पायलट अजमेर	14.00	11.50	11.69	12.50	6.50	5.19	नवम्बर, 12
2.	श्री जितेन्द्र सिंह अलवर	14.00	11.50	11.51	10.20	4.94	6.57	फरवरी, 13
3.	श्री ताराचन्द भगोरा बांसवाड़ा (अजजा)	14.00	11.50	11.68	11.16	9.20	2.46	अक्तूबर, 12
4.	श्री हरीश चौधरी बाडमेर	14.00	11.50	11.50	10.87	5.75	5.75	फरवरी, 13
5.	श्री गोपल सिंह शेखावत राजसामंद	14.00	14.00	14.25	11.48	9.26	4.99	जनवरी, 13
6.	श्री रतन सिंह भरतपुर (अजा)	14.00	11.50	11.50	8.71	6.39	5.11	नवम्बर, 12
7.	डॉ. सी.पी. जोशी भीलवाड़ा	14.00	6.50	6.85	7.33	6.00	0.85	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	श्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर (अजा)	14.00	11.50	11.50	12.37	7.83	3.67	फरवरी, 13
9.	डॉ. (कुमारी) गिरिजा व्यास चित्तौड़गढ़	14.00	11.50	11.78	11.76	8.15	3.63	फरवरी, 13
10.	श्री रामसिंह कसवान चुरू	14.00	11.50	12.14	13.71	9.26	2.88	नवम्बर, 12
11.	श्री किरोड़ी लाल मीना दौसा (अजजा)	14.00	11.50	11.74	9.78	6.79	4.95	दिसम्बर, 12
12.	श्री भरत राम मेघवाल गंगानगर (अजा)	14.00	11.50	11.81	10.54	8.89	2.92	फरवरी, 13
13.	श्री लाल चन्द कटारिया जयपुर ग्रामीण	14.00	14.00	14.34	14.11	11.83	2.51	जनवरी, 13
14.	श्री देवजी मानसिंह राम पटेल जालौर	14.00	11.50	11.52	10.06	7.14	4.38	दिसम्बर, 12
15.	श्री दुष्यन्त सिंह झालावाड़-बारान	14.00	11.50	11.50	11.22	6.50	5.00	सितम्बर, 12
16.	श्री शीश राम ओला झुंझुनू	14.00	14.00	14.25	12.67	11.21	3.04	फरवरी, 13
17.	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी कटौच जोधपुर	14.00	11.50	11.77	8.79	7.39	4.38	फरवरी, 13
18.	श्री लियाराज सिंह कोटा	14.00	11.50	11.60	7.66	4.15	7.45	नवम्बर, 12
19.	डॉ. (श्रीमती) ज्योति मिर्धा नागौर	14.00	6.50	6.69	6.09	5.72	0.97	दिसम्बर, 12
20.	श्री बद्री राम जाखड़ पाली	14.00	11.50	11.90	10.90	8.56	3.34	फरवरी, 13
21.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा करौली धौलपुर (अजा)	14.00	11.50	11.53	8.11	4.52	7.01	अप्रैल, 12
22.	श्री नमो नारायण मीना टौक सवाई माधोपुर	14.00	11.50	11.59	8.02	7.00	4.59	अक्तूबर, 12
23.	श्री महादेव सिंह खंडेला सीकर	14.00	14.00	14.29	13.51	11.73	2.56	जनवरी, 13
24.	डॉ. महेश जोशी जयपुर	14.00	14.00	14.29	13.51	11.73	2.56	जनवरी, 13
25.	श्री रघुवीर सिंह मीना उदयपुर (अजजा)	14.00	14.00	14.00	10.89	9.06	4.94	फरवरी, 13
कुल:		350.00	292.50	297.30	266.37	194.03	103.27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य: सिक्किम								
1.	श्री प्रेम दास राय सिक्किम	14.00	14.00	14.32	13.84	11.21	3.11	फरवरी, 13
कुल:		14.00	14.00	14.32	13.84	11.21	3.11	
राज्य: तमिलनाडु								
1.	डॉ. एस. जगतरक्षकन अरकोनम	14.00	14.03	14.38	13.86	11.51	2.87	फरवरी, 13
2.	श्री विश्वनाथन पैरूमल कांचीपुरम (अजा)	14.00	11.53	11.74	13.85	10.02	1.72	दिसम्बर, 12
3.	श्री थिरूमा वालावन थोल चिदंबरम (अजा)	14.00	11.53	11.93	10.07	9.97	1.96	जनवरी, 13
4.	श्री पी.आर. नटराजन कोयम्बटूर	14.00	11.53	11.93	12.16	5.28	6.65	फरवरी, 13
5.	श्री सम्बदम कीरापालयम अलागिरी कुड्डालूर	14.00	11.53	11.93	12.16	5.28	6.65	फरवरी, 13
6.	श्री आर. थमराईसेलवन धर्मपुरी	14.00	11.53	11.88	12.22	7.55	4.33	जनवरी, 13
7.	श्री एन.एस.वी. चित्तन दिंदीगुल	14.00	14.03	14.40	13.21	11.09	3.31	जनवरी, 13
8.	श्री एम. कृष्णास्वामी अरानी	14.00	14.03	14.36	13.71	10.54	3.82	फरवरी, 13
9.	श्री मनीसामी थम्बीदुरई करूर	14.00	11.53	12.06	13.97	6.72	5.34	फरवरी, 13
10.	श्री ई.जी. सुगावनम कृष्णागिरी	14.00	11.53	13.08	11.97	7.83	5.25	फरवरी, 13
11.	श्री दयानिधि मारन चेन्नई केन्द्रीय	14.00	6.53	6.96	3.46	2.41	4.56	जनवरी, 13
12.	श्री टी.के.एस. एलनगोवन चेन्नई उत्तर	14.00	6.53	6.95	6.20	5.32	1.63	जनवरी, 13
13.	श्री सी. राजेन्द्रन चेन्नई दक्षिण	14.00	6.53	7.04	9.54	5.49	1.55	जनवरी, 13
14.	श्री एम.के. अलागिरी मदुरै	14.00	11.53	11.84	8.90	7.31	4.53	सितम्बर, 12
15.	श्री ओ.एस. मनियन मेइलादूधुरै	14.00	11.53	11.81	14.70	11.31	0.50	फरवरी, 13
16.	श्री ए.के.एस. विजयन नागपट्टीनम (अजा)	14.00	11.53	12.30	13.23	10.39	1.91	फरवरी, 13
17.	श्री के. मुरूगेसन अनंदन विल्लूपुरम (अजा)	14.00	11.53	11.59	13.80	9.42	2.17	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	श्री अंदीमुथु राजा नीलगिरि (अजा)	14.00	11.53	11.61	13.24	6.51	5.10	फरवरी, 13
19.	श्री आदि संकर कालाकुरूची	14.00	11.53	11.63	14.09	11.62	0.01	फरवरी, 13
20.	श्री पुन्नूसामी वेनूगोपाल तिरुवल्लूर (अजा)	14.00	11.53	11.78	10.64	6.63	5.15	अक्तूबर, 12
21.	श्री डी. नेपोलियन पैरंबलूर	14.00	14.03	14.34	14.38	11.43	2.91	फरवरी, 13
22.	श्री के. सुगुमर पोलाची	14.00	11.53	1.97	13.07	6.36	5.61	फरवरी, 13
23.	श्री एस. गांधीसेल्वन नामक्कल	14.00	11.53	12.32	8.62	8.10	4.22	फरवरी, 13
24.	श्री के.जे.के. रितेश शिवाकुमार रामनाथपुरम	14.00	11.53	11.57	13.80	6.55	5.02	जनवरी, 13
25.	श्री ए. गणेशमूति इरोड	14.00	14.03	14.40	13.83	11.20	3.20	फरवरी, 13
26.	श्री एस. सेमालायी सेलम	14.00	11.53	12.21	13.47	10.20	2.01	जनवरी, 13
27.	श्री पलानीअपन चिदंबरम शिवगंगा	14.00	11.53	11.90	13.61	9.45	2.45	फरवरी, 13
28.	श्री सी. शिवसामी तिरूपुर	14.00	11.53	11.92	13.59	8.22	3.70	फरवरी, 13
29.	श्री थालीकोटाई राजूथेवर बालू श्री पेरम्बदूर	14.00	11.53	11.53	10.99	5.70	5.83	दिसम्बर, 12
30.	श्री पी. लिंगम तेनकासी (अजा)	14.00	11.53	11.96	12.72	10.03	1.93	जनवरी, 13
31.	श्री एस.एस. पलानीमणिकम तन्जावुर	14.00	11.53	11.68	12.68	6.36	5.32	फरवरी, 13
32.	श्री धनपाल वेणुगोपाल तिरूवन्नामलाई	14.00	14.03	14.37	13.93	10.50	3.87	फरवरी, 13
33.	श्री एस.आर. जयादुरई तुतुक्कुडी	14.00	14.03	14.72	14.03	12.95	1.77	फरवरी, 13
34.	श्री जे.एम. अरूण रशीद थेनी	14.00	11.53	11.55	11.32	6.04	5.51	नवम्बर, 12
35.	श्री पी. कुमार तिरूचिरापल्ली	14.00	11.53	11.62	13.66	6.59	5.03	जनवरी, 13
36.	श्री एस.एस. रामसुम्भू तिरूनेलवेली	14.00	11.53	11.93	14.09	11.15	0.78	जनवरी, 13
37.	श्री मन्निका टैगोर विरूधुनगर	14.00	11.53	12.40	12.21	6.15	6.25	जनवरी, 13
38.	श्रीमती डेविडसन जे. हेलन कन्याकुमारी	14.00	14.03	14.35	14.07	11.39	2.96	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	श्री अब्दुल रहमान रहमान वेल्लौर	14.00	14.03	14.37	13.92	11.47	2.90	फरवरी, 13
कुलः		546.00	457.00	472.14	485.14	338.29	133.85	
राज्यः त्रिपुरा								
1.	श्री बाजू बन रियान त्रिपुरा पूर्व (अजजा)	14.00	7.50	7.72	4.10	2.76	4.96	जनवरी, 13
2.	श्री खगेन दास त्रिपुरा पश्चिम	14.00	11.50	11.51	11.53	9.61	1.90	फरवरी, 13
कुलः		28.00	19.00	19.23	15.63	12.37	6.86	
राज्यः उत्तर प्रदेश								
1.	डॉ. (प्रो.) राम शंकर वर्मा आगरा (अजा)	14.00	14.06	14.26	11.56	10.56	3.70	फरवरी, 13
2.	श्री राजा राम पाल अकबरपुर	14.00	11.56	11.60	6.54	6.15	5.45	अक्तूबर, 12
3.	श्री राज कुमारी चौहान अलीगढ़	14.00	14.06	14.35	11.70	9.75	4.60	फरवरी, 13
4.	कुंवर रेवती रमन सिंह इलाहाबाद	14.00	11.56	11.70	6.53	4.95	6.75	जनवरी, 13
5.	श्री राहुल गांधी अमेठी	14.00	11.56	11.70	6.27	4.53	7.17	नवम्बर, 12
6.	श्री देवेन्द्र नागपाल अमरोहा	14.00	11.56	12.26	6.62	6.87	5.39	जनवरी, 13
7.	श्रीमती मेनका गांधी आंवला	14.00	11.56	11.67	5.87	4.18	7.49	मई, 12
8.	श्री रामाकान्त यादव आजमगढ़	14.00	14.06	14.40	11.90	10.21	4.19	जनवरी, 13
9.	श्री अजीत सिंह बागपत	14.00	11.56	11.85	11.14	7.64	4.21	फरवरी, 13
10.	श्री कमल किशोर बेहरैच (अजा)	14.00	11.56	11.66	6.36	5.61	6.25	नवम्बर, 12
11.	श्री नीरज शेखर बलिया	14.00	11.56	11.77	6.12	4.72	7.05	अक्तूबर, 12
12.	श्री विनय कुमार विनू पांडे श्रावस्ती	14.00	11.56	11.63	6.45	5.81	5.82	मई, 12
13.	श्री कमलेश पासवान बांसगांव (अजा)	14.00	11.56	11.63	6.24	4.22	7.41	अक्तूबर, 12
14.	श्री आर.के. सिंह पटेल बांदा	14.00	11.56	11.70	8.26	6.40	5.30	दिसम्बर, 12
15.	श्री पी.एल. पूनिया बाराबंकी (अजा)	14.00	14.06	14.11	13.92	11.13	2.98	फरवरी, 13
16.	श्री प्रवीण सिंह ऐरन बरेली	14.00	11.56	11.74	8.83	6.81	4.93	जून, 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी बस्ती	14.00	11.56	11.78	9.14	8.36	3.42	फरवरी, 13
18.	श्री संजय सिंह चौहान बिजनौर	14.00	14.06	14.31	11.66	9.32	4.99	फरवरी, 13
19.	श्री गोरख नाथ पांडेय भदोही	14.00	11.56	11.65	7.11	6.82	4.83	अक्तूबर, 12
20.	श्री धर्मेन्द्र यादव बदायूं	14.00	11.56	11.56	6.49	6.49	5.07	जून, 12
21.	श्री कमलेश बाल्मीकि बुलंदशहर (अजा)	14.00	11.56	11.91	8.51	6.63	5.28	फरवरी, 13
22.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर गौतमबुद्ध नगर	14.00	11.56	11.87	6.73	4.88	6.99	जनवरी, 13
23.	श्री राम किशन चन्दौली	14.00	11.56	11.82	6.49	6.06	5.76	जुलाई, 12
24.	श्री गोरख प्रसाद जैसवाल देवरिया	14.00	11.56	11.76	6.18	4.65	7.11	अक्तूबर, 12
25.	श्री जगदंबिका पाल डुमरियागंज	14.00	11.56	11.75	8.33	10.36	1.39	फरवरी, 13
26.	श्री कल्याण सिंह एटा	14.00	11.56	11.83	6.61	4.77	7.06	जनवरी, 13
27.	श्री प्रेम दास कथूरिया इटावा (अजा)	14.00	14.06	14.25	11.43	9.42	4.83	जनवरी, 13
28.	श्री निर्मल खत्री फैजाबाद	14.00	14.06	14.21	11.61	10.24	3.97	फरवरी, 13
29.	श्री सलमान खुर्शीद फरूखाबाद	14.00	11.56	11.84	6.67	4.61	7.23	फरवरी, 13
30.	श्री राकेश सचान फतेहपुर	14.00	6.56	6.89	2.73	2.39	4.50	फरवरी, 13
31.	श्री राज बब्बर फिरोजाबाद	14.00	11.56	11.71	8.73	7.77	3.94	नवम्बर, 12
32.	श्री राकेश पांडे अम्बेडकर नगर	14.00	11.56	11.61	6.16	5.02	6.59	अप्रैल, 12
33.	श्री राधे मोहन सिंह गाजीपुर	14.00	14.06	14.34	10.89	9.51	4.83	फरवरी, 13
34.	श्री दारा सिंह चौहान घोसी	14.00	11.56	12.27	12.64	11.83	0.44	फरवरी, 13
35.	श्री बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा	14.00	11.56	11.79	10.08	6.36	5.43	फरवरी, 13
36.	योगी आदित्य नाथ गोरखपुर	14.00	11.56	11.82	9.10	5.87	5.95	जनवरी, 13
37.	श्री विजय बहादुर सिंह हमीरपुर	14.00	6.56	6.63	3.12	2.74	3.89	अप्रैल, 12
38.	श्री यशवीर सिंह नगीना (अजा)	14.00	11.58	11.74	10.30	8.06	3.68	फरवरी, 13
39.	श्रीमती ऊषा वर्मा हरदोई (अजा)	14.00	11.56	11.70	10.98	7.82	3.88	फरवरी, 13
40.	श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल हथरस (अजा)	14.00	11.56	11.90	6.54	4.41	7.49	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	श्री घनश्याम अनुरागी जालौन (अजा)	14.00	11.56	11.87	6.17	6.00	5.87	जनवरी, 13
42.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कौशल तिवारी संत कबीर नगर	14.00	11.56	11.58	6.56	6.56	5.02	मार्च, 12
43.	श्री धनंजय सिंह जौनपुर	14.00	11.56	11.63	7.18	6.20	5.43	अक्तूबर, 12
44.	श्री प्रदीप कुमार जैन (आदित्य) झांसी	14.00	11.56	11.80	6.31	4.46	7.34	फरवरी, 13
45.	श्रीमती बेगम तब्बसुम हसन कैराना	14.00	11.56	11.67	7.81	6.39	5.28	दिसम्बर, 12
46.	श्री बृज भूषण शरण सिंह केसरगंज	14.00	11.56	11.91	8.67	7.27	4.64	फरवरी, 13
47.	श्रीमती डिंपल यादव कन्नौज	14.00	11.56	11.68	6.52	5.97	5.71	जून, 12
48.	श्री श्रीप्रताप जायसवाल कानपुर	14.00	11.56	11.82	6.62	6.46	5.36	सितम्बर, 12
49.	श्री शेलेन्द्र कुमार कौशाम्बी (अजा)	14.00	11.56	11.69	6.67	6.03	5.66	फरवरी, 13
50.	श्री जफर अली नक्वी खीरी	14.00	11.56	11.90	6.39	4.76	7.14	दिसम्बर, 12
51.	श्री कुंवर जितिन प्रसाद दुरहरा	14.00	11.56	11.72	6.34	4.44	7.28	सितम्बर, 12
52.	श्री लाल जी टंडन लखनऊ	14.00	11.56	11.65	6.54	4.95	6.7	मार्च, 12
53.	श्री सोरज तूफानी मछलीशहर (अजा)	14.00	14.06	14.32	10.85	9.34	4.98	नवम्बर, 12
54.	श्री हर्ष वर्धन महाराजगंज	14.00	11.56	11.72	6.73	4.58	7.14	सितंबर, 12
55.	श्री मुलायम सिंह यादव मैनपुरी	14.00	14.06	14.33	11.73	9.48	4.85	फरवरी, 13
56.	श्री जयन्त चौधरी मथुरा	14.00	14.06	14.35	14.02	9.37	4.98	फरवरी, 13
57.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल मेरठ	14.00	11.56	11.88	10.50	8.36	3.52	फरवरी, 13
58.	श्री बाल कुमार पटेल मिरजापुर	14.00	14.06	14.28	12.54	9.46	4.82	फरवरी, 13
59.	श्री अशोक कुमार रावत मिसरीख (अजा)	14.00	11.56	11.63	10.07	7.49	4.14	फरवरी, 13
60.	श्रीमती सुशीला सराज मोहनलालगंज (अजा)	14.00	11.56	11.70	11.80	10.15	1.55	फरवरी, 13
61.	श्री कादिर राणा मुजफ्फरनगर	14.00	14.06	14.37	10.90	9.39	4.98	दिसम्बर, 12
62.	श्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद	14.00	11.56	11.67	6.51	5.87	5.80	अक्तूबर, 12
63.	श्री कपिल मुनी करवरिया फूलपुर	14.00	11.56	11.73	6.72	5.08	6.65	जनवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.	श्री फिरोज वरूण गांधी पीलीभीत	14.00	14.06	14.43	11.87	9.62	4.81	जनवरी, 13
65.	श्रीमती राजकुमारी रत्नासिंह प्रतापगढ़	14.00	11.56	11.56	8.74	6.89	4.67	नवम्बर, 12
66.	श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली	14.00	11.56	11.78	6.58	5.48	6.30	फरवरी, 13
67.	श्रीमती जयाप्रदा नहाटा रामपुर	14.00	11.56	11.76	7.28	5.66	6.10	दिसम्बरा, 12
68.	श्री पकोड़ी लाल राबर्टसगंज (अजा)	14.00	11.56	11.87	8.90	8.00	3.87	जनवरी, 13
69.	श्री जगदीश सिंह राणा सहारनपुर	14.00	14.06	14.30	11.50	9.51	4.79	फरवरी, 13
70.	कुमारी रत्नजीत प्रताप नारायण सिंह कुशीनगर	14.00	11.56	11.80	6.02	5.07	6.73	जनवरी, 13
71.	श्री राम शंकर राजभर सलेमपुर	14.00	11.56	11.73	6.39	5.16	6.57	अक्तूबर, 12
72.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क सम्भल	14.00	6.56	6.57	2.97	2.22	4.35	जनवरी, 12
73.	श्रीमती सीमा उपाध्याय फतेहपुर सीकरी	14.00	14.08	14.28	11.75	11.16	3.12	फरवरी, 13
74.	श्री मिथलेश कुमार शाहजहांपुर (अजा)	14.00	11.56	11.67	9.10	7.52	4.15	नवम्बर, 12
75.	श्रीमती केसर जहान सीतापुर	14.00	11.56	11.70	11.28	9.79	1.91	फरवरी, 13
76.	डॉ. संजय सिंह सुल्तानपुर	14.00	5.56	6.73	4.14	2.91	3.82	जनवरी, 13
77.	श्रीमती अनु टंडनउन्नाव	14.00	11.56	11.77	6.43	4.85	6.92	फरवरी, 13
78.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी वाराणसी	14.00	11.56	11.92	10.99	9.46	2.46	फरवरी, 13
79.	श्री मोहम्मद अजरूद्दीन मुरादाबाद	14.00	11.56	11.78	8.92	6.71	5.07	दिसम्बर, 12
80.	डॉ. बलीराम लालगंज (अजा)	14.00	11.50	11.83	9.34	5.57	6.26	जनवरी, 13
कुल:		1120.00	945.00	961.75	670.89	547.57	414.18	
राज्य: पश्चिम बंगाल								
1.	श्री मनोहर तिरकी, अलीपुरदुआरस (अजजा)	14.00	12.64	12.71	7.70	5.32	7.39	जनवरी, 13
2.	श्री शक्ति मोहन मलिक, आरामबाग (अजा)	14.00	7.64	8.18	7.68	5.75	2.43	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	श्री बंसा गोपाल चौधरी, आसनसोल	14.00	12.64	13.07	11.94	6.29	6.78	फरवरी, 13
4.	श्री प्रशांत कुमार मजूमदार, बलूरघाट	14.00	7.64	8.38	7.94	5.94	2.44	फरवरी, 13
5.	श्री बासूदेव आचार्य, बांकुरा	14.00	12.64	13.03	10.69	7.30	5.73	जनवरी, 13
6.	डॉ. श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार, बारासात	14.00	15.14	15.52	14.01	12.95	2.57	जनवरी, 13
7.	श्री दिनेश त्रिवेदी, बैरकपुर	14.00	15.14	15.45	14.36	12.75	2.70	जनवरी, 13
8.	श्री एस.के. नुरूल इस्लाम, बसीरहाट	14.00	15.14	15.54	15.06	12.62	2.92	जनवरी, 13
9.	श्री अधीर रंजन चौधरी, बहरामपुर	14.00	7.64	8.08	9.46	4.10	3.98	जनवरी, 13
10.	श्रीमती शताब्दी रॉय, बीरभूम	14.00	12.64	13. 40	8.76	6.85	6.55	फरवरी, 13
11.	डॉ. राम चंद्र डोम बोलपुर (अजा)	14.00	7.64	8.33	9.32	5.98	2.35	फरवरी, 13
12.	श्री एस.के. सैदूल हक, बर्धमान-दुर्गापुर	14.00	7.64	8.08	10.67	6.01	2.07	फरवरी, 13
13.	श्री अनुप कुमार साहा, बर्धमान पूर्व (अजा)	14.00	7.64	8.11	10.63	5.76	2.35	फरवरी, 13
14.	श्री प्रबोध पांडा, मेदनीपुर	14.00	12.64	12.69	10.14	9.07	3.62	दिसम्बर, 12
15.	कुमारी सुब्रता बक्शी कोलकाता दक्षिण	14.00	12.64	13.43	12.55	9.14	4.29	फरवरी, 13
16.	श्री शिशिर कुमार अधिकारी, कांथी	14.00	15.14	15.58	14.93	10.82	4.76	फरवरी, 13
17.	श्री नृपेन्द्र नाथ रॉय, कूचबिहार (अजा)	14.00	15.14	15.58	13.03	12.11	3.47	अक्तूबर, 12
18.	श्री जसवंत सिंह, दार्जिलिंग	14.00	7.64	8.18	8.14	8.14	0.04	जनवरी, 13
19.	श्री सोमेन्द्र नाथ मित्र, डायमंड हार्बर	14.00	7.64	8.09	4.74	3.87	4.22	दिसम्बर, 12
20.	प्रो. सौगात रॉय, दमदम	14.00	12.64	13.01	9.61	9.00	4.01	जनवरी, 13
21.	श्रीमती सुष्मिता बौरी, बिष्णुपुर (अजा)	14.00	7.64	8.01	8.56	3.72	4.29	जनवरी, 13
22.	डॉ. रत्ना डे (नाग), हुगली	14.00	12.64	13.22	13.48	9.49	3.73	फरवरी, 13
23.	श्रीमती अंबिका बनर्जी, हावड़ा	14.00	12.64	13.13	9.71	6.62	6.51	जनवरी, 13
24.	श्री कबीर सुमन, जाधवपुर	14.00	12.64	12.98	8.30	5.71	7.27	दिसम्बर, 12
25.	श्री महेन्द्र कुमार रॉय, जलपाईगुड़ी (अजा)	14.00	12.64	12.70	7.68	5.27	7.43	दिसम्बर, 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	श्री प्रणव मुखर्जी, जंगीपुर	14.00	7.64	8.14	6.50	4.97	3.17	जनवरी, 13
27.	श्री पुलिन बिहारी बास्के, झारग्राम (अजजा)	14.00	12.64	12.68	10.14	8.72	3.96	अक्तूबर, 12
28.	डॉ. तरूण मंडल, जॉय नगर (अजा)	14.00	7.64	8.00	5.09	3.62	4.38	नवम्बर, 12
29.	श्री अबु हसीम खान चौधरी, मालदा दक्षिण	14.00	7.64	7.64	6.74	5.59	2.05	जनवरी, 13
30.	श्री तपस पॉल, कृष्णा नगर	14.00	12.64	13.16	10.67	7.18	5.98	फरवरी, 13
31.	कुमारी मौसम नुर, मालदा उत्तर	14.00	12.64	12.64	6.64	5.26	7.38	जनवरी, 13
32.	श्री मोहन जटुआ चौधरी, मथुरापुर (अजा)	14.00	12.64	13.02	10.37	8.09	4.93	दिसम्बर, 12
33.	श्री गुरूदास दासगुप्ता घटल	14.00	12.64	12.69	10.14	9.71	2.98	जनवरी, 13
34.	श्री अब्दुल मन्नन हुसैन, मुर्शीदाबाद	14.00	12.64	13.20	13.14	9.19	4.01	जनवरी, 13
35.	श्री कल्याण बनर्जी, श्रीरामपुर	14.00	12.64	13.16	14.28	9.33	3.93	फरवरी, 13
36.	श्री सुदीप बंदोपाध्याय, कोलकाता उत्तर	14.00	12.64	13.42	12.33	7.10	6.32	फरवरी, 13
37.	श्री नरहरी महतो, पुरूलिया	14.00	7.64	8.03	8.52	5.09	2.94	फरवरी, 13
38.	श्रीमती दीपा दासमुंशी, रायगंज	14.00	7.64	8.17	6.19	3.79	4.38	जनवरी, 13
39.	श्री सुचारू रंजन हलधर, राणाघाट (अजा)	14.00	12.64	13.14	12.68	7.57	5.57	फरवरी, 13
40.	श्री सुवेन्दू अधिकारी, तामलुक	14.00	15.14	15.61	14.81	11.38	4.23	फरवरी, 13
41.	श्री सुल्तान अहमद, उलूबेरिया	14.00	12.64	13.15	12.29	8.07	5.08	जनवरी, 13
42.	श्री गोबिन्दा चन्द्र नस्कर, बनगांव (अजा)	14.00	15.14	15.43	12.63	12.03	3.40	जनवरी, 13
कुल:		588.00	478.50	495.88	432.24	317.27	178.61	
उत्तर: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह								
1.	श्री विष्णु पद रे, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	14.00	12.50	13.94	11.14	11.18	2.76	फरवरी, 13
कुल:		14.00	12.50	13.94	11.14	11.18	2.76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य: चंडीगढ़								
1.	श्री पवन कुमार बंसल, चंडीगढ़	14.00	7.50	7.78	8.20	6.14	1.64	फरवरी, 13
कुल:		14.00	7.50	7.78	8.20	6.14	1.64	
राज्य: दादरा और नगर हवेली								
1.	श्री नाटूभाई गोमनभाई पटेल, दादरा एवं नगर हवेली (अजजा)	14.00	12.50	13.65	13.06	13.61	0.04	फरवरी, 13
कुल:		14.00	12.50	13.65	13.06	13.61	0.04	
राज्य: दमन और दीव								
1.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल, दमन और दीव	14.00	14.00	14.34	11.62	10.16	4.18	दिसम्बर, 12
कुल:		14.00	14.00	14.34	11.62	10.16	4.18	
राज्य: दिल्ली								
1.	श्री महाबल मिश्रा, पश्चिमी दिल्ली	14.00	7.00	9.68	12.20	7.20	2.48	जनवरी, 13
2.	श्री संदीप दीक्षित, पूर्वी दिल्ली	14.00	5.00	7.65	4.42	1.27	6.36	फरवरी, 13
3.	श्रीमती कृष्णा तीरथ, उत्तर पश्चिमी दिल्ली (अजा)	14.00	7.00	9.87	10.53	4.93	4.94	फरवरी, 13
4.	श्री अजय माकन, नई दिल्ली	14.00	7.00	9.89	12.46	4.20	5.69	फरवरी, 13
5.	श्री जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली	14.00	10.50	13.28	16.05	11.84	1.44	फरवरी, 13
6.	श्री रमेश कुमार, दक्षिणी दिल्ली	14.00	7.00	9.76	2.78	1.91	7.85	जनवरी, 13
7.	श्री कपिल सिब्बल, चांदनी चौक	14.00	10.50	13.18	15.62	8.76	4.42	फरवरी, 13
कुल:		98.00	54.00	73.31	74.06	40.11	33.20	
राज्य: लक्षद्वीप								
1.	श्री हमदुल्ला सईद, लक्षद्वीप (अजजा)	14.00	12.50	18.07	14.04	14.04	4.03	फरवरी, 13
कुल:		14.00	12.50	18.07	14.04	14.04	4.03	
राज्य: पुदुचेरी								
1.	श्री वी. नारायणसामी, पुदुचेरी	14.00	4.00	4.03	5.30	1.50	2.53	जनवरी, 13
कुल:		14.00	4.00	4.03	5.30	1.50	2.53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य: छत्तीसगढ़								
1.	श्री बलीराम कश्यप बस्तर (अजजा)	14.00	14.09	14.55	12.34	10.88	3.67	फरवरी, 13
2.	श्री दिलीप सिंह जूदेव बिलासपुर	14.00	11.59	12.03	11.44	11.43	0.60	फरवरी, 13
3.	कुमारी सरोज पाण्डेय दुर्ग	14.00	11.59	12.08	7.90	6.74	5.34	जनवरी, 13
4.	श्रीमती कमला देवी पटले जांजगीर-चंपा (अजा)	14.00	11.59	12.00	8.92	8.75	3.25	अक्तूबर, 12
5.	श्री सोहन पोटाई कांकेर (अजजा)	14.00	11.596	11.73	8.15	5.86	5.87	दिसम्बर, 12
6.	श्री चंदुलाल साहू (चन्दू भैया) महासमुन्द	14.00	11.59	11.67	8.06	6.04	5.63	फरवरी, 13
7.	श्री विष्णु देव साई रायगढ़ (अजजा)	14.00	11.59	11.71	8.45	8.17	3.54	दिसम्बर, 12
8.	श्री रमेश बैस रायपुर	14.00	11.59	11.86	10.26	10.26	1.60	फरवरी, 13
9.	श्री मधुसूदन यादव राजनन्दगांव	14.00	11.59	12.19	11.16	10.76	1.43	जनवरी, 13
10.	श्री चरण दास महंत कोरबा	14.00	11.59	12.01	6.94	6.62	5.39	जनवरी, 13
11.	श्री मुरारीलाल सिंह सरगुजा (अजजा)	14.00	11.59	11.69	9.00	8.31	3.38	जनवरी, 13
कुल:		154.00	130.00	133.53	102.62	93.82	39.71	
राज्य: उत्तराखंड								
1.	श्री प्रदीप टमटा, अल्मोड़ा (अजा)	14.00	11.50	11.58	6.49	4.30	7.28	अक्तूबर, 12
2.	श्री सतपाल महाराज, गढ़वाल	14.00	11.50	11.57	6.60	4.23	7.34	अक्तूबर, 12
3.	श्री हरीश रावत, हरिद्वार	14.00	11.50	11.57	8.02	5.92	5.95	अप्रैल, 12
4.	श्री के.सी. सिंह बाबा, नैनीताल, उधमसिंह नगर	14.00	11.50	11.61	7.44	5.12	6.49	जनवरी, 13
5.	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, टिहरी गढ़वाल	14.00	9.00	9.30	7.71	7.16	2.14	जनवरी, 13
कुल:		70.00	55.00	55.63	36.26	26.43	29.20	
राज्य: झारखंड								
1.	श्री इन्दर सिंह नामधारी चतरा (अजा)	14.00	14.14	14.24	11.73	10.09	4.15	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	श्री पशुपति नाथ सिंह धनबाद	14.00	11.64	11.81	11.98	11.02	0.79	जनवरी, 13
3.	श्री शिबू सोरेन दुमका (अजजा)	14.00	11.61	11.87	9.64	7.73	4.14	दिसम्बर, 12
4.	श्री रवीन्द्र सिंह पाण्डेय गिरिडीह	14.00	14.14	15.24	11.88	11.77	3.47	फरवरी, 13
5.	श्री निशिकांत दुबे गोड्डा	14.00	6.64	6.85	3.06	3.06	3.79	सितम्बर, 12
6.	श्री यशवन्त सिन्हा हजारीबाग	14.00	14.14	14.19	11.48	9.20	4.99	फरवरी, 13
7.	डॉ. अजय कुमार जमशेदपुर	14.00	14.14	14.16	13.48	9.63	4.53	फरवरी, 13
8.	श्री कड़िया मुंडा खूंटी (अजजा)	14.00	11.64	11.65	6.63	6.35	5.30	अगस्त, 12
9.	श्री बाबू लाल मरांडी कोडरमा	14.00	6.64	6.69	4.24	2.91	3.78	नवम्बर, 11
10.	श्री सुदर्शन भगत लोहरदगा (अजजा)	14.00	11.64	11.64	11.30	10.66	0.98	फरवरी, 13
11.	श्री कामेश्वर बैठा पलामू (अजा)	14.00	14.14	14.43	11.67	9.46	4.97	फरवरी, 13
12.	श्री देवीधन बेसरा राजमहल (अजजा)	14.00	6.64	6.81	5.74	4.55	2.25	फरवरी, 13
13.	श्री सुबोध कांत सहाय रांची	14.00	14.14	14.14	11.47	11.13	3.01	जनवरी, 13
14.	श्री मधु कोड़ा सिंहभूम (अजजा)	14.00	6.64	6.71	4.00	2.32	4.39	फरवरी, 13
कुल:		196.00	158.00	160.47	128.30	109.88	50.59	
कुल		7630.00	6182.00	6400.69	5586.98	4098.28	2302.41	

विवरण II

01.04.2013 से 15.04.2013 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत 15वीं लोक सभा के संबंध में जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	संसद सदस्य/ निर्वाचन क्षेत्र	भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि
1	2	3
	केरल	
1.	श्री पी.के बीजू, अलामुर	5.00
	महाराष्ट्र	
2.	श्री सुभाष बापूराव हिंगोली	5.00
	ओडिशा	
3.	श्री अर्जुन चरण सेठी, भद्रक	2.50
4.	श्री जयराम पांगी, कोरापुट	5.00

1	2	3
	राजस्थान	
5.	डॉ. सी.पी. जोशी, भीलवाड़ा	5.00
6.	डॉ. ज्योति मिर्धा नागौर	5.00
	तमिलनाडु	
7.	श्री सी. राजेन्द्रन, चेन्नई साउथ	5.00
8.	श्री पी. चिदम्बरम, शिवगंगा	2.50
	उत्तर प्रदेश	
9.	श्रीमती सुशीला सरोज, मोहन लाल गंज	2.50
10.	श्री मिथिलेश कुमार, शाहजहांपुर	2.50
	उत्तराखंड	
11.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी, टिहरी गढ़वाल	2.50
	पश्चिम बंगाल	
12.	श्री जसवंत सिंह, दार्जिलिंग	5.00
13.	डॉ. राम चन्द्र डोम, बोलपुर	5.00
14.	श्री एस.के. सैदुल हक, बर्धमान दुर्गापुर	5.00
	कुल	57.50

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण

5016. श्री के. नारायण राव:
श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत निर्माण कार्यक्रम चरण-I के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 तक पूरे देश में इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के माध्यम से 60 लाख घरों का निर्माण किए जाने की अभिकल्पना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में राज्य-वार अब तक कितने घरों का निर्माण और आबंटन किया गया है और इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) वर्ष 2009-10 से अगले पांच वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) दिसम्बर, 2012 तक राज्य-वार इस योजना के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत निर्माण कार्यक्रम के चरण-I में वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक पूरे देश में इंदिरा आवास येजना के अंतर्गत 60 लाख मकानों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इस लक्ष्य में से 71.76 लाख मकानों का निर्माण किया गया, जिस पर 21720.40 करोड़ रुपये व्यय हुए। वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक आंध्र प्रदेश सहित इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए/आबंटित किए गए मकानों और किए गए व्यय का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ग) और (घ) "भारत निर्माण कार्यक्रम" के चरण-II में वर्ष 2009-10 से पांच वर्ष की अवधि में 120 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य है। इस लक्ष्य में से 99.61 लाख मकानों का निर्माण हो गया है। आंध्र प्रदेश सहित इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक (दिसम्बर, 2012 तक) बनाए गए/आबंटित किए गए मकानों और किए गए व्यय का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण I

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक बनाए गए/आबंटित किए गए मकान और किए गए व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09			कुल		
		मकानों की संख्या आबंटित	बनाए गए	रु. लाख में व्यय	मकानों की संख्या आबंटित	बनाए गए	रु. लाख में व्यय	मकानों की संख्या आबंटित	बनाए गए	रु. लाख में व्यय	मकानों की संख्या आबंटित	बनाए गए	रु. लाख में व्यय	मकानों की संख्या आबंटित	बनाए गए	रु. लाख में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	130130	132521	31791.06	138342	146403	33784.76	192148	194861	46838.96	192132	266654	89937.81	652752	740439	202352.59
2.	अरूणाचल प्रदेश	4603	5327	1189.94	4939	4600	1023.4	6765	6422	1332.72	6770	7236	2835.43	23077	23585	6381.49
3.	असम	101790	104353	23682.96	109214	125441	36388.67	149593	150776	43346.7	149699	112706	62704.1	510296	493276	166122.43
4.	बिहार	384111	331651	87769.49	408350	349053	124880.81	5671	71430864	149428.6	567125	484197	215436.08	1926757	1595765	577514.98
5.	छत्तीसगढ़	20124	26578	5043.71	21393	20818	5334.44	29714	30093	7913.32	29712	30023	10733.47	100943	107512	29024.94
6.	गोआ	801	615	179.54	852	1115	196.06	1183	735	109.81	1183	586	398.37	4019	3051	883.78
7.	गुजरात	63819	65602	15840.26	67846	65195	15443.63	94234	110908	24229.87	94226	122412	33836.84	320125	364117	89350.6
8.	हरियाणा	8960	9743	2448.31	9526	10375	2707.97	13231	13398	3666.61	13229	13302	5357.24	44946	46818	14180.13
9.	हिमाचल प्रदेश	2873	3031	812.56	3054	3317	907.53	4242	4029	1150.25	4242	4501	2329.51	14411	14878	5199.85
10.	जम्मू और कश्मीर	8924	8231	1834.88	9487	10667	2381.15	13177	15361	2957.88	13176	13211	3938.54	44764	47470	11112.45
11.	झारखंड	34261	75403	13023.93	36423	57246	11782.16	50589	45936	11861.43	50585	56180	16379.73	171858	234765	53047.25
12.	कर्नाटक	50136	56944	12850.18	53299	49088	12140.71	74029	39990	13473.46	74023	87051	21783.7	251487	233073	60248.05
13.	केरल	27880	36413	7421.36	29639	30817	7062.58	41167	37094	10186.83	41164	53133	15190.55	139850	157457	39861.32
14.	मध्य प्रदेश	40022	59420	11438.67	42548	54544	13024.53	59096	6022	215072.08	59091	74651	40829.83	200757	248837	80365.11
15.	महाराष्ट्र	78478	94274	22531.87	83430	784272	4512.9	115879	126117	35597.33	115869	118611	54559.1	393656	417429	137201.2
16.	मणिपुर	3996	4962	1128.85	4287	3460	784.14	5872	3379	803.66	5877	514	425.4	20032	12315	3142.05
17.	मेघालय	6959	6678	1561.47	7467	4183	1189.73	10228	2271	598.18	10235	5619	2642.64	34889	18751	5992.02
18.	मिजोरम	1483	2182	482.43	1591	2178	410.53	2180	1918	494.3	2181	5179	1528.75	7435	11457	2916.01
19.	नागालैंड	4605	7949	1188.07	4941	6321	1069.52	6768	7491	1338.66	6773	24717	5498.61	23087	46478	9094.86
20.	ओडिशा	75465	87070	22344.43	80228	81345	21534.98	111431	140853	34394.63	111422	62447	25709.24	378546	371715	103983.28
21.	पंजाब	11081	7868	1753.49	11780	8250	1932.32	16362	17992	3699.49	16361	11700	4429.98	55584	45810	11815.28
22.	राजस्थान	32070	38471	8563.52	34094	33397	9351.73	47354	42517	11330.47	47350	52654	20453.65	160868	167039	49699.37
23.	सिक्किम	881	1296	275.69	945	1554	387.85	1294	1533	320.14	1295	1774	685.6	4415	6157	1669.28
24.	तमिलनाडु	52101	66434	18109.11	55389	27919	20434.91	76932	103379	20091.19	76925	94160	33943.24	261347	291892	92578.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25.	त्रिपुरा	8967	11902	2808.54	9621	10612	2531.71	13178	12945	5361.62	13187	26389	6343.68	44953	61848	17045.55
26.	उत्तर प्रदेश	172527	185541	44862.77	183414	165469	42750.32	254750	264296	69977.3	254729	267543	107097.03	865420	882849	264687.42
27.	उत्तराखंड	7863	21722	3563.92	8359	17239	3221.45	11611	18766	3654.45	11610	12696	4242.68	39443	70423	14682.5
28.	पश्चिम बंगाल	104098	99259	20728.16	110667	128838	28051.07	153709	107575	27092.16	153697	123808	45394.67	522171	459480	121266.06
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1238	90	74.03	1316	62	12.87	1828	297	52.65	1828	124	74.3	6210	573	213.85
30.	दादरा और नगर हवेली	206	101	9.01	219	77	25.92	305	121	2.16	305	41	16.65	1035	340	53.74
31.	दमन और दीव	92	6	0.61	98	8	1.86	136	12	0.56	136	0	0	462	26	3.03
32.	लक्षद्वीप	80	48	18.55	85	88	34.88	118	97	34.64	118	190	73.54	401	423	161.61
33.	पुदुचेरी	617	238	77.68	655	261	45.36	910	101	42.19	910	52	24.37	3092	652	189.6
	कुल	1441241	1551923	365409.05	1533498	1498367	425342.45	2127184	1992349	546454.30	2127165	2134061	834834.33	7229088	7176700	2172040.1

विवरण II

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक राजय-वार लक्ष्य और उपलब्धि

(मकानों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		कुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि/ बनाए गए मकान	लक्ष्य	उपलब्धि/ बनाए गए मकान	लक्ष्य	उपलब्धि/ बनाए गए मकान	लक्ष्य	उपलब्धि/ बनाए गए मकान (दिसंबर, 12 तक)	लक्ष्य	उपलब्धि/ बनाए गए मकान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	371982	434733	257104	257104	249013	249013	270399	226675	1148498	1167525
2.	अरूणाचल प्रदेश	10873	6026	7726	9915	7548	1400	8339	1581	34486	18922
3.	असम	240446	181162	170849	156911	166913	143770	184408	64868	762616	546711
4.	बिहार	1098001	653214	758904	566148	737486	469885	816305	481667	3410696	2170914
5.	छत्तीसगढ़	57520	58449	39759	58419	37466	77485	41511	15255	176256	209608
6.	गोवा	2291	1864	1584	667	1547	1087	1714	390	7136	4008
7.	गुजरात	182429	166760	126090	167313	123168	111999	136470	51470	568157	497542
8.	हरियाणा	25611	24138	17703	18055	17293	147282	19163	6409	79770	65884
9.	हिमाचल प्रदेश	8212	9285	5793	5834	5659	6019	6271	1059	25935	22207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	जम्मू और कश्मीर	25508	18594	17995	19666	17578	9042	19476	2599	80557	49901
11.	झारखंड	97926	87524	167691	167254	63477	117343	69503	47342	398597	419463
12.	कर्नाटक	143311	15717	99055	95567	96760	26965	107210	56318	446336	337267
13.	केरल	79695	51590	55084	54853	53808	54499	59620	27866	248207	188808
14.	मध्य प्रदेश	114396	96877	79073	79097	76135	98447	84358	70462	353962	344883
15.	महाराष्ट्र	224323	207695	155052	156575	151063	141479	167379	38665	697817	544414
16.	मणिपुर	9439	3296	6707	4682	6552	2956	7238	2011	29936	12945
17.	मेघालय	16440	9875	11681	11439	11412	13147	12608	3314	52141	37775
18.	मिजोरम	3504	4851	2489	3517	2432	3227	2687	1433	11112	13028
19.	नागालैंड	10878	11645	7730	15514	7552	13362	8343	0	34503	40521
20.	ओडिशा	215715	170766	149100	171223	142082	141398	155363	50438	662260	533825
21.	पंजाब	31674	27108	21893	20483	21386	16622	23696	4383	98649	68596
22.	राजस्थान	91670	86992	63362	63464	61894	125642	68578	42560	285504	318658
23.	सिक्किम	2080	1819	1478	2739	1444	1805	1596	0	6598	6363
24.	तमिलनाडु	148929	169753	102939	96256	100553	91631	111410	13426	463831	371066
25.	त्रिपुरा	21182	85322	15050	12310	14704	26529	16245	0	67181	47161
26.	उत्तर प्रदेश	493156	483949	340868	305376	332804	307012	368322	43701	1535150	1140038
27.	उत्तराखंड	22476	20373	15856	15924	15488	15573	17162	8415	70982	60285
28.	पश्चिम बंगाल	297564	230155	205671	178832	199176	186224	219553	125780	921964	720991
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2750	242	2446	316	2389	578	2646	316	10231	1452
30.	दादरा और नगर हवेली	458	0	407	0	398	0	441	0	1704	0
31.	दमन और दीव	205	0	182	0	178	0	197	2	762	2
32.	लक्षद्वीप	229	88	158	0	184	0	171	0	712	88
33.	पुदुचेरी	1370	47	1218	0	1190	0	1318	0	5096	47
	कुल	4052243	3385619	2908697	2715453	2726702	2471421	3009700	1388405	12697342	9960898

[हिन्दी]

वाई-फाई सुविधा

5017. श्री दत्ता मेघे:
श्री वरूण गांधी:
श्री पी.टी. थॉमस:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाल में अनेक रेलगाड़ियों में वाई-फाई सुविधा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का निकट भविष्य में अन्य रेलगाड़ियों में भी ऐसी सुविधा प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा वार्षिकत: कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है;

(च) क्या यात्रियों को इस सुविधा हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां।

(ख) पायलट परियोजना के रूप में नई दिल्ली-कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस के तीन रेकों में वाई-फाई सेवाएं शुरू कर दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) रेल बजट 2013-14 में राजधारी/शताब्दी/दुरन्तो एक्सप्रेस के 50 और रेकों में वाई-फाई सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) इस समय, तीन रेकों में वाई-फाई के प्रावधान के लिए 1.23 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय है। इसके अतिरिक्त, 50 और रेकों में वाई-फाई की सुविधा शुरू करने से लगभग 20 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय होने का अनुमान है।

(च) और (छ) अब तक यह सुविधा पायलट आधार पर मुहैया कराई गई है और यह यात्रियों के लिए नि:शुल्क है।

काम-बंद और रेल रोको आन्दोलन

5018. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्रीमती पुतुल कुमारी:
श्री अरविन्द कुमार चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2012-13 के दौरान हुए काम-बंद/ 'रेल रोको' आन्दोलनों के कारण अनेक यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों का संचालन रद्द किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या रेलवे ने इसके परिणामस्वरूप हुई हानि का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे को कुल कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या रेलगाड़ियों के रद्द होने के कारण वर्ष 2012-13 में हुई हानि वर्ष 2009 से 2011 की अवधि के दौरान हुई हानि की तुलना में ज्यादा थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या गाड़ियों के रद्द होने के कारण यात्रियों को क्षतिपूर्ति की गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या पर्याप्त कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) बंद/रेल रोको आंदोलनों के कारण 2012-13 के दौरान 1421 यात्री गाडियां रद्द की गई। चूंकि मालगाडियां समय सारणी के अनुसार नहीं चलती है, इसलिए मालगाडियों को रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ख) से (घ) यात्री गाडियों के नुकसान की गाड़ी-वार गणना नहीं की जाती है।

(ङ) और (घ) गाडियों के रद्द होने और तीन घंटे से अधिक समय से गाड़ी के देरी से चलने के मामले में आरक्षित टिकटों वाले यात्रियों को रद्दीकरण प्रभार काटे बिना पूरा किराया वापस किया जाता है। इसके अलावा, जब कभी बंद/रेल रोको आंदोलनों के कारण मार्ग में गाड़ी यात्रा भंग हो जाती है, यात्रा की गई दूरी का किराया रोक लिया जाता है और टिकट किराए की शेष राशि को उस स्टेशन पर, जहां यात्रा समाप्त होती है, रद्दीकरण प्रभार काटे बिना न की गई यात्रा दूरी के किराए के रूप में लौटाया जाता है।

[अनुवाद]

अर्ध-न्यायिक निकायों हेतु सुविधाएं

5019. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने ऐसी कोई टिप्पणी की है कि केन्द्र सरकार न्यायालयों और अर्ध-न्यायिक निकायों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में संबंधित न्यायालयों को दिए गए आश्वासनों के बावजूद, न्यायाधिकरणों और अर्ध-न्यायिक निकायों के सभापतियों, अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा-शर्तों और उनकी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को समान बनाने में किल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त निकायों में यह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय के चंद्रकुमार के मामले में (एआईआर 1997 एससी 1125 से 1155) और सिविल अपील संख्या 3067/2004 भारत संघ बनाम आर गांधी के निर्णय के अनुसरण में एक एकल नोडल अभिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी अधिकरणों को लाने और नियुक्तियों ओर सेवा शर्तों में एकरुपता करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और अंतर-मंत्रालयीय परामर्श किए गए हैं। तथापि, कोई मतैक्यता संभव नहीं हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 120/2012-राजीव गर्ग बनाम भारत संघ में एक संबद्ध मामले की भी सुनवाई की है, जिसमें न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे अधिकरणों के न्यायिक सदस्यों और अध्यक्ष की पदावधि, सेवानिवृत्ति की आयु की एकरूपता/समानता और सेवा की शर्तों की समानता, जिसके अंतर्गत सरकारी आवास के उपबंध के विषय में एकरुपता है, पर विनिश्चय किया जा सकेगा। चूंकि, पूर्व में इस संबंध में कोई मतैक्यता नहीं हो पाई है, सरकार ने तारीख 13.03.2013 को एक मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है। मंत्रियों का समूह, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभिन्न मामलों में उठने वाले मुद्दों और ऐसे निकायों को सौंपे गए कृत्यों सहित सभी सैंबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सेवानिवृत्ति की आयु, नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की पदावधि से संबंधित शर्तों और उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के आसीन/सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा संचालित अर्ध-न्यायिक/विनियामक निकायों/अधिकरणों आदि की आवासीय और कार्यालय स्थानों से संबंधित उपबंधों से संबद्ध सभी मुद्दों पर विचार करेगा और उनकी जांच करेगा।

सरकारी उपक्रमों का पुनरुद्धार

5020. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों का आकलन करने और उनके पुनरुद्धार अथवा पुनरुद्धार हेतु अवहनीय औद्योगिक इकाइयों को बंद करने या उन्हें बेच देने का उपाय सुझाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित परिषद् ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिषद ने कुछ इकाइयों को बंद करने और तत्काल बेचने की सिफारिश की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त परिषद् ने इन इकाइयों में कार्यरत कामगारों के लिए कोई उपाय सुझाए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्धारण करने के लिए और उन औद्योगिक इकाइयों जिनका पुनरूद्धार संभव नहीं है के पुनरूद्धार अथवा उसे बंद करने अथवा उनको बेचने के उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा किसी परिषद का गठन नहीं किया गया था।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु ऋण

5021. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने चेताया है कि विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को ऋण देने के संबंध में बैंक अत्यंत सतर्कता बरतेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सिलसिले में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एम.पी.एल.ए.डी. योजना की अप्रयुक्त निधि

5022. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.) निधि में 3400 करोड़ रुपये की धनराशि अभी भी अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संसदीय क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परिसीमन के कारण इस योजना के अंतर्गत अप्रयुक्त रह गई राशि को राज्य सरकारों को देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस शीर्ष में राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 15वीं लोकसभा के संबंध में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीलैड्स) के अंतर्गत निर्गत तथा व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न है। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार जिला प्राधिकरणों के पास 2302.41 करोड़ रुपये की व्यय न की गई राशि शेष होने की सूचना थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

31.03.2013 के अनुसार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत 15वीं लोक सभा के संबंध में निर्गत तथा व्यय की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सांसद/निर्वाचन क्षेत्र	निर्वाचन क्षेत्र की पात्रता	भारत सरकार द्वारा जारी	नोडल जिले के पास उपलब्ध धनराशि व्याज सहित	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	अव्ययित शेष	प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य: नामित								
1.	डॉ. चार्ल्स डियूस एर्नाकुलम	14.00	11.50	11.61	12.70	6.20	5.41	जनवरी, 13
2.	श्रीमती इंग्रिड मैक्लॉड बिलासपुर	14.00	11.50	11.61	5.92	5.59	6.02	जून, 12
कुल:		28.00	23.00	23.22	18.62	11.79	11.43	
राज्य: आंध्र प्रदेश								
1.	श्री राठौर रमेश आदिलाबाद (अजजा)	14.00	11.50	12.23	10.30	9.06	3.17	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार अमलापुरम (अजा)	14.00	11.50	12.33	11.83	8.12	4.21	फरवरी, 13
3.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी अनन्तपुर	14.00	14.00	14.91	13.94	11.89	3.02	फरवरी, 13
4.	श्री सब्बम हरि अनकापल्ली	14.00	11.50	12.21	7.35	7.00	5.21	जून, 12
5.	श्रीमती पनबाका लक्ष्मी बापटला	14.00	11.50	12.26	10.92	5.85	6.71	फरवरी, 13
6.	श्री सुरेश कुमार शेटकर जहीराबाद	14.00	11.50	12.22	11.74	9.01	3.21	फरवरी, 13
7.	श्री सर्वे सत्यनारायण मल्काजगिरि	14.00	11.50	12.24	10.75	6.73	5.51	फरवरी, 13
8.	श्री नरमल्ली शिवप्रसाद चित्तूर	14.00	11.50	12.20	10.65	8.16	4.13	जनवरी, 13
9.	श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, कडापा	14.00	11.50	12.31	13.38	11.04	1.27	फरवरी, 13
10.	श्री कावूरू सांबासिव राव एलूरू	14.00	11.50	12.10	14.43	10.03	2.07	फरवरी, 13
11.	श्री रायापति सांबासिवा राव गुंटूर	14.00	11.50	12.40	14.27	9.40	3.00	फरवरी, 13
12.	श्री जयपाल सुदीनी रेड्डी चेवेल्ला	14.00	11.50	12.25	11.28	6.32	5.93	जनवरी, 13
13.	श्री क्रिस्टप्पा निम्माला हिन्दुपुर	14.00	14.00	14.81	12.45	10.38	4.43	जनवरी, 13
14.	श्री असादूद्दीन ओवेसी हैदराबाद	14.00	6.50	7.43	4.51	3.70	3.64	फरवरी, 13
15.	श्री एम. मंगापति पल्लम राजू काकीनाडा	14.00	11.50	12.44	11.14	6.83	5.61	फरवरी, 13
16.	श्री पोन्नम प्रभाकर करीमनगर	14.00	11.50	12.22	12.73	5.26	6.96	जनवरी, 13
17.	श्री नामा नागेश्वर राव खम्माम	14.00	11.50	12.14	9.86	8.77	3.37	फरवरी, 13
18.	श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी कुरनूल	14.00	14.00	14.89	14.64	11.86	3.03	फरवरी, 13
19.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव मछलीपत्तनम	14.00	11.50	11.65	11.28	7.44	4.21	फरवरी, 13
20.	श्री के.के. चन्द्रशेखर राव महबूबनगर	14.00	11.50	12.26	14.52	7.85	4.41	अक्तूबर, 12
21.	श्रीमती एम. विजया शांति मेडक	14.00	11.50	12.24	12.11	9.29	2.95	फरवरी, 13
22.	श्री कोमातीरेड्डी राज गोपाल रेड्डी भोंगीर	14.00	11.50	12.16	13.98	10.68	1.48	जनवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	डॉ. मंदा जगन्नाथ नगरकुरनूल (अजा)	14.00	14.00	14.68	14.44	11.70	2.96	नवम्बर, 12
24.	श्री सुखेन्द्र रेड्डी गुथा नालगोंडा	14.00	11.50	12.21	13.75	10.00	2.21	जनवरी, 13
25.	श्री एस.पी.वाई. रेड्डी नांदयाल	14.00	11.50	12.36	13.18	9.40	2.96	फरवरी, 13
26.	श्री मोदुगुला वेणुगोपाला रेड्डी नरसारापेट	14.00	11.50	12.34	13.69	9.90	2.44	फरवरी, 13
27.	श्री बापीराजू कानूमुरी नरसापुरम	14.00	11.50	12.10	14.00	9.86	2.24	फरवरी, 13
28.	श्री मेकपति राजमोहन रेड्डी, नेल्लौर (अजा)	14.00	11.50	12.26	13.76	7.90	4.36	फरवरी, 13
29.	श्री मधु गौड यास्खी निजामाबाद	14.00	6.50	7.21	9.10	5.69	1.52	फरवरी, 13
30.	श्री मागुण्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी, ओंगोले	14.00	11.50	12.25	14.62	9.22	3.03	फरवरी, 13
31.	श्री पोरिका नायक बलराम महबूबाबाद (अजजा)	14.00	11.50	12.17	13.91	9.66	2.51	फरवरी, 13
32.	डॉ. गद्दम विवेकानन्द पेड्डापल्ले (अजा)	14.00	11.50	12.22	12.49	6.34	5.88	जनवरी, 2
33.	श्री अरूण कुमार वुन्डावल्ली राजामुन्दरी	14.00	11.50	12.39	11.68	7.66	4.73	फरवरी, 13
34.	श्री अन्नैयागरी साई प्रताप राजमपेट	14.00	14.00	14.73	14.57	12.18	2.55	फरवरी, 13
35.	श्री एम अंजनकुमार यादव सिकन्दराबाद	14.00	11.50	12.44	13.83	9.21	3.23	फरवरी, 13
36.	श्री वी. किशोर चन्द्र देव, अराकु (अजजा)	14.00	11.50	12.24	10.27	8.29	3.95	फरवरी, 13
37.	श्रीमती क्रुपारानी किल्ली श्रीकाकुलम	14.00	11.50	12.30	10.43	7.06	5.24	फरवरी, 13
38.	डॉ. झांसी लक्ष्मी बोचा विजियानगरम	14.00	14.00	14.65	15.77	11.81	2.84	फरवरी, 13
39.	डॉ. चिन्ता मोहन तिरूपति (अजा)	14.00	6.50	7.32	3.01	2.72	4.60	जनवरी, 13
40.	श्री राजगोपाल लगडपति बिजयवाड़ा	14.00	11.50	11.65	13.87	7.57	4.08	फरवरी, 13
41.	श्रीमती डग्गुबति पुरन्देश्वरी विशाखापत्तनम	14.00	14.00	14.72	12.16	10.20	4.52	जनवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	श्री राजईया सिरिसला वारंगल	14.00	6.50	7.23	9.83	4.47	2.76	फरवरी, 13
कुल:		588.00	480.50	511.46	506.51	355.60	155.86	
राज्य: अरूणाचल प्रदेश								
1.	श्री निनोंग ईरींग अरूणाचल पूर्व	14.00	14.00	16.26	10.81	11.06	5.20	फरवरी, 13
2.	श्री तकाम संजय अरूणाचल पश्चिम	14.00	14.00	14.19	11.56	11.64	2.55	फरवरी, 13
कुल:		28.00	28.00	30.45	22.37	22.70	7.75	
राज्य: असम								
1.	डॉ. बिरेन सिंह इंग्ती स्वशासी जिला (अजजा)	14.00	11.50	11.62	9.10	6.74	4.88	जनवरी, 13
2.	श्री इस्माइल हुसैन बारपेटा	14.00	6.50	6.56	4.09	3.16	3.40	दिसम्बर, 12
3.	श्री बदरूद्दीन अजमल धुबरी	14.00	6.50	6.61	3.28	2.78	3.83	जनवरी, 13
4.	श्री पबन सिंह घाटोवार डिब्रुगढ़	14.00	11.50	11.89	9.04	7.78	4.11	जनवरी, 13
5.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती गुवाहाटी	14.00	14.00	14.03	11.33	9.47	4.56	जनवरी, 13
6.	श्री विजय कृष्णा हान्डिक जोरहाट	14.00	11.50	11.54	6.50	6.35	5.19	मार्च, 12
7.	श्री दीप गोगोई कलियाबोर	14.00	6.50	6.54	6.49	5.95	0.59	जनवरी, 13
8.	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य करीमगंज (अजा)	14.00	11.50	11.50	8.20	7.59	3.91	जनवरी, 13
9.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, कोकरार (अजजा)	14.00	11.50	11.64	9.14	7.93	3.71	फरवरी, 13
10.	श्री रानी नरह लखीमपुर	14.00	6.50	6.75	5.05	4.05	2.70	जनवरी, 13
11.	श्री रमेन डेका मंगलदोई	14.00	11.50	11.62	9.17	8.43	3.19	जनवरी, 13
12.	श्री राजेश गोहेन नौगांव	14.00	11.50	11.58	8.90	8.20	3.38	जनवरी, 13
13.	श्री करीन्द्र पुरकायस्था सिल्चर	14.00	11.50	11.66	9.16	8.41	3.25	फरवरी, 13
14.	श्री जोसेफ टोपो तेजपुर	14.00	11.50	11.61	9.21	7.96	3.85	दिसम्बर, 12
कुल:		196.00	143.00	145.15	108.66	94.80	50.35	
राज्य: बिहार								
1.	श्री प्रदीप कुमार सिंह अररिया	14.00	6.98	7.14	5.32	2.42	4.72	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	श्रीमती मीना सिंह आरा	14.00	17.98	12.11	11.29	9.21	2.90	फरवरी, 13
3.	श्री सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद	14.00	11.98	11.98	6.04	4.50	7.48	फरवरी, 13
4.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो वाल्मीकि नगर	14.00	11.98	12.15	7.58	5.42	6.72	जनवरी, 13
5.	डॉ. संजय जायसवाल पश्चिम चम्पारण	14.00	6.98	7.10	3.74	2.63	4.48	दिसम्बर, 12
6.	श्रीमती पुतुल कुमारी बांका	14.00	6.98	7.07	5.50	1.07	6.00	फरवरी, 13
7.	श्री राधा मोहन सिंह पूर्वी चम्पारण	14.00	6.98	6.98	3.48	2.60	4.38	जनवरी, 13
8.	डॉ. मोनाजिर हसन बेगूसराय	14.00	11.96	12.02	6.62	5.07	6.94	फरवरी, 13
9.	श्री विश्व मोहन कुमार सुपौल	14.00	11.98	12.07	6.33	6.04	6.02	दिसम्बर, 12
10.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर	14.00	11.96	12.01	10.61	4.58	7.42	जनवरी, 13
11.	श्री लालू प्रसाद सारण	14.00	11.98	11.98	8.61	4.42	7.46	फरवरी, 13
12.	श्री जगदानंद सिंह, बक्कसर	14.00	11.95	12.12	10.95	10.12	2.00	फरवरी, 12
13.	श्रीमती अश्वमेध देवी उजियारपुर	14.00	6.98	7.09	3.25	1.80	5.28	जनवरी, 13
14.	श्री कीर्ति आजाद दरभंगा	14.00	6.98	7.08	8.03	3.69	3.38	जनवरी, 13
15.	श्री हरि मांझी गया (अजा)	14.00	11.96	12.08	6.95	6.24	5.84	दिसम्बर, 12
16.	श्री पूर्णमासी राम गोपालगंज (अजा)	14.00	14.48	14.58	11.37	9.62	4.06	फरवरी, 13
17.	श्री रामसुंदर दास हाजीपुर (अजा)	14.00	11.98	12.14	8.34	8.18	3.96	जनवरी, 13
18.	श्री जगदीश शर्मा जहानाबाद	14.00	6.98	7.08	9.01	3.25	3.82	फरवरी, 13
19.	श्री मंगनी लाल मंडल झंझारपुर	14.00	6.98	6.99	3.17	2.55	4.44	फरवरी, 13
20.	श्री निखिल कुमार चौधरी कटिहार	14.00	6.98	7.02	5.30	3.08	3.94	जनवरी, 13
21.	श्री दिनेश चन्द्र यादव खगडिया	14.00	6.98	7.08	3.37	2.68	4.40	सितम्बर, 12
22.	श्री मोहम्मद असर्फुल हक किशनगंज	14.00	6.98	7.08	5.45	3.75	3.32	दिसम्बर,12
23.	श्री शरद यादव मधेपुरा	14.00	11.98	12.06	9.35	6.79	5.26	अक्तूबर, 12
24.	श्री हुकुमदेव नारायण यादव मधुबनी	14.00	6.98	6.99	6.58	2.86	4.12	फरवरी, 13
25.	श्री उमा शंकर सिंह महाराजगंज	14.00	3.48	3.63	2.01	1.29	2.34	जनवरी, 13
26.	श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह, मुंगेर	14.00	6.98	7.06	5.40	1.10	5.98	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	श्री रंजन प्रसाद यादव पाटलिपुर	14.00	11.98	12.02	11.01	5.01	7.00	फरवरी, 13
28.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद, मुजफ्फरपुर	14.00	11.98	12.09	8.06	6.41	5.68	जनवरी, 13
29.	श्री कौशलेन्द्र कुमार नालन्दा	14.00	11.98	12.11	9.88	6.42	5.68	फरवरी, 13
30.	श्री भोला सिंह नवादा	14.00	11.98	11.99	6.98	4.49	7.50	जनवरी, 13
31.	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा पटना साहिब	14.00	11.98	11.98	9.02	6.85	5.12	दिसम्बर, 12
32.	श्री महाबली सिंह काराकाट	14.00	11.96	11.98	9.02	6.45	5.12	दिसम्बर, 12
33.	श्री भूदेव चौधरी जमुई (अजा)	14.00	6.98	7.0	5.19	2.37	4.64	दिसम्बर, 12
34.	श्री महेश्वर हजारी समस्तीपुर (अजा)	14.00	11.98	12.14	9.15	4.63	7.50	फरवरी, 13
35.	श्रीमती मीरा कुमार सासाराम (अजा)	14.00	11.98	12.24	10.25	9.66	2.58	फरवरी, 13
36.	श्रीमती रमा देवी शिवहर	14.00	6.98	7.04	6.79	4.58	2.46	जनवरी, 13
37.	श्री अर्जुन राय सीतामढ़ी	14.00	6.96	7.02	4.03	3.09	3.92	जनवरी, 13
38.	श्री ओम प्रकाश यादव सीवान	14.00	6.98	7.22	7.01	5.53	1.68	फरवरी, 13
39.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली	14.00	6.98	7.11	8.65	3.37	3.74	फरवरी, 13
40.	श्री उदय सिंह पूर्णिया	14.00	6.98	7.11	3.04	2.95	4.16	जनवरी, 13
कुल:		560.00	378.00	381.60	279.22	186.83	194.77	
राज्य: गोवा								
1.	श्री श्रीपद येसा नाईक गोवा	14.00	12.50	12.83	9.10	6.25	6.58	जनवरी, 13
2.	श्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा दक्षिण गोवा	14.00	11.50	11.92	8.41	7.03	4.89	जनवरी, 13
कुल:		28.00	24.00	24.75	17.60	13.28	11.47	
राज्य: गुजरात								
1.	श्री हरिन पाठक अहमदाबाद पूर्व	14.00	11.58	11.65	11.72	8.69	2.96	जनवरी, 13
2.	श्री नारनभाई कछाड़िया अमरेली	14.00	11.58	12.38	13.71	9.24	3.14	जनवरी, 13
3.	श्री भरतभाई माधवसिंह सोलंकी, आनन्द	14.00	11.56	12.42	12.20	6.93	5.49	जनवरी, 13
4.	श्री मुकेश भैरवदानजी गैढ़वी बनासकांठा	14.00	6.58	7.31	13.71	6.40	1.91	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	श्री बालकृष्ण खांडेलराव शुला (बालुशुक्ला) वडोदरा							
6.	श्री राजेन्द्रसिंह घनश्याम सिंह राणा भावनगर	14.00	6.58	7.55	9.66	5.31	2.2	फरवरी, 13
7.	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा भरूच	14.00	6.58	7.39	11.36	6.92	0.47	सितम्बर, 12
8.	डॉ. किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी अहमदाबाद पश्चिम (अजज)	14.00	11.58	11.67	14.98	10.24	1.43	जनवरी, 13
9.	श्री रामसिंह पतल्याभाई राठवा, छोटा उदसपुर (अजजा)	14.00	6.58	7.28	8.43	5.14	2.14	जनवरी, 13
10.	श्री दिनशा जे. पटेल खेंडा	14.00	11.58	12.36	14.79	7.87	4.49	जनवरी, 13
11.	डॉ. (श्रीमती) प्रभा किशोर तवैद दाहोड़ (अजजा)	14.00	6.55	7.42	7.11	3.04	4.39	सितम्बर, 12
12.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर	14.00	6.58	6.65	9.70	3.78	2.87	जनवरी, 13
13.	श्री प्रभातसिंह चौहान, पंचमहल	14.00	14.08	14.90	13.72	10.70	4.20	फरवरी, 12
14.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम जामनगर	14.00	11.58	12.47	11.80	10.27	2.220	जनवरी, 13
15.	श्री दीनूभाई बोगाभाई सोलंकी जूनागढ़	14.00	11.58	12.43	13.30	6.33	6.10	जनवरी, 13
16.	श्री तुषारभाई ए. चौधरी बारडोली (अजजा)	14.00	11.58	12.37	8.85	5.82	6.55	फरवरी, 13
17.	श्री सी.आर. पाटील नवसारी	14.00	11.58	12.05	9.53	6.61	5.44	फरवरी, 13
18.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट कच्छ (अजा)	14.00	11.58	12.38	9.11	7.02	5.36	फरवरी, 13
19.	श्री किसनभाई वेस्टाभाई पटेल वलसाड (अजजा)	14.00	11.58	12.29	12.6	8.31	3.96	अगस्त, 12
20.	श्रीमती जयश्रीबेन कानुभाई पटेल मेहसाना	14.00	11.58	12.22	11.64	9.49	2.73	जनवरी, 13
21.	श्री जगदीश ठाकोर पाटन	14.00	11.58	12.36	11.86	8.75	3.61	जनवरी, 13
22.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया, पोरबंदर	14.00	11.58	11.65	9.12	5.79	5.86	दिसम्बर, 12
23.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	14.00	11.58	11.94	8.01	6.66	5.28	नवम्बर, 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बावलिया, राजकोट							
24.	डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहान साबरकंठा	14.00	6.58	7.13	10.84	5.99	1.14	जनवरी, 13
25.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश सूरत	14.00	11.58	12.22	11.37	7.43	4.799	फरवरी, 13
26.	श्री सोमाभाई गैंदालाल कोली पटेल सुरेन्द्रनगर	14.00	11.58	12.02	12.88	6.86	5.17	अगस्त, 12
कुल:		364.00	263.50	279.82	292.33	183.51	9631	
राज्य: हरियाणा								
1.	श्रीमती श्रुति चौधरी भिवानी, महेन्द्रगढ़	14.001	14.00	14.41	12.91	10.08	4.33	दिसम्बर, 12
2.	श्री अवतार सिंह भडाना फरीदाबाद	14.00	14.00	14.26	13.22	11.38	2.88	फरवरी, 12
3.	श्री कुलदीप विश्नोई हिसार	14.00	11.50	11.64	8.14	5.19	6.45	फरवरी, 13
4.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा करनाल	14.00	14.00	14.36	11.63	9.90	4.46	फरवरी, 13
5.	श्री नवीन जिन्दल कुरूक्षेत्र	14.00	14.00	14.24	13.56	10.03	4.21	फरवरी, 13
6.	श्री इन्द्रजीत सिंह राव गुड़गांव	14.00	14.00	14.25	11.68	9.47	4.78	फरवरी, 13
7.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा रोहतक	14.00	14.00	14.38	11.95	11.20	3.18	फरवरी, 13
8.	श्री अशोक तंवर सिरसा (अजा)	14.00	11.50	11.60	12.15	9.17	2.43	जनवरी, 13
9.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक सोनीपत	14.00	14.00	14.20	11.65	9.22	4.98	जनवरी, 13
10.	कुमारी सैलजा अम्बाला (अजा)	14.00	11.50	11.65	7.65	5.82	5.83	जुलाई, 12
कुल		140.00	132.50	134.99	114.54	91.46	43.53	
राज्य: हिमाचल प्रदेश								
1.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हमीरपुर	14.00	14.00	17.73	12.03	10.27	4.46	अक्तूबर, 12
2.	डॉ. राजन सुशान्त कांगड़ा	14.00	14.00	15.15	11.73	11.73	3.42	नवम्बर, 12
3.	श्री वीरभद्र सिंह मंडी	14.00	14.00	15.10	15.01	12.36	2.74	जनवरी, 13
4.	श्री वीरेन्द्र कश्यप शिमला (अजा)	14	14	15.10	15.01	12.36	2.74	जनवरी, 13
कुल:		56.00	56.00	59.26	50.46	43.65	15.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य: जम्मू और कश्मीर								
1.	डॉ. मिर्जा महबूब बेग अनंतनाग	14.00	11.50	11.65	13.25	7.06	4.59	दिसम्बर, 12
2.	श्री शरीफुद्दीन शरीक बारामूला	14.00	12.50	12.61	15.40	9.62	2.99	जनवरी, 13
3.	श्री मदन लाल शर्मा जम्मू	14.00	14.00	14.10	11.21	9.95	4.15	जनवरी, 13
4.	श्री हसन खां लद्दाख	14.00	14.50	14.56	9.83	8.82	5.73	दिसम्बर, 13
5.	डॉ. फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर	14.00	12.50	12.61	12.71	8.72	3.89	जनवरी, 13
6.	श्री चौधरी लाल सिंह उधमपुर	14.00	12.50	12.56	12.55	6.69	5.87	जनवरी, 13
कुल:		84.00	77.50	78.08	74.95	50.86	27.22	
राज्य: कर्नाटक								
1.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर बागलकाट	14.00	12.11	12.74	13.33	10.24	2.50	फरवरी, 13
2.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौंडा बंगलौर उत्तर	14.00	12.11	12.35	14.68	12.31	0.04	जनवरी, 13
3.	श्री अनंत कुमार बंगलौर दक्षिण	14.00	12.11	12.42	11.75	7.41	5.01	सितम्बर, 12
4.	श्री सुरेश चनबसप्पा अंगादि बेलगाम	14.00	12.21	12.20	7.70	6.43	5.77	नवम्बर, 12
5.	श्रीमती जे. शान्ता बेल्लारी (अजजा)	14.00	7.11	7.17	3.45	1.69	5.48	दिसम्बर, 11
6.	श्री एन. धार्म सिंह बीदर	14.00	12.11	12.39	11.77	6.59	5.79	जनवरी, 13
7.	श्री रमेश चंदप्पा जीगजीणगी बीजापुर (अजा)	14.00	7.11	7.31	6.97	4.96	2.68	दिसम्बर, 12
8.	श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण चामराजनगर	14.00	14.61	14.83	12.20	9.88	4.96	दिसम्बर, 12
9.	श्री एम. वीरप्प मोहली चिकबल्लापुर	14.00	12.11	12.34	6.82	6.20	6.14	अक्तूबर, 12
10.	श्री रमेश विश्वनाथ कट्टी चिक्कोडी	14.00	12.11	12.50	8.75	6.64	5.86	नवम्बर, 12
11.	श्री डी.वी. सदानन्द गौडा/जय प्रकाश हेगड़े उदुपी चिकमगलूर	14.00	12.11	12.48	9.38	7.19	5.29	फरवरी, 13
12.	श्री जनार्दन स्वामी चित्रदुर्ग (अजा)	14.00	12.11	12.59	11.18	8.16	4.43	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर दावणगेरे	14.00	12.11	12.54	13.31	11.94	0.60	जनवरी, 13
14.	श्री प्रहलाद वैंकटेश जोशी धारवाड़	14.00	12.11	13.34	8.29	6.36	6.98	अक्तूबर, 12
15.	श्री उदासी शिवकुमार चनबसप्पा हावेरी	14.00	12.11	12.44	8.67	7.18	5.28	जनवरी, 13
16.	श्री मल्लिकार्जुन खर्गे गुलबर्गा (अजा)	14.00	12.11	12.43	12.83	10.04	2.39	जनवरी, 13
17.	श्री एच.डी. देवेगौडा हसन	14.00	12.11	12.43	9.13	9.13	3.30	जनवरी, 13
18.	श्री अनंत कुमार हेगडे उत्तर कन्नड़	14.00	7.11	7.63	11.90	3.63	4.00	फरवरी, 13
19.	श्री नलिन कुमार कटील दक्षिण कन्नड़	14.00	12.11	12.50	9.52	8.18	4.32	फरवरी, 13
20.	श्री के.एच. मुनियप्पा कोलार (अजा)	14.00	12.11	12.67	7.66	6.61	6.06	अक्तूबर, 12
21.	श्री शिवराज गोंडा कोप्पल	14.00	12.11	12.51	8.44	5.98	6.53	दिसम्बर, 12
22.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी मांडया	14.00	7.11	7.40	11.80	4.22	3.18	जनवरी, 13
23.	श्री एच.डी. कुमार स्वामी बंगलौर ग्रामीण	14.00	12.11	12.40	10.35	10.35	2.05	फरवरी, 13
24.	श्री अदागुरू एच. विश्वनाथ मैसूर	14.00	12.11	12.34	7.61	6.00	6.34	जनवरी, 13
25.	श्री एस. पक्कीरप्पा रायचूर (अजजा)	14.00	7.11	7.33	6.43	3.34	3.99	नवम्बर, 12
26.	श्री राधवेन्द्र येद्यूरप्पा शिमोगा	14.00	12.11	12.53	12.34	7.2	5.33	जनवरी, 13
27.	श्री जी.एस. बासवराज तुमकुर	14.00	7.11	7.26	9.10	7.03	0.23	जनवरी, 13
28.	श्री पी.सी. मोहन बंगलौर सेन्ट्रल	14.00	7.11	7.44	11.58	5.30	2.14	फरवरी, 13
कुल:		392.00	306.50	316.42	276.94	199.86	116.56	
राज्य: केरल								
1.	श्री कुंबाकुडी सुधाकरन कन्नूर	14.00	12.10	12.64	13.76	7.15	5.49	फरवरी, 13
2.	श्री के.सी. वेणुगोपाल अलप्पुझा	14.00	12.10	12.64	14.82	8.50	4.14	फरवरी, 13
3.	श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन वडकरा	14.00	12.10	12.62	13.19	6.17	6.45	जनवरी, 13
4.	श्री एम.के. राघवन कोझीकोड	14.00	12.10	12.54	14.99	6.38	6.16	जनवरी, 13
5.	श्री एम. आई. शानवास वयनाड	14.00	14.80	14.68	15.29	10.83	3.85	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	श्री ई. अहमद मलप्पुरम	14.00	12.10	12.73	13.60	8.42	4.31	फरवरी, 13
7.	प्रो. के. वर्के थॉमस एर्णाकुलम	14.00	12.10	12.72	12.73	5.68	7.04	फरवरी, 13
8.	श्री पी.टी. थॉमस इदुक्की	14.00	12.10	12.70	16.07	9.04	3.66	जनवरी, 13
9.	श्री पी. करूणाकरन कासरगोड	14.00	12.10	12.60	14.69	5.25	7.35	फरवरी, 13
10.	श्री जोस के मणि कोट्टायम	14.00	12.10	12.68	15.02	8.96	3.72	फरवरी, 13
11.	श्री पी. कुट्टप्पन बीजू अलधूर (अजा)	14.00	7.10	7.56	12.75	4.91	2.65	फरवरी, 13
12.	श्री सुरेश कोडिकुन्नील मवेलीकारा (अजा)	14.00	12.10	12.48	14.54	8.43	4.05	फरवरी, 13
13.	श्री के.पी. धनपालन चालाकुडी	14.00	12.10	12.64	13.19	6.95	5.69	फरवरी, 13
14.	श्री एंटो एंटोनी पथनमथीट्टा	14.00	12.10	12.56	15.04	9.65	2.91	जनवरी, 13
15.	श्री एम.बी. राजेश पलक्कड	14.00	12.10	12.62	13.14	8.77	3.85	फरवरी, 13
16.	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर पोन्नानी	14.00	12.10	12.68	10.41	5.73	6.95	फरवरी, 13
17.	श्री एन. पीलांबर कुरूप कोल्लम	14.00	12.10	12.53	12.71	6.16	6.37	फरवरी, 13
18.	श्री पी.सी. चाको त्रिस्सूर	14.00	12.10	12.45	15.44	6.40	6.05	फरवरी, 13
19.	श्री शशि थरूर तिरुवनन्तपुरम	14.00	12.10	12.10	12.54	6.95	5.15	फरवरी, 13
20.	श्री अनिरूधन सम्पत अतिंगल	14.00	12.10	12.67	14.68	8.55	4.12	मार्च, 13
कुल		280.00	239.50	248.84	278.60	148.88	99.96	
राज्य: मध्य प्रदेश								
1.	श्री के.डी. देशमुख बालाघाट	14.00	14.03	14.33	11.56	11.19	3.14	फरवरी, 13
2.	श्रीमती ज्योति धुर्वे बेतुल (अजजा)	14.00	11.53	11.90	9.14	9.14	2.76	जनवरी, 13
3.	श्री अशोक अर्गल भिंड (अनु.जा.)	14.00	11.53	11.54	8.96	8.96	2.58	जनवरी, 13
4.	श्री कैलाश जोशी भोपाल	14.00	11.53	11.57	8.24	6.54	5.03	नवम्बर, 12
5.	श्री कमल नाथ छिंदवाड़ा	14.00	11.53	12.19	10.79	7.99	4.20	फरवरी, 13
6.	श्री शिवराज सिंह लोधी दामोह	14.00	11.53	11.88	9.42	8.03	3.85	फरवरी, 13
7.	श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी धार (अजजा)	14.00	14.03	14.40	11.60	10.87	3.53	जनवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया गुना	14.00	11.53	12.01	11.01	6.53	5.48	फरवरी, 13
9.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ग्वालियर	14.00	11.53	12.03	14.28	9.92	2.11	जनवरी, 13
10.	श्री उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद	14.00	11.53	11.80	6.03	4.38	7.42	मार्च, 12
11.	श्रीमती सुमित्रा महाजन इन्दौर	14.00	14.03	14.36	12.82	12.77	1.61	जनवरी, 13
12.	श्री राकेशा सिंह जबलपुर	14.00	11.53	11.99	13.55	10.90	1.09	फरवरी, 13
13.	श्री वीरेन्द्र कुमार टीकमगढ़ (अजा)	14.00	6.53	6.95	7.90	5.71	1.24	जनवरी, 13
14.	श्री जितेन्द्र सिंह बुंलेला खजुराहो	14.00	11.53	11.96	6.62	8.62	3.34	दिसम्बर, 12
15.	श्री अरूण सुभाष चन्द्र यादव खंडवा	14.00	11.53	11.60	6.55	5.85	5.75	सितम्बर, 12
16.	श्री माखनसिंह सोलंकी (बाबूजी) खरगौन (अजजा)	14.00	11.53	11.94	8.59	9.02	2.92	जनवरी, 13
17.	श्री बसोरी सिंह मसराम मांडला (अजजा)	14.00	11.53	11.79	10.65	9.65	2.14	फरवरी, 13
18.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन मंदसौर	14.00	14.03	14.30	10.94	9.55	4.75	फरवरी, 13
19.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना	14.00	11.53	11.82	6.67	5.31	6.51	फरवरी, 13
20.	श्री नारायण सिंह अम्लाबे राजगढ़	14.00	14.03	14.41	11.00	10.83	3.58	जनवरी, 13
21.	श्री देवराज सिंह पटेल रीवा	14.00	11.53	11.94	11.59	10.57	1.37	जनवरी, 13
22.	श्री भूपेन्द्र सिंह सागर	14.00	14.03	14.44	13.73	12.10	2.34	फरवरी, 13
23.	श्री गणेश सिंह सतना	14.00	11.53	11.84	9.60	9.15	2.69	जनवरी, 13
24.	श्री सज्जन सिंह वर्मा देवास (अजा)	14.00	11.53	11.66	7.21	6.66	5.00	अक्तूबर, 12
25.	श्रीमी राजेश नन्दिनी सिंह शहडोल (अजजा)	14.00	14.03	14.45	12.87	10.27	4.18	फरवरी, 13
26.	श्री कांति लाल भूरिया रतलाम (अजजा)	14.00	11.53	11.71	8.85	7.69	4.02	जनवरी, 13
27.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा सीधी	14.00	11.53	11.79	10.58	9.70	2.09	फरवरी, 13
28.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू उज्जैन (अजा)	14.00	14.03	14.40	13.23	10.85	3.55	जनवरी, 13
29.	श्रीमती सुषमा स्वराज विदिशा	14.00	14.03	14.32	13.91	13.05	1.27	फरवरी, 13
कुल:		406.00	352.00	361.47	299.69	261.80	99.67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्यः महाराष्ट्र								
1.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी अहमदनगर	14.00	11.85	12.78	14.65	9.79	2.99	जनवरी, 13
2.	श्री संजय शामराव धौत्रे अकोला	14.00	11.85	11.98	14.68	7.71	4.27	नवम्बर, 12
3.	श्री आंनदराव विठोबा अड्सूल अमरावती (अ.जा.)	14.00	11.85	11.98	12.24	6.80	5.18	अगस्त, 12
4.	श्री चन्द्रकान्त भाऊराव खैरे औरंगाबाद	14.00	11.85	12.88	14.21	10.63	2.25	फरवरी, 13
5.	श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले बारामती	14.00	11.85	12.84	13.19	8.39	4.45	फरवरी, 13
6.	श्री प्रफुल्ल मनोहरभाई पटेल भंडारा-गौदिया	14.00	11.85	12.96	9.14	7.14	5.82	दिसम्बर, 12
7.	श्री गोपी राव पाडूरंग मुण्डे बीड	14.00	11.85	12.05	12.60	8.05	4.00	दिसम्बर, 12
8.	श्री संजय निरूपम मुम्बई उत्तर	14.00	11.85	11.96	14.31	8.26	3.72	जनवरी, 13
9.	श्रीमती प्रिया सुनील दत्त मुम्बई उत्तर मध्य	14.00	11.85	11.97	11.78	9.20	2.77	दिसम्बर, 12
10.	श्री संजय दीना पाटिल मुम्बई उत्तर पूर्व	14.00	11.85	11.96	9.40	6.88	5.08	दिसम्बर, 12
11.	श्री गुरूदास वसंत कामत मुम्बई उत्तर पश्चिम	14.00	11.85	12.03	11.24	6.22	5.81	जनवरी, 13
12.	श्री मिलिन्द मुरली देवरा मुम्बई दक्षिण	14.00	11.85	12.55	12.81	7.32	5.23	फरवरी, 13
13.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ मुम्बई दक्षिण-मध्य	14.00	11.85	12.42	6.23	6.23	6.19	फरवरी, 13
14.	श्री प्रताप राव गणपतराव जाधव बुलढ़ाना	14.00	6.85	7.15	7.69	4.14	3.01	जनवरी, 13
15.	श्री हंसराज गंगाराम आहीर चन्द्रपुर	14.00	11.85	11.93	9.35	9.35	2.58	नवम्बर, 12
16.	श्री मारुतराव सवैनोजी कोवासे गढ़ चिरोली-चिम्मूर (अजा)	14.00	11.85	11.90	11.17	6.93	4.97	मार्च, 12
17.	श्री हरी-भाऊ माधव जावले रावेर	14.00	11.85	11.97	11.45	6.51	5.46	नवम्बर, 12
18.	श्री प्रताप नारायणराव सोनवणे धुले	14.00	11.85	12.78	9.21	7.54	5.24	जनवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	श्री हरीश चन्द्र देवराम चव्हाण दिन्डोरी (अजजा)	14.00	11.85	11.85	9.34	6.50	5.35	जून, 12
20.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े हिंगोली	14.00	6.95	6.91	7.81	6.91	0.00	जनवरी, 13
21.	श्री बलिराम सुकुर जादव पालधर (अनु.जन.जा.)	14.00	11.85	12.85	13.30	10.22	2.63	जनवरी, 13
22.	श्री ए.टी. नाना पाटिल जलगांव	14.00	11.85	12.04	9.88	5.86	6.18	नवम्बर, 12
23.	श्री रावसाहिब धनवे पाटिल जालना	14.00	11.85	12.00	12.99	10.20	1.80	फरवरी, 13
24.	श्री सुरेश काशीनाथ तिवारी भिवंडी	14.00	11.85	12.03	9.88	7.56	4.47	जनवरी, 13
25.	श्री आनन्द प्रकाश परांजपे कल्याण	14.00	11.85	12.42	13.87	9.90	2.52	जनवरी, 13
26.	श्री गजानंन धरमशी बाबर मावल	14.00	14.35	15.32	13.60	11.44	3.88	फरवरी, 13
27.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक कोल्हापुर	14.00	11.85	12.71	12.46	7.16	5.55	दिसम्बर, 12
28.	श्री अनंत गंगाराम गीत रायगढ़	14.00	11.85	11.96	8.98	4.98	6.98	अक्तूबर, 12
29.	श्री जयवन्त गंगाराम अवाले लातूर (अजा)	14.00	11.85	12.77	12.20	7.05	5.72	जनवरी, 13
30.	श्री शिवाजी अधलराव पाटिल शिरूर	14.00	14.35	15.39	15.26	10.86	4.53	फरवरी, 13
31.	श्री विलास बाबूराज मुत्तेमवार नागपुर	14.00	6.85	7.80	6.60	3.38	4.42	फरवरी, 13
32.	श्री भास्करराव बापूराव खतगांवकर नान्देड	14.00	11.85	12.00	11.17	6.35	5.65	अक्तूबर, 12
33.	श्री मानिकराव होडल्या गावित नन्दूरबार (अजजा)	14.00	11.85	12.03	13.43	10.29	1.74	जनवरी, 13
34.	श्री समीर मगन भुजबल नासिक	14.00	6.85	6.85	7.22	4.91	1.94	जून, 12
35.	श्री पदम सिन्हा बाजीराव पाटिल उस्मानाबाद	14.00	6.85	8.00	10.16	8.00	0.00	फरवरी, 13
36.	श्री भाऊसाहिब राजाराम वम्चौरे शिरडी (अजा)	14.00	11.85	12.83	14.99	9.30	3.53	जनवरी, 13
37.	श्री गणेशराव नागोराव दुदगांवकर परभानी	14.00	11.85	11.99	12.67	9.95	2.04	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	श्री सुरेश कल्माड़ी पुणे	14.00	11.85	12.83	11.43	8.39	4.44	फरवरी, 13
39.	श्री शरद चन्द गोविन्दराव पवार माधा	14.00	11.85	12.79	13.41	6.58	6.21	फरवरी, 13
40.	श्री मुकुल बालकृष्ण वास्निक रामटेक (अजा)	14.00	6.85	7.82	9.33	6.32	1.50	फरवरी, 13
41.	श्री नीलेश नारायण राणे रत्नागिरी-सिन्धु दुर्ग	14.00	6.85	7.74	12.58	4.35	3.39	दिसम्बर, 12
42.	श्री प्रतीक प्रकाश बापू पाटिल सांगली	14.00	11.85	12.91	14.17	10.65	2.26	फरवरी, 13
43.	श्री उदयनराजे प्रतापसिंह भौसले सतारा	14.00	11.85	12.01	12.04	6.85	5.16	जनवरी, 13
44.	श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे शोलापुर (अजा)	14.00	6.85	7.83	8.64	4.97	2.86	फरवरी, 13
45.	डॉ. संजीव गणेश नायक थाने	14.00	6.85	7.49	12.10	6.06	1.43	जनवरी, 13
46.	श्री दत्ता राधोबाजी मेघे वर्धा	14.00	11.85	11.98	12.33	7.04	4.94	दिसम्बर, 12
47.	श्री राजू उर्फ देवप्पा अन्ना शेट्टी हथकंगले	14.00	11.85	12.77	11.84	7.96	4.81	दिसम्बर, 12
48.	श्रीमती भावना गावली (पाटिल) यवतमाल-वाशिम	14.00	11.85	11.91	9.15	5.45	6.45	मई, 12
कुलः		672.00	529.00	554.14	548.18	362.53	191.61	
राज्यः मणिपुर								
1.	डॉ. थोकचोम मेन्या इनर मणिपुर	14.00	14.00	14.05	11.50	10.55	3.50	फरवरी, 13
2.	श्री थांगसो बैते बाहरी मणिपुर (अजजा)	14.00	14.00	14.13	11.50	10.42	3.71	फरवरी, 13
कुलः		28.00	28.00	28.18	23.00	20.97	7.21	
राज्यः मेघालय								
1.	श्री वीसेन्ट एच. पाला शिलांग	14.00	11.50	12.18	13.04	9.63	2.55	नवम्बर, 12
2.	कुमारी अगाथा के संगमा तुरा	14.00	11.50	11.92	9.95	7.48	4.44	जनवरी, 13
कुलः		28.00	23.00	24.10	22.99	17.11	6.99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्यः मिजोरम								
1.	श्री सी.एल. रूआला मिजोरम (अजजा)	14.00	14.00	14.11	11.23	10.42	3.69	फरवरी, 13
कुल		14.00	14.00	14.11	11.23	10.42	3.69	
राज्यः नागालैंड								
1.	श्री सी.एम. चंग नागालैंड	14.00	14.00	14.03	10.60	10.06	3.97	सितम्बर, 12
कुलः		14.00	14.00	14.03	10.60	10.06	3.97	
राज्यः ओडिशा								
1.	श्री नित्यानद प्रधान अस्का	14.00	6.50	6.77	8.46	4.51	2.26	जनवरी, 13
2.	श्री श्रीकांत कुमार जेना बालासेार	14.00	11.50	11.87	11.16	6.91	4.96	फरवरी, 13
3.	श्री सिद्धांत महापात्रा बरहामपुर	14.00	6.50	6.78	7.56	4.45	2.33	जनवरी, 13
4.	श्री अर्जुन चरण सेठी भद्रक (अजा)	14.00	11.50	11.853	11.82	8.08	3.75	दिसम्बर, 12
5.	डॉ. (प्रो.) प्रसन्न कुमार पाटसाणी भुवनेश्वर	14.00	11.50	11.88	9.62	7.29	4.59	फरवरी, 13
6.	श्री कलिकेश नारायण सिंह देव बोलनगिर	14.00	11.50	11.55	11.66	9.17	2.38	नवम्बर, 12
7.	श्री भर्तृहरि मेहताब कटक	14.00	11.50	11.61	9.05	9.05	2.56	अक्तूबर, 12
8.	श्री रूद्र माधव राय कंधमाल	14.00	14.00	14.26	11.66	9.79	4.47	दिसम्बर, 12
9.	श्री तथागत सतपति धेनकनाल	14.00	11.50	11.73	9.27	5.63	6.10	फरवरी, 13
10.	श्री बिभु प्रसाद ताई जगतसिंहपुर (अजा)	14.00	11.50	11.80	10.10	8.58	3.22	फरवरी, 13
11.	श्री मोहन जेना जाजपुर (अजा)	14.00	11.50	11.79	6.73	4.32	7.47	दिसम्बर, 12
12.	श्री भक्त चरण दास कालाहांडी	14.00	11.50	11.91	11.83	9.46	2.46	जनवरी, 13
13.	श्री बैजयन्त पांडा केन्द्रपाड़ा	14.00	11.50	11.82	8.18	4.57	7.25	जनवरी, 13
14.	श्री यशवंत नारायण सिंह लमूरी क्योंझर (अजा)	14.00	14.00	14.26	11.76	9.74	4.52	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	श्री जयराम पंगी कोरापुट (अजजा)	14.00	6.50	6.73	6.69	4.75	1.98	फरवरी, 13
16.	श्री लक्ष्मण तुडू मयूरभंज (अनु.जन.जा.)	14.00	14.00	14.27	12.89	9.79	4.48	जनवरी, 13
17.	श्री प्रदीप मांझी नबरंगपुर (अनु.ज.जा.)	14.00	11.50	11.92	7.27	5.97	5.95	दिसम्बर, 12
18.	श्री संजय भोई बारगढ़	14.00	11.50	11.57	6.36	5.58	5.99	मार्च, 12
19.	श्री पिनाकी मिश्रा पुरी	14.00	11.50	11.74	11.44	9.63	2.11	फरवरी, 13
20.	श्री अमरनाथ प्रधान सम्बलपुर	14.00	14.00	14.40	11.16	9.43	4.97	फरवरी, 13
21.	श्री हेमानंद बिसवाल सुंदरगढ़ (अनु.जनजा)	14.00	11.50	11.80	6.78	4.72	7.08	नवम्बर, 12
कुल:		294.00	236.50	242.29	201.45	151.42	90.87	
राज्य: पंजाब								
1.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर	14.00	11.50	11.78	9.37	7.97	3.81	फरवरी, 13
2.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भटिन्डा	14.00	11.50	11.99	9.39	6.26	5.73	जनवरी, 13
3.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन फरीदकोट (अजा)	14.00	14.00	14.50	11.41	9.58	4.92	फरवरी, 13
4.	श्री शेर सिंह गुबाया फिरोजपुर	14.00	14.00	14.45	11.78	9.85	4.60	फरवरी, 13
5.	श्री प्रताप सिंह बाजवा गुरदासपुर	14.00	11.50	11.95	10.39	7.87	4.08	जनवरी, 13
6.	श्रीमती संतोष चौधरी होशियारपुर (अजा)	14.00	14.00	14.38	13.15	10.07	4.31	फरवरी, 13
7.	श्री मोहिन्द्र सिंह के.पी. जालंधर (अजा)	14.00	11.50	12.00	7.52	4.84	7.16	जनवरी, 13
8.	श्री मनीष तिवारी लुधियाना	14.00	11.50	11.965	6.34	4.74	7.21	अगस्त, 12
9.	श्रीमती प्रनीत कौर पटियाला	14.00	14.00	14.44	13.41	11.31	3.13	जनवरी, 13
10.	श्री सुखदेव सिंह लिब्रा फतेहगढ़ साहिब (अजा)	14.01	11.50	12.05	11.14	8.896	3.16	फरवरी, 13
11.	श्री रवनीत सिंह आनंदपुर साहिब	14.00	14.00	14.49	11.75	9.98	4.51	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	श्री विजय इन्दर सिंगला संगरूर	14.00	14.00	14.52	11.57	9.61	4.91	फरवरी, 13
13.	डॉ. रतन सिंह अजनाला खडर साहिब	14.00	14.00	14.46	13.09	12.17	2.29	फरवरी, 13
कुल:		182.00	167.00	172.96	140.31	113.14	59.82	
राज्य: राजस्थान								
1.	श्री सचिन पायलट अजमेर	14.00	11.50	11.69	12.50	6.50	5.19	नवम्बर, 12
2.	श्री जितेन्द्र सिंह अलवर	14.00	11.50	11.51	10.20	4.94	6.57	फरवरी, 13
3.	श्री ताराचन्द भगोरा बांसवाड़ा (अजजा)	14.00	11.50	11.68	11.16	9.20	2.46	अक्तूबर, 12
4.	श्री हरीश चौधरी बाडमेर	14.00	11.50	11.50	10.87	5.75	5.75	फरवरी, 13
5.	श्री गोपल सिंह शेखावत राजसामंद	14.00	14.00	14.25	11.48	9.26	4.99	जनवरी, 13
6.	श्री रतन सिंह भरतपुर (अजा)	14.00	11.50	11.50	8.71	6.39	5.11	नवम्बर, 12
7.	डॉ. सी.पी. जोशी भीलवाड़ा	14.00	6.50	6.85	7.33	6.00	0.85	फरवरी, 13
8.	श्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर (अजा)	14.00	11.50	11.50	12.37	7.83	3.67	फरवरी, 13
9.	डॉ. (कुमारी) गिरिजा व्यास चित्तौड़गढ़	14.00	11.50	11.78	11.76	8.15	3.63	फरवरी, 13
10.	श्री रामसिंह कसवान चुरू	14.00	11.50	12.14	13.71	9.26	2.88	नवम्बर, 12
11.	श्री किरोड़ी लाल मीना दौसा (अजजा)	14.00	11.50	11.74	9.78	6.79	4.95	दिसम्बर, 12
12.	श्री भरत राम मेघवाल गंगानगर (अजा)	14.00	11.50	11.81	10.54	8.89	2.92	फरवरी, 13
13.	श्री लाल चन्द कटारिया जयपुर ग्रामीण	14.00	14.00	14.34	14.11	11.83	2.51	जनवरी, 13
14.	श्री देवजी मानसिंह राम पटेल जालौर	14.00	11.50	11.52	10.06	7.14	4.38	दिसम्बर, 12
15.	श्री दुष्यन्त सिंह झालावाड़-बारान	14.00	11.50	11.50	11.22	6.50	5.00	सितम्बर, 12
16.	श्री शीश राम ओला झुंझुनू	14.00	14.00	14.25	12.67	11.21	3.04	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी कटौच जोधपुर	14.00	11.50	11.77	8.79	7.39	4.38	फरवरी, 13
18.	श्री लियाराज सिंह कोटा	14.00	11.50	11.60	7.66	4.15	7.45	नवम्बर, 12
19.	डॉ. (श्रीमती) ज्योति मिर्धा नागौर	14.00	6.50	6.69	6.09	5.72	0.97	दिसम्बर, 12
20.	श्री बद्रीराम जाखड़ पाली	14.00	11.50	11.90	10.90	8.56	3.34	फरवरी, 13
21.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा करौली धौलपुर (अजा)	14.00	11.50	11.53	8.11	4.52	7.01	अप्रैल, 12
22.	श्री नमो नारायण मीना टौक सवाई माधोपुर	14.00	11.50	11.59	8.02	7.00	4.59	अक्तूबर, 12
23.	श्री महादेव सिंह खंडेला सीकर	14.00	14.00	14.29	13.51	11.73	2.56	जनवरी, 13
24.	डॉ. महेश जोशी जयपुर	14.00	14.00	14.29	13.51	11.73	2.56	जनवरी, 13
25.	श्री रघुवीर सिंह मीना उदयपुर (अजजा)	14.00	14.00	14.00	10.89	9.06	4.94	फरवरी, 13
कुल:		350.00	292.50	297.30	266.37	194.03	103.27	
राज्य: सिक्किम								
1.	श्री प्रेम दास राय सिक्किम	14.00	14.00	14.32	13.84	11.21	3.11	फरवरी, 13
कुल:		14.00	14.00	14.32	13.84	11.21	3.11	
राज्य: तमिलनाडु								
1.	डॉ. एस. जगतरक्षकन अरकोनम	14.00	14.03	14.38	13.86	11.51	2.87	फरवरी, 13
2.	श्री विश्वनाथन पैरूमल कांचीपुरम (अजा)	14.00	11.53	11.74	13.85	10.02	1.72	दिसम्बर, 12
3.	श्री थिरूमावालावन थोल चिदंबरम (अजा)	14.00	11.53	11.93	10.07	9.97	1.96	जनवरी, 13
4.	श्री पी.आर. नटराजन कोयम्बटूर	14.00	11.53	11.93	12.16	5.28	6.65	फरवरी, 13
5.	श्री सम्बदम कीरापालयम अलागिरी कुड्डालूर	14.00	11.53	11.93	12.16	5.28	6.65	फरवरी, 13
6.	श्री आर. थमराईसेलवन धर्मपुरी	14.00	11.53	11.88	12.22	7.55	4.33	जनवरी, 13
7.	श्री एन.एस.वी. चित्तन दिंदीगुल	14.00	14.03	14.40	13.21	11.09	3.31	जनवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	श्री एम. कृष्णास्वामी अरानी	14.00	14.03	14.36	13.71	10.54	3.82	फरवरी, 13
9.	श्री मनीसामी थम्बीदुरई करूर	14.00	11.53	12.06	13.97	6.72	5.34	फरवरी, 13
10.	श्री ई.जी. सुगावनम कृष्णागिरी	14.00	11.53	13.08	11.97	7.83	5.25	फरवरी, 13
11.	श्री दयानिधि मारन चेन्नई केन्द्रीय	14.00	6.53	6.96	3.46	2.41	4.56	जनवरी, 13
12.	श्री टी.के.एस. एलनगोवन चेन्नई उत्तर	14.00	6.53	6.95	6.20	5.32	1.63	जनवरी, 13
13.	श्री सी. राजेन्द्रन चेन्नई दक्षिण	14.00	6.53	7.04	9.54	5.49	1.55	जनवरी, 13
14.	श्री एम.के. अलागिरी मदुरै	14.00	11.53	11.84	8.90	7.31	4.53	सितम्बर, 12
15.	श्री ओ.एस. मनियन मेइलादूधुरै	14.00	11.53	11.81	14.70	11.31	0.50	फरवरी, 13
16.	श्री ए.के.एस. विजयन नागपट्टीनम (अजा)	14.00	11.53	12.30	13.23	10.39	1.91	फरवरी, 13
17.	श्री के मुरूगेसन अनंदन विल्लूपुरम (अजा)	14.00	11.53	11.59	13.80	9.42	2.17	फरवरी, 13
18.	श्री अंदीमुथु राजा नीलगिरि (अजा)	14.00	11.53	11.61	13.24	6.51	5.10	फरवरी, 13
19.	श्री आदि शंकर कालाकुरूची	14.00	11.53	11.63	14.09	11.62	0.01	फरवरी, 13
20.	श्री पुन्नूसामी वेनूगोपाल तिरुवल्लूर (अजा)	14.00	11.53	11.78	10.64	6.63	5.15	अक्तूबर, 12
21.	श्री डी. नेपोलियन पैरंबलूर	14.00	14.03	14.34	14.38	11.43	2.91	फरवरी, 13
22.	श्री के. सुगुमर पोलाची	14.00	11.53	1.97	13.07	6.36	5.61	फरवरी, 13
23.	श्री एस. गांधीसेल्वन नामक्कल	14.00	11.53	12.32	8.62	8.10	4.22	फरवरी, 13
24.	श्री के.जे.के. रितेश शिवाकुमार रामनाथपुरम	14.00	11.53	11.57	13.80	6.55	5.02	जनवरी, 13
25.	श्री ए. गणेशमूर्ति इरोड	14.00	14.03	14.40	13.83	11.20	3.20	फरवरी, 13
26.	श्री एस. सेमालायी सेलम	14.00	11.53	12.21	13.47	10.20	2.01	जनवरी, 13
27.	श्री पलानीअपन चिदंबरम शिवगंगा	14.00	11.53	11.90	13.61	9.45	2.45	फरवरी, 13
28.	श्री सी. शिवसामी तिरूपुर	14.00	11.53	11.92	13.59	8.22	3.70	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	श्री थालीकोटाई राजूथेवर बालू श्री पेरम्बदूर	14.00	11.53	11.53	10.99	5.70	5.83	दिसम्बर, 12
30.	श्री पी. लिंगम तेनकासी (अजा)	14.00	11.53	11.96	12.72	10.03	1.93	जनवरी, 13
31.	श्री एस.एस. पलानीमणिकम तन्जावुर	14.00	11.53	11.68	12.68	6.36	5.32	फरवरी, 13
32.	श्री धनपाल वेणुगोपल तिरूवन्नामलाई	14.00	14.03	14.37	13.93	10.50	3.87	फरवरी, 13
33.	श्री एस.आर. जयादुरई तुतुक्कुडी	14.00	14.03	14.72	14.03	12.95	1.77	फरवरी, 13
34.	श्री जे.एम. अरूण रशीद थेनी	14.00	11.53	11.55	11.32	6.04	5.51	नवम्बर, 12
35.	श्री पी. कुमार तिरूचिरापल्ली	14.00	11.53	11.62	13.66	6.59	5.03	जनवरी, 13
36.	श्री एस.एस. रामसुबु तिरूनेलवेली	14.00	11.53	11.93	14.09	11.15	0.78	जनवरी, 13
37.	श्री मन्निका टैगोर विरूधुनगर	14.00	11.53	12.40	12.21	6.15	6.25	जनवरी, 13
38.	श्रीमती डेविडसन जे. हेलन कन्याकुमारी	14.00	14.03	14.35	14.07	11.39	2.96	फरवरी, 13
39.	श्री अब्दुल रहमान रहमान वेल्लौर	14.00	14.03	14.37	13.92	11.47	2.90	फरवरी, 13
कुल:		546.00	457.00	472.14	485.14	338.29	133.85	
राज्य: त्रिपुरा								
1.	श्री बाजू बन रियान त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.)	14.00	7.50	7.72	4.10	2.76	4.96	जनवरी, 13
2.	श्री खगेन दास त्रिपुरा पश्चिम	14.00	11.50	11.51	11.53	9.61	1.90	फरवरी, 13
कुल:		28.00	19.00	19.23	15.63	12.37	6.86	
राज्य: उत्तर प्रदेश								
1.	डॉ. (प्रो.) राम शंकर वर्मा आगरा (अजा)	14.00	14.06	14.26	11.56	10.56	3.70	फरवरी, 13
2.	श्री राजा राम पाल अकबरपुर	14.00	11.56	11.60	6.54	6.15	5.45	अक्तूबर, 12
3.	श्री राज कुमारी चौहान अलीगढ़	14.00	14.06	14.35	11.70	9.75	4.60	फरवरी, 13
4.	कुंवर रेवती रमन सिंह इलाहाबाद	14.00	11.56	11.70	6.53	4.95	6.75	जनवरी, 13
5.	श्री राहुल गांधी अमेठी	14.00	11.56	11.70	6.27	4.53	7.17	नवम्बर, 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	श्री देवेन्द्र नागपाल अमरोहा	14.00	11.56	12.26	6.62	6.87	5.39	जनवरी, 13
7.	श्रीमती मेनका गांधी आंवला	14.00	11.56	11.67	5.87	4.18	7.49	मई, 12
8.	श्री रामाकान्त यादव आजमगढ़	14.00	14.06	14.40	11.90	10.21	4.19	जनवरी, 13
9.	श्री अजीत सिंह बागपत	14.00	11.56	11.85	11.14	7.64	4.21	फरवरी, 13
10.	श्री कमल किशोर बेहरोच (अजा)	14.00	11.56	11.66	6.36	5.61	6.25	नवम्बर, 12
11.	श्री नीरज शेखर बलिया	14.00	11.56	11.77	6.12	4.72	7.05	अक्तूबर, 12
12.	श्री विनय कुमार विनू पांडे श्रावस्ती	14.00	11.56	11.63	6.45	5.81	5.82	मई, 12
13.	श्री मलेश पासवान बांसगांव (अजा)	14.00	11.56	11.63	6.24	4.22	7.41	अक्तूबर, 12
14.	श्री आर.के. सिंह पटेल बांदा	14.00	11.56	11.70	8.26	6.40	5.30	दिसम्बर, 12
15.	श्री पी.एल. पूनिया बाराबंकी (अजा)	14.00	14.06	14.11	13.92	11.13	2.98	फरवरी, 13
16.	श्री प्रवीण सिंह ऐरन बरेली	14.00	11.56	11.74	8.83	6.81	4.93	जून, 12
17.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी बस्ती	14.00	11.56	11.78	9.14	8.36	3.42	फरवरी, 13
18.	श्री संजय सिंह चौहान बिजनौर	14.00	14.06	14.31	11.66	9.32	4.99	फरवरी, 13
19.	श्री गोरख नाथ पांडेय भदोही	14.00	11.56	11.65	7.11	6.82	4.83	अक्तूबर, 12
20.	श्री धमेन्द्र यादव बदायूं	14.00	11.56	11.56	6.49	6.49	5.07	जून, 12
21.	श्री कमलेश बाल्मीकि बुलंदशहर (अजा)	14.00	11.56	11.91	8.51	6.63	5.28	फरवरी, 13
22.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर गौतमबुद्ध नगर	14.00	11.56	11.87	6.73	4.88	6.99	जनवरी, 13
23.	श्री राम किशन चन्दौली	14.00	11.56	11.82	6.49	6.06	5.76	जुलाई, 12
24.	श्री गोरख प्रसाद जैसवाल देवरिया	14.00	11.56	11.76	6.18	4.65	7.11	अक्तूबर, 12
25.	श्री जगदंबिका पाल डुमरियागंज	14.00	11.56	11.75	8.33	10.36	1.39	फरवरी, 13
26.	श्री कल्याण सिंह एटा	14.00	11.56	11.83	6.61	4.77	7.06	जनवरी, 13
27.	श्री प्रेम दास कथूरिया इटावा (अजा)	14.00	14.06	14.25	11.43	9.42	4.83	जनवरी, 13
28.	श्री निर्मल खत्री फैजाबाद	14.00	14.06	14.21	11.61	10.24	3.97	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	श्री सलमान खुर्शीद फरूखाबाद	14.00	11.56	11.84	6.67	4.61	7.23	फरवरी, 13
30.	श्री राकेश सचान फतेहपुर	14.00	6.56	6.89	2.73	2.39	4.50	फरवरी, 13
31.	श्री राज बब्बर फिरोजाबाद	14.00	11.56	11.71	8.73	7.77	3.94	नवम्बर, 12
32.	श्री राकेश पांडे अम्बेडकर नगर	14.00	11.56	11.61	6.16	5.02	6.59	अप्रैल, 12
33.	श्री राधे मोहन सिंह गाजीपुर	14.00	14.06	14.34	10.89	9.51	4.83	फरवरी, 13
34.	श्री दारा सिंह चौहान घोसी	14.00	11.56	12.27	12.64	11.83	0.44	फरवरी, 13
35.	श्री बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा	14.00	11.56	11.79	10.08	6.36	5.43	फरवरी, 13
36.	योगी आदित्य नाथ गोरखपुर	14.00	11.56	11.82	9.10	5.87	5.95	जनवरी, 13
37.	श्री विजय बहादुर सिंह हमीरपुर	14.00	6.56	6.63	3.12	2.74	3.89	अप्रैल, 12
38.	श्री यशवीर सिंह नगीना (अजा)	14.00	11.58	11.74	10.30	8.06	3.68	फरवरी, 13
39.	श्रीमती ऊषा वर्मा हरदोई (अजा)	14.00	11.56	11.70	10.98	7.82	3.88	फरवरी, 13
40.	श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल हथरस (अजा)	14.00	11.56	11.90	6.54	4.41	7.49	फरवरी, 13
41.	श्री घनश्याम अनुरागी जालौन (अजा)	14.00	11.56	11.87	6.17	6.00	5.87	जनवरी, 13
42.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कौशल तिवारी संत कबीर नगर	14.00	11.56	11.58	6.56	6.56	5.02	मार्च, 12
43.	श्री धनंजय सिंह जौनपुर	14.00	11.56	11.63	7.18	6.20	5.43	अक्तूबर, 12
44.	श्री प्रदीप कुमार जैन (आदित्य) झांसी	14.00	11.56	11.80	6.31	4.46	7.34	फरवरी, 13
45.	श्रीमती बेगम तब्बसुम हसन कैराना	14.00	11.56	11.67	7.81	6.39	5.28	दिसम्बर, 12
46.	श्री ब्रृज भूषण शरण सिंह केसरगंज	14.00	11.56	11.91	8.67	7.27	4.64	फरवरी, 13
47.	श्रीमती डिंपल यादव कन्नौज	14.00	11.56	11.68	6.52	5.97	5.71	जून, 12
48.	श्री श्रीप्रताप जायसवाल कानपुर	14.00	11.56	11.82	6.62	6.46	5.36	सितम्बर, 12
49.	श्री शैलेन्द्र कुमार कौशाम्बी (अजा)	14.00	11.56	11.69	6.67	6.03	5.66	फरवरी, 13
50.	श्री जफर अली नक्वी खीरी	14.00	11.56	11.90	6.39	4.76	7.14	दिसम्बर, 12
51.	श्री कुंवर जितिन प्रसाद दुरहरा	14.00	11.56	11.72	6.34	4.44	7.28	सितम्बर, 12
52.	श्री लाल जी टंडन लखनऊ	14.00	11.56	11.65	6.54	4.95	6.7	मार्च, 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	श्री सोरज तूफानी मछलीशहर (अजा)	14.00	14.06	14.32	10.85	9.34	4.98	नवम्बर, 12
54.	श्री हर्ष वर्धन महाराजगंज	14.00	11.56	11.72	6.73	4.58	7.14	सितंबर, 12
55.	श्री मुलायम सिंह यादव मैनपुरी	14.00	14.06	14.33	11.73	9.48	4.85	फरवरी, 13
56.	श्री जयन्त चौधरी मथुरा	14.00	14.06	14.35	14.02	9.37	4.98	फरवरी, 13
57.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल मेरठ	14.00	11.56	11.88	10.50	8.36	3.52	फरवरी, 13
58.	श्री बाल कुमार पटेल मिरजापुर	14.00	14.06	14.28	12.54	9.46	4.82	फरवरी, 13
59.	श्री अशोक कुमार रावत मिसरीख (अजा)	14.00	11.56	11.63	10.07	7.49	4.14	फरवरी, 13
60.	श्रीमती सुशीला सराज मोहनलालगंज (अजा)	14.00	11.56	11.70	11.80	10.15	1.55	फरवरी, 13
61.	श्री कादिर राणा मुजफ्फरनगर	14.00	14.06	14.37	10.90	9.39	4.98	दिसम्बर, 12
62.	श्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद	14.00	11.56	11.67	6.51	5.87	5.80	अक्तूबर, 12
63.	श्री कपिल मुनी करवरिया फूलपुर	14.00	11.56	11.73	6.72	5.08	6.65	जनवरी, 13
64.	श्री फिरोज वरूण गांधी पीलीभीत	14.00	14.06	14.43	11.87	9.62	4.81	जनवरी, 13
65.	श्रीमती राजकुमारी रत्नासिंह प्रतापगढ़	14.00	11.56	11.56	8.74	6.89	4.67	नवम्बर, 12
66.	श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली	14.00	11.56	11.78	6.58	5.48	6.30	फरवरी, 13
67.	श्रीमती जयाप्रदा नहाटा रामपुर	14.00	11.56	11.76	7.28	5.66	6.10	दिसम्बरा, 12
68.	श्री पकोड़ी लाल राबर्टसगंज (अजा)	14.00	11.56	11.87	8.90	8.00	3.87	जनवरी, 13
69.	श्री जगदीश सिंह राणा सहारनपुर	14.00	14.06	14.30	11.50	9.51	4.79	फरवरी, 13
70.	कुमारी रत्नजीत प्रताप नारायण सिंह कुशी नगर	14.00	11.56	11.80	6.02	5.07	6.73	जनवरी, 13
71.	श्री राम शंकर राजभर सलेमपुर	14.00	11.56	11.73	6.39	5.16	6.57	अक्तूबर, 12
72.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क सम्भल	14.00	6.56	6.57	2.97	2.22	4.35	जनवरी, 12
73.	श्रीमती सीमा उपाध्याय फतेहपुर सीकरी	14.00	14.08	14.28	11.75	11.16	3.12	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	श्री मिथलेश कुमार शाहजहांपुर (अजा)	14.00	11.56	11.67	9.10	7.52	4.15	नवम्बर, 12
75.	श्रीमती केसर जहान सीतापुर	14.00	11.56	11.70	11.28	9.79	1.91	फरवरी, 13
76.	डॉ. संजय सिंह सुल्तानपुर	14.00	5.56	6.73	4.14	2.91	3.82	जनवरी, 13
77.	श्रीमती अनु टंडनउन्नाव	14.00	11.56	11.77	6.43	4.85	6.92	फरवरी, 13
78.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी वाराणसी	14.00	11.56	11.92	10.99	9.46	2.46	फरवरी, 13
79.	श्री मोहम्मद अजरूद्दीन मुरादाबाद	14.00	11.56	11.78	8.92	6.71	5.07	दिसम्बर, 12
80.	डॉ. बलीराम लालगंज (अजा)	14.00	11.50	11.83	9.34	5.57	6.26	जनवरी, 13
कुल:		1120.00	945.00	961.75	670.89	547.57	414.18	
राज्य: पश्चिम बंगाल								
1.	श्री मनोहर तिरकी, अलीपुरदुआरस (अजजा)	14.00	12.64	12.71	7.70	5.32	7.39	जनवरी, 13
2.	श्री शक्ति मोहन मलिक, आरामबाग (अजा)	14.00	7.64	8.18	7.68	5.75	2.43	फरवरी, 13
3.	श्री बंसा गोपाल चौधरी, आसनसोल	14.00	12.64	13.07	11.94	6.29	6.78	फरवरी, 13
4.	श्री प्रशांत कुमार मजूमदार, बलूरघाट	14.00	7.64	8.38	7.94	5.94	2.44	फरवरी, 13
5.	श्री बासूदेव आचार्य, बांकुरा	14.00	12.64	13.03	10.69	7.30	5.73	जनवरी, 13
6.	डॉ. श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार, बारासात	14.00	15.14	15.52	14.01	12.95	2.57	जनवरी, 13
7.	श्री दिनेश त्रिवेदी, बैरकपुर	14.00	15.14	15.45	14.36	12.75	2.70	जनवरी, 13
8.	श्री एस.के. नुरूल इस्लाम, बसीरहाट	14.00	15.14	15.54	15.06	12.62	2.92	जनवरी, 13
9.	श्री अधीर रंजन चौधरी, बहरामपुर	14.00	7.64	8.08	9.46	4.10	3.98	जनवरी, 13
10.	श्रीमती शताब्दी रॉय, बीरभूम	14.00	12.64	13. 40	8.76	6.85	6.55	फरवरी, 13
11.	डॉ. राम चंद्र डोम बोलपुर (अजा)	14.00	7.64	8.33	9.32	5.98	2.35	फरवरी, 13
12.	श्री एस.के. सैदूल हक, बर्धमान-दुर्गापुर	14.00	7.64	8.08	10.67	6.01	2.07	फरवरी, 13
13.	श्री अनुप कुमार साहा, बर्धमान पूर्व (अजा)	14.00	7.64	8.11	10.63	5.76	2.35	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	श्री प्रबोध पांडा, मेदनीपुर	14.00	12.64	12.69	10.14	9.07	3.62	दिसम्बर, 12
15.	कुमारी सुब्रता बक्शी कोलकाता दक्षिण	14.00	12.64	13.43	12.55	9.14	4.29	फरवरी, 13
16.	श्री शिशिर कुमार अधिकारी, कांथी	14.00	15.14	15.58	14.93	10.82	4.76	फरवरी, 13
17.	श्री नृपेन्द्र नाथ रॉय, कूचबिहार (अजा)	14.00	15.14	15.58	13.03	12.11	3.47	अक्तूबर, 12
18.	श्री जसवंत सिंह, दार्जिलिंग	14.00	7.64	8.18	8.14	8.14	0.04	जनवरी, 13
19.	श्री सोमेन्द्र नाथ मित्र, डायमंड हार्बर	14.00	7.64	8.09	4.74	3.87	4.22	दिसम्बर, 12
20.	प्रो. सौगात रॉय, दमदम	14.00	12.64	13.01	9.61	9.00	4.01	जनवरी, 13
21.	श्रीमती सुष्मिता बौरी, बिष्णुपुर (अजा)	14.00	7.64	8.01	8.56	3.72	4.29	जनवरी, 13
22.	डॉ. रत्ना डे (नाग), हुगली	14.00	12.64	13.22	13.48	9.49	3.73	फरवरी, 13
23.	श्रीमती अंबिका बनर्जी, हावड़ा	14.00	12.64	13.13	9.71	6.62	6.51	जनवरी, 13
24.	श्री कबीर सुमन, जाधवपुर	14.00	12.64	12.98	8.30	5.71	7.27	दिसम्बर, 12
25.	श्री महेन्द्र कुमार रॉय, जलपाईगुड़ी (अजा)	14.00	12.64	12.70	7.68	5.27	7.43	दिसम्बर, 12
26.	श्री प्रणव मुखर्जी, जंगीपुर	14.00	7.64	8.14	6.50	4.97	3.17	जनवरी, 13
27.	श्री पुलिन बिहारी बास्के, झारग्राम (अजजा)	14.00	12.64	12.68	10.14	8.72	3.96	अक्तूबर, 12
28.	डॉ. तरूण मंडल, जॉय नगर (अजा)	14.00	7.64	8.00	5.09	3.62	4.38	नवम्बर, 12
29.	श्री अबु हसीम खान चौधरी, मालदा दक्षिण	14.00	7.64	7.64	6.74	5.59	2.05	जनवरी, 13
30.	श्री तपस पॉल, कृष्णा नगर	14.00	12.64	13.16	10.67	7.18	5.98	फरवरी, 13
31.	कुमारी मौसम नुर, मालदा उत्तर	14.00	12.64	12.64	6.64	5.26	7.38	जनवरी, 13
32.	श्री मोहन जटुआ चौधरी, मथुरापुर (अजा)	14.00	12.64	13.02	10.37	8.09	4.93	दिसम्बर, 12
33.	श्री गुरूदास दासगुप्ता घटल	14.00	12.64	12.69	10.14	9.71	2.98	जनवरी, 13
34.	श्री अब्दुल मन्नन हुसैन, मुर्शीदाबाद	14.00	12.64	13.20	13.14	9.19	4.01	जनवरी, 13
35.	श्री कल्याण बनर्जी, श्रीरामपुर	14.00	12.64	13.16	14.28	9.33	3.93	फरवरी, 13
36.	श्री सुदीप बंदोपाध्याय, कोलकाता उत्तर	14.00	12.64	13.42	12.33	7.10	6.32	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	श्री नरहरी महतो, पुरलिया	14.00	7.64	8.03	8.52	5.09	2.94	फरवरी, 13
38.	श्रीमती दीपा दासमुंशी, रायगंज	14.00	7.64	8.17	6.19	3.79	4.38	जनवरी, 13
39.	श्री सुचारू रंजन हलधर, राणाघाट (अजा)	14.00	12.64	13.14	12.68	7.57	5.57	फरवरी, 13
40.	श्री सुवेन्दू अधिकारी, तामलुक	14.00	15.14	15.61	14.81	11.38	4.23	फरवरी, 13
41.	श्री सुल्तान अहमद, उलूबेरिया	14.00	12.64	13.15	12.29	8.07	5.08	जनवरी, 13
42.	श्री गोबिन्दा चन्द्र नस्कर, बनगांव (अजा)	14.00	15.14	15.43	12.63	12.03	3.40	जनवरी, 13
कुल:		588.00	478.50	495.88	432.24	317.27	178.61	
उत्तर: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह								
1.	श्री विष्णु पद रे, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	14.00	12.50	13.94	11.14	11.18	2.76	फरवरी, 13
कुल:		14.00	12.50	13.94	11.14	11.18	2.76	
राज्य: चंडीगढ़								
1.	श्री पवन कुमार बंसल, चंडीगढ़	14.00	7.50	7.78	8.20	6.14	1.64	फरवरी, 13
कुल:		14.00	7.50	7.78	8.20	6.14	1.64	
राज्य: दादरा और नगर हवेली								
1.	श्री नाटूभाई गोमनभाई पटेल, दादरा एवं नगर हवेली (अजजा)	14.00	12.50	13.65	13.06	13.61	0.04	फरवरी, 13
कुल:		14.00	12.50	13.65	13.06	13.61	0.04	
राज्य: दमन और दीव								
1.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल, दमन और दीव	14.00	14.00	14.34	11.62	10.16	4.18	दिसम्बर, 12
कुल:		14.00	14.00	14.34	11.62	10.16	4.18	
राज्य: दिल्ली								
1.	श्री महाबल मिश्रा, पश्चिमी दिल्ली	14.00	7.00	9.68	12.20	7.20	2.48	जनवरी, 13
2.	श्री संदीप दीक्षित, पूर्वी दिल्ली	14.00	5.00	7.65	4.42	1.27	6.36	फरवरी, 13
3.	श्रीमती कृष्णा तीरथ, उत्तर पश्चिमी दिल्ली (अजा)	14.00	7.00	9.87	10.53	4.93	4.94	फरवरी, 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	श्री अजय माकन, नई दिल्ली	14.00	7.00	9.89	12.46	4.20	5.69	फरवरी, 13
5.	श्री जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली	14.00	10.50	13.28	16.05	11.84	1.44	फरवरी, 13
6.	श्री रमेश कुमार, दक्षिणी दिल्ली	14.00	7.00	9.76	2.78	1.91	7.85	जनवरी, 13
7.	श्री कपिल सिब्बल, चांदनी चौक	14.00	10.50	13.18	15.62	8.76	4.42	फरवरी, 13
कुल:		98.00	54.00	73.31	74.06	40.11	33.20	
राज्य: लक्षद्वीप								
1.	श्री हमदुल्ला सईद, लक्षद्वीप (अजजा)	14.00	12.50	18.07	14.04	14.04	4.03	फरवरी, 13
कुल:		14.00	12.50	18.07	14.04	14.04	4.03	
राज्य: पुदुचेरी								
1.	श्री वी. नारायणसामी, पुदुचेरी	14.00	4.00	4.03	5.30	1.50	2.53	जनवरी, 13
कुल:		14.00	4.00	4.03	5.30	1.50	2.53	
राज्य: छत्तीसगढ़								
1.	श्री बलीराम कश्यप बस्तर (अजजा)	14.00	14.09	14.55	12.34	10.88	3.67	फरवरी, 13
2.	श्री दिलीप सिंह जूदेव बिलासपुर	14.00	11.59	12.03	11.44	11.43	0.60	फरवरी, 13
3.	कुमारी सरोज पाण्डेय दुर्ग	14.00	11.59	12.08	7.90	6.74	5.34	जनवरी, 13
4.	श्रीमती कमला देवी पटले जांजगीर-चंपा (अजा)	14.00	11.59	12.00	8.92	8.75	3.25	अक्तूबर, 12
5.	श्री सोहन पोटाई कांकेर (अजजा)	14.00	11.596	11.73	8.15	5.86	5.87	दिसम्बर, 12
6.	श्री चंदुलाल साहू (चन्दू भैया) महासमुन्द	14.00	11.59	11.67	8.06	6.04	5.63	फरवरी, 13
7.	श्री विष्णु देव साई रायगढ़ (अजजा)	14.00	11.59	11.71	8.45	8.17	3.54	दिसम्बर, 12
8.	श्री रमेश बैस रायपुर	14.00	11.59	11.86	10.26	10.26	1.60	फरवरी, 13
9.	श्री मधुसूदन यादव राजनन्दगांव	14.00	11.59	12.19	11.16	10.76	1.43	जनवरी, 13
10.	श्री चरण दास महंत कोरबा	14.00	11.59	12.01	6.94	6.62	5.39	जनवरी, 13
11.	श्री मुरारीलाल सिंह सरुजा (अजजा)	14.00	11.59	11.69	9.00	8.31	3.38	जनवरी, 13
कुल:		154.00	130.00	133.53	102.62	93.82	39.71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य: उत्तराखंड								
1.	श्री प्रदीप टमटा, अल्मोड़ा (अजा)	14.00	11.50	11.58	6.49	4.30	7.28	अक्तूबर, 12
2.	श्री सतपाल महाराज, गढ़वाल	14.00	11.50	11.57	6.60	4.23	7.34	अक्तूबर, 12
3.	श्री हरीश रावत, हरिद्वार	14.00	11.50	11.57	8.02	5.92	5.95	अप्रैल, 12
4.	श्री के.सी. सिंह बाबा, नैनीताल, उधमसिंह नगर	14.00	11.50	11.61	7.44	5.12	6.49	जनवरी, 13
5.	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, टिहरी गढ़वाल	14.00	9.00	9.30	7.71	7.16	2.14	जनवरी, 13
कुल:		70.00	55.00	55.63	36.26	26.43	29.20	
राज्य: झारखंड								
1.	श्री इन्दर सिंह नामधारी चतरा (अजा)	14.00	14.14	14.24	11.73	10.09	4.15	फरवरी, 13
2.	श्री पशुपति नाथ सिंह धनबाद	14.00	11.64	11.81	11.98	11.02	0.79	जनवरी, 13
3.	श्री शिबू सोरेन दुमका (अजजा)	14.00	11.61	11.87	9.64	7.73	4.14	दिसम्बर, 12
4.	श्री रवीन्द्र सिंह पाण्डेय गिरिडीह	14.00	14.14	15.24	11.88	11.77	3.47	फरवरी, 13
5.	श्री निशिकांत दुबे गोड्डा	14.00	6.64	6.85	3.06	3.06	3.79	सितम्बर, 12
6.	श्री यशवन्त सिन्हा हजारीबाग	14.00	14.14	14.19	11.48	9.20	4.99	फरवरी, 13
7.	डॉ. अजय कुमार जमशेदपुर	14.00	14.14	14.16	13.48	9.63	4.53	फरवरी, 13
8.	श्री कड़िया मुंडा खूंटी (अजजा)	14.00	11.64	11.65	6.63	6.35	5.30	अगस्त, 12
9.	श्री बाबू लाल मरांडी कोडरमा	14.00	6.64	6.69	4.24	2.91	3.78	नवम्बर, 11
10.	श्री सुदर्शन भगत लोहरदगा (अजजा)	14.00	11.64	11.64	11.30	10.66	0.98	फरवरी, 13
11.	श्री कामेश्वर बैठा पलामू (अजा)	14.00	14.14	14.43	11.67	9.46	4.97	फरवरी, 13
12.	श्री देवीधन बेसरा राजमहल (अजजा)	14.00	6.64	6.81	5.74	4.55	2.25	फरवरी, 13
13.	श्री सुबोध कांत सहाय रांची	14.00	14.14	14.14	11.47	11.13	3.01	जनवरी, 13
14.	श्री मधु कोड़ा सिंहभूम (अजजा)	14.00	6.64	6.71	4.00	2.32	4.39	फरवरी, 13
कुल:		196.00	158.00	160.47	128.30	109.88	50.59	
कुल		7630.00	6182.00	6400.69	5586.98	4098.28	2302.41	

कारीगर कल्याण कोष न्यास

5023. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा स्थापित कारीगर कल्याण कोष न्यासों (ए.डब्ल्यू.एफ.टी.) की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) ए.डब्ल्यू.एफ.टी. द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ए.डब्ल्यू.एफ.टी. के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा स्थापित कारीगर कल्याण कोष न्यासों (एडब्ल्यूएफटी) की राज्यवार संख्या विवरण में संलग्न है।

(ख) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के केवीआईसी/खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) के साथ सूचीबद्ध खादी संस्थानों को कारीगरों को सुरक्षा तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए कारीगर कल्याण कोष न्यास (एडब्ल्यूएफटी) का सृजन करना होता है। कारीगर कल्याण कोष न्यासों (एडब्ल्यूएफटी) द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कारीगरों को उनकी जरूरतों के समय जैसे बेटी की शादी, चिकित्सा उपाचार, बच्चों की शिक्षा, मकान निर्माण/संपत्ति की खरीद आदि में वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। कारीगर कल्याण कोष न्यासों (एडब्ल्यूएफटी) को मिलने वाली राशि को राष्ट्रीकृत बैंकों में सावधि जमा में रख जाता है। खादी संस्थाओं द्वारा कारीगर कल्याण कोष न्यासों (एडब्ल्यूएफटी) के लिए कारीगरों के वेतन का 12 प्रतिशत अनुदान देना अपेक्षित है, जिसका लाभ खादी संस्थाओं में वैतनिक कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी कारीगरों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक कारीगर के लिए उसके द्वारा दिया गया अभिदान तथा संस्थाओं द्वारा दिए गए अंशदान के लिए एक साथ अलग खाता रखा जाता है। खादी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक कारीगर को उसकी निधि के अभिदान को प्रदर्शित करने वाली पासबुक दी जाती है। किसी कारीगर की मृत्यु के मामले में कारीगर कल्याण कोष न्यासों (एडब्ल्यूएफटी) में उसके खाते में जमा समस्त राशि उसके कानूनी वारिस अथवा नामिति को दिया जाता है।

(ग) से (ङ) कारीगर कल्याण कोष न्यासों (एडब्ल्यूएफटी) के संचालन के संबंध में मंत्रालय में इस तरह की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि केवीआईसी को प्राप्त शिकायतों पर केवीआईसी द्वारा सामान्यत: सतत रूप से विचार किया जाता है।

विवरण

कारीगर कल्याण कोष न्यासों (एडब्ल्यूएफटी) की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एडब्ल्यूएफटी की संख्या
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	1
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	पंजाब	1
4.	सं. शा. क्षेत्र चंडीगढ़	पंजाब के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत कवर
5.	उत्तराखंड	1
6.	हरियाणा	1
7.	दिल्ली	मेरठ क्षेत्र (उ.प्र.) के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत कवर

1	2	3
8.	राजस्थान	1
9.	उत्तर प्रदेश	2
10.	बिहार	1
11.	सिक्किम	असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत कवर
12.	अरूणाचल प्रदेश	असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत कवर
13.	नागालैंड	असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत कवर
14.	मणिपुर	असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत कवर
15.	मिजोरम	असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत कवर
16.	त्रिपुरा	असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत कवर
17.	मेघालय	असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत कवर
18.	असम	1
19.	पश्चिम बंगाल	1
20.	झारखंड	1
21.	ओडिशा	1
22.	छत्तीसगढ़	1
23.	मध्य प्रदेश	1
24.	गुजरात*	1
25.	महाराष्ट्र**	1
26.	आंध्र प्रदेश	1
27.	कर्नाटक	1
28.	गोवा	1
29.	लक्षद्वीप	1
30.	केरल	1
31.	तमिलनाडु	1
32.	पुदुचेरी	तमिलनाडु के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत कवर
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
	योग	21

*दमन और दीव, सहित**दादरा और नगर हवेली सहित।

अनिवार्य मतदान प्रणाली

5024. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के किसी लोकतांत्रिक देश ने विधायी निकायों के चुनाव में अपने नागरिकों के लिए मतदान करना अनिवार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में ऐसी प्रणाली शुरू करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) विश्व के ऐसे प्रजातांत्रिक देशों की संख्या के ब्यौरे, जहां अनिवार्य मतदान की प्रणाली है, सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

[अनुवाद]

विटामिनों और शक्तिवर्धक औषधियों का बाजार

5025. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विटामिनों और शक्तिवर्धक औषधियों के 4500 करोड़ रुपये के बाजार का विनियामक तंत्र मजबूत करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एम.एस.एम.ई. के तहत लाभ

5026. श्री नारेनभाई काछादिया: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को उच्चतर श्रेणी में स्तरोन्नत करने के बाद भी तीन वर्ष तक पूर्वकोटि का लाभार्जन करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी एम.एस.एम.ई. के लिए उक्त योजना को कार्यान्वित करने तथा इसका लाभ पहुँचाने के लिए क्या तंत्र है; और

(घ) सरकार ने उक्त योजना के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उस श्रेणी से स्तनोन्नत हो जाने के बाद भी जिसमें उन्होंने लाभ प्राप्त किए थे, तीन वर्षों तक लाभ और प्राथमिकताएं प्रदान करने के एक प्रस्ताव की घोषणा वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में की गई है।

(ग) विशिष्ट योजनाओं में कार्यान्वयन की प्रक्रिया ओर उससे होने वाले लाभ पहले से ही निर्दिट हैं

(घ) इस बजट प्रस्ताव का देशभर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया है। सूक्ष्म, लघु, वं मध्यम उद्यम विकास संस्थानों और अन्य संबद्ध संगठनों को जागरूकता हेतु संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए कहा गया है।

कर्नाटक में जलापूर्ति

5027. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि कर्नाटक में सूखे जैसी स्थिति है और वहां पेयजल की कमी हमेशा बनी रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को वहां की राज्य सरकार से प्रत्येक घर को पर्याप्त मात्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 में कर्णाटक राज्य के 30 जिलों में से 26 जिलों (142 तालुकों) को सूखा प्रभावित दशाओं वाले जिले घोषित किया है। सूखा प्रभावित इन जिलों के नाम इस प्रकार हैं:-

बागलकोट, बंगलोर देहात, बंगलोर शहर, बेलगांव बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चमराजनगर, चिकाबल्लापुर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, देवनगीर, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोलार, कोप्पल, मांडया, मैसूर, रायचूर, रामनगर, सिमोगा, टुमकुड़, यादगिरि।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा के बीच -19 से -19 प्रतिशत तक परिवर्तित को समान्य वर्षा माना जाता है तथा -20% से -59% की परिवर्तिता को कम वर्षा माना जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कर्णाटक राज्य में मॉनसून 2012 के दौरान कम वर्षा का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	मौसम उप-मंडल	सामान्य वर्षा	वास्तविक वर्षा	परिवर्तिता का प्रतिशत
1.	उत्तरी भीतरी कर्णाटक	506	326	-36
2.	दक्षिणी भीतरी कर्णाटक	660	509	-23

(ग) और (घ) वित्तीय सहायता मांगने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) में से 526.06 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं बशर्ते कि तुरंत आपदा के लिए राज्य आपदा राहत निधि (एडीआरएफ) में उपलब्ध शेष राशि के 75% का समायोजन गिया जाए। भारत सरकार ने पेय जल आपूर्ति संबंधी क्षतिग्रस्त हुए निर्माण कार्यों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के विशेष घटक से 14.20 करोड़ रुपये की सहायता भी अनुमोदित की है।

अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल, जिसमें पेय जल एवं स्वच्छता का प्रतिनिधि भी शामिल है, ने राज्य में सूखे एवं पेय जल की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य सें कर्णाटक का दौरा किया। पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अंतर्गत 869.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की है जिसमें से 38.20 करोड़ रुपये की राशि, अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और अन्तर-मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के आधार पर कर्णाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति की पुनर्बहाली के लिए जारी की गई है।

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

5028. श्रीमती मौसम नूर: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में कितने गैर-सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एम.ए.ई.एफ.) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एम.ए.ई.एफ. के अंतर्गत संस्वीकृत धानराशि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान एम.ए.ई.एफ. के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धानराशि की छात्रवृत्ति प्रदान की गई और कितने छात्रवासों का निर्माण किया गया;

(घ) क्या एम.ए.ई.एफ. के अन्तर्गत छात्रवासों का निर्माण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विभिन्न राज्यों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने के लिए धनराशि आवंटित करने हेतु क्या मापदंड है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) पश्चिम बंगाल में उन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओएस) जिन्हें पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	सहायता-प्राप्त गैर सरकारी संगठन	राशि (रुपये)
2010-11	शून्य	0
2011-12	1. बेलुनी जनकल्याण संघ, डाकघर, धोलाहाट, ब्लॉक कुल्पी, जिला-दक्षिण 24 परगना	1500000
	2. चारकटला मानव संपद विकास समिति, गांव:चारकटला, डाकघर: मंगाप्रसाद, जिला, मालदा-732207 (पश्चिम बंगाल)	500000
2012-13	1. मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, 40/4बी, कबालपुर लेन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	1500000
2013-14 (20.04.2013 तक)	शून्य	0
	योग	35000000

(ख) एमएईएफ के माध्म से विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सरकार द्वारा कोई निधि मंजूर नहीं की जाती है। तथापि, एमएईएफ ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 305 गैर-सरकारी संगठनों को 40.24 करोड़ रुपये के सहायता-अनुदान की मंजूरी की है। वर्ष-वार/राज्य-वार सूची विवरण-I में संलग्न है।

(ग) एमएईएफ ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों से संबंधित 60182 मेधावी छात्राओं को 72.22 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तिया मंजूर की हैं। वर्ष-वार/राज्य-वार सूची विवरण-II में संलग्न है।

एमएईएफ ने पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 68 गैर-सरकारी संगनों को भी निधियां मंजूर की हैं। 68 गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची विवरण-III में संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) एमएईएफ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की आबादी के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु निधियां आबंटित करता है।

विवरण I

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई अनुदान राशि

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों का नाम व पता	स्वीकृति वर्ष	उद्देश्य	स्वीकृत अनुदान राशि (रुपये)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	महमूदिया ऐजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी, निरमल, कसबा हाईस्कूल के सामने, निरमल, जिला-अदीलाबाद	2011-12	कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	225000

1	2	3	4	5
2.	गोथामी ऐजुकेशनल सोसाइटी, 1-1ए, ज्योथी सवारूपा नीलायम, तनगुतुर, जिला-प्रकाशम	2011-12	कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	300000
3.	अलफा ऐजुकेशनल सोसाटी, 9/185-4, साइंपेंट, जिला-कोडप्पा	2011-12	विद्यालय भवन विस्तार हेतु	2000000
अरूणाचल प्रदेश				
4.	जीरो वैली चैरीटी मिशन सोसाइटी, मार्फत जीरो वैली स्कूल ग्राम-लेमपीया, पोस्ट आफिस-जीरो, जिला-लोअर सुबनसीरी	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
असम				
5.	जन कल्याण संस्था, धुपागुरी, पोस्ट ऑफिस-धुपागुरी, जिला-नागौन	2011-12	मिडिल स्कूल भवन निर्माण हेतु	800000
6.	ऐड फॉर दि दिसबलेड सोसाइटी, मोरीगांव टाउन, वार्ड नं. 7, जिला-मौरीगांव	2011-12	बीएड महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु	1500000
7.	लाजउददीन अहमद ऐजुकेशनल ट्रस्ट, नार्फत दिसपुर पब्लिक स्कूल, नोटबामा, हाउसफेड कम्पलेक्स रोड के पास, पोस्ट ऑफिस-सेकरेटेरियट दिसपुर, हाथीगांव, गुवाहाटी, जिला-कामरूप	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1300000
8.	आदर्श समाज कल्याण समिति, ग्राम-बेलोगुरी, विया-हैबोरगांव, जिला-गानौन	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
9.	पथराकंडी कॉलिज ऑफ एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस-पथराकंडी, जिला-करीम गंज	2011-12	छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
10.	नॉर्थ ईस्ट पारामेडिकल एंड नरसिंग इंस्टीट्यूट, मार्फत नेपनी स्कूल ऑफ नरसिंग, अमबीका मेनसन, हाथीगांव मैन रोड, दिसपुर, जिला-गुवाहाटी	2011-12	छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
बिहार				
11.	कायनात फाउनडेशन, मार्फत कायनात इन्टर कालिज, कायनात नगर, काको, जिला-जहांनाबाद	2011-12	छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1470000

1	2	3	4	5
दिल्ली				
12.	फैसल ऐजुकेशन सोसाइटी, मार्फत राजधानी पब्लिक स्कूल, ए-1, बाबु नगर, तिराहा शिव विहार, दिल्ली	2011-12	स्कूल प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर खरीदने हेतु	250000
छत्तीसगढ़				
13.	उसमानी ऐजुकेशनल सोसाइटी, छोतापारा, मस्जिद के पास, रायपुर	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2500000
गुजरात				
14.	पीर हाजी अलीशाह बुखारी हाई स्कूल समाखीयाली ट्रस्ट नेशनल हाईवे नं. 8, नियर-चार रास्ता, समाखीयारी, ता.-मचाऊ, जिला-कच्छ	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
15.	दाऊल उलूम फैजुर-रहमान ट्रस्ट, वृधाश्रम के सामने, आरटीओ रोड, जूनागढ़	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
16.	डॉक्टर नकादार चेरीटेबिल ट्रस्ट, एन.बी. कम्पलेक्स, पीरबोरदी चाकला, कडी (एन जी) जिला-मेहसाना	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
17.	गुलशन-ए-महर मुस्लिम माइनोरिटि पब्लिक ऐजुकेशन ट्रस्ट, 4085, गुलशन, डेलटा अपार्टमेंट के सामने, कल्यानीवाद, खानपुर, अहमदाबाद	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	60000
18.	नुतन ऐजुकेशन सार्वजनिक ट्रस्ट, नवा चोक वहोरवद, सोजितरा, जिला-आनन्द	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2000000
19.	सर्वोदय केलावनी मंडल, पो. कनोदर, ता. पालनपुर, जिला-बनसकांठा	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1500000
20.	मदरसा-ए-गरीब नवाज ट्रस्ट, छान्दरोदा, ता.-बेचाराजी, जिला-मेहसाना	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
21.	नेशनल ऐजुकेशन ट्रस्ट, ग्रीन पार्क, भगदवाद, जिला-तलसाद	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	600000
हरियाणा				
22.	मेवात ऐजुकेशन बोर्ड, मार्फत चौधरी मौ. यासीन खान हाई स्कूल, नुह, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000

1	2	3	4	5
23.	ऐजुकेशन एवं डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्राम-खुश पुरी, पो.-नगीना, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
24.	मेवात ऐजुकेशनल एंड वेलफेयर संगठन, भादास, नगीना, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
25.	चौ. अजमत खान ममोरियल हुमन वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-नीमखेरा, अली पुर टीगरा, तहसील-फिरोजपुर झिरका, जिला-मेवात	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
26.	अनीशिया ऐजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-झिमरावत, तहसील-फिरोजपुर झिरका, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
27.	ग्रामीण विकास एंड शिक्षा सुधार समिति, मार्फत मेवात विकास हाई स्कूल, महुन छोपरा, तहसील-एफपी झिरका, पोस्ट-मन्दौरा जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
28.	जैन विकास एवं शिक्षा समिति, ग्राम-डुंगेजा, पो.-पीननगवां, तहसील-एफपी झिरका, नुह, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
29.	मेवात ऐजुकेशनल एवं डेवलपमेंट सोसाइटी, मार्फत एमजी मिडिल स्कूल, रनयाला खुर्द (झनका), तहसील-हथिन, जिला-पलवल	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
30.	मेवात ऐजुकेशनल ओर्गनाइजेशन, मार्फत उटापियां सी. से. स्कूल ग्राम-पुनहाना, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माग हेतु	2000000
31.	मेवात ऐजुकेशनल एवं डेवलपमेंट, सोसाइटी, डुंगेजा, पो.-पीननगवां, तहसील-एफपी झिरका, जिला-मेवात	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1500000
32.	मेवात, शिक्षा सुधार समिति, ग्राम-मुनधेता, पो.-पीननगवां, तहसील-पुनहाना, जिला-मेवात, नुह	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
33.	जन विकास एवं शिक्षा सुधार समिति नं. 84, पचनका, पो.-हथीन, जिला-पलवल	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेत	600000
34.	साहिल ऐजुकेशन सोसाइटी, खोरी कलान, टाउऊ जिला-मेवात	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेत	2500000

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर				
35.	चाईल्ड राइट ऐजुकेशन सोसाइटी, मार्फत न्यू स्प्रिग बडस ऐजुकेशनल इंस्टीट्यट, वेहदतपुरा, जिला-बुडगम	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
झारखण्ड				
36.	हफीज अलहाज जकारिया ऐजुकेशन ट्रस्ट, पतराटोली, कनके, जिला-रांची	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
37.	अबदुर रज्जाक अनसारी मेमोरियल वलफेयर सोसाइटी, इरबा, ओरमंझी, जिला-रांची	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
कर्नाटक				
38.	दि मवल्ली ऐजुकेशन सोसाइटी, 64, 2 कोस, लालबाग फोर्ट रोड, डोडडा मवाल्ली, बैंगलोर	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
39.	सकाफिया मिल्लत ऐजुकेशन सोसाइटी, विवेकानन्द नगर, गड्ग	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
40.	मथुरूवनी ऐजुकेशनल सोसाइटी, कमकशिपालवा, 2 स्टेज, बसावेश-वारानगर, बैंगलोर	2011-12	कम्प्यूटर/विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सामान खरीदने हेतु	300000
41.	आफताब ऐजुकेशन ट्रस्ट, यरमारूस कैम्प, जिला- रायचुर	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
42.	रेडियंस ऐजुकेशन सोसाइटी, तालीकोटी, ता.-मुद्देबीहल, जिला-बीजापुर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
43.	आजाद ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत अबुल कलाम आजाद हाई स्कूल, अधानी, बेलगाम	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
44.	अर-रेहान ऐजुकेशनल ट्रस्ट, अस्सार मोहल्ला सिरा, जिला-टुमकुर	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
45.	एमएमयू ट्रस्ट, कोनकनी डोडी, रामादेवरा बेटा रोड, रामानागराम, जिला-बैंगलोर	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
46.	प्योपिल्स ऐजुकेशन सोसाइटी एंव ट्रस्ट, शेख केम्पस, नहरू नगर, जिला-बेलगांम	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000

1	2	3	4	5
47.	मिल्लत ऐजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, बशा नगर, जिला-दावनगेर	2011-12	वी.टी.सी. के लिए उपकरण/मशीनरी/ फर्नीचर खरीद हेतु	500000
48.	रोयल ऐजुकेशन सोसाइटी, ओल्ड एग्जीबीशन बिल्डिंग, शेशादरी अय्यर रोड, जिला-मैसूर	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	600000
49.	नूर अफजाल ऐजुकेशनल एवं चैरीटेबिल ट्रस्ट, राज राजेश्वरी हाटल वसन्त नगर के सामने, एमएसके मिल रोड, गुलबरगा	2011-12	प्रयोगशाला के लिए सामान खरीदने हेतु	500000
केरल				
50.	नदवाथुल इस्लाम, वादु-थाला, मार्फत नदवाथुल इस्लाम स्कूल-पोस्ट-नदवथ नगर, जिला-अलापुजहा	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
51.	नसराथुल इस्लाम ट्रस्ट, मार्फत रहमत पब्लिक हा.से. स्कूल, पुल्लुर, करुवम-बरम, पोस्ट-मनजेरी-3, जिला-मालप्पुरम	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
52.	वलापत्तनम मुस्लिम वेलफेयर ऐसोसिएशन, मार्फत ताजुम उलूम इंग्लि मीडियम हाई स्कूल, ग्राम एंड पो.-वलापत्तनम, जिला-कन्नूर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
53.	अल आरिफ ऐजुकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट, अशोका रोड, कालूर, कोचि	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
54.	इस्लाहिया एसोएिशन, चेननामअंगलुर, मुक्काम, केलिकट	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
55.	अनसारूल इस्लाम चैरिटेबिल ट्रस्ट, मार्फत मरकाजुल उलूस इंग, स्कूल, पो.-कोनडोटी, मल्लापुरम	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
56.	गाएडेंस इस्लामिक सेंटर कटटुपारा, पोस्ट-चेलाकड, विया पुलमएनथोले, मल्लापुरम	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
57.	मकदा अनाधा सला संघम, मार्फत मुफीद अल उलूम अराबिक कालिज, पोस्ट-मंकदा, मल्लापुरम	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
58.	इरशाद ऐजुकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट, मार्फत इरशाद हाई स्कूल, मन्नरक्कड, पलाक्कड	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
59.	कोपम मुस्लिम ऐजुकेशन ट्रस्ट, पो.-पुलासेरी, कोपम, पलाक्कड	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
60.	मुस्लिम कल्चरल ट्रस्ट, पो.- मेलमुरी, मल्लापुरम	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
61.	थाइकाट्टुकारा मुस्लिम जमात ऐजुकेशनल एवं चैरिटेबिल ट्रस्ट, पो.-थाइकाट्टुकारा, अलुवा इरनामुलम	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
62.	कुमारनेलुर इस्लाहिया अराबिक कालिज एंड ऑरफेनेज कमिटी मार्फत इस्लाहिया ऑरफेनेज स्कूल, कुमारनेलुर, पोस्ट-अंगडी, पलाक्कड	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1500000
मध्य प्रदेश				
63.	आनंद विहार शिक्षा समिति एवं समाज कल्याण, टलीफोन एक्स, के सामने, सम्राट नगर, वरासियोनी, जिला-बालाघाट	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
64.	अभीलाशा संस्कृतिक एवं शैक्षणिक संगठन, एफ-14, मिशा अपार्टमेंट, करबला रोड, भोपाल	2011-12	बीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1500000
महाराष्ट्र				
65.	मासूमीन ऐजुकेशन सोसाइटी, मार्फत सुपर इंगलिश मीडियम हाई स्कूल, मगल कालोनी, शियादरी, नगर, सांगली	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सामान खरीदने हेतु	300000
66.	माईनोरिटि ऐजुकशनल सोसाइटी, प्लोट नं. 6, शादाब बाग, भोसा रोड, जिला-यावतमल	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2000000
67.	यावतमल जिला-अल्पसंख्यक महिला विकास बहुउद्देशिया संस्था, मार्फत उर्दू डीऐड कालिज, अलसमीनगर, पांडर-लोवादा रोड, नियम-रिलायंस पेट्रोल पंप, पो.-यावतमल	2011-12	डीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
68.	कोस्मोपोलिटन ऐजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, शिवाजी पार्क के, सामने, नानखेडा रोड, नानल पेंठ, परमानी	2011-12	बीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
69.	दारूल उलूम जकरया, पो.-कोनदेव, तहसील-जिला-सतारा	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000

1	2	3	4	5
70.	टाईगर वेलफेयर एसोसिएशन, पो. जयसिंह सों मिल. सुभाश रोड़ बीड	2011-12	डीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	100000
71.	राजा ऐजुकेशन एंड बहुउद्देश्या सोसाइटी, पिपलगेन, राजा, ता.-खमगाव, जिला-बुलडाना	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	2000000
72.	मौलाना आजाद उर्दू ऐजुकेशन सोसाइटी, वाडनर गंगई ता.-दरयापुर, जिला-अमरावती	2011-12	हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
73.	महात्मा गांधी ऐजुकेशन सोसाइटी, मार्फत खान अबदुल गफ्फार खान उर्दू हाई स्कूल, फकराबाद, मो.-मथरी, जिला-परमानी	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	2500000
74.	मदर टेरेसा ऐजुकेशनल ट्रस्ट, ओल्ड कलेक्टर कम्पाउंड, प्लाट नं. 15, रूम न. 45, गट नं. 5 मलाड, मुम्बई	2011-12	स्कूल भवन निर्माण हेतु	2500000
75.	वलावा तालुका बुधा सोसाइटी, वानलसवादी हाई स्कूल, मार्फत वानलेसवादी, ता.-मीराज, जिला-सांगली	2011-12	छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
76.	श्री उमाजीराओ सनामादीकर मेडिकल फाउनडेशन, जाथ, जिला-सांगली	2011-12	छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
मणिपुर				
77.	दि रूरल डेवलेपमेंट बेक्वार्ड आर्गेनाजेशन, ग्राम-चंगमदाबी माथक सगाल्लाउ, पो.-पीएस-यारीपोक, जिला-इम्फाल ईस्ट-II	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
78.	दि ए गुनी ऐजुकेशनल सोसाइटी, मिनथुलॉग, हफीज हत्ता, पो.-इम्फाल, जिला-ईस्ट इम्फाल	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
79.	निलोफर ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, खेरगांव, इम्फाल ईस्ट	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1200000
80.	कशुंग, थोयीबा लीनगेला ऐजुकेशनल रिसोर्स सेंटर, पी बी नं. 38, फुंगरीटेंग, सर्किल रोड, जिला-उखरूल	2011-12	छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
तमिलनाडु				
81.	टेक्ससिटि मेडिकल एवं ऐजुकेशनल ट्रस्ट, टेक्ससिटि केम्पस, पोडानुर मेन रोड, कोयमबेटूर	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	2500000

1	2	3	4	5
82.	तकवा ऐजुकेशन ट्रस्ट, मार्फत टेट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीटूट फॅार वूमन, 8/907, ट्रीची मेन रोड, नेताजी नगर, जिला-नकक्कल	2011-12	डीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1000000
उत्तर प्रदेश				
83.	इरम ऐजुकेशनल सोसाइटी, सी-ब्लॉक, इंदिरा नगर, लखनऊ	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
84.	अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, 58, भीतारगाव, न्यूरीया, हुसैनपुर, पीलीभीत	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
85.	हबीब शिक्षा प्रसार समिति, मार्फत हबीब कन्या इंटर कालिज, नयागांव, जंगल कौर, जिला-गोरखपुर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
86.	अल्पसंख्यक समाज स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति, मो. उपादिया, टाउन-केथोर, जिला-मेरठ	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
87.	रफी अहमद उसमानी कन्या इंटर कालिज समिति, ग्राम व पो.-कफारा, जिला-लखीमपुर खीरी	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	500000
88.	खलीक अहमद उसमानी गर्ल्स इंटर कालिज समिति, ग्राम व पोस्ट-पदरीयातुला, जिला-लखीमपुर खीरी	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	500000
89.	नजीबाबाद ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत नजीबुददोला गर्ल्स इंटर कालिज, नजीबाबाद, मो. बिसतयान, बिजनोर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
90.	मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान, ग्राम-नोदर, पो.-रामगढ़, जिला-चंदौली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
91.	अथर ऐजुकेशनल सोसाइटी, एफ-16, गुयान बाग, जिला-मुरादाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
92.	लल्ला मियां जन्ता ऐजुकेशन सोसाइटी, टाउन एंड पो.-सेदपुर, तहसील-बिसौली, जिला-बदायूं	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	2000000
93.	कसीमुल उलूम शिक्षा समिति, मो.-आजाद नगर, ग्राम व पोस्ट-मनकापुर, जिला-गोंडा	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000

1	2	3	4	5
94.	सेंट सैफ शिक्षा संस्थान, मार्फत सेंट सैफ ज.ह. स्कूल नौ. नयीपुरा, गजरौला, जिला-ज.पी. नगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
95.	त्सादुक हुसैन मुस्लिम ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत वसीम तुरकी मुस्लिम डिगरी कालिज, ग्राम-फतेहपुर मफी, पो.-पलोला, जिला-ज.पी. नगर	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन विस्तार हेतु	1000000
96.	जफर शिक्षा प्रचारनी समिति, मार्फत जफरूल मिल्लत मेमोरियल हाई स्कूल, निजामाबाद, आजमगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
97.	श्रीमती मनीयन बीबी सेवा समरपन संस्थान, ग्राम पुरे लहुरिया, कोदारस खुर्द, ब्लॉक अमावन, जिला-राय बरेली	2011-12	वीटीसी भवन निर्माण हेतु एवं सामान खरीदने हेतु	2000000
98.	नसीम मैमोरियल एंड वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-सीमारा रामनगर रोड, पोस्ट-कटेसर, जिला-चंदौली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
99.	मदरसा निसारूल जलूम शाहजादपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
100.	मौलाना अबुल कलाम आजाद वेलफेयर सोसाइटी, अजय नगर, न्यू इस्माइल लखनऊ, मार्फत मौलाना आजाद प्राथमिक विद्यालय, वकशिनटोला, टाउन-बनकी, जिला-बाराबंकी	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
101.	अबु हुरेरा ऐजुकेशनल सोसाइटी, बलधुना रोड, सोरिख, जिला-कन्नौज	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
103.	अबदुल बारी मुस्लिम ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत एस.बी.एम. गर्ल्स इंटर कालिज, पक्का बाग, बिजनोर रोड, अमरोहा, ज.पी. नगर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	300000
104.	नसरूल्लाह मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल, अंसार नगर, सिरसिया, पो.-बलुआ, जिला-महाराजगंज	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
105.	मौलान आजाद ऐजुकेशनल सोसाइटी, कोट वेस्ट, ईदगाह रोड, हसनपुर, जिला-ज.पी. नगर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
106.	ए.एन. अम्बेडकर शिक्षा संस्थान, मार्फत ए.एम. अम्बेडकर हाई स्कूल, ग्राम-मचारिया गांव, 506, यशोदा नगर, कानपुर	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
107.	शहीद मैमोरियल ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत शहिद मैमोरियल जू.हा. स्कूल, नियर-रवन चुंगी, काबुलपुरा, बदायूं	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
108.	दि मोडर्न ऐजुकेशनल सोसाइटी, नियर-जामा मस्जिद देव बंद, सहारनपुर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
109.	ग्रीन फील्ड मोडर्न सोसाइटी अर्या नगर, छुटमलपुर, जिला-गोरखपुर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन निर्माण हेतु	1500000
110.	इस्लामिक एसोसिएशन मार्फत मैमोरियल हा.से. स्कूल बरहलगंल, जिला-गोरखपुर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
111.	मैरी चिल्डरन एकेडरी, मार्फत जेसस एंड मैरी इंटर कालिज, पोस्ट- नवाब गंज, जिला-बरेली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
112.	बनबीम ऐलीमेंटरी स्कूल समिति, ग्राम व पो.- अबदुल्लापुर, मेरठ	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
113.	दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एंव निराश्रित महीला उत्थान समिति, ग्राम व पोस्ट-नहोना सिंहपुर, टिलोड़ रायबरेली	2011-12	छात्र/छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
114.	वारसी हायर सेकेण्डरी स्कूल सोसाइटी, ग्राम-काजीपुर, पो.-अफजालपुरवरी, सिरायु, जिला-कौशांबी	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
115.	किसान महाविद्यालय शिक्षण संस्थान, ग्राम-महुवा पकर, पो.-गवरा चौकी, तहसील-मनकापुर, जिला-गौंड़ा	2011-12	बीऐड कालिज भवन विस्तार हेतु	1500000
116.	मुताकल्लिम मुस्लिम ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत शैख रजब अली हा.से. स्कूल, बमहोर, आजमगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
117.	दारूल उलूम कादरी गुलशन ऐ बरकत, परासराई, पो.-इंतयाथुल, गोंडा	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1500000
118.	सायमा शिक्षा समिति, मार्फत सायमा इंटरमीडिएट कालिज, ग्राम व पोस्ट-मझील गांव, तहसील-कुन्दा, जिला-प्रतापगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000

1	2	3	4	5
119.	मदरसा सकलेनिया असगर अली दारूल उलूम अहले सुन्नत स्कूल समिति, मार्फत डीएमए पब्लिक जू.हा. स्कूल, ग्राम-धनोरी, तहसील-सवर, जिला-रामपुर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
120.	भारतीया शिक्षा प्रचार संस्थान, भीकमपुर, ब्लौक बिजोली, अलीगढ़	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1250000
121.	प्रयागराज वेलफेयर सोसाइटी, मार्फत बेनहुर हा. स्कूल, 592- बी, सुलतानपुर भावा, इलाहाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
122.	सोसाइटी फॉर ऐजुकेशनल एंड रूरल डेवलेपमेंट, मार्फत इंडियन पब्लिक स्कूल, पकबरा रोड, दिनगरपुर, जिला-मुरादाबाद	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
123.	ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, मार्फत ऑक्सफोर्ड वीर अबदुल हमीद हाई स्कूल, मो. फतहउल्लाह गंज, वार्ड नं. 19, ठाकुरद्वारा, जिला-मुरादाबाद	2011-12	छात्रवास भवन विस्तार हेतु	1300000
124.	शेख गुलाम हसन प्रशिक्षण संस्थान ग्राम-रज्जाक खेरा, पो. असाही आजमपुर, जिला-हरदोई	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
125.	अजिजिया मॉनटेसरी स्कूल समिति मो. पुरेनिया तालाब, जिला-बलरामपुर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
126.	रूखसाना बैगम ऐजुकेशनल सोसाइटी ग्राम-अतरासी कलान, जिला-जे.पी. नगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
127.	मिर्जा अहसान उल्लाह बैग ऐजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट-अनजान शाहीद, जिला-आजमगढ़	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
128.	शाहीद अशफाकउल्लाह खान मैमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, 12 मोहनपुरा, उरई जिला-जलोन	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
129.	फौजदार हसनैन ऐजुकेशनल एंड सोशन वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-शाहबाद, पो.-ब्रिज मानगंज, जिला-महाराजगंज	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
130.	मोहम्मद आरिफ इस्लामिया ऐजुकेशन सोसाइटी, मार्फत एम.ए. इस्लामिया हा.से. स्कूल, दिव्यापुर रोड, बिधुना, जिला-औरया	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1300000

1	2	3	4	5
131.	नवादा ग्राम उद्योग विकास समिति, मो. बगला, अमरोहा, जिला-जे.पी. नगर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
132.	जामिया दारूसलाम सोसाइटी, 600 सेक्टर-4, शास्त्री नगर, मेरठ, मार्फत जामिया दारूसलाम स्कूल मौ-पुरब टोक, पटीयाली रोड, गजदुन द्वारा, जिला-काशीराम नगर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
133.	इंदिरा बालीका शिक्षन समिति, ग्राम व पोस्ट-टेकुआटर रामकोला, जिला-कुशीनगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
134.	श्रीमती सुमितरा देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा समिति, ग्राम-रामचन्द्रपुर, पोस्ट-सिथोरा, जिला-फतेहपुर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	500000
135.	एम. जौहर अली ऐजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत मौलाना जौहर अली गर्ल्स स्कूल, ग्राम-पुरनाहा बुजुर्ग, किंदर पटटी, जिला-कुशीनगर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन निर्माण हेतु	800000
136.	अर्जुन सेवा समिति, ग्राम-खोजपुर, पो.-मनझानपुर, जिला-कौशंबी	2011-15	प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	300000
137.	श्री साधु सरन सिंह बाल विद्या निकेतन, ग्राम व पोस्ट-बरायपुर, जिला-फतेहपुर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
138.	स्वर्गिय अबदुल जब्बार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, ग्राम-सुखनखेडा, पो.-भतोटोली, तहसील-संदीला, जिला-हरदोई	2011-12	छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
139.	अर्शी मॉडर्न नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल सोसाइटी, मार्फत अर्शी गर्ल्स इंटर कालिज, 88/156, चमन गंज, मो. अली पार्क, कानपुर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	1300000
140.	राबिया खातून मैमोरियल बालिका विद्यालय सोसाइटी, पो.-कमपिल, तहसील-कायमगंज, फरूखाबाद	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
141.	मदरसा स्लामिया मकतब कमिटि, ग्राम-अलहादपुर, पो-फाजील नगर, जिला-कुशीनगर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
142.	हाजी अली जान खान मैमोरियल ऐजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट-शरीफ नगर, तहसील-ठाकुडवारा, जिला-मुरादाबाद	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000

1	2	3	4	5
143.	ख्वाजा गरीब नवाज पब्लिक स्कूल समिति, ग्राम-चांद खेरी, पोस्ट-दिलारी, जिला-मुरादाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
144.	बज्म ए अदब सोसाइटी, मो. काजी सराई फस्ट, नगीना, जिला- बिजनोर	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
145.	बाबर शिक्षा समिति, ग्राम-हजरत नगर गरही, तहसील-सम्भल, जिला-मुरादाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
146.	रफीक ऐजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, मो.-नीमटाला, गमगोह, जिला-सहारनपुर	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु	1000000
147.	डा. महमूद अहमद मैमोरियल सोसाइटी मार्फत ए.बी. कन्वेंट जू.हा. स्कूल, खेरा, गरीया गांव, नगरा, जिला-झांसी	2011-12	मिडिल स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
148.	मुस्लिम प्रोग्रेसिव एंड ऐजुकेशनल काउनसिल ऑफ यूपी, अबुल बरकत, देवबंद, जिला-सहारनपुर	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
149.	श्री गफूर खान इस्लामिया शिक्षा समिति, ग्राम-रामपुर, पोस्ट-फरीदा, तहसील-जसराना, जिला-फिरोजाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
150.	एन. रहमान इलाहाबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी, नूरूल्लाह रोड, इलाहाबाद	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
151.	श्री मुनव्वर हुसैन मुस्लिम शिक्षा विकास समिति, मार्फत एमएस सैनिक हाई स्कूल, मीनपुर सेनवरो, पो.-करी, तहसील, मंझानपुर, जिला-कोशंबी	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
152.	न्यू इंडियन मोनटेसरी स्कूल समिति, ग्राम-सोनवरसा, पो.-विसनुपुर बेरिया, ब्लाक पदरीकरीपाल, अतरौली रोड, जिला-गोंडा	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
153.	इस ऐजुकेशनल सोसाइटी कस्बा एवं पोस्ट-शाही, तहसील-मीरगंज, जिला-बरेली	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
154.	शकील ऐजुकेशनल सोसाइटी, ए. 645, इंदिरा नगर, जिला-लखनऊ	2011-12	प्रायमरी स्कूल भवन विस्तार हेतु	500000
155.	सरदार खान अल्पसंख्यक विकास संस्थान, मार्फत सरदार खान अल्पसंयक हा.से. स्कूल, ग्राम व पोस्ट-केलाई, जिला-फिरोजाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
156.	महाराना प्रताप बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, करचालपुर, जिला-फतेहपुर	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
157.	अंजुमन ए. शैखुल हिंद सोसाइटी, कसीमाबाद, पोस्ट-अंजान भाहीद, तहसील-सगढ़ी, जिला-आजमगढ़	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
158.	मेंहदी हसन मैमोरियल ऐजुकेशन सेंटर स्कूल समिति, जरारी, जिला-फरूखाबाद	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
159.	अंजुमन इस्लाहुल मुस्लीमीन, पो. एवं टाउन-डासना, जिला-गाजियाबाद	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1500000
160.	मानव सेवा संस्थान, 36 आईटीआई रोड, दक्षिणी गौतम नगर, जिला-फजेहपुर	2011-12	विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर/सामान खरीदने हेतु	500000
161.	महाराजा अदित्य नारायन हा. स्कूल ऐसोसिएशन, भदोही, जिला-संत रवीदास नगर	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु/विज्ञान प्रयोगशाला के सामान खरीदने हेतु	1500000
162.	एम.के. सेवा संस्थान, ग्राम-कबरा, बरायपुर, जिला-फतेहपुर	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	600000
163.	फीडम फाईटर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ऐजुकेशनल ट्रस्ट, मदनी मंजिल, मदनी नगर, देवबंद, जिला-सहारनपुर	2011-12	छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
164.	मौलाना अबुल कलाम आजाद अकेडमी, नगला साहु, पो.-जाई, मेरठ	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	800000
165.	मौलाना अबुल कलाम आजाद मैमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, मो. पठानपुरा, देवबंद, सहारनपुर	2011-12	स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000
उत्तराखंड				
166.	मदरसा गुलजार फरीद सोसाइटी, मार्फत एम.जी.एफ.एम. इंटर कालिज, दरगाह इमाम साहेब पीरन कलीयर, पो.-खास रूड़की, जिला-हरीद्वार	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
167.	मदर इंडिया अल्पसंख्यक शिक्षा समिति, मिसरवाला, पो.-कुन्डा, तहसील-काशीपुर, जिला-यू.एस. नगर	2011-12	हाई स्कूल भवन विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल				
168.	बेलुनी जनकल्यान संघा, पो.-दोहलाहट, ब्लोक-कुलपी, जिला-साउथ 24 परगनास	2011-12	50 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1500000
169.	छरकतला मानव समपद विकास समिति, ग्राम-छरकतला, पो.-गंगाप्रसाद, जिला-मालडा	2011-12	बीटीसी के लिए उपकरण/मशीनरी खरीद हेतु	500000
170.	इकरा ऐजुकेशनल सोसाइटी, वार्ड नं. 10, रक्कासपेट, बोधान, जिला-निजामाबाद	2012-13	हाई स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1350000
171.	अर्श विद्या मंदिर कोनदापेटा, बनगानपल्ली, जिला-कुरनूल	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	250000
172.	सिस्टर केयर ऐजुकेशन सोसाइटी 2-14-151, श्यामला नगर, रेलवे गेट के पास, जिला-गुन्टूर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
173.	ख्वाजा गरीब नवाज ऐजुकेशनल सोसाइटी, मेन रोड, कंगाला जिला-गुन्टूर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
174.	मुस्लिम माइनोरिटीज ऐजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, विजयनगर, जिला-हैदराबाद	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
175.	गोदावरी ऐजुकेशन सोसाइटी, डी नं. 16-2-70, वोल्ड वाटर अैंक के सामने, बुधवार मार्किट मिमावरम, जिला-पश्चिम गोदावरी	2012-13	प्रायमरी स्कूल भवन का विस्तार हेतु	600000
बिहार				
176.	इदरा अल-निशत मुस्लेमीन ऐजुकेशनल सोसाटी, इंद्रापुरी कालोनी, आशियाना रोड, राजा बाजार, जिला-पटना (बिहार)	2012-13	बीएड कॉलेज भवन का विस्तार	1500000
177.	अल्पसंख्यक विकास परिस्थान केन्द्र नालंदा कधजी मोहल्ला, बिहार शरिफ, जिला नालंदा (बिहार)	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
178.	इदा फलाहुल मुस्लेमिन, फुलवारी शरिफ, पटना (बिहार)	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
गुजरात				
179.	आजाद ऐजुकेशन ट्रस्ट, बी-11/12 रेहान पार्क सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी के सामने, भारूच, (गुजरात)	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	250000

1	2	3	4	5
180.	नपाड वता माइनोरिटी ऐजुकेशनल ट्रस्ट, एंटी नपाड़ (वंता) जिला आनंद (गुजरात)	2012-13	हाई स्कूल भवन के निर्माण हेतु	2000000
181.	धंधुका तालु मुस्लिम केलवानी मंडल, एनआर पिरासर तलब, धंधुका, जिला-अहमदाबाद (गुजरात)	2012-13	हाई स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1000000
182.	बोर्सद तालुका मुस्लिम ऐजुकेशन ट्रस्ट, बोरस 388540, जिला- आनंद	2012-13	स्कूल के लिए कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण खरीदने हेतु	2500000
183.	फैज चेरिटेबल ट्रस्ट, बापुनगर, शितल चर रस्ता, रंदेर रोड, की सुरत	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1500000
हरियाणा				
184.	ग्रामीण बाल विकास एवं ऐजुकेशन समिति, नीम्का, दी पुनहाना, डाकघर, बिछोर, जिला मेवात	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1500000
185.	मो. समसुद्दीन एजुेशन एंड सोसल सोसाइटी, ग्राम-दिहारा, डाकघर तौरू, जिला मेवात	2012-13	हाई स्कूल भवन के निर्माण हेतु	2000000
झारखंड				
186.	चक्रधरपुर मिल्लत एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, मेन रोड, डाकघर चक्रधरपुर, डब्ल्यू सिंधमूम	2012-13	हाई स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1000000
187.	हिजरत मुनाम पक तालिमी मिश्न, हजारी बाध	2012-13	50 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1500000
कर्नाटक				
188.	नूर एजुकेशन ट्रस्ट, नूर कॉलोनी, एनआर, होर्टीकल्चर सेंटर, हलादकेरी, हैदराबाद रोड, जिला बिदर	2012-13	50 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
189.	द हुडा ऐजुकेशनल सोसाइटी, कोल बाजार, बेलारी	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	1000000
190.	वोकेशनल एजुकेशन सोसाइटी, पूरानी जेवारगी रोडद्व गुलबर्ग	2012-13	आईटीआई भवन के निर्माण हेतु	1000000
191.	दिखमय-उल-मुस्लमीन, जम्बुनाथ रोड, रहमत नगर, होसपेट, जिला-बेलारी	2012-13	डीएड कॉलेज भवन के विस्तार हेतु	1000000

1	2	3	4	5
192.	दी बिजापुर जिला सोसियो-इकोनोमिक एंड कल्चरल एसोसिएशन (एईसीएबी एसोसिएशन) नौबाग, बिजापुर	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला उपकरण की खरीद	290000
193.	माइनोरिटिज वूमन मल्टीपरपस सोसाइटी एंड रूरल सोसल वेलफेयर ट्रस्ट, कलकेरी सिदगी, जिला बिजापुर	2012-13	आईटीआई (वीटीसी) भवन के निर्माण हेतु	1000000
194.	जफारिया एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, पोटेनहाल्ली, गौरीबदनूर तालूक, जिला चिकबालपुर-561213	2012-13	30 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	1000000
195.	अल-फारूक एजुकेशन सोसाइटी (मार्फत, अल-फारूक प्री-प्राइमरी, हाईयर प्राइमरी एंड हाई स्कूल) तहसील-ऑफिस के पीछे, अलांद, जिला-गुलबर्ग-582302	29.09.11	हाई स्कूल भवन का विस्तार हेतु	1000000
196.	सेंट टेक इंगलिश स्कूल नं. 566, द्वितीय मेन, कुशाल नगर, के.जी. हॉल, बेंगलोर	28.02.12	हाई स्कूल भवन का विस्तार हेतु	2000000
197.	जामिया नदविया ट्रस्ट, सलाह नगर, डाकघर एदवाना जिला-मल्लापुरम	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन निर्माण हेतु	3000000
198.	तलीमुल इस्लाम ट्रस्ट, डाकघर, प्यागाड़ी, जिला कन्नूर	2012-13	आईटीआई हेतु औजार/उपकरण के खरीद हेतु	800000
199.	अल-अमन एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, मार्फत अल-अमीन पब्लिक स्कूल पथानापुरम, जिला कोल्लम	2012-13	हाई स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1000000
200.	मनारूल हुडा ट्रस्ट, पी.बी. नं. 5829, इमके मंजिल, कल्लाटुमुक्का, मनाकुड, त्रिवंतपुरम	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	300000
201.	मखदुमिया इस्लामिका समसकारिका कॉम्पलेक्स कमेटी, अथानिक्कल, डाकघर वेल्लुवमबराम, जिला-मलापुरम	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
202.	जेएंडके एजुकेशनल एंड चेरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डाकघर करूपादन्ना, जिला त्रिस्सुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1500000
203.	अल-अजहर मुस्लिम एजुकेशनल चेरिटेबल सोसाइटी, माला, जिला-त्रिस्सुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1500000
204.	अल्लूर एजुकेशनल इस्लाम संघम, डाकघर करूवधिरूधी, फरोकी, डी. कालीकट	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के विस्तार हेतु	1500000

1	2	3	4	5
205.	करूवंधिरूथी खिदमाथुल इस्लाम संघम, डाकघर, करूवधिरूधी, फरोकी, डी. कालीकट	2012-13	प्रायमरी स्कूल भवन का विस्तार हेतु	600000
206.	मजमा मलाबर अल-इस्लामी, रहमथ नगर, डाकघर कवनुर-673644, जिला-मलापुरम	2012-13	बीएड कॉलेज भवन का विस्तार	1500000
207.	ओचिरा थानवीरूल इस्लाम 'संगम ट्रस्ट, डाकघर, ओचिरा, जिला-कोल्लम-60526	2012-13	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का विस्तार	1500000
208.	सलाफी चेरिटेबल ट्रस्ट, मार्फत नरिक्कूनी इंगलिश मीडियम स्कूल, डाकघर पुन्नूर चेरीपलम, नरिक्कूमी, जिला-कोजिकोड-678585	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
209.	नरूकरा पत्ततकुलम, हयाथुल इस्लाम संगम, डाकघर, नरूकरा मंजेरी, जिला-मलापुरम-676121	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
210.	मंजेरी थूरक्कल हिदाथुल मुस्लिमीन संगम, थूरूवक्ल, डाकघर, मंजेरी, जिला मलापुरम-676121	2012-13	आईटीआई हेतु औजार/उपकरण/ मशीनरी की खरीद	800000
211.	एरियाकोड एजुकेशनल ट्रस्ट, डाकघर एरियाकोड, अरनाद, जिला-मलापुरम-673639	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
212.	कुनियित हुमाथुल इस्लाम संगम, कुनियिल, डाकघर किजुपराम्बा, वाया-एरियोकोड, जिला-मलापुरम-373639	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
213.	इस्लामिक डेवलपमेंट कॉसिल (आईडीसी) मार्फत आईडीसी इंगलिस स्कूल, ओरूमनयूर, डाकघर, चवाक्कड़, जिला-त्रिसुर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
214.	पनामराम इस्लामिक एंड एजुकेशनल सोसाइटी (पीआईसीईएस), मार्फत क्रिसेंट पब्लिक हाई स्कूल, डाकघर, पनामराम, जिला-वेयनाद	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
215.	कन्नूर एसोसिएशन ऑफ सोसल एंड इकानोमिक रेफर्स ट्रस्ट (एओएसईआरन चेरिटेबल ट्रस्ट) कोसेर कॉम्पलेक्स, चालटेक्स जंक्शन, पोस्ट बाक्स नं. 439, जिला-कन्नुर-670002	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000

1	2	3	4	5
216.	चेरूकरा मनफौल उलूम इस्लामिक कॉम्पलेक्स कमेटी, मार्फत एमआईसी इंगलिश मीडियम सेकेंड्री स्कूल डाकघर चेरूकरा, परितालमन्ना, जिला मलपुरम	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
मध्य प्रदेश				
217.	अभिलाषी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक समिति, मचना कॉलोनी, भोपाल	2012-13	बीएड कॉलेज भवन का विस्तार	1500000
218.	नव हिंद महिला एवं बाल विकास समिति, मार्फत हैप्पी मेमोरियल हाई स्कूल, हरयापुरा रोड, जिला-शजापुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	2500000
219.	ब्राइट एजुकेशनल, टेक्नीकल एंड ओकेशनल सोसाइटी, 43 विक्रम नगर, कन्या महाविद्यालय के पीछे, उज्जैन रोड एटावा, जिला-देवास	2012-13	प्रयोगशाला/कम्प्यूटर उपकरण की खरीद	250000
220.	अंजुमन नुरूल इस्लाम शिक्षण समिति, नागोरी कॉलोनी, महिदपुर, जिला-उज्जैन	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
महाराष्ट्र				
221.	हुसामिया एजुकेशन सोसाइटी, कामप्टे रोड, शांतिनगर, नागपुर (एमएस)	2012-13	कम्प्यूटर/प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	125000
222.	ताज एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर ट्रस्ट, मार्फत उर्दू हाई स्कूल, तकली आरआर खुल्दाबाद, जिला-औरंगाबाद	2012-13	हाई स्कूल भवन के विस्तार हेतु	2000000
223.	सुफा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, 39ए, गुलकाड़ा प्रोफेसर कॉलोनी, हिमायत बाध, जिला-औरंगाबाद	2012-13	बीएड कॉलेज भवन का विस्तार	1500000
224.	नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, मार्फत नेशनल इंडस्ट्रीय ट्रेनिंग सेंटर, रेलवे ओवर ब्रिज के पास, शिवाजी नगर, डी. नंदेद	2012-13	आईटीआई के लिए मशिनरी/औजार/ उपकरण की खरीद हेतु	800000
225.	अमिना ग्रामीण विकास संस्थान, प्लॉट नं. 5, टकली लाइन पुलिस के पीछे डाकघर के पास, जफर नगर, जिला-नागपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	2500000
226.	सेट्रल इंडिया सार्वजनिक वकानली, सदर बाजार, जिला-नागपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	800000

1	2	3	4	5
227.	मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तानी शिक्षण संस्था, शिरूर (ताजबाद), अहमेदपुर, जिला-लतुर	2012-13	कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण हेतु खरीद	200000
228.	भिवांडी विवर्स एजुकेशन सोसाइटी समद नगर, कनेरी, भिवांडी, जिला-थाने	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	300000
229.	डॉ. अल्लामा इक्बाल एजुकेशन सोसाइटी, लादखेड, तालुक करवहा, जिला-वयतमाल	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	200000
230.	हबीब एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, हबीब एजुकेशनल कॉप्लेक्स, एमएच मोहनी रोड, कौसा, मुमब्रा जिला-थाने	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	300000
231.	नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, मार्फत एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, मोहल्ला-मुजवार, जिला-नंदुरबार	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	500000
232.	फादर स्टीफन अकादमी, मार्फत फादर स्टीफन अकादमी स्कूल, गिरिज वसाई, जिला-थाने	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	250000
233.	अंजुमन तहजीब-उल-अखलाकी, मार्फत तहजीब हाई स्कूल, एसएन 221/22, तहजीब नगर, मालेगांव, जिला-नासिक	2012-13	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
234.	धवादवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी, धवादवाड़ी, जाट, जिला-संगली	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
235.	कोदरिया एजुकेशन एंड सोसल वेलफेयर सोसाइटी, मार्फत तहजीब उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, पीर मुसा कादरी नगर, वालिसगांव , जिला-जलगांव	2012-13	स्कूल के लिए प्रयोगशाला/कम्प्यूटर उपकरण की खरीद	500000
236.	अब्दुल मजीद सेंट्रल एजुकेशन सोसाइटी, 502, अमर सज्जन टावर, डी नागपुर	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन के निर्माण हेतु	3000000
237.	मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, तालुक पुसद, तिलक वार्ड मुसाद, जिला-यवातमल-445204	2012-13	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
238.	मुस्लिम यूथ वेलफेयर ऐसोसिएशन, 95/6, आईएलएच कॉलोनी, जिला-नंदेद-431602	2012-13	30 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	1000000
मणिपुर				
239.	दी मौलवैफेई रूरल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर, मोलवेफेर्ड, जिला-चुराचांदपुर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	1000000

1	2	3	4	5
240.	चिल चिल एसियन मिशन सोसाइटी, केम्पस जिला-कंगलटंगबी	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
241.	दी सोसल डेवलपमेंट एंड रिहेबिटेशन काउंसिल, मार्फत इमिदा पब्लिक स्कूल, फेदेद, डाकघर एंड जिला-थोबाल-795138	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
	मेघालय			
242.	दी सेल्सीयन सिस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ओक्सीलियम कानवेंट नॉगथयम्मी, शिलॉग	2012-13	उच्चतर माध्यम स्कूल भवन का विस्तार	1500000
	नागालैंड			
243.	लिमा अयर मेमोरियल स्कूल, लिंगरिजन, जिला-दिमापुर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	2500000
244.	विजन होम क्लब, मार्फत विजन होम उच्च माध्यम स्कूल, दिफुपर (4वां माइल), सेंट्रल जेल रोड, दिमापुर	2012-13	उच्चतर माध्यम स्कूल भवन का विस्तार	1500000
	ओडिशा			
245.	डिलिगेंट एक्शन ग्रुप फोर नेगलेक्टैंड इंफोर्म एंड इकोनोमिकली लॉ फोर ऑल राउंड सलवेशन (डीएएनाईईएलएस), शास्त्रीनगर, डाकघर, ब्रजराजनगर, जिला-झारेगुदा	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
	राजस्थान			
246.	दारूल उल्लूम फैज सिद्दीकी (संनिया सनफिया) संस्थान, ग्राम सुजान का निवान, डाक नवातला (बकसर) तहसील-चौतन, जिला-बरमेर	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
247.	इकरा मानव सेवा संस्थान, मार्फत राजस्थान पब्लिक स्कूल, ग्राम एवं पोस्ट-कैथवारा, तहसील-पहाड़ी, जिला-भारतपुर-3210241	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
	तमिलनाडु			
248.	सरकेंस एजुकेशनल सोसाइटी, सतकेंस बिल्डिग, 51, शिवगंगा रोड, जिला-मदुराई	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1200000
249.	पोपुलर एजुकेशनल ट्रस्ट, केप रोड, इदालकुडी, कोटटर, नगेरकोल, डी. बल्लिउर	2012-13	बीएड कॉलेज भवन का विस्तार	1500000

1	2	3	4	5
250.	डॉ. रहमान ट्रस्ट, मार्फत मुन्ना आस्ट्रलियन मैट्रिकुलेशन हाइयर सेकेंड्री स्कूल, नं. 22/10, गुम्मथ पल्ली स्ट्रीट, परानगिपेट्टी, जिला-गुदालोर-608502	2012-13	50 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	1500000
	उत्तराखंड			
251.	इदारा शबाब इस्लामी, लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, मेहुवाला माफी, जिला-देहरादून	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
252.	होली मेरी स्कूल समिति, मार्फत होली मेरी स्कूल, ग्रीन पार्क (ब्रह्मपुरी), निरजंनपुरा मजरा, जिला-देहरादून	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
253.	सर सईद अहमद खान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, मोहल्ला पश्चिमी छिपियन, शहर-जसपुर, जिला-यूएस नगर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000
254.	मदरसा जिया-उल्लूम समिति, मोहल्ला-नई बस्ती, जसपुर, जिला-यूएस नगर-244712	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
255.	सिद्दीकी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, मोहल्ला-अली खान, काशीपुर, जिला-यूएस-नगर-244713	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
	उत्तर प्रदेश			
256.	मिर्जा अनवर बेग एजुकेशनल सोसाइटी, उसेरहता, शाहगंज, जौनपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1500000
257.	एम.बी. एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी, रंधना इनयातपुर, किथोर डी. मेरठ	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1000000
258.	रशीद मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी, खुर्जा जिला-बुलंदशहर	2012-13	मीडिल स्कूल के लिए प्रयोगशाला उपकरण की खरीद हेतु	200000
259.	इराम एजुकेशनल, कल्चरल एवं सोसल वेलफेयर सोसाइटी, मार्फत इराम पब्लिक स्कूल, अजाद नगर, शहर एवं पोस्ट तामबीर, जिला-सीतापुर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1000000
260.	वीर अब्दूल हमीद स्मारक शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम हथौड़ा, डाकघर बलदोई, दी महवान, जिला-मथुरा	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000

1	2	3	4	5
261.	मदरसा हदीसुल कुरान सोसल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस सोसाइटी, कस्बा, लालियाना, जिला-मेरठ	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1000000
262.	इकरा पब्लिक स्कूल एंड वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट खैराबाद, डी. मऊ	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
263.	शमसुद्दीन मेमोरियल शिक्षा ग्रामीण विकास संस्था, ग्राम सीलपुर, पोस्ट कुदर्की, जिला-मुरादाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000
264.	खान मेमोरियल पब्लिक स्कूल समिति, ग्राम खान गाटिया बंदिया, पोस्ट-टिलीयापुर, सी.बी. गंज, जिला-बरेली	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
265.	मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट-लालियाना, जिला-मेरठ	2012-13	उच्चतर स्कूल भवन का विस्तार एवं स्कूल के लिए प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु	1800000
266.	मिर्जा अनवर बेग चेरिटेबल ट्रस्ट, इरेकियाना, शाहगंज, जौनपुर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
267.	अब्दुल गफ्फार हाशमी इंटर कॉलेज एसोसिएशन, ग्राम एवं पोस्ट-साहदुल्लाह नगर, जिला-बलरामपुर	2012-13	100 बैडछात्रवास भवन का निर्माण	3000000
268.	इमामिया एजुकेशनल सोसाइटी, ए-ब्लॉक, जीटीबी-नगर करेली, जिला-अहमदाबाद	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार हेतु	1500000
269.	मजीदिया सोसाइटी, मार्फत मजीदिया पब्लिक स्कूल, ईदगाह रोड, सरधाना, जिला-मेरठ	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
270.	जंता पब्लिक स्कूल सोसाइटी, डियोरानिया जिला बरेली	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
271.	मुर्तजा जैदी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल सोसाइटी, 6 माहसिन मंजिल (पुरानी कोठी) जैदी फर्म, जिला-मेरठ	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
272.	रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्राम धेंधेयपुर, पोस्ट- तराबगज, डी. गोंडा	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	600000
273.	डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल शिक्षा समिति, ग्राम एवं पोस्ट-खुजनापुर, जिला-सहारनपुर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	1500000

1	2	3	4	5
274.	हकिमुल उम्मत एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट परवर, जिला सुल्तानपुर	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार हेतु	600000
275.	अंब्बासी चेरिटेबल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, कैल्सा रोड, अमरोहा, जिला-जैपी नगर	2012-13	बीएड कॉलेज भवन के विस्तार हेतु	1500000
276.	अससान एजुकेशनल डेवलपमेंट एवं वेलफेयर सोसाइटी, कस्बा एंड पोस्ट-मुबारकपुर, तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़	2012-13	प्राइमरी स्कून भवन के विस्तार हेतु	600000
277.	मोहम्मद हसन एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट-उमरी, जिला-बिजनोर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1500000
278.	जफर 'मेमोरियल गर्ल्स एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट-जगनपुर, जिला-फैजाबाद	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1500000
279.	सनरियास पब्लिक स्कूल समिति, सी-506, यशोदा नगर, जिला-कानपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन के विस्तार हेतु	2500000
280.	किरासत ग्राम विकास एवं शिक्षा संस्थान, ग्राम-देवरिया शुमली, डाकघरः खास, तहसील-सदर, जिला-रामपुर	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण हेतु	1000000
281.	प्रगति माडर्न स्कूल समिति, ग्राम धनीरी, तहसील-स्वार, जिला-रामपुर	2012-13	मीडिल स्कूल भवन के विस्तार हेतु	800000
282.	अब्दुल रहमान शिक्षा समिति, ग्राम रामपुर शाहपुर, ब्लॉक चंदीस, तहसील-घबाना, जिला-अलीगढ़	2012-13	मीडिल स्कूल भवन के विस्तार हेतु	800000
283.	गुरू तेग बहादुर एजुकेशनल सोसाइटी, पोवायान रोड, बंदा, डी, शाहजहांनपुर	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन के निर्माण हेतु	3000000
284.	सिराजे हिंद एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट-मुर्की, केराकट, जिला-जौनपुर	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1500000
285.	शलेश जन कल्याण समिति, ग्राम-नगदिनपुर, पोस्ट-बराइपुर, जिला-फतेहपुर	2012-13	हाई स्कूल भवन के विस्तार हेतु	1000000
286.	अब्दुल रशीद समाज सेवा समिति, मिलाक अमाती, पीपीओ, दिलारी, जिला-मुरादाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन के विस्तार हेतु	800000
287.	फाउंडेशन फोर सोसल केयर, 173/35, दूसरा तल, डॉ. बी.एन. वर्मा रोड, अमिनाबाद, जिला-लखनऊ-226018	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000

1	2	3	4	5
288.	लिटिल नेस्ट पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट-जरगांव, जिला-बाराबंकी-225416	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
289.	नरियल हूर मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट-कोसाइगंज, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
290.	लिन्ह सन बुद्धिस्ट दॉग फाप इंटरमीडिएट कॉलेज सोसाइटी, इम्पेरियल हॉटल के सामने, गांव एवं पोस्ट-कुशीनगर, जिला-कुशीनगर-274403	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
291.	वीकर सेक्सन एजुकेशनल एवं कॉमन वेलफेयर सोसाइटी, शहर एवं पोस्ट-कुदेरकी, तहसील-बिलारी, जिला-मुरादाबाद	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का विस्तार	1500000
292.	मुखिया शब्बिर एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम वकारपुर, अत्यान, पोस्ट-बहेरी ब्रह्मा-नान, जिला-मुरादाबाद-244402	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
293.	मुस्लिम फंड कोपागंज, मार्फत हबीब उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मदानी मंजिल, चमन रोड, कोपालगंज, घौसी, जिला-मऊ-275305	2012-13	प्रयोगशाला उपकरण एवं कम्प्यूटर की खरीद	140000
294.	इकबाल गफूर पब्लिक स्कूल समिति, मंझौला बिल्लोच, पोस्ट एवं ब्लॉक-नूरपुर, जिला-बिजनौर-246727	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
295.	एआईए एजुकेशनल सोसाइटी, अखतेर भवन, 36, तवेला स्ट्रीट, गोकुलदास डिग्री कॉलेज के पास, जिला-मुरादाबाद-244001	2012-13	100 बेड छात्रास भवन का निर्माण	2500000
296.	नसीरन मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत जनता डिग्री कॉलेज, डाकघर नूरपुर, जिला बिजनौर-246734	2012-13	छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
297.	सिटिजन केयर एवं उपलिफ्टमेंट फाउंडेशन, मार्फत डिसेंट कोलेजिएट, हुदा तलब पोस्ट ककोरी जिला-लखनऊ	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण	1000000

1	2	3	4	5
298.	अब्दुल रूफ खान शिक्षा समिति, कार्फत अब्दुल रूफ खान मेमोरियल जुनियर हाई स्कूल, ग्राम शर्फाबाद, पोस्ट-जराई, जिला-फरूखाबाद-209739	2012-13	मीडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000
299.	जनता पब्लिक स्कूल समिति, मार्फत एचकेएस उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ग्राम उसमानपुर, पोस्ट-सूल्तानपुर, जिला मुरादाबाद-244001	2012-13	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
300.	एक्ता प्राथमिक विद्यालय समिति, मार्फत अब्दुल हकिम मेमोरियल इंटर कॉलेज, ग्राम सुल्तानपुर मुंडा, पोस्ट सहासपुर, तहसील-ठाकुर द्वारा, जिला-मुरादाबाद	2012-13	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
301.	मोहाद्दिसे-अजम मिशन स्कूल, समिति, किचौचा शरिफ, जिला अम्बेडकर नगर	2012-13	हाई स्कूल भवन का निर्माण	1000000
302.	सुबेदार अलाउदीन एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मार्फत दुबंद उनानी मेडिकल कॉलेज, मोहल्ला-नया बंस, तलहेरी चुंगी के पास, बंद, जिला सहारनपुर-247554	2012-13	जिला मुजफ्फरपुर, ग्राम हरसोली में नेशनल पब्लिक स्कूल भवन का विस्तार	800000
303	मुस्लिम एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर एसोसिएशन, मार्फत दुबंद उनानी मेडिकल कॉलेज, मोहल्ला-नया बंस, तलहेरी चुंगी के पास, दुबंद, जिला-सहारनपुर-247554	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
304.	तहिरा बेगम मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, 93/103, बी-सीत्र बंकर कॉलोनी, नरई बांध, पोस्ट-मऊनाथ-भंजन, जिला-मऊ-275101	2012-13	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	500000
पश्चिम बंगाल				
305.	मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, 40/4बी, इकबालपुर लेन, कोलकता	2012-13	50 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	1500000
	योग			402450000

नोट: वर्ष 2010-11 के दौरान कोई सहायता अनुदान मंजूर नहीं किया गया था।

विवरण II

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

पिछले तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13) के दौरान राज्य-वार स्वीकृत छात्रवृत्ति का सार

राशि (लाख रुपये में)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		योग	
		छात्राओं की सं.	राशि	छात्राओं की सं.	राशि	छात्राओं की सं.	राशि	छात्राओं की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0.24	0	0.00	0	0.00	2	0.24
2.	आंध्र प्रदेश	924	110.88	903	108.36	1323	158.76	3150	378.00
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0.00	2	0.24	0	0.00	2	0.24
4.	असम	429	51.48	487	58.44	717	86.04	1633	195.96
5.	बिहार	1425	171.00	1490	178.80	2642	317.04	5557	666.84
6.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	18	2.16	18	2.16
7.	छत्तीसगढ़	13	1.56	5	0.60	4	0.48	22	2.64
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00	1	0.12	0	0.00	1	0.12
10.	गोवा	5	0.60	3	0.36	2	0.24	1	01.20
11.	गुजरात	610	73.20	604	72.48	877	105.24	2091	250.92
12.	हरियाणा	28	3.36	16	1.92	42	5.04	86	10.32
13.	हिमाचल प्रदेश	1	0.12	0	0.00	0	0.00	1	0.12
14.	जम्मू और कश्मीर	7	0.84	10	1.20	33	3.96	50	6.00
15	झारखंड	556	66.72	539	64.68	718	86.16	1813	217.56
16.	कर्नाटक	546	65.52	1015	121.80	1488	178.56	3049	365.88
17.	केरल	2338	280.56	2318	278.16	3330	399.60	7986	958.32
18.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19.	मध्य प्रदेश	400	48.00	483	57.96	731	87.72	1614	193.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	महाराष्ट्र	1394	167.28	1476	177.12	2230	267.60	5100	612.00
21.	मणिपुर	11	1.32	43	5.16	41	4.92	95	11.40
22.	मेघालय	4	0.48	4	0.48	6	0.72	14	1.68
23.	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24.	नागालैंड	0	0.00	15	1.80	2	0.24	17	2.04
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	228	27.36	228	27.36	332	39.84	788	94.56
26.	ओडिशा	43	5.16	39	4.68	87	10.44	169	20.28
27.	पुदुचेरी	10	1.20	15	1.80	4	0.48	29	3.48
28.	पंजाब	1685	202.20	215	25.80	167	20.04	2067	248.04
29.	राजस्थान	561	67.32	636	76.32	680	81.60	1877	225.24
30.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31.	तमिलनाडु	1176	141.12	1230	147.60	1802	216.24	4208	504.96
32.	त्रिपुरा	3	0.36	0	0.00	2	0.24	5	0.60
33.	उत्तर प्रदेश	3676	441.12	3909	469.08	5791	694.92	13376	1605.12
34.	उत्तराखंड	32	3.84	38	4.56	77	9.24	147	17.64
35.	पश्चिम बंगाल	1219	146.28	1976	237.12	2010	241.20	5205	624.60
	कुल	17326	2079.12	17700	2124	25156	3018.72	6018	27221.84

विवरण III

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रावास के लिए स्वीकृत सहायता अनुदान के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों के नाम एवं पते	स्वीकृति वर्ष	सहायता के उद्देश्य	संस्वीकृत सहायता-अनुदान (रुपये में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	सिस्टर केयर एजुकेशन सोसाइटी, 2-14-151, श्यामला नगर, रेलवे गेट के पास, जिला-गुन्टूर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000

1	2	3	4	5
2.	ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल सोसाइटी, मेन रोड, कंगाला जिला-गुन्टूर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
3.	मुस्लिम माइनोरिटीज एजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, विजयनगर जिला हैदराबाद	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
अरुणाचल प्रदेश				
4.	जीरो वैली चैरीटी मिशन सोसाइटी, मार्फत जीरो वैली स्कूल, ग्राम-लेमपीया, डाकघर-जीरो, जिला-लोअर सुबनसीरी	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
असम				
5.	पथराकंडी कॉलिज ऑफ एजुकेशन, डाकघर-पथराकंडी, जिला-करीमगंज-788724	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	1000000
6.	नॉर्थ ईस्ट पारामेडिकल एंड नरसिंग इंस्टीट्यूट, मार्फत नेपनी स्कूल ऑफ नरसिंग, अम्बीका मनसन, हाथीगांव मेन रोड, दिसपुर, जिला-गुवाहाटी	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
बिहार				
7.	कायनात फाउनडेशन, मार्फत कायनात इंटर कॉलेज, कायनात नगर, काको, जिला-जहांनाबाद-804418	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	1470000
8.	अल्पसंख्यक विकास परिस्थान केन्द्र नालंदा कघजी मोहल्ला, बिहार शरिफ, जिला-नालंदा (बिहार)	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
9.	इदरा फलाहुल मुस्लेमिन, फुलवारी शरिफ, पटना (बिहार)	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन निर्माण हेतु	3000000
गुजरात				
10.	पीर हाजी अलीशाह बुखारी हाई स्कूल समाखीयाली ट्रस्ट, नेशनल हाईवे, नं. 8, चार रास्ता के पास, समाखीयारी, ता. भचाउ, जिला-कच्छ	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	1000000
11.	दारूल उलूस फैजूर-रहमान ट्रस्ट, वृद्धाश्रम के सामने, आरटीओ, रोड, जूनागढ़-362001	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000

1	2	3	4	5
हरियाणा				
12.	चौ. अजमत खान मेमोरियल हुमन वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम, नीमखेरा, अलीपुर, टीगरा, तहसील-फिरोजपुर झिरका, जिला-मेवात-122104	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	1000000
झारखंड				
13.	अबदुर रज्जाक अंसारी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, इरबा, ओरमांझी, जिला-रांची-835238	20.07.10	छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
14.	हजरत मुनाम पक तालिमी, मिशन, हजारी बाग	2012-13	50 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	1500000
कर्नाटक				
15.	सकाफिया मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी विवेकानंद नगर, गडग	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	1000000
16.	आफताब एजुकेशन ट्रस्ट, यरमारूस कैम्प, जिला-रायचुर	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	3000000
17.	आजाद एजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत अबुल कलाम आजाद हाई स्कूल, अथाली-591304 बेलगाम	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	3000000
18.	अर-रेहान एजुकेशनल ट्रस्ट, अस्सार मोहल्ला, सिरा, जिला-टुमकुर	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	1000000
19.	एमएमयू ट्रस्ट, कोनकनी डोडी, रामादेवरा बेटा रोड, रामानागराम, जिला-बैंगलोर	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	1000000
20.	पिपल्स एजुकेशन सोसाइटी एवं ट्रस्ट, शैख कैम्पस, नेहरू नगर, जिला-बेलगांम-590010	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	3000000
21.	नूर एजुकेशन ट्रस्ट, नूर कॉलोनी, एनआर, होर्टीकल्चर सेंटर हलादकेरी, हैदराबाद रोड, जिला-बिदर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	1000000
22.	द हुडा एजुकेशनल सोसाइट, कोल बाजार, बेलारी	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	1000000
23.	जफारिया एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, पोटेनहाल्ली, गौरीबदनूर तालूक, जिला-चिकबालपुर-561213	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	1000000

1	2	3	4	5
केरल				
24.	इस्लामिया एसोसिएशन, चेननामअंगलुर, मुक्काम, कालिकट	2011-12	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	30000000
25.	अंसारूल इस्लाम चेरिटेबल ट्रस्ट, मार्फत मरकाजुल उलूम इंग, स्कूल-पोस्ट-कोनडोटी-मल्लापुरम	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
26.	मंकदा अनाधा सला संघम, मार्फत मुफीद अल उलूम अराबिका कॉलेज, पो-मंकदा, मल्लापुरम	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	1000000
27.	कोपम मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, पो.-पुलासेरी, कोपम, पलाक्कड	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण	1000000
28.	मुस्लिम कल्चरल ट्रस्ट, पो.-मेलमुरी, जिला-मल्लापुरम	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण	3000000
29.	कुमारनेलुर इस्लाहिया अराबिक कॉलेज एंड ऑरफेनेज कमिटि, मार्फत इस्लाहिया ऑरफेनेज स्कूल, कुमारनेलुर, पोस्ट-अंगडी, पलाक्कड-679552	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण	1500000
30.	जामिया नदविया ट्रस्ट, सलाह नगर, डाकघर एदवाना जिला-मल्लापुरम	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
31.	मखदुमिया इस्लामिका समसकारिका कॉम्पलेक्स कमेटी, अथानिक्कल, डाकघर: वेल्लुवमबराम, जिला-मलापुरम	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
32.	इस्लामिक डेवलपमेंट कोंसिल (आईडीसी), मार्फत आईडीसी इंगलिश स्कूल, ओरूमनयूर, डाकघर चवाक्कड़, जिला-त्रिसुर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	1000000
महाराष्ट्र				
33.	वलावा तालुका बुधा सोसाइटी, वानलेसवादी हाई स्कूल, मार्फत वानलेसवादी, ता. मीराज, जिला-सांगली-416416	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण	3000000
34.	श्री उमाजीराओ सनामादीकर मेडिकल फाउनडेशन जाथ, जिला-सांगली-416404	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण	3000000
35.	अब्दुल मजीद सेंट्रल एजुकेशन सोसाइटी, 502, अमर सज्जन टावर, डी. नागपुर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000

1	2	3	4	5
36.	मुस्लिम यूथ वेलफेयर एसासिएशन, 95/6, आईएलएच कॉलोनी, जिला-नंदेद-431602	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	1000000
मणिपुर				
37.	कशुंग थोयीबा, लीनगेला एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर, पीबी नं. 38, फुंगरीटेंग, सर्किल रोड, जिला-उखरूल-795142	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण हेतु	3000000
38.	दी मौलवैफई रूरल हेल्थ एवं रिसर्च सेंटर, मोलवेफेई, जिला-चुराचांदपुर	2012-13	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	1000000
39.	चिल चिल एसियन मिशन सोसाइटी, केम्पस जिला-कंगलटंगबी	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	3000000
नागालैंड				
40.	लिमा अयर मेमोरियल स्कूल, लिंगरिजन, जिला-दिमापुर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	2500000
राजस्थान				
41.	दारूल उल्लूम फैज सिद्दीकी (संनिया सनफिया) संस्थान, ग्राम सुजान का निवान, डाक: नवातला (बकसर) तहसील-चौतन, जिला-बरमेर	2012-13	100 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	3000000
तमिलनाडु				
42.	टेक्ससिटि मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, टेक्ससिटी कैम्पस, पोडानुर मेन रोड, कोयमबेटूर-641023	2011-12	छात्रावास भवन के निर्माण	2500000
43.	डॉ. रहमान ट्रस्ट, मार्फत मुना आस्ट्रलियन मैट्रिकुलेशन हाइयर सेकेंड्री स्कूल, नं. 22/10, गुम्मथ पल्ली स्ट्रीट, परानगिपेट्टी, जिला-गुदालोर-608502	2012-13	50 बेड छात्रावास भवन का निर्माण	1500000
उत्तर प्रदेश				
44.	इरम एजुकेशनल सोसाइटी, सी-ब्लॉक, इंदिरा नगर, लखनऊ	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	1000000
45.	तसाद्दुक हुसैन मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत वसीम तुरकी मुस्लिम डिगरी कॉलेज, ग्राम-फतेहपुर मफी, पो.-पलोला, जिला-जे.पी. नगर-244222	2011-12	30 बेड छात्रावास भवन के निर्माण	1000000

1	2	3	4	5
46.	मदरसा निसवारूल उलूम शाहजादपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर-224122	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
47.	ए.एन. अम्बेडकर शिक्षा संस्थान, मार्फत-ए.एन. अम्बेडकर मैमोरियल जूनियर हाई स्कूल, ग्राम-मचारिया गांव, 506, यशोदा नगर, कानपुर	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
48.	शाहिद मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत शाहिद मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल, रवन चुंगी के पास, काबुलपुरा बदायूं-243601	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
49.	दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं निराशरित महिला उत्थान समिति, ग्राम व पोस्ट-इनहौना, सिंहपुर, टिलोइ, रायबरेली-229801	2011-12	छात्रवास एवं छात्रावास भवनों का निर्माण	3000000
50.	दारूल उलूम कादरी गुलशन ऐ बरकत, परासराई, पो.-इंतयाथुल, गोंडा	2011-12	छात्रवास भवन का निर्माण	2500000
51.	ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, मार्फत ऑक्सफोर्ड वीर अब्दुल हमीद हाई स्कूल, मो. फतेहउल्लाह गज, वार्ड नं. 19, ठाकुरद्वारा, जिला-मुरादाबाद-244601	2011-12	छात्रवास भवन का निर्माण	1300000
52.	मिर्जा अहसान उल्लाह बैग एजुकेशन एवं सोसल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट-अनजान-शहीद, जिला-आजमगढ़-276125	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
53.	स्वर्गीय अब्दुल जब्बार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, ग्राम और पोस्ट: अनजान-शहीद, जिला-आजमगढ़-276125 (उ.प्र.)	2011-12	लड़कियों हेतु 100 बेड वाले हॉस्टल का निर्माण	1000000
54.	हाजी अली जान खान मैमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट-शरीफ नगर, तहसील-ठाकुडवारा, जिला-मुरादाबाद-244602	2011-12	छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
55.	मुस्लिम प्रोग्रेसिव एंड एजुकेशनल काउनसिल ऑफ यू.पी. अबुल बरकत, देवबंद, जिला-सहारनपुर-247554	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
56.	एन. रहमान इलाहाबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी, नूरूल्लाह रोड, इलाहाबाद-211003	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
57.	महाराणा प्रताप बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, करवालपुर, जिला-फतेहपुर	2011-12	30 बेड छात्रवास भवन का निर्माण	1000000
58.	फ्रीडम फाईटर मौलाना हुसैन अहमद मदनी एजुकेशनल ट्रस्ट, मदनी मंजिल, मदनी नगर, देवबंद, जिला-सहारनपुर-247554	2011-12	छात्रवास भवन का निर्माण	3000000

1	2	3	4	5
59.	मिर्जा अनवर बेग चेरिटेबल ट्रस्ट, इरेकियाना, शाहगंज, जौनपुर	2012-13	30 बेड छात्रवास भवन का निर्माण हेतु	1000000
60.	अब्दुल गफ्फार हाशमी इंटर कॉलेज एसोसिएशन, ग्राम एवं पोस्ट-साहदुल्लाह नगर, जिला-बलरामपुर	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण हेतु	3000000
61.	गुरू तेग बहादुर एजुकेशनल सोसाइटी, पोवायान रोड, बंदा, डी. शाहजहांनपुर	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण हेतु	3000000
62.	इकबाल मफूर पब्लिक स्कूल समिति, मंझोला बिल्लोच, पोस्ट एवं ब्लॉक-नूरपुर, जिला-बिजनोर-246727	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण हेतु	3000000
63.	ए.आई.ए. एजुकेशनल सोसाइटी, अखतेर भवन, 36, तवेला स्ट्रीट, गोकुलदास डिग्री कॉलेज के पास, जिला-मुरादाबाद-244001	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण हेतु	2500000
64.	नसीरन मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, मार्फत जनता डिग्री कॉलेज, डाकघर, नूरपुर, जिला-बिजनोर-246734	2012-13	छात्रवास भवन का निर्माण	3000000
65.	मुस्लिम एजुकेशनल एंड सोसल वेलफेयर एसोसिएशन, मार्फत दुबंद उनानी मेडिकल कॉलेज, माहल्ला-नया बंस, तलहेरी चुंगी के पास, दुबंद, जिला-सहारनपुर-247554	2012-13	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण हेतु	3000000
उत्तराखंड				
66.	मदरसा गुलजार फरीद सोसाइटी, मार्फत एम.जी.एफ.एम. इंटर कॉलेज, दरगाह इमाम साहेब पीरन कलीयर, पो.-खास रूड़की, जिला-हरिद्वार	2011-12	100 बेड छात्रवास भवन का निर्माण हेतु	3000000
पश्चिम बंगाल				
67.	बेलुनी जनकल्याण संघा, पो.-दोहलाहट, ब्लॉक-कुलपी, जिला-साउथ 24 परगना	2011-12	50 बेड छात्रवास भवन का निर्माण हेतु	1500000
68.	मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, 40/4बी, इकबालपुर लेन, कोलकाता	2012-13	50 बेड छात्रवास भवन का निर्माण हेतु	1500000
योग				149270000

ग्रामीण सड़क संबंधी पैकेज

5029. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वनाच्छादित जनजातीय क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने तथा माओवादियों की पैठ समाप्त के लिए ग्रामीण सड़क संबंधी पैकेज मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किन्हीं मानदण्डों को शिथिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पैकेज को अंतिम रूप कब तक दे दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) और (ख) आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देकर और तदनुसार संवर्धित कृषि आय और उपयोगी रोजगार अवसरों का सृजन कर, जिसके फलस्वरूप वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जनजाति क्षेत्रों के 82 जिलों में, जैसा गृह मंत्रालय और योजना आयोग के द्वारा समेकित कार्य योजना के तहत अभिज्ञात किया गया है, गरीबी में सतत रूप से कमी लाने तथा विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधीन ग्रामीण सड़क संपर्कता ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस संबंध में, स्वीकृत कार्यों और आवंटित की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। गृह मंत्रालय और योजना आयोग के द्वारा समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत यथा निर्धारित जिलों में पीएमजीएसवाई कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में दी गई छूटों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार क एकबारगी विशेष हस्तक्षेप है। पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा पीएमजीएवाई के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, रख रखाव और स्वामित्व रखा जाता है। अत: ग्रामीण सड़कों का समय पर निर्माण तथा उसमें देरी के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें उत्तरदायी हैं।

विवरण I

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	स्वीकृत की गई सड़कों की संख्या	आबंटित निधि
1.	आंध्र प्रदेश	2846	2191
2.	बिहार	3300	5326
3.	छत्तीसगढ़	3370	4315
4.	झारखंड	2739	3249
5.	मध्य प्रदेश	3948	4725
6.	महाराष्ट्र	468	476
7.	ओडिशा	6702	9895
8.	उत्तर प्रदेश	726	689
9.	पश्चिम बंगाल	449	1084
	कुल जोड़	24548	31950

मार्च, 2013 तक की रिपोर्ट

विवरण II

समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों के लिए पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के तहत छूट

(i) अन्य क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) की तुलना में, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 250 और अधिक की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सभी बसावटें, चाहें वे अनुसूची-V क्षेत्रों में हैं या नहीं, कवरेज के लिए पात्र होंगी।

(ii) समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में, अन्य क्षेत्रों के लिए 50 मीटर की तुलना में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 75 मीटर तक के पुलों की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(iii) समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में संबंध में न्यूनतम निविदा पैकेज की राशि घटाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है।

(iv) समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में कार्य पूरा करने के लिए 24 माह तक की समय-सीमा की अनुमति दी गई हैं तथापि, यदि इस दौरान निर्माण से संबंधित वस्तुओं व सामग्रियों की कीमतों में कोई वृद्धि होती है तो उस अतिरिक्त दायित्व की पूर्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई कार्यक्रम निधि से नहीं की जाएगी।

(v) प्राकलनों और डीपीआर को तैयार करते समय, ठेकेदारों के संयंत्रों और मशीनरी इत्यादि के नुकसान अथवा आगजनी जैसे जोखिमों के लिए बीमा प्रीमियम की लागत को भी शामिल किया जाएगा।

(vi) अन्य राज्यों के मामलों में 50:50 के अनुपात के बजाय, इन क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट सड़क और बिटुमिनस सड़क के बीच लागत के अंतर को 90:10 के अनुपात में बांटा जाएगा। अन्य क्षेत्रों के संबंध में, 10% की तुलना में ज्यादा प्रभावित ब्लॉकों में कुल नई प्रस्तावित सड़कों के 20% तक ऐसे सीमेंट कंक्रीट सड़कों के प्रस्ताव स्वीकार किए जा सकते हैं।

(vii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आईएपी जिलों में चयनित सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि के विभाजन के लिए वन अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन सामान्य मंजूरी प्रदान की गई है और आदेश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

5030. श्री राजू शेट्टी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए वहां कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नियुक्तियां कब तक किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय मे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए वहां अधिकारियों को तैनात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उर्वरकों हेतु निगरानी प्रणाली

5031. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों के उत्पादन आदि हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई निगरानी प्रणाली इच्छित परिणाम देती हुई प्रतीत नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) उर्वरक विभाग द्वारा अपनाई गई उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस www.urvarak.co.in (मूल्य शृंखला में विभिन्न चरणों में उर्वरकों के उत्पादन, आयातित/स्वदेशी उर्वरकों के संचलन की निगरानी करता है। यह प्रणाली जिला स्तर तक देश में उर्वरकों के संचलन के समग्र प्रबधन को सक्षम बनाती है तथा सभी पणधारकों को उपलब्धता के संबंध में वास्तविक समय सूचना से सशक्त बनाती है।

सामान्यता इस प्रणाली द्वारा देश भर में उर्वरकों के उत्पादन का संयंत्र-वार पता लगाया जाता है।

(ग) उर्वरक संचलन में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए विभाग ने एमएफएमएस के जरिए जिले से खुदरा व्यापारी के अंतिम बिंदु तक उर्वरकों की ट्रैकिंग प्रदान करके अतिसक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है।

[हिन्दी]

रेक-स्थल

5032. श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरकों/वस्तुओं हेतु रेक-स्थल आबंटित करने के लिए रेलवे द्वारा अपनाए जाने वाले मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिलासपुर रेल-जोन के तहत नैला जांजगीर में बंद पड़ा रेक-स्थल उक्त मापदंडों को पूरा किए बिना ही स्थापित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त बंद रेक-स्थल हेतु उन जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या रेलवे का उक्त रेक-स्थल सहित देश के अन्य बंद रेक-स्थलों का पुनरुद्धार करने तथा वहां कार्य-प्रचालन शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे को विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश से और अधिक रेक-स्थल बनाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर रेलवे द्वारा की-गई-कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) यातायात संभाव्यताओं के जरिए परिचालनिक आवश्यकता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता, तकनीकी औचित्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उर्वरकों और अन्य सभी पण्यों के लिए रेक स्थल की योजना बनाई जाती है/पहचान की जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) नैला जांजगीर पर गुड्स शैड खुलने के बाद केवल कुछ रेकों का ही लदान किया गया था और उसके बाद से कोई मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। रेलवे ने उद्योग और भारतीय खाद्य निगम के साथ वार्ता के जरिए इस गुड्स शैड को चालू रखने के लिए प्रयास किए हैं। गुड्स शैड की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए अपेक्षित आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ङ) जी हां

(च) नौ स्थानों पर रेक स्थलों के निर्माण और विकास के लिए उत्तर प्रदेश से पूछा गया था। रेलों की टिप्पणियों सहित ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	स्टेशन/जिला	टिप्पणियां		परिणाम
		मौजूदा तंगियां	निकटवर्ती उपलब्ध रेक स्थल	
1	2	3	4	5
1.	गुरसहाय गंज/ कन्नौज	1. गुरसहाय गंज स्टेशन पर खुदागंज की ओर से सिंगल एण्ट्री के साथ 350 मीटर की हॉफ रेक साइडिंग मौजूद है। रेक सम्हलाई प्लेटफार्म की कम चौड़ाई (5.5 मीटर) के कारण ट्रक से सीधे लदान/उतराई संभव नहीं है। स्थान की अत्यधिक तंगियों के कारण प्लेटफार्म का विकास/विस्तार करना संभव नहीं है। 2. इस स्टेशन को आलू के लदान के लिए छह माह के लिए खोला गया था। दिनांक 28.12. 2006 के दर परिपत्र सं.341/2006 के तहत परन्तु इस अवधि में लदान की कोई भी पेशकश प्राप्त नहीं हुई।	इस समय कन्नौज जिले में कानपुर गुड्स शैड (गुरसहाय गंज से 102 कि.मी. दूर) और फर्रुखाबाद (गुरसहाय गंज से 37 कि.मी. दूर) से बिना किसी समस्या के उर्वरकों की सप्लाई की जा रही है।	व्यावहारिक नहीं।
2.	कासगंज/ कांशीराम नगर	यहां पूर्ण रेक सम्हलाई साइडिंग पहले से ही मौजूद है। पिछले वर्ष इस गुड्स शैड में कुल 11 रेकों की सम्हलाई की गई थी जिनमें 7 आवक (नमक)		पहले ही मौजूद है।

1	2	3	4	5
		और 04 जावक (मकई) रेकों की सम्हलाई शामिल है।		
3.	सिराथू/ शाम्बी	सिराथू में स्थान की तंगी के कारण रेक प्वाइंट सुविधा का निर्माण और विकास करना व्यावहारिक नहीं है।	1. निकटवर्ती गुड्स शैड फतेहपुर (सिराथू से 60 कि.मी. दूर) है, जहां प्रतिमाह केवल 6-7 रेकों की सम्हलाई होती है। इसलिए अतिरिक्त रेकों की सम्हलाई के लिए स्पेयर क्षमता उपलब्ध है। 2. नैनी एक अन्य निकटवर्ती गुड्स शैड है जो कि सिराथू से 62 कि.मी. दूर स्थित है, जहां प्रति वर्ष 30 रेकों की सम्हलाई होती है।	व्यावहारिक नहीं है।
4.	कारवी/ चित्रकूट		निकटवर्ती गुड्स शैड बांदा है जो कि 68 कि. मी. की दूरी पर स्थित है जहां पिछले वित्त वर्ष में प्रति माह 5 आवक रेक सम्हाले गए थे और अतिरिक्त रेकों को सम्हालने के लिए अतिरिक्त क्षमता मौजूद है।	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
5.	बरूआसु-मेरपुर/ हमीरपुर	बरूआ सुमेरपुर में 330 मीटर लंबा गुड्स शैड पहले से ही मौजूद है जहां 25 बीसीएन मालडिब्बे खड़े हो सकते हैं। इसे छह:छह माह की अवधि के लिए दो बार खोला गया था परन्तु किसी भी प्रकार के यातायात की पेशकश नहीं की गई थी। बांदा और भीमसेन के साथ दो प्वाइंट वाले कांबिनेशन प्वाइंट के रूप में 11.08.2011 से यातायात के लिए अभी भी खुला हुआ है।		अपर्याप्त यातायात के कारण वाणिज्यक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
6.	बागपत/ बागपत	यह उत्तर रेवले के दिल्ली मंडल के दिल्ली-शामली खंड पर 3 लाइन वाला स्टेशन है जहां दोनों लूप लाइनों पर आधी लाइन वाला प्लेटफार्म उपलब्ध है। लूप लाइन नं. 1 पर बागपत टाऊन की ओर से जा सकते हैं, जिसका केवल यात्री यातायात के लिए ही उपयोग किया जाता है। लूप लाइन नं. 3 पर आधी लाइन का प्लेटफार्म होने के अलावा सड़क पहुंच मार्ग भी उपलब्ध नहीं है जिससे कि फ्रेट सम्हलाई के जरिए इसका उपयोग किया जा सके।	शामली और गाजियाबाद दो कार्यशील गुड्स शैड हैं जो कि बागपत से क्रमशः 54 कि.मी. और 48 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं, जहां माल यातायात की सम्हलाई के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है।	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं।
7.	फफूंद/ औरैया	फफूंद में स्थान की तंगी के कारण रेक प्वाइंट सुविधा का निर्माण और विकास करना व्यावहारिक नहीं है।	निकटवर्ती गुड्स शैड इटावा [फफूंद से 56 कि. मी.] और सीपीसी [कानपुर-फफूंद से 80 कि. मी.] है।	व्यावहारिक नहीं है।
8.	रॉबर्टसगंज/ सोनभद्र	रॉबर्टसगंज स्टेशन को 04.10.2010 से 03.04.2011 तक माल यातायात के लिए खोला गया था परन्तु	रॉबर्टसगंज से निकटवर्ती रेक प्वाइंट चुनार है, जो कि 56 कि.मी. दूर है। यहां यह भी उल्लेखनीय	रासायनिक उर्वरकों की

1	2	3	4	5
		यहां न तो आवक यातायात और न ही जावक यातायात की कोई पेशकश की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध का सम्मान करते हुए रासायनिक उर्वरकों की सम्हलाई के लिए छह माह की अवधि के लिए प्रोयोगात्मक आधार पर 27.07.2012 से इसे पुनः खोला गया है।	है कि यदि यहां से अच्छी मात्रा में यातायात आता है तो भविष्य में इस स्टेशन को रेक सम्हलाई के लिए विकसित किया जा सकता है।	सम्हलाई के लिए छह माह की अवधि के लिए प्रयोगात्मक आधार पर 27. 07.2012 से इसे पुनः खोला गया है।
9.	जरवल रोड/ बहराइच	यह 4 मेन लाइनों वाला (02 मेन लाइन, एक अप लूप और एक डाऊन लूप) गोंडा-बाराबंकी मुख्य लाइन पर एक रोड साईड स्टेशन है।	जरवल रोड स्टेशन के आस-पास की 50 कि.मी. की परिधि में रेक सम्हलाई सुविधाओं वाले 4 स्टेशन हैं 1. गोंडा (46 कि.मी.) 2. गोंडा कचहरी (41 कि.मी.) 3. तहसील फतेहपुर (38 कि.मी.) सुभागपुर स्टेशन (जरवल रोड से 52 कि.मी. दूर) पर एक अन्य गुड्स शैड विकसित किया जा रहा है। गोंडा-बहराइच खंड का आमान परिवर्तन पहले ही स्वीकृत है। आमान परिवर्तन में, चिलवरिया स्टेशन पर एक गुड्स शैड विकसित किया जा रहा है जो कि बहराइच स्टेशन से केवल 12 कि.मी. दूर है। जरवल नगर में पूर्ण रेक प्वाइंट को विकसित करना न तो परिचालनिक रूप से आवश्यक है और न ही वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण है क्योंकि इसकी निकट परिधि में 4 गुड्स शैड उपलब्ध हैं और 2 अतिरिक्त गुड्स शैड विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

देश भर में गुड्स शैडों का क्षमता संवर्द्धन और उनमें सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। परिचालनिक आवश्यकता, वाणिज्यिक औचित्यता, तकनीकी व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तावों की जांच की जाती है। इनका औचित्य, यातायात संभाव्यताओं, निकटवर्ती क्षेत्रों में अन्य गुड्स शैडों की उपलब्धता और उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता पर निर्भर करता है। सभी भारतीय रेलों में गुड्स शैडों में सुधार लाने के लिए 1124.23 करोड़ रुपये की लागत पर 101 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन निर्माण कार्यों में 27.42 करोड़ रुपये की लागत पर पिछले दो वर्षों में स्वीकृत किए गए 5 कार्य शामिल हैं।

[अनुवाद]

रायरंगपुर स्टेशन

5033. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले रायरंगपुर रेलवे-स्टेशन की वर्तमान श्रेणी क्या है;

(ख) क्या यह सही है कि वहां आबंटित श्रेणी के अनुसार यात्री-सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वहां आबंटित श्रेणी के अनुसार सुविधाएं और व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) वर्ष 2011-12 में यात्री यातायात से आमदनी के अनुसार रायरंगपुर स्टेशन 'ई' कोटि के अंतर्गत आता है।

(ख) स्टेशन की कोटि के अनुसार इस स्टेशन पर न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव सुधार

5034. श्री नृपेन्द्र नाथ राय: *क्या* **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विधि आयोग ने देश में चुनाव सुधारों के संबंध में अपने सुझाव रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझावों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस बारे में आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या विशेषकर आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवारों की निरर्हता के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन भी विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) 20वें विधि आयोग से, निर्वाचन सुधारों पर 16 जनवरी, 2013 से तीन मास के भीतर ठोस सुझाव देने का अनुरोध किया गया था। तथापि, आयोग ने सूचित किया है कि निर्वाचन सुधारों पर सिफारिशों के लिए विधि आयोग, अन्य पणधारियों, जिने अंतर्गत निर्वाचन आयोग और राजनैतिक दल हैं, से गहन परामर्श अपेक्षित होंगे। विधि आयोग ने मुद्दे पर विचार-विमर्श आरंभ कर दिया है और सरकार को उनके सुझावों को शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जड़ोदा हाल्ट पर रेल ठहराव

5035. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने जड़ोदा जट गांव में रेल ठहराव की स्थापना हेतु कोई कदम उठाया है जो सहारनपुर-मेरठ मार्ग पर देवबंद रेलवे स्टेशन से 18 किमी. की दूरी पर स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे को इस संबंध में जन-प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) सहारनपुर-मेरठ रेल मार्ग पर देवबंद के निकट जड़ोदा जट हाल्ट स्टेशन चालू करने के संबंध में माननीय संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ था। प्रस्तावित स्थान पर हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था करना न तो परिचालनिक दृष्टि से और न ही वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य पाया गया है।

[अनुवाद]

पीएमजीएसवाई के नए चरण की शुरुआत

5036. श्री नलिन कुमार कटील:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दूसरे चरण की शुरुआत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) और (ख) जी, हां। गरीबी उपशमन कार्यनीति के तहत मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने और उसका उन्नयन करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II (पीएमजीएसवाई-II) का प्रस्ताव है।

(ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II (पीएमजीएसवाई-II) को अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसीलिए राज्यों को इस प्रयोजनार्थ निधियां आबंटित नहीं की गई है।

पोलावरम परियोजना

5037. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां। आंध्र प्रदेश की राजय सरकार ने अप्रैल 2009 में इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया है। परियोजना के रूप मे सम्मिलित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। ईएफसी ज्ञापन पर दिनांक 05.03.2010 को आयोजित ईएफसी बैठक में चर्चा की गई थी तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार परियोजना की वास्तविक लागत तथा परियोजना कार्यक्रम का पूर्वाकलन करे। अगस्त 2010 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना के संशोधित लागत प्राक्कलन 16010.45 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर 2010-11) को जनवरी 2011 में जी संसाधन मंत्रलय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार करने योग्य पाया गया। संशोधित लागत प्राक्कलन के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को योजना आयोग से निवेश क्लियरेंस प्राप्त करना है। योजना आयोग ने संकेत दिया है कि परियोजना के सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, कोई कार्रवाई करने से पूर्व मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेशों के लिए प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

लवणता मुक्त करने वाले संयंत्र

5038. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप में नौ स्थानों पर लवणता मुक्त करने वाले संयंत्रों को शुरू करने की राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां संयंत्र स्थापित किया गया है तथा उन पर कितना खर्च आया और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) ऐसे संयंत्रों की स्थापना हेतु आबंटित धनराशि तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संयंत्रों में से प्रत्येक संयंत्र की अनुमानित उत्पादन क्षमता का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) लक्षद्वीप द्वीपसमूह के कावरात्ती में पहला प्रदर्शक संयंत्र 2005 में चालू किया गया जिसके बाद 2011 में मिनीकॉय और अगात्ती में दो और विलवणीकरण संयंत्र चालू करने के लिए क्रमशः लगभग 5 करोड़ रुपये, 13 करोड़ रुपये और 21 करोड़ रुपये की लागत आई है।

(ग) व्यय के लिए आवश्यक अनुमोदन मिलने में विलंब और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के एंड्रोथ, कडमठ, अमीनी, चेंत्लेट, किल्तन और काल्पेनी में संयंत्रों की स्थापना से जुड़े कार्य को जारी रखने के लिए ठेकेदार द्वारा 55 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि मांगने के कारण कार्य स्थगित रहा। चूंकि, संविदा के अनुसार लागत वृद्धि की अनुमति नहीं है, मैसर्स केसीईएल के साथ संविदा की समाप्ति के लिए कार्यवाही और साथ ही साथ छह द्वीपसमूहों में विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए संशोधित लागत आंकलन के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य शुरू किया जा चुका है।

(घ) छह संयंत्रों की स्थापना करने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा जमा कराए गए 59.28 करोड़ रुपये में से अगात्ती और मिनिकॉय में दो संयंत्रों को पूरा करने और एंड्रोथ में संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रमुख उपकरण की आपूर्ति पर 42.55 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(ङ) कावरात्ती, मिनिकॉय, अगात्ती में स्थापित किए गए प्रत्येक एलटीटीडी संयंत्रों की उत्पादन क्षमता और अमीनी, चेंत्लेट, कड़मठ, काल्पेनी, किल्तन और एंड्रोथ में प्रस्तावित संयंत्रों की क्षमता प्रतिदिन 1 लाख लीटर स्वच्छ जल के उत्पादन की है।

[हिन्दी]

बड़े उद्योगों द्वारा मार्गनिर्देशों का उल्लंघन

5039. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े/बहुराष्ट्रीय कंपनियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबंधित मानदंडों/मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं जिसके कारण एमएसएमई बंद हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आरक्षण नीति के अंतर्गत दर्ज/पंजीकृत मामलों की स्थिति क्या है; और

(च) सरकार द्वारा आरक्षण नीति को पूर्णतया क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में केवल विनिर्माण में आरक्षण नीति के कथित उल्लंघन के 18 मामलों की सूचना मिली है। तथापि ऐसे उल्लंघनों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बंद नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में केवल विनिर्माण में उन सभी उद्यमों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने आरक्षण की नीति का कथित तौर पर उल्लंघन किया है। ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ङ) और (च) सरकार उपर्युक्त आरक्षण नीति का उल्लंघन करने वाले उद्यमों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करती है। मामालें की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

ऐसे उद्यम, जिनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है

क्र.सं.	यूनिट का नाम	पता	बनाया जा रहा सामान	मामले की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स टप्परवेयर इंडिया प्रा.लि. एवं मैसर्स डार्ट मैन्यूफैक्चरिंग इंडिया प्रा.लि.	कार्यस्थल:बिल्डिंग नं. 2, प्लाट सं.एल-1, एलमोट एस्टेट, नचाराम, आईडीए, उप्पल मंडल, रंगारेड्डी जिला हैदराबाद-500076	प्लास्टिक उत्पाद (इंजेक्शन मोड्यूल)	कोर्ट द्वारा मामले का निपटान कर दिया गया है।
2.	मैसर्स रामस्वरूप इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज	कार्यस्थल: प्लॉट सं. 6 व 7, डी ब्लॉक, कल्याणी, इंडस्ट्रियल एरिया, नादिया, (पश्चिम बंगाल)	स्टेंडर्ड वायर	कोर्ट द्वारा मामले का निपटान कर दिया गया है।
3.	मैसर्स धरम पाल सत्य पाल लि. (पूर्व नाम डीएस फूड लि.)	कार्यस्थल: बी-19 सेक्टर-3, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	साबुत और संसाधित मसाले	मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
4.	मैसर्स जय केमिकल्स	कार्यस्थल: प्लॉट सं. 137 सिलवासा रोड फेस-II, जीआईडीसी, वापी-396135 जिला बलसाड (गुजरात)	(i) फास्ट ब्लू, बीबी बेस और (ii) फास्ट रेड बी बेस	कोर्ट द्वारा मामले का निपटान कर दिया गया है।
5.	मैसर्स थिरूमलाई केमिकल्स लि.	फैक्ट्री: एसआईपीसीओटी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फेस-I, रानीपेट, वेल्लौर जिला-तमिलनाडु-632403	डीईपी (डाइथिल फिथालेट)/डीओपी (डायोक्थिल फिथालेट)	मामला चेन्नई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
6.	मैसर्स जे.आर. पैकेज प्रा. लि.	फैक्ट्री: 10 के.एम. केलंगालाम रोड, औगोंडापल्ली, होसूर, जिला-कृष्णागिरी, तमिलनाडु-635110	कोरूगेटेड बॉक्सेस	मामला चेन्नई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
7.	मैसर्स सुपैक इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	पता: मोटल द विलेज के सामने, राजकोट कालावाड राज्य राज्यमार्ग, ग्राम हरीपार (पाल), लोधिका, राजकोट, गुजरात-360005	कोरूगेटेड बॉक्सेस, शीट्स एंड	कोर्ट द्वारा मामले का निपटान कर दिया गया है।
8.	मैसर्स सिन्थेटिक इंडस्ट्रीयल कैमिकल्स लि.	पता: फ्रेगरेंस डिविजन, 6/103, मरूदूर, कोयमबट्टूर, तमिलनाडु-641104	रेसिनोएडस, फलोरल कंक्रिट, और एबसोल्यूट्स नेयूरल एसेंशिएल ऑयल	मामला चेन्नई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
9.	मैसर्स पेपरियस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, नागपुर	पता: सी-46, हिंगना, एमआईडीसी, नागपुर-440028	अभ्यास पुस्तिका	मामला नागपुर में प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है।
10.	मैसर्स सेरामिक इंडस्ट्रीज, जयपुर	पता: एस-707 (ए) रोड सं. 6 (वी.के.आई. एरिया, जयपुर, राजस्थान-302013	बोन चाईना क्रोकरी एंड सेरामिक टेबलवेयर	कोर्ट द्वारा मामले का निपटान कर दिया गया है।
11.	मैसर्स अराको ओटोमोटिव इंडिया प्रा. लि., बंगलौर	पता: 41, भिमेनाहल्ली, एम.एन. हल्ली, पोस्ट बिडाडी, तहसील-रामनगरम, बंगलौर ग्रामीण, कर्नाटक-562109	यात्री कारों के लिए सिटिंग सिस्टम एंड इंटेरिअर्स (सीट की गद्दी, बसों और ट्रकों के लिए सीट और सन विसोर्स)	मामला बंगलौर में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है।
12.	मैसर्स शक्ति प्रेस लि. नागपुर	पता: यू-116, एमाईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया हिंगा रोड, नागपुर-440016	अभ्यास पुस्तिका और रजिस्टर	नागपुर के प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है।
13.	मैसर्स मैजिक इंटरनेशनल प्रा. लि.	कार्यस्थल: प्लॉट सं. 28, सेक्टर-34, ईएचटीपी, गुडगांव-122001 (हरियाणा)	अभ्यास पुस्तिका और रजिस्टर	मामला चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जिला कोर्ट गुडगांव, हरियाणा की कोर्ट में विचाराधीन है।
14.	मैसर्स सोलवी विष्णु बैरियम प्रा.लि.	पता: सूवे सं. 27/1ए, उरनदूर (वी), मड्डीलेड्डू, पोस्ट श्रीकालाहस्ति मंडल, चित्तूर, आंध्र प्रदेश-517641	बैरियम कार्बोनेट	मामला श्रीकालाहस्त के अपर जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है।
15.	मैसर्स ग्रेट इस्टर्न इम्पैक्स प्रा. लि.	पता: 285, उद्योग विहार, फेज-II गुडगांव 122016	पेपर लेबल प्राइस मार्किंग सिस्टम	मामला चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जिला कोर्ट, गुडगांव, हरियाणा में विचाराधीन है।
16.	मैसर्स सनबिम हाईटेक मेडिकेयर	पता: प्लॉट सं. 148, सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, गुडगांव (हरियाणा)-122050	अडजेस्टेबल बेड्स-हॉस्पिटल, स्टील टेबल-हॉस्पिटल, ट्रॉली-लोहे और स्टील की तथा स्टील का फर्नीचर-अन्य सभी प्रकार की	मामला चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जिला कोर्ट, गुडगांव, हरियाणा में विचाराधीन है।
17.	मैसर्स आईटीसी लि.	पता: मैसर्स आईटीसी लि., ग्रिटिंग्स, गिफटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस, आईटीसी सेंटर, 5वां तल, जीजीएसबी, 760, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002	अभ्यास पुस्तिका और रजिस्टर	संबंधित फिल्ड स्टेशन को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
18.	मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीस लि. (बीईएलटी)	पता: फर्स्ट इंडिया प्लेस, टावर सी, मेहरौली-गुडगांव रोड, गुडगांव, हरियाणा-122002	अभ्यास पुस्तिका और रजिस्टर	मामला चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जिला कोर्ट, गुडगांव, हरियाणा में विचाराधीन है।

[अनुवाद]

भूमिहीन परिवार

5040. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में रह रहे अनुमानित भूमिहीन परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को इनकी जीविका के लिए भूमि प्रदान करने का है और क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई निदेश जारी किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार लाभान्वित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) देश में भूमिहीन परिवारों के अनुपात को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ख) से (घ) जी, हां। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के एक भाग के रूप में 24 अगस्त, 2009 को वास स्थलों की एक स्कीम आरंभ की गयी थी ताकि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के ऐसे ग्रामीण परिवारों को वास स्थल खरीदने/उसका अर्जन करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जा सकें जिनके पास न तो कृषि भूमि है और न ही वास स्थल। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण बीपीएल परिवारों को 100-250 वर्ग मी. का वास स्थल मुहैया कराया जाता है जिनके पास न तो भूमि है और न ही वास स्थल। इस प्रयोजन के लिए, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) को प्रति लाभार्थी 10,000/- रुपये दिये जाते हैं जिसमें केन्द्र तथा संबंधित राज्य द्वारा हिस्से के रूप में 50:50 के अनुपात में राशि दी जाती है। अब इस राशि को अप्रैल, 2013 से 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 20,000/- रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वास स्थल खरीदने के लिए वास स्थल स्कीम के तहत राज्यवार जारी की गयी निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण I

देश में भूमिहीन परिवारों के अनुपात

राज्य	भूमिहीन परिवारों की प्रतिशत*
आंध्र प्रदेश	14.3
असम	8.1
बिहार[1]	7.6
गुजरात	13.6
हरियाणा	9.2
हिमाचल प्रदेश	15.0
जम्मू और कश्मीर	3.3
कर्नाटक	14.1
केरल	4.8
मध्य प्रदेश[2]	12.1
महाराष्ट्र	17.7
ओडिशा	9.6
पंजाब	4.6
राजस्थान	5.7
तमिलनाडु	16.6
उत्तर प्रदेश[3]	3.8
पश्चिम बंगाल	6.2
अखिल भारतीय	10.0

*राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 2003 के अनुसार

[1]इसमें झारखण्ड शामिल है [2]इसमें छत्तीसगढ़ शामिल है [3]इसमें उत्तराखंड शामिल है।

विवरण II

इंदिरा आवास योजना के तहत वास स्थल की खरीद हेतु वास स्थल स्कीम के तहत जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य/सं. राज्य क्षेत्र	2009-10 वास स्थल की खरीद			2010-11 वास स्थल की खरीद		
		जिलों की संख्या	जारी की गयी राशि (लाख रु. में)	खरीदे/अर्जित किए जाने वाले वास स्थलों की संख्या	जिलों की सं.	जारी की गयी राशि (लाख रुपये में)	खरीदे/अर्जित किए जाने वाले वास स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश				22	10228.400	204568

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	38	5333.700	106674			
3.	केरल	14	3209.450	64189			
4.	महाराष्ट्र				33	2500.000	50000
5.	सिक्किम	1	83.295	1666			
6.	उत्तर प्रदेश				48	189.500	3790
7.	कर्नाटक	11	5400.00	108000	18	6081.700	121634
8.	राजस्थान	11	1720.600	34412			
	योग	75	15747.045	314941	121	18999.600	379992

किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश ने 2011-12 तथा 2012-13 में कोई निधियां नहीं है।

पश्चिम बंगाल में विद्युत परियोजनाएं

5041. श्री सोमेन मित्रा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में निजी, पीपीपी और सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में प्रस्तावित और स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता का परियोजना-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं से परियोजना-वार विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने हेतु संभावित समय-सीमा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जहां तक ताप विद्युत परियोजनाओं का संबंध है, विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। इस प्रकार, नई ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सीईए में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तथापि, पश्चिम बंगाल में निर्णाणाधीन ताप विद्युत परियोजना क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

जहां तक जल विद्युत परियोजनाओं का संबंध है, विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में प्राइवेट, पीपीपी और पीएसयू क्षेत्रों में किसी भी जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को सीईए द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। सीईए में पश्चिम बंगाल में प्राइवेट, पीपीपी और पीएसयू क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजना की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जांचाधीन भी नहीं है। तथापि, पश्चिम बंगाल में एक जल विद्युत परियोजना अर्थात तीस्ता लो डैम-IV (4x40 मेगावाट=160 मेगावाट) निर्माणधीन है और 2014-15 में चालू किए जाने की संभावना है।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में निर्माणधीन ताप विद्युत परियोजना

परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	अवार्ड की तिथि	चालू होने की संभावित तिथि	स्थिति
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय क्षेत्र					
रघुनाथपुर टीपीपी-I	यू-1	600	14.12.2007	07/2013	10/2012 में बायलर प्रज्वलन पूरा किया गया। 5/2012 में टीजी वाक्स अप किया गया। बायलर इन्सुलेशन कार्य के पूरा न होने के कारण स्टीम ब्लोइंग ऑफ आरंभ नहीं हो सका।

1	2	3	4	5	6
रघुनाथपुर टीपीपी-II	यू-2	600		02/2014	05/2012 में हाइड्रो परीक्षण पूरा किया गया। टीजी इरेक्शन आरंभ किया जाना है।
रघुनाथपुर टीपीपी-II	यू-1	660	एसजीटी-04.09.12	01/2017	मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए ऑर्डर दिया गया (मैसर्स बीजीआर पर-एसजी और भेल पर टीजी)
रघुनाथपुर टीपीपी-II	यू-2	660	एसजी-07.09.2012	07/2017	
राज्य क्षेत्र					
दुर्गापुर टीपीएस एक्श.	यू-8	250	28.07.2010	01/2014	1/2013 में हाइड्रो परीक्षण पूरा किया गया। 7/2013 में बायलर प्रज्वलन करने की संभावना है। फरवरी, 2013 में टीजी इरेक्शन आरंभ किया गया और 10/2013 में बाक्स-अप की संभावना है।
रघुनाथपुर टीपीपी-II	यू-3	500	22.02.2011	11/2014	9/2012 में बायलर ड्रम उठाया गया। 11/2012 में कन्डेंसर इरेक्शन आरंभ किया गया है।
सागरदीधी टीपीपी-II	यू-4	500		02/2015	बायलर इरेक्शन प्रगति में है। टीजी डेस्क कास्टेड।
निजी क्षेत्र					
सागरदीधी टीपीपी-I	यू-1	300	14.09.2011	08/2014	3/2013 में बायलर ड्रम उठाया गया।
	यू-2	300	1	11/2014	बायलर का संरचनात्मक इरेक्शन प्रगति पर है। 5/2013 में ड्रम लिफ्टिंग की संभावना है।

फसल संबंधी पोषक तत्वों पर राजसहायता का प्रभाव

5042. श्री आधि शंकर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 2010 में पोषक तत्व आधरित राजसहायता (एनबीएस) शुरू करने के बाद फसल संबंधी पोषक तत्वों पर राजसहायता के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई परामर्शदाता नियुक्त करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रतिनिधित्व हेतु कुछ फर्मों को आमंत्रित किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) जी हां। सरकार ने निविदा आमंत्रित की थी जिसके प्रति 9 फर्मों ने आवेदन किया है।

पावर ग्रिडों पर साइबर खतरा

5043. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रिडों और अन्य विद्युत प्रतिष्ठापनाओं को साइबर खतरों से सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धानराशि व्यय की गई है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना

अवधि के दौरान इस हेतु अब तक कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) सीईआरटी इन (इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिसपांस टीम्स), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकार की महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संसाधन और सेवाओं को बड़े पैमाने पर बाधित होने से बचाने हेतु साइबर अटैक और साइबर आतंक से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना (सीएमपी) तैयार की है। विद्युत मंत्रालय ने भी सीईआरटी-थर्मल, सीईआरटी-हाइड्रो और सीईआरटी-ट्रांसमिशन का गठन किया है, तथा क्रमश: एनटीपीसी, एनएचपीसी और पावरग्रिड को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली यूटिलिटीज को साइबर अटैक से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

(ख) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार साइबर सुरक्षा के प्रावधान, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित परियोजनाओं का अभिन्न अंग है। इस प्रकार इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई निधि आबंटन नहीं किया गया है। एनटीपीसी ने सूचित किया है कि 2009 में पहली बार जारी करने से अब तक आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन पर संस्था ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3.95 करोड़ रुपये खर्च किए हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 17 करोड़ रुपये के खर्च की आयोजना की गई है।

[हिन्दी]

भू-जल की उपलब्धता

5044. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भू-जल संसाधनों की उपलब्धता के मूल्यांकन के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की भू-जल स्तर में कमी की समस्या को हल करने की भावी योजना क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय ने अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की अध्यक्षता में केन्द्र स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है जिसमें, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा अकादमिक सदस्यों सहित 27 सदस्य सम्मिलित हैं। विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषय (टीओआर) में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) गहरे/असीमित जलभृतों में उपलब्ध भू जल का आकलन सुनिश्चित करना।

(ii) संदर्भ वर्ष 2011 के लिए संबंधित राज्य स्तरीय समितियों के साथ समन्वय में राज्यों के वार्षिक पुनर्भरणीय भू जल संसाधनों का आकलन।

(iii) 31 मार्च 2011 के अनुसार राज्यों के वार्षिक पुनर्भरणीय भू-जल संसाधन की उपयोगिता के अनुमान का पर्यवेक्षण

(iv) 31 मार्च 2011 तक भू जल संसाधनों के आकलन व इसकी उपयोगिता पर राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट तैयार करना।

(v) जल संसाधनों के रचनात्मक/एकीकृत प्रयोग की आयोजना को सुगम बनाने की दृष्टि से भू जल तथा सतही जल आंकड़ों का एकीकरण।

(ग) घटते भू जल की समस्या के समाधान के लिए, केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) देश में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरूद्धार आदि योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता में वृद्धि करना।

(ii) सीजीडब्ल्यूबी ने देश में भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर योजना तैयार की है।

(iii) अन्य बातों के साथ जल संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना।

(iv) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा समस्त राज्यों/संघ राज्यों को मॉडल बिल का संचालन, ताकि वे इसके विनियमन, विकास और संरक्षण के लिए भूजल विधान के अधिनियमन में समर्थ हो सके, तथा

(v) केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा 'अतिदोहित' ब्लॉक युक्त राज्यों के मुख्य सचिवों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के लिए उपाय करने के लिए परामर्श।

[अनुवाद]

पंजाब में सिंचाई परियोजनाओं का अनुरक्षण

5045. श्री रवनीत सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए पंजाब सरकार को कितनी धानराशि आबंटित की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तविक रूप में कितनी राशि खर्च की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) भारत सरकार अनुमोदित एवं पात्र विस्तार, पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष आधार पर केन्द्रीय सहायता दे रही है। पिछले चार वर्षों (2009-10 से 2012-13 तक) के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत पंजाब की ईआरएम परियोजनाओं के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता और किये गये व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		जारी केन्द्रीय सहायता	हुआ व्यय	जारी केन्द्रीय सहायता	हुआ व्यय	जारी केन्द्रीय सहायता	हुआ व्यय	जारी केन्द्रीय सहायता	हुआ व्यय
1.	कांडी नहर विस्तार (चरण-II)	0.000	22.620	14.540	24.200	43.630	490107	0.000	एनए
2.	पहली पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास	11.250	31.590	4.460	28.570	0.000	3.742	0.000	एनए
3.	राजस्थान फीडर नहर का सरेखण	0.000	0.000	105.840	0.000	0.000	0.000	0.000	एनए

एनए-वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए हुआ व्यय राज्य सरकार द्वारा अभी प्रस्तुत किया जाना है।

यात्रा पर्ची

5046. श्री एस. एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैष्णो देवी और तिरूपति तक रेल द्वारा यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को रेल टिकट लेते समय ही यात्रा पर्ची जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) वैष्णों देवी के दर्शन के लिए यात्रा करने वाले यात्री की पहचान हेतु कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) साफ्टवेयर सुविधा के सृजन की व्यवहार्यता की जांच करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

गुजरात में ताप विद्युत परियोजना

5047. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात में धुवरम में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा 2 ग 660 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनटीपीसी द्वारा इस संबंध में क्या प्रगति दर्ज की गई है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने एनटीपीसी द्वारा इस संबंध मे प्रगति दर्शाए जाने के कारण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य

विद्युत उत्पादन कंपनियों को अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) गुजरात सरकार ने दिनांक 01.07.2010 के पत्र द्वारा गुजरात राज्य विद्युत निगम लि. (जीएसईसीएल) के वर्तमान परिसर में उपलब्ध अधिशेष भूमि पर एनटीपीसी द्वारा 2×660 मेगावाट की धुवरन ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है।

इस परियोजना में की गई प्रगति निम्नानुसार है-

* टोपोग्राफिक सर्वेक्षण प्रारंभिक भू-तकनीकी अध्ययन, परिवहन संभार तंत्र अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।
* पश्चिमी क्षेत्र के सभी लाभग्राहियों अर्थात गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।
* पर्यावरण प्रीााव आकलन (ईआरए) अध्ययन संपन्न।
* भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत।
* संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

तथापि, परियोजना पर आगे कार्य करने के लिए भूमि आबंटन और कोयला लिंकेज की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद द्वारा खींची गई हाई टाइड लाइन (एचटीएल) के अनुसार, परियोजना तटीय विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) के अंतर्गत नहीं है, परंतु संभाव्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पश्चात, सीआर जैड अधिसूचना के अंतर्गत एमओईएफ से औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए संपर्क किया जाएगा।

(ग) इस संबंध में इस मंत्रालय में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियां

5048. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में नियुक्ति के लिए कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका किस हद तक क्रियान्वयन किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 41018/2/2011-स्था.(आरक्षण) दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के अनुसार सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण में से, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत तथा परिभाषित अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% उपकोटा देने का निर्णय लिया है। इन अनुदेशों का केन्द्रीय सरकार उद्यमों में भर्ती/नियुक्तियों में अनुपालन किए जाने हेतु लोक उद्यम विभाग द्वारा इन्हें का.ज्ञा.सं. 6/6/2011-डीपीई (अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ) दिनांक 2 जनवरी, 2012 के तहत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को जारी कर दिया गया है और ये अनुदेश 1 जनवरी, 2012 से लागू हो गए हैं और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर पहले ही जारी अनुदेशों में उसी सीमा तक संशोधन कर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण पर अनुदेशों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है।

छत्तीसगढ में पीसीपीआईआर की स्थापना

5049. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर क्षेत्र में समेकित पेट्रोलियम रासायनिक एवं पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा इसकी जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुमोदन कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं।

[हिन्दी]

औषध नीति की प्रभावकारिता के संबंध में अध्ययन

5050. श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषध नीति की प्रभावकारिता और मूल्य नियंत्रण तंत्र के आंकलन का अधययन किया है जिससे कि औषध विनिर्माण कंपनियों द्वारा लाभ अर्जित करने पर रोक लगाई जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र का विकास

5051. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति केवल 700 यूनिट की खपत को देखते हुए विद्युत क्षेत्र के विकास की अपार सम्भावनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं;

(ग) निजी कंपनियों की तुलना में सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा की लागत में कितना अंतर है;

(घ) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में उत्पादन होने वाली विद्युत की लागत में कमी करने के लिए लागत कम करने के उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) अर्थव्यवस्था के समग्र विकास एवं विभिन्न क्षेत्रों से विद्युत की मांग को ध्यान में रखते हुए देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की आयोजना की जाती है। योजना आयोग के अनुसार, अखिल भारतीय आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है क्षमता अभिवृद्धि के इस स्तर के साथ अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की मांग 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्ति वर्ष तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) विद्युत उत्पादन की लागत परियोजना-दर-परियोजना भिन्न होती है और विद्युत संयंत्र के प्रकार, प्रयुक्त ईंधन के प्रकार, इसकी परिवहन लागत और परियोजना के वित्तीय पैकेज इत्यादि पर निर्भर करती है। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत के बीच के अंतर की तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई है कि सभी नई उत्पादन परियोजनाओं के प्रशुल्क का निर्णय, हाइड्रो क्षेत्र में कुछ छूट सहित, प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के कारण पूंजी लागत में कटौती और प्रचालन की कुशलता के माध्यम से उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।

एनटीपीसी द्वारा तैयार सौर ऊर्जा उत्पादन

5052. श्री सी. शिवासामी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एनटीपीसी) का विचार अगले वित्त वर्ष के दौरान 20 मेगावाट सौर फोटो वोल्टेयिक विद्युत क्षमता जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी के विभिन्न सौर फोटो वोल्टेयिक संयंत्रों ने पहले ही वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एनटीपीसी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष (2014-15) के लिए सौर फोटोवोल्टेयिक विद्युत क्षमता अभिवृद्धि

के लिए लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है। तथापि, निम्नलिखित तीन परियोजनाओं पर कार्य पहले से ही प्रगति पर है और सरकारी समझौता ज्ञापन के अनुक्रम में 2013-14 के दौरान चालू किए जाने के लिए न्यूनतम 20 मेगावाट (मे.वा.) के लिए लक्षित है।

क्र.सं.	परियोजना	स्थल	क्षमता
1.	समागुंडम सौर फोटोवोल्टेयिक (पीवी)	आंध्र प्रदेश	10 मे.वा.
2.	ऊंचाहार सौर पीवी	उत्तर प्रदेश	10 मे.वा.
3.	तालचेर कनीहा सौर पी.वी.	ओडिशा	10 मे.वा.

(ग) और (घ) जी हां। एनटीपीसी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 10 मे.वा. सौर फोटोवोल्टेयिक वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं.	परियोजना	स्थल	क्षमता	वाणिज्यिक प्रचालन
1.	दादरी सोलर पी.वी.	उत्तर प्रदेश	5 मे.वा.	30.03.2013
2.	अंडमान और निकोबार सौर पी.वी.	अंडमान एवं निकोबार	5 मे.वा.	31.03.2013

परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब

5053. श्री मानिक टैगोर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गयी कई परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं तथा इन्हें अभी भी पूरा किया जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा विलंब के राज्य-वार कारण क्या हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि खर्च की गयी है तथा इन्हें पूरा करने के लिए कितनी राशि की जरूरत है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनी प्राथमिकताओं के अनुसार तथा उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाता हैं तथापि, भारत सरकार राज्यों के अनुमोदित एवं पात्र वृहत, मध्यम तथा सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं को वर्ष दर वर्ष आधार पर उनको शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती रही है। एआईबीपी के तहत चालू वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, सतही लघु सिंचाई स्कीमों, जो विलम्बित हैं, उनके विलम्ब होने के कारण, व्यय की गई राशि तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि सहित का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I तथा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण I

एआईबीपी के अंतर्गत वृहता मध्यम/ईआरएम परियोजनाओं की सूची और उन्हें पूरा करने में हुए विलंब के कारण

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	एआईबीपी में शामिल करने का वर्ष लागत	पूर्ण करने का लक्षित वर्ष	विलंब के कारण	व्यय के उपलब्ध आंकड़े (रुपये करोड़ में)	संभावित शेष लागत (रुपये करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	वैराकनावा जलाशय	2000-01	2012-13	भूमि अधिकृत समस्याएं	71.5	18.07
2.	एसआरएसएल का एफएफसी	5005-06	2013-14	भूमि अधिग्रहण समस्याएं एवं आरआरएनएच एवं रेलवे क्रांसिंग	2422.54	579.93

1	2	3	4	5	6	7
3.	एसआरएसपी चरण-II	2005-06	2013-14	भूमि अधिग्रहण समस्याएं, कार्यों की धीमी प्रगति	522.91	212.67
4.	ताडीपूरी एलआईएस	2006-07	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं शेष संरचनाओं का निर्माण	346.84	-61.1
5.	पुष्कारा जलाशय एलआईएस	2006-07	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं एवं आर एवं आर एमएच एवं रेलवे क्रासिंग, एचपीसीएल एवं गेल पाइप लाइन क्रासिंग	397.31	-201.07
6.	रालीवागु	2006-07	2011-12	एक वितरिका के अन्तर्गत पूरे किये जा चुके अयाकट में शहरीकरण	38.72	-8.9
7.	गोल्लावाम्	2006-07	2012-13	आरडी 11.83 कि.मी. में जलवाही सेतु का निर्माण	71.25	4.43
8.	मथाडीवागु	2006-07	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं एवं एनएच एवं रेलवे क्रासिंग	48.89	-3.68
9.	पेड्डावाग्	2006-07	2012-13	वन स्वीकृति, कार्यों की धीमी प्रगति	74.81	8.29
10.	गुंडालकमी	2005-06	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं और आर एवं आर मुद्दे, न्यायालयी मामले, चक्रवात के कारण क्षति	479.85	58.18
11.	जे. चोक्काराव एलआईएस	2006-07	2013-14	भूमि अधिग्रहण समस्याएं और बोलीकर्ताओं की कमजोर प्रतिक्रिया	5139.32	3061.38
12.	निलवाई	2006-07	2013-14	कार्य की धीमी प्रगति, संविदा प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे	75.484	56.91
13.	श्री कोमाराम भीम	2006-07	2012-13	वन स्वीकृति, रेलवे क्रासिंग	297.21	-59.17
14.	थोटापल्ली बैराज	2005-06	2013-14	एचएच और रेलवे क्रासिंग, शेष कार्यों के लिए निविदा	440.83	-19.89
15.	ताराकर्मा तीर्थ सागरम	2005-06	2013-14	भूमि अधिग्रहण समस्याएं, वन स्वीकृति, रेलवे क्रासिंग	82.82	137.22
16.	पालेमवाम्	2005-06	2013-14	भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति एवं रेलवे क्रासिंग	113.08	-49.57
17.	मसुरूमिल्ली	2007-088	2012-13	कोई बाधा सूचित नहीं की गई है	140.44	13.09
18.	राजीव भीमा एलआईएस	2007-08	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं एवं रेलवे क्रासिंग	979.77	397.23
19.	इंदिरा सागर पोलावरम	2008-09	2014-15	भूमि अधिग्रहण समस्याएं एवं आर एवं आर कोर्ट केसें	2530.64	3444.08
	असम					
1.	धनसिरी	1996-97	2012-13	बाढ़ के कारण भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक मरम्मत	180.99	86.91
2.	चंपावती	1996-97	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	53.79	217.91
3.	बोरोलिया	1996-97	2012-13	आर एवं आर	49.45	7.98
4.	बूढ़ी दिहंग	1997-98	2012-13	आर एवं आर लागत संशोधित की जानी है	10.04	8.18
	बिहार					
1.	पश्चिमी कोसी	1996-97	2012-13	भूमि अधिग्रहण	1076	-6.75
2.	दुर्गावती	1996-97	2013-14	भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर	399.51	497.14
3.	बाणसागर	1997-98	2011-12	शून्य लागत संशोधित की जानी है	334.87	31.96
4.	बताने	2000-01	2013-14	भूमि अधिग्रहण	48.37	26.67
5.	पुनपुन	2007-08	2013-14	भूमि अधिग्रहण	220.67	398.41
	छत्तीसगढ़					
5	कोसारटेडा गोवा	2002-03	2010-11	भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर	129.64	22.292

1	2	3	4	5	6	7
1.	तिल्लारी आईएस (गोवा हिस्सा)	2000-01	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	736.31	82.42
	गुजरात					
1.	सरदार सरोवर	1996-97	2015-16	भूमि अधिग्रहण में विलंब, आर एवं आर, आयोजना एवं निष्पादन में कमी	2474.44	8254.36
	हिमाचल प्रदेश					
1.	शाहनहर सिंचाई परियोजना	1997-98	2011-12	समय पर पर्याप्त निधियों की उपलब्धता न होना और पंजाब राज्य के हिस्से का भुगतान न होना	और केन्द्रीय सहायता की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार द्वारा पूरा होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।	
2.	सिधाता	2000-01	2011-12	टनल बनाने और नहर के गुजरने हेतु रेलवे के अनुमोदन में धीमी प्रगति	और केन्द्रीय सहायता की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार द्वारा पूरा होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।	
	जम्मू और कश्मीर					
1.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण	1999-2000	2012-13	निधि की कमी ओर कम कार्यकारी समय	141.13	5.71
2.	राजपोरा लिफ्ट	2000-01	2012-13	निधि की कमी और लगातार 3 वर्ष के लिए ग्रीष्मकालीन अव्यवस्था	59.771	4.808
3.	त्राल लिफ्ट	2000-01	2012-13	निधि की कमी और लगातार 3 वर्ष के लिए ग्रीष्मकालीन अव्यवस्था	67.116	54.48
4.	प्राक्षिक खांस नहर	2007-08	2013-14	निधि की कमी और कम कार्यकारी समय	19.38	13.22
	झारखंड					
1.	गुमानी	1997-98	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	133.05	28.84
2.	सोनुआ	1997-98	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं, आर एवं आर	54.21	6.93
3.	सुरंगी	1997-98	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं, आर एवं आर	31.79	2.92
4.	ऊपरी शंख	2004-05	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	84.01	5.05
5.	पंचखेरी	2004-05	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं आर एवं आर	47.68	6.97
	कर्नाटक					
1.	ऊपरी कृष्णा चरण-I	1996-97	2017-18	1. भूमि अधिग्रहण समस्याएं 2. न्यायालीय मामले 3. किसानों का विरोध	6678	213.59
2.	मलप्रभा	1996-97	2012-13	1. दो जलवाही सेतुओं का रिमाइलिंग कार्य 2. निधि की कमी	71.22	150.92
3.	करंजा	1997-98	2012-13	1. आर एवं आर समस्या 2. भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे	20.71	-1.88
4.	ऊपरी कृष्णा चरण-I	2001-01	2010-11	1. निविदा प्रक्रिया में विलंब	3598.96	360.84
5.	बराही	2007-08	2013-14	वीआरबीसी में सुरंग का क्षतिग्रस्त होना जिसे ठीक किया जा रहा है।	31.87	373.42

1	2	3	4	5	6	7
	केरल					
1.	मुवाद्दुपुझा	2000-01	दिसम्बर/12	दो वर्ष से रेलवे क्रासिंग के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।	295.35	-2.35
2.	कारपुझा	2006-07	दिसम्बर/13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	11.86	118.36
	मध्य प्रदेश					
1.	इंदिरा सागर यूनिट-I	1996-97	2011-12	वन भूमि हेतु स्वीकृति न मिलने एवं भूमि अधिग्रहण समस्याएं	1045.1	309.57
	इंदिरा सागर यूनिट-II	1996-97	2011-12	वन भूमि हेतु स्वीकृति न मिलना	0.000	0.000
	बाणसागर (यूनिट-II)	2003-04	2011-12	भूमि अधिग्रहण, बजट प्रावधान न होना, पूर्वा नहर प्रणाली का पुन:संरेखन और अभिकरण के निर्धारण में विलंब	1237.31	311.43
2.	सिंध फेज-II	1998-99	2013-14	भूमि अधिग्रहण समस्याएं, अभिकरण के निर्धारण में विलंब, वन स्वीकृति और निधि उपलब्ध न होना	1244.74	603.11
3.	माही	2000-01	2012-13	डिजाइन को अंतिम रूप दिये जाने, कार्यों हेतु अभिकरण के निर्धारण, भूमि अधिग्रहण और आर एवं आर में विलंब। निर्माण हेतु जल की कमी।	379.247	54.72
4.	वरियारपुर एलबीसी	2000-01	2010-11	डिजाइन को अंतिम रूप दिये जाने, कार्यों हेतु अभिकरण के निर्धारण, भूमि अधिग्रहण और आर एवं आर में विलंब। निर्माण हेतु जल की कमी।	328.06	37.72
5.	बावनथाडी	2003-04	2012-13	वन भूमि हेतु स्वीकृति न मिलना। ग्रामीणों द्वारा अधिक प्रतिपूर्ति की मांग करना।	339.73	24.63
6.	महान	2003-04	2012-13	बजट प्रावधान न होना, निविदाकारों की असफलता और आर एवं आर। महान बांध से प्रभावित परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा बार-बार बाधा पहुंचाना एवं विरोध प्रदर्शन	245.37	133.93
7.	ऑकारेश्वर, फेज-I	2001-02	2011-12	भूमि अधिग्रहण समस्याएं एवं वन भूमि हेतु स्वीकृति	408.07	168.57
8.	बारगी डायवर्जन फेज-II	2002-03	2012-13	भूमि अधिगहण समस्याएं। स्थल तक सामग्री पहुंचाने हेतु सीमित एवं आंशिक पहुंच। विद्युत लाइनों को शिफ्ट करना। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलवे क्रासिंग के निर्माण में विलंब। निर्माण हेतु अधिकरण के निर्धारण में विलंब।	372.85	38.16
	बारगी डायवर्जन फेज-II	2007-08	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं। स्थल तक सामग्री पहुंचाने हेतु सीमित एवं आंशिक पहुंच। विद्युत नाइनों को सिफ्ट करना।	274.68	48.03
	बारगी डायवर्जन फेज-III	2007-08	2014-15	भूमि अधिग्रहण समस्याएं शाखा नहर के संरेखन में विवाद के कारण निविदा जारी करने में विलंब	246.32	982.83
9.	पेंच डायवर्जन-I	2007-08	2013-14	भूमि अधिग्रहण समस्याएं परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा विरोध प्रदर्शन और आर एवं आर	72.5	269.5
	ऑकारेश्वर, फेज-II	2007-08	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं-सूचित की गई	142.99	144.07
	ऑकारेश्वर, फेज-III	2007-08	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं-सूचित की गई	333.77	148.59
	महाराष्ट्र					
1.	गोसीखुर्द	1996-97	2013-14	निधि की कमी, आर एवं आर एवं भूमि अधिग्रहण समस्याएं	5819	1377
2.	वाधुर (कार्य)	1996-97	2014-15	भूमि अधिग्रहण समस्यएं एवं रेलवे क्रासिंग के कार्य को रोकना	409.61	649.38

1	2	3	4	5	6	7
3.	ऊपरी मनार (डब्ल्यू)	2002-03	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	251.33	86.71
4.	ऊपरी पेनगंगा	2004-05	2014-15	भूमि अधिग्रहण, परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा विरोध प्रदर्शन और रेलवे/राज्य राजमार्ग क्रासिंग के निर्माण में विलब	1179.99	331.84
	बावनथाडी	2004-05	2012-13	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से वन भूमि की कमी	523.61	185.2
5.	निचली दुधना (डब्ल्यू)	2005-06	2012-13	भूमि अधिग्रहण और परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा विरोध प्रदर्शन	682.11	374.31
	तिल्लरी (महाराष्ट्र हिस्सा) (डब्ल्यू)	2005-06	2012-13	भूमि अधिग्रहण, नहर नेटवर्क के निर्माण में विलंब, निर्माण सामग्री की कमी, गोवा की जनता को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जलापूर्ति के कारण नहर को बंद नहीं किया जाना	312.34	97.58
6.	वर्ना	2005-06	2015-16	पिछले 3 वर्षों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है	229.14	355.86
7.	पुनाद	2006-07	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	121.01	40.41
8.	निचली वर्धा (डब्ल्यू)	2006-07	2014-15	भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर, वन स्वीकृति संभावना में परिवर्तन एवं अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन तथा निधि के प्रावधान में विलंब के कारण	781.1	961.75
9.	खडकपूर्ण (डब्ल्यू)	2006-07	2012-13	भूमि अधिग्रहण और आर एवं आर	807.71	85.66
10.	डॉगरगांव टैंक	2005-06	2012-13	निजी क्षेत्र एवं वन विभाग से भूमि अधिग्रहण में समस्याएं	35.82	-4.53
11.	गुल	2005-06	2011-12	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	48.77	7.3
12.	बेम्बला	2007-08	2013-14	निधि की कमी एवं न्यायालीय मामले	839.87	512.68
13.	उत्तरामांड	2007-08	2013-14	निधि की कमी	22.89	10.08
14.	संगोला शाखा नहर	2007-08	2012-13	अवसंरचनाओं का संरेखन एवं सुदृढ़ीकरण और किसानों का विरोध	135.23	48.01
15.	तराली	2007-08	2012-13	भूमि अधिग्रहण, किसानों की मांग, खुली नगर के बजाए बंद पाइप लाइन के माध्यम से नहर और निधि उपलब्ध न होना।	282.32	199.34
16.	थोम बालकवाही	2007-08	2012-13	किसानों द्वारा सहयोग न किया जाना, नहर के संरेखन में परिवर्तन निधि के प्रावधान में विलंब और नदी में से मिट्टी उठाने पर प्रतिबंध	233.44	218.49
17.	मोरना (गुरेधर)	2007-08	2013-14	परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा विरोध प्रदर्शन	57.48	11.42
18.	अर्जुन	2007-08	2013-14	नहरों के संरेखन हेतु भूमि अधिग्रहण का अनुमोदन	264.31	59.56
	मणिपुर					
1.	खुगा	1996-97	2012-13	निधि का अपर्याप्त आवंटन और भूमि अधिग्रहण समस्याएं	319.71	36.36
2.	थोबल	1997-98	2014-15	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	762.92	497.30
3.	दोलाईथावी बैराज	2002-03	2013-14	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	190.25	150.07
	ओडिशा					
1.	ऊपरी इंद्रावती (केबीके)	1996-97	2012-13	निधि का अपर्याप्त आवंटन और भूमि अधिग्रहण समस्याएं	366.18	198.59
2.	सवर्णरेखा	1996-97	2016-17	भूमि अधिग्रहण समस्याएं, आर एवं आर	1905.73	1849.49

1	2	3	4	5	6	7
3.	रेंगाली	1996-97	2016-17	भूमि अधिग्रहण समस्याएं, वन स्वीकृति, आर एवं आर एनएच क्रासिंग	812.95	47.98
4.	आनंदपुर बैराज/एकीकृत आनंदपुर बैराज	1996-97	2016-17	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	355.34	1306.57
5.	निचली इंदिरा (केबीके)	1999-2000	2013-14	भूमि अधिग्रहण समस्याएं आर एवं आर	1103.63	78.6
6.	निचली सुकतेल (केबीकेक)	1999-2000	2016-17	भूमि अधिग्रहण समस्याएं आर एवं आर, परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा विरोध प्रदर्शन	367.26	674.55
7.	तेलनगिरी (केबीके)	2003-04	2014-15	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	193.09	280.96
8.	रेल सिंचाई (केबीके)	2003-04	2014-15	भूमि अधिग्रहण समस्याएं आर एवं आर परियोजना प्रभावित	130.11	143.73
9.	कानुपरू	2003-04	2014-15	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	783.88	283.63
10.	छेल्लीगाड़ा	2003-04	2016-17	आर एवं आर	101.51	105.2
	पंजाब					
1.	शाहपुरकांडी बांध	2001-02	2014-15	राष्ट्रीय परियोजना	268.48	385.54
2.	कांडी नहर विस्तार (फेज-II)	2002-03	2011-12	भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर और आयोजना तथा निष्पादन में विलंब	225.23	75.2
3.	पहली पटियाला कीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास	2007-08	2010-11	पर्याप्त निधि उपलब्ध न होना में विलंब	120.75	2.52
	राजस्थान					
1.	आईजीएनपी चरण-II	1997-98	2013-14	भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर और आयोजना तथा निष्पादन में विलंब	4122.9	1879
2.	नर्मदा नहर	1998-99	2012-13	भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर और आयोजना तथा निष्पादन में विलंब	1551.92	303.19
3.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	2000-01	2012-13	भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर और आयोजना तथा निष्पादन में विलंब	430.56	190.54
	त्रिपुरा					
1.	गूमती	1996-97	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	45.42	28.12
2.	मानू	1996-97	2013-14	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	45.49	13.4
3.	खोवई	1996-97	2011-12	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	54.26	0.39
	उत्तर प्रदेश					
1.	सरयू नहर	1996-97	2014-15	भूमि अधिग्रहण	2706.35	3082.06
2.	बाणसागर नहर	1997-98	2014-15	भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर, भूतकनीकी जटिलताएं और रिसाव की समस्याएं	2206.31	634.51

1	2	3	4	5	6	7
3.	लछुरा बांध का आधुनिकीकरण	2005-06	2011-12	परियोजना प्राधिकरणों को अपर्याप्त निधि जारी किया जाना	और केन्द्रीय सहायता की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार द्वारा पूरा होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।	
4.	हरदोई शाखा प्रणाली के सिंचाई सघनता में सुधार	2006-07	2011-12	निविदाकारों को भुगतान संबंधी न्यायालीय मामले सूचित किए गए हैं।	और केन्द्रीय सहायता की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार द्वारा पूरा होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।	
	पश्चिम बंगाल					
1.	तीस्ता बैराज	1996-97	2014-15	अब राष्ट्रीय परियोजना है	1357.57	1631.04
2.	तटको	2000-01	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं	5.35	6.18
3.	पतलोई	2000-01	2012-13	भूमि अधिग्रहण समस्याएं, आर एवं आर	6.76	4.56
4.	सुबर्णरेखा बैराज	2001-02	2015-16	भूमि अधिग्रहण	4.56	870.65

एलए-भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर-पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, पीएपी-परियोजना प्रभावित परिवार

विवरण II

एआईबीपी के तहत विलम्बित सतही लघु सिंचाई स्कीम

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	शामिल की गई लघु सिंचाई स्कीमों की संख्या	शामिल किया गया वर्ष	पूरे किए जाने की लक्षित तिथि	विलम्ब लघु सिंचाई स्कीमों की संख्या	विलम्ब का कारण	व्यय की गई राशि	पूरे किए जाने की अपेक्षित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				विशेष श्रेणी राज्य				
1.	असम	505	2009-10	31.03.2012	384	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या तथा राज्यों द्वारा अपर्याप्त बजट प्रावधान	1053.57	728.27
2.	सिक्किम	225	2010-11	31.3.2013	80	सीमित कार्य मौसम, एनएच-31ए को चौड़ा करने के कारण निर्माण सामग्री के स्थानान्तरण में विलम्ब	53.098	10.129
3.	त्रिपुरा	37	2009-10	31.3.2012	25	सीमित कार्य मौसम, भूमि अधिग्रहण समस्या सम्भरण स्कीम के लिए निर्माण सामग्री के स्थानान्तरण में विलम्ब	63.889	10.306
4.	हिमाचल प्रदेश	181	2010-11	31.03.2013	168	कार्य मौसम की कमी तथा राज्य द्वारा अपर्याप्त बजटयीय प्रावधान	142.268	36.167

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जम्मू और कश्मीर							
5.	(क) जम्मू क्षेत्र	1	2009-10	31.3.2011	1	आतंकवाद प्रवण क्षेत्र स्कीम की स्थिति, कम	24.84	0.16
	(ख) कश्मीर क्षेत्र	76	2008-09	31.03.2011	27	कार्य मौसम, स्कीम के लिए समभरण की कमी, अमरनाथ भूमि विवाद के संबंध लम्बी अवधि का विरोध	275-422	5.807
	(ग) लद्दाख क्षेत्र						34.319	25.301
6.	ओडिशा (केबीके)	20	2007-08	31.03.2010	8	समस्या तथा राज्यों द्वारा एआईबीपी	45.707	4.393
		37	2008-09	31.01.2011	26	के तहत लघु सिंचाई स्कीमों के लिए अपर्याप्त बजट प्रावधान	53.135	20.644
7.	उत्तराखण्ड	492	2010-11	31.03.2013	451	कम कार्य मौसम, राज्य द्वारा अपर्याप्त बजट प्रावधान	4107.54	39.95

गैर-विशेष श्रेणी राज्य

क्र.सं.	राज्य	शामिल की गई लघु सिंचाई स्कीमों की संख्या	शामिल किया गया वर्ष	पूरे किए जाने की लक्षित तिथि	विलम्ब लघु सिंचाई स्कीमों की संख्या	विलम्ब का कारण	व्यय की गई राशि	पूरे किए जाने की अपेक्षित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	55	2006-07	31.03.2009	33	भूमि अधिग्रहण समस्या तथा सीमेंट	152.4	2.70
		28	2008-09	31.03.2011	8	तथा स्टील दरों में हुई असाधारण वृद्धि स्थानीय उपद्रव, वर्ष 2009 में हुआ अपूर्व भारी बाढ़	166.5	42.403
2.	छत्तीसगढ़	70	2007-08	31.03.2010	8	भूमि अधिग्रहण समस्या	137.625	4.248
		58	2008-09	31.03.2011	23	तथा नक्सलीय क्षेत्र	116.40	0.58
		22	2009-10	31.03.2012	5		55.538	4.10
3.	मध्य प्रदेश	63	2008-09	31.3.2011	18	भूमि अधिग्रहण समस्या वन	214.634	0.585
		19	2010-11	31.3.2013	11	स्वीकृति समस्या और आधिवासी क्षेत्रों के अधीन लघु सिंचाई स्कीमों के आने से अधिवासी मुक्ति संगठन का	65.16	2.79
4.	महाराष्ट्र	96	2006-07	31.3.2009	11	भूमि अधिकरण समस्या	320.166	21.70
		38	2007-08	31.3.2010	23		118.870	16.195
		6	2008-09	31.3.2011	6		49.183	3.268
		46	2010-11	31.03.2013	46		550.122	147.837
5.	बिहार	32	2010-11	31.03.2013	32	नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्कीम की अवस्थिति, राज्य द्वारा अपर्याप्त बजट प्रावधान	32.735	31.762

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	राजस्थान	7	2009-10	31.3.2012	6	भूमि अधिग्रहण समस्या, वन स्वीकृति	15.744	23.977
7.	कर्नाटक	201	2010-11	31.03.2013	67	एआईबीपी के तहत लघु सिंचाई स्कीम के लिए राज्य द्वारा अपर्याप्त बजट प्रावधान	123.855	144.543
8.	झारखण्ड	285	2010-11	31.3.2013	149	आतंकवादी प्रभवित क्षेत्र, खेती में खड़ी फसलों के कारण सामग्रीयों के स्थानान्तरण में कठिनाई स्थानान्तरण में कठिनाई तथा स्थायी उपद्रव	438.92	21.840

खादी और ग्रामोद्योग में रोजगार

5054. श्री कीर्ति आज़ाद: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग में कार्यरत लोगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी की वस्तुओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल उत्पादन कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों के विकास पर कुल कितनी धानराशि खर्च की गई;

(घ) खादी उद्योगों के विकास हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खादी की वस्तुओं को वैश्विक बाज़ार में बेचा जाता है; और

(च) यदि हां, तो वैश्विक बाजार में खादी की वस्तुओं को बेचने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की अनुमानित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा विवरण-I में सलग्न है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खादी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रुपये के मूल्य में उत्पादन का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनागत स्कीमों के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को जारी निधियों की मात्रा निम्नोक्त है:–

वर्ष	योजनागत स्कीमों के तहत केवीआईसी को प्रदान की गई कुल निधियां (करोड़ रुपये में)
2010-11	1447.37
2011-12	1258.47
2012-13	1466.20

(घ) केवीआईसी खादी उद्योगों के विकास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कई योजनाएं कार्यान्वित करता है। खादी के लिए चलायी जा रही योजनाओं में (i) विपणन विकास सहायता (एमडीए), (ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन (आईएसईसी) योजना, (iii) खादी रीगरों के लिए वर्कशेड योजना, (iv) उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन एवं पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना, (v) मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ बनाने हेतु योजना तथा विपणन संबंधी आधारभूत संरचना के लिए सहायता, (vi) खादी उद्योग एवं कारीगरों के उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु योजना, (vii) पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति), और (viii) खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) शामिल हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार ने खादी उत्पादों के निर्यात में तेजी लाने के उद्देश्य से केवीआईसी को 'निर्यात संवर्धन परिषद' के समकक्ष दर्जा

दिया है जिसके तहत केवीआईसी द्वारा पहले से ही 900 से अधिक निर्यातकों को सूचीबद्ध किया गया है। खादी उत्पादों के प्रत्यक्ष निर्यात के 5% फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केवीआईसी खादी उत्पादों के लिए नए/उभरते बाजारों में पकड़ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और विदेश में क्रेता-विक्रेता बैठकों में गुणवत्तापुर्ण सहभागिता पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

विवरण I

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नियोजन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (2012-13 तक संचयी) (लाख व्यक्तियों में)
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	2.92
2.	हिमाचल प्रदेश	2.52
3.	पंजाब	4.05
4.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	0.22
5.	उत्तराखंड	1.50
6.	हरियाणा	3.78
7.	दिल्ली	0.37
8.	राजस्थान	10.27
9.	उत्तर प्रदेश	19.67
10.	बिहार	4.52
11.	सिक्किम	0.28
12.	अरूणाचल प्रदेश	0.14
13.	नागालैंड	0.67
14.	मणिपुर	0.84
15.	मिजोरम	1.04
16.	त्रिपुरा	0.76
17.	मेघालय	0.52
18.	असम	4.49
19.	पश्चिम बंगाल	10.27
20.	झारखंड	0.65
21.	ओडिशा	3.84
22.	छत्तीसगढ़	1.52
23.	मध्य प्रदेश	4.98
24.	गुजरात*	2.74
25.	महाराष्ट्र**	8.98
26.	आन्ध्र प्रदेश	9.15
27.	कर्नाटक	5.70
28.	गोआ	0.20
29.	लक्षद्वीप	0.01
30.	केरल	5.30
31.	तमिलनाडु	17.74
32.	पुदुचेरी	0.10
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.26
	कुल	130.00

*दमन और दीव सहित। **दादरा और नगर हवेली सहित।

विवरण II

खादी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उत्पादन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	1158.98	1301.72	1379.82

1	2	3	4	5
2.	हिमाचल प्रदेश	480.70	465.27	493.19
3.	पंजाब	1195.82	1210.17	1282.78
4.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	1.30	1.35	1.43
5.	उत्तराखंड	1473.82	1632.87	1730.84
6.	हरियाणा	6234.20	7011.24	7431.91
7.	दिल्ली	248.09	258.01	273.49
8.	राजस्थान	4477.72	4524.73	4796.21
9.	उत्तर प्रदेश	17027.92	17701.93	18764.04
10.	बिहार	1254.31	1338.72	1419.04
11.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
12.	अरूणाचल प्रदेश	11.93	12.34	13.081
13.	नागालैंड	72.00	75.00	79.50
14.	मणिपुर	71.39	73.88	78.31
15.	मिजोरम	2.03	2.09	2.21
16.	त्रिपुरा	0.69	1.84	1.95
17.	मेघालय	2.26	4.44	4.71
18.	असम	907.55	992.83	1052.40
19.	पश्चिम बंगाल	7869.42	8924.80	9460.29
20.	झारखंड	517.54	837.15	887.38
21.	ओडिशा	531.75	638.10	678.37
22.	छत्तीसगढ़	1450.92	1628.26	1725.96
23.	मध्य प्रदेश	957.06	966.25	1024.23
24.	गुजरात*	3604.87	3640.55	3858.98
25.	महाराष्ट्र**	490.45	495.26	524.97
26.	आन्ध्र प्रदेश	2711.87	2737.63	2901.89
27.	कर्नाटक	4287.28	4329.72	4589.50
28.	गोआ	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
30.	केरल	2752.52	2783.00	2949.98
31.	तमिलनाडु	7506.49	8105.74	8592.08
32.	पुदुचेरी	0.00	3.61	3.83
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
	कुल	67300.88	71698.55	76002.37

*दमन और दीव सहित। **दादरा और नगर हवेली सहित।

[हिन्दी]

नई विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब

5055. श्रीमती रमा देवी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की पूर्ति तथा नई परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब का एक प्रमुख कारण प्रशासनिक लाल फीताशाही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्युत परियोजनाओं के जल्द निर्माण एवं अधिष्ठापन हेतु विद्यमान कार्यविधियों में संशोधान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) नए तथा निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन संयंत्रों को पूरा करने में विलम्ब के मुख्य कारण में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए आदेश देने में विलम्ब, सिविल कार्यों की धीमी प्रगति, परियोजना विकासकर्ता और ठेकेदार तथा उनके उपविक्रेताओं/उपठेकेदारों के बीच ठेका संबंधी विवाद, कमजोर भौगोलिक स्थिति, तीव्र बाढ़, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, पर्यावरणीय स्थिति, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं/स्थानीय मुद्दे तथा कठिन जलवायुवीय स्थितियां शामिल हैं।

सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण और समय पर चालू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास के मामलों सहित जल विद्युत के विकास से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए जल परियोजना विकास पर कार्य बल का गठन; पूर्वोत्तर में जल विद्युत के विकास को दिशानिर्देशित एवं तेज करने के लिए उपयुक्त अवसंरचना को विकसित करने हेतु अन्तर्मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन; परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रो/थर्मल परियोजनाओं की प्रगति के स्वतंत्र अनुवर्तन एवं निगरानी हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना निगरानी पैनल की स्थापना; और विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर आवधिक रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श करने और सेक्टर से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन शामिल है।

अध्यक्ष महोदया: सभा कल 26 अप्रैल, 2013 के पूर्वाह्न 11:00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2013/6 वैशाख, 1995 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री संजय निरूपम	421
2.	श्री मधु गौड यास्खी श्री प्रदीप माझी	422
3.	श्री नरहरि महतो श्री नृपेन्द्र नाथ राय	423
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	424
5.	श्री अर्जुन राय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	425
6.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	426
7.	श्री नीरज शेखर श्री यशवीर सिंह	427
8.	श्री किसनभाई पी. पटेल श्री रवनीत सिंह	428
9.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे श्री एस. अलागिरी	429
10.	श्री दिनेश कश्यप	430
11.	श्री विजय बहादुर सिंह	431
12.	श्री ए.टी. नाना पाटील श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल	432
13.	श्री एस.आर. जेयदुरई श्री डी.बी. चन्द्रेगौडा	433
14.	श्री पशुपति नाथ सिंह श्री पी. करूणाकरन	434
15.	श्री लक्ष्मण टुडु श्री मनसुखभाई डी वसावा	435
16.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	436
17.	श्री असादूदीन ओवेसी श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	437
18.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर श्रीमती अश्वमेध देवी	438
19.	श्री विलास मुत्तेमवार श्री जगदीश शर्मा	439
20.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री एनएसवी चित्तन	440

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	अतारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	4829, 5002, 5010, 5020
2.	श्री बसुदेव आचार्य	4946
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	4840, 4954, 5009, 5014
4.	श्री आधिशंकर	4878, 5042
5.	श्री आनंदराव अडसुल	4840, 4954, 5009
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	4863
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	4833, 5033
8.	श्री सुल्तान अहमद	4983
9.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	4972
10.	श्री अनंत कुमार	4922
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	4911, 5013
12.	श्री कीर्ति आजाद	4906, 5054
13.	श्री गजानन ध. बाबर	4840, 4954, 5009
14.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	4999
15.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	4896

1	2	3
16.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	4921
17.	श्री पुलीन बिहारी बासके	4944
18.	श्री अवतार सिंह भडाना	4938
19.	श्री सुदर्शन भगत	4994
20.	श्री ताराचन्द भगोरा	4942
21.	श्री संजय भोई	5003
22.	श्री समीर भुजबल	4948, 4966
23.	श्री पी.के. बिजू	4919
24.	श्री हेमानंद बिसवाल	4843, 5009
25.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	5007
26.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	4907
27.	श्री सी. शिवासामी	4903, 5007, 5052
28.	श्री हरीश चौधरी	4851, 4931
29.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	4962, 4963, 5009, 5018
30.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	4892, 5007, 5050
31.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	5005
32.	श्री भूदेव चौधरी	4962, 4996, 5006
33.	श्री निखिल कुमार चौधरी	4962, 4963, 5006, 5009, 5018
34.	श्रीमती श्रुति चौधरी	4832, 4982, 5021
35.	श्री खगेन दास	4915
36.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	4944
37.	श्री रमेन डेका	4943
38.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	4928
39.	श्रीमती अश्वमेध देवी	5006
40.	श्रीमती रमा देवी	4871, 5006, 5055
41.	श्री संजय धोत्रे	4926

1	2	3
42.	श्री आर. ध्रुवनारायण	4885, 5014
43.	श्री चार्ल्स डिएस	4861, 4891
44.	श्री निशिकांत दुबे	4959
45.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	4995, 5006
46.	श्री एकनाथ महादेव गायवाड	5003, 5005
47.	श्रीमती मेनका गांधी	4955
48.	श्री वरुण गांधी	4955, 5017
49.	श्री एल. राजगोपाल	4992
50.	श्री शिवराम गौडा	4868, 4984, 5006, 5036
51.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	4971
52.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	4949
53.	श्री महेश्वर हजारी	4826
54.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	4964
55.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	4895, 4945
56.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	4857, 5011
57.	श्री बलीराम जाधव	4930
58.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	4857
59.	श्री बद्रीराम जाखड़	4834, 5023
60.	श्रीमती दर्शना जरदोश	4884, 5047
61.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	4911, 4933
62.	श्री प्रहलाद जोशी	4860, 5009
63.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	4889, 5010, 5049
64.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	4980
65.	श्री सुरेश कलमाड़ी	4948
66.	श्री कपिल मुनि करवारिया	4836, 5024
67.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	5015

1	2	3
68.	श्री राम सिंह कस्वां	4875, 4943
69.	श्री नलिन कुमार कटील	4868, 5006, 5036
70.	श्री चंद्रकांत खैरे	4855, 4953
71.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	4904, 5008
72.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	4887, 4936
73.	श्री अजय कुमार	4991
74.	श्री पी. कुमार	4862, 5009
75.	श्री शैलेन्द्र कुमार	4965
76.	श्रीमती पुतुल कुमारी	4962, 4963, 5009, 5018
77.	श्री यशवंत लागुरी	4880, 4936, 5039
78.	श्री पी. लिंगम	4960
79.	श्री एम. कृष्णास्वामी	4879, 5043
80.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	4902, 4950, 5051
81.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	4957, 5015
82.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	4945, 4966
83.	श्री भर्तृहरि महताब	4928
84.	श्री जोस के. मणि	4965
85.	श्री दत्ता मेघे	5017
86.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	4893, 5004
87.	श्री भरत राम मेघवाल	4859, 4941
88.	डॉ. थोकचोम मैन्या	4977
89.	श्री सोमेन मित्रा	4877, 5041
90.	श्री गोपीनाथ मुंडे	4897
91.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	4908
92.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	4930, 4934, 4979, 5003
93.	श्री नामा नागेश्वर राव	4917, 5016

1	2	3
94.	श्री जफर अली नकवी	4852, 4916
95.	श्री नरेनभाई काछादिया	4842, 5026
96.	श्रीमती मौसम नूर	4846, 5028
97.	श्री असादुद्दीन ओवेसी	4866, 4981, 5017, 5019
98.	श्री पी.आर. नटराजन	4982
99.	श्री जगदम्बिका पाल	4925, 4944
100.	श्री वैजयंत पांडा	4950
101.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	4848
102.	कुमारी सरोज पाण्डेय	4969
103.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	4839
104.	श्री जयराम पांगी	4830
105.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	5003, 5005
106.	श्री देवराज सिंह पटेल	4873
107.	श्री देवजी एम. पटेल	4841
108.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	4874, 4923, 5001
109.	श्री बाल कुमार पटेल	4940
110.	श्री हरिन पाठक	4937
111.	श्री संजय दिना पाटील	4827, 4930, 4934, 5003
112.	श्री ए.टी. नाना पाटील	5007
113.	श्रीमती भावना पाटील गवली	4960
114.	श्री सी.आर. पाटिल	4937, 50014
115.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	4927
116.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	5003, 5005
117.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	4967
118.	श्रीमती कमला देवी पटले	4854, 5032

1	2	3
119.	श्री सोहन पोटाई	4973
120.	श्री पोनन्म प्रभाकर	4869, 4980
121.	श्री अमरनाथ प्रधान	4876, 4928
122.	श्री नित्यानंद प्रधान	4993
123.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	4873
124.	श्री पन्ना लाल पुनिया	4945, 5008, 5010, 5032
125.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	4952
126.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	4844, 5006, 5027
127.	श्री अब्दुल रहमान	4974
128.	श्री एम.बी. राजेश	4919
129.	श्री पूर्णमासी राम	4987
130.	प्रो. रामशंकर	4901, 4938
131.	श्री रामकिशुन	4945
132.	श्री जगदीश सिंह राणा	4865, 4943, 4966, 4971, 5035
133.	श्री निलेश नारायण राणे	4849, 4980, 5029
134.	श्री के. नारायण राव	5016
135.	श्री रामसिंह राठवा	4847, 4932, 4951, 5002
136.	श्री अशोक कुमार रावत	4912
137.	श्री रुद्रमाधव राय	4867, 4928
138.	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	4929
139.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	4953, 5031
140.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	5037
141.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	4838, 4988, 5025
142.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	5012, 5034
143.	श्री महेन्द्र कुमार राय	4978

1	2	3
144.	श्री एस. सेम्मलई	4920, 5015
145.	श्री एस. पक्कीरप्पा	4866, 5006
146.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	4838, 4883, 5046
147.	डॉ. अनूप कुमार साहा	4990
148.	श्री विष्णु देव साय	4914
149.	श्री तकाम संजय	4968
150.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	4935
151.	श्री तूफानी सरोज	4947, 5014
152.	श्री हमदुल्लाह सईद	4870, 5002, 5038
153.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	4890
154.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	4900
155.	श्री एम.आई. शानवास	4988
156.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	4918
157.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	4853, 4882
158.	श्री राजू शेट्टी	4850, 4936, 5030
159.	श्री एंटो एंटोनी	4981
160.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	4923
161.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	4894, 4898, 4951
162.	डॉ. भोला सिंह	5002
163.	श्री भूपेन्द्र सिंह	4886
164.	श्री दुष्यंत सिंह	4910
165.	श्री गणेश सिंह	4837
166.	श्री इज्यराज सिंह	4855, 4953
167.	श्री जगदानंद सिंह	4909

1	2	3
168.	श्री महाबली सिंह	5000
169.	श्रीमती मीना सिंह	5006
170.	श्री मुरारी लाल सिंह	4858
171.	श्री पशुपति नाथ सिंह	4932, 5002, 5044
172.	श्री राधा मोहन सिंह	4970, 5006
173.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	4958, 5006
174.	श्री रतन सिंह	4835
175.	श्री रवनीत सिंह	5045
176.	श्री सुशील कुमार सिंह	4913
177.	श्री उदय सिंह	4941, 4986
178.	श्री राधे मोहन सिंह	4961
179.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	4911
180.	राजकुमारी रत्ना सिंह	4835, 4932, 4945
181.	श्री विजय बहादुर सिंह	5006
182.	डॉ. संजय सिंह	4932, 5011, 5055
183.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	4885, 5014
184.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	4961
185.	श्री मकनसिंह सोलंकी	4936
186.	श्री ई.जी. सुगावनम	4831, 5040
187.	श्री के. सुगुमार	4899
188.	श्रीमती सुप्रिया सुले	4934, 5003
189.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	4888, 4980, 5048
190.	श्री मानि टैगोर	4828, 5053
191.	श्रीमती अन्नू टन्डन	4946, 4976
192.	श्री अशोक तंवर	4975

1	2	3
193.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	4989
194.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	4866
195.	श्री आर. थामराईसेलवन	4905, 5008
196.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	4939, 5008
197.	श्री पी.टी. थॉमस	4924, 5007, 5017
198.	श्री मनोहर तिरकी	5012
199.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	4864, 4957
200.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	4881
201.	श्री जोसेफ टोप्पो	4956
202.	श्री लक्ष्मण टुडु	5033
203.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	4826
204.	श्री हर्ष वर्धन	4826, 5008
205.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	4931, 5006
206.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	4845, 5017
207.	श्री सज्जन वर्मा	4973
208.	श्रीमती ऊषा वर्मा	4826
209.	श्री वीरेन्द्र कुमार	4914, 4985
210.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	4936, 4998
211.	श्री पी. विश्वनाथन	4856
212.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	4997
213.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	4872, 5039
214.	श्री धर्मेन्द्र यादव	4840, 4954, 5009
215.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	4933, 5013
216.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	4951
217.	श्री मधुसूदन यादव	4927
218.	श्री मधु गौड यास्खी	4840

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि	:	484, 486, 489, 491
कोयला	:	481, 483
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	485, 487, 490
संस्कृति	:	495
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	482, 488
गृह	:	493, 496, 497, 498, 500
सूचना और प्रसारण	:	492
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	494, 499.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि	:	5516, 5518, 5522, 5525, 5529, 5530, 5533, 5535, 5538, 5540, 5542, 5548, 5555, 5557, 5557, 5561, 5562, 5576, 5578, 5579, 5582, 5583, 5584, 5590, 5592, 5596, 5597, 5608, 5613, 5614, 5616, 5620, 5628, 5639, 5640, 5645, 5653, 5658, 5662, 5663, 5667, 5669, 5678, 5682, 5685, 5688, 5700, 5701, 5703, 5706, 5713, 5719, 5720, 5726, 5730, 5744
कोयला	:	5574, 5588, 5605, 5619, 5624, 5641, 5643, 5644, 5661, 5668, 5695, 5715, 5732
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	5519, 5520, 5521, 5523, 5527, 5537, 5551, 5569, 5570, 5573, 5581, 5585, 5589, 5599, 5602, 5607, 5630, 5631, 5633, 5635, 5646, 5650, 5659, 5666, 5681, 5684, 5689, 5690, 5696, 5702, 5705, 5709,5723, 5724, 5729, 5734, 5739, 5741
संस्कृति	:	5517, 5546, 5552, 5553, 5629, 5637, 5649, 5660, 5664, 5694, 5712, 5743
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	5564, 5566, 5676, 5714, 5722
गृह	:	5524, 5528, 5531, 5532, 5536, 5543, 5544, 5545, 5547, 5550, 5558, 5560, 5563, 5571, 5572, 5575, 5577, 5586, 5587, 5593, 5598, 5600,

5601, 5603, 5604, 5606, 5609, 5611, 5615, 5617, 5618, 5623, 5625, 5627, 5632, 5636, 5642, 5647, 5651, 5652, 5654, 5656, 5657, 5665, 5670, 5671, 5672, 5674, 5677, 5680, 5683, 5691, 5692, 5693, 5698, 5699, 5704, 5707, 5708, 5710, 5711, 5711, 5718, 5721, 5727, 572, 5731, 5733, 5737, 5738, 5740, 5742, 5745

सूचना और प्रसारण : 5539, 5541, 5549, 5554, 5556, 5559, 5565, 5567, 5568, 5580, 5594, 5612, 5621, 5626, 5638, 5648, 5673, 5679, 5686, 5697, 5716

सामाजिक न्याय और अधिकारिता : 5526, 5534, 5591, 5595, 5610, 5622, 5634, 5655, 5675, 5687, 5717, 5725, 5735, 5736.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, दिल्ली द्वारा मुद्रित।